उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११२

सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२ से बृहस्पतिवार, १६ अक्तूबर, १९५२ तक

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९५३

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

खंड ११२

सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२

मंगलवार, १४ अक्तूबर, १९५२

बुधवार, १५ अक्तूबर, १९५२

बृहस्पतिवार, १६ अक्तूबर, १९५२

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन और नियोजन मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारी मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (मिस), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री ... बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री ... गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज़ इमाम, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री ... रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री .. खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री ... फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री ... मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री ... उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद ... लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री ... फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री ... बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री ... सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री ... झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री ... नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती ... फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसेन, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री ... फिरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसेन, श्री ... गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री ... सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री ... चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-राम-सनेही घाट।
२४—उम्मेद सिंह, श्री ... उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री ... ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज़ रसूल, श्री ... शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री ... दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री ... चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री ... सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिज़वी, श्री ... मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री ... गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री ... हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री ... चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री ... लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री ... कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री ... कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री ... हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री ... खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री ... सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री ... हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री ... सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री ... ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री ... मिलक (दक्षिण)--शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री .. मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री .. सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री ... बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री .. कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री ... सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री ... मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री ... अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री ... पिथौरागढ़--चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)--नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री ... चमोली (पश्चिम)--पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री ... फीरोजाबाद--फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री ... मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)--गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री .. रसरा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री ... बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)--झांसी (पश्चिम)--ललितपुर (उत्तर)।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री ... मैनपुरी (उत्तर)--भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री ... इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजा रमण शुक्ल, श्री ... पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)--नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री ... डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री ... खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री ... मुसाफिरखाना (दक्षिण)--अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)--सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री ... पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री ... इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री ... अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री ... बरेली नगरपालिका
७६--गौरीराम, श्री ... फरेंदा (मध्य)
७७--घनश्यामदास, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण)--हैदरगढ़--रामसनेही-घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री ... बिधूना (पश्चिम)--भरथना (उत्तर)--इटावा (उत्तर)
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री ... उरई--जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री ... डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री ... लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री ... तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)--गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती ... बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)--चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री ... हरदोई (पूर्व)

८६—चरण सिंह, श्री	...	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तर सिंह निरंजन, श्री	...	कोंच
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री	...	जलेसर एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	...	छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	...	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री	...	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री	...	हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री	...	खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	...	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबक्श दास, श्री	...	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री	...	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री	...	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री	...	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	...	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	...	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	...	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	...	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	...	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	...	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री	...	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	...	महोबा कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	...	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री	...	घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री	...	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	...	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	...	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री	...	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	...	औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	...	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	...	मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	...	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	...	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	...	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री	...	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	...	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	...	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री	...	नकुड़ (दक्षिण)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री	...	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री	...	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री	...	जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	...	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	...	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री	...	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री	...	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	...	सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री	...	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	...	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	...	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री	...	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	...	बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री	..	आओं (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	...	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	...	पश्चिमीय दून दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	...	पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	...	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री	...	आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	...	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	...	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री	...	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	...	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	...	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री	...	बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री	...	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री	...	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री	...	नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री	...	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री	...	सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री	...	केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	...	महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	...	बांदा
१६७—पातीराम, श्री	...	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री	...	बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	...	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री	...	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री	...	हरैया (उत्तर—पश्चिम)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री .. कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री ... सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२४—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—महादेवप्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२६—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२८—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलाल गंज
२२९—महीलाल, श्री ... बिलारी
२३०—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—मिजाजी लाल, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३२—मिहरबान सिंह, श्री ... बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)
२३३—मुजफ्फर हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३५—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर–अकबरपुर
२३७—मुश्ताक अली खां, श्री ... सहसवान (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री ... बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम) धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४६—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५३—मोहन सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५७—यशोदा देवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुबीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी

२६४—रमेश चन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहू (दक्षिण)
२६५—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६६—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६७—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६९—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२७०—राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)
२७१—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७२—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७३—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७४—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुण्डा (उत्तर)
२७५—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७९—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२८०—रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८३—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८४—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९१—रामजीसहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९२—रामदास आर्य, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९३—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३०३—रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०४—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०५—रामरतन प्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०६—रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०७—रामलखन, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०९—रामलाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)
३१०—रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण)
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री .. लखनऊ (मध्य)
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री ... बबेरी (पश्चिम)
३१४—रामसहाय शर्मा, श्री ... गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१५—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .. घोसी (पूर्व)
३१६—रामसुन्दरराम, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
३१७—रामसुभग वर्मा, श्री ... पडरौना (पश्चिम)
३१८—रामसुमेर, श्री ... टांडा
३१९—रामस्वरूप, श्री .. दूधी-राबर्ट्सगंज
३२०—रामस्वरूप गुप्त, श्री ... भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२१—रामस्वरूप भारतीय, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
३२२—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामहरख यादव, श्री ... बीकापुर (पश्चिम)
३२४—रामहेत सिंह, श्री .. छत्ता
३२५—रामेश्वरप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (पश्चिम)
३२६—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री .. नैनीताल (दक्षिण)
३२७—लक्ष्मणराव कदम, श्री .. मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२८—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .. संडीला-विलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२९—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
३३०—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
३३१—लताफत हुसेन, श्री ... हसनपुर (उत्तर)
३३२—लालबहादुर सिंह, श्री ... केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३३—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री ... बनारस (उत्तर)
३३४—लीलाधर अष्ठाना, श्री ... उन्नाव (दक्षिण)
३३५—लुत्फअली खां, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)
३३६—लेखराज सिंह, श्री ... सम्भल (पूर्व)
३३७—वंशनारायण सिंह, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३८—वंशीदास धनगर, श्री ... करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३९—वंशीधर मिश्र, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
३४०—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री ... गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४१—वसी नकवी, श्री ... महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४२—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४३—विचित्रनारायण शर्मा, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४—विजयशंकर प्रसाद, श्री ... मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४५—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४६—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)
३४७—विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री .. इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४८—विष्णु दयाल वर्मा, श्री ... जसराना

३४९—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री ... मवाना
३५०—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी–जालौन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी–राबर्टस्‌गंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर–अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री . चकराता–पश्चिमीदून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू–मन्झनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर–पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण–पश्चिम
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुर द्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम)

उत्तर प्रदेश विधान सभा
के
पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, एम० एल० ए०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए०।

विशेषाधिकारी

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एल-सी०।

अधीक्षक

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

श्री देवकी नन्दन मितयल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री

जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
ज़ोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवचरन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[६ अक्तूबर, १९५२ के परिवहन मन्त्री के स्थगित प्रश्न]

मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट रोडवेज स्टैण्ड का निर्माण

*३—श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फ़रनगर गवर्नमेंट रोडवेज स्टैण्ड के निर्माण में क्या देरी हो रही है और कब से यह निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मुजफ्फ़रनगर में बस स्टैण्ड बनाने के लिये (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। ज्योंही भूमि प्राप्त हो जायगी इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा।

* * * * * *

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के निवासियों को वर्षा काल में असुविधायें

*१५—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोरखपुर में तहसील बांसगांव के निवासियों का आना जाना बहुधा हफ्तों तक बरसात के जमाने में बाढ़ की वजह से जिला के अन्य भागों से नहीं रहता है ? यदि हाँ तो क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने का कोई उपाय सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई योजना नहीं बन पायी है।

* * * * * *

*२७-२९—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थिति)—[देखिये आगे पृष्ठ २२-२३ पर]

* * * * * *

*४०—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]

* * * * * *

*४७-४९—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * * * *

रुड़की से मुजफ्फरनगर तक सरकारी बसों का एकाधिकार

*८०—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि रुड़की से मुजफ्फ़रनगर तक जिसमें मंगलौर भी शामिल है, केवल सरकारी बसों का एकाधिकार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार रुड़की और मुजफ्फ़रनगर के बीच में और प्राइवेट कम्पनियों को मोटर चलाने की इजाजत दे सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस बात पर विचार किया जा रहा है लेकिन उस जगह पर सब जगह रोडवेज़ की मोटर चलाने का ही विचार है और किसी को इजाज़त नहीं दी जायगी।

*८१–श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सहारनपुर से रुड़की में भी सरकारी बसें चलती हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*८२—श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में हो, तो क्या कारण है कि सहारनपुर से मंगलौर लंठौरा के लिये प्राइवेट बसों को चलाने का परमिट दिया गया है ? यह परमिट किन सज्जनों को मिला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आर० टी० ए० ने एक अतिरिक्त बस की आवश्यकता इस रूट पर अनुभव की और उन्होंने परमिट दिया । यह परमिट सर्व श्री डी० एम० अग्रवाल कम्पनी रुड़की ज़िला सहारनपुर को मिला है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इसकी आवश्यकता रोडवेज़ से क्यों पूरी नहीं की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बीच में जिस समय बहुत से प्राइवेट आपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ मुकदमा हाईकोर्ट में दायर किया था उस समय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जब तक कोई नेशनलाइज़ेशन का ऐक्ट पास न हो जाय तब तक केवल रोडवेज़ को ही चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती । उसके नतीजे पर आर० टी० ए० ने एक परमिट वहां दिया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य उन रोड्स पर जहां रोडवेज की बस चल रही हैं किसी प्राइवेट आपरेटर्स को मोटर चलाने का लाइसेंस मिला ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिस तरह से यहां पर एक आदमी को परमिट दिया गया ऐसे और जगह भी आर० टी० ए० ने परमिट दिये थे और वह हमारी ख्वाहिश के खिलाफ दिये गये थे और हमारी शिकायत रही लेकिन आर० टी० ए० एक स्वतंत्र संस्था है उसको क्वासी जुडिशियल की हैसियत है इसलिये हम उनको कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। हमारी ख्वाहिश के खिलाफ भी ऐसी बातें की जाती हैं जिनको हम पसन्द नहीं करते।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—क्या सरकार कोई कानून बना कर ऐसे परमिटों को खत्म करना चाहती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है अब जब से नेशनलाइजेशन ऐक्ट पास हो गया है और उस के बाद से सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी रोड को नोटिफाई करने के बाद अपने लिये सुरक्षित कर ले।

* * * * * *

*९४–९५—श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)—[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

[सोमवार, १३ अक्तूबर, १९५२ के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नागर क्षेत्रों के किसानों की बेदखलियां

*१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया नोटिफाइड एरिया तथा म्युनिस्पैलिटियों के क्षेत्र में रहने वाले काश्तकारों तथा शिक-

मियों के खिलाफ बड़ी तादाद में बेदखलियां दाखिल हो रही हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उनके रोकने का प्रबंध करने पर विचार कर रही है ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—दफा १७५ व १८०, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन बेदखली के मुकदमे जो पहले रुके हुये थे, खोल दिये गये हैं और सम्भवतः इस प्रकार के कुछ मुकदमे अब दायर हुये होंगे। परन्तु सरकार ने इस विषय में कोई सूचना इकट्ठी नहीं की है। इस प्रश्न पर कि किसी विशेष प्रकार की बेदखलियां रोकना उचित और जनहित में है या नहीं, विचार किया जा रहा है।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के किसानों ने दसगुना दिया है और वहां पंचायत-राज एक्ट भी लागू है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसा तो किराकट टाउन एरिया के बारे में सुना है।

[स्वशासन मंत्री को प्रश्न २ से ४ तक के उत्तर देने के लिये बुलाये जाने पर]

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—मैं अभी हरद्वार से आ रहा हूं। और मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं।

अध्यक्ष—यह उत्तर न देने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास आप के कार्यालय मे उत्तर आ गये हैं।

[विधान सभा सचिवालय से उत्तर मिलने पर स्वशासन मंत्री ने इन प्रश्नों के उत्तर दिये।]

ज़िला बोर्ड मेरठ की चेक बुक के लिये मांग

*२—श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ सरकार से अप्रैल मास से चेकबुक की मांग कर रहा है? क्या यह चेक बुक अभी तक नहीं भेजी गयी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जिला बोर्ड मेरठ ने सरकार को सितम्बर मास के अंतिम सप्ताह में लिखा था कि चेकबुक शासकीय मुद्रणालय से उपलब्ध न होने के कारण उनको स्थानिक प्रेस में मुद्रण कराने की स्वीकृत प्रदान कर दी जावे। इस पर सरकार ने अधीक्षक, शासकीय मुद्रणालय को तुरन्त चेकबुक मुद्रण करने का निदश दे दिया था। सरकार को अधीक्षक का यह आश्वसान प्राप्त हो गया है कि चेकबुक जिला बोर्ड मेरठ के पास ८ अक्तूबर तक अवश्य भेज दी जायेगी।

श्री कैलाशप्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि अप्रैल के महीने में मेरठ जिला बोर्ड ने कोई चेकबुक की मांग की थी या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—की थी।

श्री कैलाशप्रकाश—उन को क्या उत्तर भेजा गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस को लिखा गया था कि वह जल्द सप्लाई कर दे और उनको सप्लाई जल्द करने के लिये ताकीद की गई थी जिस का जवाब मिला था कि ८ अक्तबर तक अवश्य भेज दी जायंगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अभी चेकबुक मेरठ बोर्ड को मिली या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस ने लिखा था कि ८ अक्तूबर तक भेज दी जायगी। इसकी सूचना अभी नहीं है कि अभी भेजी या नहीं।

*३—श्री कैलाशप्रकाश—क्या यह सही है कि उक्त जिला बोर्ड ने स्वयं चेकबुक छपवाने की आज्ञा मांगी, जो अस्वीकार की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के उत्तर में समन्वित है।

*४—श्री कैलाशप्रकाश—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड मेरठ के पास चेकबुक न होने के कारण ही शिक्षकों को जुलाई और अगस्त के वेतन अभी तक नहीं दिये जा सके?

श्री मोहनलाल गौतम—इस विषय में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री बलवन्त सिंह—क्या यह चेकबुक प्रेस भेजता है बोर्ड को, या गवर्नमेंट भेजती है।

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस में छपकर वहीं से सीधे भेज दी जाती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह चेकबुक नहीं भेजी गयी, जिसकी वजह से जो परेशानी हुई और काम रुका, वह किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जितने भी केस में जो देर होती है वह सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।

खादी की बिक्री में कमी

*५—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि खादी की बिक्री कम हो रही है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां।

श्री बलवन्त सिंह—गवर्नमेंट को इसका क्या कारण मालूम हुआ कि खादी की बिक्री कम हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—लोग जरा पहनने में कोताही कर रहे हैं।

*६—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार खादी के उद्योग की उन्नति के लिये २०० रुपये माहवार तक वेतन पाने वाले सरकारी अफसरान के लिये आफिस काल (Office Hours) में खादी पहनना अनिवार्य करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकार इस पर विचार करेगी।

आयुर्वेदिक इन्जेक्शन्स तैयार करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता

*७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सत्य है कि आयुर्वेदिक इन्जेकशन के तैयार करने वाले फर्मों को सरकार से लाइसेंस लेने की आज्ञा दी गयी है ?

*८—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाएंगे कि उपरोक्त लाइसेंस न लेने के कारण प्रदेश के विभिन्न औषधालयों को हजारों रुपये के इंजेकशन के एम्पूल्स जब्त कर लिये गये हैं ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—सरकार से लाइसेंस लेने की कोई आज्ञा नहीं दी गई है परन्तु ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत देश में एक ड्रग्स कण्ट्रोलर हैं, उन्होंने ड्रग्स ऐक्ट की धाराओं के अनुसार आयुर्वेदिक इन्जेक्शनों के निर्माणकर्ताओं से यह प्रमाण मांगा कि उनके इन्जेक्शन बिलकुल शुद्ध और स्तरीय शक्ति के हैं। कोई भी आयुर्वेदिक इन्जेक्शन के निर्माणकर्ता ने आवश्यक प्रमाण और सूचना नहीं दिया। इस कारण से ड्रग्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। चूंकि बिना लाइसेंस के इन्जेक्शनों की बिक्री के लिये ऐक्ट में इजात नहीं है इसलिये ऐसे इन्जेक्शनों का सारा स्टाक जिलाधीश की इजाजत से ड्रग्स ऐक्ट की धारा २२ (सी) के प्रोवइजों के अन्तर्गत जब्त कर लिया गया। हो सकता है कि उसका मूल्य बहुत रहा हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रदेश में ड्रग ऐक्ट आयुर्वेदिक औषधियों के लिये लागू नहीं है ?

श्री बनारसी दास—ड्रग ऐक्ट सब प्रकार के सिस्टम की मेडिसिन्स के लिये लागू होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ड्रग ऐक्ट कण्ट्रोलर क्या एक एलोपैथिक आफिसर हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[इन प्रश्नों के उत्तर ८ सितम्बर, १९५२ को संख्या ९२-९४ के अन्तर्गत दिये गये।]

*४—५—श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)-[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर] ।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से आय तथा व्यय

*६—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से राज्य की कुल कितनी आय होगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १९ करोड़, परन्तु ज्यों-ज्यों सीरदार काश्तकार भूमिधर बनते जायेंगे त्यों-त्यों यह आय घटती जायगी।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि इस मद की जमींदारी उन्मूलन से पूर्व सरकार की कितनी आय थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १२ करोड़ थी।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह सूचित कर सकती है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को मालगुजारी में कितना घाटा हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—घाटे का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार लोग क्या लगान वसूल करते थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—लगभग १७ करोड़ ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फिर यह १२ करोड़ रुपये की आमदनी क्यों रह गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पहिले जो १७ करोड़ बतलाया था वह जमींदारों को वसूल होने वाला रुपया बताया था। उसमें से सरकार को ६ करोड़ रुपया वसूल होता था।

श्रीमान् की आज्ञा से मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ काश्तारों से १७ करोड़ रुपया वसूल होता था जिसमें से १२ करोड़ रुपया जमींदार ले लेते थे। और ६-७ करोड़ के दरमियान सरकार को बचत हो जाती थी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खुदकाश्त सीर वाले जमीदार जो अब भूमिधर बन गये हैं, उनकी मालगुजारी जो पहले सीर खुदकाश्त से बरामद होती थी वही रहेगी या कम या बेश की जायगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रास्टर रेट से लेकर, साकितुल मिल्कियत काश्तकारों का जो लगान होता है उसी रेट से सीर और खुदकाश्त का लगान दर्ज किया जाता है।

*७—**श्री रमेश वर्मा**—मालगुजारी वसूल करने की सरकार की व्यवस्था के अनुसार उस पर कुल रेवेन्यू का कितने प्रतिशत व्यय होगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—४.२ प्रतिशत।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इस व्यय में वह व्यय भी शामिल है जो सरकार चुनी हुई गांव-सभाओं को मालगुजारी वसूल करने के एवज में देगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मालगुजारी वसूल करने का जितना भी खर्चा है वह सब इसमें शामिल है। गांव सभाओं को देने की इसमें कोई रकम शामिल नहीं है।

*८—**श्री रमेश वर्मा**—क्या बचत में से कोई अंश सरकार गांव सभाओं को निर्माण कार्यों के लिये देने पर विचार करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी से जो आय होगी उसमें से वसूल करने का खर्च, मुआविजे की किश्त, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोकल रेट के सिलसिले में देय रकम, वक्फ तथा ट्रस्ट की वार्षिक वृत्ति तथा कृषि आयकर में कमी हो जाने वाली रकम को निकालने के बाद कोई बचत नहीं होती है। अतः बचत से गांव-सभाओं को रुपया देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार कुछ गांव-सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार देने जा रही है। यदि हां, तो कितनी गांव-सभाओं को ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार की यह मंशा जरूर है कि मालगुजारी वसूल करने में गांव-सभाओं की मदद ली जाय। इस प्रकार के आदेश भी जिला मैजिस्ट्रेटों को जारी किये गये थे और उन्होंने कुछ गांव-सभाओं के नाम भी सरकार के पास भेजे हैं। लेकिन अभी सरकार ने पूरी तरह निश्चय नहीं किया है। लेकिन वह गांव-सभाओं के जरिये से मालगुजारी वसूल करने का इरादा रखती है।

आजमगढ़ बस स्टेशन के निर्माण का ठेका

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बस स्टेशन बनाने का ठेका किसको दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ के बस स्टेशन बनाने का ठेका अभी किसी को नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे आजमगढ़ बस स्टेशन में जो पांच-छः कमरे बनाये गये हैं और गालिबन एक बनने के लिये बाकी है वह किसकी निगरानी में बन रहे हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मेरा ख़याल है कि जिनकी बाबत प्रश्नकर्ता महोदय समझते हैं कि वह बन गये हैं वह पुराने शेड हैं जिनको अभी कायम रखा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुराने कमरे जो थे वे कितने थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

आज़मगढ़ से मधुबन जाने वाली बसें

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यातायात मंत्री यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ से मधुबन कितनी बसें जाती हैं तथा लोअर और अपर क्लास का किराया क्या-क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ से मधुबन के लिये दो मार्ग हैं। एक मऊ से होकर और दूसरा दोहरीघाट होकर। इन दोनों मार्गों पर रोडवेज की एक-एक बस चलती है। इन दोनों मार्गों के लिये आजमगढ़ से मधुबन तक का किराया यह है।

आजमगढ़-मऊ-मधुबन......	अपर क्लास	२।=)
,, ,,	लोअर क्लास	१।।।≡)
आजमगढ़-दोहरीघाट-मधुबन	अपर क्लास	२।≡)
,, ,,	लोअर क्लास	२-)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई महीने तक मधुबन से आजमगढ़ तक तीन बसें चलती थीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है।

*११--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि जो बस मऊ होकर मधुबन जाती है उसका किराया घोसी से मधुबन तक का, दोहरी घाट से घोसी होकर मधुबन जाने वाली गाड़ी के किराये से एक आना ज्यादा रक्खा गया है। यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, ऐसा नहीं है।

कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के मुअत्तल कर्मचारी

*१२--**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के कितने कर्मचारी कितने समय से मुअत्तल हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कानपुर सेण्ट्रल वर्कशाप में इस समय केवल १७ कर्मचारी मुअत्तल हैं। इनमें से दो कर्मचारी एक साल के ऊपर से और १४ कर्मचारी ६ माह से और एक कर्मचारी ४ माह से मुअत्तल है।

*१३--**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (बाराबंकी)--क्या सरकार श्री बी०एस० सक्सेना सुपरवाइजर, तथा उनके साथ के मुअत्तल व्यक्तियों के मामले में शीघ्र ही निर्णय देने का इरादा रखती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री बी० एस० सक्सेना नामक कोई भी सुपरवाइजर सेण्ट्रल वर्कशाप कानपुर में नहीं है। सम्भवतः तात्पर्य श्री बी० एस० श्रीवास्तव से है। जो कि सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे और २/४/५२ से मुअत्तल हैं।

इनके तथा अन्य मुअत्तल व्यक्तियों के मामलों में उचित अनुशासन की कार्यवाही हो रही है और निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य कौन-कौन से लोग श्री श्रीवास्तव के साथ मुअत्तल हुये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बहुत बड़ी लिस्ट है। इसकी सूचना माननीय सदस्य मेरे दफ्तर में आकर ले सकते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या यह सत्य है कि यह लोग इसलिये मुअत्तल किये गये थे कि उन्होंने वर्कशाप के डिविजनल इंजीनियर की वर्कशाप में अव्यवस्था के विरुद्ध सूचना दी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर इस पर मुअत्तल हुये होंगे तो वह बरखास्त नहीं होंगे।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री अगर मालूम हो तो उत्तर दे सकते हैं, काल्पनिक उत्तर नहीं दे सकते।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या मैं जान सकता हूं कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध क्या अभियोग है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी भी सूचना की जरुरत होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुअत्तल लोगों को मुअत्तली के समय में कुछ वेतन मिलता है, यदि हां, तो कितना?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, एक तिाई मिलता है।

श्री नेकराम शर्मा—अभी तक जो मुअत्तल हुये थे उनकी बहाली क्यों नहीं हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ समय हर मुकदमे का फैसला करने में लग जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है उनको मौका दिया जाता है कि अपनी गवाही वह पेश करें और सफाई दें और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सफाई करने में और गवाह पेश करने में देर लगा देते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता कि हमारा दफ्तर लोगों को सफाई करने का मौका नहीं देता और जब इसभूल का हमारे टी०सी के दफ्तर को पता चला तो यह हिदायत दी गई कि जो गलती रह गई थी दोबारा उसको अवसर दिया जाय और इस वजह से कभी-कभी देर हो जाती है।

*१४-१६—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३-२४ पर]

*१७-१८—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[इन प्रश्नों के उत्तर ९ अक्तूबर, १९५२ को संख्या ८२-८३ के अन्तर्गत दिये गये।]

*१९-२०—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

नागर क्षेत्रों की जमींदारी

*२१—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या टाउन एरियाओं, म्युनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड एरियाओं में जमींदारी का अधिकार अभी शेष है? यदि हां, तो कब तक उसके वर्तमान रहने की सम्भावना है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। जैसा कि इस सदन को मालूम है, इन क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन के लिये "यू० पी० नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधान, १९५०" अभी हाल ही में प्रवर समिति को विचार के लिये भेजा गया है। विधान मंडल द्वारा पारित होने पर यह विधान उक्त क्षेत्रों में लागू किया जायगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक द्वारा हाट, बाजारों और आबादी के भीतर खाली पड़ी भूमि पर भी टाउन एरिया आदि का अधिकार हो जायगा ?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि सदन के सामने जब वह विधेयक आने वाला है, तो जो कुछ आने वाला है प्रवर समिति से उस समय वह तय कर सकते हैं, इस सवाल को। इसकी इजाजत नहीं है।

हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट मोटरों के कर्मचारियों की असुविधायें

*२२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रांस्पोर्ट की मोटर गाड़ियों तथा बसों के ड्राइवरों और क्लीनरों के दिल्ली में ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, प्रबंध है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ड्राइवर और क्लीनरों के लिये दिल्ली में ठहरने की क्या व्यवस्था है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी वहां नये मकान बन रहे हैं, उनमें वह लोग ठहर सकते हैं। अभी वरैण्डा वगैरह में उनके लिये थोड़ा-बहुत प्रबंध है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार उनके ठहरने के लिये जो थोड़ा प्रबंध बहुत प्रबंध है उस को समुचित बनाने की कोई कार्यवाही करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार इसके लिये शीघ्र से शीघ्र कोशिश करना चाहती है, लेकिन इतनी इमारतें सरकार के पास बनाने को पड़ी हैं, इसमें कुछ देर होनी आवश्यक है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां पर आफिसर इंचार्ज का तो बंगला बन गया है और ड्राइवर अभी तक बसों में सोते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शुरू किया गया है दफ्तर से और उसमें एक कमरा जो बाहर से आने वाले हैं उनके ठहरने के लिये भी बना है। एक कमरा मुसाफिरों के लिये भी बना है।

*२३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि इन ड्राइवरों और क्लीनरों को दिल्ली रहने का भत्ता बहुत दिनों से नहीं मिला?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*२४—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि इस भत्ते की शरह क्या है और क्या वह दिल्ली के लिये पर्याप्त है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—भत्ते की शरह इस प्रकार है: ड्राइवर १ रु०, क्लीनर कण्डक्टर १० आ० और क्लीनर ६ आ० प्रति रात्रि।

यह दर दिल्ली के लिये पर्याप्त है कि नहीं इसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टी० सी० के दफ्तर से रीजनल मैनेजर्स को लिखा गया है कि वह अपनी राय दें। उनकी राय आने के बाद सरकार के सामने सवाल पेश किया जायगा और इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि मार्च, १९५१ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन दिनों के परिवहन मंत्री ने भी ऐसी जांच की बात कही थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे इसकी सूचना नहीं है। लेकिन यह संभव है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार, जब तक कि इस भत्ते के सबंध में जांच की बात पूरी हो इस एक रुपये और दस आने की दर को कुछ इंटेरिम पीरियड के लिये बढ़ाने के लिये कोशिश करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो जांच चल रही है वह किस तारीख से चल रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सिर्फ यह सूचना है कि टी० सी० के दफ्तर से रीजनल मैनेजर को लिखा गया है। अगर आप कहें तो सूचना मंगा सकता हूं।

अलीगढ़ जिले में नियोजन योजना के अन्तर्गत ट्यूब वेल्स तथा पक्के कुओं का निर्माण

*२५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में प्लानिंग योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल्स एवम् सिंचाई के लिये पक्के कुएं बनाने की योजना है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिन नल कूपों तथा पक्के कुओं के बनाने का आयोजन है उन सब का अभी जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। केवल सरकारी नलकूपों में से १४० जिला अलीगढ़ में बनाने का आयोजन है, इसके अतिरिक्त ५० सहकारी नलकूप इस वर्ष अर्थात् १९५२-५३ में उसी जिले में बनने हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जलकूप किस प्रकार बनाये जायेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत--सिंचाई के हिसाब से निर्धारित हो जायेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिरा अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में जो १४४ प्लानिंग योजना के अनुसार नलकूप बनेंगे, ये तहसील वाइज बनेंगे या वैसे ही ?

श्री जगनप्रसाद रावत--तहसीलवार बनाने का कोई सवाल नहीं उठता। जहां आवश्यकता है और जहां ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिंचाई नलकूपों से हो सकती है उन्हीं जगहों पर बनाये जायेंगे।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलीगढ़ के सिकन्दराराव दक्षिणी क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत एक भी जलकूप बनाने की व्यवस्था नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सिकन्दराराव क्षेत्र में नहरों से सिंचाई का काफी प्रबंध है। अलीगढ़ जिले में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती और नलकूपों से अच्छी हो सकती है। इसलिये जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिणी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन बिना सिंचाई के पड़ी रहती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जहां लाखों एकड़ जमीन का सवाल होता है वहां दो एक हजार एकड़ जमीन का कोई सवाल नहीं होता।

*२६--**श्री नेकराम शर्मा**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९४७ ई० तक कितने सिंचाई के पक्के कुएं बनाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जिला अलीगढ़ में सन् १९४७ से दिसम्बर, सन् १९५१ तक सरकारी योजना के अन्तर्गत कुल ४५७ सिंचाई के पक्के कुए निर्माण किये गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के अन्दर ट्यूबवेल्स के लगाने की औसत कीमत क्या बैठती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

गांव सभाओं में हाट और बाजार की झरी वसूल करने के सम्बन्ध में सरकारी परिपत्र

*२७--**श्री देवमूर्ति राम** (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है कि जमींदारी उन्मूलन अर्थात् १ जूलाई, सन् १९५२ ई० के पश्चात् गांव-सभाओं में हाट और बाजारों की झरी वसूली के सबंध में दो परिपत्र भेजे गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतिलिपियां मेज पर रक्खेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--१ जुलाई, १९५२ के पश्चात् गांव-सभाओं में हाट और बाजारों की झरी वसूली के संबंध में एक परिपत्र ६-१०-५२ को भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

श्री देवमूर्ति राम--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि एक जुलाई को एक सरकुलर के द्वारा इस तरह की घोषणा की गई थी जिस के अनुसार हाट-बाजारी की वसूली गांव-सभाओं को सौंपी गई थी और उसके बाद यह दूसरा परिपत्र भेजा गया जिस के द्वारा वही पहले वाला तरीका रखा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर ने कुछ शंकायें प्रकट की थीं तो उन का जवाब दिया गया था, कोई दूसरा परिपत्र तमाम जिलाधीशों को नहीं भेजा गया।

*२८---श्री देवमूर्ति राम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस दूसरे परिपत्र द्वारा उसने ग्राम-सभाओं के हाथों से झरी वसूली का अधिकार जमींदारों के ठेकेदारों के हाथ सौंप दिया है उसमें ठेकेदार के ठेके की प्रमाणिकता का क्या आधार माना है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इस प्रश्न का उत्तर मेज पर रखे गये परिपत्र के पैराग्राफ ९ से स्पष्ट हो जायगा।

श्री देवमूर्ति राम--क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि ठेकेदार के ठीके की प्रमाणिकता कैसे मानी जाती है वह डायरेक्टर के जरिये प्रमाणित मानते हैं या जिस को जमींदारों के ठेकेदार कहते हैं उनको ही माना चाता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--दोनों में से जो ठीक होते हैं वही मान लिये जाते हैं।

*२९-३१---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३३---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

*३४-३६---श्री सत्यनारायण दत्त (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २४-२५ पर]

जमींदारी विनाश के पश्चात् लगान वसूली के लिये अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति

*३७---श्री लालबहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी समाप्त हो जाने पर अब मालगुजारी या लगान वसूल करने के लिये या उसके निरीक्षण के लिये कुछ अवकाश प्राप्त अधिकारी रक्खे गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी नहीं।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोर्ट-आफ़ वार्ड्स या सप्लाई डिपार्टमेंट से जो लोग लिये जा रहे हैं, उनकी सर्विस टर्मिनेट करके उनको लिया जा रहा है, या कांटिन्यु करके लिया जा रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---कोर्ट आफ वाटर्ड्स तो खत्म हो गया उसके टर्मिनेट करने का सवाल नहीं है। सप्लाई डिपार्टमेंट से जो लिये जा रहे हैं वे सप्लाई डिपार्टमेंट से अलग हो करके इसमें आ रहे हैं।

*३८-४०---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

बाढ़ और सूखा से पीड़ित बलिया जिले की जनता को सहायता

*४१---श्री बैजनाथ सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिला बाढ़ और सूखा दोनों के कारण पिछले सालों में तबाह हो चला है ? यदि हां, तो सरकार बलिया जिलेकी जनता के रक्षार्थ इस संबंध में कौन-कौन सी कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बलिया ज़िला में गंगा और सरयू की बाढ़ से प्रायः फ़स्लों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। गत वर्ष सूखा के कारण तथा इस वर्ष सूखा और बाढ़ दोनों के कारण कुछ क्षेत्रों में फ़सल को हानि हुई।

सन् १९४८ में बलिया में गंगा की बाढ़ से बहुत हानि हुई थी। उस बाढ़ के पश्चात् सरकार ने कुछ बांध बनवाये थे जिनसे नदी तट के आस-पास के गांवों की बाढ़ के समय रक्षा होती है। बाढ़ की समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिये सरकार ने एक बाढ़ समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

पूर्वी ज़िलों की अन्नाभाव स्थिति को स्थायी रूप से दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और बलिया भी इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवश्य लाभान्वित होगा।

श्री बैजनाथ सिंह—क्या सरकार बतालाने की कृपा करेगी कि यह समिति जो बनी है यह कब बनी, इसके कौन-कौन से लोग सदस्य हैं और इनसे कब तक रिपोर्ट मांगी गयी है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह कमेटी तो २५ सितम्बर, सन् १९४८ ई० को बनी थी। सदस्यों के नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। उस कमेटी की कुछ सब-कमेटियां बनीं थीं और उन सब की रिपोर्ट आ चुकी है। केवल टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट सरकार को अभी नहीं प्राप्त हुई है। आशा है कि वह बहुत जल्द प्राप्त हो जायगी।

श्री रामजी सहाय (ज़िला देवरिया)—सरकार ने जो यह सूचना दी कि समिति नियुक्त हुई है तो उसकी रिपोर्ट इस भवन में कब तक आ जाने की सम्भावना है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जैसा मैंने अभी बताया कि फ्लड कमेटी की जितनी सब-कमेटीज़ थीं उनकी रिपोर्ट तो मिल गई और उसके अनुसार सरकार कार्यवाही कर रही है, लेकिन टेक्निकल सब-कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है। इसलिये पूरी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। आशा है वह रिपोर्ट भी बहुत जल्द ही आ जायगी।

श्री बैजनाथ सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह समिति सिर्फ़ उन्हीं विषयों पर अपनी राय देगी जो कि बाढ़ से उत्पन्न होते हैं या सूखे से ग्रस्त एरिया के लिये भी कुछ विचार इसके सामने आयेगा?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह कमेटी केवल बाढ़ से किस प्रकार रक्षा हो सके इसके लिये बनी है। सूखे का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी की सिफ़ारिशों के मुताबिक़ उसका फ़ैसला अगली बरसात से पहले-पहले हो जायगा?

श्री द्वारक प्रसाद मौर्य—इन्तजार कीजिये, मुमकिन है हो जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस कमेटी में सरकारी विशेषज्ञ ही हैं या गैर सरकारी सदस्य भी हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास इस समय सदस्यों के नाम तो नहीं हैं। जहां तक मुझे ख़याल आता है उसमें गैर-सरकारी लोग भी हैं।

ज़मींदारी उन्मूलन कार्य में जौनपुर ज़िले में हरिजनों की नियुक्ति

*४२—श्री बाबूनन्दन (ज़िला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर ज़िला की प्रत्येक तहसील में ज़मींदारी उन्मूलन के संबंध में जो कार्य किया जा रहा है उसमें कुल कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं और उसमें कुल कितने हरिजन हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मांगी गयी सूचना इस प्रकार है—

नाम तहसील	कर्मचारियों की संख्या	हरिजनों की संख्या
जौनपुर	२४	३
मड़ियाहूं	२८	२
मछलीशहर	३०	३
शाहगंज	३१	२
केराकत	२४	४
योग	१३७	१४

*४३—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)— [२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४-४५—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील बांसी और खलीलाबाद में बाढ़

*४६—श्री प्रभुदयाल—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसी और खलीलाबाद तहसील के कितने गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील बांसी में ३४६ गांव और तहसील खलीलाबाद में ९६ गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये हैं।

श्री प्रभूदयाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बाढ़-पीड़ितों को कौन सी सहायता अब तक दी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बाढ़ क्षति ग्रस्त लोगों को ग़ल्ला बांटना, ग्रट्इशस रेलीफ़ तथा और सब प्रकार की ज़रूरत का सामान उनको दिया गया है। बीज वग़ैरह का प्रबंध भी उनके लिये किया गया है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार को मालूम है कि बांसी तहसील के उत्तरी भाग में और खलीलाबाद तहसील के पूर्वी भाग में बाढ़ आती हैं उसको रोकने के लिये क्या कोई स्थायी प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तमाम पूर्वी जिलों में बाढ़ों के रोकने के लिये सरकार विचार कर रही है और एक रिलीफ़ कमेटी कायम हुई है। जब तक यह योजना नहीं आ जाती है सरकार कोई क़दम नहीं उठा सकती है।

देवरिया जिले में सिंचाई के लिये कुओं का निर्माण

*४७—श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में सिंचाई सहायक योजना के अन्तर्गत कितने कुयें बने हैं, और कितने कुओं में बोरिंग हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—देवरिया जिले में सिंचाई योजना के अन्तर्गत जून ३०, १९५२ तक १०२४ पक्के कुएं बनाये गये हैं और ८८९ कुओं में बोरिंग की गई।

श्री राजवंशी राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चार सालों में से किन-किन सालों में कितने कुयें बने?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

*४८--श्री राजवंशी राय--क्या सरकार यह बतलायेगी कि कितने मंजूर शुदा कुओं की छूट (सबसिडी) अब तक नहीं दी गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--अभी ८३७ कुओं पर छूट देना बाक़ी है।

*४९--श्री राजवंशी राय--क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि देवरिया ज़िले में कितना रुपया बोरिंग के वास्ते अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा हुआ और उन लोगों के कितने कुओं की बोरिंग नहीं हुई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--९४९ कुओं की बोरिंग के हेतु ६१,००० रु० अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा हुआ, जिनमें से केवल ६० कुओं की बोरिंग होनी बाक़ी है।

श्री राजवंशी राय--जो कुओं की सब्सीडी देना बाक़ी है वह अब तक क्यों नहीं दी गयी है ? क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--असल में जब कुयें बन जाते हैं तो इस बात का विश्वास होता है कि वास्तव में कुयें बने या नहीं। कहीं-कहीं पर शिकायतें आई हैं कि लोगों ने कुयें बनाने के लिये तक़ावी ली है और कुयें न बना कर दूसरे अन्य कामों में रुपया ख़र्च किया । इसलिये जब तक यह निश्चय नहीं हो जाता है कि कुवें बन गये हैं तब तक सब्सीडी नहीं दी जाती है और यदि यह पाया जाता है कि कुयें नहीं बनाये गये तो तकावी भी उनसे मालगुज़ारी के रूप में वसूल कर ली जाती है ।

श्री राजवंशी राय--कितने कुओं की इन्क्वायरी हो कर मंज़ूर हो चुकी है यह बतलाने की कृपा करें।

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न के उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि ८३७ कुओं पर अभी छूट देना बाक़ी है ।

*५०-५२--श्री रामसुन्दर राम (ज़िला बस्ती)--[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५४--श्री धनुषधारी पांडेय (ज़िला बस्ती) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे २५ पृष्ठ पर ।

*५५-५६--श्री सुन्दरलाल (ज़िला बरेली)--[१० नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (ज़िला अल्मोड़ा)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९--श्री हरि सिंह (ज़िला मेरठ)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०--श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)--[२७ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया ।]

अबवाब की दर बढ़ाने के लिये सरकारी आदेश

*६१—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जब सरकार ने अबवाब की दर बढ़ा कर १८ ३/४ प्रतिशत कर दी थी तो जिला अधिकारियों को आदेश भेजे गये थे कि बढ़े हुये अबवाब में से जमींदार एक पैसा रुपया काश्तकार से वसूल कर सकेगा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

*६२—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या यह सही है कि अभिदिष्ट अबवाब का एक पैसा रुपया जो जमींदारों ने काश्तकारों से वसूल किया वह पटवारियों ने अपने रजिस्टरों में इन्दराज नहीं किया ? यदि नहीं किया, क्यों नहीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी तक केवल १८ जिलों से उत्तर प्राप्त हुआ है। इनमें से १० जिलों में पटवारियों ने १ पैसा प्रति रुपया अबवाब जो जमींदारों ने काश्तकारों से वसूल किया है, खतौनी में दर्ज किया है। अन्य जिलों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। हो सकता है कि ८ जिलों के अलावा और जिलों में भी इंदराज नहीं किया गया हो। इसका कारण यह है कि कोई गश्ती हिदायत माल परिषद ने इस अबवाब के इंदराज के बारे में जारी नहीं की थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गश्ती चिट्ठी सरकार ने किस कारण से हिदायती चिट्ठी नहीं भेजी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जैसा कि जवाब में कहा गया है कि यह आदेश नहीं भेजा गया था किन्तु वह एक पैसा खतौनी में दर्ज कर दिया जायगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह जो अबवाब वसूल किये गये थे वह उनकी कच्ची निकासी में जोड़े जायंगे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह तो आप जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को देखकर मालूम कर सकते हैं।

*६३—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सरकार जिला अधिकारियों द्वारा पटवारियों को शीघ्र ही इस आशय के आदेश भेजेंगी कि वह काश्तकारों से जमींदारों द्वारा एक पैसा रुपया वसूल किया हुआ अबवाब अपने रजिस्टर में दर्ज कर लें ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। लैंड रिफार्म कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि काश्तकारों से वसूल होने वाले अबवाब का इंदराज १३५९ फ़सली की खतौनी में अन्य जिलों में भी शीघ्र करवा दें।

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं के लिये सीमेंट का अभाव

*६४—श्री तुलसीराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंचाई के कुओं के वास्ते बदायूं जिले में सीमेंट नहीं आता है ? यदि हां, तो वह कब तक आयेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बदायूं जिले में जून, १९५२ से सिंचाई के कुओं के लिये सीमेंट नहीं आ सका है। आशा की जाती है कि वर्षा के पश्चात् कुएं गलाने का काम प्रारम्भ होने के पहले काफी सीमेंट पहुंच जायगा।

श्री तुलसीराम—क्या सरकार यह बतलायेगी कि १९५०-५१ में बदायूं जिले में कितने कुयें बने ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुओं की तादाद इस समय मेरे पास नहीं है।

तहसील मऊरानीपुर (झांसी) में डीज़िल आयल टैंक में आग लगना

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम (ज़िला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी ज़िले के मऊरानीपुर तहसील में अभी हाल ही में आने वाले डीज़िल आइल के टैंक में आग कैसे और किस वक्त लगी थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक डीज़िल आयल का नया टैंक जो रेलवे वैगन नं० ४२८३४ में था बम्बई से मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर ७ जून, १९५२ ई० को क़रीब ६ बजे शाम पहुंचा। जब यह टैंक वाली गाड़ी साइडिंग में थी तो ८ जून, १९५२ ई० को क़रीब १ बजे रात को उसमें अचानक आग लग गई।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलायेगी कि क्या यह बात ठीक है कि डीज़िल आइल का टैंक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनने वाले सपरार बांध के लिये आया था? और उसमें लगभग ४०-५० हज़ार रुपये का तेल था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त आग के लगने से उत्तर प्रदेशीय सरकार को कितना नुक़सान हुआ और क्या उसके संबंध में कोई जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट पेश करने की कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की है कि प्रदेशीय सरकार को कोई हानि इससे नहीं हुई। यह दुर्घटना सेण्ट्रल रेलवे की हद के अन्दर घटी थी इसलिये रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी जांच हुई थी।

राज्य में जूट की उपज तथा प्रयोग

*६७—श्री कमाल अहमद रिज़वी (ज़िला खीरी)—क्या यह सत्य है कि उत्तर-प्रदेश में पिछले वर्ष जो जूट पैदा हुआ था वह अब तक किसानों के पास रखा हुआ है? यदि हां, तो कृपा करके यह बताया जाय कि कितना जूट बच रहा और उसकी निकासी के लिये सरकार ने क्या प्रबंध किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। यह अनुमान किया जाता है कि लगभग ७० हज़ार मन जूट का रेशा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंडियों व देहातों में बिक्री न होने के कारण पड़ा रह गया। जूट के ऊपर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसकी निकासी में कोई अड़चन नहीं है इस पर भी जूट विभाग के कर्मचारी इसकी निकासी में मदद करते हैं। जूट की बिक्री शुरू हो गई है और आशा है कि शीघ्र ही सब बिक जायेगा।

श्री कमाल अहमद रिज़वी—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जिन किसानों के पास जूट पड़ा रह गया है और इससे उनकी जो हानि हुई है उसके लिये क्या सरकार उनको कम्पेनसेट करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि पिछले साल कुल कितना जूट पैदा हुआ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले वर्ष के आंकड़े इसमें दिये हुये हैं।

*६८—श्री कमाल अहमद रिज़वी—क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रबंध है, जिसके द्वारा जूट की उपज और उसके प्रयोग के सही आंकड़े जमा हो सकें? यदि हां, तो क्या?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिन क्षेत्रों में जूट की खेती हो रही है वहां आवश्यकता-नुसार जूट विभाग के कमचारी नियुक्त हैं, इन्हीं कर्मचारियों द्वारा उपज का अनुमान लगा कर प्रान्त की उपज के आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। प्रान्त की मुख्य-मुख्य मंडियों में हमारे जूट विभाग के कर्मचारी देख-रेख रखते हैं। और आमद और बिक्री के आंकड़े जमा करते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जूट की खेती स्पेशल प्रोपेगंडा के जरिये से बढ़ाई गई थी और उसके मार्केटिंग का ऐसी हालत में अभी तक क्यों प्रबंध नहीं किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसका प्रबंध हो रहा है और आशा है कि व सब बिक जायगा।

*६९—श्री कमाल अहमद रिज़वी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी हमारे प्रान्त की पैदावार का कितना प्रतिशत जूट प्रान्त के बाहर पहिले तीन वर्षों में जाता रहा है और कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की मिलों ने खरीदा है और वह जूट जो यू० पी० की मिलों ने खरीदा है उन मिलों की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् (फसली)	कुल पैदावार मन	जूट जो प्रान्त के बाहर गया कलकत्ता—	जूट जो प्रांत की मिलों ने खरीदा	जूट जो अन्य एजेंसियों द्वारा खरीदा गया
१९४९–५०	१,०३,२३०	...	६९,७०० ६७.५ प्रतिशत	३३,५३०
१९५०–५१	२,३८,०००	२४,००० १० प्रतिशत	९२,२५५ ३८.७ प्रतिशत	१,२१,७४५
१९५१–५२	४,९२,२०४	१,३१,७६९ २६.८ प्रतिशत	१,२७,७०३ २५.९ प्रतिशत	१,६२,७३२

प्रान्तीय जूट मिलों का साल भर का खर्च ८ लाख मन के हैं जिसमें से १९४९ में केवल ८.७ प्रतिशत खरीदा, १९५० में ११.५ प्रतिशत और १९५१ में १५.९ प्रतिशत खरीदा।

*७०–७१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—[देखिये [आगे पृष्ठ २५–२६ पर]

[६ अक्तूबर, १९५२ के परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

ट्रैफिक मैनेजर, बनारस के विरुद्ध शिकायत

*२७—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के बनारस रोड़वेज डिपो इन्चार्ज ने उस समय के स्थानीय ट्रैफिक मैनेजर, रोड़वेज के खिलाफ़ यह रिपोर्ट की थी कि उक्त आफ़िसर पेट्रोल की चोरबाजारी करते हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जेनरल मैनेजर, इलाहाबाद के कार्यालय के पिछले रिकार्ड से विदित होता है कि गत वर्ष में बनारस के डिपो इंचार्ज ने ऐसी कोई रिपोर्ट रोड़वेज के पेट्रोल की चोरबाजारी के विषय में नहीं की।

*२८—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ट्रैफ़िक मैनेजर बनारस जाने के पूर्व लखनऊ रोड़वेज में एलाटमेंट आफ़िसर थे और उन पर यहां भी मोटर पार्ट्स के संबंध में अभियोग लगा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सत्य है कि ट्रैफ़िक मैनेजर इलाहाबाद रीजन जाने के पूर्व लखनऊ रोड़वेज़ में अलाटमेंट आफ़िसर थे, किन्तु उनके ऊपर मोटर पार्ट्स के संबंध में कोई भी अभियोग लगा हो, इस भांति के कोई भी काग़ज़ जेनरल मैनेजर लखनऊ के दफ्तर में नहीं हैं और न इस विषय में कोई विश्वस्त सूचना ही है।

*२६—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आफ़िसर आजकल लखनऊ रोड़वेज़ में किस उच्च अधिकारी की हैसियत से नियुक्त हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सत्य है कि यह आफ़िसर आजकल लखनऊ रोड़वेज़ में असिस्टेण्ट रीज़नल मैनेजर के पद पर हैं।

* * * *

प्रतापगढ़-रायबरेली रोड पर बस सर्विस

*४०—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ से रायबरेली रोड पर वह बस सर्विस करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

[१३ अक्तूबर, १९५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

* * * *

मिर्जापुर ज़िले के ग्राम विसुन्द्रपुर में पड़ाव की भूमि

*४—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि ज़िला मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम विसुन्द्रपुर में लाइन के पोखरों पर, जिसको पड़ाव कहते हैं क़रीब १०० बीघा से भी अधिक भूमि है, जो एक साल सरकार द्वारा खेती के लिये दी गई थी, परन्तु वह किसानों से फिर ले ली गई और अब उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। परन्तु भूमि का क्षेत्रफल केवल ५९ १/२ बीघा है न कि १०० बीघा। यह भूमि भारत सरकार के रक्षा विभाग की सम्पत्ति है। वह १३५३ फ़सली वर्ष में "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के संबंध में ली गयी थी और ४२ में किसानों को पट्टे पर उठाई गई थी। परन्तु वह किसान लगान न दे सके और वसूली में अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ीं इसलिये भूमि उनसे ले ली गई और उस पर डेरी फार्मिंग केन्द्र खोलने के लिये एक स्थानीय व्यापारी श्री आर० पी० मुसद्धी को जून, १९४७ में पट्टे पर उठा दी गई थी। उन्होंने भी शर्तनामे के प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया। अतः अप्रैल, १९४९ में उनसे भी भूमि खाली करा ली गई तब से वह भारत सरकार के रक्षा विभाग ने वापस ले ली है। इस जमीन को भारत सरकार से वापस लेने के लिये प्रयत्न किये गये और उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर यह भूमि खेती के काम में लाई जा सकेगी।

*५—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त बेकार पड़ी हुई उपजाऊ भूमि को वहां के भूमिहीन ग़रीब हरिजनों को खेती करने तथा बसने के लिये देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उपरोक्त परिस्थितियों में भूमि को ग़रीब हरिजनों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

* * * *

राज्य के पशु-चिकित्सालय

*१४—श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने पशु-चिकित्सालय हैं और सन् १९५२ ई० में कितने और कहां-कहां नये पशु-चिकित्सालय खुलेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२२८। वित्त वर्ष १९५२-५३ में तीन नये पशु-चिकित्सालय खोलने की बजट में व्यवस्था की गयी है। इनमें से एक भाव बहादुरनगर जिला बुलन्दशहर और एक छपरौली जिला मेरठ में खोलने का निश्चय किया गया है। तीसरे चिकित्सालय का स्थान अभी सरकार के विचाराधीन है।

*१५—श्री श्रीचन्द (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु-चिकित्सालय, मथुरा में किन-किन प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उड़ीसा, मैसूर, आसाम, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, काश्मीर, अजमेर, दिल्ली और ट्रावनकोर-कोचीन।

*१६—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने वैटेरनरी असिस्टेण्ट सर्जनों की आवश्यकता है और कब तक यह आवश्यकता पूरी हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय विभाग में १२४ वेटेरिनरी असिस्टेण्ट सर्जनों के स्थान खाली हैं। इस आवश्यकता को पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि क़रीब चार वर्ष में पूरी हो जायगी।

* * * * * *

ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात् परती बंजर भूमि तथा वृक्षों का प्रबन्ध

*१९—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि पहली जुलाई को ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात् परती, बंजर तथा उनमें स्थित वृक्ष आदि का प्रबन्ध शासन ने किया या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। सरकार ने समुचित इन्तज़ाम कर लिया है।

प्रतापगढ़ ज़िले में शासकीय सम्पत्ति को हानि

*२०—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ ज़िले में ऐसी अनेक सूचनायें जिलाधीश को दे गई हैं कि कुछ लोगों ने शासकीय सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है ? आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग में किया हुआ सवाल पैदा नहीं होता।

* * * * *

इटावा–बढ़नीबाजार (बस्ती) बस सर्विस

*३२—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री इटावा से बढ़नी-बाजार तक जिला बस्ती में बस सर्विस चालू करने का इरादा रखते हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

*३३—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि इटावा से बढ़नी बाजार की सड़क एक मात्रा नैपाल सीमा जाने वाली सड़क है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। इसके अतिरिक्त और भी सड़कें नैपाल सीमा तक जाती हैं।

इटावा–औरैया रोडवेज़ बस सर्विस

*३४—श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोड़वेज़ बस सर्विस इटावा-औरैया लाइन पर चलने वाली बसों में सन् १९५१ में कितने फीसदी बसें अपने निश्चित समय से देर में चलीं, और इनका कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—४२.४ फ़ी सदी। कारण यह था कि इस सड़क की दशा अत्यन्त ख़राब थी।

*३५—श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार ये बताने की कृपा करेगी कि इटावा-औरैया रोडवेज़ बस सर्विस की १९५१ सन् में कितनी बसें रास्ते में फेल हुईं और कुल चलने वाली बसों का फेल होने वाली बसें कितनी प्रतिशत हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—६७ बसें रास्ते में फ़ेल हुईं। फेल होने वाली बसें कुल चलने वाली बसों की १.०८ प्रतिशत थी।

*३६—श्री सत्यनारायण दत्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार रास्ते में फ़ेल हो जाने वाली बसों की संख्या कम करने के लिये कोई उपाय सोच रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। रास्ते में फ़ेल होने वाली बसों की संख्या कम करने के लिये बसों की ओवर हालिंग कर दी गई है और उसकी देख भाल करने के लिये कारीगरों की संख्या बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त बसों के १००० मील चलने के बाद सर्विसिंग की जाती है और पी० डब्लू० डी० से सड़क बनाने को कहा गया है।

* * * * *

बस्ती ज़िले में बाढ़ से हानि

*५३—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती ज़िले में सरयू, कुआनो, राप्ती, कटनैया तथा आमी नदी की बाढ़ से इस वर्ष हज़ारों गांवों की फ़सल तथा बहुत से मकान बरबाद हो गये हैं?

श्री चरण सिंह—सरयू, राप्ती तथा आमी नदी की बाढ़ से ज़िला बस्ती में इस वर्ष लगभग ३३९ गांवों की फ़सल को हानि हुई है और थोड़े से मकानों को क्षति पहुंची है। कुआनो और कटनैया नदियों से कोई हानि नहीं हुई है।

*५४—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपरोक्त नदियों बाढ़ से त्रसित जनता की सहायता की व्यवस्था जो की गयी है उसे बताने की कृपा करेगी

श्री चरण सिंह—इस साल बस्ती जिलें में बहुत हल्की बाढ़ आई। तहसील व
डोमरियागंज के जिस हिस्से पर बाढ़ आई थी उसका कुछ र
पहले ही से रिलीफ का काम किया जा रहा था। व
कुल इलाके में ए० पी० स्कीम, काश्तकारों को बीज
लोगों के लिये Gratuitous Relief का काम अब
रकम बाढ़ के इन्तजाम के लिये कलेक्टर जिला व
में बल्कि और जिलों में भी जहां बाढ़
के लिये तकावी देने का हुक्म जारी हो र
के मुताल्लिक हुक्म उस वक्त जायेंगे जब कलेक

* * *

कृषि फार्म, नीलगांव के

*७०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अ
कृपा करेंगे कि सरकारी कृषि फार्म, नीलगांव स्थाप
जा चुका है, उनमें कितना लोहा, ईंटा सीमेंट अ

श्री चरण सिंह—

अ—कुल ४,४२,३५३) रु० अभी तक खर्च किया जा चुका है ।

ब—कर्मचारियों इत्यादि के लिये जो इमारतों का निर्माण किया गया तथा उनमें कितना सामान लगा उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४ पर।)

*७१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ईंटों के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे या किसी अन्य उपाय द्वारा ईंटें प्राप्त की गयीं ?

श्री चरण सिंह—जी हां। ईंटों का प्रबन्ध टेंडर आमंत्रित करने के पश्चात् किया गया था।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष—मैं यह कार्यक्रम सदन के सामने सूचनार्थ रखता हूं। उत्तर प्रदेश-संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित हुआ है :—

नाम निर्देशन-पत्रों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय	१३ अक्तूबर, १९५२, ३ बजे दिन तक
न पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	१३ अक्तूबर, १९५२, ४ बजे दिन तक
लेने की अंतिम तिथि नय	१५ अक्तूबर, १९५२, ३ बजे दिन तक

: आवश्यकता हुई तो सदन में १५ अक्तूबर, १९५२ को ५ बजे सायंकाल।

साप्ताहिक कार्यक्रम

हन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस
ि मालूम हुआ है। अगर माननीय मंत्री जी बतला दें तो बड़ी कृपा होगी।

(श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह के
ी जावेंगी जो आज के एजेंडा में हैं। अगर कोई विशेष बात आई तो
सदन के सामने फिर अर्ज करूंगा।

भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

भा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
क अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित

देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५ पर।)

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८० पर)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन के लिये उनका भाषण हो चुका है। जो माननीय सदस्य इसके ऊपर कुछ और कहना चाहें वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर बहुत ज्यादा नहीं कहना है। मेरे ख्याल में यह जो रूल्स में रख दिया गया है कि २ बार और अगर जरूरत हो तो ३ बार बैठक बुलाई जाय तो इन बैठकों में काफ़ी मामलात सामने आ सकते हैं। ख्याल रखने की बात यह है कि यह कमेटी हर साल नयी बनेगी। साल भी फाईनेंशल ईयर है। तो ऐसी सूरत में ३ दफा से ज्यादा इस कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। इन कमेटियों में काफी खर्चा भी होता है। लिहाजा मैं इस संशोधन की मुखालिफ़त करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो मेरे संशोधन के बारे में विचार प्रकट किये हैं वे अस्पष्ट हैं। उनका कहना है कि २ या ३ बैठकों में तमाम कार्यसूची पर विचार हो सकता है। लेकिन, श्रीमन्, हमारे यहां ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में यह आशा नहीं है की जा सकती है कि उनके ऊपर कोई परामर्श, वास्तविक विचार, २ मीटिंग्स में हो सकता है या ३ मीटिंगों में हो जायगा। जैसे विकास योजना समिति एक विषय को हम ले लें। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि विकास योजना हमारे प्रान्त के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि वे किस प्रकार इतने महत्वपूर्ण काम को, जिसमें तमाम योजनायें बिजली, एग्रीकल्चर, पशुपालन और २३ विषय हैं, २ या ३ मीटिंग्स में पूरा कर सकेंगे। यह तो बहुत छोटा सा संशोधन है। यदि हमारा काम तीन बार में ही पूरा हो जाता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है हम और आगे मीटिंग बुलावें। लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो यह प्रीकाशन के तौर पर मैंने मीटिंग्स की संख्या बढ़ाने का संशोधन दिया है। आशा है माननीय मंत्री जी अब इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा, २ या ३ बैठकें काफी होंगी। तजुर्बे की बिना पर यह देखा गया है कि २ और हद से हद ३ मीटिंग्स काफी हुआ करती हैं। एक बैठक कई दिन तक चल सकती है अगर काम ज्यादा हो तो। ऐसी सूरत में यह जरूरी नहीं मालूम होता कि साल में कई दफा समिति बुलाई जाय। कोई माननीय मेम्बर यह भी कह सकते हैं कि नहीं साहेब ४ या ६ बार नहीं १२ बार बुलाई जाय, तो इस तरह तो कोई हद ही नहीं रहेगी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ६ की पंक्ति १ में शब्द "दो" तथा शब्द "तीन" के स्थान पर क्रमशः शब्द "चार" तथा शब्द "छः" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ६ की पंक्ति ४ में शब्द "समिति के समक्ष" व शब्द "प्रस्तुत" के बीच शब्द "बैठक की तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन्, अगर हम ध्यानपूर्वक इस नियम ६ को देखें तो इसमें यह संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें लिखा है कि "सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेंगे जिन्हें संबंधित मंत्री निर्धारित करें। बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृतिपत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बैठक के समाप्त होने पर उक्त पत्र सचिव को लौटा देंगे।" तो इससे यह सपष्ट होता है कि जो पत्रों की प्रतियां दी जायेंगी वे केवल इसी मीटिंग के लिये दी जावेंगी, यानी मीटिंग के शुरू होने पर उस विभाग के सचिव उन सभी पत्रों की प्रतिलिपियां सदस्यों को देंगे। उसी बैठक में उन पर विचार भी कर लेंगे, परामर्श दी भी दे देंगे और वापस भी कर देंगे। श्रीमन्, हमने तो यह देखा है कि जितनी भी समितियां हाउस बनाता है उनमें जो जरूरी कागजात होते हैं, जिन पर समिति के मेम्बरान को विचार करना होता है, वे कम से कम २ हफ्ते पहले, और कहीं-कहीं तो १ महीने पहले भी, सदस्यों को दे दिये जाते हैं। अभी माननीय उद्योग मंत्री जी शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो कमेटी बनाई थी उसके कागजात १५ दिन से भी ज्यादा पहले से सदस्यों को मिल गये थे। यदि काग़ज़ात उसी मीटिंग में दिये जावेंगे तो मैं समझता हूं कि क़रीब-क़रीब यह असम्भव सा हो जायगा कि सदस्य उस पर ठीक से विचार भी कर सकें, परामर्श देना तो दूर रहा। तो मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को मंजूर करने से स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बरों को आसानी होगी। आशा है कि हमारे माननीय सदन के सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि यह संशोधन भावात्मक नहीं है यह केवल भावनात्मक है तथा नियमों के अनुसार है। मैं माननीय न्याय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली ज़हीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस दफा ६ का ताल्लुक़ है इसमें मैं अगर अंग्रेज़ी पढ़ दूं तो ज्यादा आसानी होगी और मतलब ज्यादा साफ़ हो जायगा। गो हिन्दी में भी वही है लेकिन वह कुछ फैला कर लिखा गया है। अंग्रेजी में यह है :—

"The agenda of the meeting will be drawn up and circulated by the Secretary to Government with a memorandum stating the nature of each item of business, and copies of such papers as the Minister in-charge may direct to be furnsihed to the committee."

[बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टता बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें।]

अंग्रेजी अल्फाज ये हैं। उसमें ऐजेंडे के लिये कोई हद मुक़र्रिर नहीं है कितने पहिले वह सरक्युलेट होगा। अमूमन होता यह है कि ऐजेंडा एक हफ्ते से ज्यादा १५-२० दिन पहले ही सरक्यूलेट कर दिया जाता है और कम से कम एक हफ्ते पहिले तो चला ही जाता है। उसमें जो कागजात होते हैं वे वही होते हैं जो मिनिस्टर इंचार्ज आर्डर करता है वही काग़ज़ात कमेटी के सामने पेश होते हैं। यह चीज पहिले भी हाउस के सामने आ चुकी है। पहिले भी इस पर बहस हुई है और पास हो चुकी है। मिनिस्टर को यह अख्तियार होगा कि क्या मामले कमेटी के सामने भेजे जायं और क्या न भेजे जायं। ऐसी सूरत में कोई मियाद मुकरर कर देना

ठीक नहीं होगा। मुमकिन है कि मंत्री १ या दो दिन पहिले ही इस बात को महसूस करें कि बाज़ काग़ज़ात कमेटी के सामने और पेश कर दिये जायं तो उसके लिये यह मियाद मुकर्रर कर देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अमूमन जो एजेंडा मुकर्रर होगा उसके मुताबिक ही काम किया जायगा। लेकिन कागजात के लिये यह कहना कि वह भी एक हफ्ते पहिले भेजे जायं, यह ठीक नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायमंत्री का मेरे संशोधन के विरोध में जो वक्तव्य हुआ वह बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ देने से ज्यादा स्पष्ट हो जायगा। अंग्रेजी में यद्यपि सरक्युलेट नहीं हुआ फिर भी मैं देखता हूं कि उसमें और हिन्दी में कोई फर्क नहीं है। वह भी बिलकुल वैसा ही है अंग्रेजी को भी देखने से वस्तुस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने समिति के सामने काग़ज़ात भेजने के विषय में ऐसा समझा मानों उनके अधिकार का उसमें हनन हो जायगा क्योंकि कुछ अधिकार उनको पहिले ही मिल चुके हैं। संबंधित काग़ज़ात को भेज देने से उनके अधिकारों में कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि आम तौर पर ऐसा होता है कि १ हफ्ते से पहिले ही सूचना भेज दी जाती है तो फिर उसको कानूनी शक्ल दे देना वांछनीय ही है। माननीय न्याय मंत्री जी को कानून बरतना ही चाहिये कानून मंत्री चाहें तो और काग़ज़ात जो जरूरी हों उसी दिन पेश कर सकते हैं उसके लिये माननीय कानून मंत्री को कोई रोक नहीं है। स्पष्ट तौर से आखिर में यह दिया हुआ है कि "समिति की कार्यवाही या उन्हीं मदों तक सीमित रहेंगी जिनका उल्लेख कार्यक्रम में हो तथा और अधिक सूचना की प्रार्थना पर संबंधित मंत्री की आज्ञा से विचार किया जायगा।" तो कार्यक्रम की मदें वही रहेंगी जो कार्यसूची में निर्दिष्ट रहेंगी। तो फिर माननीय मंत्री जी को कोई डर नहीं होना चाहिये। इतना कहने के बाद मैं माननीय न्याय मंत्री जी से दुबारा प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री सैयद अली ज़हीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जरूरत इसलिये पड़ी कि तरमीम से यह मालूम होता है कि गालिबन मेम्बर साहब यह चाहते हैं कि कमेटी के सामने एक हफ्ता पहले ये काग़ज़ात पेश हो जायं। अगर इसका मंशा यह है और यह तरमीम मान ली जाय तो कमेटी के सामने समक्ष सब कागजात कम से कम एक हफ्ता पहले पेश करने पड़ेंगे। अगर मेम्बरों के पास भेजने का सवाल होता तो और बात थी लेकिन कमेटी जो उसी दिन बैठेगी फिर उसके सामने एक हफ्ता पहले कागजात कैसे पेश हो। तो जैसा कि मैंने उनका मंशा समझा वह यूं है कि सचिव एक हफ्ता पहले एजेंडा ज़ारी करेगा जैसा कि पहले जिक्र किया गया है और उसी के साथ एजेंडा एक हफ्ता पहले ज़ारी होना चाहिये। इसीलिये मुझे अंग्रेजी से पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसमें ज़रा सा फर्क है। मिनिस्टर अपने काग़ज़ात को एक हफ्ता पहले दे दे और तब वह पेश हो, हम एजेंडे के लिये एक हफ्ता की मियाद नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि उसके लिये तो अलग क्लाज़ है। मेरे ख्याल में, जैसा कि मैंने बतलाया एजेंडा बहुत पहले ज़ारी हो जाता है लेकिन काग़ज़ात एक या दो दिन में ही जब उनकी जरूरत होती है तो भेजे जाते हैं। तो उसके लिये कोई मियाद मुकर्रर करना ना मुनासिब होगा और इसलिये मैं इसकी मुखालिफ़त करता हूं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य का मतलब तो यह है कि स्मृति पत्र के साथ बैठक की तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले परिचालित करेगा तो इस स्थान पर यह संशोधन होना चाहिये। अगर दूसरे स्थान पर बदल देने से मलतब निकल जाय और इसके लिये माननीय न्याय मंत्री जी भी तैयार हों तो काम चल सकता है। नहीं तो समिति के समक्ष बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करेगा, यह अर्थ हो जाता है जो कि कंट्रेडिक्ट्री हो जाता है और न्याय मंत्री जी का कहना उचित मालूम होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान, माननीय न्याय मंत्री जी ने आफ्टर थाट जो कुछ कहा उसका मतलब मैंने यही समझा कि समिति के सदस्यों को इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिये। माननीय न्याय मंत्री जी अब मेरे इस संशोधन का शाब्दिक मतलब लगाने लगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी बहुत सी ऐसी शाब्दिक त्रुटियां निकाल सकता हूं।

अध्यक्ष--ऐसे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिये अगर माननीय नारायणदत्त जी तैयार हों और माननीय न्याय मंत्री जी भी उसे स्वीकार करलें तो कोई अनुचित नहीं होगा। जिस स्थान पर सात रोज होना चाहिये उस स्थान पर सात रोज कर दिया जाय तो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तैयार हूं।

श्री सैयद अली जहीर--लेकिन मैंने तो अर्ज किया कि इस तरमीम की जरूरत ही नहीं है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ६ की पंक्ति ४ में शब्द "समिति के समक्ष" व शब्द "प्रस्तुत" "के बीच शब्द" बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहिले" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि इसके आखिर में यह नवां नियम जोड़ दिया जाय। "इन नियमों के स्वीकार हो जाने के बाद प्रचलित नियम समाप्त हो जायेंगे"। इस नियम की इसलिये जरूरत है कि चूंकि इस वक्त हम नये नियम पास कर रहे है तो जो पुराने नियम हैं उनका समाप्त हो जाना बहुत जरूरी है वरन् दोनों नियम नये व पुराने लागू समझे जायेंगे और ऐसी दशा में कार्य में झंझट होगा कि कौन से नियम माने जांय। इसलिये यह चेंज अगर नियम में आ जाय तो उस नियमों को अच्छा बनायेगा और मेरी राय में इस सदन को इस नियम को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, अगर पुराने नियमों के स्थान पर पुरानी स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों कर दिया जाय तो अधिक उचित होगा। मैं यह प्रस्ताव को करता हूं कि संशोधन को इस तरह से संशोधित कर दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर--प्रस्तावक ने जो तरमीम पेश की है उसको और नारायणदत्त जी ने जो उसमें संशोधन पेश किया है दोनों को मिलाकर स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। होता तो यही है कि जब नियम पास हो जायेंगे तो पुराने नियम लागू नहीं रहेंगे। यह आबजेक्ट को लिख देता है इसलिये इसको स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ८ के बाद यह नया नियम ९ जोड़ दिया जाय--

(९) इन नियमों के स्वीकार हो जाने के बाद इस विषय पर प्रचलित स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम समाप्त हो जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय--

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, सगठन तथा कार्यविधि के सदन द्वारा संशोधित नियमों को स्वीकार करती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रत्येक स्थायी समिति के लिए १४ सदस्य निर्वाचित करने के संम्बन्ध में संकल्प

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन,-संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १९५२-५३, में कार्य करने के लिये, माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया जाय :—

"यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन,-संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष, १९५२-५३, में कार्य करने के लिये, माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार, १४ सदस्य निर्वाचित करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह प्रवर-समिति द्वारा संशोधित हुआ है, प्रस्ताव करता हूं कि विचार किया जाय।

श्रीमान्, इस विधेयक को प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया था। प्रवर समिति ने इसमें कुछ संशोधन किये हैं। मैं उन संशोधनों को थोड़े में बयान कर देना चाहता हूं।

एक तो यह कि जिन कर्जों के सम्बन्ध में यह विधेयक लागू नहीं होगा उनकी सूची में कोर्ट आफ वार्ड्स का भी कर्जा बढ़ा दिया गया है वैसी सूरत में जब कि कोर्ट आफ वार्ड्स के मैनेजर द्वारा किसी कोर्ट आफ वार्ड्स के वार्ड को ही कर्जा दिया गया हो या उसके मैनेजमेंट में जो दूसरी स्टेट रही हो उस सम्बन्ध में जो कर्जा दिया गया हो उस कर्जे के लिए भी अपवाद किया गया है।

दूसरे छोटे जमींदारों के कर्जे में जो कमी की जायगी उसमें मूल विधेयक में पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दोनों जोड़ करके कमी करने की बात थी। लेकिन इस प्रकार तो छोटे जमींदारों के कर्जे में कम कमी होती और बड़े जमींदारों के कर्जे में ज्यादा कमी होती क्योंकि पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दोनों मिला कर उस प्रोपोर्शन में जो कमी होती वह उनसे कहीं ज्यादा होती जो कि बड़े जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा को मिला कर होती। बड़े जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान कम दी गयी है। इसलिये वह प्रप्रोर्शन उनका बहुत ज्यादा हो जाता बनिस्बत छोटे जमींदारों के। इसलिए पुर्नवासन अनुदान निकाल कर केवल मुआविजा की रकम में ही वह प्रोपोर्शन जो कम करने का है वह रखा गया है। इसके अलावा इन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रक्खा गया था जमींदारों के स्टेट की कीमत का वह पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों के अपेक्षा बहुत अधिक है। इसलिये उसी प्रकार से प्रकार से, उनके गुणकों के अनुसार कर्जे की कमी रखी जाती। तो इसलिए गुणक में भी ऐसा रख दिया गया कि इन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट में जो गुणक रखा गया है कि ४० गुना से ज्यादा किसी भी हालत में गुणक न हो।

तीसरी बात जो खास इसमें संशोधित हुई है वह यह है कि छोटे जमींदारों का जो कर्जा है वह कौन कर्जा है जिसके संबंध में यह लागू हो। कर्जे की परिभाषा में यह बात साफ नहीं कि

* ६ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

की गयी थी कि वेस्ट होने के पहले वाले कर्जों ही पर यह विधेयक लागू होगा। चुनांचे इस प्रवर-समिति की रिपोर्ट में यह बात साफ हो गयी कि जो कर्जे १ जुलाई, १९५२ के पहले के हैं उन्हीं के संबंध में यह विधेयक लागू होगा। कर्जे की परिभाषा उसी प्रकार बदल दी गयी है। वैसे जो डिग्री बनेगी कर्जे के संबंध में उसमें बंधक किये गये कर्जों के सम्बन्ध में अलग अलग-धनराशि जितनी कम की जाती है या जो दूसरी जायदाद उसमें शामिल की गयी है उसके सम्बन्ध में जो डिग्री होगी वह अलग-अलग साफ कर दी जायगी। इसका एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है। यही मूल संशोधन प्रवर समिति के द्वारा हुए हैं और बाकी जो उसके असली सिद्धान्त हैं वह ज्यों के त्यों हैं और मुझे आशा है कि वे सिद्धान्त जिनको प्रवर समिति के सुपुर्द करने से पूर्व इस भवन ने स्वीकार किया है, उसमें जो थोड़े से संशोधन हुए हैं उनको स्वीकार करके यह भवन उनको पास करेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष—क्या आप कोई तरमीम पेश करना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं?

श्री बलवन्त सिंह—मैं विरोध नहीं करना चाहता। जितने संशोधन पहले हैं उनपर कुछ सामान्य विचार......

अध्यक्ष—उसके ऊपर तो बाद में विचार होगा। अगर कोई संशोधन हो या विरोध हो तो आप कृपा करके बताएं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं कुछ उसूलों से डिफ़र करता हूं और इसके उसूल के मुताल्लिक मुझे कुछ अर्ज करना है।

अध्यक्ष—नियम १०६ के अनुसार उसका कोई मौका नहीं है। आप विरोध करना चाहते हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—नहीं।

अध्यक्ष—तो अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक १९५२, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह—मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या इसके ऊपर जनरल डिस्कशन नहीं होगा?

अध्यक्ष—जी नहीं। नियम यह है कि जनरल डिस्कशन होकर जब सिद्धान्त मंजूर हो गया सदन की तरफ से, तभी वह प्रवर समिति के सामने गया। इसीलिये यह १०६ नियम बनाया गया। अगर आप चाहते तो फिर से यह संशोधन पेश कर सकते थे कि यह प्रवर-समिति के पास फिर से भेजा जाय या तो यह संशोधन हो सकता है या इसका विरोध हो सकता है। अगर विरोध नहीं चाहते, संशोधन नहीं करना चाहते तो कोई इसके ऊपर बहस नहीं होगी।

खंड २

परिभाषाएं। विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "य धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है, जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो देय होती;

(कक) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जनरल क्लाज़ेज़ ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है ; ऐक्ट १०, १८९७।

(ककक) "कोर्ट आफ वार्डस" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ के, अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।

(ख) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ; ऐक्ट ५, १९०८।

(ग) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies) ;

(घ) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नकद या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) हो जो वास्तव में (in substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई १९५२ को या उसके यदि अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्नलिखित को देय ऋण नहीं है—

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार,
(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority) ;
(३) शेड्यूल्ड बैंक ;
(४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा
(५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।
(६) संरक्षित व्यक्ति (Ward), यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति दिया गया हो।

(ङ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर", "पुनर्वासन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का ही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है। उत्तर प्रदेश अधिनियम १ १९५१।

(च) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैन्टूमेंट बोर्ड भी है ;

(छ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में 'mortage' को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा "charge" के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है ;

(ज) "बन्धककर्त्ता (mortgagor)"—

(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं; और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धक कर्त्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फ़रीकैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(झ) किसी आस्थान में मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के संबंध में "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार इस्तमरारी या दवामी, या दवामी काश्तकार से, है ;

(ञ) "शेड्यूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में उसे दिया गया है ;

(ञञ) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान के बन्धक द्वारा अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ठ) "वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से संबंध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहें उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा ; और

(ठठ) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द वार्ड (Ward)" का यू० पी० कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की प्रथम पंक्ति के अन्तर्गत शब्द "ऋण" के स्थान पर शब्द "अग्रिम" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, इस उपखंड (घ) में जहां "ऋण" की परिभाषा की गयी है वहां पर "ऋण" के लिये अंग्रेजी का शब्द "डेट" आया है और फिर इसी शब्द से "ऐडवान्स" शब्द की भी परिभाषा की गयी है। इस प्रकार दोनों के लिये "ऋण" का ही प्रयोग किया गया है। दोनों शब्दों के अर्थ में तो कोई अन्तर नहीं है, लेकिन प्रयोग में कुछ अन्तर होना अवश्य चाहिये। यह अन्तर करने के लिये "ऐडवांस" के स्थान पर मैंने "अग्रिम" रखा है। अगर "अग्रिम" शब्द रखा जाय तो उपयुक्त होगा।

अध्यक्ष—तो आप यह चाहेंगे कि "एडवांस" के अर्थ में जहां-जहां शब्द "ऋण" का प्रयोग किया गया है इस विधेयक में, वहां हर जगह, "अग्रिम" रख दिया जाय।

(श्री जयराम वर्मा ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा है कि दोनों शब्दों के मतलब में कोई अन्तर नहीं है। "ऐडवांस" अंग्रेजी में है और उसके लिये उन्होंने "अग्रिम" रखा है, लेकिन जो हिन्दी में "ऋण" रखा गया है वह ज्यादा उचित मालूम होता है। क्योंकि उसको श्रीमान्, अगर स्वयं पढ़ें तो देखेंगे कि "ऋण" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण से है "तो अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाय कि "किसी ऐसे 'अग्रिम' से है" यह अच्छा नहीं लगता और जब उन्होंने स्वयं कहा कि अन्तर दोनों में कुछ नहीं है तो यही ज्यादा सुन्दर मालूम होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमान् जी, जो माननीय जयराम वर्मा जी का संशोधन है और जो माननीय मंत्री जी का सुझाव है उसके बारे में सामंजस्य हो सकता है यदि "ऋण का तात्पर्य किसी भी ऐसे अग्रिम ऋण से है" यह रख दिया जाय। इससे माननीय जयराम वर्मा जी के शब्दों में "ऐडवांस" और "डेट" का जो फर्क है वह भी करीब-करीब इस अर्थ में आ जाता है और कोई फर्क इस बिल में नहीं आता है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, हमारे यहां बजट के भी लिटरेचर में ऐडवांस के लिये अग्रिम धनराशि का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके साथ रुपये का भी अभिप्राय है। यहां पर सिर्फ धन का मतलब नहीं है। और भी कोई चीज जो पहले दी गयी है उसका भी मतलब है। इसलिये मैंने "धनराशि" शब्द निकाल दिया है और केवल "अग्रिम" शब्द का प्रयोग किया है। "अग्रिम" शब्द के ठीक-ठीक माने ऐडवांस के होते हैं। इस लिये भाषा को ठीक करने के लिये मैंने "अग्रिम" शब्द का प्रयोग किया था। मैं यह समझता हूं कि उपयुक्त यही है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं वापस ले लूंगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि "अग्रिम" शब्द की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे साफ कर दिया गया है "ऐसा ऋण जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा निम्नलिखित को देय ऋण नहीं है।" तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ऋण नहीं है। इसलिये "अग्रिम" शब्द रिडेंडेंट है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपने कहा कि बजट में "अग्रिम" शब्द का प्रयोग बजट में हुआ है। बजट में कुछ भी रहा हो लेकिन यहां यही सुन्दर है कि 'ऋण' शब्द ही रहे।

श्री जयराम वर्मा—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मैं दूसरे संशोधन को अब कुछ संशोधित रूप में पेश करूंगा। अब "अग्रिम" की जगह "ऋण" हो जायगा और कुछ भाषा बदल जायगी।

[श्री जयराम वर्मा]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ६,७ तथा ८ के सब शब्दों के स्थान पर शब्द "कोई ऐसा ऋण जो १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद दिया गया हो अथवा ऐसा ऋण जो निम्नलिखित को देय हो, नहीं है" रख दिये जायं।

इससे भाषा अच्छी हो जाती है। जो भाषा इसमें लिखी हुई है वह अच्छी नहीं है। उसका अर्थ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिये भाषा को सुधारने के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आखिरी सतर में 'देय ऋण नहीं' है उसके बीच में "हो" मालूम होता है छूट गया है। वह "हो" स्वीकृति करने के लिये मैं तैयार हूं। संभव है कि "हो" अगर होता हो तो वे संशोधन न उपस्थित करते।

अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कह दिया है कि "निम्नलिखित को देय हो"।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो दिया हुआ है विधेयक में ....

अध्यक्ष—विधेयक में जो मूल में है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, विधेयक में केवल "हो" मानने के लिये मैं तैयार हूं। बाकी जो शब्द हैं वे ज्यों के त्यों रखे जायं।

अध्यक्ष—"अथवा निम्नलिखित को देय हो ऋण नहीं है" यों आप चाहते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, इसमें जो ये शब्द हैं प्रयुक्त हुये हैं यह सिर्फ अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी इसको खुद देखें तो जो अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त हुये हैं उनका यह अनुवाद ठीक नहीं है। यह एक साहित्यिक भाषा जरूर हो सकती है लेकिन लीगल फार्म में इस तरह से भाषा रखने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से भाषा की प्रयुक्ति अंग्रेजी में हुई है उसी तरह से यहां भी करना चाहिये था। उसमें है "ऐडवांस मेड" और यहां इस तरह से है "अस्तित्व हुआ हो"। यह लिट्रेरी भाषा हो सकती है लेकिन लीगल भाषा अच्छी नहीं है इसके अलावा इसके पहले भाग का जिस तरह से कांस्ट्रक्शन है दूसरे भाग का उस तरह से नहीं है और जब कांस्ट्रक्शन एक नहीं है तो अर्थ ठीक नहीं निकलता है। इसलिये मैंने दोनों भागों का कांस्ट्रक्शन एक कर दिया है और इससे अर्थ ठीक निकलता है। यह अगर ऐसी ही रहने दिया गया तो भाषा ऐसी रह जाती जो अच्छी नहीं मालूम पड़ती।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे और कुछ नहीं कहना है। केवल "हो" बढ़ाने के लिये मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष—माननीय जयराम वर्मा जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं?

श्री जयराम वर्मा—मंत्री जी क्या "हो" बढ़ाना चाहते हैं?

अध्यक्ष—वह चाहते हैं कि विधेयक में खंड २ के उपखंड (घ) में जो आखिरी लाइन है उसमें यह हो जाय कि "निम्नलिखित को देय हो।"

श्री जयराम वर्मा--अगर वह मानते नहीं हैं तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) "हो" वाला आपका संशोधन मैं आपकी तरफ से पेश कर देता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी, बहुत अच्छा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ८ में शब्द "देय" और "ऋण" के बीच में शब्द "हो" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह पेश करता हूं खंड २ में उपखंड (घ) का भाग (३) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा जो मैंने पेश किया है मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इसमें एक ऐसा सवाल है जिसके लिये मुझे संशोधन पेश करने के लिये मजबूर होना पड़ा। सवाल यह है कि यह बिल जो पेश है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जमींदारों का कर्जा कम किया जाय। इसके मतलब यह होते हैं कि जिन क्रेडीटर्स ने रुपया दिया है उनकी रकम कम की जाय और इसकी वजह यह है कि जब जमींदारों की प्रापर्टी ले ली गई और उसका मुआवजा जो उनको दिया जा रहा है वह उतना नहीं है जितनी कि उसकी कीमत थी। जब हमने यह उसूल मान लिया है कि कर्जा कम करना है तो एक व्यक्तिगत आदमी का तो बैंक के मामले में उसको एक्जेम्प्ट कर देना मेरी समझ में कोई तर्क नहीं आता है क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां तक कोआपरेटिव बैंक का सवाल है उससे तो जनता को नुक्सान होगा लेकिन शिड्यूल बैंक का जहां सवाल है उसको तो मैं कर्जा देने वालों का एक गुट मानता हूं। १००/५० कर्जा देने वाले मिल गये और एक बैंक बना लिया। जब ज्यादा पूंजी हो गई तो शिड्यूल बैंक बना लिया। जब हम इंडिवीजुअल्स का कर्जा कम कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि बैंक का कर्जा कम क्यों न करें बैंक्स का कर्जा जरूर कम किया जाना चाहिये क्योंकि यह ज्यादा एक्स्प्लायट करने का ज़रिया है। मैं जानता हूं कि मौर्य जी जैसे रैडीकल व्यूज़ के आदमी इस संशोधन को जरूर मान लेंगे और उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप मौर्य जी को अपील नहीं कर सकते हैं बल्कि राजस्व मंत्री से अपील कर सकते हैं।

श्री भगवान सहाय--मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माननीय राजस्व मंत्री से अपील करता हूं कि आपके द्वारा कि इसकी स्प्रिट को समझकर इसको वापस ले लें। यह एक मजबूत संगठन के मुकाबिले में एक कमज़ोर आदमी की मदद करता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (ज़िला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। श्रीमन् जहां तक बैंक का ताल्लुक़ है मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज तक जो पिछले ऐक्ट बनाये गये थे जैसे कि यू० पी एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट, जिसमें काश्तकारों और किसानों को कर्ज़ा कम करने के लिये सुविधा की गई थी या यू० पी० एंकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट जो कि १९३४ में इनऐक्ट किया गया था जिसमें जमींदारों का ऋण कम किया गया था और उसके बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट १९३५ में आया। जितने पुराने ऐक्ट इस सूबे में बने थे उसमें बैंक का कहीं भी ताल्लुक़ नहीं था और बैंक्स को अधीरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अब जब कि यह विधेयक आया है तो उसमें यह दिया गया है। यही कांग्रेस मिनिस्ट्री थी जबकि एग्रिकल्चरिस्ट्स

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

क्रेडिट ऐक्ट आया था और वह ऐक्ट बन चुका था। लेकिन दफा ९३ की वजह से उसमें गवर्नर की एसेंट जरूरी थी। इसके पूर्व कांग्रेस मिनिस्ट्री का बनाया हुआ यह विधेयक था जिसमें कहीं इसका नामोनिशान नहीं पाया जायगा कि बैंक्स के लिये भी कोई सहूलियत या अधिरक्षण प्राप्त किया गया हो। अब जबकि ज़मींदारों के ऋण का सवाल उठता है और उसमें यह कहना कि बैंक्स के दिये हुए ऋण में कोई कमी न की जायगी, मैं इसे न्यायसंगत नहीं समझता। ये ऐक्ट्स जो श्रीमान, मैं आप के द्वारा कोट कर रहा हूं मेरे पास मौजूद हैं, अगर आज्ञा हो तो राजस्व मंत्री के सामने पेश कर दूं और उसमें वह देख लें कि कांग्रेस मिनिस्ट्री के बनाये हुये नियम जो कि ऋण से संबंध रखते थे जिनमें किसानों के ऋण कम किये गये थे उसमें बैंक्स का कोई हवाला नहीं था। १९३४ में एनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट पास किया गया उसमें जमींदारों के दिये हुये ऋण का प्रश्न उठा तो बैंक्स के दिये हुये ऋण पर कोई प्रभाव उस ऐक्ट का नहीं हुआ और उसमें उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं यह समझता हूं कि शेड्यूल बैंक्स के ऋण में कोई कमी न होना यह न्यायसंगत नहीं है और ज़मींदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारे पूर्वज तो रहे नहीं, आने वाले वंशज जो हैं वह अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्री हमारी जमींदारी लेने के बाद भी हमारे साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। इन थोड़े से शब्दों से मैं उनसे संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस विधेयक के ज़रिये से कर्जा कम किया जा रहा है उन लोगों का जो स्वतंत्र रूप से कर्जे का व्यवसाय करते थे किन्तु हमारे प्रदेश में और देश के अन्दर ऐसी बहुत सी बैंकिग संस्थायें हैं जो सामुहिक रूप से कर्जे का व्यवसाय करते थे और यह शेड्यूल बैंक्स मैं समझता हूं इनमें सबसे मुख्य एक संस्था है। जब कि हम छोटे छोटे कर्ज देने वालों के कर्जे में कमी में कर रहे हैं तो फिर शेड्यूल बैंक्स जैसी बड़ी संस्थाओं के कर्जे में क्यों न कमी की जाय। यह बात तो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती। हां, कोआपरेटिव जैसी संस्थाओं के कर्ज में कमी न करनी चाहिये थी, यह बात तो समझ में आ सकी है। लेकिन शेड्यूल बैंक्स जैसी बड़ी बड़ी सूद लेने वाली संस्थाओं को इस कानून से मुक्तकर दिया गया यह बात न न्यायसंगत है और न समझ में आने वाली है। इसलिये मैं भी अपने मित्र भगवान सहाय जी के संशोधन की पुरजोर ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन की उपयुक्तता को देखते हुए शेड्युल बैंक्स को जरूर इसमें से निकाल देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--शेड्यूल बैंक की परिभाषा वह है जो रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड है और वैसे ही बैंक्स के लिये यहां संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा बहुत से बैंक्स हो सकते हैं मगर उनके बारे में यह बात नहीं है। डेट रिडेम्पशन् ऐक्ट में लोन की परिभाषा दी हुई है और उसमें यह दिया गया है कि जो कर्जा शेड्यूल बैंक्स का होगा वह कर्जा कर्जा नहीं माना जायगा और उसमें कर्जा कम नहीं होगा। इसी प्रकार ज़मींदारी एबोलीशन ऐक्ट की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी हुई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो कर्जे में कमी होगी वह शेड्यूल बैंक्स के कर्जे में नहीं होगी। इस बात को कई बार इस सदन के सम्मुख साफ किया जा चुका है कि जनहित की दृष्टि से जो कर्जे शेड्यूल बैंक्स के हैं उनमें कमी करने से व्यवसाय में गड़बड़ी हो जायगी क्योंकि रिजर्व बैंक से सम्बधित जो शेड्यूल बैंक हैं उनके ज़रिये हमारे यहा की इकानमी बहुत कुछ गवर्न होती है, इसलिये बहुत विचार विमर्श के बाद यह बात रक्खी गई कि शेड्यूल बैंक्स के कर्जे में कोई कमी न होगी। तो जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। श्री भगवान सहाय जी सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, वहां भी उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया था। उन्होंने जो कहा कि वह अपील करते हैं कि उनकी बात पर पुर्नविचार किया जाय, तो सिलेक्ट कमेटी में पूर्ण रूप से विचार हुआ था, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई।

अध्यक्ष--उसका ज़िक्र यहां न होना चाहिये ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- मैं उसको वापस लेता हूं और सदन से सिफ़ारिश करता हूं कि इस संशोधन को अस्वीकार किया जाय ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं भी इस सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर था जिसने इस बिल पर विचार किया था लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं उसमें शरीक न हो सका और मुझे इस बात का मौका नहीं मिल सका कि मैं कमेटी के सामने अपने विचार रखता । जो तरमीम इस वक्त मेरे दोस्त भगवान सहाय जी ने पेश की है मैं भी उसकी ताईद करता हूं शायद इस भवन के अन्दर कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो उसूल इस बिल के अन्दर बर्ता गया है, उसे हमें खास तौर से ध्यान में रखना है और उसको सामने रखते हुए ही इस संशोधन पर गौर करना है । उसूल इस बिल के अन्दर यह रक्खा गया है कि जिन लोगों की प्रापर्टी ले ली गई है उनको कम्पेनसेशन दिया जाय और उसके बाद यह बात भी दी गई है कि १ जुलाई जो वेसिटंग की तारीख है उससे पहिले जो कर्जे थे उस कर्जे में रियायत की जाय और उसको इस तरह से कम किया जाय कि जिस तरह से वैलुएशन कम होने के बाद उस जायदाद की या उस डेटर की पेइंग केपेसिटी कम हो गई है । यह उसूल जिसके मातहत एक अर्से से यह कानून आने वाला था वह आज हमारे सामने है और हम इस पर गौर कर रहे हैं । बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पर गौर किया जाय तो उसमें भी इस बात को माना गया है--

"The Bill does not provide for the reduction of debts due to...... .
(1) Central Government,
(2) Government of any State,
(3) a local authority,
(4) a scheduled bank,"

[इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नहीं है :

(१) केन्द्रीय सरकार,
(२) किसी राज्य की सरकार,
(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथॉरिटी),
(४) अनुसूचित बैंक,]

अध्यक्ष--यह तो हिन्दी में पढ़ना चाहिये ।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं । हिन्दी की कापी मेरे पास है नहीं । तो जिस उसूल को, हाउस ने और गवर्नमेंट ने माना है और जिसकी वजह से यह रिआयत गवर्नमेंट देना चाहती है वह कम्पेनसेशन के बाद दूसरी सूरत में कर्जे में कमी करने की है । अब एक सवाल यह बाकी रह जाता है कि शेड्यूल बैंक्स का कर्जा कम किया जाय या न किया जाय ।

मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता था कि जब हमने उसूली हिसाब से कर्जे को कम करने का उसूल तसलीम कर लिया है और इस बुनियाद पर तसलीम किया है कि वैलुएशन जितनी कम हुई और जितनी पेइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई उतने ही हिसाब से कमी कर दी जाय । अगर हम इस उसूल पर गौर करते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि क्यों कर्जे में डिस्क्रिमिनेशन किया जाय । वह भी कर्जा है जो महाजन देता है और वह भी कर्जा है जो गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है । तो ऐसी सूरत में यह उसूल हमने सामने रखा कि उन लोगों को कम्पन्सेट करना है तो इस बात पर गौर करना चाहिये कि किस हद तक हमें उनके कर्जे में रिलीफ करना है । यह बिल जो हमारे सामने है उसका मकसद सिर्फ़ यह है कि

[श्री सुल्तान आलम खां]

रिलीफ़ किस बुनियाद पर दी जाय लेकिन अगर इसके साथ साथ यह चीज भी शामिल की जाय कि फला शख्स के कर्जे में रिलीफ दी जाय और फलां शख्स के कर्जे में रिलीफ़ न दी जाय तो मैं यह अर्ज करूंगा कि शिड्यूल बैंक का कर्जा, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, क्यों न कम किया जाय। अच्छा तो यह था कि तमाम कर्जों पर यह बिल हावी होता लेकिन फिर भी इस बिल के अन्दर जितनी भी चीजें दी गई हैं और जितने भी कर्जे दिये गये हैं उनमें मैं समझता हूं कि सब से कम शिड्यूल बैंक का ही कर्जा हो सकता है। शिड्यूल बैंक एक पब्लिक बैंक है तो जहां पर स्टेट नुकसान उठा रही है और उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दे रही है और कम्पन्सेशन दे रही है तो वहां कर्जे के मामले में बैंक भी क्यों न कुछ रिलीफ़ देने का उसूल अपने सामने रखे। इसलिये मैं इस तरमीम की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर गौर फरमायेगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय भवन के सामने इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस उसूल का प्रश्न है कि एक कर्जदार और दूसरे कर्जदार में या एक ऋणदाता और दूसरे ऋणदाता में कोई फर्क नहीं होना चाहिये मैं यह समझता हूं कि इस बात पर कुछ अधिक कहना भवन का समय नष्ट करना होगा और मैं यह भी समझता हूं कि सरकार इस मत का विरोध नहीं करेगी कि कोई फर्क होना चाहिये। मैं सब से पहले यह निवेदन करूंगा कि इस उसूल का कि एक ऋणदाता और दूसरे ऋणदाता के बीच फर्क न करने का संशोधन मंजूर करने की जो आपत्ति सरकार की ओर से दिखाई गई उसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि शिड्यूल बैंक को क्यों इससे निकाला जाता है यानी शिड्यूल बैंक का कर्जा क्यों इस विधेयक के अन्दर कर्जा न माना जाय। जब एक उसूल पर कुठाराघात हो तो उसके लिये कारण ऐसे होने चाहिये जो मान्य हों जिससे इस माननीय भवन के सदस्य या इस भवन के बाहर जनता यह समझ सके कि अगर किसी उसूल पर कुठाराघात किया गया है तो वह इसलिये किया गया कि यह कारण थे और यह मजबूरी थी। श्रीमन्, आप स्वयं देखें कि सरकार की ओर से यह भी नहीं बताया गया और सरकार को यह भी पता नहीं है कि कितने शिड्यूल बैंक हमारे प्रदेश में हैं जिन्होंने कर्जा दिया है और कौन-कौन बैंक ने कितना कर्जा दिया है और अगर हम उस कर्जे को निकाल देते हैं तो उनको क्या धक्का पड़ेगा और इससे इस प्रान्त की economy बरबाद होने का अन्देशा है या नहीं? और मुझे याद है कि सरकार की ओर से एक बार इसी भवन में यह कहा जा चुका है कि सरकार ने यह कोशिश की कि पता लगाया जाय कि कौन-कौन से शिड्यूल बैंकों ने कर्ज दिया है और उनका कितना कर्जा है और श्रीमन् इस बारे में शायद यह कहा गया था कि उन शिड्यूल बैंकों ने यह इत्तला देने से इन्कार कर दिया और इत्तला देना पसन्द नहीं किया। मुझे नहीं मालूम शायद सरकार जानती हो कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा करोड़ों लाखों या हजारों में है और जबकि कोई कागजात या सूचना हमारे पास नहीं है तो ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार क्यों इस पर जिद्द कर रही है कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा कर्जा न माना जाय।

अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि जमींदारी अबोलीशन कमेटी ने भी अपनी सिफारिश में यह कहा था कि शिड्यूल बैंक का कर्जा इस बिल में नहीं आना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी कमेटी की रिपोर्ट या उसकी सिफारिश ऐसी कभी नहीं होती कि सरकार उनको पूरे तौर से मान ही ले। कमेटी की सिफारिशों के बारे में कुछ कहना तो इस समय भवन का समय नष्ट करना होगा लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा और कोई उसूल की बात नहीं कही कि शिड्यूल बैंकों का कर्जा क्यों बाहर कर दिया जाय। उन्होंने यही कहा कि शिड्यूल बैंकों में जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका रुपया जमा है उनके रुपये का मारा जाना वह पसन्द नहीं करते। कहा जाता है कि देश की भलाई के लिये यह आवश्यक था कि जमींदारी का विनाश किया जाय और जमींदार कुछ सेक्रीफाइस करें। मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब देश की भलाई के लिये एक इतना बड़ा तबका बरबाद किया

जा सकता है और उससे इतनी बड़ी सेक्रेफाइस कराई जाती है तो क्या सेक्रेफाइस का पूरा भार ज़मींदारों पर ही पड़ना चाहिये और जो शिड्यूल बैंक हैं या उनके शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कर्ज़ा दिया उनके ऊपर इस सेक्रीफाइस का तनिक भी भार न जाना चाहिये ?

तीसरी बात यह है कि ऋणदाता की बात तो अलग रही यहां ज़मींदार और जमींदार में भी डिसक्रिमेशन हो रहा है। एक जमींदार जिसने अपना क़र्ज़ा किसी बनिये या ऋणदाता से लिया है और ज़मींदारी उन्मूलन के बाद अगर उसके पास उसे चुकाने के लिये पैसा न रहा हो तो वह बच जायेगा परन्तु यदि उसने किसी शिड्यूल बैंक से कर्जा ले लिया तो ऐसी हालत में भी कि वह उसको अदा नहीं कर सकता, जैसा कि सरकार मानती है कि वह नहीं दे सकता क्योंकि इसीलिये यह बिल लाया गया है, लेकिन चाहे वह तबाह हो जाय उसे शिड्यूल बैंक का कर्जा देना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें कुछ इस पर भी सूचना देंगे कि अगर शिड्यूल बैंक को भी इस में लिया जाय तो जनहित का इससे क्या नुकसान होता है। कौन सी वह जनता है ? कौन वह बैंक है और किसके उनमें शेयर हैं और उनका उनमें कितना रुपया है। यदि यह सूचना सरकार के पास नहीं है या उसे नहीं मिल सकती है या बैंक सूचना देने से इन्कार करते हैं तो यह कहां का न्याय होगा कि हम कहते जांय कि शिड्यूल बैंकों का कर्ज़ा इस विधेयक में नहीं रहेगा। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि उसूल के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे दुख है कि इस उसूल को मानते हुये कि वे ज़मींदार जिनके पास जमींदारी उन्मूलन के बाद इतना रुपया न रह जायगा कि वे अपना क़र्ज़ा अदा कर सकें, तो उनकी सुविधा के लिये एक विधेयक लाया जाय और शेड्यूल्ड बैंक्स को इसलिये निकाल दिया जाय कि वह जनहित के खिलाफ होगा और जनहित इस मामले में क्या चीज़ है शायद सरकार को नहीं मालूम है और न उन्होंने अभी तक बतलाया ही है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री भगवान सहाय जी ने रखा है उसका समर्थन करते हुये हमारे जमींदार मित्रों ने जिस बात की दुहाई दी उसको अगर वे थोड़ी गहराई में जाते तो शायद इस हद तक उन्हें सरकार की नीति की मुखालिफत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने देखा होगा कि जो ४, ५ संस्थायें इस सिलसिले में एग्ज़ैम्प्ट की गई हैं उनमें सरकारी लोकल अथारिटीज़, धर्नोत्तर सम्पत्तियां और कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्ज़े को छोड़ा गया है। यह इसलिये किया गया है कि जनता के पैसे को काम में लगा कर ये उसकी वृद्धि करती रहती हैं। हमारे प्रदेश के बैंकों के पास भी इसी जनता द्वारा संग्रह किया हुआ रुपया है। बहुत से बैंकों में सरकारी रुपया और सिक्योरिटीज़ भी जमा हैं। इसलिये अगर बैंकों को इस तरह के कर्ज़े से एग्ज़ैम्प्ट न किया जाय तो इससे आम जनता को बहुत बड़ा खतरा पहुंच सकता है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—कैसे ?

श्री कालीचरण टंडन—यह तो आपकी ही बहस से जाहिर हो जाता है कि अगर शेड्यूल्ड बैंक उससे निकाल दिये गये हैं तो आपको तकलीफ पहुंचती है क्योंकि जिन बड़े-बड़े जमींदारों का कर्जा इन बैंकों के अन्दर है उनके उन बैंकों के क़र्ज़े के एग्ज़ैम्प्ट न होने से उनका कर्ज़ उतना का उतना ही रहेगा। साधारण क़र्ज़ा देने वाले लोग काफी कम मार्जिन से रुपया लेते देते हैं और उनका ब्याज भी काफी अधिक होता है। लेकिन बैंकों का ब्याज कम होता है। साधारण लोग १०० रुपये का गहना रखकर ९० रु० तक दे देते हैं परन्तु बैंक ४० या ५० रुपये से ज्यादा नहीं देते। जो पैसा बैंक लगाते हैं वह जनता से आता है और उसके किसी तरह से जोखिम में पड़ने से हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा को धक्का लगता है चूंकि बैंकों का बहुत सा रुपया उद्योग-धंधों में भी लगा रहता है। इसलिये सरकार ने जो ऐग्ज़ेम्शन की लिस्ट बनायी है उसमें शिड्यूल बैंक का नाम है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर शिड्यूल शब्द नहीं होता तो सभी के सभी बैंक्स इसमें आ जाते वह और

[श्री काली चरण टंडन]

भी ज्यादा अच्छा होता लेकिन जिस स्थिति में भी हम लोग इस बिल को सरकार की ओर से आया हुआ देख रहे हैं यदि उसमें से शिड्यूल शब्द हटा दिया जाय तो किसी तरह से भी जनहित की दृष्टि से नामुनासिब नहीं होगा। अतः मैं भगवान सहाय जी से अपील करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोबिन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र श्री भगवानसहाय जी ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सिवाय एक के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं सब इसके समर्थन में ही बोले हैं। जो बातें मंत्री जी ने बताई हम उनसे ज़रा भी प्रभावित नहीं हुये और मैं समझता हूं कि वे बिलकुल नाक़ाफ़ी हैं। मैं आपके ज़रिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां सरकार इस उसूल को मानती है और उसे मानकर उस पर अमल करने जा रही है कि कर्ज उसी तरह कम किया जाय जिस तरह ज़मीदारियां ली गई हैं और उनकी क़ीमत लगाई गई है और घटाई गई है। ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालूम होती कि अब आप शेड्यूलड बैंकों को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। यह ख़ास रियायत क्यों दी जा रही है? मैं मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सन् १९३७ में ८ करोड़ रुपया किसानों को माफ़ कर दिया। उस समय आपने यह नहीं देखा कि किसका बाकी था और किसका बाकी नहीं था। बैंकों में चन्द ही बैंक आवेंगे जो इतना रुपया रखते थे कि उन्होंने ज़मीदारों को क़र्जा दिया होगा जिन्होंने यह समझा कि ज़मीदारियों पर रुपया दिया जाय। ऐसा सिर्फ एक ही बैंक है जो इलाहाबाद बैंक है। आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वह फारेन बैंक है। उसमें हमारे प्रान्त का एक भी डाइरेक्टर नहीं है। सब अंग्रेज हैं। उस बैंक की स्थिति ऐसी नहीं है कि आज सरकार उसकी रक्षा करने को जनहित बतलाये। जैसा मंत्रीजी ने कहा कि यदि शेड्यूल्ड बैंकों को नहीं छोड़ा गया तो बड़ी गड़बड़ी मचेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या गड़बड़ी मचेगी। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इसमें कितना घाटा पड़ेगा या बैंकों की ओर से कोई दरख्वास्त भी है। जहां तक हमें मालूम है छोटे बैंकों की तरफ से अर्जियां आई भी हैं लेकिन इलाहाबाद बैंक की ओर से कोई दरख़ास्त या रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं आया है। उन्होंने यह भी नहीं बतलाया कि उनका कितना रुपया ज़मीदारियों पर लगा हुआ है। फिर भी सरकार चाहती है कि उन्हें एग्ज़ेम्पट किया जाय जो माननीय सदस्य सरकार के पक्ष में बोले उन्होने कहा कि बैंकों में बड़ी गड़बड़ी होगी क्योंकि उनमें जनता का पैसा है और उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिये यह जनहित है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जिन बैंकों ने ज़मीदारियों पर रुपया दिया हुआ है वे छोटे-छोटे बैंक नहीं जिनके अन्दर भारत की जनता का पैसा लगा हुआ है या जो हमारे लोगों के देखरेख में चल रहे हैं। यह वह बैंक हैं जिनके डाइरेक्टर फ़ारेन हैं और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया मुनाफ़ा खा लिया है। इलाहाबाद बैंक ने कम से कम ४०, ४५ वर्ष से सूद लिया है। चाहिये तो यह था कि सारा का सारा क़र्जा माफ़ कर दिया जाता लेकिन अगर सरकार अनुपात से घटाना चाहती है तो उसे बैंकों कि कोई लिहाज नहीं होना चाहिये। फिर बैंको में भी आपने शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड सरका फ़र्क रखा है। सरकार की ओर से ऐसी चीज आना ठीक नहीं है। इससे केवल दो एक बैंकों पर असर होगा और वह इतना थोड़ा होगा कि जैसे दाल में नमक। और मैं समझता हूं कि क्यों उन पर बहुत कम असर पड़ेगा इसलिये उन्होंने सरकार से अनुरोध नहीं किया या दरख्वास्त दी। न सरकार ने हमें यह बात बताई है कि उनके पास कोई रिप्रेज़ेंटेशन आया है। छोटे बैंकों ने तो रिप्रेज़ेंटेशन दिया है कि हमारा नाम भी रखा जाय। यदि सरकार कोई चीज किसी उसूल के मातहत करने जा रही है तो उसे पूरे उसूल से करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि आपने एक मुद्दत सबको छूट दे दी और अब यहां आ कर कहते हैं कि शेड्यूल्ड बैंकों को निकाला जाता है उनपर यह लागू नहीं होगा। हमारी समझ में नहीं आया कि जनहित से आप इसे

कैसे मिलाते हैं । मैं तो कहता हूं कि यदि आप इसे जनहित मानते भी हैं तो दोनों जन-हितों को तौल कर देखिये कि कौनसा बड़ा है आया इन जमींदारों का बड़ा है जो १८ लाख हैं और जिनकी जायदादें आप बहुत कम क़ीमत में हड़पना चाहते हैं जनहित का नाम लेकर, या उन बैंक वालों का जनहित बड़ा है जो लाखों और करोड़ों रुपया सूद का खा चुके हैं और जिनके डाइरेक्टर विदेशी लोग हैं। एक तरफ़ तो आप कहते हैं कि जनहित में आपने ज़मींदारी ली और दूसरी ओर कहते हैं कि इससे भी बड़ा जनहित यह है कि इन बैंकों का क़र्ज़ा महफ़ूज़ रहे । मंत्रीजी ने कहा कि उनकी रिजर्व बैंक से कुछ अन्डरस्टैंडिंग है तो इससे तो यह जो बांड्स दिये जारहे हैं इनमें भी कठिनाई पड़ सकती है । इनमें सरकार ने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से ली अगर हमारी सरकार इस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट से राय लेती तो वे गौर करके जरूर इस बात को मानते कि शेड्यूल्ड बैंकों को न निकला जाय। लेकिन चूंकि मंत्री जी ने या सरकारी लोगों ने अटि डाल दी तो यह नहीं किया गया । हमको तो मालूम नहीं है क्या कारण है कि शेड्यूल्ड बैंकों को जनहित माना गया है और क्या गड़बड़ी मच जावेगी। ऐसा करने से बहुत से ज़मींदार तबाह हो जावेंगे जिनके पास खाने को या मकान तक भी नहीं रहेगा । दूसरी तरफ बैंकों को १ फीसदी भी हानि नहीं होगी । हालांकि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं लेकिन धन्यवाद तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बरबाद करके यह रियायत शेड्यूल्ड बैंकों को दी जा रही है । जब सरकार इतना बड़ा कार्य करने जा रही है तो कौनसी चीज़ पैदा हो गई जिसके लिये सरकार को शेड्यूल्ड बैंकों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध होगया ? हमारे राजस्व मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं । उनकी जगह जो मंत्रीजी काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वह ये बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और यह मामला अगर न गौर कर सकें कैबिनेट से पूछने की इजाजत समझें तो इसको पोस्टपोन करें और थोड़ी देर बाद, समझने के बाद हमलोगों को बतलावें। मैं यह भी कहूंगा कि अगर वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम इस भवन में हर सदस्य को इस पर राय देने के लिये स्वतन्त्र कर देना चाहिये । मैं सरकार की पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा कि इसको कोई पार्टी क्वेश्चन न बनाया जाय । हर मेम्बर जो यहां आये हैं इस पर उनका खुले दिल से वोट लेना चाहिये । यह चीज़ भी जनहित में ही है । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करेंगे और सिर्फ गड़बड़ी कह कर हमें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे ।

श्री राधा मोहन सिंह (ज़िला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जो माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के समर्थन में बातें कही हैं उनमें बार बार यह पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट शेड्यूल बैंक के कर्जों को कमी करने से बरी कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से माननीय सभा सचिव ने जब इस संशोधन का विरोध किया था उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि यह कोई पहले पहल या नयी बात नहीं है जो हम करने जा रहे हैं इसमें पहले भी सन् १९४० में जब लोन्स को कम करने का प्रश्न आया था तो बहुत विचार के बाद गवर्नमेंट ने शेड्यूल बैंक्स बैंक के कर्जों को उससे मुक्त कर दिया था । वह बिना वजह नहीं था और वह वजह आज भी मौजूद है ।

इसमें कई तरह के उसूल इनवाल्ड हैं । सदन की जानकारी के लिये मैं बतलाना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि शेड्यूल बैंक्स की शौडोई डीलिंग नहीं होती है । उनका जो व्यवहार होता है वह ओपेन होता है और यह भी किया जाता है कि वह साफ भी रखा जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी काफी जांच पड़ताल भी होती है । जिससे उनके व्यवहार पर सरकार को बहुत भरोसा है । इसलिये भी के उनके कर्ज को और बैंक के कर्ज से अलाहदा होना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि शेड्यूल बैंकों का रेट आफ इन्टरेस्ट भी और बैंकों से कम है और उनका व्यवहार भी ठीक है । उन बैंकों का रेट आफ इन्टरेस्ट काफी कम है, यही कारण है कि बहुत से जमींदार लोगों ने और बैंकों को छोड़ कर शेड्यूल बैंकों से ही कर्जा लिया ।

[श्री राधा मोहन सिंह]

इसमें रेट आफ इंटरेस्ट का सवाल है और साथ ही गवर्नमेंट पालिसी का भी सवाल है। वैसे तो सरकार ने साधारणतया इस उसूल को मानलिया है कि जब जमींदारी हम खत्म कर रहे है और उसके एवज में मुआविजा उसकी कीमत के अनुसार नहीं बल्कि कम दे रहे है ऐसी सूरत में जो कर्जे कि जमींदारी पर आधारित थे, सुरक्षित थे वे कर्जे भी कम होने चाहिये। इस सिद्धान्त को हमारी सरकार ने साधारण तया स्वीकार कर लिया है लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें मैटर आफ पालिसी भी इनवाल्व्ड है, अगर हम खंड २ के उपखंड घ को जिस पर कि यह संशोधन पेश किया गया है, गौर से देखें तो मालूम होगा कि कुछ विशेष बातें हैं जिसकी वजह से हम उनके लिये एक्सेप्शन करने जा रहे हैं। सेन्ट्रल अथारिटी का लोन, लोकल अथारिटी का लोन, कोआपरेटिव सोसाइटीज का लोन हम क्यों छोड़ रहे है, इसको अगर आप देखें तो मालूम होगा कि इसमें पालिसी आफ इंटरेस्ट भी है। शेड्यूल बैंक्स में पब्लिक पालिसी भी है। हम समझते हैं कि और जैसा कि माननीय सभा सचिव ने बतलाया है कि आज भी हम देखते हैं कि बहुत से आदमियों के रुपये इनमें जमा हैं जो कि इन बैंकों का एसेट है। तो इसका असर पब्लिक फाइनेंसेस पर भी बिना पड़े नहीं रहेगा। इसलिये इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाय

मै समझता हूं यह तीन बातें है इंटरेस्ट का कम होना, उनके व्यवहार का साफ़ होना और साथ ही पब्लिक पालिसी का इन्वाल्व होना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिये जरूरी होता है। सरकार ने इन्हीं बातों का लिहाज करके शिड्यूल्ड बैंक को अलहदा रखा और इसीलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखेंगे और उसी आधार पर संशोधन का विरोध करने के लिये लाचार हूं और मैं समझता हूं आप सब उस संशोधन को स्वीकार कर देंगे।

श्री बिशम्भर सिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी का जो प्रस्ताव पेश है उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, सबसे बड़ा करम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है जमींदारों के साथ वह यह है कि जब जमींदारियां खत्म की गई तो वह मुआविजे के साथ जिसकी किसी दूसरी जगह मिसाल नहीं है। अब दूसरा करम जो वह करने जा रही है। वह जमींदारों के ऋण के लिये है। मैं अर्ज करूंगा कि उनको मालूम होना चाहिये कि उनका जो कर्जा है वह सिर्फ ऐशो इशरत की जिन्दगी बसर करने के लिये लिया गया था। मेरा ख्याल है कि कोई भी इस बात से मुनकिर नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ऐसे काम के लिये कर्जा नहीं लिया जिसमें मुल्क को किसी सूरत में फायदा पहुंचा हो। मैं अर्ज कर दूं कि शिड्यूल्ड बैंक्स को जो एक्जेम्प्ट किया जा रहा है इस कानून में वह सही है क्योंकि बैंकों को देश की इकनामिक लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है और वह मुल्क के डेवेलपमेंट के लिये बहुत जरूरी है बैंक के काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिये और मैं कहता हूं कि यह जो एक्जेम्प्शन है वह सही है और उसको रहना चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि मैं जो प्रस्ताव भगवान सहाय जी ने पेश किया है उसका सख्त विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन जमींदारों के साथ क्या क्या किया। ३७ की गवर्नमेंट ने इनका पटौवन किया। लाखों करोड़ों रुपया इनका पट गया। गरीब किसानों ने जिन्होंने गाढ़े पसीने की कमाई इन्हें दे रखी थी वह भी पट गया और उसके बाद भी उन गरीबों के खेत निकाल लिये गये। क्या कोई भी अपने कल्ब पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि यह गलत है। यह बिलकुल सत्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं और पूरा सदन ध्यानपूर्वक सुने कि हमारी सरकार ने जितने भी उपकार किये हैं वह सब इन जमींदार भाइयों के लिये और सब इनको फैसिलिटीज़ दी है। जमींदारी का अबालीशन मुआविजा देकर किया है जिसका रिकर्ड वर्ल्ड की हिस्ट्री में दूसरा नहीं है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने जमींदारी का अबालीशन

मुआविजा देकर नहीं किया है। आज भी हमारे लाल टोपी के भाई गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि मुआविजा देकर जमींदारी तोड़ी गई है। मैं स्वयं कहता हूं कि जमींदारी बिला मुआविजा दिये ही खत्म होनी चाहिये थी। इनको मुआविजा देने की कतई जरूरत नहीं थी। यहां पर ८ अगस्त सन् ४६ को जमींदारी के अबालीशन का बिल पेश हुआ और जमींदारी खत्म हुई जाकर जुलाई सन् ५२ में। इन ६,७ सालों के बीच में उन्होंने अपने काका, चाचा, भाई भतीजे, नाना नानी जितने रिश्तेदार थे सबको जमीनें लिख दीं। इन्होंने जंगल काटे, पेड़ काटे, बाग बगीचे काटे। लेकिन फिर भी इनको फैसिलिटीज़ दी गई। लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हो इन्हीं को दे दी। गरीब किसान के लिये कुछ भी नहीं। मई के महीने से जब से हमने शपथ ली है तब से मैं बराबर यह देखता हूं जमींदारों के लिये यह कर दो और वह कर दो।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाता हूं कि पास हुये विधेयक का विरोध इस वक्त नहीं किया जा सकता,

श्री शिवनारायण--मैं यह बतला रहा था कि यह इनके साथ किया और इसी के कारण अब यह रियायत इनको न मिलनी चाहिये। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं तो संशोधन का विरोध कर रहा हूं।

आपने जितना रुपया किसानों से वसूल किया हम उसे जानते हैं। इस प्रांत की एक तिहाई आमदनी सरकार के पास आती थी और दो तिहाई वर्लिंग्टन होटल में खर्च होती थी, मोटरों में खर्च होती थी।

मैं कहता हूं कि सरकार जो प्रस्ताव सेडयूल्ड बैंक्स के बारे में उपस्थित किया है कि उनका हिसाब किताब अलग रखा जाय, वह निहायत ही सुन्दर है। हमने १९३७ से आज तक आप को सहूलियतें देने की कोशिश की। लेकिन हर जगह आपने नाना प्रकार के झगड़े फिसाद पैदा किये। पानी क्यों नहीं बरसता है। तमाम जंगल के जंगल कटवा दिये गये हैं पिछले हफ्ते छुट्टियों में मैं अपनी कांस्टीटुयेंसी गया था। मालूम हुआ है तमाम पेड़ कटवा दिये गये हैं। जिस सूरत से भी पैसा मिल सकता था उन्होंने खींचने की कोशिश की। उसके बाद चाहते हैं कि हमको कर्ज माफ कर दिया जाय।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं मगर बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो संशोधन इस समय पेश है उसमें एक वैधानिक आपत्ति आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और उस आपत्ति को दृष्टि में रख कर हाउस के लिये यह जरा मुश्किल हो जायगा कि वह इस संशोधन को पास करे।

शेडूल्ड बैंक्स की शाखायें केवल एक प्रान्त में नहीं होतीं। वे इंटर प्राविन्शल होती हैं। ऐसी दशा में मेरा ख्याल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकार में शायद यह नहीं है कि उन शेड्यूल बैंक्स के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इसका एक उदाहरण भी मेरे पास यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने इस बात का प्रयत्न किया कि हमारे सूबे में जो शेड्यूल बैंक्स के एम्प्लाइज़ हैं उनकी हालत को सुधारा जाय। इसलिये उन्होंने एक ट्राइबुनल मुकर्रर किया और उसने एक अवार्ड भी दिया। वह अवार्ड इन्हीं शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में था। अवार्ड पेश होने के बाद फौरन ही शेड्यूल बैंक्स के मालिकान ने इसके खिलाफ अपील कर दी। उन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि जहां तक शेड्यूल्ड बैंक्स का ताल्लुक है उनके किसी मामले में प्रदेशीय सरकार को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिये उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ट्राइबुनल मुकर्रर किया और उसकी कार्यवाही चल रही है।

[श्री नौरंग लाल]

तो मेरा शक है, कि इसमें हममें जरा सोचना पड़ेगा, और जमींदारों को खुद यह सोचना चाहिये कि अगर यह संशोधन पास भी हो गया तो बैंकों के पास कानूनी राय की तो कमी है नहीं अगर उन्होंने अपील कर दी तो यह कानून कोल्ड स्टोरेज में पड़ जायगा, खटाई में पड़ जायगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जायगा और कहीं ऐसा न हो कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। जो थोड़ा सा मिला था वह भी चला जाय और साल दो साल तीन साल तक यह कानून झमेले में पड़ जाय। इसलिये मैं यह पेश करने आया हूं कि इस संशोधन पर ज्यादा जोर न दें क्योंकि यह आप के ही नुक्सान की चीज़ होगी।

श्री राधामोहन सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस समाप्त की जाय।

उपाध्यक्ष--कोई बोलने वाला ही नहीं है।

श्री भगवान सहाय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् जो संशोधन मैंने पेश किया था उसके ऊपर मुआफकत और मुखालिफत में तरह-तरह की बातें सदन के सामने आईं। मैंने उन तमाम अर्गूमेंटस् को बहुत गौर से सोचा और समझने की कोशिश की। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इसमें कुछ वैधानिक आपत्ति है। मैं वकील नहीं हूं और इसलिये वैधानिक आपत्ति से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लेजिस्लेटर की हैसियत से मैं यह समझता हूं कि अगर कोई वैधानिक आपत्ति हो तो हमारे लीगलरिमेंबरेंसर उसको बतायें और उसको हम सब लेजिस्लेटर रफा करें। अगर उसूलन यह बात मान ली जाय कि यह बात सही है तो यह जो मैंने संशोधन रखा है। इसमें उसूल का सवाल है। इसके सामने कोई वैधानिक आपत्ति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यहां से लेकर गवर्नमेंट आफ इंडिया तक। हम इस काबिल हैं और हम में वह ताकत है कि हम उस वैधानिक आपत्ति को रफा कर दें।

दूसरे हमारे एक माननीय सदस्य ने यह दलीलें पेश कीं कि बैंक हमारी इकोनामिक लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मैं मानता हूं कि आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बैंक हमारी इकानामिक लाइफ का एक बड़ा अंग है, लेकिन हम यहां पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि यहां पर किसान और मजदूरों का राज्य हो और ऐसे मुल्कों में जहां पर यह व्यवस्था है वहां प्राइवेट बैंक्स हों या इंडिविज्वल बैंक्स हों ऐसी कोई नजीर हमारे सामने नहीं है। तो इस में अगर बैंक आड़े आते हैं तो उस आर्थिक इकानामिक लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। इस बात को मानने में हमें कोई शर्म की बात नहीं। यह अकीदा है, उसूल का सवाल है।

फिर हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा और शायद कहते वक्त जमींदारों का भूत उनको इस कदर दिखाई दिया कि वह दलील से बे दलील हो गये। उन्होंने फरमाया कि बैंक से जनहित है। मैं उन से सिर्फ दो तीन बातें पूछना चाहता हूं श्रीमान्, कि जनहित का सवाल क्या बैंक के सवाल में आता है? मैं इस सदन के तमाम सदस्यों से श्रीमान् आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि घनश्यामदास बिड़ला का हित जनहित है? टाटा परिवार का हित जनहित है? फिर इलाहाबाद बैंक के जो शेयर होल्डर्स इंगलैंड में बैठे हुये हैं उनका हित हमारे देश का जनहित कैसे है? मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन हो। तो जहां तक जनहित की बातहै वह हमारे सामने कुछ नहीं आता। जो छोटे बैंक्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया इस बिल में ऐसे भी हैं जो बैंकिंग ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, लेकिन चूंकि उनका कैपिटल छोटा है वह शेड्यूल की मद में नहीं आते इसलिये वह शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहलाते। ऐसे बैंक्स को आपने मुस्तसना नहीं किया इस मद से। तो आपने भी उसूल माना इस बात का कि बैंक व्यक्तिगत मनुष्य के दिये गये करजे में कोई फर्क नहीं।

श्रीमान् आपके द्वारा मुझे यह अर्ज करना है कि यू० पी० इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के मातहत हमने शेड्यूल्ड बैंक्स के करजों को एग्जेम्प्शन नहीं दिया, उनपर

भी वह ऐक्ट लागू हुआ। इस चीज़ को हम ने माना। यह मैं मानता हूं कि वह ऐक्ट जमींदारों का बनाया हुआ था लेकिन अगर उसमें कोई गलत चीज़ थी तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया दूसरे हम उस ऐक्ट को आज भी हम मान रहे हैं। ऐग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, १९३४ में भी शेड्यूल्ड बैंक्स के मामले में उनको एग्जेम्पशन नहीं दिया। यह ऐक्ट भी उन पर उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरे पर। इसके अलावा यू० पी० ऐग्रिकल्चरिस्ट्स रेगुलेशन आफ क्रेडिट ऐक्ट, जो १९४० में लागू हुआ, इसका कांग्रेस मिनिस्ट्री ने निषेध किया, लेकिन चूंकि हम आफिस से बाहर चले गये थे इसलिये हैलट रोजिम ने अल्टीमेटली उसको लागू किया। तो हमने यह उसूल मान लिया कि इन मामलों में जहां तक कर्जा कम करने का सवाल है या रेगुलेट करने का सवाल है, शेडूल्ड बैंक्स को कोई तरजीह नहीं देंगे। तो श्रीमान् इस संशोधन के द्वारा जो मैं मांग कर रहा हूं वह यही है कि इस विधेयक में जो आपने उनको तरजीह दी है वह न दी जाय। फिर यों देखिये कि बैंक का सवाल जहां तक आता है यह कहा गया है कि इसमें छोटे डिपाजिटर्स का हित है, उनके हित को नुकसान पहुंचता है यह मेरी समझ में नहीं आया कि जो छोटे डिपाजिटर्स हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचता है यह तो मैं मानता हूं कि छोटे डिपाजिटर्स से रुपया जमा करके बैंक्स के शेयर-होल्डर्स या मालिक लोग उस रुपये को ज्यादा सूद के ऊपर लगा करके उनको भी एक्सप्लायट करते हैं। यह जो उनको रिलीफ़ दी जाने वाली बात कही जा रही है वह ऐसी नहीं है। ये छोटे डिपाजिटर्स के चैम्पियन नहीं हैं, उनके संरक्षित नहीं हैं, ये तो उनका उतना ही खून चूसने वाले हैं जितना और किसी का चूसने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के रुपये से ये ज्यादा सूद के ऊपर रुपया उठा करके फ़ायदा उठाते हैं।

फिर यह सवाल है कि अगर इस विधेयक में जमींदार के मुकाबिले में किसी काश्तकार का फ़ायदा पहुंचता होता तो मैं काश्तकार का हामी होता लेकिन इसमें वह जमींदार जो आज अपनी रोजी से वंचित कर दिया गया अपने किसी कसूर पर नहीं। बल्कि ज़माने की मांग पर, उसके मुकाबिले हम उसको कैसे सपोर्ट करें जो मालदार है, जिसकी हैसियत बनी हुई है और जो आज भी समाज के अन्दर शोषण कर रहा है। तो शोषण करने वाले आदमी को हम कैसे सपोर्ट करें उस आदमी के ख़िलाफ़ जिसमें शोषण करने की ताकत अब नहीं रही। उसमें शोषण करने की ताकत जब थी तब थी लेकिन आज वह समाज का उतना ही सीधा और उच्च अंग है जितना कोई दूसरा है। आज अगर समाज को डर है तो उन आदमियों से है जो अब भी शोषण कर रहे हैं और जिनकी शोषण करने की ताकत अब भी बदस्तूर है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड बैंक उन्हीं की हैसियत में आता है। खंड २ के उपखंड (४) में बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनमें इग्जैम्पशन दिये गये हैं। जब मैंने इस चीज को सोचा तो मेरे दिमाग में यह बात आयी कि इन सबको एग्जेम्पशन देना गलत काम है। उसके लिये मेरा तर्क यह था कि एक व्यक्तिगत आदमी की नैतिकता का स्तर भिन्न है और सरकार की नैतिकता का स्तर भिन्न है। ऐसी बात नहीं है अगर किसी इंडिविजुअल के लिये कोई बात गलत है तो सरकार के लिये भी गलत है और अगर किसी इंडिविजुअल के लिये कोई बात सही है तो सरकार के लिये सही है। जब उसकी असली हालत पर मैंने ग़ौर किया तो मैंने यह सोचा कि यह जो दो-तीन करोड़ रुपये के इकंमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत बांड्स इश्यू हो गये हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का नुक्सान होगा और वह नुक्सान हम पर आयेगा टैक्स के रूप में क्योंकि उतनी रेवेन्यू कम हो जायगी और वह हम से पूरी की जायगी। इसलिये मैंने उस प्वाइण्ट को नहीं उठाया। क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल का फ़ायदा होता और समाज का नुकसान होता लेकिन बैंक के नुकसान में मैं किसी हालत में समाज का नुकसान नहीं मानता। कुछ इंडिविजुअल सदस्यों की राय कुछ भी हो लेकिन मैं बैंक के नुकसान नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक आदमी के नफ़ा या नुकसान के मुकाबिले में एक गुट का नफ़ा या नुक़सान है और वह गुट ऐसा है जो शोषण करने वाला है और उसका आदी है। इसलिये जो दलीलें सदन के सामने आयी हैं मैं उनसे कतई प्रभावित नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भगवान सहाय जी की तकरीर मैंने बहुत ध्यान से सुनी विशेषकर इस कारण कि मैंने उनकी पहली तकरीर नहीं सुनी थी और जो सज्जन उनके संशोधन के अनुकूल बोले थे उनकी भी तकरीर मैं अधिक सुन नहीं सका। मैं जानना चाहता था कि उनके प्रस्ताव या संशोधन के हक में क्या दलायल उनके पास हैं। लेकिन मुझे सिवाय जज़बात के और कुछ मिला नहीं। आपने कहा यह कि अगर कोई इसमें वैधानिक आपत्ति है तो वह केन्द्रीय सरकार से इसको अलाहिदा करा सकते हैं। वैधानिक आपत्ति से आपका मतलब कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी से था। तो आप इस हद तक जाने को तैयार हैं कि उसके लिये संविधान बदला जाय। कहां तक इस छोटी सी बात के लिये संविधान बदलना संभव है, यह मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों के लिये संविधान बदला गया तो उसके साथ खिलवाड़ करना होगा। खैर, यह बात तो दूसरी रही। यह तो महज उनके जोश की एक नाप थी। लेकिन मैं यह नहीं समझता हूं कि इसमें कोई वैधानिक आपत्ति है। हम चाहें तो यह बेशक कर सकते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स का भी कर्जा घट जायगा। लेकिन सोचना हमको केवल यह है कि क्या ऐसा करना मुनासिब है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि संशोधन को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी दलील का खुद उन्होंने ही जिक्र किया कि बैंकों के पास, मैं ठीक आंकड़े तो नहीं जानता और न मुझको बैंकिंग बिजनेस का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ज्यादातर उनका काम डि-पाज़िट्स से चलता है और छोटे छोटे लोग अपनी अपनी बचत का रुपया बैंकों में रखते हैं। उन डिपाज़िटर्स को खतरा पहुंचने की आशंका इस प्रकार है कि अगर उन बैंकों का कर्जा घट गया तो बैंक फेल हो सकते हैं और छोटे आदमियों के डिपाजिट्स मारे जा सकते हैं। क़र्जा कि घटने की संभावना इसमें केवल १/५ तक है, यानी जो क़र्ज़ा हो उसका १/५ ही वह पाये, क्योंकि जैसा मल्टिपुल है, आप देखें इनकम्बर्ड स्टेटस ऐक्ट, उसमें हमने कहा है कि ८/४० तक हो सकता है, यानी १/५। वैसे ही डेट रिडेम्शन ऐक्ट वगैरह के अधीन मिलता है या ऐग्रीकल्चरल रेलीफ़ ऐक्ट के अधीन भी और यूजूरिअस लोन्स ऐक्ट वगैरह इन सब के मातहत सूद घटता है और हो सकता है कि किन्हीं-किन्हीं सूरतों में असल के भी घटने की नौबत आ जाती हो। तो इस सब घटत के बाद भी इस कानून के मातहत जो कर्जा तय हो वह २० फ़ी सदी तक किया जा सकता है। तो अगर बैंकों ने जो क़र्ज़ा ऐडवांस किया हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐडवांस किया है, मुझे जो इल्म है वह केवल एक दो बैंकों का है, ज्यादा तक शेड्यूल्ड बैंक्स ने इस तरह कर्जा नहीं दिया है मान लो कि उन थोड़ों ने जिन्होंने दिया हुआ है उनका अगर २० फ़ीसदी हो गया तो उनके बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और बैंक के फेल होने की नौबत आ सकती है। माननीय सदस्य यह कहेंगे कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है चूंकि बैंक पूंजीपतियों के हैं, बिरला आदि के हैं। नाम ले देने से आमतौर पर एक आदमी की हमदर्दी हो जाती है और अगर इस सदन के बाहर तकरीर की जाय तो उसमें जरूर ही हमको तालियां मिल जाया करती हैं। तो केवल यह कह देना कि वे फेल हो जायं तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, यह ठीक नहीं है। अगर बैंक फेल हो जाय तो उससे देश को ही हानि होती है। इससे तो अच्छा यह है कि जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है आप उसको नेशनलाइज कर दीजिये, उसको खत्म कर दीजिये। लेकिन इस तरीके से वे फेल हों और जनता के छोटे आदमियों को भी हानि पहुंच जाय तो यह तो कोई बैंकों को खत्म करने का अच्छा तरीका नहीं है। उनको ख़त्म करने का अच्छा तरीका तो उनका राष्ट्रीयकरण है। और यह कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस तरह के बैंक्स होते हैं और सोवियट सिस्टम में नहीं होते। मुझे इसकी बाबत ज्यादा कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि रूस के अन्दर बैंक्स हैं और वे साढ़े ७ फीसदी लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक वह भी हैं। अब केवल यह है कि यह एक स्टेट की तरफ से रन किया जाता है और एक प्राइवेट कम्पनी की तरफ से रन किया जाता है। उनके शोषण में कोई फर्क पड़ता है। यह भी मेरे लिये कहना "टू मच" होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अल्टीमेट एनेलेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फैक्टरी स्टेट चलाती है और एक प्राइवेट कम्पनी चलाती है

लेकिन मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता है । जो फैक्टरी स्टेट द्वारा चलाई जाती उसमें बल्कि मजदूर घाटे में रहता है । खैर इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं । खैर इन बैंक्स को इस प्रकार के टेढ़े तरीके से हानि पहुंचाई जाय यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती है ।

शिड्यूल बैंक्स के लिये यह ठीक है कि एग्रीकल्चरल रिलीफ़ ऐक्ट और एकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में कोई ख्याल नहीं किया गया है । लेकिन जैसा कि खुद उन्होंने कहा कि उस समय जमींदारों का प्राबल्य था । लेकिन पहले पहल कांग्रेस मिनिस्ट्री आई तो उसने डैट रिडम्पशन ऐक्ट बनाया और उसमें उन्होंने बैंक्स के कर्जों को मुस्तसना किया है और फिर जमींदारी अबालीशन कमेटी को इसी पार्टी की गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था । उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि शिड्यूल बैंक्स के कर्जा को मुस्तसना करना चाहिये । रही उसूल की बात तो उसूल कहां खत्म होता है और तफसील कहां आरम्भ होती है या तफसील कहां खत्म होती है और उसूल कहां शुरू होता है । यह कहना बड़ा मुश्किल होता है । अगर शिड्यूल बैंक्स के कर्जा को मुस्तसना न किया जाय तो गवर्नमेंट कर्जे या कोआपरेटिव सोसाइटीज के कर्जे किस उसूल के अधीन आ जायेंगे कि उनको भी मुस्तसना करें । यह भी बड़ी मुश्किल बात तय करना है । इसलिये इसमें बहुत बारीकी में जाने से काम नहीं चलेगा कि यह प्रिंसपिल की बात है या डिटेल की बात है । मैं समझता हूं कि यह खूब सोच-समझकर रखा गया है कि शिड्यूल बैंक्स के कर्जे मुस्तसना रहें । इसलिये मैं संशोधन को अस्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

श्री भगवान सहाय--जी हां, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार संशोधन वापस लिया गया

पक्ष में--११३

विपक्ष में--४)

उपाध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) मामूली तौर पर मेरा ऐसा ख्याल था कि भवन ने जिस सिद्धांत को अभी स्वीकार कर लिया है उस सिद्धांत को सामने रखते हुये एक तरह से यह संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता था परन्तु कम से कम शब्द "तीन" जिसके बारे में अभी बहस हो चुकी है उसको छोड़ कर आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं:--

खंड २ से उपखंड (ब) के भाग (१) (२) तथा (४) निकाल दिये जायं ।

इसमें भाग १ में केन्द्रीय सरकार व किसी राजकीय सरकार, भाग २ में स्थानिक अधिकारी को और भाग ४ में सहकारी संस्था है । श्रीमन्, इसी सदन में एक दूसरी बहस के दौरान में एक महानुभाव ने यह कहने की तकलीफ़ थी कि इसमें बहुत सी वैधानिक आपत्तियां हैं । मुझे यह भय है कि मेरे भाषण के उपरान्त फिर वही प्रश्न उठेगा और लोग यह कहेंगे कि वैधानिक आपत्तियां हैं क्योंकि हमारी सरकार को यह अधिकार नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है । लेकिन श्रीमन्, इस जगह पर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर जमींदारी तोड़ने के लिये आर्टिकिल ३१ संशोधित किया जा सकता था, जबान बन्द करने के लिये आर्टिकिल १९ संशोधित किया जा सकता है तो क्या जमींदारी तोड़ना इतना आसान और सरल समझ रखा था कि उसके तोड़ने के बाद जो नतीजे होंगे उनके लिये आप तैयार नहीं थे । यह तो एक साधारण सी बात हुई कि जमींदारी आपने तोड़ डाली और उसकी वसूलयाबी का आप इंतजाम करेंगे । वसूलयाबी का इन्तजाम सरकार करेगी क्योंकि सरकार का उसमें फ़ायदा है । लेकिन जब जमींदारों का प्रश्न उठता है और उनके हित का सवाल आता है तो उस समय तो संविधान के अन्दर संशोधन करना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

है। उस समय जब कि सरकार का हित होता है तो संविधान बदल दिया जाता है लेकिन जब दूसरों के हित का सवाल आता है तो ऐसी चीज में उनको अन्याय दिखाई देता है। जहां तक पुराने डैट का हवाला दिया गया कि यू० पी० डैट रिडम्पशन ऐक्ट में शिड्यूल बैंक का एग्जम्पशन था। मगर श्रीमन् वह भी एक वक्त था और आज दूसरी तरह की परिस्थिति है। उस समय जमींदारों के कर्जे या काश्तकारों के कर्जे की परिस्थिति दूसरी थी। उस समय जमींदारों के पास जमीदारी थी और काश्तकारों के पास काश्तकारी थी लेकिन अब जमींदारों के पास कुछ भी नहीं रहा है। आपने उनकी सम्पत्ति को ले लिया है एक मुआविजे की आड़ में जब कि मुआविजा बिलकुल नहीं के बराबर है। आपने उनको जमीदारियों को अपहरण कर लिया जब कि उनको मुआविजा आपने कुछ भी नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे संशोधन में जहां पर वैधानिक बात है उनको आप अमेंडमेंट करें। जो भी कांस्टीट्यूशन हो उसको बदला जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जहां पर सरकार को जरूरत हो वहीं पर बदला जाय और दूसरे की जरूरत के लिये नहीं बदला जाय। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफ़ारिश कर सकते हैं और नहीं तो आसान नुस्खा यह है कि आप जमीदारी अबालिशन ऐक्ट का सेक्शन ६ संशोधित कर दें तो यह झगड़ा सब खत्म हो जायगा। जो कुछ हमको मिलना था वह सब साफ तौर पर मिल जायगा। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो सरकार के पास एक दूसरा तरीका हो सकता है और वह यह है कि अगर उनमें साहस है और जमींदारों के अन्दर बदनियती नहीं है महज मजबूरी है तो आप इस चीज़ को स्वीकार करें। जब कि हमारी जमींदारी ले ली गई और जब हमने दूसरों से ऋण लिया था तो उस समय उन ज़मींदारियों की कीमत और थी उस वक्त हम अपना ऋण चुका सकते थे। अब उन जमींदारियों की कीमत कुछ भी नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में उस पुराने ऋण का भार हमारे लिये असहय है। हम उसको बरदास्त नहीं कर सकते हैं। हमारी नेकनियती होते हुये भी हम उसको देने के लिये योग्य नहीं हैं इस बात को मद्देनजर रखते हुये जब कि हम दे नहीं सकते हैं तो इससे क्या अन्तर हो सकता है चाहे ऋणदाता कानपुर का हो, चाहे बिड़ला हो और चाहे वह प्रांतीय सरकार हो प्रश्न यह उठता है कि हमारी आर्थिक अवस्था अब ऐसी नहीं है कि हम उस ऋण की अदायगी कर सकें और उस भार को उठा सकें। । किसी महाजन के जातीपन में बदल जाने से इसमें क्या फर्क हो सकता है।

आपने एक तरफ तो जमींदारियां ले लीं और अब वह मालियत मिलकियत की नहीं है लिहाजा चाहे ऋणदाता कोई न हो हम उसको अदा करने से मजबूर हैं और यह एक ऐसी बात है कि जिस को सरकार समझ सकती है। वह दिल से और अपनी ईमानदारी से जरा असलियत की तरफ देखें और देखें कि न्याय किधर है। यह दूसरी बात है कि सरकार की भी मजबूरियां हों लेकिन जब ज़मींदारियाँ तोड़ना आप ने मुनासिब समझा तो जो उसके नतायज हैं और आगे होंगे उनके लिये भी आप को तैयार रहना चाहिये। आपके लिये अब कांस्टीट्यूशन का बदलना असुविधाजनक है और उसमें आप को दिक्कतें हैं, लेकिन यह तो कोई जवाब या दलील नहीं है।

साथ ही साथ एक बात और करना है। मैं कोई वैधानिक आपत्ति नहीं कर रहा हूं और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संविधान के आर्टिकल १४ के यह बिल इनफलिक्ट कर रहा है लेकिन एक जमींदार की हैसियत से मुझे शंका है कि कौन सी ऐसी बात है जो सीक्योर्ड डेब्ट और इनसीक्योर्ड डेब्ट में फर्क कर रही है। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इस विषय पर एडवोकेट जनरल या जो और लीगल हैड हों उन उनसे भी सम्मति ले लें ताकि ऐसा न हो कि महाजनों के पास तो रुपये की कमी नहीं है, वह दफा २२६ के द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दें,

उनके लिये यह सरल काम है। यह महाजन लोग इस बिल को चैलेंज करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी देख लें कि इस में आर्टिकल १४ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह क्लासिफिकेशन में आ जायगा और सुपरीम कोर्ट की रूलिंग वगैरह हैं जिनमें साफ है कि क्लासिफिकेशन हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह जनहित में है क्योंकि २२ लाख जमींदार इस जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट से प्रभावित हुये हैं और जनरल पालिसी और जनरल इन्टरेस्ट वाली बातें बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाई हैं। मैं समझता हूं कि पब्लिक पालिसी और पब्लिक इन्टरेस्ट के बारे में एक क्या हजारों किताबें पड़ी हुई हैं। अमरीका के सुपरीम कोर्ट में यह रोज की बातें हैं जहां पर पब्लिक पालिसी और पब्लिक इंटरेस्ट डिसकस किया जाता है चाहे यहां के लिये यह भले ही नई चीज हो। क्या पब्लिक इन्टरेस्ट में बैंक या कोआपरेटिव सोसाइटी रखी जायंगी। मैं बतलाना चाहता हूं कि जनहित यह नहीं है कि २२ लाख जमींदारों की जीविका का ज़रिया नष्ट कर दिया जाय और आगे भी उनकी जीविका के लिये कोई उपाय न रखा जाय और महाजन जो कि हर तरह से धन से और रुपये से सुसज्जित है और जो हर तरह से आपकी सरकार को भी प्रसन्न कर सकता है आज उनके लिये यह कहना है कि वह मुट्ठी भर भारत में हैं और जनहित के माने उनका इन्टरेस्ट नहीं हो सकता, जनहित तो बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक इन्टरेस्ट का मिसयूज किया जा रहा है और गलत माने उसके लगाये जा रहे हैं। इसलिये अच्छा हो कि किसी उच्च कोटि के लीगल हेड से इस मामले में सलाह ले ली जाय। लेकिन साथ ही साथ हमको यह शिकायत भी है कि जितना सरकार को करना चाहिये था उतना सरकार नहीं कर रही है। आज के बाद हमारे वंशज यह देखेंगे कि आज कांग्रेस सरकार ने यह अन्याय किया है। यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट में आपने बैंक्स को इंक्लूड किया था तथा इसके साथ ही साथ में आपका ध्यान यू० पी० एग्रीकल्चरलरिस्ट रिलीफ ऐक्ट की तरफ भी दिलाऊंगा। वह कांग्रेस सरकार के जमाने में आया था बाद को उसने रिजाइन कर दिया और एडवाइज़री रिजीम थी उस वक्त हैलट ने उसको अपनी अनुमति दी थी।

श्रीमन्, लोकल अथारिटीज, कोआपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट चाहे वह केन्द्रीय हो या सेंट्रल उनको एक्जम्पट कर दिया गया है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमसे अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं?

श्री चरण सिंह---मैंने आपका अन्याय का शब्द ध्यान से सुना है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---क्योंकि माननीय मंत्री जी को हमसे अधिक अनुभव है, साधन है, वे एडवोकेट जनरल से पूछ सकते हैं और हमारी इन मुसीबतों को दूर कर सकते हैं हमारे सोशलिस्ट भाइयों से और हमसे कहा जाता है कि रचनात्मक तरमीम लाइये लेकिन सरकार ऐसी जगह पर है जहां वह हर एक चीज को समझ सकती है। लेकिन यह जरूर है कि अन्याययुक्त बात है। इस दोष को जिस प्रकार से आप मुनासिब समझें दूर कीजिये। इन सब बातों को देखते हुये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विशिष्ट रूप से इन बातों पर ध्यान दें। यह न समझें कि केवल यह संशोधन इसलिये रख दिया गया है कि हमको एक सहूलियत और प्राप्त हो जाय। बल्कि असलियत यह है कि हम जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं। श्रीमन्, हम देखते हैं कि हमारा सर्वस्व छिन गया और फिर भी इन थोड़े से महाजनों के हाथ से हमारा गला नहीं छूट रहा है और अब भी हम उनके हाथ के चंगुल में हैं। शरणार्थियों और जमींदारों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। कंपेंसेशन और रिहैबिलिटेशन दोनों से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं जमींदार का घर जिसमें उसकी रिहायश होगी वह भी ऋणदाता के चंगुल से

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

बच न सकेगा। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी बातों पर ध्यान देने का कष्ट करें। किसी भी बात का महत्व केवल इसी बात से नहीं घट जाता कि वह विरोधी दल की ओर से कही गयी है। जमींदार लोग विरोधी दिल से बातें नहीं कहते हैं दिल से कहते हैं।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने बड़े जोश के साथ तकरीर की और मालूम ऐसा होता है कि अगर उनकी तकरीर को पूरी स्थित को न जानते हुये कोई शख्स असेम्बली के बाहर सुन रहा हो जहां से उनका चेहरा उसको दिखाई न देता हो तो सुनने वाला इस नतीजे पर पहुंचेगा कि तकरीर करने वाला बहुत दुबला पतला इस गवर्नमेंट का मारा हुआ, परेशान किया हुआ, बहुत दिनों से जिसे खाने को नहीं मिला है, वह न्याय की दुहाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई बिलकुल दूसरी है। जमींदारों के साथ कोई अन्याय किसी प्रकार का नहीं किया गया है। न्याय का माने क्या होता है? जमींदार लाखों की आमदनी अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं और बिना कमाये इस्तेमाल करते रहे हैं। जो लोग अपने खेतों में दिन रात परिश्रम करते थे, मय अपनी स्त्री के, अपने बच्चों के उनको खाने को अन्न नहीं मिलता था, उनकी बहू-बेटियों को अपनी शर्म ढकने के लिये कपड़ा नहीं मिलता था, उनकी कमाई कानूनी तरीके से और गैरकानूनी तरीके से जो लोग अब तक खाते रहे, उन्हें जिस हद तक बिना कमाई के आमदनी होती है उनको अगर हम बिना मुआविजा दिये भी ले लेते तो भी दुनियां में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस काम को नामाकूल नहीं कहते। लेकिन हमने तो आपको मुआविजा दिया। जिस हद तक सीर खुदकाश्त थी वह जनाब के पास छोड़ा आपके बागात छोड़े, आपके पेड़ छोड़े, आपके कुएं छोड़े आपके मकानात छोड़े और आपकी मोटरें भी छोड़ीं। लेकिन फिर भी जनाब की शिकायत यह है कि साहब, इस गवर्नमेंट ने बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अन्याय किया है और फिर जनाब के जो कर्जे हैं वे सब कर्जे भी घटाये जा रहे हैं। जितने कर्जे आपके पहले थे, पहले जो कानून बनाया गया था सूद उनसे बहुत घट गया था। उसके बाद आपके कर्जे २० प्रतिशत तक हो जायेंगे। और फिर भी अगर आपके कर्जे इतने ज्यादा हैं जो आपके मुआविजे और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से वसूल न हो सके तो वह भी ३/४ मुआविजे और पुनर्वासन अनुदान से लिये जायेंगे। फिर भी जो बचेगा वह राइट आफ कर दिया जायगा। इस हद तक यह बिल जा रहा है। जहां छोटे छोटे जमींदार हैं, जिनके पास सीर और खुदकाश्त हैं उन्हें तो मुआविजा भी कम ही मिलेगा, तो उन पर जिन महाजनों के कर्जे हैं वे समझ लें कि बिलकुल ही खत्म हो गये। रही मकानों की बात। जाब्ता दीवानी की दफा ७ के मातहत जमींदारों के मकान कुर्की और नीलाम से मुस्तसना हैं। उनको कर्जे में नीलाम नहीं किया जा सकता है। जो आड़ी कर्जे हैं यानी मकफूल हैं तो भी वे नीलाम नहीं होंगे। इन्कमबर्ड स्टेट यह दरख्वास्त दे दे कि जमींदार के जो बांड्स हैं वे उसे दे दिये जायं तो उसका मकान भी मुस्तस्ना है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से मकान रह जाते हैं जिनके मुस्तस्ना करने की जरूरत रह जाती है। सिवा लखनऊ में जिनके महल हैं उनको वे मुस्तसना कराना चाहते हों। यह जो बार बार दोहाई दी जाती है कि अन्याय है, अन्याय है, हरगिज किसी तरीके से कोई अन्याय नहीं है बल्कि यह उदारता की चरम सीमा है जो हमने आपके साथ बरती है।

रहा यह कि जमींदारों को कोई तकलीफ न हो, तो यह नामुमकिन है। समाज को हमें बदलना है और हम समाज को धीरे-धीरे बदलेंगे। जो आपका पहले का पैमाना था, जिसमें छोटाई-बड़ाई, ऊंचाई और निचाई थी उन सबको हमें-धीरे धीरे बदलना है। कोशिश हमारी केवल यह है कि हम इस तरीके से बदलें ताकि बेजा तकलीफ न हो। लेकिन आपकी कोशिश से मालूम होता है कि वह बदला न जाय।

आप चाहते हैं कि पहले कैसा हो ऐश इशरत में डूबे और आस्ट्रेलिया तथा स्वीटजरलैंड के कुत्ते पालते रहें और वह ऐश भी उठाते रहें यह चीज नामुमकिन है। किसको न्याय कहते हैं, किसको अन्याय कहते हैं। गांवों में जाकर देखिये कि जो थोड़ी-थोड़ी जमीन वाले किसान हैं और भूमिहीन हैं लाखों की संख्या में उनकी पहले चिन्ता करनी है या कि जमींदारों के लिये हमको चिन्ता करनी है, उनका कर्जा भी मुआफ हो और यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी कर्जा मुआफ हो। यानी गवर्नमेंट ने जो तकावी दी है वह भी मुआफ हो नहीं तो क्यों गवर्नमेंट ने कोई दस्तावेज दिये हैं तकावियां दी हैं वह भी मुआफ हो। और आपके न्याय का पैमाना देखिये कि सिर्फ आइटम दो तीन चार निकाल दीजिये और ६ को निकालने के लिये क्यों नहीं कहते।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--हमें वह भी मंजूर है।

श्री चरण सिंह--अब बहस के लिये तैयार हैं। एक वार्ड ने दूसरे वार्ड को जो कर्ज दे दिये उनको सेलेक्ट कमेटी ने संशोधन करके शामिल कर दिया लेकिन जनाब उसके लिये संशोधन नहीं करना चाहता लेकिन गवर्नमेंट का जो कर्जा है उसको मुआफ कराना चाहते हैं। यह आपके इंसाफ का पैमाना है। दुनिया में जिन अल्फाज में जिन अल्फाज के साथ सबसे ज्यादा बेइंसाफी हुई है उनमें एक अल्फाज इंसाफ भी है। क्या इंसाफ है और क्या बेइंसाफी है यह केवल अपने दुख सुख और अपने कष्ट और आराम से नापना चाहे तो वह सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आदमी जहां रहता है वहां पड़ोसी को भी देखे उनको क्या कष्ट है, उनको क्या सुख है उनको क्या तकलीफ है उन चीजों से मुकाबिला करके तब कहे कि क्या इंसाफ है और बेइंसाफी हो रही है। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि जितना फायदा उनका हो सकता था उतना होने के बाद भी आज तक किसी भी जमींदार ने न तो इस सदन में और न विधान परिषद् में यह कहा कि कितना तुम कर सकते थे उतना किया गया। मुझे ईमानदारी से इस बात में तकलीफ होती है। आप कहते हैं कि जी जमींदार का दिल बोल रहा है। मालूम होता है कि जमींदार के ही दिल है और जो लाखों और करोड़ों आदमी हैं वे दिल रखते ही नहीं। मैं इन शब्दों के साथ कड़ा विरोध करता हूं इस संशोधन के पीछे एक वर्ग का स्वार्थ है और कोई उसूल और कोई सिद्धांत नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार पहले इस विवाद में भाग लेने का नहीं था लेकिन इस संशोधन पर अपने मित्र एक पुराने जमींदार साहब की बातों को सुनकर कुछ बोलने को जी चाहता है और उससे भी ज्यादा जी इस बात के लिये चाहा जब हमारे राजस्व मंत्री जी ने उनका जवाब दिया। दरअसल बात तो यह है कि कभी-कभी जी यह चाहता है कि इस सारे कानून की मुखालिफत की जाय। क्योंकि यह साफ जिस तरह की परिभाषा और जिस तरह का ख्वाब वह देखना चाहते हैं उसका क्या जवाब आखिर हो। उपाध्यक्ष अगर वे सचमुच इंसाफ देखना चाहते हैं कि जमींदार या जमींदारियों के साथ क्या हुआ है तो अतीत के इतिहास को उठाकर देखें। कुछ लोगों का ख्याल है और मैं समझता हूं कि वह बहुत हद तक सही है कि सही इंसाफ जमींदार और जमींदारियों के साथ जैसा रूस में हुआ वहां की क्रान्ति के बाद, क्या उस इंसाफ को वह सही इंसाफ मानते हैं। जब यहां इंसाफ की दुहाई देते हैं, फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद जो व्यवहार हुआ वह इंसाफ क्या काफी नहीं था। दुनियां के ख्यालात और दुनियां के जजबात और रास्ते पर हुआ करते हैं और इतिहास के पन्नों पर वह अकसर एक ही कलम और एक ही दावात से लिखे जाते हैं।

लेकिन अचम्भे की बात जो दुनियां में हुई है वह हिन्दुस्तान के अन्दर हुई है। अगर यहां पर वह विभूति न उत्पन्न होती जिसके नेतृत्व में उस बड़ी संस्था का निर्माण हुआ जिसके उसूलों की साया में आज भी वह लता पनप रही है जिसमें हिन्दुस्तान के शरीर

[श्री रामनरेश शुक्ल]

के साथ सारे वृक्ष के रस को चूस लिया। इतना करने पर भी आज यहां इंसाफ की दुहाई दी जाती है, जैसा कि अभी राजस्व मंत्री जी ने बताया, जमींदारी खत्म करने के बाद क्या यह सच नहीं है कि अब भी इस प्रांत में किसी भी गांव के अन्दर देख लीजिये, एक आधी जगह शायद गलत हो जाऊं अगर एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह पुराना जमींदार है इतनी जमीन आज भी उनके पास मौजूद है जिसको वह खुद नहीं जोत पा रहे हैं। और राष्ट्र का भी आज नुक्सान हो रहा है क्योंकि उससे गल्ला नहीं पैदा होता। आज तो मैं यह पसन्द करता कि हमारी तरफ कोई ऐसा न कानून आता कि उनकी जमीनों को कम कर दिया जाता, उन को छीन कर उन लोगों को दिया जाता जिनके पास जमीन नहीं है। क्या यह बात सही नहीं है कि जितना बंजर था, पट-वारियों और मुन्शियों से मिल कर बाग लगवा लिया। सीर के अलावा अगर हिसाब लगाया जाय तो काफी जमीन बागों की सूरत में पड़ी हुई है।

अब मैं उनकी जमीन और सम्पत्ति को छोड़ कर नैतिकता पर आता हूं। यह जो कर्जा उन्होंने लिया कौन सी भागवत सुनने के लिये कर्जा लिया है। जिन्दगी के किस पहलू को ऊंचा करने के लिये लिया गया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं कि स्पष्ट रूप से मैं उसको इस सदन में रख नहीं सकता। केवल इतना कह सकता हूं कि वह कर्जा ऐसा था जिससे जिन्दगी के मजे उड़ाये गये। जब ऐसी भावनाओं से वह कर्जा लिया गया तो आज इंसाफ की दुहाई दी जा रही है और आज भी वे क्या कर रहे हैं। यह वाकयात हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। आज भी मौरूसी और भूमिधरों की जमीन पर उनके आदमी दिनदहाड़े जबरदस्ती कर लेते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि उनके पास जो काफी जायदाद थी उस को भविष्य में उनको बचाना है। अगर उनके तरीके ऐसे ही रहे तो किसी भी हुकूमत के लिये उनकी जायदादों का बचाना मुश्किल हो जायगा।

इन शब्दों के साथ इन तमाम बातों को विचार करने के बाद मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वे यह भी कहते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों ने जो हमें कर्जा दिया है वह भी माफ कर दिया जाय। कोआपरेटिव सोसाइटी है क्या, आपने इस पर गौर नहीं किया। कोआपरेटिव सोसाइटी गांव का वह संगठन है जिसमें गांव के गरीब किसान उसके सदस्य होते हैं। सदस्यता का एक दो रुपया दे कर कुछ पैसा जमा करते हैं और वह लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं वह सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लेती है और उसका वे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जो जनता के आन्दोलन की सोसाइटियां, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स हैं उनका कर्जा भी माफ होना चाहिये। यह सब से बड़ा मखौल करते हैं, मज़ाक करते हैं और मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये करते हैं कि यह सरकार थोड़ी सी उनके लिये नर्म दिल रखती है। थोड़ी सी गरमी अगर इधर से टपक पड़ती, अगर थोड़ी चमक इधर से हो जाती और फिर वह वाकयात जो दुनियां में हुये हैं उनकी झलक दिखायी पड़ती तो जो कुछ आज पास है उसी को बचाने की फिक्र पड़ती। आज वह जनता का आंदोलन तोड़ना चाहते हैं कर्जे की माफी के बहाने यह जानते हुये भी कि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत उम्दा और अच्छी नहीं है, और चाहते हैं कि जो पुराने जमाने में अपने ऐश के लिये जो पैसा लिया था आज उसको भी सरकार से माफ करा लें। मालूम पड़ता है कि जैसे पुराने आंदोलनों में बड़ा भाग लिया था इस देश के आजाद करने में। इस सरकार को इतनी मदद पहुंचाई थी कि वह देश आजाद हो गया और उसके इनाम में उनको माफी मिलनी चाहिये इस कर्जे की। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं सोचते हैं कि हजारों और लाखों मुल्क के नौजवान जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में शामिल हुये थे उन्हें यह सरकार कुछ नहीं दे पाई है, यह सही है अपनी जगह पर। उसका ख्याल नहीं

करते हैं। उसको छिपाते हैं। उनकी सेवाओं को अलग करने के बाद अपनी उन सेवाओं के बदले आज प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से चाहते हैं कि पुरस्कार, जबकि उस हैलेट रेजीम के साथ, जिसका नाम मजाक के सिलसिले में मेरे मित्र ले रहे थे, उस हैलट और बटलर और न जाने क्या-क्या नाम हैं मुझे याद नहीं उनकी दोस्ती लम्बी और पुरानी है। उनका साथ देने के बाद, उसका आज इनाम चाहते हैं और यह कहने की हिम्मत करते हैं कि हमको लूट लिया गया, हम बेकार हो गये हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमको खड़ा रखिये? यह कहां का इंसाफ है? किसने लूटा उनको और क्या लूटा यह बात समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में उनको तो सब कुछ दे करके यह सरकार जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोर हुई, जो कुछ थोड़ी-बहुत गालियां उसको खानी पड़ीं कि इनको मुआविजा मिले, तो गालियां हम खाये दो वर्ष तक मुआविजा वसूल करने के लिये, सारी की सारी कांग्रेस संस्था और सरकार दो वर्ष तक गालियां खाती रहे, मालूम होता था कि कहीं रिश्तेदारी में गये हुये हैं और वहां गालियां मिल रही हैं, तो वह गालियां खाना अच्छी लगीं थीं, कुछ अपने लोगों की गालियां थीं, तो गालियां हम खायें और मुआविजा उनको मिले और फिर आज आ करके यह कहें कि आपने हमको इस जगह पर ला दिया है कि हमारे लिये कुछ और प्रबंध कीजिये। आप लोगों के लिये सारा इन्तजाम हुआ, सब कुछ दिया गया, फिर भी आज आप बेइंसाफी की दुहाई देते हैं। आप जरा अपनी पुरानी किताबों को निकाल कर देखिये कि क्या इन्साफ था और गौर कीजिये कि क्या इंसाफ था। दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष किसानों को बेदखल करना, नजर लेना, मुर्गा बनाना डंडे मारना बेंत मारना, यही इंसाफ था। आज उन इंसाफ के पन्नों को भूल गये? और जब यहां से इतनी चीजें दी गयीं फिर भी बेइंसाफी की दुहाई ?

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में उनसे प्रार्थना करूंगा कि भइया, आपके काम बहुत अच्छे नहीं थे। जो बचे उसको ले करके चुपचाप घर में बैठो और अगर ज्यादा झंझट किया तो वह भी चला जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाई साहब से हमारे माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ बैठे हुये हैं, उन्होंने यह दरयाफ्त करना चाहा था कि वह कर्ज किस लिये लिया गया। श्रीमन्, उनको थोड़ी सी लज्जा आई, लेकिन मैं साफ-साफ बता दूं कि बहुत से जमींदारों ने, यह सही कि मद्यपान के लिये लिया, व्यभिचार के लिये लेकिन बहुत से जमींदार ऐसे थे कि जिनको सही जरूरत थी और उसकी पूर्ति के लिये लिया और जहां पर यह कहा जाता है कि कौन से जमींदार और ताल्लुकेदारों के खाने वाले थे तो हुजूर वाला, वह बहुत से ऐसे हैं कि उन्होंने खा लिया, पी लिया और अब उसके बाद रंग बदले हुये हैं और नैतिकता की आवाज बुलंद किया करते हैं। यह भी शिकायत है कि जमींदारों के पास सीर है खुदकाश्त है और बागात भी हैं। अगर वे यह चाहते हैं, अगर दिल उनका पूरा नहीं हुआ है तो सीर भी लें, खुदकाश्त भी लें और बागात भी लें। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से आप सीर पर और खुदकाश्त पर लगान बांधने के लिये उतारू हुये हैं उससे जमींदार खुद भाग कर वह जमीन आपके सुपुर्द कर देगा जैसे कि ठेकेदारों की या उन लोगों की जिनकी आमदनियां काफी थीं ऐग्रीकल्चरल इंकम टैक्स बांधकर के कमर तोड़ डाली थी और महज एक जमींदारी का नाम रह गया था और सारी आमदनी सरकार के घर जाती थी।

तीसरी बात आप यह फरमाते हैं कि गवर्नमेंट सख्त नहीं है। थोड़ी सी अगर सख्ती बरती जाय तो इन जमींदारों की जबान ब हो सकती है। हमारे लिये उच्च कोटि की कृपा और रियाअत की इंतहा की गयी है, यह सच है या गलत है यह भविष्य बता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

सकेगा। यह दुनियां देख सकेगी कि इस सरकार ने जमींदारों के साथ क्या किया है। आप यह कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया, हम कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। अब तुर्रा यह है कि हम चाहते तो जमींदारों को मुआविजा भी नहीं देते। मैं यह कहता हूं कि अगर कान्सटीट्यूशन में आर्टिकल ३१ नहीं होता तो इसमें शुबहा नहीं है कि आप मुआविजा नहीं देते।

एक सदस्य--आप ही ने बनाया है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--यह कहा जाता है कि हमने बनाया है। नहीं साहब, बनाया तो आप ही लोगों ने है लेकिन कुछ मजबूरियां थीं जिनकी वजह से आप मुआविजा हड़प नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि इंसाफ क्या है। इंसाफ की परिभाषा यह हो सकती है कि जस्टिस को आप दूसरी तरह से डिफाइन करें और उसको दूसरा स्वरूप दें लेकिन श्रीमन् जहां पर एलिमेंट्री प्रिन्सिपल आफ जस्टिस का प्रश्न है, जहां पर नैसर्गिक न्याय का प्रश्न है उस जगह पर दो मत होना असंभव सा प्रतीत होता है। यह कहना कि जमींदारों के साथ सख्ती की जाय, आज जमींदार छाती खोले हुये तैयार बैठा है कि चाहे अन्याय उस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो वह बरदाश्त करने के लिये तैयार है। जो कुछ उसके पास था वह तो आप लोगों ने ले लिया अब ८ गुना मुआविजा आप देने जा रहे हैं। मैं आप से यह कहता हूं कि पांच वर्ष के बाद यह कांग्रेस मिनिस्ट्री यह कहेगी कि हममें वह एलिमेंट आ गया है जो मुआविजा के लिये तैयार नहीं है। इनकी तो दूर रहो यह मुद्दतों के बाद आयेंगे लेकिन इसी तरफ के लोग पांच साल के बाद यह फरमाना शुरू कर देंगे कि एक ऐसा एलिमेंट हमारे अन्दर आ गया है जो यह चाहता है कि आप के पूर्वजों ने चार करोड़ रुपया कमा लिया है और हमें जो कुछ देना था वह दे दिया, अब आपको क्या जरूरत है। हमारे मिनिस्टर महोदय तब यह फरमायेंगे कि भाई देखो, हमने तुम्हारे लिये बहुत कुछ किया और अब तुम मुझसे किस मुंह से मांगते हो। मशकूर तो हम हमेशा रहेंगे लेकिन यह बात सचमुच सही है कि हमको तकलीफ हुई है और यह मानव स्वभाव है कि आदमी जो थोड़ा सा दुखी होता है तो संभव है कि वह उतना संयम न रख सके जितना होना आवश्यक होता है। वैसी दशा में अब दूसरी तरफ सब कुछ अपहरण करने के बाद अन्याय न सही न्याय करने के बाद, आप हमारी जबान बन्द कर देना चाहते हैं। अगर जमींदारों को आप जेलखाने में ले जाना चाहते हैं तो ले जाइये, मुआविजा खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिये और जिस तरह हमारे माननीय सदस्यों की ज्वाला की भीषण अग्नि को तृप्ति और शान्ति पहुंचे वे जमींदार के खून से शांति कर लें। अब वह मौका नहीं आयेगा जब कि जमींदारों को जबा किया जा सकेगा। अभी अर्बन एरिया की जमींदारी और बची हुई है वह भी दो चार दिन के बाद मंत्री महोदय सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे और वह भी हमेशा के लिये समाप्त हो जायगी। रूस की दुहाई दी जाती है चीन की दुहाई दी जाती है। मैं यह कहता हूं कि जमींदारों को हलाक करने के लिये आज चीन आपको पसन्द है लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या चीन कि और भी चीजें आप मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जो अच्छी चीजें हैं उनको मानने के लिये तैयार हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--अब अच्छी और बुरी की परिभाषा संसार में कौन करे। श्रीमन् वैसे तो आप कम्युनिज्म के नाम से भागते हैं, वह आपका सब से बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब कि मुआविजा न देना हो तो चीन के उसूल, रूस के उसूल आपको प्रिय लगते हैं। क्या हमारे माननीय सदस्य जो कि उसूलों की बात अभी कह रहे थे क्या उनका

उनका यही रहा कि जहां पर उनका हित हो जो उनको प्रिय हो तब तो रूस की दुहाई दें साम्यवाद उनको प्रिय लगने लगे नहीं तो वह बुरी चीज है ? ऐसी बातें इस सदन में कहना जिसका कोई प्रयोजन न हो हम नहीं कह सकते कि इससे वे कहां तक इस सदन की इज्जत को रख सकेंगे, भगवान ही जाने । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री को यह मेरा कहना कुछ बुरा मालूम हुआ क्योंकि उनके मुख पर एक तरह की लालिमा थी जब मैं यह कह रहा था। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं । मैं उनसे यह कहूंगा कि वह जरा ठंडे दिल से सोचें तो समझेंगे कि उस जगह की बजाय आज वे मेरी जगह पर बैठे होते तो शायद वही चीजें कहते जो आज मैं कह रहा हूं। अब इन थोड़े से शब्दों से मैं समाप्त करना चाहता हूं और फिर आखिरी अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को वह मजाक न समझें, यह एक तमाशा न समझें जब कि एक जमींदार बुज निकाल रहा है बल्कि मैं यह बता रहा हूं कि अब जमींदार के पास कोई सहारा न होते हुये एक मजबूरी सी है कि वह ऋण चाहे जिसका हो उसके वाकित में कोई उन्नति और वृद्धि नहीं होती ।

श्री चरण सिंह—मुझको कुछ कहना नहीं है ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (१), (२) तथा (४) निकाल दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री लक्ष्मी रमण आचार्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं। संशोधन इस प्रकार है :—

खंड २ के उपखंड (घ) के भाग ६ की पंक्ति १ में शब्द 'संरक्षित व्यक्ति' के स्थान पर शब्द "व्यक्ति" रख दिया जाय। जो पहले विधेयक सेलेक्ट कमेटी से जिस प्रकार आया था था उसमें शब्द थे "संरक्षित व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो"। संरक्षित व्यक्ति से मतलब वार्ड्स है। तो इंटर कोर्ट आफ वार्ड्स में जो ट्रैन्जैक्शंस हुये हों वही इसमें सुरक्षित किये थे। लेकिन ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जब कि किसी वार्ड का राज्य उस समय कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत रहा हो जिस समय को कर्जा दिया गया हो। और बाद को वह राज कोर्ट आफ वार्ड्स से मुक्त हो गया हो और आज वह कर्जा किसी कोर्ट आफ वार्ड्स के जिम्मे हो तो इस तरह का कर्जा भी इसमें आ जाना चाहिये। इस तरह के कर्जे लाने के लिये शब्द 'संरक्षित' निकाल कर सिर्फ व्यक्ति रख दिया गया है। इससे यह हो जायगा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट आफ वार्ड्स रहा हो उस जमाने में जब कि कर्जा दिया गया था और जब कि कोर्ट आफ वार्ड्स में राज था। आज उनकी रियासत मुक्त हो गई है तो उनके द्वारा जो कर्जा दिया गया था वह इस दफा २ के मातहत आ जायगा। इसलिये यह संशोधन आवश्यकीय हो गया है। हमारी समझ से यदि संशोधन उपस्थित न किया जाता तो बहुत बड़ी हानि की सम्भावना थी क्योंकि वह व्यक्ति नाबालिग रहा है, या पागल रहा है या किसी तरह की उसमें डिसएबिलिटी रही है, कोर्ट आफ वार्ड्स के मातहत रहा है तो उसको कर्जा देने की जिम्मेदारी कोर्ट आफ वार्ड्स पर रही है। तो उसके चले जाने से उसके साथ अन्याय होगा। इसलिये यह निहायत आवश्यक है । मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री चरण सिंह—यह संशोधन मुझे स्वीकार है। सिलेक्ट कमेटी का मंशा यह था कि अगर उन्होंने एक वार्ड की जायदाद से कर्जा लेकर दूसरे वार्ड को दे दिया है तो वह मुस्तस्ना रहना चाहिये चाहे आज वह शख्श वार्ड हो या न हो। लेकिन जो लफ्ज थे, जो सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आई है। अगर वही लफ्ज संरक्षित व्यक्ति रहें तो

[श्री चरण सिंह]

इस तरह से मतलब निकाला जा सकता है। उसके कर्जे को मुस्तस्ना करने के लिये जरूरी है। आज भी वह वार्ड है यह उसकी मंशा नहीं है। केवल मंशा यह थी कि जब कर्जा दिया गया तो उस वक्त वार्ड हो। चाहे आज उसका स्थान मुक्त हो गया हो या न हो गया हो। इसलिये यह मुनासिब है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से शाब्दिक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहले तो यह है कि लक्ष्मी रमण जी की ओर से जो संशोधन रखा गया है उसमें कहा गया है कि संरक्षित व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति रख दया जाय, खाली व्यक्ति रख देने से असंगत होगा। कोई शब्द और इससे पहले होता तो ज्यादा स्पष्ट होता। इसके बाद दूसरी पंक्ति में यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्तियों को दिया गया हो। यहां पर कोई के रहने से संरक्षित व्यक्ति आ जाता है और वह व्यक्ति भी आ जाता है। केवल संरक्षित व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो।

श्री चरण सिंह---मैं माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूं कि ऊपर आया है। "खंड (घ) का आखिरी लफ्ज है कि निम्नलिखित ऋण नहीं है"

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार
(२) स्थानिक अधिकारी की
(३) शेडयूल बैंक
(४) सहकारी संस्था

(५) वक्फस, न्यास या निबन्ध जो केवल दोनोंत्तर अथवा धर्मोत्तर हों, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी यह नहीं कि कोई सहकारी संस्था या कोई शेडयूल बैंक वगैरह ऐसा नहीं आया है। इसलिये व्यक्ति के साथ एक या कोई जोड़ना अनावश्यक है।

दूसरी बात वह चाहते हैं कि संरक्षित व्यक्ति के बाद दूसरी पंक्ति में जो संरक्षित शब्द आया है उसको हटा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--निकालना नहीं चाहता, बल्कि यह कि यह संरक्षित व्यक्ति के ही लिये है या कोई भी व्यक्ति के लिये है।

श्री चरण सिंह---संरक्षित व्यक्ति के लिये ही है। लेकिन उसकी तरफ से कर्जा संरक्षित व्यक्ति को दिया गया है चाहे आज वह संरक्षित हो या न हो। कर्जा लेते वक्त वह संरक्षित हो।

उपाध्यक्ष---शब्द 'वार्ड' का क्या होगा।

श्री चरण सिंह---'वार्ड' शब्द निकल जायगा। दूसरी पंक्ति में शब्द 'संरक्षित' के सामने वार्ड कर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (६) की पंक्ति १ में शब्द 'संरक्षित व्यक्ति' के स्थान पर शब्द 'व्यक्ति' रख दिया जाय तथा उसी पंक्ति में कोष्ठकों सहित शब्द (Ward) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं खंड २ के उपखंड (घ) के भाग (६) के बाद निम्नलिखित नये भाग (७) तथा (८) बढ़ा दिये जायं:--

(७) भारतीय बीमा अधिनियम सन् १९३५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड बीमा कम्पनियां,
(८) विधवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह विश्वास था कि आज जो भाषण जमींदार पक्ष की तरफ से मेरे दोस्तों के होंगे उनमें माननीय चरण सिंह जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद दिया जायगा परन्तु मुझे अफसोस है कि आज के भाषण जो इस पक्ष की तरफ से हुये वे अत्यन्त खेदजनक और दुख को पैदा करने वाले थे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। श्रीमान् आपके जरिये यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों में से कोई यहां पर कुछ कहे वह किसी तरह से जमींदारों की आवाज नहीं समझी जा सकती। जमींदारों पर यह अनर्थ नहीं होना चाहिये। जो कुछ कहा जाय वह हम लोगों के लिये कह लिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव--मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई जो उस तरफ भाषण हुये उसकी ताईद नहीं करते और मुझे उनके इस क्लेरिफिकेशन से प्रसन्नता हुई। परन्तु एक बात है और वह यह है कि जमींदारों के लिये जो कुछ किया गया वह, अन्याय हुआ, जुल्म हुआ और उनके लड़के पोते यह करेंगे, वह करेंगे यह होगा और वह होगा, यह सब कुछ जो कहा जाता है, इस सदन में वह कहां तक उचित है? माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं कोई अप्रिय शब्द इस सदन में नहीं कहना चाहता और विशेषकर जब कि जमींदारी प्रथा का अन्त हो चुका है परन्तु मैं अपने उन भाइयों को यह याद दिलाना चाहता हूं जिस त्याग की बात हैं वे कहते हैं उनको यह याद होना चाहिये कि यह बड़ी-बड़ी जमींदारियां आखिर इस देश में किस तरह से प्राप्त की गई थीं।

१८५७ में आजादी के लिये लड़ने वाले लोगों की जमींदारियां छीन कर जमींदारों को यह मिली थीं। उसके बाद १९३० में स्वतंत्रता के अहिंसक सेवकों पर लाठियों की बौछार के इनाम में यह इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट और एग्रीकल्चरल ऐक्ट प्राप्त किया था, जिसके जरिये से करोड़ों और लाखों रुपया इस देश का लूटा गया। उनकी कहानियां आज भी हमको याद हैं और हम यह भूल नहीं सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने १८५७ में हमारे उन लोगों से जो स्वतंत्रता के लिये लड़े, उनसे जमींदारी छीन कर उन लोगों को दी जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की और यह भी हम भूल नहीं सकते हैं कि १९३४ में इन्कमबर्ड स्टेट एक्ट के जरिये हमारे देशवासियों के साथ क्या-क्या जुल्म हुये थे और हमारे भाइयों से करोड़ों और लाखों रुपया लूटा था तो वह त्याग और तपस्या की कहानी जो कही जाती हैं वह तो हिस्ट्री बतलाती है कि आपने कितना त्याग किया है। मैं छोटे जमींदारों की बात मान सकता हूं, लेकिन आप तो अपनी जमींदारियों का रुपया प्राप्त कर चुके हैं जो अपनी जमीदारियों पर कर्जा ले चुके हैं और जिनको आज यह सुविधा प्राप्त है कि उस ऋण को कम करके उसमें से भी कुछ आपको दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा आपका त्याग है? क्या यह भी सही नहीं है कि बहुत से जमींदार अपनी जमीदारियों को बेच कर एक बड़ा हिस्सा पहले ही पेशगी रुपया में प्राप्त कर चुके हैं और कुछ हिस्सा रख कर इस कानून का भी फायदा उठाना चाहते हैं। मैं उन भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि जहां आप न्याय ही बात कहते हैं और त्याग की बात कहते हैं वहां इस बात को भी देखिये कि अगर आपने कर्जा लिया और वह रुपया आपके पास नहीं रहा तो इसका दोष किस पर है? इसका दोष तो आपके ऊपर है जिन्होंने पैसा लेकर गुलछर्रे उड़ाये और रंगरेलियां कीं। क्या इसमें दोष कांग्रेस सरकार का है या माननीय मंत्री जी का है?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--यह बातें आपने कीं या सरकार ने कीं?

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं श्रीमन् आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि अगर यह अधिनियम बनाकर जमींदार साहबान को कुछ सुविधा दी जा रही है तो उनको तो सरकार का आभारी होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष--'आप' शब्द के प्रयोग से भ्रांति हो सकती है।

श्री देवकीनन्दन विभव--आपके द्वारा मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बीमा कम्पनियों का संबंध है इस समय देश के अन्दर बीमा कम्पनियां सभी नेशनलाइज्ड हो चुकी हैं। उनके पैसे के एक बड़े भारी भाग सरकार के कहने के अनुसार लगाया जाता है और उसका संचालन भी सरकार के कहने के अनुसार ही होता है। उन कम्पनियों का पैसा अधिकतर गरीब आदमियों से ही प्राप्त होता है जो छोटी-छोटी नौकरियों पर रहते हैं और किसी तरह से वहां से पैसा बचाकर अपने बुढ़ापे के लिये इकट्ठा करते हैं वाद म्युचुअल कम्पनी में १०० फीसदी उसका जितना लाभ होता है वह उन्हीं ग़रीब लोगों को चला जाता है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि बीमा कम्पनियों का कोई ज्यादा तादाद में रुपया ज़मीदारी ऋण में नहीं है लेकिन फिर भी ऋण ऐसे हैं जिससे बीमा कम्पनीज़ पर असर पड़ेगा। जिस तरह से शिड्यूल बैंक की बात है तो टेक्निकल प्वाइंट जो बैंक के साथ है वही इन बीमा कम्पनियों के साथ है। अगर इन्श्योरेन्स कम्पनीज को अलग न किया गया तो सम्भव है यह अधिनियम ही बेक़ानूनी हो जाय या इस पर मुक़दमेबाज़ी हो। एक और अपील मैं करना चाहता हूं और वह बात यह है कि विधवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाय और मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसको हमारे जमींदार भाई भी खुशी स्वीकार करेंगे। इस देश में कुछ विधवायें हैं जो निराश्रित हैं और बहुत से केसेज़ में बहुत थोड़ा-थोड़ा रुपया उनके पास है और वही उनका आश्रय है तो यदि उनका यह रुपया भी कम किया गया तो उन पर बड़ा अन्याय होगा और विशेष कर उन ज़मींदार भाइयों के लिये जिनके पास बड़े बड़े साधन हैं और मैं सोशल जस्टिस के लिये कहता हूं कि उन विधवाओं को छोड़ देना चाहिये। एक आपत्ति इस पर उठाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि विधवाओं के नाम पर और क़र्ज़े भी पास किये जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह असम्भव है। जो पहले क़र्ज़े हैं वह सब लिखे-पढ़े हैं उनमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिये यह शंका निर्मूल है। इसलिये मुझे आशा है कि इस सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा, क्या जमींदार क्या सोशलिस्ट भाई और कांग्रेस पक्ष के बारे में तो कहना ही क्या है कि जो विधवाओं के केसेज़ पर अपना हाथ न उठावें।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। जहां तक इंश्योरेंस कम्पनीज़ का संबंध है वह तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को क़र्ज़ा दे ही नहीं सकतीं। उनका जो क़ानून है उसकी एक धारा के अनुसार तो जितना रुपया इंश्योरेंस कम्पनियों के पास होता है उसमें से ५५ फीसदी रुपया गवर्नमेंट सीक्योरिटीज़ में या ऐसी सीक्योरिटीज़ में जिनको गवर्नमेंट एप्रूव करती है और बाक़ी ४५ प्रतिशत रुपया में से केवल जिन लोगों ने अपनी पालिसियां उस कम्पनी में ली हुई हैं उनके आधार पर यानी उनकी जमानत पर उन पालिसी होल्डर्स को क़र्ज़ा दिया जा सकता है या बैंकों को कर्ज़ा दिया जा सकता है और किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता इसलिये कोई ज़मींदार इन्टरमीडियरी किसी इंश्योरेंस कम्पनी का क़र्ज़दार नहीं हो सकता। इसलिये यह संशोधन ग़ैर ज़रूरी है।

दूसरे जहां तक विधवाओं के लिये कहा गया, उसमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं। एक यह कि क़र्ज़ा जिस वक्त लिया गया था उस वक्त विधवा थी या आज विधवा है। बिल में आप देखें तो यह है कि "जो वाजिब हो या जो उसके पति ने दिया हो, तो विधवा के क्या मानी हों।" अब प्रश्न यह है कि विधवा कौन हो? आया वह विधवा जिसके १० जवान लड़के हों कमाने वाले। मां-बाप में से बाप मर गया हो, बेटे रह गये हों जिनमें ३-४ मालदार हों और अपना रोजगार कर रहे हों उनकी मां रह गयी हो वह विधवा तो क्या इससे यह मतलब है कि उनका क़र्ज़ा न घटाया जाय और जिस आदमी ने क़र्ज़ा दिया है अगर वही मौजूद हो तभी वह घटाया जाय या यह मान लिया जाय कि वह विधवा है, जो उस समय विधवा हो जब वह ऐक्ट

पास हो लेकिन अगर वह बाद में शादी कर ले तो ? वह विधवा रहेगी या न रहेगी। यह भी एक कठिनाई है । जो विधवा ऐसी होती हैं जो शादी नहीं करतीं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है लेकिन ऐसी विधवा क़र्ज़ा वग़ैरह नहीं देती हैं। पड़ोसी को भी वह मालूम नहीं होने देतीं । उनके क़र्ज़े घटने की नौबत ही नहीं आयेगी । अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें सूची में जोड़ेंगे तो सूची बहुत लम्बी हो जायगी । इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशेष कठिनाइयां भी हैं तथा वैसे भी मैं उसको उचित नहीं समझता । वैसे विधवा का नाम ही ऐसा है जिस पर समाजवादी या और भी किसी दल का हो सबको सहानुभूति हो आती है खासतौर से हिन्दुओं में जिनमें विवाह नहीं होता है लेकिन मैं समझता हूं यहां यह सवाल ठीक नहीं है इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव--उपाध्यक्ष जी इंश्योरेंस कम्पनीज़ के संबंध में जो राजस्व मंत्री जी ने कहा है उस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के अन्तर्गत सिर्फ ५५ फीसदी सरकार की सिक्योरिटीज़ में जमा करना पड़ता है और ४५ प्रतिशत दूसरे क़र्ज़ों में कम्पनी दे सकती है और वह दूसरे क़र्ज़े दिये जाते हैं । यह मुझे मालूम है कि कुछ कम्पनियां ऋण देती हैं। मैं भी एक कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। वह कम्पनी तो कर्ज़े नहीं देती थी, लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरी कम्पनियों ने ऐसे क़र्ज़े दिये हैं और अब भी उनके कुछ क़र्ज़े ज़मींदारों के पास होंगे।

श्री चरण सिंह--मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिये से माननीय सदस्य का ध्यान इंश्योरेंस कम्पनीज़ ऐक्ट की धारा २९ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है --

"No insurer shall grant loans or temporary advances either on hypothecation of property or on personal security or otherwise eccept loans on life policies issued by him within their surrender value to any director, manager etc.,

Provided that nothing here in contained shall apply to loans given by an insurer to a banking company."

अतः जिन आदमियों को क़र्ज़ा दिया गया है हो सकता है उनमें कुछ ज़मींदार भी हों लेकिन यह क़र्ज़ा उनको उनकी पालिसी की ज़मानत पर दिया गया होगा इसलिये उसको घटाने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री देवकीनन्दन विभव--कानून में जो प्राविज़न है वह केवल ५५ फीसदी की लाइबिलिटी पर है अगर यह जो संशोधन हुआ है यह बाद को हुआ है इससे पहिले भी बहुत से क़र्ज़े दिये गये हैं।

विधवाओं के संबंध में मेरा कहना यह है कि मेरा मतलब उसी विधवा से है जो अकेली है। आख़िर जिसके लड़के हैं वह तो अकेली नहीं रही।

श्री चरण सिंह--वह विधवा हुई कि नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव--मेरा मतलब तो सिर्फ़ उन्हीं विधवाओं को प्रोवाइड करने से है जो कि अकेली रह गयी हैं। तो मेरा खयाल यह था कि माननीय मंत्री जी इसको देख लेते और यदि वे समझते कि यह अनुचित है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ९ और ११ नम्बर के दोनों संशोधनों को साथ साथ पेश कर देते तो अच्छा होता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग लेने से थोड़ी ग़लतफ़हमी होती इसलिये मैंने भी तय किया था कि इसको साथ ही लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति १ से शब्द "पुनर्वासन अनुदान" निकाल दिये जायं।

खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (ङङ) बढ़ा दिया जाय।

(ङ) 'पुनर्वासन अनुदान' का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है, जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो"।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब है कि ऐसा पुनर्वासन जो कि २५० रुपये से कम के जमींदार को मिलता हो, वह ऋण की अदायगी के लिये इस्तेमाल न किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, काफ़ी देर से इस विधेयक पर विवाद हो रहा था और हमारे दल के लोग बिलकुल चुपचाप दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे। आज मुझे इस बात को देख कर खुशी हुई जब कि माननीय राजस्व मंत्री और माननीय रामनरेश शुक्ल ने हमारे दिल की बात कही। हम तो पहले ही से बतलाते थे कि आप ग़लती पर ग़लती किये जा रहे हैं। इनके लिये आप लोगों ने ऐसी ग़लतियां की लेकिन ये एहसान मानने वाले नहीं हैं। जिस समय हमने यह कहा कि कम्पेनसेशन देने की बात बिल्कुल न की जाय उस वक्त इन्हीं लोगों की हमदर्दी के लिये हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी जो कि जाहिर है कि आज कई सदस्यों ने अपने दिलों के उद्गार निकाले हैं कि वे यह दिल से नहीं चाहते थे लेकिन कुछ विधान की मजबूरियां थीं, कुछ और दिक्क़तें थीं जिनसे न चाहते हुये भी उनको दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इस विधेयक को देख कर मैं तो चाहता था कि हमारी तरफ से इस विधेयक का ही विरोध किया जाता तो अच्छी बात होती क्योंकि इस विधेयक में हर क़िस्म के जमींदारों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। यह हमारी बात नहीं है, कांग्रेस सरकार की ही पुरानी बात है। हमेशा से कांग्रेस मंच से जब हम और हमारे सरकारी दल के लोग साथ थे, यह बात कही जाती थी कि २५० रुपया तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को हम किसान ही समझते हैं। तो यह विधेयक सिर्फ उन लोगों के लिये ही होता तो हम उसका हार्दिक स्वगत करते। लेकिन यह भूल भी कांग्रेस सरकार की तरफ़ से ही की गयी है। दूसरी बात यह कि हर जमींदार चाहे लखपति हो, करोड़ पति हो, चाहे हजारों बीघे सीर उसके पास हो, लाखों की सम्पत्ति हो, कम्पनियों में शेयर्स हों, बैंकों में शेयर्स हों, मिलों में शेयर्स हों, उसके साथ भी वही व्यवहार किया गया है जो कि एक ग़रीब जमींदार के साथ किया गया है। अगर इस फ़र्क के साथ यह विधेयक लाया जाता तो सम्भवतः हम दोनों एक तरफ होते और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन एक मौका अपना संशोधन उपस्थित कर के मैंने फिर सरकारी दल के लोगों को दिया कि जो वे भूल पर भूल कर गये हैं, वह आप की ही बात है और उस समय की बात है जब हम और आप साथ थे और जब बड़े भारी प्रतिक्रियावादी शासक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम जंग कर रहे थे। उस समय हम यह कह रहे थे जब कि आज कांग्रेस सरकार की इन तमाम रियायतों के बावजूद भी उसको भला बुरा कहने वाले ये जमींदार उसी प्रतिक्रियावादी सरकार के अखाड़े में थे और हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में आप की पुरानी बातों को याद दिलाते हुये मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। यह संशोधन का सीधा सादा मतलब यह है कि २५० रु० से जिनकी कम मालगुजारी होती थी उनका जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है उनकी वह रक़म इस क़र्ज की अदायगी के लिये न इस्तेमाल की जाय और इसमें एक बहुत बड़ा उसूली मतभेद है क्योंकि प्रतिकर से तो हम सहमत हो सकते हैं कि आप उसको क़र्ज की अदायगी के लिये दें तो हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम तो कम्पेंसेशन देना नहीं चाहते थे

इसके बावजूद अगर कम्पेंसेशन को किसी ऋणदाता के कर्ज अदायगी में दिला देते हैं तो हमें उससे मतभेद नहीं है । लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट वह तो इसलिये दिया गया था कि उनको फिर से बसने का मौका दिया जाय। जब प्रतिकर का सवाल उठा था तो हमारी तरफ से कहा गया था कि प्रतिकर न दिया था लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय और पुनर्वासन के लिये एक बड़ी दलील थी उसके पीछे एक लाजिक थी कि एक नयी व्यवस्था सरकार लाने जा रहे हं और उसमें ढाई सौ नीचे वाले ऐसे जमींदार हैं मुझे बस्ती ज़िले की हरैया तहसील के आंकड़े याद हैं जिसमें १ लाख २६ हजार जमींदार ऐसे हैं और उनमें भी ऐसे जमींदार हैं जिनके खाते ६,६ पैसे और १,१ आने के थे और जिन्होंने आज तक सरकारी खजाने में मालगुजारी नहीं जमा की उनसे बड़े खातों वालों से ही मालगुजारी ली जाती थी तो ऐसी सूरत में २५० रुपये वालों को अगर देखा जाय कि मुनाफा कितना हुआ तो वह भी बहुत कम । ऐसी सूरत में इस संशोधन द्वारा हम यह प्राविजन लाना चाहते हैं कि २५० रुपये से नीचे वालों का जो पुनर्वासन भत्ता दिया जाय वह न लिया जाय । पुनर्वासन भत्ता तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिये, ट्रांजीशनल पीरियड में उनके लिये नये सिरे से काराबार करने के लिये दिया जाता है । एक जगह से डिस्प्लेस कर देने, एक स्थान से अपदस्त कर देने के कारण दिया जाता है ताकि वह छोटे मोटे रोज़गार करके आटे की चक्कियां चला करके, १०,१५ आदमी कोआपरेटिव सोसाइटी वगैरह बना कर अपना रोज़गार कर सकें और नये सिरे से अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकें इसलिये दिया गया था वह पुनर्वासन अनुदान जो उनको नये सिरे से बसने के लिये दिया गया था अगर सूद खोरों को दे दी जाय तो वह ज्यादती होगी और सूदखोरों का नाम लेते समय तो मुझे फ्रान्टियर के काबुलियों की याद आ जाती है जो एक सौ रुपया कर्जा देते थे और ४०,५०,७५ प्रतिशत सूद हर साल लेते रहे और न दे सके तो फिर उनसे जबरदस्ती वसूल कर लिया करते थे। किसान से और जमींदार ही सही क्योंकि जमींदार ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत मिस्लीड कर देता था। छोटा जमींदार भी जब राजा महाराजाओं के यहां जश्न देख कर आता था, बड़ी बड़ी बारातों से वापिस आता था तो उसको भी एक शौक पैदा होता था कि चाहे हमारा घर बरबाद हो जाय हम किसी न किसी तरीक़े से कर्ज उगाह कर कर्ज लेकर शानो शौकत से रहूं । वह यह नहीं समझ सका राजा साहब अयोध्या, राजा साहब जगम्मनपुर के मुकाबिले की बात क्यों की जाय और जब और कहीं कर्जा नहीं मिलता था तो वह काबुलियों से लेते थे और अगर कानून न बन जाता और कर्ज पिछले क़ानूनों से राइट आफ न हो जाते, तो प्रलयकाल तक कर्जा ही अदा होता और आप को उपाध्यक्ष महोदय मालूम है कि एक एक रुपये कर्जा का सौ-सौ रुपया होता था और वह कर्जा काबुलियों की ही तरह जमींदारों ने भी किसानों को खेतिहर मजदूरों को दिया १० रुपये के बदले ज़िन्दगी भर बिना खाना और कपड़े दिये रातो दिन उससे गुलामी कराते रहे और जब न मिले तो धमकी दे कर उसकी सारी चीज़ें रख लेते थे और कहते कि पुलिस से बन्द करा देंगे। ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मंत्री से मैं अनुरोध करूगा और सरकारी दल के सारे माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि यह मेरी बात नहीं है यह उनके दल की बात है। हमारे और उनके विचारों में आज मतभेद हो सकता है किसी बात पर लेकिन जब पुनर्वासन का प्रश्न आता है तो उस समय हम और वह एक ही हैं। नये सिरे से डिस्प्लेस्ड परसन्स को जो जमींदारी व्यवस्था को लाने की वजह से अपने कारोबार से अपदस्थ हो गये थे उनको फिर से दूसरा रोजगार दिलाने के लिये कारोबार कराने के लिये आप ने एक सहारा दिया । तो एक सहारा आप ने दिया । यह तो ऐसा ही होगा कि किसी अंधे को लाठी दी और जहां गली में पहुंचा कर लाठी छीन ली जाय और वह चारों खाने चित्त हो जाय । अंतरिम कंपेंसेशन के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते । क्योंकि हम मुआविज़े के खिलाफ़ हैं । २५० रुपये के कम के जो मालगुजार थे उनके लिये हमने और आप ने मिल कर एक रेखा खींच दी थी । मैं उसको याद दिलाता हूं । मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और सरकारी दलों के तमाम सदस्य अपनी पुरानी बातों को याद करें और जैसा संशोधन हमारा है उसको मंजूर करें और जो इस विधेयक में कमी रह गयी है छोटे जमींदारों के बारे में, उनके साथ भूल से जो ज्यादती हो रही है उसको दुरुस्त कर लें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं और मुझे सचमुच हार्दिक प्रसन्नता है कि आज बावजूद इसके चाहने के वह गलती न करें फिर भी वह हमको मदद पहुंचाने के लिये मजबूर हो गये या मुमकिन है कि वह गलती हो। समझ न पाये हों। खैर किसी न किसी प्रकार से यह हम लोगों के हित में है।

पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा यह दोनों चीजें बिलकुल अलग हैं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जब जमींदारों ने जमींदारी अबालिशन ऐंडलैंड रिफार्मस ऐक्ट को चैलेंज किया था तो उस वक्त उस पक्ष से बराबर कहा गया कि पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा दो अलग अलग चीजें हैं। पुनर्वासन अनुदान आप लोगों को इसलिये दे रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी मालगुजारी दस हजार से कम है और उसकी तादाद छोटे जमींदारों के लिये ज्यादा है और जैसे कि मालगुजारी बढ़ती जाती है पुनर्वासन अनुदान का मल्टिपिल भी घटता जाता है। पुनर्वासन द्वारा आप जमींदारों को रिहैबिलिटेड कराना चाहते हैं। इसमें भी अगर महाजनों का चंगुल आ फंसता है, महाजन तो श्रीमन्, बहुत रुपया खाये हुये हैं.....

श्री चरण सिंह—जैसे जमींदार।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, जमींदार तो खाये हुये हैं। लेकिन महाजन अगर हमें दो हजार देता था तो चार हजार का प्रोनोट लिखा लेता था। हम अपनी आदतों से मजबूर थे और इसलिये कि महाजन कहीं यह न कह दे कि हमने रुपया क़र्ज़ लिया है उसको एक हजार का प्रोनोट और लिख देते थे। ऐसी परिस्थिति में मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रिहैबिलिटेशन इस बेसिस पर न ट्रीट करें और यह किसी भी कर्जे में अटैचेबिल न किया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भवन के सम्मुख उपस्थित इस संशोधन के समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस संशोधन पर निवेदन करते हुये मैं इस अवसर का फायदा उठाऊंगा और आप के द्वारा कुछ माननीय राजस्व मंत्री और सरकारी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा।

श्रीमन्, ऊपर के भवन में चार साल मैंने जमींदारों का प्रतिनिधित्व किया और जब मैं वहां था उसी समय जमींदारी उन्मूलन विधेयक भी आया और पास हुआ। उसके बाद इस भवन में न मालूम कितने विधेयक जमींदार और काश्तकार से संबंध रखते हुये लाये गये और पास हुये, परन्तु मुझे खेद है कि किसी समय भी मैंने सरकार की ओर से और सरकारी दल के माननीय सदस्यों से वह बातें नहीं सुनी जो आज मैंने सुनीं। मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री को कुछ बातों पर जो इधर से कही गई हों, दुःख हुआ। इसका मुझे अत्यन्त दुःख और खेद है और वह इस लिये है, वैसे तो मुझे किसी के लिये अपोलोजाइज करना नहीं, परन्तु मुझे अत्यन्त खेद और दुःख इसलिये है कि इधर से जो कुछ भी कहा जाय और उसके जवाब में जो कुछ कहा जाता है, बार बार मेरे इस भवन में माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ कर अनुरोध करने पर भी वह भूल जाते हैं कि जो कुछ वह आक्षेप करते हैं, जो कुछ वह लांछन लगाते हैं, जो कुछ भी पाप किये गये हैं केवल ३९० जमींदारों ने किया है और उन ३९० जमींदारों को गालियां देते हुये, लांछन लगाते हुये, ३९० को पापी ठहराते हुये श्रीमन् कहां का यह न्याय है कि उन १८ लाख जमींदारों को जो ढाई सौ से नीचे के मालगुजार हैं, जिनके लिये पं० जवाहर लाल नेहरू से लेकर यहां के राजस्व मंत्री तक कहते हैं कि वह जमींदार जमींदार नहीं हैं, उनको भी बटोर लिया जाय? माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने बतलाया कि जमींदारों ने यह बड़े बड़े क़र्ज़े क्यों लिये थे। मैं थोड़े समय के लिये उनके इस भाषण का समर्थन करूंगा

श्री राम नरेश शुक्ल--मैंने नहीं बताया, अवधेश प्रताप ने बताया था ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--चाहे माननीय अवधेशप्रताप ने बताया था, चाहे आपने बताया कि यह क़र्ज़े क्यों लिये गये । श्रीमन्, आपके द्वारा क्या मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछ सकता हूं कि वह ज़मींदार जो ढाई सौ रुपये के मालगुज़ार हैं क्या उनके पास इतना रुपया है या इतने शैतान और बदमाश थे कि अपने ऊपर क़र्ज़ा लाद लिया , इसलिये कि वह जीवन और ज़िन्दगी के मज़े लूटें ? अभी माननीय प्रस्तावक महोदय ने बतलाया था कि छोटा जमींदार क़र्ज़ा क्यों कर लिया करता था । श्रीमान्, ग़लत चीज़ हो, यह मानता हूं, क्या काश्तकार शादी के ख़र्चों के लिये क़र्ज़ा नहीं लेता? हम लोगों को चाहिये कि अपने जीवन में परिवर्तन करें, अपने ट्रेडीशंस में परिवर्तन करें, शादी ब्याह में इतना रुपया खर्च न करें, परन्तु इसमें श्रीमन्, ज़मींदार भी ग़लती करता है, काश्तकार भी करता है । ढाई सौ से नीचे जो मालगुजारी देता है उसने ज़िन्दगी का कौन सा मज़ा लूट लिया होगा, कौन सा क़र्ज़ लिया होगा जो अनैतिक हो ? अब जो लांछन है, जो आक्षेप है, जो पाप है वह केवल १० हजार से ऊपर वालों पर रहा और वह हैं ३९०।

एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि हम वह उन छोटे जमींदारों के बारे में भूल जाते हैं जब यहां जमींदार महोदय बातें करते हैं। श्रीमन्, मैं भूलता नहीं। मैं तो बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि अपने माननीय सदस्यों से क्या ३९० को लेकर आप १८ लाख जो ढाई सौ से कम के जमींदार हैं उनका गला तो न घोटें, उनके ऊपर तो आप अन्याय न कीजिये, अनर्थ न कीजिये।

यहां पूछा गया, श्रीमन् कि जमींदारों ने आजादी की लड़ाई में क्या भाग लिया ? यह बात ३९० ज़मींदारों को मद्देनज़र रख कर कही जाती है, जब कि मैं यह कहूंगा कि यह जो छोटे छोटे जमींदार हैं यही कांग्रेस की नींव थे, जड़ थे और इसके समर्थन में उन्हीं के नेता जैसे श्री प्रकाश जी का नाम लूंगा कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है ज़मींदारों के लिये और कांग्रेस के बारे में। श्रीमान्, ज़मींदार शब्द कहा जाय, ज़मींदार का नाम आवे, तो यह ग़लत है कि केवल उन्हीं ३९० ज़मींदारों को माननीय सदस्य अपने ध्यान में रखें। क्या माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इस कांग्रेस दल में यहां पर ९० प्रतिशत ज़मींदार बैठे हुए हैं? तो क्या ये जमींदार रंडियों का नाच देखते हैं ? क्या यह ज़मींदार मोटरों पर घूमते फिरते हैं या औरों की तरह इन्होंने भी त्याग किया है, देश की सेवा की है और अब जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे जमींदार जो हैं वे ढाई सौ से चार सौ पांच-सौ तक के मालगुजार हैं, दस हजार के मालगुजार नहीं हैं। किस मुंह से श्रीमन् कहा जाता है कि ज़मींदारों ने क्या भाग लिया है इस देश की लड़ाई में। मैं कहता हूं कि ज़मींदार अगर भाग न लेते, सहायता न देते तो यहां पर कोई ताकत नहीं थी जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की सत्ता को यहां से हटा सकती। इसके कुछ कारण थे और कारण ये थे कि कौन भाग ले सकता था आजादी की लड़ाई में, कौन बर्सों जेल काट सकता था जिसकी बीबी और बच्चे मरने लग जायं अगर वह छै महीने के लिये भी जेल चला जाय। इस कारण यही लोग साथ दे सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैंने साथ दिया है या मैंने कोई त्याग किया है या राजा साहब जगम्मनपुर ने कोई त्याग किया है लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ज़मींदारों ने त्याग किया है, ज़मींदार लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, ज़मींदारों ने कांग्रेस का साथ दिया है और अब भी ज़मींदार कांग्रेस में हैं।

एक सदस्य--एक का ही नाम बता दीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--कुछ लोग नाम की सूची चाहते हैं। यह तो कहना मेरे लिये बेकार है कि दस हजार से ऊपर मालगुजारी देने वालों में भी कुछ लोग

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

ऐसे हैं जिन्होंने आपका बहुत बड़ा साथ दिया है। जो ऐसे ३६० जमींदार हैं मैं उनको आप ही के लफ्जों में थोड़ी देर के लिये कंडेम करता हूं। थोड़ी देर के लिये आप जो कुछ कहते हैं उसको मानता हूं और उसको मानते हुये यह कहता हूं कि यह बात बिल्कुल ग़लत है जो कही जा रही है कि जमींदारों ने इस आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया है और जमींदारों ने इस देश की कोई सेवा नहीं की है, इसलिये कि जो कुछ सेवा की गयी है, जो कुछ इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया गया है, जो कुछ कांग्रेस की मदद की गयी है वह सब जमींदारों के द्वारा हुई है। मैं बार बार आपके द्वारा इस सदन के सामने रिपीट करता हूं कि फर्क केवल इतना ही है कि आप इन ३६० का चश्मा लगा करके जमींदारों को देखते हैं और ढाई सौ से नीचे के जो १८ लाख जमींदार हैं उनको लेकर जमींदारों को नहीं देखते हैं हालांकि यह वह जमींदार हैं जिनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि इनको उजाड़ने का कोई सवाल नहीं है, इनको तो रिहैबिलिटेड करने का सवाल हमारे सामने है और यह उन्होंने उस वक्त कहा था जब कि वे प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया नहीं हुये थे, जब कि कांग्रेस के हाथ में सरकार नहीं आयी थी। तो श्रीमन् इतना निवेदन करने के बाद मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वह स्वीकार करे और इसलिये स्वीकार करे कि इस संशोधन के द्वारा वह फलाने राजा साहब और फलाने महाराजा साहब की मदद नहीं कर रही है। इस संशोधन के द्वारा वह उन छोटे छोटे जमींदारों की मदद कर रही है जिनके लिये उन्हें यह आवश्यकता पड़ी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय। श्रीमन् जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो पांच रुपये की मालगुजारी से दस हजार तक की मालगुजारी वालों तक दिया जा रहा है लेकिन यहां पर प्रस्तावक महोदय ने इसीलिये साफ कर दिया है कि उन्हें अन्देशा था कि अगर यह साफ नहीं कर दिया गया तो उन बड़े जमींदारों के साथ छोटे-छोटे जमींदार भी पिस जायेंगे। इसके साथ साथ श्रीमन् ढाई सौ रुपये वाले को रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलेगी क्या, यह भी तो देखना चाहिये। कम मालगुजारी वाले जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट इसलिये दिया गया था ताकि उनको मदद मिल जाय और वे अपनी जिन्दगी सुधार सकें। ऐसी दशा में उस रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से कर्जा देय कर देना अन्याय नहीं होगा तो फिर क्या होगा, और फिर जब उसको कम्पेंसेशन मिलना ही है तो उस कम्पेंसेशन में से कर्ज की अदायगी हो सकती है। इसलिये जो ढाई सौ तक मालगुजार हैं उनके रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से कर्ज का रुपया अदा कराना मैं समझता हूं कि अन्याय नहीं तो ज्यादती अवश्य होगी।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो संशोधन सदन में पेश किया गया है उसका विरोध करना चाहता हूं। कारण यह है कि यह जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है और इस समय जो बहस हो रही है उसके अन्दर एक स्कीम है, एक योजना है और उस योजना को न देखने के कारण ही यह संशोधन लाया गया है। हमारी स्कीम यह है कि पुनर्वासन अनुदान, प्रतिकर और अन्तरिम प्रतिकर ये तीनों चीजें एक ही हैं और एक ध्येय से ये दिये जा रहे हैं। इन तीनों को मिला कर जो रक़म दी जा रही है उसमें से तीन चौथाई भाग महाजनों को मिल सकता है और एक चौथाई उनके लिये सुरक्षित रखा गया है। यह हमारी स्कीम इस विधेयक के अन्दर है जिसको प्रवर समिति ने भी स्वीकार किया है। जो संशोधन भवन के सामने है उसको देखने से यह मालूम होता है कि जो हमारा ध्येय है उसी को बदलना इस संशोधन का विषय है इसलिये हम इसका विरोध करने के लिये लाचार हैं। हमारे सम्मुख पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर के सम्बन्ध में

जो बातें कही गयी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमींदारी एबालिशन कमेटी की जो रिपोर्ट है या जो इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में बहस हुई थी उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस का हमेशा यही ध्येय था कि जो छोटे जमींदार हैं उनको कुछ प्रतिकर अधिक मिले। लेकिन कानून के अन्दर हम मजबूर थे एक फ्लैट रेट देने के लिये। अगर हम उसको सिर्फ प्रतिकर कहते तो हम छोटे जमींदारों को कुछ अधिक न दे पाते। तो इससे बचने के लिये हमको पुनर्वासन का शब्द लाना पड़ा तब जाकर छोटे और बड़े जमींदारों के बीच में हम भेद कर पाये। हम चाहते यह हैं कि महाजनों को जो रक़म उपलब्ध की जाय उसमें इस सबका सामाञ्जस्य हो और महाजनों के लिये तीन चौथाई जो रक़म दी गयी है और एक चौथाई सुरक्षित की गयी है तो इस विधेयक का जो ध्येय है वह इसी पर आधारित है। मैं समझता हूं कि इसको देखते हुये यह बहुत ही अनुचित है कि हम पुनर्वासन को महाजनों के क़र्जे से निकाल दें। अगर ऐसा किया गया तो जो रक़म उनके लिये उपलब्ध होगी वह बहुत ही कम होगी। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री ने दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में कहा था कि यह विधेयक लागू तब होगा जब तमाम कानून जो हैं उनके जरिये से रकम कम करने के बाद यह लागू होगा। अब हमारे जमींदार भाई यह चाहते हैं कि सबके ऊपर यह लागू कर दिया जाय। यह उचित नहीं है। सब कानूनों के द्वारा कम करने के बाद जो रक़म बचती है उसको हम इस कानून के अनुसार कम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है वह बहुत उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस संशोधन पर हुई मैं समझता हूं कि बिल्कुल ग़ैरजरूरी है। जिस धारा के अन्दर यह अन्वय है वह धारा २ है और वह परिभाषाओं की धारा है। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी कि यदि किसी एक चीज की परिभाषा किसी ऐक्ट के अन्दर या विधेयक के अन्दर कर दी जाती है तो उससे किसी का क्या नुक़सान होता है और उस पर बहस के लिये क्या आवश्यकता होती है। इसके अन्दर पुनर्वासन अनुदान और धर्मोत्तर आदि बातें रखी गयी हैं। यह परिभाषा की चीजें हैं और जो परिभाषायें हमारे जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट वग़ैरा में की गयी हैं वही यहां पर रखी गयी हैं। एक बात तो मानने के काबिल थी कि अगर हमारे मित्रों की तरफ से यह कहा जाता कि इसके जितने आपरेटिव भाग हैं वह निकाल दिये जायं तो मैं समझता कि इसके अन्दर कोई सार था। अगर परिभाषायें आ जाती हैं तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। परिभाषायें हैं और होनी चाहिये तथा विस्त्रित रूप से होनी चाहिये, चाहे जरूरत पड़े या न पड़े। बहस इस बात पर हो रही है कि जो परिभाषा पुर्नअनुदान की है उसको निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं न तो उसको निकालने की जरूरत है और न उस पर बहस ही होनी चाहिये। इसके जितने आपरेटिव सेक्शन हैं वह रहने चाहिये या न रहने चाहिये थे इस पर बहस की जानी चाहिये थी। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर इसको जरूरत नहीं थी इसलिये मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस स्थान पर अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री रामनारायण त्रिपाठी ने इस संशोधन को सदन में उपस्थित करके जमींदारों की ओर और खास करके २५० रुपये से कम मालगुजारी वालों की तरफ अपनी सहानुभूति दिखायी है। वैसे तो इस सम्बन्ध में छोटे जमींदारों के प्रति हम सभी लोगों की सहानुभूति है और हमेशा इस बात का लिहाज किया गया है और जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में भी अगर माननीय सदस्य देखें तो इसका ही लिहाज करके उनको पुनर्वासन अनुदान

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

अधिक मात्रा में दिया गया है। लेकिन जहां तक संशोधन का प्रश्न है इस संबंध में म यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बात का लिहाज़ करके पुनर्वास अनुदान को केवल २५० रुपये तक ही नहीं बल्कि सारे पुनर्वासिन अनुदान को अलहदा रखा गया है कि जो कर्ज़ कम किये जायेंगे उनमें इसका कोई लिहाज किया जाय यानी ८ गुना जो मुआविज़ा है उसी पर कर्ज़ा कम किया जायगा। इस प्रकार जो पुनर्वासिन अनुदान है वह कर्ज़ की कमी या बढ़ोत्तरी को पैदा नहीं करेगी। इसलिये बिल में यह कोशिश की गयी है कि पुनर्वासिन अनुदान बच जाय, यानी उनका कर्ज़ा इस अनुपात में कम न हो जिस अनुपात में कि उनको पुनर्वासिन अनुदान या मुआविज़ा मिल रहा है।

अब रह गया पुनर्वासिन अनुदान का कि २५० रुपये से नीचे वालों को संरक्षण दिया जाय, इस बात को जरूर ख्याल किया गया। जो कुछ मुआविज़ा और पुनर्वासिन अनुदान उनको दिया जा रहा है उसमें से तीन चौथाई कर्ज़ में वसूल होगा और एक चौथाई सुरक्षित रखा गया है। वह किसी प्रकार के कर्ज़े में वसूल नहीं होगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि यह जो तीन चौथाई रकम वसूल होगी उसके अलावा जो सुरक्षित ऋण है उसमें उससे अधिक और किसी प्रकार से वसूल न हो सकेगा। तो इस बिल की जो मंशा है वह तो कर्ज़े को कम करने की है और कर्ज़ा कम करने म यह प्रश्न नहीं उठता कि वह पुनर्वासिन अनुदान जो २५० रुपये से नीचे की है उससे कर्ज़ा वसूल न किया जाय। फर्ज कीजिये जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट न होता। जो एक सेक्योर्ड स्टेट थी उससे कर्ज़ा वसूल होता। उस स्टेट के न रहने पर जितना उसको बदले में मिल रहा है वह सारा सेक्योर्ड हुआ, स्टेट खत्म हो गई, उसके बदले में मुआविज़ा और पुनर्वासिन अनुदान दिया गया, नाम जरूर भिन्न भिन्न है लेकिन उतनी पूरी रकम उस स्टेट के खत्म करने के बदले में मिली। अब वह सारी रकम कानून की दृष्टि में सेक्योर्ड है। अगर पूरे कर्ज़े से स्टेट सुरक्षित नहीं थी तो यह पुनर्वासिन अनुदान या मुआविज़ा भी सुरिक्षित नहीं होती। लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रक्खा गया है कि वह पूरे का पूरा खत्म न हो जाय कर्ज़े में। १/४ को सुरक्षित रक्खा गया है। जैसे मैंने पहले कहा, पुनर्वासिन मुआवज़े में जितनी रकम रक्खी गई है उसी अनुपात से कर्ज़े को कम किया गया है और पुनर्वासिन अनुदान और मुआवज़े की १/४ रकम को सुरक्षित किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से छोटे ज़मींदारों के साथ न्याय किया गया है और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो संशोधन सदन के सामने रक्खा है मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित है बावजूद इसके कि माननीय मौर्य जी ने उसके विरुद्ध कुछ दलीलें दी हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि कोई कानून जो बनता है वह इन्सान की जिन्दगी को सहूलियत पैदा करने के लिये बनता है और हमारी सरकार का तो यह दावा भी है। कि वह उसी विचार से कुछ करती है। जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट जो बनाया गया है उसकी भी यही मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाय और कुछ थोड़े से लोगों जो बअख्तियार थे उनको उस अख्तियार से महरूम किया जाय। सन् ३९ में जब काश्तकारी कानून को कांग्रेस हुकूमत ने पास किया तो उसकी कुछ बातें मुझे याद हैं। उस वक्त से नहीं बहुत पहले से आज तक जो कांग्रेस हुकूमत की नीति रही वह यही रही कि ढाई सौ रुपये या इससे कम जो जो जमींदार हैं उनको राहत पहुंचे। सन् ३९ में जो कानून सीर खुदकाश्त का बनाया गया उसमें बहुत सफाई के साथ ढाई सौ रुपये के जमींदार को जमीन को जोतने

वाले शिकमी काश्तकारों को मौरूसी काश्तकार होने से बचाया गया है । मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस हुकूमत में भी जब कभी कर्ज का कानून बनाया गया तो छोटे जमींदारों की हिफाजत वह नहीं कर पाई और उनको कम राहत मिली। बदकिस्मती की बात यह थी कि कांग्रेस का जो नक़शा बना हुआ था लेकिन कानून पर मोहर लगाने का नाम कांग्रेस हुकूमत न कर पाई, उसको इस्तीफा दे देना पड़ा और कर्जे का जो कानून बना मेरा ऐसा ख्याल है कि उसमें बड़े जमींदारों को ज्यादा मौका मिला अपनी जायदाद को बचाने का, कर्जे से छुटकारा पाने का लेकिन उसमें जो छोटे जमींदार थे उनको इस तरह का मौका नहीं मिला। तो मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस की जो घोषित नीति है यह उसके विरुद्ध गया और आज भी कर्जे को कम करने के लिये जो विधेयक सदन के सामने है वह कांग्रेस की घोषित नीति के विरुद्ध है। पुनर्वासन अनुदान को कर्जे की वसूली में शामिल करना मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस की नीति नहीं है बल्कि जैसा कानून हमने बनाया उस कानून के भी हम उलटे जा रहे हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पुनर्वासन अनुदान के लब्जी मायने हम लोगों को समझा देने की कोशिश करें। मैं नहीं समझता हूं कि पुनर्वासन अनुदान से कोई कर्जा लिया जा सकता है और कर्जे की वसूली के लिये उसकी गिनती हो सकती है। तो ऐसी हालत में पुनर्वासन अनुदान के हक में मैं किसी तरह से नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह बतलाऊं कि आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो हमारे पहिले के वादों और रीति नीति के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे।

श्री गेंदा सिंह--जी हां, मुझे कुछ और कहना है।

उपाध्यक्ष--तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

१९५२-५३ के लिये वित्त समिति के रिक्त स्थान पर श्री शुगन चन्द्र के निर्वाचन की घोषणा

उपाध्यक्ष--उठने के पहले मैं माननीय सदस्यों के लिये यह घोषणा करना चाहता हूं कि १९५२-५३ के लिये निर्वाचित वित्त समिति के सदस्य श्री राजाराम के त्याग पत्र दे देने के कारण रिक्त स्थान के लिये श्री दीनदयालु शर्मा व श्री शुगन चन्द्र के नामांकन पत्र प्राप्त हुये थे। श्री दीनदयालु शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया और केवल श्री शुगनचन्द्र नामांकित रह गये हैं और उनको उचित रूप से निर्वाचित घोषित किया गया जाता है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कौलसचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ अक्तूबर, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये १३ अक्तूबर, १९५२ ई० के तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

No. 7938/I-A-450/1951

FROM

SRI ZAHURUL HASAN, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

ALL THE DISTRICT OFFICERS,
EXCEPT THOSE OF ALMORA, GARHWAL
AND TEHRI-GARHWAL.

REVENUE (A) DEPARTMENT *Dated, Lucknow October* 6, 1952.

Subject :—MANAGEMENT OF *hats*, BAZARS AND MELAS IN AREAS TO WHICH THE NOTIFICATION UNDER SECTION 4 OF THE U. P. ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT APPLIES.

SIR,

I AM to refer to my D.-O. no. 3989/I-A-450/51 dated June 29, 1952 to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, copy endorsed to you by him under endorsment no. 50/ZAC—5 dated July 2, 1952 directing that *hats*, bazars and melas with an annual income of Rs.2,000 or more should be provisionally made over to the District Boards and other *hats*, bazars and melas to the Goan Samajes. Instructions regarding the manner in which the income from such *hats*, bazars and melas would be appropriated are contained in Top Secret G. O. no. 1549|I-A-1952 dated April 10, 1952.

2. I am to point out that this arrangement is only provisional and that final instructions about the *hats*, bazars and melas to be made over to the District Boards or to the Goan Samajes and the part of the income to which the District Boards would be entitled will be sent shortly.

3. A number of references have been received from District Officers regarding the difficulties experienced by them in complying with these orders.

4. It has been pointed out that some of these *hats*, bazars and melas are held partly on land to which clauses *(a)* to *(c)* of sub-section (1) of section 18 apply (i.e., *sir*, *khudkasht*, land in personal cultivation or groves of intermediaries, holdings of fixed-rate tenants and rent-free grantees) and partly on other land, i.e., waste-lands, holdings or groves of tenants, roads and road *patris*. Enquiries have been made whether such *hats*, bazars and melas should be deemed to have vested in the State Government wholly or partly, the management of these *hats*, bazars and melas and whether the income from such *hats*, bazars and melas has to be apportioned between the intermediaries and local bodies and, if so, in what manner.

5. As regards the legal position I am to state that the part of the *hat*, bazar or mela held on *sir khudkasht* and grove, etc. continues in the ownership of the intermediary and the part held on other land has vested in the State Government. Legally it is, there-

fore, possible to allow two different agencies to manage these *hats*, bazars and melas, i.e., the intermediaries can continue to manage them in so far as they are held on their land and the local bodies (the District Boards or the Goan Samajes as the case may be) can take over the management of the other part of the mela. Such an arrangement, however, is bound to lead to serious difficulties and involve the danger of disputes. I am, therefore, to advise that in such cases an attempt should be made to arrive at an amicable settlement with the intermediaries. These settlements can take one of two shapes. Firstly, the management may left over entirely to the intermediary on condition that he pays to the Goan Samaj or the District Board the part of the income corresponding to land other than *sir, khudkasht* or grove, etc. The total income may be apportioned according to the area. For instance, if the total area of the land on which the mela is held is 100 acres of which 50 acres are *sir, khudkasht* or grove the annual income in 1359 *fasli* may be ascertained and distributed into two equal portions. Zamindars may be given a licence for holding the mela on waste-lands etc. at an annual rent equal to half the total income of the mela. Secondly by a similar arrangement the management could be taken over by the local bodies concerned, in which case it would be the intermediary who would give a licence on similar terms for the mela being held on his *sir, khudkasht* or grove.

6. In cases where such an arrangement cannot be arrived at there is no option except for the local body to take over the management of the part of the mela which is held on waste-lands, roads or road *patris* without in any way interfering with the part of the mela held by the intermediary on his own land.

7. In cases where such melas are held partly on zamindar's *sir, khudkasht* or grove and partly on tenancy holdings or grove-holder's grove it will be for the parties concerned to make some arrangement themselves. It is evident that in such cases *hats*, bazars and melas do not vest in the State Government.

8. There are some cases where *hat*, bazar or mela is held partly on land to which the notification under section 4 applies and partly on land to wihch the notification does not apply. Since in the land to which the notification under section 4 does not apply the rights of the zamindars remain unchanged, such areas may for the purposes of deciding such cases be treated as if it was *sir, khudkasht* or grove and any of the alternatives mentioned above may be adopted.

9. Some District Officers have enquired whether contracts given by the intermediaries before the date of vesting in respect of *hats*, bazars and melas should be deemed to be void. I am to say that there is no provision in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 terminating such contracts. Contracts whose period has not yet expired should therefore be allowed to continue. The contractors will, however, be liable to pay to the State Government (and not to the intermediaries) money due on the contract for any period after the date of vesting in respect of the *hats*, bazars and melas which have vested in the State.

10. Enquiries have also been made about cases where zamindars have built *pucca* buildings, temporary structures, *chabutaras* or walls enclosing the areas where the mela is held. I am to advise that *pucca*

buildings, mud buildings with thatched roofs, and surrounding walls with or without *chabutras* inside them should be treated as "buildings," but open *chabutras* whether made of mud or bricks and without a surrounding wall should not be regarded as a building. Since buildings and the land appurtenant thereto have been settled under section 9 and the Rule 26 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, the *hats,* bazars and melas held therein will continue to belong to the persons to whom the buildings belong. *Hats,* bazars and melas held wholly on land other than buildings (provided of course that such land is not *sir* or *khudkasht,* etc.) have vested in the State Government. Where the mela is held partly in a building and partly outside it one of the alternative arrangements mentioned in para. 5 may be adopted.

11. A specific reference has been made about a mela which is held on land in front of a zamindar's house. The zamindar is said to have planted trees on the land. The question has been asked whether the land should be deemed to be appurtenant to the zamindar's building. It is very difficult to lay down any general rules about the interpretation of the word "appurtenant" as it depends upon the circumstances of each case. In the case under reference the decision would depend upon two questions, namely, (1) whether the trees planted by the zamindar constitute a grove, and if they do, the land should be treated as intermediary's grove or (2) whether the land is appurtenant to the building, i.e., whether it is used by the zamindar for purposes connected with his residence and is subject to other rights of easement of the zamindar connected with the house.

12. There appears to be some misapprehension regarding *hats,* bazars and melas held on tenants holdings or groves. I am to say that the provisions of section 6 (*a*) (1) do not effect such melas and they have not vested in the State Government by the notification. In cases where *bhumidhari* rights have been acquired in such land the *bhumidhar* thereof has the right to use the land for any purpose whatsoever including, of course, holding a mela. *Sirdars* on the other hand are not entitled to use their land for a non-agricultural purpose. If, therefore, they hold melas on such land the Gaon Samajes may, if they consider it expedient, take action against them under section 206 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

13. A reference has been received also about *hats,* bazars and meals of a religious nature, which were managed in some cases by religious institutions or of which the income was wholly or partly utilised for religious purposes. In so far as such melas are held on land other than *sir, khudkasht* or grove, etc. they have vested in the State Government. It would be desirable, however, to make an arrangement for their management in such a manner as not to offend the religious susceptibilities of the community concerned. I am, therefore, to suggest that the Gaon Samajes or the District Boards should be advised to form small sub-committees composed exclusively of persons of the religion concerned to manage such fairs. Where the management of religious fairs is in the hands of a well-organised body such as a duly registered society, the District Officer may, where he considers it expedient allow the management to remain unchanged. The income, however, should be credited to the State Government. Further instructions regarding religious fairs will be sent subsequently when all the reports in com-

pliance with G. O. no. 3989-I/1-A-450/1951 dated August 8, 1952 have been received.

14. There are some cases where the zamindars had previous to the date of vesting obtained injunctions from Civil Courts prohibiting District Boards from holding parallel markets at places adjacent to the markets held by zamindars. The question has been asked whether the injunction orders should be deemed to have been vacated. I am to say that in all such cases the orders of the court issuing the injunction should be obtained.

Yours faithfully,
ZAHURUL HASAN,
Secretary

No. 7938 (i)/I-A-450-1952

COPY forwarded for information to the :—

(1) Secretary to Government, Local Self-Government and Panchayat Raj Departments.

(2) Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

(3) Director of Panchayat Raj, Uttar Pradesh, Lucknow.

By order,
ZAHURUL HASAN,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये १३ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

(अ) इमारतों का व्यौरा

पक्की इमारतें

१—बीज गोदाम तथा औजार गृह	१
२—ट्रक, ट्रैक्टर और औजार गृह	१
३—कूटने का फर्श	२
४—चौकीदार का निवास स्थान	१
५—कर्मचारियों का निवास स्थान	४
६—फार्म मैनेजर का निवास स्थान	१
७—पशु शाला	१
८—बछड़ों के रहने का स्थान	१

कच्ची इमारतें (हटमेंट्स)

कुलियों, बैलों, बछियों इत्यादि के रहने की जगह

(ब) सामान वगैरह जो (अ) में दी हुई इमारतों में लगा उसका व्यौरा

१—सीमेंट	४,३१८ बोरे
२—ईंटें	१०,७८,९५३
३—लोहा	३३ टन ३ हंडरवेट १ क्वार्टर
४—मजदूरी लगभग	६४,०००) रु०

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख, विधेयक, १९५२

देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों (land records) को तैयार करने की व्यवस्था का

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों की तैयार करने की व्यवस्था की जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है?

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त परगना जौंनसार बावर में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के कार्य करने के लिये अधिकार प्रदान करे।

(ख) "खाता" और "क्षेत्रपति" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः "holding" और "land holder" को यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये हैं।

(खख) "विधि" (law) के अन्तर्गत कोई भी आदेश (Order), अध्यादेश (ordinance), नियम (Rule), विनियम (Regulation), रिवाज (Custom) अथवा प्रथा (usage) है जिसे परगना जौंनसार बावर में विधि का बल प्राप्त हो।

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(घ) "काश्तकार" (tenant) के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूर-उल-अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर-मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो।

अध्याय २

काश्तकारों की बेदखली ।

३—किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थात्—

(१) कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया है, या

(२) कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो।

काश्कारों द्वारा शिकमी पर दिया जाना ।

४—कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, केवल उस दशा को छोड़कर जब कि पट्टेदार (lessee) निम्नलिखित में से कोई हो—

(१) अविवाहिता स्त्री,

(२) अवयस्क (minor) जिसका पिता मर गया हो,

(३) पागल या जड़,

(४) ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो,

(५) संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना संबंधी सेवा में व्यक्ति, या

(६) तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास भोग रहा व्यक्ति;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारम्भ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।

अध्याय ३

अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियां (Record Operations)

५—राज्य सरकार धारा ६ में निर्दिष्ट अभिलेखों (record) को तैयार करने के लिये अथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण (revision) के लिये—

(क) एक अधिकारी (जिसे यहां आगे चलकर स्पेशल रिकर्ड आफ़िसर कहा गया है) नियुक्त कर सकती है जो परगना जौनसार बावर की अभिलेख संबंधी कार्यवाहीयों का इन्चार्ज होगा और अन्य ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है जो स्पेशल रिकर्ड आफिसर को सहायता देने के लिये आवश्यक हों,

(ख) इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े।

(ग) अभिलेख संबंधी कार्यवाहियों (record operation) से आनुषंगिक (incidental to) वे अधिकार और कर्त्तव्य निर्दिष्ट कर सकती है जिनका ऐसे अधिकारी प्रयोग या पालन करेंगे।

६—(१) परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे:— अभिलेख जो तैयार किये जायंगे।

(क) नक्शा और फील्डबुक,
(ख) रजिस्टर,
 (१) सभी स्वामियों का,
 (२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों, तथा
 (३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गई हो,

(२) अभिलेख में निम्नलिखित ब्योरे भी निर्दिष्ट किये जायेंगे

(क) स्वामी द्वारा देय मालगुजारी,

(ख) काश्तकार द्वारा देय लगान,

(ग) प्रत्येक खातेदार (tenure holder) का प्रकार तथा वर्ग, और

(घ) खाते से संबंध अन्य कोई शर्तें या ब्योरे जिन्हें राज्य सरकार अभिलिखित कराये।

७—(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इन्दराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इन्दराजों से संबद्ध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे। इन्दराज का प्रमाणीकरण और विवादों का निर्णय।

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से जांच करेगा कि कौनसा व्यक्ति सम्पत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।

(३) कब्जे के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) दीवानी अथवा माल न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध अपना अधिकार स्थापित करने से बंचित न कर सकेगा।

८—इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये हुये अभिलेखों के सभी इन्दराज तब तक सत्य परिकल्पित किये जायेंगे (shall be presumed to be true) जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हों। इंदराज के बारे में परिकल्पना।

वैधीकरण (Validation)

९—जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों में सुधार करने तथा उनको स्थायी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार उक्त क्षेत्र के लिये भौमिक अभिलेख तैयार करने और उनके पुनरीक्षण के लिये आदेश दे दिया था,

और राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के निमित्त नियम, आदेश तथा अनुदेश (instructions) प्रचारित कर दिये हैं ;

और कुछ क्षेत्रों के संबंध में यह अभिलेख तैयार हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के संबंध में तैयार किये जा रहे हैं ;

और यह आवश्यक है कि इस प्रकार प्रचारित नियमों, आदेशों और अनुदेशों को तथा अभिलेखों को जहां तक कि वे ऊपर बताई गई विधि से तैयार किये जाये जा चुके हैं, विधिक वैधता (legal validity) प्रदान की जाय ;

अतएव एतद्द्वारा प्रख्यापित (declared) किया जाता है कि उक्त अभिलेखों को तैयार करने में तथा उनके पुनरीक्षण के निमित्त प्रचारित सभी नियम, आदेश तथा अनुदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् इस प्रकार प्रकाशित नियम, आदेश और अनुदेश जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या विधिवत् निर्मित या प्रचारित नियम, आदेश अथवा अनुदेश समझे जायेंगे, तथा किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इन्दराज अथवा बात प्रयोग में लाये गये अधिकार तथा क्षेत्रधिकार विधि की दृष्टि में उचित तौर वैध होंगे माना कि इस अध्याय के सभी उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर सप्रभाव थे जिनका उस विषय में कोई महत्व हो।

अधिकारों का सौंपना।

१०—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्रधिकारी (authority) को ऐसे प्रतिबन्धों सहित अथवा ऐसी दशाओं में जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, प्रयोग में लाने के लिये सौंप (delegate) सकती है।

नियम।

११—राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है :

(क) धारा ३ के अन्तर्गत बेदखली के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(ख) काश्तकार द्वारा खातों को शिकमी पर देने से संबंधित विषय,

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले अभिलेखों के आकार (form) और विषय, तैयार करने के ढंग, प्रमाणीकरण तथा रखरखाव ;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत की जाय ;

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलों और प्रार्थना पत्रों के संबंध में देय शुल्क ;

(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुसरण प्रक्रिया ;

(ज) किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां से दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण ;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सामान्यतः अधिकारियों के लिये पथ प्रदर्शन ;

(ञ) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता हो।

उद्देश्य और कारण

देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जोकि अधिकतर 'दस्तूरुल अमल' में वर्णित हैं और कुछ दशाओं में तो लिपिबद्ध भी नहीं थे। इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिनमें अधिकतर कोल्टा और बाजगी हैं जो दासता के स्तर तक गिर गये हैं। इस क्षेत्र में जो संविधान लागू होने से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र था, कोई भौमिक अभिलेख भी नहीं है। १९५० ई० में अभिलेख संबंधी कार्यवाही इस क्षेत्र में आरम्भ कर दी गई थी, किन्तु यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ इस क्षेत्र में लागू नहीं था इसलिये तैयार किये हुये अभिलेख यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ५७ के अन्तर्गत सही नहीं माने जा सकते साथ ही क्षेत्रपति भूमि जोतने वाले किसानों को खातों से स्वच्छन्दता पूर्वक बेदखल भी कर रहे थे। इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के सम्बन्ध में नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

हम प्रवर समिति के सदस्य जिन्हें उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक विचारार्थ सौंपा गया था, विधेयक पर विचार कर चुके हैं और अब हम अपनी इस रिपोर्ट का विधेयक के साथ जैसा कि हमने उसे संशोधित किया है और जो इसके साथ संलग्न है, प्रस्तुत करते हैं।

२—यह विधेयक विधान सभा द्वारा पहले १३ अक्तूबर, १९५० को एक प्रवर समिति को सौंपा गया था किन्तु उस समिति के अपने विचार विमर्श को पूरा करने के पहले ही नई विधान सभा संगठित हुई और तदनुकूल २ सितम्बर, १९५२ को प्रवर समिति का फिर से संगठन किया गया।

३—पुन:संगठित समिति ने अपनी बैठकें विधान भवन में ५ तथा ८ अक्तूबर, १९५१ ई० को कीं।

४—हमने इस विधेयक पर एक-एक खंड को लेकर विचार किया है और पिछली समिति की सिफारिशों पर विचार करके हमने बहुत से संशोधनों के सुझाव दिये हैं किन्तु उनमें से सब बराबर महत्व के नहीं हैं। हमने विधेयक में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं उनका उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(१) विधेयक के खंड १ (२) में यह व्यवस्था की गई है कि यह विधेयक उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू नहीं है। हमारा विचार है कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह इस विधेयक के निदेशों को बिना किसी नये विधायन के उन क्षेत्रों पर जिन पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू नहीं है और विलीन स्टेटों तथा अन्तरक्षेत्रों पर भी लागू कर सकें। तदनुसार हमने खंड १ के उपखंड (२) तथा (३) को परिष्कृत कर दिया है और एक नया खंड १(क) बढ़ा दिया है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तत्स्थानी निदेश के अनुरूप ही है।

(२) खंड २(क) में हमने यह व्यवस्था की है कि इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये कृषि क्षेत्र में (१) बागदारों और (२) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकारों की जोतों का भी अन्तर्भाव होगा।

हमारा यह भी विचार है कि खंड २(क) में उल्लिखित काश्तकारों के वर्गों में ऐसी भूमि के काश्तकार को सम्मिलित कर लिया जाय जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर ३० जून, १९५२ ई० को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी थी और यदि मालगुजारी नहीं लगी थी तो इतना स्थानिक कर लगा हो जो २५० रुपये से अधिक की वार्षिक मालगुजारी पर देय थी।

(३) हमने खंड २(क) में यह व्यवस्था की है कि ऐसी भूमि जिस पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में दी हुई "सुधार" की परिभाषा में न जाने वाले भवन स्थित हों और ऐसी भूमि जो उक्त भवनों के आसपास हो, कृषि क्षेत्र में सम्मिलित न की जायगी।

(४) विधेयक के खंड ४ में नागर क्षेत्र की पैमाइश के बाद कृषि क्षेत्र तथा अकृषि क्षेत्र दोनों ही के परिच्छेद करने की व्यवस्था की गई थी। हमारा विचार है

कि कुल नागर क्षेत्रों की पैमाइश करना अव्यवहारिक और अनावश्यक रूप से व्यय-कारी होगी और यह कि केवल कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद से ही काम चल जायगा। तदनुसार हमने खंड ३ को परिष्कृत कर दिया है।

(५) हमने एक नया खंड ५(क) बढ़ा दिया है जिसमें परिच्छेद कमिश्नर की आज्ञा के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था की गई है।

(६) हमारा विचार यह है कि मध्यवर्तियों को प्रतिकर जो दिया जाय वह पक्की निकासी का एक समवेश (Uniform) गुणनफल होना चाहिये और यह गुणनफल बारह (१२) हो। हमने तदनुसार खंड ३७ को परिष्कृत कर दिया है और अनुसूची को हटा दिया है।

(७) उपर्युक्त महत्वपूर्ण संशोधनों के अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ छोटे-मोटे तथा परिणामिक परिवर्तन भी किये गये हैं।

५—यह विधेयक २० जनवरी, १९५० ई० के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। हमारी राय है कि जैसा कि इस विधेयक को अब हमने संशोधित किया है उस रूप में फिर से प्रकाशित किया जाय।

चरण सिंह	भीमसेन
द्वारका प्रसाद मौर्य	परिपूर्णानन्द वर्मा
बंशीधर मिश्र	बाबूलाल मित्तल
वसी नक़वी	त्रिलोकी नाथ कौल
गणेश प्रसाद जायसवाल	*नारायण दत्त तिवारी
महावीर प्रसाद श्रीवास्तवा	*रामनारायण त्रिपाठी
रामस्वरूप गुप्त	*उम्मेद सिंह
वीरसेन	*अवधेश प्रताप सिंह

श्री रामनारायण त्रिपाठी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी की असहमति टिप्पणी

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५१ के लागू होने के बाद नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक से यद्यपि यह बहुत ही देर से सदन के सामने लाया गया, आशा थी कि नागर क्षेत्र में हर प्रकार की जमींदारी के विनाश का प्रबन्ध किया जायगा। परन्तु इस विधेयक से हमें घोर निराशा हुई।

नागर क्षेत्र में मकान मालिकों और किरायेदारों की भी एक विषम समस्या है। एक तरफ तो ऐसे मकान मालिक हैं जो हजारों रुपये महीने बतौर मकानों के किराये से वसूल करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे मकान हैं जो सैकड़ों वर्षों से किराये पर उठे हैं और मकान की कीमत का कई गुना मकान मालिक को किराये के रूप में मिल चुका है। परन्तु मकान मालिक की मिल्कियत ज्यों की त्यों है।

इस विधेयक से इस समस्या का हल होना चाहिये था।

प्रदेश के जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ द्वारा यद्यपि वह हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, मध्यवर्तियों की परती जमीन, सायर, बाजार या मेले के स्थान भी मध्यवर्तियों से ले लिये गये हैं, परन्तु इस विधेयक में ये सभी चीजें मध्यवर्तियों के पास छोड़ी जा रही हैं।

ऐसी जमीन जिन पर खेती हो सकती है और इस समय नहीं हो रही है उनकी भी मिल्कियत मध्यवर्तियों से नहीं ली जा रही है। इसके अलावा मध्यवर्तियों की सीर, खुदकाश्त या काश्तकार के शिकमियों की मनमाना बेदखली का अधिकार भी अछूता रह गया है।

---

*असहमति टिप्पणी सहित।

मेले-हाट आदि मध्यवर्त्तियों के हाथ से ले लिये जाते और लोकल बोर्ड को दे दिये जाते तो स्थानीय अधिकारियों (लोकल अथारिटीज़) की आमदनी में काफी वृद्धि हो सकती थी।

उपरोक्त विषयों का समावेश करते हुये नया विधेयक लाया जा सकता था। परन्तु इसलिये नहीं लाया गया कि पुराने विधेयक को ही विचारार्थ उपस्थित कर कानून बनाने से प्रादेशिक सरकार भारतीय संविधान की धारा ३१ की उपधारा (४) के अनुसार पूरा मुआविजा देने की जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। तिस पर भी मुआविजा मध्यवर्ती को वार्षिक लाभ का १२ गुना दिया गया है। मुआविजे की यह रकम जनता के खजाने पर एक बहुत बड़ा तथा अनावश्यक बोझ होगा।

मुआविजे की रकम नाममात्र को इसलिये भी दी जा सकती थी कि इमारती क्षेत्रों सायर, बाजार और मेले के स्थान तथा ऐसे क्षेत्र जिन पर खेती हो सकती है और इस समय नहीं हो रही है, के रूप में इस विधेयक द्वारा मध्यवर्त्तियों के लिये हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं।

रामनारायण त्रिपाठी,
नारायण दत्त तिवारी।

श्री उम्मेद सिंह तथा श्री अवधेश प्रताप सिंह की असहमति टिप्पणी

हम लोग नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई प्रवर समिति की बैठकों में उत्तर प्रदेश विधान सभा के संयुक्त दल के सदस्यों के रूप में सम्मिलित हुये। हमारी यह हार्दिक इच्छा थी कि हम इस विधान को इस प्रकार से परिवर्तित करने में सहायता दें कि किसानों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुंचे और जमींदारों के साथ भी जिनकी सम्पत्ति को सरकार नगण्य प्रतिकर देकर हस्तगत करना चाहती है, भारी अन्याय न हो। हमें खेद से इस बात का उल्लेख करना पड़ता है कि ६ तथा ८ अक्तूबर, १९५२ ई०, को प्रवर समिति में जिसमें हमने भाग लिया था (श्री अवधेश प्रताप सिंह केवल ८ अक्तूबर की बैठक में ही सम्मिलित हुये थे) वाद विवाद के अवसर पर हमारी एक भी महत्वपूर्ण बात स्वीकार नहीं की गई और प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत किया गया यह विधेयक जिसमें उसकी सब पुरानी भद्दी विशेषतायें तो विद्यमान हैं ही और भी भद्दा हो गया है। हमारे सामने बहुसंख्कों की रिपोर्ट से, विधेयक की अधिकतर धाराओं के संबंध में, विमति व्यक्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अब हम अपने वैमत्य के कारणों पर प्रकाश डालना चाहते हैं और इस विधेयक के कतिपय प्रमुख दोषों की ओर संकेत करना चाहते हैं। जब प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक विधान मंडल के सामने रखा जायगा तो हम ऐसे संशोधनों को जिन्हें हम आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होंगे।

सब से पहले हम इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में वर्तमान विधान मंडल के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था। यह विधेयक पुरानी विधान सभा में (अर्थात् साधारण निर्वाचन से पूर्व की विधान सभा में) २० जनवरी, १९५० ई० को प्रस्तुत किया गया था। १३ अक्तूबर, १९५० ई०, को प्रायः १० महीनों के बाद यह विधेयक उसी सदन की एक प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा गया था। पुरानी प्रवर समिति ने अपनी बैठकें २८ नवम्बर, १३, २०, तथा २१ दिसम्बर, १९५० ई०, तथा ४ जनवरी, १९५१ ई०, को कीं।

हम लोगों को जो कागज पत्र दिये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि पुरानी प्रवर समिति ने उन ४६ धाराओं के संबंध में जिन पर उसने विचार किया था, ३१ संशोधनों के सुझाव किये थे। इस बात की कोई वजह नहीं बताई गई है कि पुरानी प्रवर समिति ने जनवरी

१९५१ और १९ मई, १९५२ के बीच में अर्थात् एक या डेढ़ वर्ष की अवधि में, जिसके बाद पुरानी विधानसभा इस वर्ष के प्रारम्भ में हुये साधारण निर्वाचनों के फलस्वरूप भंग कर दी गई, विधेयक की शेष १७ धाराओं और अनुसूची के संबंध में क्यों विचार नहीं किया। १९ मई, १९५२ ई०, से वर्तमान विधान मंडल ने काम करना आरम्भ किया। इस समय तक पुराना विधान मंडल विद्यमान था। जब पुराना विधान मंडल आम चुनावों के फलस्वरूप भंग किया गया था तो यह विधेयक भी अपने आप ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु उन कारणों के आधार पर जिन्हें वही भलीभांति जानती होगी, सरकार ने इस विधेयक को वर्तमान विधान मंडल के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा करने में उसने उस परम्परा की उपेक्षा की, जिसके अनुसार भारतीय संसद में काम होता है और जहां हिन्दू कोड बिल जैसे विधेयक, जिनके पारित किये जाने या पारित न किये जाने पर तत्कालीन केन्द्रीय सरकर का अस्तित्व या पतन अवलम्बित था, पुरानी संसद के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गये। श्री उम्मेद सिंह ने गत सितम्बर, में जब यह विधेयक विधान सभा में फिर से अपने पुराने रूप में पेश किया गया था, इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया कि उसने अपने विधिक परामर्शदाताओं के साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श कर लिया है कि आया यह विधेयक पुराने विधान मंडल के भंग होने के साथ साथ समाप्त हो गया है या नहीं। वर्तमान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने २ सितम्बर १९५२ को यह व्यवस्था दी थी कि उनकी राय में आम चुनाओं के फलस्वरूप पुराने विधान मंडल के भंग हो जाने पर नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५० ई०, समाप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष की इस व्यवस्था (रूलिंग) की वैधता या अवैधता के बारे में हमें इस समय कुछ नहीं कहना है। सम्भवतः यह ऐसा विषय है जिस पर भविष्य में किसी उपयुक्त विधिक न्यायालय को विचार करना पड़े।

हम अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करेंगे, यदि हम सरकार की कुछ अन्य भूलों की ओर संकेत न करें। हमारे सामने ऐसी कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे नागर क्षेत्रों में भी सरकार की जमींदारी विनाश की चेष्टा को समर्थन प्राप्त हो सके। सरकार ने हमें निम्नांकित में से एक के विषय में भी आंकड़े देने की चिन्ता नहीं की (१) नागर क्षेत्रों में भूमि के स्वामी जमींदारों की कुल संख्या, (२) जमींदारों द्वारा देय मालगुजारी की धनराशियों के अनुसार उनकी विभिन्न श्रेणियों की संख्या, (३) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के संबंध में सरकार को देय कुल मालगुजारी, (४) अबवाब और कृषि आयकर की कुल धनराशि, (५) वार्षिक लगान की कुल धनराशि, (६) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों का कुल क्षेत्रफल, (७) सीर और खुदकाश्त का अलग अलग क्षेत्रफल, (८) विभिन्न वर्गों के काश्तकारों को लगान पर उठायी गयी भूमि का क्षेत्रफल, (९) खातों की संख्या, (१०) खातों का औसत क्षेत्रफल, (११) अलाभकर खाते वाले काश्तकारों की संख्या जैसे ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल के खाते रखने वाले काश्तकार, (१२) काश्तकारों द्वारा जमींदारों को दिये गये लगान के साथ प्रति रुपये की दरसे बाजार में बिकी हुई उपजके मूल्य का अनुपात, (१३) जमींदारों की कच्ची तथा पक्की निकासियों की कुल धनराशि, (१४) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के विनाश के फलस्वरूप सरकार द्वारा जमींदारों को प्रतिकर के रूप में देय कुल धनराशि, (१५) नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के विनाश के बाद सरकार की मालगुजारी में वृद्धि या कमी के संबंध में विस्तृत ब्योरे। हमने यहां पर आंकड़ों संबंधी केवल कुछ बातों का ही उल्लेख किया है। इन आंकड़ों को सरकार को विधान मंडल को नहीं तो कम से कम प्रवर समिति के सदस्यों को तो देना ही चाहिये था। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी विनाश के संबंध में काफी सामग्री प्रस्तुत की थी।

विधेयक की अन्य विशेषता जिसकी ओर हम विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, यह है कि विधेयक में काश्तकारों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। अखंडनीय सत्य क्या है ? निर्विवाद तथ्य यह है कि सरकार लाभ उठाने के प्रलोभन से आकर्षित

हुई है और इसी कारण उसकी यह भी इच्छा है कि नागर क्षेत्रों की जमींदारी का विनाश किया जाय। काश्तकार के लगान में किसी प्रकार की भी कमी नहीं हो रही है। यदि वर्तमान अवस्था से उनकी अवस्था खराब न भी हुई तो उनकी अवस्था ज्यों की त्यों बनी ही रहेगी। हम लोगों को बड़ा सन्देह है कि नागर क्षेत्रों की जमींदारियों के काश्तकारों की अवस्था वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि आज है। उनके लगान में वृद्धि अवश्य होगी क्योंकि जैसा १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २५१ में व्यवस्था की गई थी कि वर्तमान लगान में वृद्धि न होगी वैसी व्यवस्था इस विधेयक में कहीं नहीं की गई है।

इसमें एक बात और है जिसका हम अवश्य उल्लेख करेंगे वह यह है कि जब सरकार के पास प्रतिकर देने के लिये रुपया नहीं है और जब मध्यवर्तियों के अधिकारों के उन्मूलन से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, जब पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं बनेगा तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९४९ ई० अधिनियम बन जाने पर नागर क्षेत्रों में काश्तकारों के अधिकार के सुधार के लिये एक अलग विधायन प्रस्तुत किया जायगा" विधान मंडल में अब तक इस प्रकार का कोई विधायन पुरःस्थापित नहीं किया गया है। क्यों?

चूंकि यह विधेयक लगभग सभी माने में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का एक प्रतिरूप है, इसलिये नयी आलोचनायें करने की अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि उस अधिनियम के संबंध में काफी आलोचना की जा चुकी है। किन्तु हम यहां एक दो बातों के ही संबंध में कहेंगे।

अध्याय १

खंड २(क) में (१) शरह मुअइयन काश्तकार (२) माफीदार (३) मौरूसी काश्तकार का अन्तर्भाव और प्रवर समिति द्वारा बागदार इत्यादि का प्रस्तावित अंतर्भाव समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई०, के अधीन शरह मुअइयन काश्तकार, माफीदार और मौरूसी काश्तकार "भूमिधर" प्रख्यापित किये गये हैं और वे अपनी भूमि को किसी भी प्रयोजन के लिये काम में ला सकते हैं। किन्तु इस खंड के अधीन उनके द्वारा काम में लाने का अधिकार "कृषि के प्रयोजन के लिये" और अब प्रवर समिति द्वारा उद्यानकरण तक सीमित कर दिया गया है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उनके अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये जायें।

अध्याय २

परिच्छेद कमिश्नर के निर्णय पर खंड ५(३) के अन्तर्गत किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती। इस निबन्ध का कोई वैध कारण नहीं है और न्याय तथा ईमानदारी की दृष्टि से हम चाहते हैं कि न्यायालय के दरवाजे खुले रखे जायं।

अध्याय ३

इस अध्याय के अन्तर्गत की गई व्यवस्था से हम आमतौर पर सहमत नहीं है और विशेष रूप से हम खंड ९(क) और (ख) खंड १०, खंड ११, खंड १२, प्रस्तावित नया खंड १२ (क) और खंड १३ के निदेशों से सहमत नहीं है। हम यहां एक बात कहेंगे: यह कि प्रस्तावित नये खंड १२(क) के अधीन ७ जुलाई, १९५० ई० के बाद किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग का विक्रय या दान द्वारा संक्रामण अवैध होगा, सिवाय उस दशा के जबकि रुपये भुगतान के लिये किसी न्यायालय की आज्ञा के अन्तर्गत किसी डिगरी या आदेश के निष्पादन के लिये

संक्रामण किया जाय, अथवा किसी वक्फ, न्यास, निबन्ध या सोसायटी जो पूर्णतः दानोत्तर हो, के पक्ष में संक्रामण किया जाय।

हम इन असंगत सुझावों से सहमत नहीं हो सकते।

अध्याय ४

प्रतिकर निर्धारण--स्वत्वाधिकार के दिनांक से अवधारण के दिनांक तक प्रतिकर पर प्रति वर्ष २.१।२ प्रतिशत ब्याज मिलेगा अतिरिक्त प्रतिकर का भी भुगतान किया जायगा। यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ६ मास समाप्त होने पूर्व किसी प्रतिकर का भुगतान न किया गया हो। प्रतिकर के संबंध में अग्रिम अध्याय में हम कुछ कहेंगे।

कच्ची निकासी का निकाला जाना--खंड २४(ख) के अधीन "सायर आय" स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के १२ कृषि वर्षों की कुल आय के १।१२ भाग के बराबर होगी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भू-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई०, की धारा ३९ (ग) के अधीन यह आय स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के १० कृषि वर्षों की कुल आय के १।१० भाग के बराबर होगी। हम यह नहीं समझ पाते कि सरकार ने किस कारण नागर क्षेत्र जमींदारियों के संबंध में ऐसा भेद भाव किया है। हम खंड २४(ख) के निदेशों से सहमत नहीं हैं। हमें इसके तथा कच्ची निकासियों के निकालने से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में उपयुक्त संशोधनों के लिये प्रस्ताव करना पड़ेगा।

अध्याय ५

प्रतिकर भुगतान--प्रथम प्रवर समिति ने खंड ४६ को इस प्रयोजन से संशोधित किया कि प्रतिकर नकद में या बन्धों में या अंशतः नकद में और अंशतः बंधों में, जैसा नियत किया जाय, दिया जा सके। यह वही पुरानी व्यवस्था है जैसी कि ग्रामीण क्षेत्र जमींदारियों के संबंध में प्रतिकर के लिये भी थी। यह स्पष्ट है कि ४० वर्ष तक २ १।२ प्रतिशत ब्याज देने वाले बंधों को जारी करने का सरकार का प्रस्ताव है। हम यह नहीं समझ पाते कि जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को उनकी सम्पत्तियों से वंचित कर दिया है और उनको वस्तुतः कोई प्रतिकर नहीं देना चाहती, तो वह उन जमींदारों को क्यों नहीं छोड़ देती जिनकी नागर क्षेत्रों में थोड़ी जमींदारी है, जिससे कि वे अपना भरण पोषण कर सकें। हमारा यह सुझाव है कि नागर क्षेत्र जमींदारियों के लिये नकदी प्रतिकर दिया जाय, नहीं तो सरकार स्वामियों को उनकी सम्पत्ति से वंचित करने का इरादा छोड़ दे। वर्तमान प्रवर समिति ने उस अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें दिये जाने वाले प्रतिकर के गुणक की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने एक नियत दर के लिये सिफारिश की है जो पक्की निकासी के १२ गुने के बराबर होगी। हम इस संशोधन से सहमत नहीं हैं। या तो पहले वाली अनुसूची ज्यों की त्यों रखी जानी चाहिये थी या गुणक पक्की निकासी के २५ गुनी पर नियत की जानी चाहिये। हमारे इस सुझाव का कारण यह है कि यू० पी० जमींदारी डेट रिडक्शन बिल, १९५२ ई०, के अन्तर्गत उक्त विधेयक की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की कि जमींदारों के ऋण को कम करने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में निर्दिष्ट सम्पत्ति के मूल्यांकन के गुणक को ध्यान में रखा जाना चाहिये। उस गुणक का औसत प्रत्येक जिले के लिये भिन्न है किन्तु अंततः इसका औसत ३२ आता है। डेट रिडक्शन बिल की प्रवर समिति ने यह सिफारिश की है कि इसे बढाकर ४० तक कर दिया जाय। अतः हमारी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक के अन्तर्गत प्रतिकर निकालने के प्रयोजन के लिये पक्की निकासी के १२ गुने के बराबर एक नियत दर निर्धारित

करने का क्या अभिप्राय है। यह भली भांति विदित है कि कृषि भूमि का बाजार का मूल्य, विशेषत: नागर क्षेत्रों में बहुत अधिक है। इसके संबंध में अधिक कहना व्यर्थ है क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५१ ई०, और उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों पर वादविवाद के दौरान में काफी कहा जा चुका है किन्तु हम अपने कर्त्तव्य से विमुख होंगे यदि हम यह नहीं कहते कि सरकार वस्तुतः बिना किसी प्रतिकर के नागर क्षेत्र जमींदारी को जब्त कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम १९५१ ई०, के अनुसार प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान का संयुक्त गुणक अधिक से अधिक ८+२० अर्थात् २८ और कम से कम ८+१ अर्थात् ९ है। हमने यह सुझाव दिया था कि गुणक २५ रखा जाया। किन्तु बहुमत ने हमारे प्रस्ताव को गिरा दिया। हम समझते हैं कि गुणक १२ का रखना केवल आंसू पोंछना है। और इस प्रकार जो प्रतिकर दिया जायगा वह वस्तुतः कोई प्रतिकर न होगा।

हम यह बतला देना चाहते हैं कि मंत्रियों तथा विधान मंडल के अनुयायी व्यतियों को यह स्मरण रखना चाहिये कि कम से कम जहां तक प्रस्तुत विधायन का संबंध है वे मत-दाताओं के विचारों को व्यक्त नहीं करते। वे अल्पमतों द्वारा ही निर्वाचित हुये हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों ने जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान दिया, अब अपनी भूल समझने लगे हैं।

आगामी म्युनिसिपल निर्वाचन, हम विश्वास करते हैं, वर्तमान सत्तारूढ दल की आंखें खोल देगा।

इसके पूर्व कि हम समाप्त करें हम यह कहना चाहेंगे कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में अभिदिष्ट वाक्य "ऐसे क्षेत्र जिन पर कोई इमारत बनी हो" की परिभाषा विधेयक में कहीं नहीं की गई है। यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा किया जाय।

उपसंहार

इस विधेयक पर हमने स्थूल रूप से अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। इससे नागर जमींदारी क्षेत्रों के किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। देहातों में भारी असंतोष, भूख और अव्यवस्था के लक्षण पहले ही से वर्तमान हैं। उन व्यक्तियों से जो हिंसात्मक उपायों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को उलट देने में विश्वास करते हैं भय बढ़ता ही जा रहा है। देश की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति से खेलने का यह समय नहीं है। अनेकों ऐसी आवश्यक और महत्वपूर्ण समस्यायें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। राज्य की भूमि व्यवस्था में अत्याधिक परिवर्तन करने का यह प्रयोग उचित नहीं है जबकि इन परिवर्तनों से किसानों की न केवल कोई दशा ही न सुधरेगी किन्तु लाखों निर्धन और उन्मूलित जमींदारों में निराशा तथा द्वेष की भावना भी प्रबल हो जायगी और वे विनाशकारी मत तथा सिद्धांतों के अनुषक्त हो जायंगे। हम जानते हैं कि झूठे नारों द्वारा किसानों को जमींदारों के विरुद्ध भड़काना तथा उनको बुरा कहना सरल है। हम उस निर्दयता तथा अत्याचार से अनभिज्ञ नहीं हैं जो एक प्रबल राजनीतिक दल कर सकता है जब कि कोई जोरदार विरोध न हो और जब कि अज्ञानता में डूबे हुये लोग सरकार को ऐसा समझते हों, जो स्वेच्छानुसार उनका दमन कर सकती हो और जो चाहे कर सकती हो, न कि ऐसा जिसे वह स्वयं बना तथा तोड़ सकते हो। प्रवर समिति में हम अल्पसंख्या में हैं और विधान सभा में भी। तो भी हम उनके प्रति अपना कर्त्तव्य करने में न चूकेंगे जिन्होंने हमें निर्वाचित किया है।

लखनऊ, दिनांक, ६ अक्तूबर, १९५२ ई०। उम्मेद सिंह,

अवधेश प्रताप सिंह।

(संयुक्त प्रान्तीय) उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश (विधान) विधेयक, १९५० ई०

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

नागर-क्षेत्रों (अर्बन एरियाज़) में स्थित कृषि-क्षेत्रों (ऐग्रीकल्चरल एरियाज़) में की ज़मींदारी के विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच वाले मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (राइट, टाइटिल ऐण्ड इण्टरेस्ट) हस्तगत करने की व्यवस्था के लिए

विधेयक (बिल)

यह उचित और आवश्यक है कि नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में की ज़मींदारी की विनाश की तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच वाले मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व हस्तगत करने की व्यवस्था की जाय, इसलिए इस [विधान] अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा निम्नलिखित प्रकार से विहित किया जाता है:

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ

१—(१) यह [विधान] अधिनियम (ऐक्ट), १९५० ई०, का नागर-क्षेत्र ज़मींदारी विनाश विधान कहलायेगा।

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१६। सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१४ ऐक्ट २, १९२४।

(२) इसका प्रसार उन क्षेत्रों में होगा जो सातवीं जुलाई, १९४९ ई०, को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ ई०, के निदेशों के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज़ टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ के अधीन टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के निदेशों के अधीन कैन्टूनमेंट के अन्तर्गत हो [सिवाय उनके जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां युनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, लागू नहीं होता है।]

[(३) यह विधान तुरन्त प्रचलित हो जायगा।]

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा, किन्तु उन क्षेत्रों में जो धारा १—क खंड (क) से खंड (घ) तक में आते हैं, यह धारा १—क के अधीन किये गये अपवादों और परिष्कारों को बाधित न करते हुए, ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करदे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के इस अधिनियम के भिन्न भिन्न निदेशों के लिए भिन्न भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

१—क—राज्य सरकार ऐसे अपवादों (exceptions) या परिष्कारों (modifications) के साथ जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता

हो और जो वस्तु-स्थिति के अनुसार अपेक्षित हों, यह पूरा अधिनियम या इसका कोई निर्देश गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों या आस्थानों में प्रसारित कर सकती है :—

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, की प्रथम अनुसूची (schedule) में दिये क्षेत्र,

(ख) बनारस ज़िले का परगना कसवार राजा,

(ग) कोई क्षेत्र जो ३० नवम्बर, १९४९ ई० को निम्नलिखित के अन्तर्गत रहा हो :—

(१) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट।

(२) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट।

(३) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी गढ़वाल।

(४) प्राविंसेज़ ऐण्ड स्टेट्स (एब्सार्पशन आफ़ एन्क्लेव्ज़) आर्डर, १९५० में दी हुई "एन्क्लेव्ज़" की परिभाषा में आने वाले ऐसे एन्क्लेव्ज़ (अन्तरक्षेत्र) जो उक्त आर्डर के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्तर्भूत हो गये हों।

(घ) देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर और मिर्जापुर ज़िले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।

परिभाषाएं।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस (विधान) अधिनियम में—

(क) "कृषि-क्षेत्र" (ऐग्रीकल्चरल एरिया) का तात्पर्य किसी नागर-क्षेत्र (अर्बन एरिया) के सम्बन्ध में उस क्षेत्र से है जो ऐसे दिनांक को ध्यान में रखते हुए जिसे इस सम्बन्ध में (प्रान्तीय) राज्य सरकार विज्ञापित कर दे निम्नलिखित में से किसी के खाते के अन्तर्गत हो और जो उसके काश्तकार (या) माफ़ीदार या बाग़दार द्वारा कृषि या उद्यानकरण के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो।

(१) स्थिर दर का काश्तकार (फ़िक्स्ड रेट टेनेंट),

(२) साक़ितुल. मिल्कियत काश्तकार (एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेण्ट),

(३) दखीलकार काश्तकार (आक्युपेंसी टेनेण्ट),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (टेनेंट होल्डिंग आन स्पेशल टर्म्स इन अवध),

(५) माफ़ीदार (रेण्टफ्री ग्रान्टी),
(६) काश्तकार रियायती लगान (ग्राण्टी ऐट ए फ़ेवरेबिल रेट आफ़ रेंट), या
(७) मौरूसी काश्तकार (हेरिडेटरी टेनेंण्ट) [और "अकृषि-क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो कृषि क्षेत्र न हो], या
(८) बाग़दार,
(९) यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि जिस पर यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, की धारा ३ में दी हुई "उन्नति" की परिभाषा में न आने वाले भवन स्थित हों और उनसे मिली हुई भूमि कृषि क्षेत्र में सम्मिलित न की जायगी।

स्पष्टीकरण १—ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो सीर हो और काश्तकार के पास पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर हो, इस विधान के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह ऐसे काश्तकार के पास उस भूमि के मौरूसी काश्तकार के नाते रही है।

स्पष्टीकरण २—ऐसी कोई भूमि में जो किसी काश्तकार के कब्जे में हो और जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर ३० जून, १९५२ ई०, को उत्तर प्रदेश में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी थी, और यदि मालगुजारी नहीं लगी थी तो इतना स्थानिक-कर (local rate) लगा था जो २५० रु० से अधिक की मालगुजारी पर देय था और वह मध्यवर्ती स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़ (idiot) अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता (physical infirmity) के कारण खेती करने में असमर्थ हो अथवा भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह ऐसे काश्तकार के पास उस भूमि के मौरूसी काश्तकार के नाते रही है।

स्पष्टीकरण ३—माल अभिलेखों में चालू परती (current fallow) के रूप में दिखायी गयी भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाती है।

(ख) "प्रतिकर कमिश्नर" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर कमिश्नर से है।

(ग) "प्रतिकर अधिकारी" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है।

(घ) "डिक्री" का वही अर्थ है जो उसे सिविल प्रोसीड्योर कोड, १९०८ द्वारा दिया गया है। ऐक्ट ५, १९०८।

(ङ) "परिच्छेद कमिश्नर" और "परिच्छेद अधिकारी" का तात्पर्य धारा (५२) ४९ के अधीन नियुक्त क्रमशः परिच्छेद कमिश्नर और परिच्छेद अधिकारी से है।

(च) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के स्वामी (प्रोप्राइटर), मातहतदार (अंडर प्रोप्राइटर), अदना मालिक (सब प्रोप्राइटर), ठेकेदार अवध में पट्टेदार इस्तमरारी (पर्मानेंट लेसी इन अवध) और दवामी काश्तकार (पर्मानेंट टेन्यूर होल्डर) से है।

ऐक्ट ५, १९०८। (छ) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो उसे कोड आफ़ सिविल प्रोसीड्योर, १९०८, में दिया गया है।

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस विधान के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(झ) "पिछली कृषि-वर्ष" (प्रीवियस ऐग्रीकल्चरल इयर) का तात्पर्य उस कृषि-वर्ष से है, जो उस कृषि-वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो।

(ञ) "स्वामी" (प्रोप्राइटर) का तात्पर्य किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, [प्रान्तीय] "राज्य" सरकार तथा स्थानिक अधिकारीको (लोकल अथारिटी) को छोड़ कर ऐसे व्यक्ति से है, जो न्यासी के रूप में (इंटरेस्ट) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र में स्वामित्व रखता हो और "स्वामी" के अन्तर्गत स्वामी के दाय के उत्तराधिकारी (एअर) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (सक्सेसर इन इन्टरेस्ट) हैं।

(ट) "[प्रान्तीय] राज्य सरकार" का तात्पर्य [संयुक्त प्रान्त] उत्तर प्रदेश की सरकार से है और "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७, में दिया गया है।

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१६। (ठ) "नागर-क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो ७वीं जुलाई, १९४९, ई० को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६, ई० के अधीन म्युनिसिपैलिटी या नोटिफ़ाइड एरिया अथवा

सं० प्रा० ऐक्ट २, १९१४ ऐक्ट २, १९२४। यूनाइटेड प्राविंसेज़ टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४, के अधीन टाउन एरिया अथवा कैंटूनमेंट ऐक्ट, १९२४, के निदेशों के अधीन कैण्टूनमेंट था [सिवाय उनके जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, लागू नहीं होता]।

सं० प्रा० ऐक्ट १७, १९३९। (ड) इस विधान में प्रयुक्त हिन्दी के उन शब्दों और पदों का जिनकी परिभाषा इसमें नहीं दी है पर जिनके अंग्रेजी पर्याय यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, में प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त विधान में उन अंग्रेजी पर्यायों को दिया गया है।

(ड) इस विधान में प्रयुक्त उन हिन्दी शब्दों और पदों का जिनकी परिभाषा इस विधान में नहीं दी है और न जिनके अंग्रेजी पर्यायों की परिभाषा यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, में दी है पर जिनके अंग्रेजी पर्याय यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, में प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त विधान में उन अंग्रेजी पर्यायों को दिया गया है। सं० प्रा० ऐक्ट १७ १९३९। सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१।

अध्याय २

कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद
(डिमार्केशन आफ़ ऐग्रीकल्चरल एरियाज़)

कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार।

३—(१) नागर क्षेत्रों (अर्बन एरियाज़) में मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व को इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अधीन हस्तगत करने के अभिप्राय से राज्य [प्रान्तीय] सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश कर सकती है कि किसी नागर क्षेत्र में स्थिति कृषि क्षेत्रों का परिच्छेद कर दिया जाय [ऐसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत कर दिये जायं, नागर-क्षेत्रों का परिच्छेद कृषि-क्षेत्रों और अकृषि-क्षेत्रों में कर दिया जाय।]

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को अवधारित करेगा और उनका परिच्छेद करेगा। [उसके बाद यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी (डिमार्केशन आफ़िसर), नागर क्षेत्र के पर्यालोकन में प्रवृत्त होगा (शैल प्रोसीड टु सर्वे) और तत्सम्बन्धी स्थानिक अधिकारकी (लोकल अथारिटी) से परामर्श करने के बाद पूर्वोक्त परिच्छेद के लिये अपने प्रस्ताव निर्मित करेगा (शैल फ्रेम हिज़ प्रोपोज़ल्स।]

प्राथमिक प्रस्तावों का प्रकाशन और उनके विरुद्ध आपत्तियां।

४—(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर, जिसे [प्रान्तीय] राज्य सरकार निश्चित करदे, परिच्छेद अधिकारी कारणों सहित अपने प्रस्तावों का परिच्छेद कमिश्नर (डिमार्केशन कमिश्नर) के सम्मुख प्रस्तुत करेगा; परिच्छेद कमिश्नर उसमें ऐसे परिष्कार कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद परिच्छेद कमिश्नर नियत रूप में गजट में तथा ऐसी अन्य रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों के परिच्छेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव बना दिये गये हैं और उनका निरीक्षण उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों में किया जा सकता है (उसके बाद परिच्छेद कमिश्नर गजट में, तथा अन्य ऐसी रीति से, जो नियत कर दी जाय, उक्त

प्रस्तावों को उपधारा (३) के अधीन परिष्कृत रूप में एक ऐसे रेखा चित्र के साथ, जिसमें कृषि-क्षेत्रों और कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद दिखलाया गया हो, प्रकाशित करेगा।]

(३) स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या स्वत्व रखने वाली स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी) उपधारा (२) में प्रकाशन के दिनांक के एक मास के भीतर [दिये दिनांक पर, या उसके पहले,] उक्त प्रस्ताव [प्रस्तावों] के विरुद्ध नियत रीति से आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत कर सकती है।

अन्तिम परिच्छेद।

५--(१) धारा ४ की उपधारा (२) में उल्लिखित एक मास की अवधि [के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति में दिये दिनांक] को समाप्ति के बाद परिच्छेद कमिश्नर आपत्तियों[पर] का नियत रीति से निर्णय करेगा और तब [विचार कर लेने के बाद] कृषि-क्षेत्रों [और अकृषि-क्षेत्रों] का अन्तिम रूप से परिच्छेद कर देगा।

[(२) इस प्रकार किया गया परिच्छेद गजट में या ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, प्रकाशित किया जायगा।]

(३) उपधारा (१) के अधीन अन्तिम रूप से कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद करने के बाद परिच्छेद कमिश्नर एक नोटिस गजट में तथा ऐसी अन्य रीति से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, प्रकाशित करेगा कि कृषि क्षेत्रों का अन्तिम रूप से परिच्छेद कर दिया गया है और उनके व्योरों का निरीक्षण नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों में किया जा सकता है। [इस प्रकार प्रकाशित परिच्छेद अन्तिम और निश्चायक होगा तथा उस पर किसी न्यायालय में कोई आक्षेप न किया जा सकेगा।]

५-क--धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी परिच्छेद कमिश्नर की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील माल बोर्ड को की जायगी।

अधिकार-अभिलेखों का पुनरीक्षण।

६--यदि [प्रान्तीय] राज्य सरकार किसी नागर क्षेत्र के विषय में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, के निदेशों के अनुसार ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार (अभिलेख रिकार्ड आफ राइट्स) तैयार या पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) किये जांय।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के अधिकारों का हस्तगत किया जाना और उसके परिणाम

कृषि क्षेत्रों का [महामहिम]राज्य के अधिकार में आना।

७--धारा ५ [६] के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद हो जाने के बाद (प्रान्तीय) राज्य सरकार किसी समय भी विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले नागर क्षेत्र में स्थित ऐसे सब क्षेत्र, उस दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, [महामहिम] राज्य

के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से (जिसे आगे चल कर स्वत्वाधिकार का दिनांक कहा गया है) ऐसे सब कृषि क्षेत्र सब भारों से मुक्त (फ्री फ्राम आल इन्कम्ब्रेंसेज) [इस प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम] राज्य को हस्तान्तरित होकर उनके स्वत्वाधिकार में, उस दशा को छोड़ कर जिसको आगे व्यवस्था की गयी है, आ जायेंगे।

विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति गजट में [तथा ऐसे अन्य प्रकार से, जो नियत किया जाय] प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि उसका यथावत् प्रकाशन हो गया है।

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति का हिन्दी में प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (कन्क्लूसिव प्रूफ) होगा कि उसका यथावत् (ड्यू) प्रकाशन हो गया है।]

स्वत्वाधिकार के परिणाम।

९—जब किसी कृषि-क्षेत्र के विषय में धारा ७ के अधीन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाय, [तब] किसी संविदा (कान्ट्रैक्ट) लेख्य (डाकुमेंट) या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि (एनी अदर ला फ़ार दि टाइम बीइंग इन फ़ोर्स) में किसी बात के रहते हुए भी और इस [विधान] अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर [सेव ऐज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडिड इन दिस ऐक्ट] स्वत्वाधिकार के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे :

(क) ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत खानों और खनिज पदार्थों तथा भूमि के नीचे यदि कोई अधिकार हों, तो उनके सहित, मध्यवर्तियों के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे, और सब भारों से मुक्त होकर राज्य [प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम] के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे;

(ख) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र के, तथा ऐसे क्षेत्र या उसकी मालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारों और विशेषाधिकारों के सभी अनुदान और आगम के पुष्टीकरण, चाहें वे वापस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायेंगे;

(ग) (१) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे सभी लगान (रेंट्स), अबवाब (सेस), स्थानिक-कर (लोकल रेट्स) और सायर, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद के हों और जो उक्त क्षेत्र के हस्तगत न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, [प्रान्तीय] राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा।

"(ग) (२) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब या स्थानिक कर उक्त दिनांक के बाद किसी अवधि के लिये किसी मध्यवर्ती को दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित या अभित्यक्त (रिलीज्ड) हुआ हो तो ऐसे अनुबन्ध या संविदा के रहते हुए भी उक्त लगान, अबवाब या स्थानिक कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य होंगे, और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि में से काट कर वसूल किये जा सकेंगे।"

(घ) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली सभी मालगुजारी (रेवेन्यू), अबवाब (सेस) या अन्य देयों को सब बक़ाया, जो मध्यवर्ती से स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी समय के लिये प्राप्य हो, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए (विदआउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड आफ़ रिकवरी) ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी;

सं० प्रा० ऐक्ट २५, १९३४।

"(घघ) ऐसी सब धनराशियां जिनकी राज्य सरकार को, अदायगी के लिए मध्यवर्ती को, यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४, की धारा २७ तथा २८ के अधीन आज्ञा दी गयी हो, और ऐसी सब धनराशियां जिनका वह लैंड इम्प्रूवमेंट लोंस ऐक्ट, १८८३ या ऐग्रीकल्चरिस्ट्स लोंस ऐक्ट, १८८४, के अधीन देनदार हो, उक्त विधानों में किसी बात के रहते हुये भी तुरन्त देय हो जायंगी और वसूली के अन्य ढंगों को जिनकी व्यवस्था उक्त प्रयोजन के लिये की गयी हो, बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि में से हटाकर वसूल की जायगी।"

(ङ) इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र में मध्यवर्ती का हस्तगत किया गया स्वत्व किसी दीवानी या माल (सिविल और रेवेन्यू) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (प्रोसेस) के निष्पादन (एक्सिक्युशन) में कुर्क या नीलाम न हो सकेगा और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वर्तमान (एक्सिस्टिंग) प्रत्येक कुर्क़ी और उस दिनांक के पहले दी गयी क़ुर्क़ी की आज्ञा ट्रांसफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ७३ के निदेशों (प्राविज़न्स) को बाधित न करते हुए, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी;

(च) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (मार्गेज विद पजेशन) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के निदेशों के अधीन [प्रान्तीय] राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए, उस धनराशि के लिये, जो इस प्रकार हस्तगत क्षेत्र या उसके भाग पर सुरक्षित हो, दृष्टिबन्धक (सिम्पिल मार्गेजी) में परिवर्तित (सब्स्टीट्यूटेड) समझा जायगा;

(२) बन्धक-पत्र (मार्गेज डीड) या किसी दूसरे अनुबन्ध (ऐग्रीमेंट) में किसी बात के रहते हुए भी उपखंड (१) के अनुसार परिवर्तित दृष्टिबन्धक के सम्बन्ध में प्रख्यापित धनराशि पर व्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से चलेगा, जो नियत किये जायं;

(छ) किसी ऐसे रुपये के लिये जो इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके भाग के बन्धक से सुरक्षित (सिक्योर्ड) हो या उस पर भाररूप (चार्ज्ड) हो, कोई दावा (क्लेम) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले उपगत (इन्कर्ड) किया हो, ट्रांस्फ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से, उक्त क्षेत्र में उसके स्वत्व के विरुद्ध व्यवहार में न लाया जा सकेगा (शैल नाट बी इन्फ़ोर्सेबिल);

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद (सूट्स) और व्यवहार (प्रोसीडिंग्ज़) जो किसी न्यायालय में स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (पेंडिंग) हों [और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (पेंडिंग) हों] और स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा से सम्बन्ध रखनेवाली सब कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी (शैल बी स्टेड);

(झ) प्रत्येक ठेका, वहां तक जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे क्षेत्र से हो, निष्प्रभाव हो जायगा।

कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद।

१०—स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले की लगान (रेंट), अबवाब (सेस), सायर या अन्य देयों की बक़ाया (एरियर्स) की वसूली के अधिकार पर, इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव न होगा और उक्त बक़ाया, इस अधिनियम [विधान] में किसी बात के रहते हुए भी, पहले की तरह, ऐसे व्यक्ति के द्वारा वसूल की जा सकेगी, जो उसका अधिकारी हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान की बक़ाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा किसी खाते से वाद-ऋणी (जजमेंट डेटर) की बेदखली अथवा उसके विक्रय द्वारा निष्पादित (एक्सिक्युटेड) नहीं की जायगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जिस मध्यवर्ती का ऐसे क्षेत्र में, जिसके विषय में बक़ाया देय है, स्वत्व इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, उसके द्वारा देय लगान, अबवाब, स्थानिक कर, सायर या पूर्वोक्त अन्य देय उसे मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये या चुकाये जा सकते हैं और पाने वाले व्यक्ति को वसूली के दूसरे साधनों के अतिरिक्त यह साधन भी प्राप्त रहेगा।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ बन्दोबस्त होना।

११—ऐसे कृषि क्षेत्र या उसके भाग के विषय में जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे नाते हो या रहा समझा जाय, यह समझा जायगा कि उसका बन्दोबस्त [प्रान्तीय] राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि उक्त क्षेत्र इसी नाते [प्रान्तीय] राज्य सरकार की ओर से अपने पास रखे :—

(१) स्थिर दर का काश्तकार (फ़िक्स्ड रेट टेनेंट)
(२) साक़ितुलमिल्कियत काश्तकार (एक्स-प्रोप्राइटरी टेनेंट)
(३) दखीलकार काश्तकार (आकुपेंसी टेनेंट)
(क) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार
(ख) माफ़ीदार
(४) मौरूसी काश्तकार (हेरिडिटरी टेनेंट)
(५) काश्तकार रियायती (ग्राण्टी ऐट फ़ेवरेबिल रेट आफ़ रेंट)
(६) बाग़दार
(७) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ ई०, की धारा ४७ की उप-धारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

१ जुलाई, १९४८, को या उसके बाद हुए लगान का परिवर्तन का न माना जाना।

१२—यद्यपि इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई०, को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती या किसी काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा (का ट्रैक्ट) की गयी हो या कोई बात की गयी या होने दी गयी हो तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान के बराबर समझा जायगा जिसका वह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी (प्रिडिसेसर-इन-टाइटिल) देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के बाद किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से कोई कमी हो या छूट मिले, तो उस पर विचार नहीं किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

कलेक्टर द्वारा कृषि-क्षेत्रों का अवधान में ले लिया जाना।

१३—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में, नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह वैध (लाफुल) होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किया गया क्षेत्र या क्षेत्र का कोई भाग, जो इस अध्याय के निदेशों के अधीन राज्य [महामहिम] के स्वत्वाधिकार में आ गया हो अपने अवधान (चार्ज) में ले ले और ऐसे कार्य करे या कराये, और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(ख) इस अध्याय के निदेशों के अनुसार हस्तगत किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश कर और उसका पर्यालोकन (सर्वे) या पैमाइश (मेजरमेंट) करें या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार में इस अधिनियम [विधान] (ऐक्ट) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो;

(ग) किसी व्यक्ति के इस प्रकार हस्तगत किये गये क्षेत्र या उसके भाग से सम्बन्ध (रिलेटिंग टु) वही (बुक्स), हिसाब (एकाउंट्स), या अन्य लेख्य (डाकुमेंट्स) निर्दिष्ट (स्पेसिफ़ाइड) अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की, और ऐसे अधिकारी को ऐसी और सूचना जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे; और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं, तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने क़ब्जे में कर ले।

अध्याय ४

प्रतिकर का निर्धारण

१४—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि-क्षेत्र में निहित अधिकार (राइट), आगम (टाइटिल), या स्वत्व (इन्टरेस्ट) इस विधान के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा। उसके स्वत्व हस्तगत किये जाने के लिए मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना।

१५—(१) प्रतिकर स्वत्वाधिकार के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उसको मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी, प्रतिकर देय होने का दिनांक।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर [प्रान्तीय] राज्य सरकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से—[अवधारण के दिनांक (डेट आफ़ डिटरमेशन) तक २ १।२ प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष देगी।]

(१) नक़द दी जाने वाली धनराशि के विषय में, अवधारण के दिनांक तक,

(२) बन्धों के रूप में दी जाने वाली धनराशि के विषय में, बन्धों के निष्क्रय के दिनांक तक २ १/।२ प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष देगी।

अन्तरिम प्रतिकर।

१६—(१) [प्रान्तीय] राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (इन्टरिम) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम [विधान] के निदेशों के अनुसार अवधारित न किया जाय, तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर [प्रान्तीय] राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देश करना होगा।

(२) यदि इस प्रकार हस्तगत किये गये किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व के विषय में कोई व्यक्ति विवाद करता हो (डिस्प्यूट्स), तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में दिया जाने वाला अन्तरिम प्रतिकर ऐसी रीति से, ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अधीन जो जमानत, वापसी या दूसरी बातों के विषय में नियत किये जायं, दिया जायगा।

अन्तरिम प्रतिकर का संधान।

१७—धारा [१८] १६ के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (एडजेस्टेड) कर दिया जायगा।

प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया।

१८—प्रतिकर निर्धारण से; तथा प्रतिकर पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से सम्बन्ध रखने वाले सब व्यवहार ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगें, जिसके अधिक्षेत्र में हस्तगत किया गया कृषि-क्षेत्र स्थित हो।

प्रतिकर निर्धारण तालिका।

१९—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिए प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (कम्पेंसेशन एसेसमेंट रोल) तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी:—

(क) उक्त कृषि-क्षेत्र की प्रत्येक मध्यवर्ती से सम्बन्ध रखने वाली कच्ची और पक्की निकासी (ग्रौस असेट्स ऐंड नेट असेट्स),

(ख) स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी काल के लिए उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देय लगान, मालगुजारी, अबवाब, तथा अन्य देयों (ड्यूज) की बक़ाया,

(ग) प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा उक्त क्षेत्र में उसके अंश या स्वत्व के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में देय मालगुजारी, और

(घ) ऐसे दूसरे व्योरे जो नियत किये जायं।

प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना।

२०—धारा १९ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी (कम्पेंसेशन आफ़िसर) के हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका उन बातों के प्रमाण में जो उसमें लिखी हों, ग्राह्य होगी।

२१—उस दशा को छोड़ कर, जिसकी व्यवस्था धारा २८ में की गयी है, यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों के अधीन तैयार किये गये या पुनराक्षित (रिवाइज्ड) अधिकार-अभिलेखों (रेकार्ड आफ राइट्स) में पिछले कृषि-वर्ष के प्रत्येक इन्दराज के विषय में, इस विधान के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वे उससे सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्र में प्रत्येक मध्यवर्ती के अधिकार आगम और स्वत्व (राइट, टाइटिल, ऐंड इण्टरेस्ट) को ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं। अधिकार-अभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परिकल्पना (प्रीज़म्पशंस)।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६ के, या यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के, निर्देशों के अधीन या किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार-अभिलेखों (रेकार्ड आफ राइट्स) में किये गये किसी परिष्कार (माडिफ़िकेशन), परिवर्तन (आल्टरेशन) अथवा संशोधन (करेक्शन) पर, चाहे वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा।]

२२—यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी यदि प्रतिकर अधिकारी को यह सन्तोष हो जाय कि [पिछले कृषि-वर्ष के] अधिकार-अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक) या ऐसी भूल है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो (एरर अपेरेंट आन दि फ़ेस) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है। अधिकार- अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना।

२३—धारा [२१ और] २२ में कही गयी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के इस अधिकार पर नहीं होगा कि वह किसी अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालय में उचित विधिक व्यवहार (ड्यू प्रोसेस आफ़ ला) द्वारा इस विधान के अन्तर्गत हस्तगत किये गये किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित कर सके। दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार।

२४—किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती की कच्ची नि (ग्रौस असेट्स) उक्त क्षेत्र में उसके अंश या स्वत्व से सम्बन्ध रख कुल कच्ची आय (ऐग्रिगेट ग्रोस इन्कम) होगी और उसमें [निम का अन्तर्भाव होगा (शैल इन्क्लूड) (क)—) काश्तकारों, ((क) में अभिदिष्ट माफ़ीदारों, या बाग़दारों, मातहतदारों प्रोप्राइटर्स), अदना मालिकों (सब-प्रोप्राइटर्स), दवामी काश्तक (पर्मनेंट टेन्योर होल्डर्स), [या] और अवध के दवामी पट्टेदारों (पर्म लेसीज इन अवध) द्वारा या उनकी ओर से देय अबवाबों और स्थानि करों (लोकल रेट्स) सहित—

(१) नक़दी लगान, या

(२) यदि लगान जिन्सी है, या अंशतः नक़दी और अंश जिन्सी है, तो वह लगान जो यूनाइटेड प्राविं टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निर्देशों के अनुसार लग जाय, और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो किसी मातहतदार, अदना मालिक और साक़ितुलमिल्कियत काश्तकारों के सम्बन्ध में साक़ितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और दूसरों के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधारित लगान [का अन्तर्गत होगा।]

[(ख) सायर, जिसके अन्तर्गत हाटों, बाज़ारों और मेलों की आय होगी और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के बारह कृषि-वर्षों की उसी प्रकार की आय के जोड़ के बारहवें अंश के बराबर हो।]

ठेकेदार की कच्ची निकासी।

२५—जहां स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास हो, वहां धारा २४ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगायी जाने वाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

पक्की निकासी।

२६—प्रतिकर निर्धारण तालिका की तैयारी के प्रयोजनों के लिये किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित घटा कर निकाली जायगी—

(क) ऐसी धनराशि को नियत रीति से लगायी जाय और जो पिछले कृषि-वर्ष में उसके द्वारा [प्रान्तीय] राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (सुपीरियर लैंड होल्डर) को क्षेत्र के सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान तथा अबवाब या स्थानिक कर के निमित्त देय [थी] हो,

(ख) प्रबन्ध व्यय (कास्ट आफ़ मैनेजमेंट) और लगान की ऐसी बक़ाया जो वसूल न हो सकती हो, दोनों मिल कर कच्ची निकासी से १५ प्रतिशत के बराबर,

(ग) ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, जो मध्यवर्ती द्वारा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में नियत रीति से लगायी गयी कृषि-आय-कर के कारण पिछले कृषि वर्ष के लिये भुगतान की गयी है या की जाने वाली है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी मालगुज़ारी, जो [महामहिम (हिज़ मैजेस्टी) या प्रान्तीय राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ अधिकारिक (कम्पीटेंट अथारिटी) द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अनुदान (ग्रांट) या किये गये पुष्टिकरण (कन्फरमेशन) के कारण अभ्यर्पित (एसाइण्ड) अभित्यक्त (रिलीज्ड), अभिसंधित (कम्पाउंडेड) या निष्क्रीय (रिडीम्ड) की गयी हो, [प्रान्तीय] राज्य सरकार को देय मालगुजारी नहीं समझी जायगी।

मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और

२७—ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) से (डी)

तक के अनुसार रक्खे गये अधिकार अभिलेखों में दर्ज हैं, मातहतदारों (अन्डर प्रोप्राइटर्स), अदना मालिकों (सब-प्रोप्राइटर्स), दवामी काश्तकारों (पर्मानेंट टेन्योर होल्डर्स) और अवध के दवामी पट्टेदारों (पर्मानेंट लेसीज़ इन अवध) पर धारा २४ से २६ तक के निदेश ऐसे आनुषंगिक (इन्सीडेंटल) परिवर्तनों (चेंजेज़) और परिष्कारों (मोडिफ़िकेशन्स) के साथ, जो नियत किये जायं, लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगायी जायगी। अवध के दवामी पट्टेदारों की कच्ची और पक्की निकासी निकालना।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन।

२८—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी :

(क) गज़ट में और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, उस सम्बन्ध में, नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (कापी) के साथ पूर्वोक्त नोटिस की एक प्रति उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत करें,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर, ग्राह्य नहीं होगी (शैल नाट बी इण्टरटेंड) कि कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है या उसका कोई अंश नहीं है, किन्तु यह बात उस दशा में न लागू होगी जब उक्त आपत्तिधारा (२१ अथवा) २२ के अधीन दी गयी किसी आज्ञा (या डिक्री) के अनुसार की गयी हो।

आपत्ति सुनने का दिनांक।

२९—दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे व्यक्ति (पर्सन इन्टरेस्टेड) को देगा, जो धारा २८ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (रिप्लाई) में उपस्थित हुआ हो।

आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय।

३०—धारा २८ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों (आब्जेक्शन) की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सभी अधिकार, जहां तक के वे लागू हो सकें और इस अधिनियम (विधान) के निर्देशों के असंगत (इनकन्सिस्टेंट) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (माडिफ़िकेशन्स) को बाधित न करते हुये, जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (इम्मूवेबल प्रापर्टी) सम्बन्धी वादों को सुनवाई और निस्तारण (डिस्पोज़ल) के लिए दी गयी है।

धारा ३० के अधीन हुई आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

३१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३० के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुक़दमे का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायेंगे।

डिस्ट्रिक्ट जज को अपील।

३२—किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, धारा ३१ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी।

हाई कोर्ट को अपील

३३—धारा ३२ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री के विरुद्ध, कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाईकोर्ट में अपील हो सकेगी।

पुनरीक्षण।

३४—हाई कोर्ट प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी ऐसे मुक़दमे का जिसमें अपील न हो सकती हो, अभिलेख अपने यहां मंगा सकता है और यदि, यह प्रतीत हो कि उक्त प्रतिकर अधिकारी ने :

(क) किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसे विधित: प्राप्त नहीं था, या

(ख) विधित: प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अपने अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (इल्लीगली) या वास्तविक अनियमितता के साथ (विद मिटीरियल इर्रेगुलैरिटी) आचरण किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

अन्तिम प्रतिकर निर्धारण तालिका।

३५—(१) यदि धारा २८ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति (उज्रदारी) न की गयी हो या यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत होकर निस्तारित हो गयी हों और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये गये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अन्तिम हो जायगी।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना।

३६—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रतिलिपि बिना शुल्क उससे सम्बन्ध रखने वाले मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रतिलिपि उस परगना के, जिसमें वह कृषि-क्षेत्र स्थित हो जिसका प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बन्ध है, अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (असिस्टेंट कलेक्टर इन्चार्ज आफ दि सब-डिवीजन) के कार्यालय के सूचना-पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर भी लगवा देगा।

प्रतिकर की मात्रा का अनुसूची में दिये गुणनफल के अनुसार होना।

३७—ऐसे कृषि क्षेत्रों में जिनसे प्रतिकर निर्धारण तालिका का सम्बन्ध है, किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़ कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ३५ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी का [ऐसा गुणनफल] बारह गुना होगा [जो अनुसूची ७ के अनुसार लागू होता हो]।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा।

३८—जहां हस्तागत किये गये कृषि-क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो, वहां ऐसे मध्यवर्ती का प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुई पक्की निकासी पर धारा ३७ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाया

गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बांट देगा :

(क) नजराना, (प्रीमियम), यदि ठेके के आरम्भ में कोई दिया गया हो,

(ख) ठेके की कुल अवधि और उसका शेष अंश,

(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र का हस्तगत किया गया अंश,

(घ) ठेके के अन्तर्गत शेष अंश की कच्ची और पक्की निकासी,

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि, और

(च) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जायं।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन।

३९—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजन करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

धारा ३८ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

४०—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र प्राप्त (आफ़ काम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन) दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी और अपील में दी गयी आज्ञा, उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गयी है, निश्चयाक होगी।

(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा का धारा ३४ में उल्लिखित आधार (क) से (ग) तक में से किसी आधार पर पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकता है।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय शुल्क। ऐक्ट सं० ७, १८७० ई०।

४१—कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, १८७० में किसी बात के रहते हुए भी धारा ५ क, ३२, ३३ और ४० के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील की स्मरण पत्र (मैमोरैंडम) पर देय न्याय-शुल्क (कोर्ट फ़ी) वह होगा, जो नियत किया जाय।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुई हों।

४२—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (फ़ाइनल) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इसी विधान में आगे चल कर इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र प्राप्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (ए परसन इंटरेस्टेड) की प्रार्थना पर अन्तिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (क्लेरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स) को या किसी ऐसी अशुद्धि को, जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (एक्सीडेंटल स्लिप आर ओमिशन) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है।

अध्याय ५

प्रतिकर का भुगतान (पेमेंट आफ़ कम्पेंसेशन)

तालिका में दर्ज प्रतिकर का मध्यवर्ती को दिया जाना।

४३—मध्यवर्ती को इस अधिनियम [विधान] के अधीन हस्तगत किये गये कृषि-क्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के हस्तगत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ३७ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी हो।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

४४—धारा ४८ के निदेशों को बाधित न करते हुये, ऐसा मध्यवर्ती जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो, इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा।

प्रतिकर का विधिक प्रतिनिधि को देय होना।

४५—यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

४६—इस अधिनियम [विधान] के अधीन देय प्रतिकर नक़द या बंधों के रूप में या अंशतः बंधों के रूप में [ऐसे रूप में] जैसा भी नियत किया जाय दिया जायगा [जो नियत किया जाय।]

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य आधिकारिक के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

४७—(१) जहां, प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (एन्डाउमेंट) हो अथवा वह अवयस्क हो, किसी व्यावहारिक अक्षमता (लीगल डिसेबिलिटी) के अधीन हो, या कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (लिमिटेड ओनर) हो, वहां किसी विधि (ला) में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु ऐसे व्यापक निदेशों (जनरल डाइरेक्शन) को बाधित न करते हुए जो [प्रान्तीय] राज्य सरकार के, प्रतिकर उस व्यक्ति के लिए और उसकी ओर से ऐसे आधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा।

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके लिए या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (युटिलाइजेशन) और विनियोग (डिस्पोज़ल) करने के अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विनियोग करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता न समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति न समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविंसेज स्टेट्स ऐक्ट, १९२० के निदेशों के अधीन उस कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायालय या आधिकारिक के हाथ में दिया जाना।

४८—जहां किसी न्यायालय या आधिकारिक के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर या उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या

पड़ सकता हो, वहां उक्त न्यायालय या अधिकारिक को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि वह इस प्रकार देय धनराशि उसके अधिकार में दे दे (प्लेस ऐट हिज़ डिस्पोज़ल) और तब उस धनराशि का विनियोग (डिस्पोज़ल) ऐसे न्यायालय या अधिकारिक की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

अध्याय ६

प्रकीर्ण (मिस्सेलेनियस)

४६—इस अधिनियम [विधान] के प्रयोजनों के लिये [प्रान्तीय] राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है: — अधिकारियों की नियुक्ति।

(क) एक प्रतिकर कमिश्नर (कम्पन्सेशन कमिश्नर),

(ख) एक परिच्छेद कमिश्नर (डिमार्केशन कमिश्नर),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (कम्पन्सेशन आफ़िसर्स), तथा

(घ) परिच्छेद अधिकारी (डिमार्केशन आफ़िसर्स)।

४६-क राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर नियुक्त कर सकती है जो प्रतिकर कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। — अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

४६-ख राज्य सरकार ऐसे एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद कमिश्नर नियुक्त कर सकती है जो परिच्छेद कमिश्नर के ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जिनके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। — अतिरिक्त परिच्छेद कमिश्नर।

५०—(१) प्रतिकर कमिश्नर और परिच्छेद कमिश्नर ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (सुपरवीज़न) और अधीक्षण (सुपरिन्टेंडेंस) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायें। — अधिकार और कर्तव्य।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस [विधान] अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

५१—गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा [प्रान्तीय] राज्य सरकार इस [विधान] अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (आफ़िसर) या आधिकारिक (अथारिटी) को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (कन्डीशन्स) और निरोधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अधीन प्रयोग करने के लिए सौंप सकती है। — अधिकारों का प्रतिनिधान।

कुछ विषयों में साक्षियों को उपस्थित करने का अधिकार।

५२--निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (पावर्स), अधिकार (राइट्स) और विशेषाधिकार (प्रिविलेजेज़) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (ऐक्शन) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों (सिविल कोर्ट्स) को हैं :

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रकथन (अफ़र्मेशन) करा के, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिए कमीशन या निवेदन-पत्र (लेटर आफ़ रिक्वेस्ट) जारी करना;

(ख) लेख्य (डाकुमेंट) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) नोटिस की तामील;

(घ) न्यायालय के अपमान (कण्टेम्प्ट) के लिए लोगों को दण्ड देना,

और किसी भी व्यवहार (एक्शन) में साक्षियों को उपस्थित कराने और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (फ़ार्मल प्रोसेस) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उस ही के बराबर समझा जायगा।

लेख इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

५३--(१) नियत किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए, प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जो ऐसा अधिकारी इस [विधान] अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (लीगली बाउण्ड) है।

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यालोकन इत्यादि का अधिकार।

५४--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों पर उपाश्रित रहते हुये, जो नियत किये जायं, इस [विधान) अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी इस (विधान) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसी जनसेवकों (पब्लिक सर्वेंटस) सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्यालोकन (सर्वे) या पैमाइश (मेज़रमेंट) कर सकता है या अन्य ऐसा कार्य कर सकता है, जो वह इस (विधान) अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद कमिश्नर के सामने वाले व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

५५—किसी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर के सामने चलने वाले व्यवहार (प्रोसीडिंग्स) के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए एक वैचारिक व्यवहार (जूडिशियल प्रोसीडिंग) है।

वाद-व्यय।

५६—इस अधिनियम [विधान] के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद कमिश्नर द्वारा वाद-व्यय (कास्ट्स) के सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद-व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र प्राप्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उस मुंसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन (ऐक्ज़ीक्युशन) का प्रार्थना-पत्र हो।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

५७—इस अधिनियम [विधान] या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों, और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किया जाय, किया जा सकेगा, और ऐसा शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि किसी ऐसे लेख्य, विवरण या रजिस्टर या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि ले सके।

व्यवहार का संक्रामण।

५८—(१) किसी फ़रीक़ (पार्टी) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फ़रीक़ों को नोटिस देकर तथा ऐसे फ़रीक़ की सुनवाई करके, जो अपनी सुनवाई चाहता हो, या ऐसे नोटिस बिना स्वयं ही, डिस्ट्रिक्ट जज अपने अधिक्षेत्र के किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (प्रोसीडिंग) को अपने यहां मंगा सकता है और अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (काम्पिटेंट टु डिस्पोज़ आफ) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी के यहां उसे निस्तारण (डिस्पोज़ल) के लिए संक्रामित (ट्रांस्फ़र) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके बाद उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि, यदि संक्रामण (ट्रांस्फ़र) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हो तो उसे बाधित न करते हुए, चाहे वह उसकी कुल सुनवाई आदि फिर भी करे या उस अवस्थान (प्वाइण्ट) से प्रारम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था।

कुछ विषयों में दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र न होना।

५९—उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गयी हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम [विधान] के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से हो।

इस विधान के अधीन किये गये कार्यों के लिये परित्राण।

६०—(१) यदि इस अधिनियम [विधान] के या उसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया [या किया गया प्रतीत होने वाला] कोई कार्य सद्भाव से और इस अधिनियम [विधान] के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्त्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा।

(२) इस अधिनियम [विधान] के किसी निदेश के कारण या इस अधिनियम [विधान] के या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने वाली किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (डैमेज) या अन्य हानि (इंजरी) के सम्बन्ध में राज्य [प्रान्तीय] सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई दूसरा व्यवहार नहीं चल सकेगा।

राज्य [प्रान्तीय] सरकार के दायित्व की भरपाई।

६१—इस अधिनियम (विधान) के निर्देशों के अनुसार प्रतिकर देने पर राज्य [प्रान्तीय] सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसे वास्तविक अधिकार हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, उचित व्यवहार द्वारा (बाई ड्यू प्रोसेस आफ़ ला) कार्यान्वित कर सके, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय ४ और ५ के अधीन व्यवहारों में राज्य [प्रान्तीय] सरकार का फ़रीक़ होना।

६२—(१) अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रत्येक व्यवहार में राज्य [प्रान्तीय] सरकार फ़रीक़ होगी और फ़रीक़ समझी जायगी और राज्य [प्रान्तीय] सरकार पर तामील किया जाने वाला या तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (इन्टेन्डेड) प्रत्येक नोटिस कलेक्टर या ऐसे अधिकारिक पर तामील किया जा सकेगा, जिसे कलेक्टर नामांकित (नामिनेट) कर दे।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ६३ [६६] की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य (प्रान्तीय) सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (पीरियड आफ़ लिमिटेशन) उस आज्ञा के दिनांक, से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन में होगी।

नियम बनाने का अधिकार।

६३—(१) राज्य (प्रान्तीय) सरकार इस अधिनियम (विधान) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(क) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी द्वारा स्थानिक अधिकारियों के साथ परामर्श करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ख) धारा ३ के अधीन परिच्छेद अधिकारी द्वारा (नगर क्षेत्र) के पर्यलोकन (सर्वे) कृषि क्षेत्रों के अवधारण तथा परिच्छेद की रीति,

(ग) वह आकार जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव किये जायंगे,

(घ) वह आकार और रीति जिसमें परिच्छेद के प्रस्ताव और अन्तिम रूप से परिच्छेद किये हुये कृषि क्षेत्रों के व्यौरे क्रमशः धारा ४ और ५ के अधीन (प्रकाशित किये जायेंगे,) निरीक्षण के लिए प्राप्त हो सकेंगे;

(ङ) धारा ४ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत करने तथा धारा ५ के अधीन निस्तारण (डिस्पोजल) की रीति,

(च) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्र के स्वत्वाधिकार में आने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही,

(छ) इस (विधान) अधिनियम के अधीन स्थागित वादों और व्यवहारों का निस्तारण (डिस्पोजल);

(ज) धारा (१४) १३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के अवधान में लिये जाने से सम्बन्ध रखने वाले विषय,

(झ) वह रीति और आकार जिसमें धारा १६ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायगी,

(ञ) वह रीति और आकार जिसमें धारा २८ के अधीन आपत्ति (आब्जेक्शन) प्रस्तुत की जायगी,

(ट) धारा ४८ के अधीन प्रतिकर को धनराशि के न्यायालय या आधिकारिक के अधिकार में देने की प्रक्रिया,

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस (विधान) अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार उसके अन्तर्गत है :

(क) ऐसी कालावधि (टाइम लिमिट) लगाने के लिए जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बात अवश्य की जाय, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी आधिकारिक को अधिकार देकर या न देकर,

(ख) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस (विधान) अधिनियम कोई विशेष निर्देश नहीं बनाया गया है, इस विधान अधिनियम के अधीन किसी वाद या दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया,

(ग) इस (विधान) अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या आधिकारिक के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी और आधिकारिक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस सम्बन्ध में (विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस (विधान) अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि,

(ङ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस (विधान) अधिनियम में कोई विशेष निदेश नहीं बताया गया है, इस (विधान) अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क,

(च) इस (विधान) अधिनियम के अधीन दिये जाने वाली प्रार्थना-पत्रों (ऐप्लिकेशन्स), अपीलों और व्यवहारों (प्रोसीडिंग्स) पर इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट १९०८ के निर्देशों का लागू किया जाना (ऐप्लिकेशन),

(छ) इस (विधान) अधिनियम द्वारा (प्रान्तीय) राज्य सरकार या किसी दूसरे आधिकारिक, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (डेलिगेशन), तथा

(ज) एक आधिकारिक या अधिकारी के यहां से दूसरे आधिकारिक या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण।

(४) इस (विधान) अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (प्रीवियस पब्लिकेशन) के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस (विधान) अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गज़ट (आफ़िशियल गज़ट) में प्रकाशित किये जायंगे, और यदि कोई आगे का दिनांक (लेटर डेट) निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे (कम इन्टु फ़ोर्स)।

(६) इस (विधान) अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र (प्रान्तीय) राज्य विधायिका के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधायिका (लेजिस्लेचर) अपने उस अधिवेशन में करें जिनमें वह इस प्रकार रक्खें जायं।

परिशिष्ट

धारा ३७

स्थानिक संस्था की श्रेणी	स्थानिक संस्था का नाम	धारा ३७ के प्रयोजनों के लिए गुणक
१	कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, और उनके कन्टूनमेंट्स	२५
२	देहरादून और देहरादून कन्टूनमेंट, मसूरी, सहारनपुर, हरिद्वार यूनियन, मेरठ और मेरठ कन्टूनमेंट, कोयल (अलीगढ़), मथुरा और मथुरा कन्टूनमेंट, बरेली और बरेली कण्टूनमेंट, मुरादाबाद रेलवे सेटिलमेंट, के सहित, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर कंटूनमेंट, झांसी रेलवे सेटिलमेंट और झांसी कंटूनमेंट सहित, गोरखपुर, फ़ैज़ाबाद, चारबाग़, आलमबाग़ नोटिफ़ाइड एरिया।	२२
३	मुज़फ़्फ़रनगर, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, पीलीभीत, फ़र्रुखाबाद तथा फ़तेहगढ़ और फ़तेहगढ़ कंटूनमेंट, मिर्ज़ापुर, जौनपुर ।	२०
४	रुड़की और रुड़की कंटूनमेंट, बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बृन्दावन, मैनपुरी, एटा, कासगज, बिजनौर, नजीबाबाद, बदायूं, उझानी, चन्दौसी, अमरोहा, सम्भल, इटावा, ललितपुर, बांदा, ग़ाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, लखीमपुर, बहराइच, नवाबगंज (बाराबंकी)।	१८
५	ऋषिकेश, देवबन्द, कैराना, शामली बरौत, पिलकुआ, मवाना, दिवाई, अतरौली, सिकन्दराराउ, कोसी, फ़तेहपुर, सीकरी, शिकोहाबाद, सोरों, जलेसर, आंवला, चांदपुर, धामपुर, नगीना, सहसवा हसनपुर, तिलहर, बीसलपुर, कन्नौज,, कायमगंज, औरया, फ़तेहपुर, बिंदकी, मऊ ओरई, काल्पी, कूंच, हमीरपुर, महोबा, रैथ, चुनार, देवरिया, गौरा, बरहज, बस्ती, मऊ (ज़िला आज़मगढ़) काशीपुर, खैराबाद, सण्डीला, पिहानी, बिलग्राम, गोलागोकरननाथ, टांडा, कर्नलगंज-सिकरौरा नोटिफाइड एरिया सहित, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बेला (प्रतापगढ़)।	१६
६	मंगलौर, गंगोह, कान्धला, खातौली, अनूपशहर, गंजडुंडवारा, बहेरी, बिल्सी, कर्बी, जालौन, मुग़लसराय, अहरौरा, शाहगंज, रसरा, मिसरिख, नीमसारण्य, बिसवां, मोहम्मदी, नवाबगंज (गोंडा), नानपारा, रुदौली।	१४
७	सर्धना, बाग़पत, मरेहरा, ककराला, नेहतौर, बादशाहपुर, दोगड्ढा, रामनगर, सौदी, उतरौला, भिंगा।	१२

सभी ऐसे क्षेत्र जो यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ के निदेशों के अन्तर्गत किसी भी टाउन एरिया में सम्मिलित हैं।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ के परिशिष्ट में दिए हुए उद्देश्य और कारणों के विवरण के अन्तिम अनुच्छेद, में यह कहा गया था कि म्युनिसिपैलिटी, कैन्टूनमेंट, नोटिफ़ाइड एरिया और टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत कृषि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक भिन्न विधान विचाराधीन है। तदनुसार यह विधेयक (बिल) प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के, जिन पर कोई इमारत बनी हो, या ऐसे अकृषिक-क्षेत्रों के, जिन पर कोई काश्तकार न हो, और जमींदारों की सीर और खुदकाश्त और उनके बागों के क़ब्जे और अधिकार के विषय में हस्तक्षेप करने का नहीं है। केवल ऐसी ही भूमि में जो शरह मुअइयन काश्तकार, साक़ितुलमिल्कियत काश्तकार, दखीलकार काश्तकार, अवध में विशेष शर्तों वाले काश्तकार, माफ़ीदार रियायती लगान के काश्तकार और मौरूसी काश्तकार के पास हैं, मध्यवर्तियों के अधिकार और स्वत्व हस्तगत किये जायेंगे।

नागर-क्षेत्र में भूमि के मूल्य का अवधारण उसकी उपज से नहीं प्रत्युत किसी विशेष स्थान के सन्निकट होने के आधार पर ही किया जाता है। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ में दिये हुए प्रतिकर लगाने के सिद्धान्त लागू नहीं हो सकते। अतः नगर, नगरियों और छावनियों का विभाजन उनकी जनसंख्या तथा महत्व को दृष्टि में रख कर सात वर्गों में किया गया है। मध्यवर्तियों को उस स्थान विशेष के वर्ग के अनुसार जिसमें हस्तगत किये जाने वाले उनके अधिकार और स्वत्व स्थित हों, पक्की निकासी का १२ से २५ गुना तक प्रतिकर दिया जायगा। संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल, १९४९ के विधान बन जाने पर नागर-क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार के सुधार के लिए एक अलग विधान प्रस्तुत किया जायगा।

हुकुम सिंह, विश्येन,
माल सचिव।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०–१०९ एल–१९५२–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरुप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्यर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊ दयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री

बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री

रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयाशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडे, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिव राज सिंह यादव, श्री
शिव राम पांडेय, श्री
शिव राम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ट्यूबवेल निर्माण के ठेके

*१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा जो ट्यूबवेल निर्माण किये जा रहे हैं वे किस एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—उत्तर प्रदेश में चालू योजना में से अधिकांश पर वैभागिक एजेंसी द्वारा ही कार्य हो रहा है और आवश्यकतानुसार स्थानीय ठेकेदारों से काम ले लिया जाता है। केवल ४४० नलकूप की ही एक ऐसी चालू योजना है जिस पर सम्पूर्ण कार्य भारत सरकार की सिफारिश पर एक विदेशी कम्पनी सर्व श्री एशोसियेटेड ट्यूबवेल्स लिमिटेड द्वारा हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—उनको ठेका देने से पहले क्या कोई टेण्डर काल किये गये थे ?

श्री राममूर्ति—ठेका देने ··

अध्यक्ष—माननीय मंत्री बैठ जायं मैंने अभी उनको बुलाया नहीं, यह केन्द्रीय सरकार ने तय किया था इसलिये इस का ब्यौरा नहीं पूछा जा सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगे जो ट्यूबवेल दिये जायेंगे उन में इस बात का खयाल किया जायगा कि वह हिंदुस्तानी कम्पनियों को दिये जायं ?

श्री राममूर्ति—हमारी स्टेट द्वारा जो कुएं बनते हैं उनमें इस बात का खयाल किया जाता है कि पहले वह विभाग के द्वारा बनवाये जायं और अगर काम अधिक होता है तो ठेकेदारों से बनवाये जाते हैं जो अपने ही प्रदेश के लोग होते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—(जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो कण्ट्रेक्ट दिये गये हैं उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति अब तक करीब २०० ट्यूबवेल बन कर तैयार हुये हैं और बाकी में काम हो रहा है और उम्मीद है कि वे भी इस साल में पूरे हो जायगे।

*२—श्री देवकीनन्दन विभव—जिन ठिकेदारों को ठेके दिये गये हैं उनमें से कितनी भारतीय फर्म हैं और कितनी दूसरे देशों की और क्यों ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, अनेक स्थानीय ठेकेदारों का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों पर किया जाता है। केवल एशोसियेटेड ट्यूब वेल्स ही एक ऐसी विदेशी (अंग्रेजी) फर्म है जिसको ४४० नलकूप योजना को पूरा करने का सम्पूर्ण कार्य दे दिया गया है। इसका कारण मुख्यतः यह था कि भारत सरकार अपनी अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत अल्प सामयिक योजना में पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में १,००० नलकूप बनाने के लिये उत्सुक थी और इस सम्बन्ध में उसने सर्व श्री एशोसियेटेड ट्यूबवेल्स को इन १,००० नलकूपों का सम्पूर्ण कार्य देना उचित समझा क्योंकि इस फर्म के पास पूरा करने के लिये आवश्यक मशीनें तथा (Drilling rigs) जो सरलता से उपलब्ध नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में थीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रादेशिक ट्यूब्रवेल्स बनने का कार्य भी इसी कम्पनी को दिया जाता है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं, जो प्रदेश की ओर से बनाये जाते हैं वे विभाग के द्वारा बनवाये जाते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि जिन मशीनों और सामान की कमी है उसको मंगाने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—सरकार ने आर्डर दे रखा है और सब सामान आ जायगा तो बहुत से काम आरम्भ किये जायेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतावेंगे कि इस कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के बहाव का निरीक्षण

*३—**श्री राम अधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार वह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षों में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने किसी अमेरिकन विशेषज्ञ को प्रतापगढ़ जिले की सई नदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये भेजा था। यदि हां, तो विशेषज्ञ ने क्या रिपोर्ट दी है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—सरकार ने किसी विशेषज्ञ को प्रतापगढ़ में सई नदी के बहाव का निरीक्षण करने के लिये नहीं भेजा था।

पक्के कुंओं के निर्माण के लिये दी जाने वाली सहायता में कमी

*४—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या यह सत्य है कि पक्के कुंओं के लिये दी जाने वाली सहायता इस वर्ष आधी करदी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वर्ष कुआं बनाने के लिये सब्सिडी प्रदेश के १३ अभाव ग्रस्त पूर्वी जिलों में सीमित रक्खी गई है। इन १३ जिलों में से ६ जिलों में जो अभाव से विशेषतः पीड़ित हैं यानी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बलिया में ४०० रु० फी कुआं और बाकी जिलों में यानी गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, तथा जौनपुर में २०० रु० फी कुआं सब्सिडी दी जायगी। बाकी जिलों में सब्सिडी बन्द कर देने का मुख्य कारण आर्थिक कठिनाई था। साथ ही भारत सरकार से जो सब्सिडी कूप निर्माण के लिये मिलती थी वह इस वर्ष से बन्द कर दी गई। यह भी अनुभव किया गया था कि यदि काश्तकार को समय पर कूप निर्माण की सामग्री मिल सके तो वह बिना सब्सिडी के भी कुआं बनवा लेगा। इसके अतिरिक्त नलकूप, नहर इत्यादि की अन्य योजनायें भी विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जायंगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि पिछले वर्ष में कुएं बनाने के लिये जिन लोगों को सामान मिल चुका और किसी कठिनाई वश वे नहीं बना सके और इस साल बनवा रहे हैं तो क्या उन्हें इस साल के हिसाब से या पिछले साल के हिसाब से सब्सिडी दी जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिनको सामान मिल चुका और जिनकी दरख्वास्तें ३० जून तक आ चुकी हैं उनको पुराने हिसाब से मिलेगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार नियंत्रित मूल्य पर कुंएं बनवाने वालों के लिये अलग से सामग्री देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उनको सामग्री मिलने की व्यवस्था के लिये जो जिलों में प्लानिंग आफिसर्स हैं उनको ये हिदायतें हैं कि जो कोई कुआं बनवाना चाहे उसे सामग्री दिलवाने में पूरी सहायता करें और वे हर तरह से उनकी मदद करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि पक्के कुएं बनवाने के लिये २-२ साल से सीमेंट लोगों को नहीं मिला है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—दो साल की तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं पर सीमेंट की कठिनाई जरूर हुई है। सम्भव है अब यह कठिनाई न हो सके और यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान की ओर ध्यान दिलायेंगे तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ११ या १२ पूर्वी जिलों का उन्होंने जिक्र किया है उनको छोड़ कर प्रांत की दूसरी जगहों के किसानों द्वारा कुएं बनवाने के लिये कोई सहायता दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने जैसा जवाब में कहा, सब्सिडी का प्रश्न वहां नहीं रखा गया है। लेकिन नलकूपों के लिये सहकारी योजना है और उसमें सरकारी सहायता दी जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—किसी जिले में ४०० और किसी में २०० कुओं की व्यवस्था है यह भिन्नता क्यों रखी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—किसी जिले में ज्यादा जरूरत है और किसी में कम जरूरत है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—पिछले साल गोरखपुर में कितने पक्के कुंए बने ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस समय मैं अलग-अलग जिलों की बाबत तो नहीं बता सकता। इसके लिये अलग से सवालात करेंगे, तो बता सकूंगा।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—जितनी कुंएं की लागत होती थी क्या पहले उसकी एक चौथाई सरकार देती थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—चौथाई तो नहीं करीब-करीब एक तिहाई के बराबर थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि आजमगढ़ जिले में सरकारी आदेश के अनुसार बहुत से किसानों ने ईंटें पायीं, लेकिन कोयला आदि सामान न मिलने के कारण बरसात में ईंटें गल गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आमतौर पर कुंएं गलाने का काम बरसात के बाद होता है। अब कोयले की भी कमी नहीं है, काफी कोयला आ चुका है जो जिलों को भेजा जा चुका है।

*५—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बतलायेगी कि इस वर्ष दी जाने वाली सहायता किस रूप में मिलेगी और कब से मिलेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रत्येक मंजूर शुदा कुआं बनाने के लिये पहिले निर्माण सामग्री के रूप में तकावी पूर्व की भांति मिलेगी। उचित ढंग से कुआं तैयार हो जाने पर जितनी सब्सिडी वाजिब होगी वह तकावी ऋण में मुजरा हो जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—५—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६—८—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

परगना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फ़रनगर में सिंचाई के अभाव के कारण कृषकों को कष्ट

*९—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रियावली, नंगला, दत्याना इत्यादि परगना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में सिंचाई के अभाव के कारण वहां के कृषकों की दशा अत्यन्त खराब है? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राममूर्ति—उक्त ग्राम हिण्डन तथा काली नदियां की खादर में पड़ते हैं। यह क्षेत्र अधिकतर ऊंचा-नीचा है और नहर अथवा नलकूप से सिंचाई के योग्य नहीं है।

ग्राम रियावली, नगला का लगभग ७८० एकड़ क्षेत्र, जो कि सिंचाई के लिये उपयुक्त है, सरकारी नलकूप संख्या २० काकड़ा ग्रुप के अधिक्षेत्र में पहले ही से हैं तथा उसमें गत चार वर्षों से सिंचाई हो रही है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी क्षेत्र के नसीरपुर और वसी ग्रामों की भूमि भी ऊंची-नीची है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार इन ग्रामों की जमीनों को हमवार करने की कोशिश कर रही है?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के सामने नहीं है।

*१०—श्री श्रीचन्द—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*११—१३—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मुजफ्फरनगर में जिला जजी की मांग

*१४—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुजफ्फ़रनगर की जनता और बार एसोसिएशन अरसे से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिला मुजफ्फ़रनगरमें डिस्ट्रिक्ट जजी (District Judge's Court) होनी चाहिये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—वैभागिक काग़ज़ात को देखने से मालूम होता है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार ने हाई कोर्ट से भी इस बात के जानने का प्रयत्न किया है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जजी मिर्ज़ापुर में भी खोली जा सकती है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—ख़ासतौर से मुझे मिर्ज़ापुर नगर का तो ख़्याल नहीं है लेकिन कई ज़िलों के मुताल्लिक़ हाई कोर्ट से राय ली गई थी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या मुज़फ़्फ़रनगर की दरख़्वास्त जो डिस्ट्रिक्ट जजी बनाने के लिये हाई कोर्ट में चल रही है, सरकार मंगा कर उस पर विचार करेगी।

श्री सैयद अली ज़हीर—जब सरकार के पास आवेगी तो ज़रूर विचार किया जायगा।

*१५—श्री बलवन्त सिंह—सरकार इस मांग को कब तक पूरा कर सकेगी ?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

जुडीशियरी को जिलाधीश के अधिकार में रखने पर आपत्ति

*१६—श्री बलवन्त सिंह—क्या यह सही है कि जिन ज़िलों में (Executive) और (Judiciary) की अलहदगी है वहां भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आफ़िसरों तथा दूसरे जुडीशियरी के अधिकारियों पर जिलाधीश का अधिकार है ? इसे हटाने के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं, जिन ज़िलों में जुडीशियरी (Judiciary) और एक्जीक्यूटिव (Executive) की अलहदगी है वहां जुडिशयल अफ़सरों तथा दूसरे अधिकारियों पर जिलाधीश का नहीं वरन् ऐडीशनल मैजिस्ट्रेट (Judicial) का अधिकार है। जुडीशियल एडीशनल मैजिस्ट्रेट जिलाधीश के अधीन नहीं समझे जाते वरन् वे कमिश्नर तथा राज्य सरकार से अपना सीधा सम्पर्क रखते हैं।

अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलहदा करने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलाहदा करने का तो हमारे कांस्टीट्यूशन में खासतौर से प्राविजन मौजूद है और इस सरकार की भी नीति यही है कि उस बिल पर आख़िर अमल किया जाय।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश जुडिशियल आफिसर्स के कैरेक्टर के संबंध में कोई वार्षिक इन्दराज उनके कैरेक्टर रोल में नहीं करता है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसके लिये सूचना की ज़रूरत है ।

गोरखपुर जिले में बाढ़ के दिनों में बर्ड घाट पैण्टून ब्रिज से राप्ती नदी पार करने में कठिनाई

*१७—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—क्या यह सच है कि जिला गोरखपुर में राप्ती नदी में बाढ़ आ जाने से "बर्ड घाट पैण्टून ब्रिज" से यात्रियों को नदी पार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं। नदी पार करने के लिये नावों का उचित प्रबंध था।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नाव के प्रबंध में उस घाट पर कितनी नावें रखी गईं और कितने आदमी नित्य प्रति उन नावों से पार करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा मुझे मालूम है कि काफी तादाद में यात्री उससे पार हुये।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो नाव का प्रबंध किया गया है उसके बारे में काफी शिकायतें उनके पास आयी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

*१८—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि राप्ती नदी पर एक पक्का पुल बना दिया जाय ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी पक्का पुल बनाने में बड़ा खर्चा होगा। सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है।

*१९–२१—श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद (जिला रायबरेली)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मैनपुरी के ग्राम नगला कांस तथा उसके आसपास के क्षेत्र से वर्षा का पानी निकालने की व्यवस्था

*२२—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मैनपुरी की तहसील जसराना के ग्राम नगला कांस तथा उसके आस पास के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा के पानी को बाहर निकलने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में वर्षा का पानी निकलने के लिये कोई व्यवस्थित नाला नहीं है।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में इस साल जो वहां की फ़सल बरबाद हुई है उसकी सूचना जिलाधीश को दी गयी है या नहीं?

श्री राममूर्ति—हमारे विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२३—श्री विष्णुदयाल वर्मा—क्या सरकार इस पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था के हेतु कोई योजना बना रही है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। क्योंकि अब तक इस क्षेत्र में वर्षा का पानी भर जाने की कोई शिकायत नहीं थी। किन्तु अब यह जानने के लिये कि इस पानी को निकालने के लिये वहां नाला बनाया जा सकता है या नहीं इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया जायेगा।

*२४-२६—श्री देवकीनन्दन विभव—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*२७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये जिले की छोटी छोटी नदियों में बांध बनवाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु आजमगढ़ ट्यूबवेल डिवीजन के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस जिले का सर्वे (Survey) करेंगे ताकि लाभप्रद योजनाओं की व्यवस्था की जाये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अकाल-क्षेत्रों में पानी की सिंचाई की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, हम इस बात की कोशिश में हैं। हमारे यहां नगला और नुरही में रिजरव्वायर्स बन रहे हैं उनमें जब कामयाबी हो जायगी तो शारदा कैनाल को एक्सटेंड करेंगे और पानी उस क्षेत्र में पहुंचेगा। साथ ही साथ सर्वे हो रहा है और योजना का निर्माण हो जाने के बाद उस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल्स बनाये जायेंगे। इस साल भी १० ट्यूबवेल्स तजुर्बे के तौर से बन रहे हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—वह तो मैंने अर्ज किया कि पूरे जिले का सर्वे हो रहा है। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे।

*२८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में इस साल कितने ट्यूबवेल्स बनाने की योजना चल रही है ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में इस साल ट्यूबवेल बनाने के विचार से भू-परीक्षण किया जा रहा है। अनुकूल परिणाम निकलने पर कुछ ट्यूब वेल इसी वर्ष बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है

*२९—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) [२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में नल कूपों की योजना

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि फ़ैजाबाद जिले में अगले प्रोग्राम में कितने नलकूपों की योजना बनायी गयी है और विशेषकर अकबरपुर, टांडा, में जहां की सिंचाई का कुआं और तालाबों के अलावा नहरों आदि का कोई साधन नहीं है कितने नलकूपों का कोटा है ?

श्री राममूर्ति—४० नलकूप योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में ५६ नलकूप का निर्माण पहले ही स्वीकार किया जा चुका है इसके अतिरिक्त Indo-U. S. Technical Co-operation Administration Programme के अन्तर्गत दो साल में इस जिले में १६० नलकूप बनेंगे।

इन नलकूपों की उपयुक्त स्थित जानने के लिये विस्तृत सर्वे हो रहा है। नलकूपों का विस्तृत वितरण सर्वे हो जाने के बाद में ही निश्चित किया जावेगा कि और उसी समय यह मालूम हो सकेगा कि किन तहसीलों में कितने-कितने नलकूप बनेंगे।

नल कूपों की सुविधा के लिये सोहवल के बजाय टांडा में नये पावर स्टेशन का निर्माण

*३१--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि सरकार के विचाराधीन यह भी योजना है कि सोहवल के बजाय ७,५०० किलोवाट का नया पावर स्टेशन, टांडा में बनाया जाय ताकि उपरोक्त दो तहसीलों में नलकूपों के बनाने की सुविधा हो ?

श्री राममूर्ति--ऐसी कोई योजना नहीं बनायी गयी है परन्तु इसके संबंध में एक सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है जिस पर चीफ़ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी गई है ।

*३२-३३--श्री रामस्वरूप गुप्त (ज़िला कानपुर)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४--श्री रामलखन (ज़िला बनारस)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया ।]

ज़िला बनारस की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुक़दमें

*३५--श्री रामलखन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस ज़िले की विभिन्न अदालतों में कितने ऐसे मुक़दमे हैं जो ३ वर्ष पहले से चल रहे हैं और उनमें धारा १४५, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अन्दर कितने मुक़दमें हैं और उनका अब तक निर्णय क्यों नहीं हो पाया है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--बनारस ज़िले की अदालतों में सिर्फ एक मुक़दमा ३ साल पहले से चल रहा है जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की धारा १४५ के अन्तर्गत है । इस मुक़दमें के अब तक फैसला न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--

१--कई तारीखों पर न्यायाधीशों का प्रबंधक कार्य (Executive work) में, जैसे चुनाव, ज़मींदारी उन्मूलन वग़ैरह में मसरूफ़ रहना।

२--कई तारीखों पर न्यायाधीशों को पुलिस के मुक़दमात के कारण समय न मिलना।

३--कई तारीखों पर दूसरे मुक़दमों की वजह से इस मुक़दमें की सुनवाई न हो पाना।

४--कुछ तारीखों पर फरीकैन (Parties) का हाज़िर न होना।

५--कुछ तारीखों पर वकील का और अदालत में मसरूफ रहने की वजह से अदालत में हाज़िर न हो पाना और मुक़दमें का मुल्तवी किया जाना।

६--मुक़दमें का एक अदालत से दूसरी अदालत में तबादला किया जाना।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार को मालूम है पक प्रिवेंटिव सेक्शंस के मुक़दमें १०७,११०,१४५ आदि के जो होते हैं उनमें छः महीने से ज्यादा दिनों की देर लगती है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--यह मुझे नहीं मालूम कि आम तौर से ज्यादा देर लगती है लेकिन बाज़ मुकदमों में देर ज़रूर हो जाती है ।

श्री रामलखन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस मुक़दमें का उन्होंने ज़िक्र किया कि तीन साल से चल रहा है वह सात साल से चल रहा है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी नहीं, यह तो मुझे नहीं मालूम।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार जैसे फौजदारी के मुक़दमों के लिये फैसल होने का समय निश्चित है उसी प्रकार से इन प्रिवेंटिव सेक्शंस के मुकदमा के फ़ैसल होने का समय निश्चित करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---समय तो निश्चित है । मगर बाज वक्त उस पर अमल नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह मुक़दमा तीन साल से नहीं बल्कि सात साल से चल रहा है ?

श्री सैयदअली जहीर---अगर आप सूचना देंगे तो जांच करवाऊंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके अनुसार इन मुक़दमों के फैसल होने में जल्दी हो ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो महज एक जिले के मुताल्लिक़ सवाल है। जो आम सवाल उठाया गया है उसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है और ऐसा हुक्म जारी हो चुका है कि मुक़दमें जहां तक हों जल्द फैसल हों ।

*३६-३७---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले की प्रथम तथा द्वितीय फेज में आने वाली सड़कें

*३८---श्री शिववक्ष सिंह राठौर---(जिला मैनपुरी)---क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में कौन-कौन सी सरकारी सड़कें प्रथम फ़ेज (First Phase) में, और कौन-कौन सड़कें द्वितीय फ़ेज (Second Phase) में हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रथम फ़ेज में ली गई सड़कों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

द्वितीय फ़ेज प्रोग्राम अभी बना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७८ पर)

श्री शिववक्ष सिंह राठौर---क्या सरकार यह बतलायेगी कि फर्स्ट फ़ेज में ली गई सड़कों की तालिका किस आधार पर और किसने बनायी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---विभाग के द्वारा बनायी गयी थी और जो रिपोर्ट नीचे से, जिलों से आई और प्लानिंग कमेटी की ओर से उनके आधार पर बनायी गयी।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर---क्या यह सही है कि युद्धोत्तर योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम बनाया गया था वह उससे भिन्न था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

*३९-४१---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२-४३---श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (जिला रायबरेली)---[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

कालपी, जिला जालौन में बरसात के दिनों में यमुना नदी को पार करने का प्रबन्ध

*४४---राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कालपी (जिला जालौन) में बरसात में यमुना दरिया पार करने का (Ferry) का क्या प्रबंध है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नदी को पार करने के लिये वर्षा ऋतु में नावें और एक पावर टग का प्रबंध है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि जो पावर टग बरसात के दिनों में मदद देता है उसको पेट्रोल इतना कम मिलता है कि वह बराबर खड़ा रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी कोई शिकायत है नहीं। लेकिन अगर माननीय सदस्य को कोई खास शिकायत हो तो वह लिख कर भेजें। उसकी जांच करायी जायेगी।

*४५—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि कालपी में दरिया जमुना पार करने का कोई ठीक प्रबंध न होने के कारण जाने-आने वालों को चार-चार व छै-छै दिन तक पड़ा रहना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी असुविधा केवल नदी में ४५ फ़ीट के ऊपर बाढ़ आने पर होती है यह समय चार या पांच रोज से अधिक नहीं होता है। ऐसी अवस्था में पैदल यात्री रेल के पुल द्वारा नदी पार करते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि बरसात में जो ५-५, ६-६ दिन के लिये लोग पड़े रहते हैं वह पावर टग न चलने की वजह से और मल्लाहों का नाव पर काफ़ी संख्या में न होने की वजह से भी पड़े रहते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब ४५ फीट से ज्यादा बाढ़ होती है तो न तो नाव से, न पावर टग से यात्रियों का जाना ठीक है, क्योंकि उससे माल और जान का खतरा रहता है। तो ऐसी दशा में जब कि दो चार रोज के लिये बाढ़ इतनी ज्यादा हो जाती है तो यात्रियों की यात्रा नावों से या पावर टग से बन्द कर दी जाती है और पैदल यात्री रेलवे ब्रिज से पार कर सकते हैं।

*४६—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि बरसात के दिनों में कालपी में जो यमुना पर रेल का पुल है उस पर से मोटरकारों का आना जाना बन्द कर दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

राजा वीरेन्द्र शाह—जो पहले रेल के पुल से कार और लारी के निकलने का प्रबंध था क्या सरकार फिर से उसको जारी करने की कोशिश करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के रेलवे मिनिस्टर से लिखा पढ़ी की थी लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि इस रेलवे ब्रिज को किसी सवारी के लिये इस्तेमाल करने दें ?

ग्राम रोहता, जिला आगरा में वर्षा का पानी निकालने की योजना

४७—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम रोहता (जिला आगरा) में पिछले कई वर्षों से और इस साल भी, वर्षा का पानी भर जाने के कारण खेती करना असम्भव हो गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। आगरा जिले के रोहता ग्राम में पिछले वर्षों में अधिक वर्षा के कारण आपत्ति रही है। इस वर्ष भी वहां अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण वहां पानी भर गया था।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह क्या कारण थे कि यहां पर बराबर पानी भरते हुये और फसल नष्ट होते हुये भी लगान में एक पैसे की छूट नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लगान में छूट होने की बात तो आबपाशी के रेट में मौजूद है। दूसरे लगान मुल्तवी किया गया और उतनी ही जरूरत समझी गयी। लिहाजा लगान मुल्तवी करके छूट दी गयी।

*४८--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या यह सही है कि बराबर ५-६ साल से दोनों में से एक भी फसल के न होते हुये भी सरकार की ओर से न आबपाशी और न लगान में किसी प्रकार की छूट दी गई ?

श्री राममूर्ति--सबसे पहले सन् १९४९ ई० में यह आपत्ति पैदा हुई थी। रबी की फसल में कोई नुक्सान नहीं हुआ। खरीफ १३५६ फसली १९४९ ई० में ८ रु० ११ आने ९ पाई की तथा खरीफ १३५७ फसली १९५० ई० में ३४१ रुपया १२ आना ९ पाई की आबपाशी में छूट फसल नष्ट हो जाने के कारण दी गई थी।

इसके अतिरिक्त १३५७ व १३५८ फसली में १,४८० रु० व ६६२ रु० क्रमशः लगान वसूलयाबी कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दी गई थी और इस रूप में सहायता दी गई थी। इस वर्ष लगान में क्या छूट दी जाए यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--जो इस गांव की ऐसी दुर्दशा है, क्या इस साल लगान को बिलकुल माफ कर देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लगान की छूट तो जांच पड़ताल के बाद होती है, कुछ नियमों के अनुसार। यदि उस नियम के अनुसार आवश्यक समझा गया तो अवश्य गवर्नमेंट विचार करेगी।

*४९--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ग्राम को इस व्याधि से मुक्त करने के लिये उसने (Drainage) की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति--रोहता गांव की इस आपत्ति को दूर करने की समस्या विचाराधीन है और एक योजना इस संबंध में बनाई जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्न उत्पादन और अन्न रक्षार्थ ड्रेनेज की सुव्यवस्था पर गवर्नमेंट अगले वर्ष और अधिक व्यय करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो इस प्रश्न से निकलता नहीं है, लेकिन यह ठीक है कि छोटी-छोटी इरिगेशन की स्कीम जिनमें पानी निकालने की बात है सरकार के विचाराधीन हैं और यदि ऐसा कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करती है।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या पानी के निकास की योजना जो सरकार बना रही है वह सन् ५३ की बरसात के पहले पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--इस गांव से पानी निकालने के लिये एक योजना बनी थी और १,६०० रुपये की कीमत में वहां पर एक नाली बनाने का इन्तजाम हुआ, लेकिन चूंकि वह कुछ खेतों के बीच से पार हो रही थी इस लिये काश्तकार तैयार नहीं हुये। इसलिये दूसरी योजना १० हजार की लागत की बनाई गयी है। सर्वे हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि वह जल्द बना दी जायेगी।

बड़े घाट, गोरखपुर की फ़ेरी पर घाट पार करने वालों से किराये की वसूली

*५०—श्री राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बड़घाट, गोरखपुर की फेरी पर घाट पार करने वाले लोगों से किराया वसूल किया जाता है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी नहीं, नाव द्वारा घाट पार करने का किराया लिया जाता है।

*५१—श्री राम अवध सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इस किराये की वसूली को कभी माफ भी कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः वसूली का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं,

---

१३ अक्तूबर, १९५२ के कतिपय अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण

अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । कल कुछ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय स्वशासन मंत्री के उत्तर देने के लिये थे । उस सम्बन्ध में उन्होंने यहां पर यह उत्तर दिया था कि वे दौरे से अभी आये हैं । मैंने यह कहा था कि यह कोई कारण नहीं हो सकता, उत्तर न देने का। इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी गलतफहमी मेरी भी रही है और उनकी भी रही है । उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनके यहां से उत्तर मेरे सचिवालय में आ चुके हैं और मुझे यह मालूम नहीं था कि उनके दफ्तर को सूचना उत्तर की तिथि की प्राप्त नहीं हुई है इसकी सूचना स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर को दी गई है, या नहीं दी गई है । मैंने समझा कि दी गई होगी । तहकीकात करने के बाद मुझे यह पता चला कि तारीख ११ अक्तूबर को साढ़े ५ बजे इसका उत्तर विधान सभा के सचिवालय में आया और पूछा गया कि किस तारीख के लिये यह उत्तर रक्खे जायेंगे, यह हमारा सचिवालय स्वशासन मंत्री जी के दफ्तर को बतावे। तो साढ़े ५ बजे आने की वजह से करीब साढ़े ६ बजे हमारे सचिवालय से उत्तर गया, लेकिन उस उक्त माननीय स्वशासन मंत्री जी का दफ्तर बन्द हो गया था। उस समय न इस दफ्तर में कोई था और न उस दफ्तर में कोई था। सिर्फ दफ्तरी या कोई
ऐसा ही अन्य वहां पर मौजूद था, डिस्पैचर शायद मौजूद हो, उन्होंने य
कि चूंकि शनिश्चर था ११ तारीख को, इसलिये सोमवार को स्वशासन मं
में यह इत्तिला भेज दी जायगी की १३ तारीख को लिये जायेंगे। इस प्रकार
जो शख्स वह पत्र ले कर गया वह पत्र स्वशासन मंत्री जी के दफ्त
और उत्तर का समय ११ बजे का था । इस से यह गलतफहमी
उनके दफ्तर को पता नहीं था कि आज उत्तर देने के लिये हैं। यह
इसलिये उचित समझता हूं क्योंकि मैंने कल यह कह दिया था f
है और वह मेरा कहना भी उचित ही उस वक्त के लिये था क
था कि उनके दफ्तर को सूचना मिल चुकी है और वे दौरे पर जा
यह कोई कारण उत्तर देने का नहीं हो सकता । इसके बाद मैंन
समझा। उनके दफ्तर की मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलती
वह अगर जो कार्यक्रम दिया गया था वह देख लेते और माननीय
इतना सजग रहते तो और उचित होता लेकिन कोई विशेष आपत्ति
जहां तक हमारे सचिवालय का संबंध है उसमें भी चूंकि बहुत

[अध्यक्ष]

में रहे। थोड़ी सी गलती उनकी यह है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी के घर पर या उनके सचिव के घर पर भेज देना चाहिये था, या कम से कम इस बात की उनको फिक्र होने चाहिये कि सोमवार के रोज सुबह जल्दी भेजवा देते। यह उन्होंने नहीं किया। मैंने इस संबंध में हिदायत उनके लिये कर दी है।

सदन के स्थगन के संबंध में पूछताछ

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं चाहता हूं। कल सदन के सामने सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद दीवाली की शायद छुट्टी होने वाली दीवाली का त्यौहार है। यह बहुत अच्छा होता अगर यह मालूम हो जाता कि सदन अगले कितने दिनों के लिये उठेगा। अच्छा होता अगर इस कार्तिक के महीने में हम लोग अपने क्षेत्रों में जा करके अपने घरों पर कुछ खेती बाड़ी का काम भी देख लेते।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—इसकी सूचना कल दी जायगी।

उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

*खंड २ (क्रमागत)

अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन दिया था उसके ऊपर बहस कल हो रही थी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा था उस पर मुझे यह कहना है कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन इस अर्थ का है कि जो पुनर्वासन अनुदान कर्ज़े से मुक्त नहीं किया गया है वह कर्ज के भार से मुक्त कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब बात है और कोई आज ही नहीं, यह तो पहले से इस सरकार की और जिस दल की यह सरकार है उसकी भी यह घोषित नीति रही है कि प्रदेश में जितने छोटे जमींदार हैं उनके हितों की रक्षा की जाय। वे अगर ऐसी बात सोचते थे तो वह कुछ अकारण नहीं था। मैं भी समझता हूं कि वह सोचना बहुत ही मुनासिब था। ढाई सौ या इससे कम मालगुजारी देनेवाले ज़मींदारों की संख्या हमारे सूबे में १९,८६,६४१ है। जमींदारों की कुल संख्या हमारे सूबे में २०,१६,७८३ है जिसमें से ढाई सौ वाले तबके के लोगों की संख्या १९,८६,६४१ है और २५ रुपये तक देने वालों की संख्या १७,१०,५३० है। तो इस प्रकार से ज़मींदारों में से एक बड़ी भारी संख्या ऐसी थी जिस संख्या को जमींदारी नाश हो जाने के बाद किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाय इसका ध्यान कांग्रेस हुकूमत ने रखा। मैं इस वक्त जो इस विधेयक को देखता हूं तो उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ भी कानून के ज़रिये उन छोटे ज़मींदारों की उस हिफाजत पहले की गई थी उस हिफाजत पर पानी फेर दिया गया और यहां तक कि इस कानून में तो यह गुंजाइश कर दी गयी है कि जो पुनर्वासन अनुदान की रकम होगी उस रकम में से तीन-चौथाई रकम तक कुर्क की जा सकेगी। यही नहीं बल्कि यहां तक कहा गया है कि जरा मैं इस खंड को आपके सामने रख दूं तो अच्छा होगा "उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीति प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये

---

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।" यह खंड ८ (क) के उपखंड (ख) में दिया हुआ है। तो छोटे जमींदार ऐसे भी हैं जो सादा कर्जा लोगों से लेते हैं और उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ सादे कर्जे का है। सादा कर्जे के संबंध में यह विधेयक नहीं है खामोश है, बंधक वाले कर्जों में ही..........

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—नहीं बोलता है, इसकी धारा ९ देखिये।

श्री गेंदा सिंह—जहां तक खंड ८ का संबंध है उसमें साफ बात है कि और कर्जों से इसका कोई संबंध नहीं है, बंधक कर्जों से ही इसका संबंध है। इसमें तीन चौथाई तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट पर बोझा डाला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर मान लिया जाय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बिना बंधक वाले कर्जों के बारे में भी यह कहता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे जमींदारों के बिना बंधक कर्जे भी हैं और यह कर्जे उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। छोटे-छोटे जमींदार छोटे-छोटे कर्जे दूसरों से लेते हैं और वह प्रोनोट पर लेते हैं, अपने विश्वास पर लेते हैं और काम चलाते हैं। इन कर्जों का बोझ तो उनके ऊपर रहेगा ही और उनको देना ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो बंधक कर्जे हैं उनमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट ३/४ कुर्क की जा सकती है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादती की बात है और मैं बहुत ही जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कानून के जरिये उनकी हिफाजत करने की बात सोची गई थी अब यह बात उल्टी जा रही है।

मैं राजस्व मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त भूमिहीन किसानों की बात की जाती है और यह कहा जाता है कि उस समय किसी भी जमींदार की या किसी की जमींन किसी के कब्जे में हो, तो जोतने वाले को मालिक बना दिया जाय तो उस समय उनकी यह दलील कि २५० रुपये से नीचे के जमींदारों की जमीन के मौरूसी काश्तकार बनना वह पसंद नहीं करते हैं, हम लोग भी उनकी इस दलील के सामने झुकते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ तत्त्व है। लेकिन छोटे काश्तकारों के मुकाबिले में भूमिहीन मजदूरों के मुकाबिले में छोटे जमींदारों की हिफाजत की जाती है। लेकिन जब महाजन की बात आई जिसने कि सूद से कुछ कर्जा बढ़ाया तो फिर वैसे आदमी के मुकाबिले में छोटे जमींदारों की हिफाजत की बात की जानी चाहिये थी तो यहां पर वह बेदर्दी का काम होता है और माननीय राजस्व मंत्री और उनकी सरकार कुछ रहम नहीं खाते हैं और पुनर्वासन अनुदान को भी कर्जे में दे देने में संकोच नहीं होता। इसका मतलब मैं समझता हूं कि हुकूमत ने यह समझा था कि जिसकी जमींदारी खत्म कर रहे हैं उनमें से बड़ी भारी तादाद ऐसे लोगों की है जो जमींदारी पर ही अपना गुजारा करते हैं तो उनको थोड़ी सी इमदाद करेंगे तो मुमकिन है कि यह लोग आगे देश के अन्न के उत्पादन में मदद करें और देश की तरक्की करें तो केवल इस बात को उन्होंने सोचा था। और यह ठीक भी सोचा था पर राजस्व मंत्री को फिर सोचना चाहिये और उन्हें अपनी बातों के उल्टे न जाना चाहिये।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने बार-बार जोर दिया है कि देश में इक्वैलिटी और सोशल जस्टिस के प्रश्न को सामने रखा जाय। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जो रीढ़ है सोशल जस्टिस और इक्वैलिटी तो क्या वह इस ग्रांट के देने से पूरी होती है। बड़े जमींदारों के बारे में, २५० रुपये से ऊपर वालों के बारे में तो मैंने मान लिया कि वह बड़े लोग हैं। सरकार ने तो दस हजार तक के जमींदारों को देने की बात की है। मैं यह कह रहा हूं कि श्री रामनारायण जी का संशोधन कहता है कि २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों से यह चीज रिहैबिलिटेशन से ले ली जाय लेकिन ढाई सौ से नीचे जो जमींदार की भारी तादाद है वह १९ लाख

[श्री गेंदा सिंह]

८६ हजार है, उनके मुताल्लिक़ राजस्व मंत्री जी और उनकी सरकार को सोचना चाहिये और जो बातें उनके मुताल्लिक़ वह पहले कह चुके हैं उससे पीछे उनको नहीं जाना चाहिये।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर अब बहस समाप्त की जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)--अभी एक आध भाषण इस पर और होना चाहिये।

अध्यक्ष--क्लोजर को अब पहले प्रिफरेंस दिया जायगा।

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव पर अब बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैज़ाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन पर कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया। उसमें पहले सदस्य माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी थे उन्होंने यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो हमेशा जमींदारों के ख़िलाफ रही है, शायद यह संशोधन भूल से आ गया तो ऐसी बात नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी जमींदारों को प्रतिकर देने के ख़िलाफ रही है और वह इस बात पर हमेशा जोर देती रही, जब-जब प्रतिकर का सवाल आया तो उसने यह कहा कि प्रतिकर देना किसी भी हालत में मुनासिब न होगा। प्रतिकर देने से एक नज़ीर कायम हो जाती है। आज हम किसानों से दस गुना वसूल करके जमींदारों को किसी तरह से प्रतिकर दे भी दें हालांकि वह भी असंभव हो गया, लेकिन इसके बाद जब देश के बड़े-बड़े कल-कारख़ाने के मालिकों बिरला टाटा आदि को प्रतिकर कैसे दिया जायगा, लिहाज़ा यह बात ग़लत होगी। लेकिन इसके साथ ही जितने माननीय सदस्य कांग्रेस बेंचेज़ पर बैठे हैं और हमारी पार्टी के सदस्य सभी हमेशा एक स्वर से कहते आये हैं कि ढाई सौ से कम मालगुजारी देने वाले जो जमींदार हैं और उसके ऊपर देने वाले जमींदारों में फ़र्क़ रहा है। हमेशा कांग्रेस की तरफ़ से यह कहा गया है कि ढाई सौ से नीचे जो मालगुजार थे वे किसानों की तरह हैं। अगर हमारी पार्टी की बात मानी जाती और जमींन का बटवारा किया जाता तो उस हालत में ढाई सौ रुपये से नीचे के मालगुजार जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है उनको कम से कम ३० एकड़ जमींन मिल जाती तो इस प्रतिकर और रिहैबिलिटेशन से ज्यादा फायदे की बात वह होती, लेकिन वह नहीं किया गया। सरकारी दल की तरफ से उनको पुनर्वासन अनुदान दिया गया। साथ ही साथ प्रतिकर दिया गया। प्रतिकर के बारे में हम हमेशा मुखालिफत करते रहे तो प्रति कर की रक़म तो कुछ अंशों में ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी में ले ली जाय, इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन पुनर्वासन अनुदान तो इसलिये दिया गया है कि वे नये सिरे से कारोबार शुरू कर सकें। कई जमींदार मिल कर कोआपरेटिव बेसिस पर कारोबार शुरू कर सकें। जो रक़म इसलिये दी जा रही है उसकी अदायगी ऋणदाताओं के कर्ज़े की अदायगी में हो जाय तो यह नामुनासिब बात है। माननीय राजस्व मंत्री के सभासचिव श्री मौर्य जी ने यह कहा कि संभवतः हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस विधेयक में प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान को केवल ३/४ भाग तक ही ऋण दाताओं के ऋण की अदायगी में मुजरा किया जा सकता है। हम धारा ८(१)(ग) को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि जिस वक्त हम स्केल बनाना शुरू करेंगे उस वक्त इस बात का लिहाज़ रक्खेंगे कि पहिले प्रतिकर की अदायगी हो, फिर पुनर्वासन अनुदान लिया जाय लेकिन इस विधेयक में इस बात का कहीं समावेश नहीं है। इसलिये अगर मैं गलत समझा हूं तो वह मुझे ठीक कर देंगे और इसका स्पष्टीकरण देंगे कि पुनर्वासन अनुदान में से ऋण की अदायगी नहीं होगी।

माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि संशोधन की परिभाषा ठीक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि परिभाषा में कोई नावाजिब बात नहीं है। माननीय बलवन्त सिंह जी अगर चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं और हमें इस बात की उम्मीद है कि फिर वह हमारा साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने प्रान्त के ज़मींदारों की संख्या का जिकर किया है कि २५ रुपया से कम मालगुज़ारी देने वालों की तादाद १७ लाख के क़रीब है। ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा ९८ के अनुसार एक सूची बनी है उसमें १०० से ऊपर और २५० रुपये से कम मालगुज़ारी वालों को ११ गुना तो प्रतिकर ८ गुना पुनर्वासन अनुदान मिलेगा। मान लीजिये कि कोई २५ रुपये तक का मालगुज़ार है तो उसको २० गुना मिलेगा। एक उदाहरण मैं आप के सामने रखता हूं। एक ज़मींदार २५ रुपये का मालगुज़ार है और वह ६५ रुपया वसूल करता हो और उसमें ४० रुपया उसको मुनाफ़ा होता था तो उसमें उसको ३२० रुपया तो प्रतिकर मिलेगा और ८०० रुपया उसको पुनर्वासन अनुदान मिलेगा, जो उसको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। इसी तरह से हो सकता है कि २५० रुपये का मालगुज़ार है और उसका मुनाफ़ा ४०० रुपया है तो ३,२०० रुपया तो उसको प्रतिकर मिलेगा और ४,४०० उसको पुनर्वासन अनुदान मिलेगा। अब बतलाइये कि उससे वह अपना कारोबार कैसे कर सकेगा। यह तो इतना कम अमाउन्ट (रक़म) है कि इससे बहुत ज्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है। किसी भी स्कीम को चलाने के लिये उनको २-४ ज़मींदारों को मिला कर कोआपरेटिव बनाना पड़ेगा। वह किसी तरह से भी पुनर्वासन अनुदान मिलने पर अकेला बड़ा काम ज़मींदार नहीं कर सकता है। अगर वह बड़े पैमाने पर खेती करना चाहेंगे तो उनको ऋण लेकर काम करना होगा। इसी वजह से यह संशोधन रखा गया है कि उनके साथ कम से कम न्याय किया जाय तभी उनका कुछ भला हो सकता है और सुधार हो सकता है। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे माननीय त्रिपाठी जी को निराश करना पड़ेगा अर्थात् इस संशोधन का मुझे विरोध करना पड़ेगा। इस संबंध में ३-४ बातें याद रखने के लायक़ हैं। पहली बात यह है कि यह कहा जाता है कि सरकारी बेंचों की तरफ से बार-बार यह कहा गया कि २५० रुपये से कम मालगुज़ार तो काश्तकार हैं काश्तकारों में कोई फ़र्क़ नहीं है, लिहाजा उनके क़र्ज़े को जैसा कि आप का संशोधन है बिल्कुल माफ कर दिया जाय। इस सिलसिले और उनमें और में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई बात कभी गवर्नमेंट की तरफ से इस कंटेक्स्ट में नहीं कही गयी। २५० से कम वाले छोटे काश्तकार हैं और इससे ज्यादा वाले ज़मींदार हैं तो उसकी बाबत तफरीक यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३९ में सीर के काश्तकार, गैरदखलीकार बेदख़ल हों या नहीं उसमें २५० रुपया मालगुज़ारी वालों को बताया है। १९४६ में जब कांग्रेस मंत्रि मंडल बना और वह मंत्रिमंडल अब भी मौजूद है, उसकी तरफ से कोई तफरीक जहां तक ज़मींदार होने का संबंध है चाहे वह छोटा मालगुज़ार हो या बड़ा मालगुज़ार हो उसमें कोई बात नहीं कही गयी। ज़मींदारी खत्म करने के लिये जो अधिनियम बना है उसमें तो चाहे एक रुपये का मालगुज़ार हो और वह खुदकाश्त नहीं करता है तो वह मध्यवर्ती माना जायगा और वह लैंडलार्ड माना जायगा और उसकी मिलकियत ले ली जायगी तो हमने किसी तरफ का भी इम्तियाज़ नहीं रखा है। सिर्फ एक जगह पर रखा है और वह यह है कि २५० रुपये से ज्यादा मालगुज़ार की सीर के गैरदखीलकार अधिवासी करार दिये हैं और बड़े मालगुज़ारों की सीर के ग़ैरदखीलकार काश्तकार को सीरदार क़रार दिया है बाक़ी लैंडलार्ड छोटे और बड़े दोनों हैं और उस ऐक्ट के शुरु पन्ने से आखिरी पन्ने तक यही उसूल माना गया है। तो केवल इस कारण की कोई २५० रुपये का मालगुज़ार है इस कारण से उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई है। इसलिये छोटा मालगुज़ार भी किसी रियायत का मुस्तहक़ नहीं होना चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के बाद विराम रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ व ५ से शब्द "और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है" निकाल दिये जायं ।

श्री मन्, खंड २ के उपखंड (ङ) में यह बताया गया है कि दानोत्तर, आस्थान, प्रतिकर पुनर्वासन, अनुदान तथा धर्मोत्तर, यह सब क्या चीज है ? और जहां तक इस विधेयक का संबंध है इनका क्या माने होगा ? और उसी में यह दिया गया है कि जमींदार का अन्तरिम प्रतिकर इस विधेयक से संबंध रखते हुये प्रतिकर ही माना जायगा । इसके माने साफ यह होते हैं श्रीमन्, कि यदि आवश्यकता पड़े या यदि ऋणदाता यह चाहे तो किसी जमींदार के अन्तरिम प्रतिकर से भी कर्जा लिया जा सकता है । श्रीमन्, यहां पर जहां तक मेरा विचार है, सरकार से कुछ और अधिक मांगने की बात नहीं है, सरकार से कुछ जमींदारों के लिये छोड़ने, छोड़वा देने या दिलवा देने का प्रश्न नहीं है । केवल यहां पर प्रश्न इतना ही है कि अन्तरिम प्रतिकर है क्या । जब तक कि किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और अगर उसके प्रतिकर के निर्धारित होने में ९ महीने से अधिक समय लग जाय, तब सरकार ने यह अत्यन्त कृपा करके वादा किया है कि हम कुछ अन्तरिम प्रतिकर दे देंगे ।

तो श्रीमन् प्रश्न यह है कि अन्तरिम प्रतिकर तो उसी समय जमींदार को मिलेगा जब कि ९ महीने तक उनका प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और जो ऋणदाता हैं उनको अपना कर्जा चुकाने का प्रश्न तो तभी उठ सकता है जब कि किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित हो जाय । जमींदारी उन्मूलन विधेयक में भी यही दिया गया है कि जिस समय कम्पेंसेशन आफिसर किसी जमींदार का प्रतिकर निर्धारित कर देगा उसके बाद ही कोई ऋणदाता उसके पास जाकर कह सकता है कि इसको यह प्रतिकर पूरा न दिया जाय । कम्पेंसेशन का सब रुपया उसे न दे दिया जाय क्योंकि वह उसका कर्जख्वाह है और उसके प्रतिकर से उसका रुपया मिलना चाहिये तो जब तक प्रतिकर न निर्धारित हो जाय तब तक ऋणदाता कम्पेंसेशन आफिसर के पास नहीं जा सकता और अंतरिम प्रतिकर इसलिये है कि यदि प्रतिकर किसी समय तक निर्धारित नहीं होता तो जमींदार को अधिक समय तक परेशानी न हो और जमींदारों के पास जरियेमाश नहीं है इसलिये सरकार ने वादा किया था कि अंतरिम प्रतिकर दे देंगे। तो श्रीमन् मेरी समझ में नहीं आता कि इस अंतरिम प्रतिकर से किस तरह से ऋणदाता को कर्ज अदा किया जायगा इसलिये कि तब तक तो प्रतिकर निर्धारित ही नहीं होगा और जब तक वह निर्धारित नहीं होता है तब तक ऋणदाता को देने का सवाल नहीं उठता । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि मुझे यह रिडंडेंट सा लगता है । और यदि कोई और बात है तो मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री कुछ ज्यादा रोशनी डालेंगे ताकि हम विचार कर सकें ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का ध्यान जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा ३० की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है "धारा २९ के अधीन दिया गया अंतरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काटकर संधानित कर दिया जायगा।" तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिकर जमींदार को दिया जायगा उसी में से एक अंश अंतरिम प्रतिकर होगा । ऐसी अवस्था में नियम के अन्दर तो यह बात आ जाती है कि जब तक अन्तरिम रूप से प्रतिकर निर्धारित न हो यानी ९ महीने के भीतर ही अगर जमींदार साहबान दरख्वास्त करें तो कुछ अंतरिम प्रतिकर दिया जाय लेकिन अंतरिम प्रतिकर उसका भाग है। इसलिये कि किसी तरह से दोनों दो भिन्न रकमें नहीं हैं और यह किसी प्रकार मुनासिब नहीं है कि जो अन्तरिम प्रतिकर है

वह प्रतिकर की परिभाषा में न आये। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और समझता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्तरिम कम्पेंसेशन का प्रश्न उठता है आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से जमींदार ऐसे हैं जिनके पास जरियेमाश कुछ भी नहीं रहेगा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी उनको नहीं मिलेगा। वह जमींदार ऐसे हैं जो दस हजार से ऊपर के मालगुजार हैं और बदकिस्मती से उनमें से एक मैं भी हूं और यदि यह कह दिया जाय कि उनके लिये अब इस दुनियां में कोई सहारा नहीं रहना चाहिये तब तो इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं हो सकाता, लेकिन जहां तक अंतरिम कम्पेन्सेशन का प्रश्न उठता है उस हद तक वही चीज उन लोगों के पास है जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। उनके लिये पुनर्वासन अनुदान वही है जो केवल कम्पेंन्सेशन का जो अंतरिम प्रतिकर उसे दे रहे हैं उसकी तादद भी अच्छी है। इस वजह से कि एक मालगुजारी की एक किश्त के बराबर आप उसको देंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां तक कम्पेंसेशन का संबंध है इस विधेयक का असर उस पर नहीं होना चाहिये बल्कि और आगे चल कर आप इन्टरिम कम्पेंसेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट को अटैचेबिल बना दीजिये या और जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं।

परन्तु सरकार के लिये इंटरिम कंपेंसेशन पर किसी तरह का आक्रमण करना अनुचित प्रतीत होता है। उन महाजनों के लिये सब से सरल उपाय यह होगा कि जैसे आप इंटरिम कम्पेन्सेशन जमींदार को देने के लिये तत्पर हुये उसी वक्त महाजन पहुंचता है और इंटरिम कम्पेन्सेशन अटैच हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं बचता है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं श्री सुरेश प्रकाश सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जो अमेंडमेंट उधर से आया है उसका विरोध करता हूं।

हमारे भाई ने अभी बताया है कि महाजनों के रुपये में हम को कमी नहीं मिलेगी। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि १९३७ में गवर्नमेंट ने जब पटौधन की तो लाखों किसानों का रुपया बड़े-बड़े जमींदारों के यहां था। उसमें सरकार ने पटौधन कर दिया और बेचारे किसानों के पास जो खेत थे वह भी निकल गये। जो चीज निकालने के लिये आप कहते हैं अगर उसको निकाल दिया जाय तो पूरा बिल सूना हो जायगा, बेकार हो जायगा। सरकार का समय व्यर्थ हो जायगा, मैं चाहूंगा कि इसको रखा जाय।

बड़े-बड़े जमींदारों का जिक्र आपने किया। ठाकुर साहब ने कहा कि हम दस हजार के मालगुजार हैं। उनके पास बड़ी-बड़ी सीर है अपने नाम रखा......

अध्यक्ष— आप व्यक्तिगत बातें करने लगे।

श्री शिवनारायण—मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आन दि होल जमींदारी अबालिशन होने से पांच साल का जो पीरियड था उसमें लोगों ने अपना-अपना इंतजाम कर लिया। बाग-बगीचे, धन-दौलत सब सुरक्षित कर लिया। किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन गरीबों के लिये कोई बात नहीं सोची जा रही है। सरकार ने उन को मुआविजा देना तय किया। उन को काफी मुआविजा मिलेगा। कोई बोझा उनके कंधों पर नहीं रह जायगा।

उनका जो संशोधन है, वह व्यर्थ है। उसको निकाल देना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे माननीय सुरेश प्रकाश जी ने इस भवन के सामने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले जो उत्तर राजस्व मंत्री जी की तरफ से दिया गया कि अंतरिम प्रतिकर-प्रतिकर का अंश है, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अंश अवश्य है जो मुआविजे का, परन्तु वही उसका प्राण है। मैं यह मानता हूं कि सरकार जमींदारों का मुआविजा कम करने के लिये बिल लायी और जो-जो सरकार ने उनके लिये किया हम जितने जमींदार हैं उनके लिये आभारी हैं। अगर हमारी तरफ से किसी माननीय सदस्य ने वाद-विवाद में कटु आलोचना कर दी हो तो वह स्वाभाविक चीज है। अगर माननीय मंत्री जी को कोई कष्ट हुआ है जैसा कि स्वयं जाकर मैं कह चुका हूं कि ऐसी चीजें पैदा होने के बाद यह नहीं मान लेना चाहिये कि सब लोग इसी भाव को रखते हैं। हमारी चीज जा रही है। हम अधिक से अधिक चाहेंगे। यह स्वभाविक है। माननीय मंत्री जी को बुरा नहीं मानना चाहिये। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो जो चीज आप करने जा रहे हैं उससे वह लाभ नहीं होगा और उनको बहुत अधिक कष्ट होगा।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये भवन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अन्तरिम कम्पेंसेशन ही ऐसी चीज है जो सरकार इतनी बड़ी जायदाद के लेने के बाद नकद देने जा रही है और आपने उसी बिल में रख दिया कि पहले सरकार की जो मालगुजारी है या एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स है उसको काटने के बाद जो बचेगा वह अन्तरिम कम्पेन्सेशन में मिलेगा। पहले तो श्रीमन् एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स ही से शायद ही मुक्ति मिल सके, उसके बाद फिर अगर आप कर्जे को भी उसमें लगा देंगे तो यह जो रियाअत दे रहे हैं, कर्जे से जो थोड़ा बहुत फायदा बड़े और छोटे जमींदारों को होगा यह भी कुछ नहीं रहता। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि अंतरिम कम्पेन्सेशन के ऊपर कितना भार है ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स का और रेवेन्यू का। तो इन सब को काटने के बाद यह होगा कि ९-१० महीने या साल दो साल या तीन साल भी कम्पेन्सेशन मिलने में लग सकते हैं और उसी के लिये यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है। इस बात के ऊपर सोचने की जरूरत है। विरोध करने के लिये यदि इस प्रकार शिव—नारायण जी खड़े हो जायं और इस प्रकार की स्पीच दें कि गरीबों का नुक्सान हो रहा है और तबाही आ रही है, तो मैं आपके जरिये उनको बतलाना चाहता हूं कि जिस चीज को वह पढ़ा न करें उसके संबंध में व्याख्यान देने के लिये खड़े न हुआ करें। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ व्यक्तिगत कह गया। मैं अपने भवन के सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जो मेम्बर साहब जिस चीज को पूरी तरह न समझें तो मैं अदब से कहना चाहता हूं कि उस पर बोलने से विशेष लाभ न होगा, उलटे उनका ही नुक्सान होता है। तो मैं आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस में बढ़ाने या कम करने का सवाल हो। सवाल यह है कि जो अन्तरिम कम्पेन्सेशन सरकार देने जा रही है वह उस तक पहुंच सके और सरकार का मकसद हासिल हो सके।

अगर आपने इस संशोधन को नहीं माना तो इसका नतीजा यह होगा कि जो थोड़े बहुत छोटे और बड़े जमींदारों को अन्तरिम कम्पेंसेशन मिलने की आशा है वह निराशा हो जायगी और फायदा उन्हीं महाजनों को होगा। उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एक-एक के चार-चार लिखाये, ५०० के ५,००० लिखाये। वह आज बढ़े, बढ़ते-बढ़ते, मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इतना बढ़ जायगा कि सरकार को एक कर्जे का बिल लाना पड़ेगा कि जो देहात में कर्जा फैला हुआ है और जिस तरह से गरीब किसानों से और गरीब रिआया से कर्जा वसूल करते हैं, उसको भी कम किया

जाय। तो इस प्रकार से तो उन्हीं महाजनों के साथ आप रियाअत करेंगे। एक तो उन्होंने सूद के जरिये प्रिंसिपल को पहले ही ले लिया। जो मूल धन था वह करीब-करीब ले चुके तो अगर अन्तरिम कम्पेंसेशन के दिलाने के लिये इसमें रख देंगे। उस बेचारे जमींदार को जो उसके बच्चों के खाने-पीने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है ९-१० महीने के लिये या दो साल के लिये वह बिल्कुल ही उनको नहीं मिलेगी और जमींदार की हालत वह हो जायेगी कि जिस तरह से आप शरणार्थियों को देखते हैं कि किस तरह से वह मारे-मारे फिरते हैं उसी तरह से वह बरबाद हो जायेंगे और उनके मकानात बरबाद हो जायेंगे। सरकार की यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इस प्रांत के प्रत्येक वर्ग का खयाल रखे। यहां के बाशिन्दे को एक मकान रहने को हो, रोटी खाने को हो और वह कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो मैं आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब ऐसी सुविधायें आप दे रहे हैं तो कम से कम इन चीजों पर गौर कीजिये और राजस्व मंत्री आज बैठे हुये हैं मैं उनसे कहूंगा कि इस बात का विचार छोड़ दीजिये कि अन्तरिम प्रतिकर में जो कुछ मिलेगा वह नकदी में मिलेगा। अगर उसमें कर्जा भी काटा जायगा तो वह कुछ भी नहीं मिल रहा है।

बांड के बारे में तो यहां भवन में राय दी जा चुकी है और बांड ४० साल में पूरे होंगे।

उसके लिये काफी समय लगेगा। मैं आप के जरिये कहना चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी काफी गौर करें और इसको ऐसा समझें कि जो अंतरिम कम्पेंसेशन सरकार दे रही है वह जमींदार को मिल जाय और उससे जमींदार को कुछ सहायता मिल जाय। यदि इसमें से आप कर्जे का मुजरा देने के लिये कहेंगे तो मैं श्रीमन् आप के द्वारा सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जमींदार को एक पैसा भी मिलने की कोई आशा दिखलाई नहीं पड़ती।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया उसके विरोध में केवल माननीय सभा सचिव जी और कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, श्रीमन्, कि शायद जो कुछ मैं आपके द्वारा सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता था या निवेदन करना चाहता था मैं उस तरह से नहीं कह सका जिससे वे समझ सकते कि मेरा तात्पर्य कहने का क्या था। यह शायद गलती मेरी है परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि माननीय बस्ती के सदस्य ने जो कहा कि सन् १९४७ या १९३७ में यह हुआ था और वह हुआ था, मैं फिर उसी बात को आपके द्वारा उनके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर यह प्रश्न है ही नहीं कि इस संशोधन से जमींदार को कुछ मिल जायगा। अन्तरिम प्रतिकर प्रतिकर का एक अंश है, इसको मानते हुये भी और माननीय सभासचिव जी का भाषण सुनने के बाद मैं तो यह समझता हूं कि या तो यहां पर अन्तरिम प्रतिकर का शब्द अनावश्यक है या मेरा संशोधन अनावश्यक है। आपके द्वारा उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि अभी जब माननीय मंत्री जी भाषण देंगे और उससे यदि मुझे यह पता चला कि मेरा संशोधन अनावश्यक है तो मैं अवश्य उसे वापस ले लूंगा। मैं यह समझता हूं कि अन्तरिम प्रतिकर शब्द यहां पर होना इसलिये अनावश्यक है कि प्रतिकर से कर्जा देने का प्रश्न उस वक्त तक नहीं उठता है जब तक कि प्रतिकर निर्धारित न हो जाय और अन्तरिम प्रतिकर उसी वक्त मिलेगा जब कि प्रतिकर निर्धारित नहीं हो सकेगा। ऐसी दशा में मेरे विचार से अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि सरकार मुझे विश्वास दिला दे कि अन्तरिम प्रतिकर प्रतिकर का एक अंश है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि अन्तरिम प्रतिकर से कर्जा दिला दिया जाय, तो मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मौका तो आ सकता है कि अन्तरिम प्रतिकर से कर्ज़ा वसूल किया जाय। अगर ऐसा मौका कभी आता ही नहीं तो इस विधेयक में यह प्रोवाइड करने की या यह शब्द रखने की आवश्यकता ही नहीं होती। वैसे यह शब्द रखा जाता या न रखा जाता जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३० के अनुसार फिर भी अन्तरिम प्रतिकर से कर्ज़ा वसूल हो सकता था। जैसा मौर्य साहब ने पढ़ करके सुनाया दफा ३० साफ कहती है—"धारा २९ के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित कर दिया जायगा।" अगर यह शब्द यहां न रखे जाते तो भी अदालत को अख्तियार था कि अन्तरिम प्रतिकर में से दिला दे। सिर्फ स्पष्ट करने की ग़रज़ से यह शब्द सिलेक्ट कमेटी में रख दिये गये और यह सर्वसम्मति से रखे गये। अब यह कि अन्तरिम प्रतिकर तो दिया ही जायगा उस मध्यवर्ती का भरण-पोषण करने के लिये, उसकी गुज़र करने के लिये ताकि वह उतने दिन आसानी से काट सके जितने दिन पूरा प्रतिकर निर्धारित न हो, तो इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज़ करना है कि यह बात बिल्कुल सही है। यह हो सकता है कि अन्तरिम प्रतिकर बहुत से लोगों के कर्जे में कट जाय और कुछ भी न मिले, लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि मान लो कि कोई एतराज जमींदार की तरफ से हो गया, गुजारेदार की तरफ से हो गया, कोई और मुक़दमा छिड़ गया और किसी कारण देर हो गयी, वैसे हमको उम्मीद तो यह है कि साल भर के अन्दर ही अधिकतर जमींदारों का प्रतिकर तय हो जायगा, कुछ का हो सकता है कि दिसम्बर तक ही तय हो जाय, लेकिन साल भर के अन्दर अन्दर तो ९०, ९५ फी सदी लोगों का तय हो जायगा, लेकिन फिर भी १०, ५ प्रतिशत ऐसे मामले रह सकते हैं जिनमें कार्यवाही डेढ़ साल, दो साल तक खिंच जाय। किन्हीं कारणों से जो हमारे अख्तियार के बाहर हैं। तो ऐसी सूरत में हर ६ महीने के बाद अगर मध्यवर्ती अपना अन्तरिम प्रतिकर लेता रहे और हम इसमें यह लिख दें कि अन्तरिम प्रतिकर से क़र्ज़ वसूल नहीं हो सकता तो फिर वह जो आखिरी प्रतिकर रहेगा वह कितना रह जायगा? तो इस प्रकार तो उसका क़र्ज़ा मारा जा सकता है। तो उन्हीं सूरतों के लिये यह है जब कि प्रतिकर तय होने में देर हो जाय तो हमको मालगुजारी के बराबर ज्यादातर इलाक़े में और परमानेंट सेटिल्ड एरिया में, बनारस डिवीज़न में डेढ़ गुना मालगुज़ारी का देना होगा तो प्रतिकर का बहुत हिस्सा अन्तरिम प्रतिकर में चला जायगा। इस मजबूरी की वजह से हमने रखा वरना हमारी मंशा यह नहीं है कि किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। लेकिन जब दो वर्गों के अधिकारों का संतुलन करना पड़ता है तो आखिर कोई न कोई बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डेट रिडक्शन बिल हम ले आये इससे कुछ ऐसी धारणा लोगों की हो सकती है कि बड़ा भारी कर्ज़ा जमींदारों पर है। दरअस्ल ऐसी बात नहीं है। क़र्ज़ा आज कल लोगों पर बहुत कम है और मैं अगले किसी संशोधन में वे आंकड़े भी बतला दूंगा कि किस तरह से कर्ज़े की नालिशें सन् १९४२ से इधर साल ब साल कम होती चली गयी हैं और हम क़रीब-क़रीब सभी लोग देहात के रहने वाले हैं, हाथ ब हाथी क़र्ज़ा जिसको कहते हैं, जो यों ही ले लिया करते हैं बिना किसी ज़मानत के या दस्तावेज़ के, इस तरह का क़र्ज़ा तो कुछ है, बाक़ी वह जो रजिस्ट्री हुआ करती थी, बड़े-बड़े क़र्ज़े हुआ करते थे, रोज कुर्की पीछे फिरती थी लोगों के, वह सूरत खुशकिस्मती से हमारे सूबे में नहीं है, रजिस्ट्री वग़ैरह बहुत कम होती है। दो क़िस्म के कर्ज़ों के मेरे पास आंकड़े हैं उससे ज़ाहिर हो जायगा कि कितना कम क़र्ज़ा अब लोगों पर है। ३ करोड़ २० लाख रुपये के इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत बांड्स जारी किये गये, जिनमें से १ करोड़ ८३ लाख रुपये के बांड्स पेएबिल हो गये, केवल १ करोड़ ३७ लाख रुपये के बांड्स बाकी हैं जो इश्यू हुये हैं और अभी पेएबिल नहीं हुये हैं। तो एक तो यह क़र्ज़ा १ करोड़ ३७ लाख का है इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत, जिसका फ़ायदा बहुत बड़े-बड़े

जमींदारों ने उठाने की कोशिश की थी और यह समझा जाता है कि बड़ा भारी क़र्जा है उन पर। कोर्ट आफ़ वार्ड्स ने किसी वार्ड की तरफ़ से दूसरे वार्ड को जो क़र्जा दिया है वह कुल ८ लाख रुपये बैठता है। उसके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। तो इन दो आंकड़ों से हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि क़र्जा इधर वाक़ई बहुत कम है। यह तो केवल हम प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जमींदारी लोगों की ली गयी, पूरे दाम हम उनको दे नहीं सके, लिहाज़ा इन्साफ़न उन पर जो बोझ था वह भी उसी प्रतिशत से कम होना चाहिये, इसलिये हम कर रहे हैं वरना क़र्जे की कोई समस्या आज हमारे सूबे में है नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति ४ के शब्द "है" के बाद विराम रख दिया जाय तथा पंक्ति ४ व ५ से शब्द "और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर भी है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४

विपक्ष में—१५७।)

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज) के भाग (१) की पंक्ति ५ में शब्द "व्यक्ति" के बाद शब्द "भी है" बढ़ा दिये जायं और पंक्ति ६ के शब्द "भी हैं" निकाल दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन शाब्दिक है और केवल वाक्य रचना को सरल बनाने के लिये है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं एक निवेदन यह करना आवश्यक समझता हूं क्योंकि मैं यह देखता हूं कि विधेयक में जो अधिकतर संशोधन होते हैं वे ५० फी सदी शाब्दिक होते हैं जो वाक्य रचना को सरल बनाने के लिये और प्रूफ की ग़लतियों की वजह से होते हैं। तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक दूसरे विधेयक में मैंने एक बार गिन कर देखा, तो उसमें करीब-करीब ३० अशुद्धियां प्रूफ में मिलीं। वाक्य रचना के सम्बन्ध में भी मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। वह यह है कि एक समय था जब कि विधेयकों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक समझा जाता हो जब कि कानूनी वकील उसका इण्टर प्रिटेशन करने में काफी समय और काफी खर्चा करना आवश्यक समझते हों। लेकिन अब तो हमारी मांग यह है कि भाषा शुद्ध सरल, और ग्राह्य होनी चाहिए। साथ ही मैं कभी-कभी यह भी देखता हूं कि विराम और अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है वह सही तरीके पर नहीं किया जाता। एक और निवेदन है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कभी-कभी गलत किया जाता है जैसा मैंने एक बार कार्यवाही में पढ़ा कि स्पीकर महोदय के लिये "अधिष्ठाता" लिखा गया जब कि प्रायः शब्द जो माना गया है वह "अध्यक्ष" माना गया है। अधिष्ठाता उचित भी नहीं है। जिसके हाथ में 'एक्जिक्यूटिव फंक्शन' होता है उसको अधिष्ठाता कहा जाता है। यही मुझे निवेदन करना है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है यदि उससे रचना में कोई विशेषता होती, कोई सौन्दर्य बढ़ जाता तो इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन संशोधन करने वाले माननीय सदस्य ने इस संशोधन को उपस्थित करते समय जो बहुत सी बातें कहीं वे और जगह तो लागू हो

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

सकती हैं लेकिन यहां तो प्रश्न यह है कि "व्यक्ति" के बाद "भी" शब्द रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह जिस प्रकार है वही ठीक है। श्रीमान् देखें कि व्यक्ति के बाद जितना अंश है वह सारा व्यक्ति को क्वालिफाई करता है। "व्यक्ति का जिनके इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं" अगर यह क्वालिफाइंग वर्ड नहीं होते तो "व्यक्ति" शब्द का इतना महत्त्व नहीं रहता और इसके अलावा "भी" को उठा कर पहले रख दें तो उसके कानूनी इंटरप्रिटेशन में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो "व्यक्ति" के बाद जो शब्द आये हैं वे सभी "व्यक्ति" को क्वालिफाई करते हैं और इसलिये यह आवश्यक है कि उनको व्यक्ति के बाद रक्खा जाय। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—ऐसे जो मंत्री जी ने कहा उसको मैंने ध्यान से सुना। मेरा ख्याल यह है कि लीगल इण्टर प्रिटेशन का इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता लेकिन मेरी दृष्टि में तो यही ठीक था जो मैंने अभी बतलाया था। मैं तो यह समझता हूं कि रचना वाक्यों की सही और सरल होनी चाहिये, जिसको सब अच्छी तरह से समझ सकें और सरलता से समझ सकें। अगर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति ८ में शब्द 'पट्टेदार' के बाद का अल्पविराम का चिह्न निकाल दिया जाय और पंक्ति ९ के शब्द 'इस्तमरारी या दवामी' के स्थान पर शब्द 'दवामी या इस्तमरारी' रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, यहां पर पट्टेदार के बाद अल्प विराम का चिन्ह रखने से यह अर्थ निकलता है कि पट्टेदार और इस्तमरारी और दवामी भिन्न चीज़ हैं। असल में इसका अर्थ यह है कि इस्तमरारी या दवामी यह पट्टेदार का विशेषण है। इस वजह से यह अल्पविराम यहां से हटना चाहिये नहीं तो इसका अर्थ दूसरा-दूसरा निकलेगा। तीसरी पंक्ति में शब्द क्रम जो है दवामी या इस्तमरारी वह पंक्ति ९ में बदल दिया गया है। वही पहला क्रम होना चाहिये था जो तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो संशोधन अभी पेश किया गया है वह मुनासिब मालूम होता है और मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पंक्ति ८ में शब्द 'पट्टेदार' के बाद का अर्द्ध विराम का चिह्न निकाल दिया जाय और पंक्ति ९ के शब्द 'इस्तमरारी या दवामी' के स्थान पर शब्द 'दवामी या इस्तमरारी' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधा मोहन सिंह—मेरा संशोधन यह है कि खंड २ के उपखंड (ञ) की पंक्ति २ के शब्द "के बन्धक द्वारा" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "सम्पत्ति" के बाद शब्द "के बन्धक" बढ़ा दिये जायं।

इसमें कोई विशेष बात नहीं है यह इस सेक्शन को अच्छा करने के लिये पेश किया गया। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ञ) की पंक्ति २ के शब्द "के बन्धक द्वारा" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "सम्पत्ति" के बाद शब्द "के बन्धक" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३–(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।

डिक्री देते समय ऋण का कम करना।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय,

ऐक्ट १, १९५१।

(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई०, को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgaged deed) में ऋण के लिए उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्रों के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों

के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और—

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्न-लिखित कार्यवाही करेगा—

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्न-संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "भी" के पश्चात् शब्द "एक या एक से अधिक" बढ़ा दिये जायं तथा शब्द "सुरक्षित" से उपखंड के अन्त तक के सब शब्दों के स्थान पर शब्द "ऋणों के संरक्षण के हेतु लेख्य में अन्य सम्पत्ति के साथ या उस के बगैर, जमींदारी आड़ की गई हो तो ऐसे सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी वाद या वाद संबंधी व्यवहार (प्रोसीडिंग) के होने पर जिस में अपील और इजराय भी शामिल होंगे, न्यायालय देय धनराशि के अवधारित होने पर किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर नीचे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा" रख दिये जायं।

श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में मेरा संशोधन का आशय यह है कि जिस समय इस अधिनियम के अनुसार कर्ज के अनुसार कर्ज कम किये जायं तो यह हो सकता है कि किसी कर्जदार के ऊपर एक कर्जा हो और यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर एक से अधिक कर्जे हों तो जिस समय इस अधिनियम के अनुसार कर्जे कम करने का मामला आये उस समय इन सभी कर्जों पर विचार किया जाय जो कि किसी ऋणी को देने हों और ऐसा ही हो जैसा कि इन्सालवेन्सी के मामले में होता है। इससे अव्वल तो यह लाभ होगा कि बार-बार की मुकदमेंबाजी से छुटकारा हो जायगा और जितना धन किसी को देना है उस में से सभी कर्जदारों को उन के भाग और भाग्य के अनुसार भुगतान मिल जायगा।

श्रीमान् जमींदारियों पर जो कर्जा लिया गया है उनकी सूरतें भिन्न-भिन्न हैं। जो कर्ज जमींदारियों पर हैं उस के साथ कहीं दूसरी जायदादें भी शामिल हैं कहीं ये मुख्तलिफ डिक्रीज के रूप में हैं। कहीं तरमीमशुदा डिक्री के रूप में हैं यानी इन्कमबर्ड

एस्टेट्स ऐक्ट या एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ ऐक्ट के अनुसार भी हैं, और कहीं यह कर्जे इजराय डिग्री के रूप में, कहीं अपील के रूप में है। इसलिये आवश्यक नहीं है कि कर्जे को कम करने के लिये कर्जदार अपनी ओर से अर्जी दें, हो सकता है कि कोई मामला अदालत के सामने हो और वहां फैसला हो जाय और उसमें यह भी फैसला हो सकता है कि इतनी अदायगी की जाय और उस की जितनी भी रकम है उसका तमाम भुगतान एक ही कर्जे में हो जाय और एक ही कर्जदार को भुगतान हो और बाकी का मामला फिर चले और कर्जदारों की ओर से फिर अदालत में अर्जी दी जाय या कर्जा देने वाला अदालत में मामला ले जाय। इस तरह से तो मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। इसलिये मेरा आशय यह है कि जिस समय यह ऋण कम किये जायं उस समय उस वक्त तक जितना भी ऋण है उन सब पर एक साथ विचार कर लिया जाय जैसा कि दिवालिया होने पर उस की जायदाद का हिसाब किया जाता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शब्दों का कोई हेरफेर इस में करना आवश्यक हो और माननीय मंत्री जी इस में कुछ बदलने का इरादा रखते हों तो इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अपना आशय मात्र प्रकट कर दिया।

श्री चरण सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, भाव तो माननीय सदस्य के बहुत नेक हैं लेकिन उन पर अमल करने में कठिनाइयां बहुत हैं। इस लिये जिस बात को वह रखना चाहते हैं हमने उसे बहुत सोच-विचार के बाद भी इस विधेयक में नहीं रखा है। आपका मंशा मोटा सा है कि जितने भी कर्जेजात उस पर हैं वे सब एक पूल में आकर इकट्ठा हो जावें और जैसा कि इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में या इनसाल्वेंसी ऐक्ट में होता है जितनी भी उस पर देय धनराशि हो उसके हिसाब के मुताबिक सबको हिस्सारसदी कर्जा उससे वसूल करा दिया जाय। लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि इसमें वर्षों लग जाते हैं, बहुत वक्त खराब होता है और मुकद्दमेंबाजी होती है। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के मुकदमें में मैं समझता हूं शायद १० साल तक में भी खत्म नहीं हुये हैं और अभी तक उलझे हुये हैं। इन्साल्वेंसी के मुकद्दमें भी सालों तक चलते हैं। हम यह चाहते हैं कि यह काम जल्द खत्म हो जाय वर्ना जितना कर्जा लेना देना है उससे ज्यादा तो मेहन्ताने कोर्ट के टिकटों वगैरह में खर्च हो जायगा। जाब्ता दीवानी में दफा ७२ या ७४ है जिसके मातहत जिस आदमी की डिक्री हो जाय वह जजमेंट डैटर के असेट्स को यानी प्रतिकर और अनुदान को कुर्क कराता जाय। यह जिम्मेदारी डिक्रीहोल्डर की है। कोर्ट की यह जिम्मेदारी नहीं कि सबको नोटिस दे और गजट करावे और सब इकट्ठा हो और सबको हिस्सा रसदी की जाय। उसमें देर लगती है। एवरीबाडी इज टू टेक हिज चांस। हरएक आदमी अपने मौके के मुताबिक उसमें से ले भागना चाहे तो ले भाग सकता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह नहीं कि मुझे उनके आशय से सहानुभूति नहीं है, बल्कि इस ख्याल से कि उसमें दोनों फरीकों का नुक्सान ज्यादा होता है और देर ज्यादा लगती है।

श्री रमेश वर्मा——मजबूरी है, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "मात्र" के स्थान पर शब्द "ही" रखा जाय।

श्रीमान् जी, यहां पर आस्थान के पहले शब्द "केवल" का प्रयोग हुआ है। केवल और मात्र दोनों समान अर्थ रखते हैं और एक ही शब्द से काम चल सकता है। लेकिन केवल शब्द में वह फोर्स नहीं है जो अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव लफ्ज में है। तो वह फोर्स लाने के लिये मैंने "मात्र" शब्द ही रख दिया है। अब केवल ही से वह फोर्स आजाता है जो अंग्रेजी के एक्सक्लूसिव शब्द में है। मैं समझता हूं कि इसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "मात्र" के स्थान पर शब्द "ही" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) (१) की पंक्ति ३ में एक संशोधन दिया था उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देना चाहता हूं जो कि मैंने सचिव जी को दे दी है। वह इस प्रकार है---

खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) (१) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "किया गया है" के बाद "या अन्य दस्तावेज या डिग्री से साबित हो" बढ़ा दिये जायं।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जो खंड में यह लिखा हुआ है कि बंधक पत्र में अगर बंधककर्ताओं की लाइबिलिटी निर्दिष्ट है तो उसके मुताबिक उसकी लाइबिलिटी समझी जायगी और यदि ऐसा नहीं है तो जो सम्पत्ति मारगेज की गयी है उसमें बंधककर्ता का जैसा हिस्सा है उसके अनुसार उसकी लाइबिलिटी होगी। मेरा मतलब यह था कि बहुत से मारगेजेज़ ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गये और उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी पैदा हो गयीं जिसकी वजह से बंधककर्ताओं की लाइबिलिटीज आगे चलकर बहुत से दस्तावेजों में, पार्टीशन डीडों में, किसी एग्रीमेंट में, फेमिली सैटिलमेंट में या किसी डिग्री में डिफाइंड हैं तो वह चीज यहां छोड़ दी जाती है बल्कि अगर मा गेज डीड में कोई लाइबिलिटी डिफाइंड नहीं है लेकिन बाद को फैमिली सैटिलमेंट में वह डिफाइंड हुई तो यह जरूरी है कि उसके अनुसार उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिये। इस कारण यह उचित समझा गया कि इसका बढ़ाया जाना मेरी समझ में आवश्यक है। हम उसका खयाल न करें और साथ ही साथ इस बात पर आ जायं कि जो मारगेज प्राप्रटी में जो हिस्सा होगा उसी के अनुसार लाइबिलिटी होगी तो ऐसी दशा में ऐसी चीज हो जाती है कि हालांकि उनकी डिग्री हो चुकी है, ऐग्रीमेंट हो चुका है, पार्टीशन डीड हो चुकी है, उस पर भी हम यह रखना चाहते हैं कि फिर भी उसके अनुसार लाइबिलिटी नहीं होगी। इस सूरत में इसका बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस पर एक एतराज जरूर हो सकता है और वह ऐतराज यह हो सकता है कि उनके पार्टीसन डीड या फैमिली सेटिलमेंट या उनकी डिग्री में अगर मारगेजी पार्टी नहीं है तो मारगेजी किसी ऐसे ऐग्रीमेंट, पार्टीशन डीड अथवा डिग्री से पाबन्द न होगा। चूंकि उस पर लागू नहीं होगा इसलिये उसका लिहाज न किया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मारगेजी का प्रश्न है, मारगेजी के जो हकूक हैं वे खंड ६ और खंड ८ में सुरक्षित रखे गये हैं। और उनके सुरक्षित रखने की वजह से मेरे संशोधन का कोई असर मारगेजी पर नहीं पड़ता है। इसलिये मैं खंड ६ और ८ पढ़कर सुना देना चाहता हूं ताकि मेरा मतलब स्पष्ट हो जाय। खंड ६ इस प्रकार है---

मेरा केस (क) में नहीं आता है बल्कि (ख) में आता है।

"(ख) उक्त धारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो।"

तो मारगेजी के हक में जो डिग्री दी जाती है वह एग्रीगेट एमाउंट पर दी जाती है। इस लिये जहां तक उसका इंटरेस्ट है वह इसमें सेफ गार्डेड है। इसी तरह से दफा ८ में भी उपखंड (ख) में दिया हुआ है कि उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर बिपरीत प्रभाव डाले बिना....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसके लिये बहुत समय लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—जी हां।

अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं। २ बज कर २० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है उसके अनुसार किसी दस्तावेज में किसी इकरारनामे में, फेमिली सेटिलमेंट में या पार्टीशन डीड में अगर मारगेजर्स की लाइबिलिटी डिफाइन्ड है तो उसी के अनुसार उनकी लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिये थी तो मैंने यह कहा था कि इस में हो सकता है कि मारगेजी पार्टी न हो और यह ऐतराज हो कि चूंकि मारगेजी पार्टी नहीं है इसलिये इस चीज का इसमें लागू होना उचित नहीं है मारगेजी को इससे हानि पहुंचेगी। तो मैंने उसके संबंध में यह कहा था कि जहां तक कि मारगेजी के हकूक हैं वह सुरक्षित हैं जैसा कि खंड ६ और खंड ८ के पढ़ने से मालूम होता है। खंड ६ मैंने पढ़ा था और खंड ८ भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस तरह पर है—

"किसी अनुबंध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (contract, agreement, document or law for the time being in force) कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बंधक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना बंधक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासिन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।"

तो खंड ८ में भी जो जायदाद कि रेहन की गई थीं उस पूरे जायदाद का कम्पेन्सेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट होता है उसके लिये मारगेजी को हक दिया गया है कि वह उससे अपने कर्ज का तीन चौथाई तक वसूल कर सके। तो ऐसी हालत में मारगेजी पार्टी न होते हुये भी उसका हक सुरक्षित है और ज्वाइंट लाइबिलिटी मारगेजर्स की इस खंड में रखी गयी है। तो यह ऐतराज तो बिलकुल बेमानी होगा और इस एतराज की वजह से मेरा संशोधन अनुचित नहीं समझा जा सकता। एक बात यह जरूर है कि यह कहा जा सकता है कि अगर मारगेजी के हक में मजमूई डिग्री होनी है ऐग्रीगेट एमाउण्ट की डिग्री होनी है तो फिर इस संशोधन से क्या फायदा। मैं यह कहता हूं कि खंड ३ में जो प्रोसीजर दिया हुआ है वह अगर कायम रहता है यानी यह कि मारगेजर्स के दरमियान में अगर लायबीलिटी फिक्स करते हैं तो उस प्रोसीजर के रहते हुये यह चीज जरूरी हो जाती है ताकि मारगेजर्स के दरमियान में कोई झगड़ा न पैदा हो। उनकी लायबिलिटी तो असल में दूसरी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया पार्टीशन डीड में है, फैमिली सेटिलमेंट में है, एग्रीमेंट में है तो उसका हम ध्यान न करें और जैसा कि इसमें दिया गया है उसी के अनुसार हम उनकी लायबिलिटी इसमें फिक्स कर दें तो उनके लिये अनुचित होगा और आपस में बहुत ही झगड़ा पैदा हो सकता है। इसलिये इसकी जरूरत है। अगर खंड ३ का उपखंड २ भाग (ख) निकाल दिया जाय तब तो मेरे संशोधन

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके रहते हुये जरूरी है कि यह संशोधन इसमें रखा जाय ताकि मारगेजर्स के दरमियान कोई झगड़ा बाद को न पैदा हो। यह इसलिये भी जरूरी है कि अनुसूची १ के खंड २ भाग (ख) में यह लिखा हुआ है कि "यदि उक्त बंधक-कर्ता या वाद ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बंधककर्ता या वाद ऋणी की विभाजित धनराशि से है" तो जो फारमूला हम रखते हैं उसमें एक-एक मारगेजर का अलग-अलग रख दिया है। तो मेरा संशोधन अगर इसमें नहीं आता है तो नतीजा यह होता है कि इस फारमूला के मुताबिक कार्यवाही होगी। लेकिन वह मार्गेजर के दरमियान असल में झगड़े की जड़ बाकी रह जायगी। और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया अगर हम खंड ३ का उपखंड २, भाग (ख) निकाल दें तो वह भी एक असंगत सी चीज हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया अनुसूची एक में जिस तरह से फारमूला दिया हुआ है उसको भी संशोधित करें तब जा कर बात ठीक होती है। लेकिन ऐसा संशोधन कोई भवन के सामने है नहीं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि मेरा संशोधन आवश्यक है और राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है उस संशोधन के लिये माननीय सदस्य ने स्वयं अपने ही भाषण में एक बात बतायी। उससे स्पष्ट हो गया कि उन का संशोधन अनावश्यक है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कह दिया कि जिस प्रकार का संशोधन वह ला रहे हैं उस प्रकार के संशोधन से जो डिग्री बनेगी वह मारगेजी पर बाईंडिग नहीं होगी। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में स्वयं प्रकट किया। ऐसी दशा में यह संशोधन अनावश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ३ की उपधारा २ (ख) के उपखंड एक में जो बातें बतायी गयी हैं मारगेज की डिग्री में अगर दो मारगेजर हैं तो उनके दरमियान अगर मारगेज डीड में आपसी तौर पर उनके शेयर का उसमें कोई डिस्क्रिप्शन है तो उसके लिये मारगेजी भी बाउन्ड हो सकता है और अगर उनके शेयर का मारगेज डीड में जिक्र नहीं है तो उनकी जायदाद के मुताबिक लायबिलिटी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। यह तो ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में जो उसूल दिया गया है उसके अधीन यह बात है कि अगर लायबिलिटी मारगेज डीड में अलग-अलग मारगेजर्स की नहीं है तो फिर जो जायदाद मारगेजर्स की है उस जायदाद के हिसाब से उस लायबिलिटी का डिसीजन होगा। तो यह दोनों सूरतें तो ऐसी हैं जो मारगेजी के लिये असर रखती हैं, उसके लिये बाईंडिग हैं। लेकिन इसके अलावा माननीय सदस्य के संशोधन को अगर माना जाय कि कोई नई दस्तावेज या कोई डिक्री जो मारगेजर्स के दरमियान में इंटरसी है वह बढ़ा दी जाय तो फिर उनके दरमियान इंटरसी दस्तावेज या डिक्री या इंटरसी फैमिली सेटिलमेंट की कोई बाईंडिग मारगेजी पर होती नहीं। तो ऐसी सूरत में डिक्री में ऐसे किसी इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान का कोई इस किस्म का मुआहिदा जो हुआ हो उसका मारगेजी के खिलाफ कोई असर डिक्री में नहीं होता और यह मारगेजी के खिलाफ जो डिक्री होती है उसमें इंटरसी का कोई असर भी नहीं होता। यानी मारगेजी के हक में जो डिग्री हुई उसमें मारगेज डीड में दी हुई लायबिलिटी या प्राप्रटी की लायबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है उसको छोड़ करके बाकी अगर मारगेजर्स के दरमियान में इंटरसी अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो अपनी जगह पर है। किसी और मौके पर इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान उनकी आपस की डिक्री या मुआहिदा वह अलग चीज है, उसका मारगेजी से कोई संबंध नहीं है। इसी लिये उन्होंने स्वयं एतराज का जिक्र किया कि मारगेजी पर वह बाईंडिग नहीं होगी। तो इसलिये जब यह चीज अपनी जगह पर है तो यह रिडंडेंट है और इसका कोई मौका नहीं है और उसको बढ़ाना अनावश्यक है।

दूसरी बात जो उन्होंने यह कही कि ज्वाइंट लायबिलिटी है और ऐग्रीगेट सम की डिक्री होगी, यह सही है। लेकिन ऐग्रीगेट सम की जो डिक्री होगी वह तो उसमें यह कहा गया है, जो धारा ६ की उपधारा १ के "ख" में जो बताया गया कि एग्रीगेट सम की

जो डिग्री होगी वह तो डिक्रीड ऐग्रीगेट सम के बराबर होगी। लेकिन जहां तक मारगेजर्स की लायबिलिटी का संबंध है वह डिक्री में साफ दर्ज हो जायगा कि कितनी लायबिलिटी है। उनके संशोधन के मुताबिक तो फिर यह हो सकता है कि इंटरसी मारगेजर्स के दरमियान अगर किसी दूसरे मुआहिदे के जरिये से कोई लायबिलिटी उससे मुख्तलिफ हो गयी हो जो कानूनन होनी चाहिये, तो फिर उस तरह से दर्ज की जाय तो इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट फिर इन दस्तावेज, इन फ़ैमिली सेटिलमेंट और इन सारी बातों में पड़े, सब के लिये शहादतें ले और फिर उनको इस डिक्री में पार्ट आफ़ डिक्री बनावे जिसका मारगेजी से कोई संबंध नहीं है तो लायबिलिटी का जहां तक संबंध है वह ऐग्रीगेट सम की डिक्री होगी। वह तो उनको उसमें अलग-अलग दिखाया जावे। इसलिये उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है और जो उसके संबंध में बातें कही हैं वह इसमें पैदा होती नहीं हैं।

उन्होंने धारा ३ के उपखंड २ का भी हवाला दिया। मगर उसमें मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर मारगेज्ड प्रापर्टी दो या दो से ज्यादा है तो उसके लिये अलग अलग प्रापर्टी पर कितनी लायबिलिटी होगी यह उसके जरिये से साफ किया गया है। लेकिन अगर मारगेजर दो हैं और प्रापर्टी, स्टेट भिन्न नहीं है तब ऐसी सूरत में वह अपलाई नहीं करता। मार्गेजर्स भिन्न भिन्न हैं और स्टेट एक हैं तब अपनी जगह पर जो विधेयक में जिस प्रकार का मसला रखा गया है वह सही है। और प्रापर्टी भी भिन्न है और मारगेजर भी भिन्न हैं तब तो मारगेजर और मारगेज्ड प्रापर्टी दोनों के अनुसार अलग-अलग लायबिलिटी का होना ज़रूरी हो जाता है लेकिन जो संशोधन उन्होंने उपस्थित किया है उसमें सूरत यह है कि मारगेजर्स भिन्न हैं, स्टेट एक है इसलिये मर्गेजर्स की अलग-अलग लायबिलिटी उसमें दिखाना ज़रूरी है और इसी सूरत में दिखाई जा सकती है कि मारगेजर्स के दर्मियान में दस्तावेज के ज़रिये लायबिलिटी ज़ाहिर हो और अगर न हो तो प्रापर्टी की वैल्यू के हिसाब से ज़ाहिर हो, तीसरी सूरत उसमें नहीं होनी चाहिये कि इंटरसी उसमें कोई मुआहिदा हुआ हो। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और साथ ही साथ यह आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर वे निगाह डालेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी के संशोधन पर माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर दिया गया वह संतोषप्रद नहीं है। अगर हम ध्यानपूर्वक माननीय वर्मा जी के संशोधन को देखें तो जिस प्रकार का उसका इंटरप्रिटेशन माननीय मंत्री जी की तरफ से किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं माननीय वर्मा जी का संशोधन तो केवल उपखंड दो के पहले खंड को और स्पष्ट कर देता है। मान लिया जाय कहीं पर कोई फैसला हो जिसके अनुसार बंधक पत्र में ऋण के उत्तरदायित्व को दो या दो से अधिक बन्धककर्ताओं में बांट दिया जाय तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। इसको माननीय वर्मा जी ने स्पष्ट किया है। अगर ऐसा न रखा जाय तो फिर (क) के अनुसार एक ही बन्धककर्ता कौन होगा इसकी परिभाषा करना मुश्किल होगा। यदि एक बन्धककर्ता की परिभाषा हो भी गई तो इक्वेटी के हिसाब से उचित नहीं होगा। सब को समान अवसर देने के लिये इक्वेटी के हिसाब से एक ही बन्धककर्ता पर सारा बोझ न पड़े ऐसा कर दिया गया है कि एक से अधिक बन्धककर्ताओं पर इसका बोझ पड़ता है। यह जो भार है ऋण का उसको बांटने का प्रश्न है। फैसला संशोधन के जरिये नहीं होता है, फैसला तो किसी फैसले के अनुसार जिसका इस विधेयक में ज़िक्र नहीं है, जिसका इस संशोधन में ज़िक्र नहीं है---अथारिटी के ज़रिये होता है। उसी के लिये संशोधन है और वर्मा जी ने काफी स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार चाहती है कि रिलीफ मिले तो यह आवश्यक है कि यह संशोधन माना जाय ताकि एक ही बन्धककर्ता पर बोझ न पड़े अगर ऋण का दायित्व एक से अधिक बन्धककर्ताओं पर किसी प्रकार साबित हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन में पेश हुआ है उसके संबंध में मैंने दोनों तरफ़ की तक़रीरों को सुना है लेकिन जहां तक कि संशोधन है मैं उससे इत्तिफ़ाक़ नहीं रखता और मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके दो कारण हैं जो कि स्पष्ट मुझे दिखाई देते हैं । यहां पर जो बिल है वह ज़िक्र करता है केवल सीक्योर्ड डेट का और सीक्योर्ड डेट के मुताल्लिक़ जो मारगेज डीड है, उसके अन्दर जो ट्रांजेक्शन है और उसमें जिस तरह से वह मारगेजर्स की लायबिलिटी है उसका ज़िक्र इस बिल में आ चुका है और यही इस बिल का मक़सद है कि उनकी लायबिलिटी को उसी तरह अलग कर दिया जाय परन्तु जहां तक कि इस अमेंडमेंट का ताल्लुक़ है वह चाहते हैं कि इस मार्गेज डीड के अलावा अगर कोई इसी तरह का ट्रांजेक्शन बिटवीन मारगेजर्स हुआ हो और उस मारगेज डीड के ऊपर कोई दूसरा असर पैदा होता हो तो उसको भी उस वक्त कांसिडेशन में लाया जाना चाहिये जिस वक्त कि इस कानून के मातहत उनकी लायबिलिटीज़ का ख़याल किया जा रहा हो । मैं समझता हूं कि अगर यह किया जाता है तो एक ओर से सरकार को कोर्ट फ़ीस की हानि होती है क्योंकि अगर वह आपस में जो ट्रांज़ेक्शन है उसको इनफ़ोर्स करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और उनको कोर्ट फ़ी देनी पड़ेगी। इसलिये अगर इसको एक ही साथ कर दिया जायगा तो सरकार को कोर्ट फ़ीस की हानि होती है । दूसरा प्वाइंट जो मुझे नज़र आता है वह यह है कि ऐसे ट्रान्ज़ेक्शन को जो कि सबसीडियरी हैं उस मारगेज डीड के मुताल्लिक़ जिसके मुताल्लिक यह बिल लाया जा रहा है उसको एक ही साथ कर दिया जाय, यह मैं समझता हूं कि अनुचित है क्योंकि उसका ऐप्रीसिएशन करने के लिये कोर्ट के लिये एक सेपरेट सूट की ज़रूरत है क्योंकि मुमकिन है कि बाद के जो ट्रान्ज़ेक्शन हों वे क़ानून में जायज़ हों या न हों, गवाहियां ठीक तरह से हों या न हों, उसका एग्ज़ीक्यूशन क़ानून की नज़रों में सही हो या ग़लत हो। इन सब बातों से मैं समझता हूं कि उसका उसी के साथ ख़याल कर दिया जाना यह बिलकुल ग़लत बात होगी। इन्हीं दो प्वाइंट्स पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य इस संशोधन को थ्रो आउट कर देंगे ।

श्री राधामोहन सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय भवन के सामने उपस्थित है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं । इस संशोधन के ज़रिये से यह कोशिश की जा रही है कि अदालत में मारगेजर को मारगेंजी को, जिस किसी को वहां पर मतलब हो, उसको अपने हक़ को सिद्ध करने का अवसर दिया जाय । अभी तक बिल के अन्दर जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसका तरीक़ा बताया गया है । या तो उस दस्तावेज़ के अन्दर यह निहित हो कि अगर दो मारगेंजी हैं तो उनका हिस्सा किस प्रकार है इसको अदालत को मानना पड़ेगा । अगर दस्तावेज़ में नहीं है तो जो प्रापर्टी बन्धक रखी गयी है तो उस प्रापर्टी में जिस क़दर उनका हिस्सा है वह मान लिया जाय । यह व्यवस्था इस बिल के अन्दर की गयी है । अब अगर इसमें हम यह अवसर देते हैं कि अगर न लिखा हो तो उसके लिये सबूत देने का उसको अवसर मिले तो व्यर्थ की मुक़दमेबाज़ी बढ़ जायगी और कोई लाभ होने का नहीं है । अब ट्रान्सफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट देखें तो उसमें भी दिया हुआ है कि या तो जो हिस्सा दस्तावेज़ के अन्दर निर्धारित है उसको अदालत मानती है और अगर निर्धारित नहीं रहता है तो जो प्रापर्टी मारगेज्ड है उसके अन्दर जो उनका हिस्सा होता है वह मान लिया जाता है । एवीडेंस ऐक्ट को आप देखें तो वहां भी यह मिलेगा कि जो कंट्रेक्ट लिखित हो गया है वहां पर ओरल एवीडेन्स के लिये मुमानियत की गयी है और इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि अवसर मिले हर एक वादी को कि वह सिद्ध कर सके कि वास्तव में उसका हिस्सा क्या है । मैं समझता हूं कि यह हानिकारक होगा, व्यर्थ की मुक़दमेबाज़ी बढ़ेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस लें । अभी तक जो व्यवस्था बिल के अन्दर है वह बहुत उचित है और उसी के अनुसार काम करने में उनका भी कल्याण है । यही मेरा निवेदन है ।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विरुद्ध जो बातें कही गयीं मैं उनको उचित नहीं समझता हूं। एक बात तो यह कही जाती है कि मारगेज डीड के पश्चात जो ट्रान्जेक्शन्स होते हैं उनमें हमको नहीं पड़ना चाहिये, इस तरीके से सरकार की हानि होगी, उसको कोर्ट फीस नहीं मिलेगी। और आपस में झगड़े बढ़ेंगे। मैं उसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति होगी कि सूट्स बढ़ें। मेरी समझ में सरकार की यह नीति है नहीं। अगर कोई मसला पेश है तो उस वक्त उस समय यह अवश्यक है कि उस मसले के संबंध में जो बातें हों उसको कोर्ट तय कर दे तो भिन्न प्रकार के सूट्स न लाने पड़ें।

मैं यह कहता हूं कि जब इस विधेयक में यह चीज है कि एग्रीगेट अमाउंट की डिग्री होगी तो फिर उस चीज को रखना ही नहीं चाहिये था कि कोमारगेजीज के दरमियान इंटर लायबिलिटी क्या होगी वह यहां पर डिटरमिन की जाय। अगर डिटरमिन करते हैं तो उनके दरमियान में एग्रीमेंट है या प्रिजम्पशन डीड है। क्या वजह है कि इसको शट आउट किया जाय। एक तरफ तो इंटर लायबिलिटी तय करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम उस ऐविडेंस को नहीं लेंगे। हम तो सिर्फ दो उसूल पर तय करेंगे तो यह कहां तक उचित होगा। मेरी समझ में तो मारगेजीज के दरमियान इस तौर पर तय करना दोनों के लिये इंजस्टिस होगी। बावजूद इसके कि दोनों के दरमियान इंटर लायबिलिटी के बाबत एग्रीमेंट है, फेमिली सैटिलमेंट है, फिर भी कहते हैं कि हम इसको सुनेंगे नहीं, तुम्हारा तेहरीरी सबूत मानेंगे नहीं तो यह तो अनुचित चीज होगी। या तो इस उपखंड को निकाल दिया जाय कि कोई मामला तय नहीं किया जायगा और पूरे का पूरा देखा जायगा और जैसे कि आगे चल कर व्यवस्था की गई है कि पूरे की डिग्री उनके हक में हो जायगी। जहां तक इस उपखंड का मतलब है वह मेरी समझ में उसी हद्द तक रह जाता है कि उनके आपस की जो लायबिलिटी है वह तय की जायगी।

जैसा कि हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि उनकी अलग-अलग लायबिलिटी डिग्री में लिखी जायगी तो जो उपखंड मैंने लिया उसके लिए खंड ६ में यह नहीं है कि उनकी सैपरेट लायबिलिटी डिग्री में लिखी जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि मारगेजी को जैसा कि मैंने कहा था कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसके अलावा जहां तक दो भिन्न जायदाद की बात है तो मेरे संशोधन में नहीं है सिर्फ कोमारगेजर्स का सवाल है। उनके दरमियान में जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि अगर कोई चीज तय होती है तो अदालत को पूरी तरह से निर्णय देना है।

मैं यह कहता हूं कि मारगेज डीड में एक बात यह कही गई कि इसमें लिखा हुआ है और तिस पर भी मेरे संशोधन के अनुसार जो चीज लिखी हुई है वह बदल जाती है तो यह चीज ठीक नहीं होगी। मैं यह कहता हूं कि उस केस को यहां क्यों न लिया जाय जिस हालत में कि मारगेज डीड साएलेण्ट है। अब फर्ज कीजिये कि ५० साल का दस्तावेज है और इस बीच में दुनिया भर के ट्रांजेक्शंस हुये और लेटेस्ट जो अंतिम चीज है हमें उस पर ध्यान देना चाहिये न कि हम एक प्रिजम्पशन पर आ जांय कि जो कुछ भी हिस्सा इन लोगों का उस जायदाद में होगा उसी के मुताबिक कर देंगे। हम तो आपस में तय किये हुये हैं दूसरी चीज और हमारे ऊपर लादी जाती है तीसरी चीज तो यह कहां तक उचित होगा। हम तो जिनके दर्मियान में मामला तय करने जा रहे हैं वे तो दूसरी बात तै किये हुये हैं और हम कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ करेंगे। तो इस किस्म की बात जस्टिस के खिलाफ होगी। इस लिहाज से मैंने इस संशोधन को रक्खा है और मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर लें और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर वापस ले लूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो फिर ऐसी भी सूरतें पैदा हो सकती हैं कि आज किसी जमींदार ने एक मारगेज किसी के हक में तहरीर किया हो और कर्जा लिया हो और उन दोनों की प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान की रकम निर्धारित की जाय एक की पुनर्वासन अनुदान की धनराशि

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

२५ रुपये मान ली जाय और डिग्री ५०० की हो और दूसरे मारगेजर के हिस्से में ४०० रुपये आ जायं और दोनों आपस में तय कर लें कि कर्ज का जिम्मेदार पहले वाला होगा जिसको २५ रुपये मिले और उस कांट्रैक्ट के मुताबिक २५ रुपये वाले पर लाअबिलिटी हो गई। यह बात दस्तावेज तहरीर में है और दूसरा उस जिम्मेदारी से बरी हो गया तो ऐसी भी सूरतें पैदा की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से कोई मुआहिदा उनके दर्मियान में दस्तावेज के जरिये हो जाय और उस समझौते के अनुसार मारगेजी एक से वसूल करे और दूसरे से न करे तो एक तरह से दोनों मिल कर फ्राड कर सकते हैं। इस सूरत से यह संशोधन नामुनासिब है।

दूसरी बात यह है कि यह उसूल हमेशा से माना गया है और उस पर अमल भी हो रहा है और कभी उस उसूल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई जो ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दिये हुये हैं। मैं श्रीमान् की आज्ञा से ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा ४६ और ४७ को पढ़ देना चाहता हूं। इसमें यह है--

"Where immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interests therein, the transferors are, in the absence of a contract to the contrary, entitled to a share in the consideration equally where their interests in the property were of equal value, and where such interests were of unequal value, proportionately to the value of their respective interests."

४७ में यह है--

"Where sever co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferors, the transfer, as amongst such transferors takes effect of such shares equally where the shares are equal and where they were unequal proportionately to the extent of such shares."

मतलब यह है कि यही बात हमेशा लाई गई कि उनके माल की जो लाइबिलिटी है या अगर उनके शेयर्स डिफाइंड नहीं हैं तो ईक्वली माने जायंगे। यह बात संशोधन के जरिये से लाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि फिर वह सारी बातें उनकी आपसी अदालत में आयेंगी कि वह उन सारी बातों को कंट्राक्ट वगैरह को देखे और तब वह इस बात को करे। मैं यह अर्ज करता हूं कि जब उन्होंने बहस में यह कहा कि यह चीज बेकार इसमें है और जो बात वह लाना चाहते हैं वह भी बेकार है तो फिर इसका क्या मतलब होगा। अगर वह यह कहते कि इसको निकाल दिया जाय तब तो यह ठीक हो सकता था कि इसको मंजूर किया जाय या न किया जाय। लेकिन जब वह यह कहते हैं कि बेकार बात तो पहले ही इसमें है और उसमें वह इस बात को भी ऐड करना चाहते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये अगर उनका संशोधन यह होता कि यह धारा निकाल दी जाय तब तो देखा जाता कि क्या मुनासिब है। लेकिन अब जोड़ने की बात सही नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने से अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायंगी और यह मुनासिब भी नहीं है और इससे फ्राड भी हो सकता है और वे लोग आपस में मिलकर इस तरह की बात कर सकते हैं जो गलत हो। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है और जो धारा है वह उसी प्रकार से अपनी जगह पर सही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा----मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री देवकीनन्दन विभव--श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के भाग (क) की पंक्ति १ व २ में शब्द "निम्नलिखित" के पूर्व शब्द "न्यायालय" बढ़ा दिया जाय।

इसमें यह दिया हुआ है कि "देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा" इस वाक्य में यह पता नहीं चलता है कि कर्ता कौन है। इसलिये यह स्पष्ट नहीं होता। हो सकता है कि यह कहा जाय कि इसमें एक जगह पर "न्यायालय" शब्द आया है और यह उससे भी गवर्न होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यहां पर इसकी जरूरत है और "वह" इसको स्पष्ट करने के लिये जरूर होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि विभाजित होने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा ऐसा कर दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह संशोधन जो पेश किया गया है अनावश्यक है। वरना इसको स्वीकार किया जाता। यदि आप देखें तो मालूम होगा कि उसको उपधारा की दूसरी सतर में यह शब्द "न्यायालय" आया है और यह उसी से गवर्न होता है। इसलिये इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव--अगर यहां पर यह न्यायालय से गवर्न होता है तो "वह" इसके लिये यहां पर रखना जरूरी है क्योंकि वह न्यायालय शब्द बहुत दूर हो जाता है। इस लिये मेरे खयाल से यहां पर "वह" शब्द रखना आवश्यक है और उससे यह मतलब निकल आयेगा कि न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा इस लिये मैंने यह रखा कि न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस को देख लें और उचित समझें तो स्वीकार कर लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, दूर और नजदीक से तो कोई अन्तर होता नहीं। इस में बहुत साफ है कि न्यायालय देय धनराशियों के उक्त प्रकार से विभाजित होने के बाद निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। यह बिलकुल साफ है कि न्यायालय जितनी कार्यवाही है वह सब करेगा और उसको यह गवर्न करता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाय--

"(४) यदि बंधक दी गई सम्पत्ति में बन्धककर्ता व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवास स्थान भी सम्मिलित हो, तो न्यायालय उक्त निवास स्थान को, किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी, ऋण की देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।"

श्रीमान्, इस संशोधन के स्वीकार किये जाने की इस लिये आवश्यकता है चूंकि इस धारा ३ के शुरू ही में यह लिखा हुआ है कि "किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुये भी" इसके अनुसार जितने भी पहले ऐक्ट जैसे एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट जिसके अनुसार जमींदारों को अपने निवास स्थान रखने का अधिकार मिला था उन का आपरेशन यहां खत्म हो जाता है चूंकि यह बाद में बना है और जनरल क्लाजेज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जो ऐक्ट बाद में बनता है वह कानून की नजर में मान्य रहता है। इसलिये यह स्पष्ट है कि कम से कम जो छोटे या बड़े जमींदार हैं इन्सानियत की दृष्टि से उन के रहने के मकान स्थायी हैं और वह मार्टगेज में आ गये हैं तो उनको छोड़ दिया जाय और वह डिक्री

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की धनराशि के रजिस्ट्रेशन के लिये शामिल न किये जायं। यह और भी खंड ३ के उपखंड (३) में स्पष्ट हो जाता है जिस में लिखा है कि "जब बंधक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिन का पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो।"

इस प्रकार जब अलग-अलग बांट दिया जायगा तो इस बात की सम्भावना रह जाती है कि स्थायी निवास-स्थान इसमें आ जाय। इसलिये और भी स्पष्ट करने के लिये जिस बात को सरकार पहले ही मान चुकी है कम से कम उन के स्थायी मकान रहने दिये जायं। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाजवादी दल के सदस्यों को जब कुछ बातें अपने मन की कहना होती हैं तो वह कह दिया करते हैं कि इस बात को तो सरकार पहले से मान चुकी है। कहां कानून है कि जमींदारों के मकान छोड़ दिये जायंगे। कहीं नहीं। आज को कानूनी स्थित यह है कि जाब्ता दीवानी की दफा ६० के मुताबिक जो लोग किसान हैं या खेती का काम करते हैं उनके मकान कुर्क नहीं हो सकते। और सादा डिक्री में नीलाम नहीं हो सकते। सन् ४७ में इस पार्टी के मंत्रिमंडल ने उसमें संशोधन किया कि नीलाम भी नहीं हो सकता अगर मकान आड़ भी हो। सादा डिक्री में पहले मकान कुर्क होता है और फिर नीलाम होता है, अगर मकान मार्टगेज भी हो तो सन ४८ में यह कानून बना दिया गया कि किसान का मकान नीलाम नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि सादा कर्जे में और आड़े कर्जे में भी नीलाम नहीं होगा। दफा ६० कहती है कि—

" Provided that the following property shall not be liable to such attachment or sale, namely, a house and other buildings with the materials and the site thereof and the land appurtenant thereto and necessary for the enjoyment, belonging to an agriculturist and occupied by him."

अब इसमें संशोधन हुआ—

"Explanation I—Properties mentioned in clause (*c*) are exempt from sale in execution of a decree whether passed before or after the commencement of the Code of Civil Procedure (U. P. Amendment) Act, 1948 for the enforcement of a mortgage or charge therein. "

मार्टगेज या चार्ज भी हो तो जायदाद पर तो भी उनकी वसूलयाबी के लिये उनका नीलाम नहीं हो सकता। यह कानून पहले से चला आ रहा है। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में एक दफा है २४। वह यह है कि—

" Provided also that the Collector shall leave to the debtor at least one residential house and the necessary furniture thereof if the debtor owns such house and furniture and such house and furniture free from mortgage or charge. "

इसका मतलब यह है कि अगर मार्टगेज नहीं था तो मकान नीलाम से बरी रहेगा अगर कर्जदार उसे अपने लिये रखना चाहता है। तो जिन लोगों ने दरख्वास्त दे दी उनके मकान वैसे ही बच गये थे। लेकिन सन् ४८ में इस कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल ने तय किया कि अगर मार्टगेज हो तो भी बरी रहेगा। जमींदारों के हाथ में जब सब अख्तियार थे तो उन्होंने यह नहीं किया। हमने शब्द जमींदार नहीं रखा है, सिर्फ यह कि खेती करता हो। मान लीजिये कि लखनऊ में एक जमींदार की बहुत बड़ी कोठी है

और उसकी जमानत पर चाहे तहरीरी हो या इत्मीनानी हो, एक आदमी ने कर्जा दे दिया तो उससे क्यों नहीं वसूल हो ? हां, अगर वह खेती करता है तो गांव में जो उसका मकान है, चाहे वह आड़ हो या नहीं, तो वह नीलाम नहीं होगा, तो यह सब उसमें हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदारों के लिये कहां से मुहब्बत उमड़ पड़ी। जमींदारों का कर्जा इसमें इतना घटा दिया गया है कि वह २० फीसदी रह गया है। १/५ तो कर्जा वैसे ही हो जायगा। और फिर उसमें हमने कहा कि तुम्हारा प्रतिकर १/४ वैसे नहीं लिया जा सकता, तो ३/२० हुआ। यानी इनकम्बर्ड एस्टेट ऐक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट और इस डेट रिडक्शन बिल के मातहत कर्जा घटकर १५ फीसदी रह जाता है फिर भी माननीय अवधेश प्रताप सिंह को जमींदारों के प्रति अन्याय ही दीखता है। इस बिल में अगर किसी के प्रति अन्याय है तो वह सिर्फ मनी लेंडर्स के साथ है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कई बार मेरा नाम लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको किस लिये इस कदर क्रोध मेरे ऊपर आ गया है। मैं जमींदार हूं मुझे तो जमींदारों से मुहब्बत होनी ही चाहिये। और लोग भी इधर के बैठने वाले हैं उनको भी अगर मुहब्बत हो तो ताज्जुब क्या है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को सब सहूलियतें दी गई हैं लेकिन अब तो जमींदार भी किसान ही हो गये हैं उनके पास भी अब कौन सी जमींदारी बाकी बची है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां होंगी और बहुत से जमींदार इस कानून के अन्तर्गत शामिल नहीं हो पायेंगे। जो पुराने वक्त में एक जमींदार था लेकिन आज तो वह केवल एक किसान ही रह गया है उसकी भी जीविका का प्रश्न है। उनका भी आपको खयाल करना चाहिये उनके पास भी अब कोई जरिया माश नहीं रह गया है। मैं मानता हूं कि यह ठीक है कि एग्रीकल्चरिस्टस का घर सुरक्षित है लेकिन जिन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है वह यह चाहते हैं कि हरएक जमींदार चाहे वह छोटा जमींदार हो या बड़ा उसको एक ही तरह ट्रीट किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय अबनार्मल कंडीशंस हैं। आज आप सब कुछ लेकर कर्जा घटा रहे हैं और जो पहिले कर्जे घटाये गये हैं उस वक्त उनके पास उनका सारा सरमाया मौजूद था, सारी संपत्ति मौजूद थी। आज की कंडीशंस को पहिले की कंडीशंस से मिलाना अनुचित है। ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से जमींदार होंगे जो सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत नहीं आते। कोई भी महाराजा हो या कोई निर्धन हो निर्धन को जिस प्रकार अपनी झोपड़ी प्यारी है उसी प्रकार महाराजा को अपना महल प्यारा है। जमींदारों ने जो ऋण लिया है उसका खमियाजा उनके बाल बच्चे क्यों उठावें उनको क्यों महाजन के चंगुल में फांसा जाता है। मैं किसी दूसरे आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर ही कह रहा हूं। अतः मैं श्रीमान् के द्वारा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस पर वे हठ न करें क्योंकि यह संशोधन बहुत ही निर्दोष है। महाजन को इससे कोई बड़ा घाटा नहीं होने जा रहा है जब कि एक जमींदार ऋणी के लिये बहुत दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी।

श्री राधामोहन सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह प्रस्ताव उनकी तरफ से कैसे पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मुझे एक वैधानिक आपत्ति है क्योंकि यह जो विधेयक हमारे सामने है जिस पर इस समय विचार हो रहा है वह जमींदारों के ऋण कम करने के लिये है। और जो आप का संशोधन है वह ऋण को कम करने के लिये नहीं है बल्कि जो ऐवेलेबिल एसेट है उसको भी आप निकल देना चाहते हैं। इस विधेयक के नाम को अगर आप देखें "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक" है। और इसके जो उद्देश्य और कारण

[श्री राधामोहन सिंह]

हैं उनको भी आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं । उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारी के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है । कमेटी को यह उचित और न्याययुक्त प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश के बाद जमींदारों की भूमि के कम हुये मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। लेकिन यह जो संशोधन है उसमें आस्थान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । जो मकान की बंधक हैं और जिन मकानों की क़ीमत में कोई कमी नहीं आयी है उसी के संबंध में यह व्यवस्था करना कि उनसे कर्जा भी वसूल किया जाय, बहुत आश्चर्यजनक मालूम होता है । मुझे तो इस समय उसके संबंध में वैधानिक आपत्ति है कि यह संशोधन नियमित नहीं है और इसका एलान ही नहीं करना चाहिये । लेकिन अब तो यह पेश हो गया है और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, जो जमींदार खेती करते हैं वे तो पहले से बरी थे । १९४८ के संशोधन के मुताबिक जो खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने मकान बंधक कर दिया है वे भी बरी हो गये । अब बहुत थोड़े लोग बच जाते हैं जिनके लिये यह कहा गया है । मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक जो है वह उन आस्थानों की क़ीमत में कमी होने के कारण लाया गया है वरना ऋण कम करने का कोई कारण नहीं है । उसमें यह संशोधन करना कि वे मकान जो कि काश्त नहीं कर रहे हैं उनके अलावा जो बंधक रखे हैं उनको भी इससे बरी कर दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । मैं तो यह गलत समझता हूं । अगर जमींदार भाइयों की तरफ से यह प्रस्ताव आता कि तमाम क़र्जा माफ कर दिया जाय तो मेरी समझ में यह बात आने की चीज़ थी । लेकिन इस तरह से जो कुछ भी महाजनों के लिये ऐवेलेबिल हैं उनको भी धीरे धीरे कम कर दिया जाय, यह अन्याय युक्त मालूम होता है । मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल ही असंगत है और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इसको वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से राजस्व मंत्री साहब जो सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनका सब से बड़ा हमला यह है कि क्या कारण है कि सोशलिस्ट पार्टी इन हत्यारे जमींदारों का समर्थन कर रही है

श्री चरण सिंह——मैंने हत्यारा शब्द नहीं कहा था । यह आप ही कह रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह——श्रीमन्, यह हत्यारा कौन सा शब्द है ।

श्री मलखान सिंह——ये पेट फाड़ने वाले, ये किसानों को लूटने वाले जमींदार, कल ये शब्द कहे गये थे । मैं आप के सामने यह चीज़ रखना चाहता हूं कि इसी कांग्रेसी सरकार ने सन् १९४६ ई० में जमींदारी एबालिशन बिल को रखा और लगातार ५ वर्षों की कोशिशों के बाद उसे पास किया । और अपनी आंखों के सामने किसानों को पिटते हुये देखा और साथ ही यह भी देखा कि बड़े बड़े जमींदारों ने एक एक इंच जमीन बेच कर अपनी जेबें पूरी तौर पर भर लीं । और तब उनको ख़त्म कर दिया गया, ५ वर्ष में किसान पिट कर, बेदख़ल हो कर अपने घर बार से निकाल दिये गये । उसके बाद जब चिल्ल पों की गयी और आप ने देखा कि वे आपकी बग़ल में ही कराह रहे हैं फिर आप को यह रहम आया कि उनको कम्पेनसेशन भी मिलना चाहिये और जहां २५० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों के लिये यह निश्चय किया गया था कि उनको रिहैबिलिटेशन भी देना चाहिये वहां आपने उसकी मात्रा १० हज़ार रुपये मालगुजारी तक कर दी । ये इस तरह की चीजें हैं जो मेरे सामने हैं। इन १० हज़ार रुपये तक मालगुजारी देने वालों को आपने रिहैबिलिटेशन भी दिया और कम्पेनसेशन भी दिया और उसके बाद फिर आप ही की बग़ल में जो बैठने वाले हैं उनकी चिल्ल पुकार पर आप ने यह भी कर दिया कि इनका क़र्जा भी कम कर दिया जाय ।

तो आप का तो वह प्रेम जमींदारों के प्रति हुआ नहीं और जब हम न्याय की बात कहते हैं और यह कहते हैं कि आज का जमींदार तो जमींदार नहीं रहा, उसको नाम से कह लीजिये लेकिन वह तो उस नाम के कागज में भी रहा नहीं। वह भी एक इन्सान है और इन्सान के नाते हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है। जमींदार क्लास जो है उससे हमारी दुश्मनी सही हम उसको खत्म करना चाहते थे और बिला कम्पेनसेशन लेकिन इन्सान के नाते उससे हमदर्दी है। जो हम जमींदार क्लास के नाते चाहते थे वह आप ने तो किया नहीं लेकिन जब हम कहते हैं कि वह एक इंसान है और जिस घर में वह और उसका कुटुम्ब रह रहा है तो मेहरबानी करके उसको छोड़ दीजिये और उसका वह घर उसके हाथ से किसी क़र्ज़ में न निकलने दीजिये तो आप यह इल्ज़ाम सोशलिस्ट पार्टी पर लगा देते हैं कि हमारे अन्दर यह प्रेम कहां से उमड़ आया। मैं तो आप से कहता हूं कि जमींदारों को जितना बढ़ाया आपने बढ़ाया, जमींदारों को जितनी मदद दी वह आपने दी। आज गोचारे के लिये एक इंच भी ज़मीन नहीं रह गयी और जिसके लिए तमाम किसान और मज़दूर चिल्ला रहे हैं वह आप की आंखों के आगे ही नहीं रह गई और फिर आप तरह तरह के क़ानून उन्हीं को खुश करने के लिये ला रहे हैं उन्हीं को कांग्रेस का टिकट दे कर के बड़ी बड़ी जगहों पर भेज रहे हैं, उन्हीं नवाबों के मकानों को माहवारी किराये ८ सौ रुपये महीने किराया दे कर गल्ला गोदाम बनाते हैं और आने जाने का किराया भी देते हैं। वहां पर भी वे नाना तरीक़े से कराह रहे हैं लेकिन जब हम एक रहने के लिये मकान के लिये कहते हैं तो आप कहते हैं कि जमींदारों के प्रति हमारे अन्दर प्रेम कैसा। जमींदारों के प्रति यह प्रेम नहीं है यह तो इन्सान के प्रति प्रेम है जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था वही प्रेम एक इन्सान के प्रति हमारे हृदय में रहा है और रहेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जरा आप अपने पास में बैठे हुये जो आप के बगल में बैठे हुये हैं उनको देखिये वे कराह रहे हैं। अभी उस दिन एक कांग्रेसी सदस्य भी श्री भगवान सहाय जी ने जो प्रस्ताव रखा उसका समर्थन कांग्रेसी जमींदारों ने भी किया। मुझे रहम आ गया उनकी सूरतों को देख कर जब वह बोल रहे थे जब उधर के कांग्रेसी सदस्यों ने जमींदारों पर कटुआलोचना की थी जमींदारों ने गरदन नीचे किये हुये सुना उनकी आंखों में आंसू भरे हुये थे और बहुत से सदस्य जब उन गालियों को न सुन सके तो सदन से बाहर चले गये तो मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह से आपका यह लांछन सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर जो लगा रहे हैं वह ग़लत है यह संशोधन मानवता के नाम पर हमने रखा है कि कम से कम वह और उसका कुटुम्ब जिस जगह रह रहा हो वहां पर उसको रहने दिया जाय वह क़र्ज़ में न ली जाय। इस के सिवा सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर जमींदारों के प्रति प्रेम नहीं है और जमींदारों के बचाने का सवाल नहीं है इस लिये मैं इस संशोधन का जो रखा गया है अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसी विचार से इसको मंजूर करेंगे।

श्री नौरंगलाल (ज़िला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आप के सामने पेश है उसका विरोध करने को मैं आया हूं मैंने अभी अभी एक स्पीच सुनी तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि लोग भवन में आ कर जिस वक्त कि अपना व्याख्यान देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि संशोधन क्या है और हम वहीं तक सीमित नहीं रहते बल्कि आवेश में आ कर दुनियां की सारी बातें कहने लग जाते हैं जो पिछले जमाने से अब तक उन्हें याद हैं। मैं नहीं समझता कि सदन का समय इन सब बातों में बरबाद करने से क्या लाभ होता है हमें तो यह देखना चाहिये कि जो प्रिविलेज श्री तिवारी जी उन जमींदारों के लिये मांग रहे हैं यह उचित है या अनुचित। सिर्फ इतना देखना है इस पर इतना लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे कर सदन का समय लेना उचित नहीं है। सवाल यह है कि प्रिविलेज उस जमींदार क्लास के लिये जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं मांगा जा रहा है वह यह हाउस दे सकता है या नहीं। और इसी का हमें उत्तर देना है। इसी पर ही विचार करना है। मेरी अपनी धारणा यह है और मैं समझता हूं कि उचित है कि जब कभी भी हम किसी क्लास को स्पेशल प्रिविलेजें देते हैं तो वहीं पर दे सकते हैं जहां पर न्याय युक्त हो। वैसे कदापि नहीं देना चाहिये। प्रजातंत्र में प्रिविलेजेज़ नहीं हुआ करते हैं। प्रिविलेजेज़ तो किसी असाधारण परिस्थिति के

[श्री नौरंगलाल]

लिये दिये जाते हैं। यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसका सारा उद्देश्य केवल यह है कि जमींदारी उन्मूलन क़ानून पास होने की वजह से कुछ अन्याय यह हुआ कि प्रापर्टी की वेल्यु घट गयी। तो क़र्ज़े की वेल्यु भी उसी प्रोपोर्शन से घट जानी चाहिये। इतना गवर्नमेंट को करना जरूरी था क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा न करती तो कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाता। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ था उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। लेकिन इसके आगे जाना कि गवर्नमेंट किसी खास व्यक्ति के लिये कोई ख़ास सहूलियत दे दे, यह कभी भी उचित नहीं हो सकता। मुझे ताज्जुब है कि सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से ऐसा प्रोपोज़ल कैसे आया जब कि वह हमेशा इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी, और ब्रदरहुड की दुहाई देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। मैंने कांग्रेस में काम किया, जेल भी गया। लेकिन आज मेरा मकान नीलाम हो जायगा क्योंकि मैं ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स के और ऐसे आदमियों के जिन्होंने देश के लिये काम किया है उनके मकान नीलाम हो जायंगे तो ऐसे नवाब और जमींदार जो ऐग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं उनका क्यों मकान बचना चाहिये। जिस सिद्धांत को मान कर सब के मकान नीलाम होंगे उसी सिद्धांत के अनुसार उन के भी मकान नीलाम होंगे। सोशलिस्ट भाई इसको ठंडे दिल से सोचेंगे कि क्या वह इससे जनता का उपकार करना चाहते हैं, क्या यह न्याययुक्त है, तभी वह इस पर जोर दें। मैंने भी मार्क्सवाद का अध्ययन किया है। लिलन मार्क्सवादी ने कहा है कि जिस समय किसी प्रिविलेज क्लास को मिटाया जाय तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिये। वह यह कि जिस प्रिविलेज क्लास को खत्म कर रहे हैं उसको कोई ऐसे नये प्रिविलेज न दे दें जिससे एक नया प्रिविलेज क्लास पैदा हो जाय। तो आप एक नया प्रिवलेज क्लास पैदा करना चाहते हैं। आप ऐसे आदमी कायम कर रहे हैं जिनका मकान ही नीलाम हो, जो खेती न करते हों।

इसलिये मैं आखिर में अपना विरोध प्रकट करते हुये यह कहूंगा कि कोई खास प्रिविलेज चन्द आदमियों को नहीं मिलना चाहिये। जिन को प्रिविलेज देना है, वह हैं हल बैल से जोतने वाले। जो काम नहीं करेगा, खाली बैठा रहेगा, ऐश करेगा उसका मकान ज़रूर जायगा और मकान ही क्या सब कुछ जायगा। वह देश के लिये हानिकर है।

श्री बलवन्तसिंह (ज़िला मुज़फ्फ़रनगर)—अध्यक्ष महोदय, इस मसले का ताल्लुक़ एक दूसरी चीज़ से भी है वह यह है कि अब तक का कानून यह है कि अगर किसी शख्स ने अपना मकान आड़ या रेहन किया हुआ है तो वह नीलाम हो सकता है और दफ़ा ६० ज़ाब्ता दीवानी के अन्दर भी ऐग्रीकल्चरिस्ट का ऐसा मकान डिग्री में नीलाम होने से बरी नहीं है। अगर हम संशोधन जो हमारे भाई नारायण दत्त जी ने रखा है मान लेते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि हम उन काश्तकारों से भी जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं उससे भी ज्यादा उन जमींदारों को जो अब तक बेकारी के साथ रहते आये हैं एक ऐसा अधिकार दे देते हैं तो यह चीज़ किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं हो सकती क्योंकि काश्तकारों को जो अधिकार दिये गये हैं उसमें उस बात का खास तौर से खयाल रखा गया है कि अगर उन्होंने जानबूझ कर अपने मकान को आड़ करके या रेहन करके कर्जा लिया है तो इसके मानी यह हो जायेंगे कि हमने उस आदमी से जिससे हमने क़र्ज़ा लिया उससे धोखा किया इस कानून के जरिये उस धोखे में काम हो जाता है। तो मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इसके इस पहलू को भी विचार कीजियेगा। क्योंकि अब तक के जितने हमारे देश के रूलिन्ग्स आप ने हाई कोर्ट्स के हैं उन सब के देखने से यह साबित होता है कि आड़ वाले मकान को उन्होंने डिक्री में नीलाम से बरी नहीं किया है, क्योंकि वह तो हमने जानबूझ कर उसके ऊपर क़र्ज़ा लिया है और उसको हमें देना चाहिये उस किफ़ालत के जरिये से। अब सवाल यह रह जाता है कि आगे चल कर के यह बात आये कि छोटे छोटे जमींदारों के ऊपर यह बात लागू होगी, तो मैं कहता हूं कि जहां एक आम अधिकार हमनें छोटे काश्तकारों को या छोटे जमींदारों को दिये हुये हैं वह जैसे भी हैं, वह तो बदस्तूर वैसे के वैसे रहेंगे। अब नये अधिकार देना न तो न्यायोचित है और न इस बात की ज़रूरत है। इसलिये मैं अपने भाई नारायणदत्त जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने बहुत ध्यान से मंत्री जी की भी बातें सुनीं और दो एक सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनको भी मैंने बड़े ग़ौर से सुना है । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी यह समझते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग जमींदारों के समर्थक हैं और उनके दिल में जमींदारों के लिये बड़ी प्रीत उमड़ आयी है । अगर मंत्री जी अपने कारनामों को देखें, अपनी कांग्रेस पार्टी के कारनामों को और सरकार की हरकतों को देखें तो साफ साफ पता चल जायगा कि जमींदारों का दोस्त कौन है और उनके लिये कौन ज्यादा कर रहा है । क्या मंत्री जी भूल गये कि अभी कुछ दिन पहले मार मार कर किसानों से दस गुना इसलिये लिया गया कि वह जमींदारों को दिया जाय ? किसका जमींदारों के लिये प्रेम है ? यह विधेयक आया, मंत्री यह भी उनके फायदे के लिये लाये । हमने तो इसको पेश नहीं किया, यह भी उसका सबूत है । हमने तो मानवता के नाते केवल यह अमेंडमेंट रखा कि जिस मकान में वह जमींदार रहता हो उस मकान को नीलाम न होने दिया जाय या उसके ऊपर किसी क़िस्म की चीज़ न हो, तो मंत्री जी को यह मालूम होने लगा कि हमारे अन्दर प्रेम आने लगा है जमींदारों के लिये । मैं आप से पूछूं कि मान लीजिये, कोई जमींदार किसी मकान में रहता है और वह नीलाम होता है तो उसको खरीदने वाला कौन होगा ? वह तो एक पूंजीपति या व्यापारी ही हो सकता है और जब वह उस जमींदार को जो उसमें रहता है, निकाल कर उसको खरीद लेगा, तो फिर उससे पैसा कमाना शुरू करेगा । वह रहने के लिये तो खरीदेगा नहीं। वह तो इसलिये खरीदेगा कि किराये पर चला जाय और दुगुना तिगुना उससे मुनाफ़ा उठाया जाय । तो उचित तो यही है कि जो आदमी जिस मकान में रहता है वह नीलाम न किया जाय । वैसे आपने कहा कि शहरों में बहुत से मकान हैं । अगर उसके ऊपर रुपया ले रखा है और उसमें नहीं रहता है तो हमें उसमें कहां विरोध है कि वह मकान नीलाम न हो हमारे संशोधन का मतलब तो यह है कि जिस मकान में आदमी खुद रहता हो उसी से मतलब है । तो ऐसी बातें कह देने से कोई फायदा नहीं । यह तो कहने की बात है कि जमींदारों का प्रेम उमड़ आया । अगर मंत्री जी में किसानों का प्रेम होता तो यह विधेयक जमींदारों के लिये खाली न आ कर तमाम जनता के लिये और किसानों के लिये होता । किसान आज खाने बग़ैर मर रहा है, क़र्ज़े से दबा हुआ है । उन किसानों की बात न करके जमींदारों के लिये यह विधेयक पेश किया गया है ।

इन सारी चीजों को देख कर यह बात ज़ाहिर है कि कौन जमींदारों का हितैषी है, किस के हृदय में प्रेम है । हम किसी आदमी से प्रेम या दुश्मनी नहीं करते, हम किसी व्यवस्था के दुश्मन हैं । मान लीजिये मंत्री जी के पास थोड़ी सी जमींदारी है इसलिये थोड़ी जमींदारी होने के कारण उनसे नफ़रत करने लगें यह बात तो ठीक होगी नहीं। हां, इसलिये कि सरकार की नीति क्या है उससे हमारा विरोध हो सकता है लेकिन किसी के पास जमींदारी थी इसलिये विरोध करें यह कोई ठीक चीज नहीं है । यह बहुत सीधा साधा अमेंडमेंट है और मैं समझता हूं कि कि मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं आज सदन के सामने इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआं हूं । मैंने अपने बुजुर्गवार की स्पीच सदन के अन्दर सुनी । उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया । अभी हाल ही में हमने देखा कि सोशलिस्ट पार्टी और पार्टीज से मिल रही हैं । उनमें भी बहुत से पूंजीपति मौजूद हैं। हमारे यहां राजा नवाब पर छींटाकशी की गयी । मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि राजा, रानी, अमीर, ग़रीब का कोई क्वेश्चन नहीं है । हर पार्टी में ग़रीब भी हैं और अमीर भी हैं लेकिन विचार धारा देखी जाती है कि किसके विचार कैसे हैं । अगर कोई राजा शुद्ध हो जाता है और उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं तो उसके साथ हम हैंड ज्वाइन करने में कोई आपत्ति नहीं समझते । अगर किसी का ईमान दुरुस्त है नेक आदमी है मुल्क के काम पर मरमिटने को तैयार है तो हम उसके साथ हैं और वह हमारा भाई है । हम ऐसा

[श्री शिवनारायण]

नहीं चाहते कि आज इस नाव पर और कल दूसरी नाव पर। माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है कि जमींदारों के जो रेजीडेंशल हाउसेज हैं उनको फ्री कर दिया जाय. मैं उनसे पूछता हूं कि जिन्होंने रुपये ले कर के विलिंडन होटल में मौज उड़ाया है, गुलछर्रे किये हैं, पेट्रोल जलाया है वह रुपया गवर्नमेंट कहां से लायेगी, अलाउद्दीन का चिराग़ तो है नहीं जिस से गवर्नमेंट रुपया बना कर दे देगी, जो उनके पास प्रापर्टी होगी उसी से सरकार वसूल करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक़ है। सरकार ने जो बिल रखा है वह अति उत्तम है और मैं अपने बुजुर्गवार से निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं.......

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आप उपाध्यक्ष के द्वारा कहिये।

श्री शिवनारायण---मैं उपाध्यक्ष के द्वारा ही कहूंगा बाबू साहब, घबड़ाइये नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से कहूंगा कि वे अपनी गन्स को रिजर्व रखें और अपने एनीमीज पर अटैक करें न कि अपने किसान फ्रेंड्स पर अटैक करें। अभी ठाकुर साहब ने कहा कि जमींदारों ने यह किया, वह किया और फिर कहते हैं कि अमेंडमेंट सुन्दर है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने किस तरह से इसको सपोर्ट करने की हिम्मत की जब कि वे ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का दावा करते हैं कि हम ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन लायेंगे। मैं नहीं समझता कि आप इसको कहां तक प्रैक्टिकल कर सकेंगे। कहता वहुता सब मिले, गहता मिला न कोय, वाली बात है। इन शब्दों के साथ सरकार का जो बिल है उसको सपोर्ट करता हूं और इस अमेंडमेंट का खंडन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कभी अर्थ का अनर्थ करना होता है और उसको व्यवहार में व्यवहृत करना होता है, तो मैंने वही आज फिर यहां पर दोहराया हुआ माननीय मंत्री जी की ओर से देखा। मैंने कभी जो नहीं कहा और जो मेरा अभिप्राय कभी नहीं था, उस सभी का दोषारोपण मेरे तथा मेरे निर्दोष संशोधन पर कर दिया गया। कहां तो उसमें केवल "रेजीडेंस" की बात थी लेकिन उसको इस प्रकार बढ़ा दिया गया कि बड़े बड़े मकान, जो जमींदारी के महल और कोठियां हैं उनको भी इसके द्वारा बरी किया जा रहा है और न जाने क्या क्या कह दिया गया। श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संशोधन की ओर आकर्षित करूंगा जिस में लिखा है कि "यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित हो।" इसमें बड़े बड़े बंगले और कोठी की बात नहीं है, केवल कुटुम्ब के निवासस्थान की बात रह जाती है। रेजीडेंस में या मकान में, या कोठी में या महल में फर्क होता है। एक मकान में कई कुटुम्ब रह सकते हैं। इतना बड़ा कौंसिल हाउस है। इस में दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन आप यह तो नहीं कह सकते कि इसमें केवल एक ही डिपार्टमेंट है बड़ी बड़ी कोठियां इस लखनऊ के अन्दर हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, जरूर हैं, जमींदारों की भी हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कोठियां हैं जिनमें तीस-तीस और चालीस-चालीस कुटुम्भ निवास करते हैं। इसी लिये मैंने अंग्रेजी में लिखा कि रेजीडेंस और मकान के बीच में फर्क हो। इसको मैंने स्पष्ट किया था। अब अगर माननीय मंत्री जी यह कहें कि रेजीडेंस और हाउस एक ही चीज है और एक कोठी के अन्दर बहुत से कुटुम्ब नहीं रह सकते हैं तो यह माननीय मंत्री जी की दलील हो सकती है लेकिन मैंने जैसा बचपन से आज तक देखा है यह बिलकुल स्पष्ट है कि रेजीडेंस में और हाउस में फर्क होता है। हम यह कभी नहीं कहते कि आप जमींदारी का विनाश मत कीजिये। जैसा कि हमारे माननीय ठाकुर साहब ने कहा हमने तो प्रतिकर का पूरा पूरा विरोध किया। हमने तो ऋण के बारे में भी कहा कि ढाई सौ के ऊपर के जो लोग हैं उनसे अगर आपको पुनर्वासन अनुदान की भी जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। लेकिन यह सवाल तो एक इंसानियत का है कि प्रत्येक परिवार के

पास रहने लायक मकान हो। यह हमारा सिद्धांत है और कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर इस बात की घोषणा किया करती है कि प्रत्येक परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जब जमींदारों के बारे में या किसी परिवार के बारे में यह प्रश्न आता है तो अपने सिद्धांत को बदलना पसन्द करेंगे आप सारी जमींदारी जब्त कीजिये, महलों को जब्त कीजिये, कोठियों को जब्त कीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम तो केवल इतना कहते हैं कि उनके कुटुम्भ के लिये जो मकान हैं वह उनके पास रहना चाहिये।

दूसरा सवाल यह है कि श्रीमन् अगर हम यह देखते कि मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा उनके मकान को जब्त कर के किसी ऐसे गरीब को देने जा रहे हैं जो सड़कों पर फुटपाथ पर सोता है तो मैं कभी ऐसे संशोधन को न लाता और मैं पहला आदमी होता जो कहता कि जिनके पास मकान आज तक थे उनसे छीन कर आप उनको देने जा रहे हैं जिनके पास मकान आज तक नहीं थे तो यह ठीक है लेकिन आप ऋण के रूप में रहने वाले मकान को छीनकर उस महाजन को देंगे जो उतना ही बड़ा धन्नासेठ हो सकता है जितना कि वह जमींदार। तो यह मेरी समझ में कोई न्याय का प्रश्न नहीं है। यह तो एक समान श्रेणी के स्वार्थ के व्यक्ति से ले कर दूसरे समान श्रेणी के स्वार्थ के व्यक्ति को कोई 'इम्मूवएबुल प्रापर्टी' देना है। अगर यह मेरी समझ में न्याय का प्रश्न होता तो मैं कभी भी इस संशोधन को पेश नहीं करता। आप सोशलिस्ट पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता को कभी ऐसा संशोधन पेश करते न देखते। लेकिन जब इसमें श्रेणी संघर्ष के स्वार्थ का सवाल नहीं है और यह एक ही श्रेणी का प्रश्न है तो इसमें हमें अपने उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास उसके रहने लायक मकान होना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी को जमींदारों के साथ मुहब्बत हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन जमींदारों से भी बड़ा अभिशाप-हमारे समाज के लिये और हमारे देश के लिये अभिशाप-अंग्रेजी शासन रहा था, तो क्या सरकार ने किसी भी अंग्रेज के घर को कुर्क किया, किसी भी अंग्रेज की प्राइवेट प्रापर्टी को छुआ ? बड़े बड़े उद्योग धंधे उनके हैं और हमारे कुमायूं डिवीजन में उनके बड़े बड़े चाय के, फल के बागीचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप जमींदारों के बारे में कहते हैं कि मुहब्बत हो गई। एक रेजीडेंस वाले सवाल पर भी एतराज उठाया गया। हमारा कहना यह है कि जमींदार तो हमारे देश के थे। वह शोषण करने वाले जरूर थे लेकिन थे तो देश की ही। क्यों नहीं अंग्रेजों के लिये जो विदेशी शासक थे इस प्रकार का विधेयक लाये कि उनकी प्रापर्टी पहले ली जायगी, उनके मकान लिये जायंगे, उनकी फैक्टरीज और बगीचे वगैरह लिये जायेंगे अगर इस प्रकार का कोई कदम हमारी सरकार ने उठाया होता तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे कि आपने यह गल्ती की। हम जब देखते है कि अंग्रेजों का प्रश्न है तब तो सरकार ने उसको इस तरह से बरता नहीं और आज जब हम न्यायसंगत चीज रख रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी को उस पर एतराज होता है।

हमारे दोस्त श्री राधामोहन सिंह जी ने कहा कि इसमें वैधानिक आपत्ति का प्रश्न है और यह नहीं आ सकता है। अगर वह परिभाषा देखते तो ऐसा न कहते। परिभाषा 'दी सिक्योर डेट' में साफ लिखा है कि 'सुरक्षित ऋण का अर्थ किसी आस्थान के बंधक द्वारा तथा अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है।' इस अचल सम्पत्ति में तो निवास स्थान या मकान आ जाया करता है। परिभाषा के अन्दर अचल सम्पत्ति को स्वीकार किया गया है। अब भी अगर माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो वह इस विधेयक से जरूर हो सकती है। अगर उनको आपत्ति है तो उनको माननीय मंत्री जी से शिकायत होनी चाहिये थी कि आपने अचल सम्पत्ति शब्द को लाकर इस विधेयक को अनकांस्टीट्यूशनल कर दिया। माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जो जमींदार खेतिहर होंगे तो उनके लिये लागू हो जायगा और जो खेती नहीं करते हैं तो उनके लिये लागू नहीं होगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

माननीय मंत्री जी ने सात आठ ऐक्टस पढ़े थे लेकिन वह कोई लागू नहीं होते हैं। मैं फिर निवेदन करूं कि खंड ३ में शुरू में ही लिखा हुआ है कि ऐक्ट उन पर लागू नहीं होता है। जितने ऐक्ट्स के नाम लिये वह इसकी वजह से लागू नहीं होते हैं। अब मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ दूं तो साफ हो जायगा। वह यह है कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुये भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।]

इसमें जितने ऐक्ट हैं वह लागू नहीं हो सकते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे तो उसमें प्रश्न उठ सकता है। अब आप अगर हंसना शुरू कर दें तो मैं तो रोक नहीं सकता हूं। आपके यहां न उठाया जाय लेकिन कोर्ट में उठ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह ऐक्ट में ही लिखा हुआ है। इसके बाद जहां तक दूसरा सवाल आया तो हमारे शिवनारायण जी को शिकायत हुई कि जान बूझकर रहन किया है तो उसको यानी महाजन को धोखा देना है। हमारे शिवनारायण जी ने या शायद नौरंगलाल जी ने कहा कि जानबूझ कर रहन किया है और उसको रद्द कर देते हैं तो 'मारगेजी' को धोखा देना है। अगर ऐसा है तो जितनी प्रापर्टी हैं सभी जानबूझ कर रहन होती हैं। यह नहीं होता है कि रेजीडेंस ही अकेली रहन होती है। जो कर्जा लिया जाता है वह भी जान बूझकर लिया जाता है। यदि ऐसा है तो यह विधेयक भी नहीं आना चाहिये था क्योंकि हर एक ने काम जान बूझ कर किया था।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलीलों से हमारा काम नहीं चलेगा और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन पर पुनः विचार करें और उसे स्वीकार कर लें। यह केवल रेजीडेंस का सवाल है, कोई बड़े कम्प्रोमाइज का प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो माननीय मंत्री को विश्वास दिलाऊंगा यह तो जमींदारों का प्रश्न है, हमारी सरकार भी जब कभी कोई सही बात लाती है तो उसका हमने स्वागत किया है, तो क्या सरकार कहेगी या मानेगी कि हमें उनसे मुहब्बत है या माननीय मंत्री जी की नीति से मुहब्बत हो जाती है। जब कोई सही बात आती है तो सोशलिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है, चाहे उसको कोई भी रक्खे, उसमें कोई मुहम्बत का सवाल नहीं होता। सिद्धांत की बात होनी चाहिये, उसका हम समर्थन करते हैं, वैसे तो हम सब एक दूसरे से मुहब्बत करते ही रहते हैं।

श्री चरणसिंह—मैं कहता हूं मुहब्बत है तो इंकार है और अपने आप कह रहे हैं कि मुहब्बत है। मेरे कहने में क्या जहर घुस जाता है। मैंने कहा कि आपको जमींदारों से मुहब्बत है तो माननीय जगन्नाथ मल जी उठे कि हमें तो हर एक से मुहब्बत है, आदमियों से नफरत नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत की व्याख्या होने लगी। फिर उसी से प्रोटेस्ट क्यों कि आपको जमींदारों से मुहब्बत है। मुहब्बत होना कोई बुरी चीज नहीं है। हमको भी मुहब्वत है लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है......

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। इस विधेयक में मुहब्बत करने या न करने में कोई रोक नहीं है।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ यह बात कही कि हम लोग तो आपकी भाषा में प्रतिक्रियावादी हैं, प्रगतिशील नहीं हैं क्योंकि जमींदारों के साथ हम रियाअत करते हैं। यह आपका चार्ज हम पर है। तो जितनी रियाअत हम करते हैं आप उससे आगे जाने को तैयार हैं तो यह उलहाना क्या हम नहीं दे सकते क्योंकि हम जमींदारों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं इसलिये हम प्रतिगामी लोग हैं तो जब आप १० गुना आगे जाने को तैयार हैं तो क्या हमें यह पूछने का भी हक नहीं है कि यह क्या माजरा है। यही मेरा मतलब था। बाकी मुहब्बत होना कोई बुरी चीज नहीं है। सवाल यह है कि आगे इस बात की दुहाई नहीं देनी चाहिये कि हम बड़े प्रगतिशील हैं कांग्रेस वालों से ज्यादा प्रगतिशील हैं क्योंकि प्रगतिशील का काइटेरियन यह बना रखा है कि जमींदारों के साथ रियाअत न की जाय। आप हमसे भी ज्यादा रियायत करने को तैयार हैं तो आपको क्या कहा जाय। यही मेरे कहने का मतलब था।

अब रही यह बात जब देखा कि जमींदारों के नाम से मकान छुड़वाने की बात या ढाई सौ रुपये से कम जमींदारों के अनुदान छुड़वाने की बात मैंने कही तो ठाकुर मलखान सिंह जी पलट पड़े कि हम तो मानवता के कारण कर रहे हैं, जमींदारों के नाते नहीं कर रहे हैं। वे जमींदार तीन जून के बाद मानव हो गये पहले मानव नहीं थे लेकिन यह कर्जा उस जमाने का है जब कि वे मानव नहीं थे। तो यह दलील भी आपकी लगती नहीं। फिर पहली बातों को दोहराया गया कि यह किया वह किया। उन्हें छोड़िये अब आप क्या कर रहे हैं? कहा गया कि अंग्रेजों की फैक्टरी नहीं ली गई। जब हिन्दुस्तानियों की फैक्टरीज ली जायं और अंग्रेजों की न ली जायं तब तो यह बात कही जा सकती है, यहां तो सवाल जमींदारी का है। इस अधिनियम के अनुसार जिस कदर हिन्दुस्तानियों का अधिकार लिया जा रहा है उसी कदर अंग्रेजों का भी हक लिया जा रहा है। यहां तो जिक्र जमींदारों के हक लेने का या जमींदारों के कर्जे को घटाने के बाबत है, इसमें अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में कोई इमतियाज नहीं है।

अब जहां तक मकान का सवाल है हमें यहां पर इसी पर विचार करना है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि जिस हद तक आस्थान पर कर्ज़े हैं और जिस हद तक इस्टेट पर कर्ज़े हैं उनको उसी हद तक घटाया जाय और जिस हद तक नान इस्टेट पर कर्ज़े हैं अर्थात् प्रापर्टी पर कर्ज़ा है जो जमींदारी अनालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत एक्वायर नहीं की गई हैं उस कर्ज़े को हम नहीं घटा रहे हैं। यह इसकी स्कीम है। आप छुड़ाना चाहते हैं उन मकानों को जो जमींदारों के कब्जे में इस हैसियत से हैं कि वह किसान नहीं। अगर वह किसान की हैसियत से मकान रखते हैं तब तो वह नीलाम ही नहीं हो सकते हैं चाहे उनके ऊपर सादा कर्जा हो या आडी कर्जा हो जैसा कि अभी कहा गया कि एग्रीकलचरिस्ट का मकान किसी भी हालत में नीलाम नहीं हो सकता है और इसका जिक्र मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कर दिया था और उसको पढ़कर भी सुना दिया था कि जिस आदमी की आमदनी अधिकतर खेती से हैं उसका रिहायशी मकान और उसके दूसरे मकान जो खेती के काम में आते हैं घेर या बाड़ा वह नीलाम नहीं हो सकते हैं चाहे डिग्री किसी तरह की भी हो। यह पोजीशन कायम रहेगी। अब आप छुड़ाना चाहते हैं उन मकानों को जिसमें वह आबाद नहीं हैं किसानों की तरह से तो इसकी सारी स्कीम के विपरीत ही यह हो जाता है। अगर आप ऐसे मकानों को छुड़ाना चाहते हैं जिसमें वह किसान की हैसियत से आबाद नहीं हैं तो फिर शहर के लोगों का क्या कसूर है जहां पर मजदूर पेशा लोग बसते हैं, दुकानदार बसते हैं और सरकारी कर्मचारी बसते हैं तो फिर उनके मकानों को क्यों नीलाम किया जाय। इस लिये इस संशोधन का कोई तुक नहीं है। हां, एक बात माननीय नारायणदत्त जी ने अपने तजुर्बे की बिना पर कही कि मैं बचपन से देखता आया हूं। अभी तो जुम्मा जुम्मा आठ दिन ही होते हैं। मुझे माननीय सदस्य माफ करेंगे कि यह कुछ जाती सी बात हो गई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे माननीय नारायणदत्त जी कुछ भी दलील दिया करें लेकिन

[श्री चरणसिंह]

अपनी उमर की बिना पर अपने लम्बे तजुर्बे की बिना पर कोई बात न कहा करें क्योंकि उसमें वजन रहता नहीं है। परमानेण्ट रेजीडेंस जो हैं उनका मतलब यह है कि किसी मकान में १० आदमी रहते हैं उसके लफ्ज यह हैं कि यदि बन्धक दी गयी सम्पत्ति में बंधककर्ता व उसके कुटुम्ब का अस्थायी निवास स्थान भी सम्मिलित हो परमानेण्ट रेजीडेंस उसका सारा अपना रेजीडेंस कहलायेगा तो फिर उसमें देखा जायगा कि कितने कमरे हैं या और कोई भी उसमें रहता है। आपने उसके अन्दर कोई प्राविजो दिया नहीं है तो फिर उसमें वह सारा मकान बेचा जायगा। एक बात को सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया और सोचने लग गया कि नारायणदत्त जी भी कभी-कभी ऐसी बात कह देते हैं जो कभी विश्वास करने के लायक नहीं हो सकती है जब उन्होंने कहा कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall, after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।]

आपने कहा कि पुराना ऐक्ट मन्सूख हो गया और आपने यह भी कहा कि मैंने कई ऐक्ट गिना डाले और इससे जमींदारों को फायदा पहुंचेगा मेरा कहना यह है कि वह ऐक्ट सब मन्सूख हो गये और आपने इसको पढ़ दिया कि—

"Notwithstanding anything in any law, agreement or document, in any suit to which this Act applies relating to a secured debt, the court shall, after the amount due has been ascertained, but before passing a decree, proceed as hereinafter stated."

[किसी विधि अथवा अनुबंध अथवा लेख्य में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से संबद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो, न्यायालय देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।]

तो एक स्कीम ले डाउन करने जा रहे हैं तो यह स्कीम जो हम ला रहे हैं और यह जो इसमें बटवारा कर रहे हैं स्टेट और नान स्टेट पर जो कर्जा है एक राहिन पर या दूसरे राहिन पर तो यह बावजूद तमाम दूसरे कानूनों के यह चीज जायज होगी। इसका मतलब सारे कानूनों की मंसूखी का नहीं है। अगर यह कहते कि बावजूद इसके कि कुछ भी लिखा है लेकिन आगे से डेढ़ रुपया प्रतिशत का सूद रहेगा तो हम समझते हैं कि मंसूख हो गये। ऐसा डेट रिडेम्पशन ऐक्ट की रू से भी नहीं हो सकता और अगर आगे से जाती डिक्री बन सकती तो भी दफा २१ मंसूख हो जाती। लिहाजा कोई मंसूख नहीं होता है और जितनी रियायत हो सकती थी और जो देय रकम है उसमें भी अब १५ रुपया ही सौ में वसूल होंगे। और बहैसियत किसान के गांव के उनके मकान पहले भी महफूज थे और वह आज भी वैसे ही रहेंगे। आपका मतलब यह है कि जो शहरों के उनके मकान हैं कि जो खेती गांव में नहीं करते हैं उनको भी छोड़ दिया जाय तो यह तो इस बिल की स्कीम के ही खिलाफ बात है और यह इसमें फिट नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसी उम्मीद तो मैं उनसे नहीं कर सकता कि वह इसको वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखड (४) बढ़ा दिया जाय—

"यदि बंधक दी गयी सम्पत्ति में बन्धककर्ता (Mortgagee) व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवासस्थान भी सम्मिलित हो, तो न्यायालय उक्त निवासस्थान (Permanent residence) को, किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी, ऋण की देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु जिन सुरक्षित ऋणों पर यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट लागू होता हो और उसके अनुसार देय धनराशि जिस क़दर कम होगी यदि वह उपरोक्त निर्धारित धनराशि से कम है तो वही देय समझी जायगी।"

अभी राजस्व मंत्री जी ने यह बताया कि इस ऐक्ट के होते हुये भी जो दूसरे डेट के बारे में ऐक्ट हुये हैं वह लागू होते हैं। इस बिल की रचना जो है उसको पढ़ कर भी यह मालूम होता है कि जितने भी डेट के ऐक्ट हुये हैं वह सब लागू होंगे। धनराशि की परिभाषा जो दी गई है उससे भी यह ज्ञात होता है कि और खंड ३ का जो उपखंड (१) पढ़ा गया है उससे भी यह ज्ञात होता है कि जितने डेट ऐक्ट हैं वह सभी लागू होते हैं। यह संशोधन पेश करने का मेरा अभिप्राय यह था कि डेट रिडम्पशन ऐक्ट के अनुसार जो देय धनराशि कम होती है वह बहुत ही ज्यादा हुआ करती है।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरा ख़याल है कि डेट रिडेंपशन ऐक्ट के हिसाब से जो धनराशि कम हो जाती है उसे देखते हुये फिर दूसरे तरीके से भी उसे कम करना यह मार्टगेजी के लिये अनुचित होगा और उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा। अभी जो राजस्व मंत्री जी ने बताया उससे भी साफ जाहिर है कि कितना रुपया मार्टगेजी का कम हो जाता है। वह रकम बहुत ज्यादा हो जाती है। देहात में जो मार्टगेजी हैं वे ज्यादातर कृषक लोग हैं। उन्होंने ज़मीन के ऊपर कृषि उद्योग के लिये रुपया दिया। अब ज़मींदारी उन्मूलन के अनुसार उनसे बहुत सी ज़मीन भी छीन ली गई और उसके बाद जो उनकी गाढ़ी कमाई का या बचत का रुपया था उसमें भी अब कमी की जायगी यानी एक तरफ तो डेट रिडेंपशन ऐक्ट के मातहत और दूसरे इस बिल से कम किया जायगा। यह शायद बहुत से कृषक लोगों के लिये जुल्म होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया कि डेट रिडैम्पशन ऐक्ट के अनुसार या इस विधेयक से जो रक़म कम होगी तो दोनों में जो कम हो वह देय धनराशि समझी जाय। यदि इस तरह से नहीं किया जाता है तो हमारे कृषकों को भविष्य में रुपया नहीं मिलेगा। मार्केट में फ़्लो आफ मनी कम हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि दोनों ऐक्टों में जिसमें रुपया कम हो वही रखा जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कुंवरकृष्ण जी के संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि यह अनावश्यक है। यू० पी० डेट रिडेंपशन ऐक्ट का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता जब कि यह विधेयक आज यहां प्रस्तुत है। जहां तक यू० पी० डेट रिडेंपशन का सवाल है वह तो अगर किसी को हक़ हासिल है तो वह आज उस अदालत में जाकर जिसको कि जुरिस्डिक्शन है इस तरह का निर्णय

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

करा सकता है और उसके ज़रिये जो सहूलियत उसे मिले वह ले सकता है। उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट सन् ४० में महज़ एग्रीकल्चरिस्ट के वास्ते था और यह बिल जो बनाया जा रहा है यह अब एबनार्मल कण्डीशन्स में ज़मींदारों का डेट कम करने की दृष्टि से है। श्रीमन् यह जो यू० पी० डेट रिडेम्पशन ऐक्ट है उसके प्रीऐंबिल में यह लिखा है कि यह ऐक्ट ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये लाया गया है लेकिन यह जो मौजूदा बिल है वह ज़मींदारी अबालीशन के बाद ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट पर लाया गया है। अतः ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। इससे सरकार की यह मंशा साफ मालूम होती है कि ज़मींदारों को इससे सहूलियत दी जाय क्योंकि उनकी मिल्कियत का मूल्य उतना नहीं रहा जितना पहले था। अबालीशन के पश्चात् प्रापर्टीज की वैल्यू वह नहीं रही जो पहले थीं। इन परिवर्तित स्थितियों में यह विधेयक लाया गया है। अतः इसका संबंध यू० पी० डैट रिडेम्पशन ऐक्ट से करना एक तरह से वैधानिक आपत्ति को उठाता है। अतः किसी कायदे से भी इसका संबंध उस ऐक्ट से नहीं हो सकता। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने मित्र वर्मा जी से कहूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने उपस्थित किया है और जो बातें उन्होंने दलील में कहीं वे दोनों इनकंसिस्टेंट हैं। वे चाहते हैं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट और इस मौजूदा ऐक्ट दोनों का फायदा ज़मींदारों को न मिले और इसीलिये उन्होंने यह संशोधन उपस्थित किया है। अगर उनका यह संशोधन मान भी लिया जाय तो भी यह बात नहीं हो सकती जो वह चाहते हैं कि डेट रिडेम्पशन ऐक्ट लागू न हो। जैसा कि धारा ३ के उपखंड (१) में बतलाया गया है "देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।" यानी अवधारित धनराशि जो होगी वह डेट रिडेम्पशन ऐक्ट के अन्दर जो कायदे हैं उनके अनुसार होगी और उसके बाद डिग्री की जो धनराशि होगी उसको इस विधेयक के कायदों के अनुसार स्केलिंग डाउन किया जायगा। इसलिये इसमें यह सवाल पैदा नहीं होता कि डैट रिडेपशन ऐक्ट लागू न हो। इसलिये आपने जो अपने संशोधन में रखा है कि दोनों धनराशियों में से जो कम हो वह मानी जाय, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः यह संशोधन मुनासिब नहीं है और न इससे कोई मसला ही हल होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा——मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४-(१) कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद ऋणी (judgment-debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा। डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यून करने का अधिकार।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, १ १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान मात्र हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय—

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे;

(i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिए धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिग्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(i) यदि एक ही वाद ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(ii) यदि दो या अधिक वाद ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा

(iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवा वाद ऋणी जिसे इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक पृथक इकाई (unit) समझा जायगा ; बन्धककर्ता अथवा वाद ऋणी को अलग अलग इकाई समझा जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent) सहित जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खंड ५ के स्पष्टीकरण की प्रथम पंक्ति के अंक व शब्द "८ अगस्त, १९४६" के स्थान पर अंक व शब्द "२४ जनवरी, १९५१" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह बहुत ही निर्दोष किस्म का संशोधन है। इसके माने यह हैं कि इस संशोधन द्वारा ८ अगस्त सन् १९४६ तक के किसी बटवारे को मान्यता देने का प्रश्न नहीं था बल्कि वह जिम्मेदारी संयुक्त मानने के लिये उतारू है। यह संशोधन उपस्थित करके मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उस दिन से वह न मानें जिस दिन इस विधान सभा ने जमींदारी उन्मूलन के उसूल को स्वीकृत किया था बल्कि २४ जनवरी, १९५१ जिस दिन की राष्ट्रपति ने इस ऐक्ट पर हस्ताक्षर किया था, उस दिन से मानें। इस पर कोई बहुत ज्यादा दलील नहीं है बल्कि महज एक छोटी सी बात है। बहुत से बटवारे तो इस दरमियान म अंडर आर्डर आफ कोर्ट्स हुये और उन बटवारों को मान्यता न देना यह अनुचित प्रतीत होता है। जब कि कोई पुनर्वासन अनुदान का प्रश्न नहीं है, जब कि यह नहीं कहा जा सकता कि किसी बदनीयती से किसी जमींदार ने यह बटवारा किया है। सन् ४९ तक किसी बटवारे की रोक नहीं थी बल्कि उस वक्त तक किसी भी नागरिक को अधिकार था कि वह अपनी जायदाद का बटवारा कर सकें। इस परिस्थिति में यह कहना कि महज सन् ४६ से ही हम उनको मानते हैं और उसके उपरान्त जो बटवारे अदालतों के द्वारा हुए हैं, और किसी बदनीयती के खयाल से नहीं हुए हैं कि गवर्नमेंट से कोई नाजायज या अनुचित लाभ उठावें तो मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगी क्योंकि इससे सरकार को कोई नुक़सान या क्षति पहुचने की आशंका नहीं है।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को क्षति पहुंचने या न पहुंचने की कोई बात नहीं है। जमींदारी विनाश का प्रस्ताव ८ अगस्त, सन् ४६ को पास हुआ था। उसके बाद जो तकसीमें हुईं उनको हमने माना नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको मान लेने से यह परस्पर विरोधी हो जायगा। ८, अगस्त, सन् ४६ को जमींदारी एबालिशन का प्रश्न पेश था तो जिन जमींदारों को

अपनी कोई पेश बन्दी करनी थी उन्होंने उसके बाद करना शुरू कर दिया। २४ जनवरी, सन्. ५१ के पहले कोई तकसीम हुई या बाद को हुई, इस सिलसिले में कोई महत्व नहीं रखता है। सारा महत्व तो यह है कि उस रोज यह अधिनियम पेश हुआ। इस तरह से ८ अगस्त, सन् ४६ की तारीख जो रखी गयी है वह रेलिवेंट है इसलिये मैं समझता हूं कि अलग से कोई तारीख रखना असंगत होगा।

अध्यक्ष--क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह--जी हां, मैं उसे वापस लेता हूं जिससे सदन का समय बरबाद न हो।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

कम किये गये धनराशि के लिये डिक्री।

६--(१) देय धनराशि के धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा--

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिए,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि क लिए, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी धनराशि के जोड़ के (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (३) के अधी- [illegible] में, ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से [illegible] पर देय धनराशि के जोड़ तथा उक्त उप[illegible] बन्धककर्ता के लिये कम की गयी धनराशि [illegible] हो,

(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनु[illegible] डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक ब[illegible] कम की गयी धनराशि भी अलग अलग दिखायी जायगी।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता [illegible] उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द "प्रत्येक बन्ध[illegible] पर शब्द "सभी बन्धककर्ताओं" तथा शब्द "धनराशि" [illegible] "धनराशियों" रख दिये जायं।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमन्, यहां पर धनराशियों के जोड़ का उल्लेख है लेकिन जिस तरह से यहां पर शब्द आये हैं धनराशि वे मुझे अशुद्ध मालूम पड़ते हैं इसलिये मैंने धनराशि की जगह पर धनराशियों और प्रत्येक बन्धककर्ता की जगह पर सभी बन्धककर्ताओं रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह जो अंग्रेजी की प्रति इस विधेयक की है उसके खंड ६ के उपखंड (१) के सब क्लाज बी में "each mortgagor" ही दिया हुआ है और उसके अनुसार यहां भी हिन्दी में जो विधेयक है "प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गई धनराशि" लिखा है। तो कानून की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी यह ठीक है। सभी बन्धककर्ता के लिये कोई प्रयोजन नहीं मालूम होता। और संशोधन के कर देने से इसमें कोई विशेष बात भी उत्पन्न नहीं हो जाती। मैं समझता हूं कि जो विधेयक में है वही ठीक है। इसलिये इसका विरोध करता हूं और अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री जयराम वर्मा—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने पूरे शब्दों को नहीं देखा। क्योंकि अंग्रेजी की जो प्रति है उसमें उस स्थान पर शब्द 'एमाउण्ट्स' लिखा हुआ है जिसका अर्थ और अनुवाद 'धनराशियों' होगा। मेरे खयाल में अगर 'प्रत्येक बन्धककर्ताओं' के स्थान पर सभी 'बन्धककर्ताओं' को न मानें तो 'धनराशि' के स्थान पर 'धनराशियों' तो मान ही लेना चाहिये इसलिये कि एक 'धनराशि' का कोई योग नहीं हो सकता।

श्री चरणसिंह—हिन्दी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें तो 'धनराशि' से ही काम चल सकता है लेकिन अगर मक्षिका स्थाने मक्षिका रखना चाहते हैं और अंग्रेजी का बिल्कुल तर्जुमा करना चाहते हैं तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—मैं अपने संशोधन का प्रथम भाग यानी 'प्रत्येक बन्धककर्ता' के स्थान पर शब्द 'सभी बन्धककर्ताओं' रख दिया जाय, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का प्रथम भाग वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति २ में शब्द 'धनराशि' के स्थान पर शब्द 'धनराशियों' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस दूसरे संशोधन को थोड़ा सा परिवर्तित रूप में उपस्थित करूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं, पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़ तथा" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ३ तथा ४ के शब्द "प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं।

"प्रत्येक बंधककर्त्ता के लिये कम की गयी धनराशियों के जोड़ में मिलाने से प्राप्त योग।"

श्रीमान् जी, इसमें जिस धनराशि के लिये न्यायालय डिग्री देगा वह दो धनराशियों के जोड़ से बनी होगी। एक तो वह धनराशि जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय है, और दूसरी वह जो प्रत्येक बन्धककर्त्ता की कम की गयी धनराशियां हैं उन का जोड़। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसमें शब्द "के जोड़" लिखे गये हैं। अगर "के जोड़" "के जोड़" दो बार लिखा होता तो ठीक मतलब निकल आता। लेकिन ऐसा लिखने से भाषा अच्छी नहीं बनती। इसलिये मैंने उन को वहां से हटा कर दूसरी जगह शब्द रख दिया है जिससे मतलब निकल आता है और भाषा भी सुधर जाती है।

इसके पहले हिस्से में उपखंड ३ लिखा हुआ है वह उपखंड २ होना चाहिये। उपखंड ३ उसमें है ही नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन के पहले अंश का संबंध है कि खंड ६ के उपखंड १ (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड ३" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं, इतना स्वीकार है। ३ गलती से हो गया है।

उसके बाद जो चौथी लाइन में "धनराशि" है वह पहले की तरह "धनराशियाँ" कर दिया जाय इतना तक स्वीकार है। लेकिन बाकी जो है यह ठीक नहीं है। वैसे भी कई मार्गेजर्स की अलग अलग लायबिलिटी का जोड़, कई आस्थान जो होंगे उन पर डिस्ट्रिब्युशन है, दोनों का जोड़ अलग अलग है। वह एक जोड़ को निकालने वाले हैं। सब को एक करना चाहते हैं। वह मंशा भी नहीं है।

इसलिये बाकी अंशों का मैं विरोध करता हूं। मैं इतना ही स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि पहले अंश में "उपखंड २" रख दिया जाय और "धन राशि" के स्थान पर "धन-राशियों" कर दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं शायद अपने को स्पष्ट नहीं कर पाया और अगर अंग्रेजी के शब्द देख लिये जायं तो स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों रकमों के अलग अलग जोड़ से अभिप्राय नहीं है। कुल धनराशि का दोनों प्रकार की धनराशियों से ही मतलब है। अंग्रेजी में बिलकुल साफ है और इसी तरह से मैंने हिन्दी की भाषा भी कर दी है। क्योंकि प्रथम धनराशि के लिये "प्रत्येक बन्धक कर्त्ता" ऐसे कोई शब्द नहीं आये हैं, "देय धनराशि के जोड़ के जोड़" वह तीसरी लाइन में वही कोई प्रश्न नहीं। उसमें तो "ऐसी धनराशि के लिये जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय" कोई जोड़ नहीं है। तो जो यह "देय धनराशि" है एक रकम वह हुई और दूसरी रकम वह हुई जो सब बन्धक कर्त्ताओं के लिये जो धनराशियां होंगी उनका जोड़ है। उस जोड़ में देय धनराशि के मिलाने से जो जोड़ होगा उसी की न्यायालय डिक्री करेगा।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको होल्ड ओवर कर लिया जाय। अभी जो कुछ कहा गया वह समझ में नहीं आया। केवल भाषा की बात है, इसलिये इसको इस जगह छोड़ कर आगे और अमेंडमेंट्स पर विचार कर लिया जाय और इसको बाद में ले लिया जाय।

अध्यक्ष—ठीक है। थोड़े वक्त के बाद लिया जाय, यानी यह खंड ६ जो है....

श्री चरणसिंह—जी नहीं, जब सारा विधेयक हो जाय तब उसके बाद ले लिया जाय क्योंकि इसका असर किसी के ऊपर पड़ता नहीं, केवल भाषा की बात है।

अध्यक्ष—ठीक है।

[अध्यक्ष]

माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा ने तो अभी संशोधन दिया है। माननीय राजस्व मंत्री को आपत्ति तो नहीं है।

श्री चरणसिंह—जी, आपत्ति है, समय के बारे में।

अध्यक्ष—तो मैं इसको पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं, समय के भीतर न आने के कारण।

खंड ६ के ऊपर मत मैं आखिर में लूंगा, जिस समय माननीय जयराम वर्मा का संशोधन तय हो जायगा।

(खंड ६ विचार पर स्थगित किया गया।)

खण्ड ७

डिक्री की अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के संबंध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिये उसके कम किये हुये अंश का भुगतान हो चुका है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति ४ के शब्द "अंश का" के बाद शब्द "यथावत्" बढ़ा दिया जाय।

अंग्रेजी प्रति में "ड्यूली" शब्द था उसका कोई अनुवाद इसमें नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति ४ के शब्द "अंश का" के बाद शब्द "यथावत्" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

प्रतिकर की धनराशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना।

८—(१) किसी अनुबन्ध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (agreement, document or law for the time being in force) में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना बन्धक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन, बन्धक किये हुये आस्थानों के संबंध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्त्ता या वाद ऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के संबंध में ऐसे बन्धककर्त्ता या वाद ऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---श्रीमन्, इसमें यह शब्द दोबारा लिखा गया है, गलती से, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द "में" निकाल दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है। स्वीकार कर लिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ से शब्द "में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधामोहन सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हुये भी" और शब्द "सुरक्षित" के बीच शब्द "किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन" बढ़ा दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "हुये भी" और शब्द "सुरक्षित" के बीच के शब्द "किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---मेरा संशोधन यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "सुरक्षित" के बाद शब्द "व असुरक्षित" बढ़ा दिये जायं।

मैं आप की इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है---

"8 (1) Notwithstanding anything in any agreement, document or law for the time being in force, a decree relating to a secured debt passed in any suit to which this Act applies—

(*a*) shall, in so for as the compensation for the mortgaged estate is concerned, be executed to the extent of three-fourths amount only against such compensation."

[(१) किसी अनुबन्ध, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित हो सकेगी,]

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

मैं यहां पर यह तरमीम करना चाहता हूं कि 'सीक्योर्ड डेट' के बाद "अनसीक्योर्ड-डेट" बढ़ा दिया जाय। मैं यह क्यों चाहता हूं इसके लिये इससे आगे पढ़ना जरूरी है। (ए) में लिखा है--

" To the extent of three.fourths of the rehabilitation grant. "

[पुनर्वासन अनुदान के तीन चौथाई तक।]

और (बी) में जनाबवाला यही अल्फाज़ हैं और वह है रिहैबिलिटेशन ग्रांट के मुताल्लिक कि उसमें भी तीन-चौथाई रिहैबिलिटेशन ग्रांट महाजन को दिया जा सकेगा। जनाबवाला, इससे वाकिफ हैं कि जहां तक डेट्स के प्रिफरेंस का ताल्लुक है, जहां तक उनके पेमेंट्स की प्रायरिटी का ताल्लुक है हमेशा सीक्योर्ड डेट को अनसीक्योर्ड डेट के ऊपर तरजीह दी जाती है। तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि यहां पर मामला उसके बरअक्स क्यों है। अगर इसी तरीके पर छोड़ दिया जाय और यह अमेंडमेंट न किया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि मार्गेज डेट वाला यानी वह शख्स कि जिस का सीक्योर्ड डेट होगा वह तो तीन-चौथाई तक हासिल कर सकेगा और अनसीक्योर्ड डेट वाला पूरा ले जायगा। मैं समझता हूं कि ये मंशा कानून का नहीं हो सकता और न होना चाहिये क्योंकि यह जाहिर है कि जब तक आप एक्जेम्पशन न करें अनसीक्योर्ड डेट के मुताल्लिक भी उस वक्त तक उस कर्जदार को यह राइट हमेशा हासिल रहेगा कि वह अगर चाहे तो पूरे का पूरा अपनी डिक्री में ले जाय। यह चीज़ मैं गलत समझता हूं और यह कि मेरी अक्ल से कम अज़ कम बाहर है कि सीक्योर्ड डेट वाले से ज्यादा अनसीक्योर्ड डेट वाले को रिआयत दी जाय और उसको इसका मौका दिया जाय कि वह तो पूरी की पूरी रकम कम्पेंसेशन मनी की और रिहैबिलिटेशन ग्रांट की ले जाय और जो शख्स सीक्योर्ड डेट वाला है वह सिर्फ तीन चौथाई तक ले सके। मैं समझता हूं कि गालिबन जिस वक्त यह चीज़ इधर की गयी है उस वक्त इसका खयाल नहीं रहा और यह गलती गालिबन जान बूझकर नहीं बल्कि वैसे ही रह गयी है क्योंकि इस पर शायद उस वक्त गौर नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस तरमीम को मंजूर फरमायेंगे।

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजाहिर यह कहना वाकई ठीक मालूम होता है कि सीक्योर्ड डेट वाला तो केवल अनुदान और प्रतिकर का तीन चौथाई ले सकेगा और असुरक्षित यानी सिम्पिल मनी डेट वाला सारा ले जायगा लेकिन यह कोई सहवन नहीं हुआ है, जानबूझ कर किया गया है और वह इस लिये कि असुरक्षित डेट वाला जो है वह इस प्रतिकर और अनुदान के खिलाफ नहीं प्रोसीड करेगा क्योंकि यह जो कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट है यह तो उसके कर्ज़े को देखते हुये बहुत थोड़ी रकम है। वह तो उसकी गिरफ्तारी निकलवायेगा। तो वह अपना कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो देगा ही और और चीजें भी देगा। इसलिये तीन-चौथायी करने से जहां तक सिम्पिल मनी डेट की बात थी उससे कोई फायदा नहीं होता था। सिक्योर्ड डेट में हमने कर दिया कि तीन चौथाई लेगा। तो वह तो हमने सेक्शन ७३ आफ दि ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत यह कर दिया कि आगे वह, प्रोसीड नहीं कर सकता और जायदाद के खिलाफ सिक्योर्ड डैट वाला प्रोसीड नहीं कर सकता और जितनी उसकी सिक्योरिटी अवेलएबुल है उसका तीन चौथाई ले सकता है। लेकिन सिम्पिल मनी डेट में तो ऐसी कोई बात हो नहीं सकती कि यही ले सकता है और नहीं। उसके सामने सारी प्रापर्टी है और उस सभी के खिलाफ वह प्रोसीड कर सकता है। तो इस कम्पेन्सेशन के खिलाफ और चीजें जिनकी वह कीमत समझता है उनके खिलाफ भी प्रोसीड कर सकता है वारण्ट निकलवाता है गिरफ्तारी का। तो फिर वह अपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट का या प्रतिकर का एक-चौथाई बचायेगा नहीं, वह तो सारा ही उसको देने को तैयार होगा। तो सिम्पिल

मनी डिक्री होल्डर प्रतिकर और रिहैबिलिटेशन ग्रांट के खिलाफ प्रोसीड ही नहीं करेगा। अगर हम सेक्शन ९ को न भी रखते तो भी उसको कोई नुक्सान होने वाला नहीं था। फिर सिम्पिल मनी डिक्री अगर हमने बचा लिया तो दूसरी डिक्री रहती है, उसके लिये तो एक चौथाई रहा तो वह भी फिर सारा ले जायगा। तो इस तरह की बातें सिक्योर्ड डिक्री में पेश नहीं आती हैं। इस तरह की बातें मनी डिक्री में पेश आती हैं। तो उसमें तीन चौथाई कर दिया या सारे का सारा करते उससे कोई फायदा नहीं था और सिक्योर्ड डिक्री में वह गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो ख्वाजा साहब का संशोधन जब मैंने देखा था उस वक्त मेरी उनकी बात चीत हुई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि इस पर विचार करेंगे। लेकिन विचार करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा कि जैसा विधेयक में है वैसे ही रहना ठीक है। इसमें तीन-चौथाई या एक चौथाई करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ख्वाजा अतहर हुसैन साहब के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि माननीय मंत्री जी यह कैसे कहते हैं और कैसे यह मुनासिब उनकी समझ में आता है कि डिस्क्रीमिनेशन किया जाय सिक्योर्ड डेट में और अनसिक्योर्ड डेट में। मैं समझता हूं कि उसूलन यह चीज़ गलत है। उसके बाद आप यह कह जाते हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिये, जेलखाने जाने के भय से अपना सर्वस्य समर्पण कर देगा महाजनों के पास। श्रीमान्, वास्तविकता यह है कि अपनी स्वतंत्रता कोई पसन्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बीबी और बच्चों का भविष्य देखेगा। अब कोई जमींदार जेलखाने से भागेगा नहीं क्योंकि बात यह है कि अगर वह जेलखाने से डरता है तो उसके बीबी और बच्चे फांसी पर पहुंच जाते हैं। उनको वह क्या खिलायेगा और उनको कैसे पालेगा। कोई पिता इतना स्वार्थी नहीं हो सकता है कि अपने बच्चों के लिये वह कुछ न करे और महज एक शारीरिक सुख के लिये या जेलखाने के कष्ट से भाग कर वह सब कुछ महाजन को दे दे। यह दलील कोई ऐसी दलील नहीं है जो इस सदन में शोभा दे। लिहाजा आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह डिस्क्रीमिनेशन जो है यह इसी जगह नहीं बल्कि आगे चलकर ऐसी सूरत अख्तियार कर सकता है कि कोई किसी को ९ में चैलेंज कर दे तो वहां अदालत की कसौटी पर यह टिक न सके। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस ऐक्ट से हम जमींदारों को फायदा है और इसी भय से कि कहीं यह फायदा जो सरकार आज हमको दे रही है वह आप देखेंगे कि कहीं इंडियन कांस्टीट्यूशन का इन्फ्रिन्जमेंट न हो। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्लासिफिकेशन करके इस तरह के डिस्क्रीमिनेशन को मान्यता प्रदान की है। आज यह अपनी हिफाजत के लिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि हो सके उनको कोई विशेष आपत्ति न हो तो इंसिक्योर डेट्स के लिये भी कुछ अधिरक्षण प्रदान किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस हाउस में यह दलील पेश करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री ख्वाजा अतहर हुसैन साहब ने पेश किया है वह कतई इस बिल में नहीं लाया जा सकता है। इसका कारण है क्योंकि यह जो बिल है यह तो केवल जमींदारों का कर्जा कम करने के लिये है और आपका अमेंडमेंट रिश्ता रखता है केवल इंसिक्योर डेट से। इसलिये इसको बिल में शामिल करना जैसा कि इस बिल के मकसद में शुरू में दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह उसके भी खिलाफ है और बुद्धि के भी खिलाफ है। जहां सिक्योर डेट के लिये यह बिल लाया गया है उसमें वहां इंसिक्योर डेट का इन्तजाम करना गलत है। क्योंकि सिक्योर्ड डेट कम किया जायगा और इनसिक्योर्ड डेट को इसके दायरे से बाहर रहने दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक उसूल है क्योंकि इनसिक्योर्ड डेट में रिस्क बहुत काफी होता है। और जो रुपया सिक्योर्ड डेट का होता है वह सब वसूल हो जायगा। इसीलिये इसको सिक्योर्ड डेट कहा जायगा क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो अनसिक्योर्ड डेट्स हैं उनमें रिस्क है और हो सकता है कि एक पाई भी न मिल सके। इसलिये जो दूसरी दलील है कि इनसिक्योर्ड डेट्स को संरक्षण दिया जाय यह हाउस में नहीं टिक सकती है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यह कानून बहुत काफी सोच समझ कर बनाया गया है और जो व्यवस्था इसमें की गई है वह बिना सोचे समझे नहीं की गयी है। जिस बात को आप आज सोच रहे हैं शायद जब कानून बनाया गया था उस समय दलील पेश की गयी होगी लेकिन इसी कारण से वह ठुकरा दी गयी होगी इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की दलील स्टैंड नहीं कर सकती है। इसलिये यह संशोधन स्वीकृत नहीं होना चाहिये। जहां तक सेक्शन ७ है उसमें और ८(ए) में कोई ज्यादा फर्क नहीं मालूम होता है मैं समझता हूं कि ८(ए) रिडेंडेंट मालूम होता है। जब कि ऊपर कहा गया है कि दफा ७ में कि "After the amount"

[धनिराशि के बाद......]

अध्यक्ष——माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें, नया संशोधन पेश न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत——मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं रेलेवेंट हूं। अगर मैं सदन को पूरा विश्वास दिला दूं कि यह ८ (ए) जिसमें यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं वह रिडेंडेंट है तो यह उनका अमेंडमेंट और भी रिडेंडेंट हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई दूसरी सिचुएशन अराइज़ नहीं हो सकती है तो यह दलील हाउस में स्टैंड नहीं कर सकती है। इसलिये इसको आउट राइटली थ्रो आउट कर देना चाहिये।

श्री अख्तर हुसैन ख्वाजा——आनरेबिल मिनिस्टर मुझे माफ फरमायेंगे अगर मैं यह कहूं कि उनके आर्गुमेंट्स ने मुझे अपील नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह है कि दो आल्टरनेटिव हैं और जस्टिस डिमांड करती हैं वह अगर चाहे तो दोनों में से जिसको चाहे उसको ऐक्सरसाइज करें। आपके लिये यह मुनासिब नहीं है कि आप मुझको बांध दें कि तुमको तो एक ही आल्टरनेटिव एप्लाई करना होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हो सकता है कि एक आदमी यह सोचे आया जेलखाने जाना तीन महीने के लिये बेहतर होगा या अपने बच्चों के लिये जरियेमाश का इन्तजाम करना। यह हर इन्सान अपनी सेंस के हिसाब से अपने माहौल में, अपनी जरूरत को देखते हुए एक खास फैसला खास क़िस्म का करता है। कोई वजह नजर नहीं आती कि उसको इस फैसले से रोका जाय। आपने एक प्रापर्टी इक्वायर की और आपने उस प्रापर्टी की आर्बीट्रेरी वैल्यु फिक्स की और उसके लिये आपने एक मुआविजा दिया। मैं यह समझता हूं कि उसको बहैसियत एक सिटीजन के, एक इन्सान के इसका हक हासिल होना चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों की रोजी का इन्तजामकर सकें। जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट का ताल्लुक़ है मैं यह समझता हूं कि इसको किसी भी हालत में लोन में शामिल न होना चाहिये। आपने जब उसका जो पहला जरियामाश था उसको खत्म कर दिया तो ऐसी हालत में आप कम से कम उसकी इतनी तो मदद करें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक वेलफेयर स्टेट का यह फर्ज है कि वह अपने सिटीजन को एम्पलायमेंट दे। एक सिटीजन जो बदकिस्मती से या अपने कर्मों की वजह से अपने पहले प्रोफेशन से डिप्राइव हो गया है जिससे वह अपनी रोजी कमाता था तो उस वेलफेयर स्टेट का फर्ज हो जाता है कि उसे वह मदद दे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बंगाल में जिस वक्त यह लेजिस्लेशन आया था हालांकि वह पास नहीं हो सका तो उसमें आधा सेक्योर्ड कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि हर जगह जहां पर एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है ईस्टर्न योरप को ले लीजिये, साउथ ईस्ट यूरोप को ले लीजिये, चाइना ले लीजिये वहां गवर्नमेंट ने यह जरूर प्रोवाइड किया है कि वह शख्स अपनी रोजी कमा सके। अपने पैरों पर वह खड़ा हो सके। मैं समझता हूं कि, चाइना की मिसाल ले लीजिये तो यह कहना कि चाइना में लैंडलार्ड्स की कुल प्रापर्टी खत्म कर दी गई यह ग़लत है। चाइना में लैंडलार्ड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक फ्यूडल लैंडलार्ड्स और दूसरे जो खुदकाश्त करने वाले थे। वहां बड़े

बड़े फार्म्स जो माडर्न तरीके से चलाये जाते थे उनको भी छोड़ दिया। चाइना रिकान्स्ट्रक्टेड का एक आर्टिकिल मेरे पास है उसमें आप देखेंगे कि चाइना एग्रेरियन लैंड रिफार्म किस तरह से शुरू हुआ है। जनाब देखेंगे कि चाइना की हालत वैसी ही थी जो आज हिन्दुस्तान की है। वहां भी इसी तरह से गरीब काश्तकार थे और लैंडलेस लेबरर थे जैसे कि आज यहां हैं। चाइना में क्या किया गया उसको मैं अंग्रेजी में आपकी इजाजत से दो एक लाइन्स में पढ़ देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आप ट्रांस्लेट कर दें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—बहुत अच्छा। जो रिच पेजेन्ट एकनामी थी उसको उन्होंने बदस्तूर कायम रक्खा और उन्होंने जो रिच पेजेन्ट्स की सरप्लस होल्डिंग्स जो थीं उनको एक्वायर किया।

श्री चरणसिंह—कर्जे से इसका क्या वास्ता है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं अर्ज करता हूं कि कर्जे से इसका क्या वास्ता है। मैं समझता हूं कि मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा प्वाइंट यह है कि एक वेल फेयर स्टेट का यह फर्ज अव्वलीन है कि वह अपने हर सिटीजन के लिये मीन्स आफ सबसिस्टेंस प्रोवाइड करे। मैं यह समझता हूं कि अगर एक शख्स की प्रापर्टी ली जा रही है और रिक्वीजिशन की जा रही है किसी तरह का मुआविजा देकर या बिला मुआविजा के तो बहैसियत वेल फेयर स्टेट के स्टेट का यह फर्ज है कि वह उस आदमी को रिहैबिलिटेट करे और इतना प्रोवाइड करे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने बच्चों की वह परवरिश कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह वेल फेयर स्टेट नहीं कहलायेगी। यह मेरी आरगुमेंट है और इसी चीज को डेवलपमेंट करने के लिये मैंने यह दलील आपके सामने पेश की है।

आगे चलकर आप यह मुलाहिजा फरमायेंगे कि इसमें जो मुआविजा का ...

अध्यक्ष—आप मुआविजे के सिलसिले में कह रहे हैं कर्जे के सिलसिले में नहीं कह रहे हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं कर्जे के मुताल्लिक ही अर्ज कर रहा हूं कि जो मुआविजा आप दे रहे हैं उसको एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको ले रहे हैं। मेरी आरगुमेंट सिर्फ इतनी है कि जनाब अगर उसको मुआविजा देते हैं तो मुआविजे को उसके पास पहुंचने दीजिये यह नहीं कि मुआविजा को उसके कर्जे में आप बदल दें। अपनी सुबह की स्पीच में आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जो बयान किया है उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं यह समझता हूं कि एक जमींदार ने रुपया लगाया जमीन में और जमींदारी की शक्ल में अगर वह बुरा है तो उतना ही बुरा यह भी है कि अगर किसी महाजन ने किसी को कर्जे की शकल में जमीन पर कुछ रुपया दिया है. . . .

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य कुछ अधिक समय लेना चाहते हैं?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, कुछ वक्त लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१४ अक्तूबर, १९५२

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

जिला मैनपुरी में प्रथम फ़ेज में ली गयी सड़कों की तालिका

पक्की सड़कें		मील	फर्लांग
(क) नये निर्माण-कार्य—			
१. इटावा फ़र्रुखाबाद सड़क से कर्नाल तक		२०	०
(ख) पुर्निर्माण कार्य—			
१—शिकोहाबाद वाह		११	०
२—एटा शिकोहाबाद		२०	०
३—मैनपुरी किरौली		१२	०
४—मैनपुरी इटावा		२३	०
(ग) कच्ची सड़कें—			
१—करहल सिरसागंज	ओ० डी० आर०	१६	०
२—मुस्तफाबाद फरिहा	वी० आर०	६	४
३—उरेसर मुस्तफाबाद	ओ० डी० आर०	९	०
४—खुनियां मैनपुरी	"	६	७
५—करोली असोगपुर घिरोर	वी० आर०	१८	०
६—मोगांव औंग	"	५	५
७—अकबरपुर से करौली घिरोर सड़क तक ठोरवा के पास	"	३	७
८—कसमरा औंग	"	७	४
९—कसमरा रामनगर	"	४	३
१०—किशनी हरचन्दपुर	"	१	१
११—भनवन्त सुगांव	"	४	३
१२—बरनहाल कोसिमा आर० एस० बेहसी होकर	ओ० डी० आर०	७	५
१३—सिरसागंज बेहसी	"	८	२
१४—शेखूपुर हनवंत शिकोहाबाद सड़क	वी० आर०	६	१
१५—मादन से उरावर	"	६	२

नोट :—भाग 'ग' में दी गई कच्ची सड़कों में से करहल सिरसागंज सड़क के अतिरिक्त अन्य सभी कच्ची सड़कें १ अगस्त, १९५२ ई० से जिला बोर्ड मैनपुरी को वापस कर दी गई हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११० एल ए—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरन टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज़ोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द ,श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री

द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डे, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दूबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम, सिंह श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्री
ब्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज वली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर, मिश्र श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

[१० अक्तूबर, १९५२ के गृह मन्त्री के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * * *

नैपाल राज्य की अव्यवस्थित दशा का उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रभाव

*७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में नैपाल में जो अव्यवस्था हुई है उसमें इस प्रदेश की सीमा पर इस प्रदेश के नागरिकों को कोई हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

*८—नैपाल की अव्यवस्था से इस प्रदेश की सीमान्त क्षेत्र को जो खतरा है, उसमें शान्त और व्यवस्था क़ायम रखने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जनहित में इन प्रश्नों का उत्तर देना उचित न होगा।

सन् १९५१ में दफ़ा १०९ के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ ई० में प्रदेश में कितने आदमी १०९ दफ़ा में गिरफ्तार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१०,००४।

इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के लखनऊ स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम

*१०—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या जेल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इन्स्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रूव्ड लिस्ट वाले स्थायी सहायक (assistants) कितने हैं और उनको स्थायी बनाने के संबंध में क्या नियम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में एप्रूव्ड लिस्ट वाले २२ अस्थायी सहायक (assistants) हैं। जब जब स्थायी जगहें खाली होती हैं, तब तब सेवा की प्राथमिकता (seniority of service) के आधार पर अस्थायी सहायकों को स्थायी किया जाता है अगर उनका काम और आचरण अच्छा रहा है।

*११—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या जेल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि इंसपेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कार्य करने के लिये सहायकों (assistants) की नियुक्ति की यह शर्त है कि सहायकों की लम्बाई ५–१/२ फुट और छाती ३२ और ३४ इन्च हो ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज कल ऐसी कोई शर्त नहीं है।

*१२—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या जेल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सन् १९४९ई० से अब तक कितने असिस्टेंट जेलर नियुक्त किये गये और उनमें से कितने स्थायी और कितने एप्रूव्ड लिस्ट वाले अस्थायी सहायकों में से चुने गये और क्या यह चुनाव योग्यता और सेवा की प्राथ मिकता (seniority of service) के आधार पर किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४६ ई० से अब तक कुल ६२ असिस्टेंट जेलर नियुक्त किये गये। इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के स्थायी सहायकों (permanent assistants) में से कोई नहीं चुना गया। सन्१९४६ ई० तक असिस्टेंट जेलरों और इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय के सहायकों के चुनाव के लिये एक ही (common) परीक्षा होती थी, और उसके आधार पर एक मिली जुली सूची (one combined approved list) सहायकों और असिस्टेंट जेलरों की नियुक्ति के लिये बनायी जाती थी। इस मिली, जुली सूची में से ६ उम्मीदवार जो इंस्पेक्टर जनरल आफ़ प्रिजन्स के कार्यालय में अस्थायी सहायकों के पदों पर काम कर रहे थे, असिस्टेंट जेलर बना कर जेलों को भेजे गये। उनकी नियुक्तियां सेवा की प्राथमिकता (seniority of service) के आधार पर नहीं बल्कि केवल योग्यता (merit) के आधार पर की गयी थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ६ व्यक्ति जो असिस्टेंट सहायक चुने गये हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी योग्यता में कमी है और वह ले लिया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मैं यही मानता हूं कि जो भी लिये गये उनकी योग्यता पूरी थी?

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अभी हाल में जो ६ असिस्टेंट जेलर चुने गये हैं उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो असिस्टेंट जेलर चुना गया और उसकी योग्यता नहीं है तथा वह लखनऊ जेल में है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज़रूर ही जांच कराऊंगा यदि कोई सूचना माननीय सदस्य के पास हो और वह उसे दे दें तो मदद मिलेगी।

शाहजहांपुर के थाना सदर बाज़ार के अन्तर्गत चोरियां

*१३—श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सदर बाज़ार शाहजहांपुर के थाने के हलके में पिछले ६ माह में कितने गज़टेड आफ़िसरों के यहां या उनके आउट हाउसेज़ में चोरियां हुईं और उनमें क्या क्या माल गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६ पर।)

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जो सूचना भेजी है, उसमें ४ गज़टेड अफ़सरों के अलावा श्री आर० एन० मिश्र, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, श्री शेर सिंह सेल्स टैक्स आफ़िसर, मि० दत्ता, आई० ए० एस०, चौधरी भारत सिंह, असिस्टेंट कस्टोडियन, एस० डी० पन्त, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल्स, डा० भन्डारी, सिविल सर्जन, श्री रन्जीत सिंह सिटी मैजिस्ट्रेट, और श्री शुक्ला व श्री चन्द्र मल, ट्यूबवेल वाले, इन लोगों के यहां भी उन्हीं दिनों में चोरी हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर यह हमारी जानकारी में होती तो मैं उत्तर में कह देता।

*१४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि अभी हाल में सदर बाज़ार शाहजहांपुर के थाने के सामने एक होटल में नक़ब लगा कर चोरी हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थाने के सामने मानसरोवर होटल में नक़ब अवश्य लगी किन्तु कोई माल चोरी नहीं गया।

श्री भगवान सहाय—क्या मानीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि थाने में हमेशा एक सन्तरी मौजूद रहता है और उसके रहते हुये भी मानसरोवर होटल में चोरी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज़रूर रहता होगा और चोरी हुई, यह तो मैंने प्रश्न १४ के उत्तर में कहा ही है ।

सीतापुर जिले में छिहाला के तालाब से श्री रामेश्वर दयाल की लाश की बरामदगी

*१५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एक लाश छिहाला के तालाब में जो कि थाना सदरपुर, ज़िला सीतापुर के अन्तर्गत है, २० जुलाई १९५२ ई० को बरामद हुई, और उस लाश के कपड़ों से दो प्रार्थना पत्र जो असरफपुर गांव सभा के प्रधान के नाम थे, भी मिले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*१६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि प्रार्थना-पत्रों के बरामद होने पर भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने लाश को लावारिस बताकर पोस्टमार्टम के लिये सीतापुर भेज दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय पुलिस ने लाश पहिचनवाने की भरसक कोशिश की परन्तु वह निष्फल रही । बरसात के कारण लाश सड़ने लगी थी । इसलिये उसको सीता-पुर पोस्ट-मार्टम के लिये भेज दिया गया ।

*१७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि वह लाश श्री रामेश्वर दयाल वैद्य सा० पलिया खुर्द जो कि गांव सभा अशरफपुर के प्रधान और ज़िला कांग्रेस कमेटी सीतापुर के सदस्य थे, की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

जगदीश शूगर मिल कठकुइयां, देवरिया की देखभाल

*१८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि जगदीश शुगर मिल, कठकुइयां, देवरिया ज़िलाधीश देवरिया की देख-रेख में है, परन्तु आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ज़िलाधीश को नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) हां,

(ख) ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह कब से सरकार के नियंत्रण में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके संबंध में ७ नवम्बर, सन् ५० को सरकारी विज्ञप्ति निकली थी ।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि सरकारी नियंत्रण में आने के बाद ही इस फैक्टरी की माली हालत खराब हुई है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस समय सारा व्योरा तो नहीं दे सकता परन्तु माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने उत्तर में बताया था कि पिछले ४-५ वर्षों के जो एकाउन्ट निकले हैं उनसे मालूम होता है कि पहले से हालत अच्छी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---क्या यह सही है कि इसका सारा प्रबन्ध यहां के कन्ट्रोलर श्री अविरुद्धप्रताप नारायण सिंह की देखरेख में रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, विज्ञप्ति में वही कंट्रोलर नियुक्त किये गये हैं।

श्री जगन्नाथमल---क्या सरकार को पता है कि यहां के कन्ट्रोलर महोदय ने २० हजार रुपया कितने ही अफ़सरों के नाम इनाम लिखकर खुद ले लिया है और अधिकारियों ने इस बात को लेबर कमिश्नर के सामने मंजूर किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, हाल में ऐसी शिकायत आई।

रिकैपर, डिकेपर तथा टर्नओवर के लाइसेंस के सम्बन्ध में सरकारी आदेश

*१९---श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि १५ जून, सन् १९३३ ई० के जी०ओ० में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह हुक्म दिया था कि रिकैपर (Recaper) डिकेपर (Decaper) और टर्नओवर (Turn over) रखने के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं है ? क्या अब भी यही कानून जारी है ? यदि नहीं, तो क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। पर उक्त जी०ओ० गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की २५ मई, सन् १९३३ ई० की विज्ञप्ति के आधार पर यू० पी० गवर्नमेंट ने जारी किया था। अब भी यही कानून जारी है।

राज्य में इकोनोमी कमेटी की आवश्यकता

*२०---श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार का इरादा है कि वह इस प्रदेश में खर्च को घटाने और काम में efficiency पैदा करने के लिये कोई Economy Committee बिठाये ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय कोई ऐसा इरादा नहीं है। कोई विशेष अवसर इसके लिये मालूम नहीं होता।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या यह वाकया नहीं है कि सूबे की माली हालत को ठीक करने के लिये हमें बहुत से टैक्स लगाने पड़ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

* * * *

*२४---२६---श्री नवल किशोर (ज़िला बरेली) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १९९ पर]

कानपुर में अमृत-पत्रिका विरोधी आन्दोलन

*२७---श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर में जनता के एक भाग द्वारा इलाहाबाद की ५ अगस्त की 'अमृत पत्रिका' में छपे किसी प्रसंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की मांग करने वाले आन्दोलन की पूर्व सूचना सरकार को मिल गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार को इस आंदोलन की पूर्व सूचना किस प्रकार मिली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार के इसके लिये कई साधन हैं, उसके गुप्तचर भी हैं और जिलों से रिपोर्टें भी आती हैं उन सभी तरीकों से सरकार को यह सूचना मिली।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कुछ आदमी फरार भी हैं? और सभी इस समय तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय मैं इसके बारे में ठीक नहीं कह सकता।

*२८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह कृपा कर बतलायेगी कि उपर्युक्त स्थिति को प्रारंभ में ही रोकने के लिये अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिलाधीश ने आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता के पास पुलिस का एक अफसर भेजकर पूरी स्थिति समझाकर आंदोलन को रुकवाने की कोशिश की परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ।

*२९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेग कि उपर्युक्त पत्र-विरोधी आंदोलन में प्रदेश भर में अलग-अलग केन्द्रों में कितनी-कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस संबंध में निम्नलिखित गिरफ्तारियां हुई थीं। बरेली ४, कानपुर २०४, शाहजहांपुर १, लखनऊ १५६, और इलाहाबाद ४९।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं उन लोगों में से कितनों पर मुकद्दमें चल रहे हैं, कितने छूट गये और कितनों को कितनी-कितनी सजा हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस व्योरेवार उत्तर के लिये सूचना चाहिये।

सिकन्दराराऊ थाना, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत क़त्ल और डकैतियां

कत्ल और चोरियां

*३०--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिकन्दरा राऊ थाना (जिला अलीगढ़) में १ जूलाई, सन् १९५१ से ३१ जुलाई १९५२, तक कितनी डकैतियां, कत्ल एवं चोरियां हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना इस प्रकार है?

डकैती--२

कत्ल--८

चोरियां--८२

श्री नेकराम शर्मा--ये जो इतनी डकैतियां और कत्ल सिकन्दराराऊ थाने में हुये क्या इनके संबंध में पुलिस से कोई जवाब तलब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने कोई जुर्म कराये या डकैतियां कराई। इसलिये उनसे जवाब तलब करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनका काम तफ़सील करने का है जो वह करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या इन बढ़ते हुये जुर्मों की रोकथाम के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई या बनाने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे प्रश्नों का उत्तर कई बार सदन में दिया जा चुका है। अध्यक्ष कभी एकाध घंटे का समय दें तो पूरी बात बता सकता हूं।

*३१--श्री नेकराम शर्मा--जुलाई, सन् १९५१ से ३१ जुलाई, सन् १९५२ तक जो जुर्म सिकन्दराराऊ थाने में हुये उन में कितने अभियुक्त सजायाब हुये और कितने छूटे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--११ अभियुक्त सज़ायाब हुये और ११ छूटे।

श्री नेकराम शर्मा--ये बाकी कत्ल के मामलों में मुकद्दमे क्यों नहीं चलाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--काफी सबूत नहीं मिल सका।

१९५१-५२ में लखनऊ में क़त्लों की संख्या

*३२--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ में लखनऊ शहर में कितने कत्ल हुये और कितने कत्ल केस चलाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लखनऊ शहर में सन् १९५१ में १२ कत्ल हुये जिनमें से ६ में मुकद्दमे चलाये गये। सन् १९५२ में ६ सितम्बर तक १० कत्ल हुये जिनमें से ३ में मुकद्दमे चल रहे हैं।

* * * *

मैनपुरी ज़िले में क़त्ल

*३५--श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५१ में व जून, सन् १९५२ तक कितने कत्ल हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५१ में २२ कत्ल और जून, सन् १९५२ तक ६ कत्ल हुये।

*३६--श्री शिवबक्ष सिंह राठौर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कत्ल किस किस संबंध में हुये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कत्ल बुरे चाल चलन, अनुचित प्रेम-बैर-भाव तथा भूमि से संबंधित झगड़ों के कारण हुये। कुछ कत्ल के कारणों का अभी पता नहीं चल सका क्योंकि उनकी जांच हो रही है।

*३७--श्री शिवबक्ष सिंह राठौर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मामले चले और उनमें से कितने में सजा हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५१ में कुल १४ मुकदमे चले जिनमें से तीन में सजा हो चुकी है। सन् १९५२ में जून तक ४ मामले चले जिनमें तीन अभी अदालत में चल रहे हैं और एक छूट गया।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर—क्या कत्ल के केस में कोई ऐसा भी केस है जिसमें डाक्टर और पुलिस अधिकारियों में इस बात पर मतभेद हो कि यह कत्ल किया गया है या आत्म-हत्या की गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त इसका इतना व्योरा तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जितना जिन थानों मे अपेक्षाकृत कत्ल या डकैतियां बढ़ जाया करती हैं पिछले सालों से, वहाँ के अधिकारियों के लिये कोई दंड की व्यवस्था रखी गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। दंड की व्यवस्था एकाएक नहीं पैदा होती। उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि इसका ख्याल रखना चाहिये।

*　　*　　*

कानपुर में मजदूरों के हातों का सुधार तथा टट्टियों की मरम्मत

*५२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की टट्टियों की मरम्मत के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने आहाता सुधार के लिये सन् ५१-५२ व ५२-५३ में ५०,००० रुपये प्रति वर्ष की धनराशि बजट में रक्खी थी।

*५३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को यह पता है कि कितने हाते जिसमें मजदूर रहते हैं ठीक कराये गये? उन हातों के नाम क्या हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५१-५२ में कानपुर के २६ हातों का सुधार कराया गया था। उन हातों के नाम नत्थी में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५० पर।)

*५४—श्री गंगा प्रसाद—क्या यह सच है कि मजदूरों के लिये जो डेवलेपमेंट बोर्ड ने टट्टियां बनाई थीं वह अभी तक चालू नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन टट्टियों को शीघ्र चालू करने की आज्ञा प्रदान करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं केवल दो हातों को छोड़ कर सब हातों की टट्टियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। उन दो हातों की टट्यिों के बनवाने में कुछ कमी रह गई है। काम पूरा हो जाने पर शीघ्र ही वे टट्टियां भी प्रयोग में लाई जावेंगी।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो टट्टियां बनवायी गयी हैं उनमें रोशनी का प्रबंध है या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दो टट्टियां नहीं चालू की गई हैं वे कौन से हाते की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि जो सूची माननीय सदस्य को दी गयी है उसको वे देखें तो उससे यह बात अपने आप मालूम हो जायेगी।

श्री गंगाप्रसाद--जो सूची दी गयी है उससे यह साफ नहीं जाहिर होता है कि कौन सी टट्टियां हैं।

अध्यक्ष--तो समझ लीजिये कि गृह मंत्री जी को मालूम नहीं है। वे इसके लिये आपसे नोटिस चाहेंगे।

गोरखपुर एवं देवरिया में चोरी तथा डकैतियां

*५५--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९५२ से ३१ जुलाई, सन् १९५२ तक गोरखपुर जिला एवं देवरिया जिले के थाना रुद्रपुर में कितनी चोरी, डकैती और राहजनी हुई और सब में कितनी अलग-अलग सम्पत्ति का ह्रास हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--थाना रुद्रपुर में जनवरी, सन् ५२ से जुलाई ३१, सन् ५२ तक एक भी डकैती और राहजनी की घटना नहीं हुई। चोरी की ३५ घटनाओं की रिपोर्ट हुई जिनमें ५,३६५ रु० ८ आने की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ।

श्री केशव पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो चोरियां हुई हैं उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने छूट गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, ७ आदमियों की चोरियां हुईं? एक आदमी को सजा हुई और ६ आदमियों पर अभी मुकद्दमे चल रहे हैं।

श्री केशव पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी रुद्रपुर थाने की असली जानकारी के लिये कोई गैरसरकारी समिति नियुक्ति कर सकते हैं, जांच के लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रुद्रपुर से जो रिपोर्ट आयी है जब तक वह गलत साबित न हो जाय तब तक दूसरी जांच कराने की कोई बात नहीं है।

* * *

ग्राम नारायणपुर दोयम, गोरखपुर में गांधी चबूतरे का पुर्ननिर्माण

*५७--श्री केशव पाण्डेय--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के पिपराइच थाने में नारायणपुर दोयम ग्राम में सन् १९४९ का पंचायत द्वारा बना गांधी-चबूतरा और आम का वृक्ष जबरदस्ती काट कर फेंक दिया गया है? सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। ऐसा करने के आरोप के संबंध में एक रिपोर्ट उस ग्राम के सज्जन सभापति नामी ने बन्धू लोनिया के खिलाफ तहसीलदार के कोर्ट में लिखाई बन्धू लोनिया ने अपना कसूर माना और माफी मांगी। मामले का समझौता इन शर्तों पर हुआ कि बन्धू वैसा ही एक चबूतरा बनाने के लिये २० वर्ग फीट जमीन देगा उस जमीन के पास एक पंचायत-घर बनाने के लिये १० एकड़ जमीन और देगा।

*५८--६०--श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

[देखिये आगे पृष्ठ १९९--२०० पर]

अमृत पत्रिका में प्रकाशित आपत्तिजनक चुटकुले के विरुद्ध कानपुर में प्रदर्शन

*६१--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या यह सच है कि कानपुर के जिला अधिकारियों ने अमृत-पत्रिका में छपी हुई एक आपत्तिजनक विवरण के विरोध में आंदोलन तथा प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी थी? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६२---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार को यह मालूम है कि गत १३ अगस्त को पाकिस्तान के गवर्नरजनरल ने रेडियो ब्राडकास्ट द्वारा २४ अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में एशिया में रहने वाले सभी मुसलमानों से जिसमें भारत के मुसलमान सम्मिलित हैं, यह दिवस अनन्दोत्सव के रूप में मनाने की अपील की थी और उसीके परिणामस्वरूप कानपुर के कुछ मुसलमानों ने जो अमृतपत्रिका की घटना को लेकर १२ अगस्त से हड़ताल मना रहे थे अचानक १४ अगस्त को अपनी अपनी दूकानें खोल दीं और उस दिन पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर जशन मनाये गये और दावतें दी गई पर १५ अगस्त को अर्थात् भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर फिर कानपुर के उन्हीं मुसलमानों ने मुहर्रमी बाना पहन लिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पाकिस्तान के १३ अगस्त के रेडियो ब्राडकास्ट के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है। यह सच है कि १३ अगस्त को मुसलमानों ने कानपुर में हड़ताल मनाई परन्तु १४ अगस्त को उनकी अधिकतर दुकानें खुली थीं। १५ अगस्त को सब मुसलमान खुले दिल से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुये।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या यह सच नहीं है कि १५ अगस्त के कई दिन पहले से ही कानपुर में काले झंडे उठाने का आंदोलन चल रहा था और प्रदर्शन हो रहे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। उसके एकाध दिन पहले यह बात हुई थी।

श्री देवदत्त मिश्र---यह जानते हुये क्या सरकार की तरफ़ से कोई कोशिश इन प्रदर्शनों को रोकने की की गई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां दफ़ा १४४ लगी वहां प्रदर्शन नहीं हुये और किसी ने १४४ तोड़ी तो उस पर मुकदमे चलाये गये।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि किस किस शहर में गत अगस्त में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में दावतें और जश्न मनाये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पाकिस्तान के संबंध में कहां कहां जश्न मनाये गये, इसकी कोई सूचना नहीं है।

*६३---श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)---(अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ २०० पर]

* * * *

हिसामपुर, जिला जौनपुर के श्री कालीचरण भर की हवालात में मृत्यु

*६५---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला के केराकत तहसील में कालीचरण भर ग्राम हिसामपुर का जो थाना चन्दवक के अन्दर तारीख ३ अगस्त, १९५२ ई० को मरा उसकी मृत्यु का कारण क्या था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---काली चरन शिव बदन सिंह के घर में रात के ८ बजे मकान की छत पर औरतों द्वारा छिपा हुआ देखा गया। शोर मचाने पर वह भागा और सीढ़ियों से लुढ़क पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया मारा, पीटा और उसको थाने पहुंचाया।

दूसरे दिन प्रातःकाल वह हवालात में ४ बजे मरा हुआ पाया गया। विश्वास किया जाता है कि उसकी मृत्यु सीढ़ियों पर गिरने की चोट और गांव वालों की मार पीट के कारण हुई।

*६६—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मृत्यु के बाद किस आफिसर द्वारा जांच कराई गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री शाह अजीज अहमद डिप्टी कलेक्टर ने जांच की थी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतालाने की कृपा करेंगे कि शाह-अजीज अहमद ने मृत्यु तथा चोट के संबंध में क्या रिपोर्ट दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाक्टर की रिपोर्ट के बाद इन डिप्टी साहब ने क्या रिपोर्ट दी इसका व्यौरा तो मेरे पास नहीं है।

*६७—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसका पोस्ट मार्टम हुआ ? यदि हुआ तो कौन कौन सी चोट सिद्ध हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उसके शरीर पर अनेकों घाव (contusions) और खराशें (Abrasions) पाई गई जिनमें से एक के सिवाय सब मामूली चोटें थीं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का क्या कारण लिखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाक्टर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है उसमें लिखा है—

"In my opinion the cause of death is 'syncope' due to shock and haemorrhage resulting from the injury sustained by the deceased."

[मेरी राय में मृत्यु के कारण सदमे के कारण मूर्च्छा और मृत व्यक्ति का चोट के परिणाम स्वरूप रक्तस्राव हैं।]

उसमें जो चोट लगी थी उसकी वजह से खून बहा और धक्का लगा उसकी वजह से सिनकोप हो गया और उसकी वजह से मृत्यु हो गई।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शरीर के किस हिस्से में मामूली चोट थी और कौन से में गहरी और वह किस हथियार की मार से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो बहुत व्योरे का सवाल है। यह यहां नहीं पूछा जा सकता।

* * *

दातागंज, जिला बदायूं में श्री अनोखे लाल सोनार की रहस्यमय मृत्यु

*७६—**श्री चुन्नीलाल सगर** (जिला बदायूं)—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि लगभग डेढ़ मास हुआ कि श्री अनोखे लाल सोनार साकिन कस्बा दातागंज, थाना दातागंज, जिला बदायूं का मृतक शव रस्सी में बंधा हुआ गंगा सहाय बारी निवासी कस्बा दातागंज जिला बदायूं के मकान में पाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या माननीय मंत्री जी ने इस हत्या के संबंध में अपनी क्या रिपोर्ट दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस मकान में लाश पायी गयी, जो अब तक पता लगा है वह यह है कि उस मकान में कुछ ऐसी महिलायें थीं जिनसे उसका अनुचित संबंध था। संदेह इस बात का है कि घर वालों ने उससे दुखित हो कर मार डाला। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ महिलाओं का जिक्र था। इस वजह से मैंने गोल जवाब दिया था।

*८०—श्री चुन्नी लाल सगर—क्या उक्त शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिविल सर्जन, बदायूं ने दी है? यदि हां तो उसमें मृत्यु का क्या कारण बताया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, शव के सड़ जाने के कारण मृत्यु का कारण निश्चित नहीं किया जा सका है।

* * * * *

*८५—८७—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—[वापस लिये गये।]

* * * * *

पी० टी० सी० के लिए राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*८६—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० टी० सी० के चुनाव में इस वर्ष कुल कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें से कितने प्रार्थना पत्र राजनीतिक पीड़ितों के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पी० टी० सी० के चुनाव के लिये इस वर्ष कुल १६७१ प्रार्थना पत्र आये जिनमें २६४ राजनीतिक पीड़ितों के हैं।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार ने इनके राजनीतिक पीड़ित होने की वास्तविकता की जांच करा ली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*६०—श्री दलबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच में कितने राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना पत्र साबित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी जानकारी है २६४, सभी ठीक पाये गये।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार वास्तविक राजनीतिक पीड़ितों की सूची बनवाने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूची बनाने में जो व्यय और श्रम होगा उसकी अपेक्षा लाभ नहीं देख पड़ता अतः यह प्रयत्न अनावश्यक होगा।

* * * * *

*६२—६४—श्री गंगाधर मैवाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २००-२०१ पर]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा

*१—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा किस कारण से हुआ और उससे जान व माल का कितना नुकसान हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलीगढ़ में २८ सितम्बर को अकस्मात ही दंगा हो गया। झगड़े का कारण यह था कि एक मुसलमान दूकादार ने एक हिन्दू को, जिसको एक दूसरे हिन्दू ने उसकी सोडावाटर की बोतलों पर ढकेल दिया था, पीटा। इस पर दोनों ओर से भीड़ इकट्ठा हो गई और मार पीट हुई। कुल १६ आदमियों के चोट आई जिनमें से एक अस्पताल में मर गया। माल का कोई नुक्सान नहीं हुआ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस झगड़े में क्या-क्या हथियार इस्तेमाल किये गये और उन हथियारों को जब्त किया गया या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ तो घूंसों से काम लिया गया उनको जब्त करना मुश्किल है। कुछ ईंट पत्थरों से काम लिया गया उनको भी नहीं जब्त किया जा सकता। कुछ लकड़ियों से काम लिया गया। वह मिल नहीं सकीं। लेकिन एक आध केस में गोली भी चली। लेकिन अभी उसकी जांच हो रही है कि कहां से और किसने चलायी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में जो कम्युनलिज्म फैला हुआ है उसको रोकने के लिये कोई खास व्यवस्था वहां की गयी है या अब करने पर विचार किया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कम्युनलिज्म को रोकने को तो पूरी व्यवस्था की जाती है लेकिन जब दो हिन्दू लड़ पड़ें तो उसके लिये क्या व्यवस्था की जाय, यह कहना बड़ा कठिन है।

*२—श्री रमेश वर्मा—इस झगड़े में कितनी गिरफ्तारियां हुईं और कितने मामले चलाये जा रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल १५ गिरफ्तारियां हुईं। चार मामले रजिस्टर किये गये जिनकी अभी तहक़ीकात हो रही है।

*३—श्री रमेश वर्मा—क्या इस झगड़े से संबंधित बातों पर सरकार एक वक्तव्य मेज़ पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती।

तारांकित प्रश्न

रिक्शा चलाने का कुलियों पर प्रभाव

*१—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वशासन मंत्री जी ने विशेषज्ञों की सम्मति ली है कि रिक्शा चलाने का कुलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु संख्या की औसत क्या है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, इस संबंध में राय ली गई है। मृत्यु संख्या की औसत का कोई लेखा उपलब्ध नहीं है।

*२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वशासन मंत्री रिक्शों की संख्या की बढ़ोतरी रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—रिक्शों की संख्या को रोकना एक आर्थिक समस्या है। ऐसा करने से बहुत से गरीब लोग जो इस पेशे से रोजी कमाते हैं बेकार हो जायेंगे।

*३-४—श्री जगन्नाथबक्श दास (जिला बाराबंकी)—(अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ २०१-२०२ पर]

गोंडा स्टेशन पर एक रोगी की दयनीय दशा

*५—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या यह बात सत्य है कि १३ जून को एक मुसाफिर बहराइच से ९ बजे की गाड़ी से गोंडा आया और २४ घंटे तक वह मरीज स्टेशन पर पानी में भीगता रहा और फिर जनता के कहने पर वहां से सिविल अस्पताल भेजा गया ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—ऐसा कोई गरीब सिविल अस्पताल गोंडा में भर्ती नहीं हुआ ।

*६—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मरीज की वहां पर कितने घंटे बाद मृत्यु हुई ?

श्री बनारसीदास—प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिकन्दराराव चुंगी की मोटरों के खर्च पर आपत्ति

*७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिले एवं तहसील के अफसरों द्वारा सिकन्दरा राव चुंगी की मोटरों के प्रयोग करने एवं उन पर किये गये खर्च पर आडिटर महोदय ने कोई एतराज किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आडिटर ने जिला और तहसील के अफसरों द्वारा सिकन्दरा राव की चुंगी की पिकप के प्रयोग करने पर कोई एतराज नहीं किया है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की कोई जांच करायेंगे कि म्युनिसिपैलिटी का जो पिकप और स्टेशन वैगन है, सिकन्दरा राव के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस सुझाव पर मैं गौर करूंगा ।

रामपुर की अवक्रान्त नगरपालिका का बिजली की लालटेनों पर व्यय

*८—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की सुपरसीडेड नागरपालिका द्वारा बिजली की नयी लालटेनें, जैसी कि स्टेशन रोड पर लगाई जाना आरम्भ किया जा चुका है, किस संख्या में तथा कितने मूल्य में क्रय की गयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—४० । इनका मूल्य १५,५०६ रुपया ८ आना है ।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २५० वाट वाली लालटेनों का मूल्य क्या है और ४५० वाट वाली लालटेनों का मूल्य क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---२५० वाली लालटेनों का मूल्य ३८० रु० फ़ी लालटेन है और ४५० वाली लालटेनों का मूल्य ४१४ रु० १ आना है।

*९---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त कितना अन्य व्यय नागरपालिका की इन लालटेनों के क्रय निमित्त करना पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम---१६ रु० ८ आना रेल का किराया।

*१०---श्री कृष्णशरण आर्य---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लालटेनें किस कारखाने की बनी हुई हैं तथा कितनी शक्ति की हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---ये फिलिप्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड की बनी हुई हैं और इनकी शक्ति निम्नलिखित हैं:

३१ लालटेनें २५० वाट,
९ लालटेनें ४०० वाट।

बुन्देलखंड में राजकीय अस्पतालों की कमी

*११---श्री ज़ोरावर वर्मा (ज़िला हमीरपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में पांच हज़ार से अधिक आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां राजकीय अस्पताल नहीं हैं ?

श्री बनारसी दास---बुन्देल खण्ड में पांचहज़ार से अधिक आबादी वाले केवल पांच नगर तथा गांव हैं जहां राजकीय अस्पताल नहीं हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

(१) बराबागर टाउन (झांसी),
(२) ड्यूढीसिहपुरा (झांसी),
(३) रामपुरा (जालौन),
(४) हियरा टाउन एरिया (बांदा)
(५) महराजनगर (हमीरपुर)

श्री ज़ोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराज नगर ज़िला हमीरपुर में ही है अथवा किसी दूसरे ज़िले में है, यदि हमीरपुर ज़िले में ही है तो किस तहसील में है ?

श्री बनारसी दास---इसे सदस्य महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं।

*१२---श्री ज़ोरावर वर्मा---क्या सरकार इन गांवों में अस्पताल खुलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---सरकार के पास इन नगरों तथा गांवों में अस्पताल खोलने का विचार वर्तमान में नहीं है। क्यों कि ड्यूढीसिहपुर (झांसी और रामपुरा) (जालौन) से क़रीब ५ मील के अन्दर ही क्रमशः एलोपैथिक डिस्पेंसरी मऊ रानीपुर (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) (झांसी) और राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय उमरी (जालौन) स्थित हैं। बराबागर टाउन (झांसी), महाराजनगर (हमीरपुर) और हियरा टाउन एरिया (बांदा) में अभी अस्पताल खोलने का विचार नहीं है क्योंकि इनसे अधिक आवश्यक स्थानों पर प्रथम अस्पताल खोलने का विचार सरकार कर रही है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि श्रीनगर और गौहरौली दो ऐसे गांव हैं जहां पांच हज़ार से अधिक आबादी होते हुये भी पांच मील के दायरे में कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसीदास--मेरे पास सूचना सन् १९४१ की मतगणना के अनुसार है लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उसके अन्दर यह दोनों गांव शामिल नहीं हैं।

बस्ती ज़िले में सूत के आयातक

*१३--श्री रामसुन्दर राम (ज़िला बस्ती)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ज़िला बस्ती में केवल दो ही सूत के आयातक हैं? यदि हां, तो क्या वह इसमें वृद्धि करने का इरादा रखती है ?

श्री बनारसी दास--बस्ती में इस समय केवल दो आयातक हैं और उनमें वृद्धि का प्रश्न सरकार के सामने हैं और उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर राम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त आयातक के क्या नाम हैं और कितनी गाठें प्रति मास उनको मिलती हैं ?

श्री बनारसी दास--इसमें एक बनारसी दास कनौडिया हैं और दूसरे का नाम है संत प्रसाद रामकिशोर।

कानपुर स्थित मरी कम्पनी के गोदाम पर अनाज का भीगना

*१४--श्री हमीद खां (ज़िला कानपुर)--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित मरी कम्पनी के ग़ल्ला गोदाम पर गत १२ अगस्त, सन् १९५२ को कितने ग़ल्ले के बोरे उतरे और कितने भीगते रहे ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--गत १२ अगस्त, १९५२ को मरे गोदाम के रेलवे साइडिंग में ४,३९३ गेहूं के बोरे उतारे गये थे और उस दिन वर्षा के कारण लगभग ६०० बोरें भीग गये थे।

श्री हमीद खां--क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जहां पर माल उतारा गया था वह जमीन कच्ची थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इसकी सूचना तो सरकार को मालूम नहीं है।

श्री हमीद खां--क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मरी कम्पनी में जो माल उतारा गया था उसके ढकने के लिये कोई त्रिपाल वग़ैरह का प्रबन्ध है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इसके लिये तो नोटिस दीजिये और फिर मालूम कर के आप को बताया जायगा।

*१५--श्री हमीद खां--क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार भीगने से कितने बोरों पर असर पड़ा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इन ६०० बोरों में से ५०० ऐसे थे जिनमें केवल बोरा ही भीगा था और गेहूं पर कोई असर नहीं पड़ा था। बाक़ी १०० बोरों में बोरों से लगी हुई गेहूं की तह भीग गई थी परन्तु इस गेहूं को तुरन्त ही निकाल कर सूखने के लिये गोदाम में फैला दिया गया जिससे यह गेहूं खराब होने से बच गया।

*१६---श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)-- [देखिये आगे पृष्ठ २०२ पर]

*१७-१८---श्री नारायण दीन (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २०२ पर]

*१९-२०---श्री शिव मंगल (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २०२-२०३ पर]

*२१-२२---श्री रमेश वर्मा---[१२ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

[१० अक्तूबर, १९५२ के गृह मंत्री से संबंधित अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न ।]

तारांकित प्रश्न

* * *

अलीनगर, ज़िला बरेली में पुलिस का ग्रामीणों पर गोली चलाना

*२४---श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रातःकाल अलीनगर गांव में जो कि थाना आंवला, जिला बरेली में है पुलिस ने ग्रामीणवासियों पर गोली चलाई ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, पुलिस ग्राम अलीनगर में एक स्त्री की गिरफ्तारी के वारन्ट की तामील करने गयी। ग्रामीणों के हमला करने पर पुलिस को अपने बचाव के लिये गोली चलानी पड़ी ।

*२५---श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त घटना में कितने घायल हुये तथा कितनी मृत्यु हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक व्यक्ति मरा और एक घायल हुआ ।

*२६---श्री नवलकिशोर (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस घटना की जांच के लिये वह कोई (इंक्वायरी) कमेटी बैठाना चाहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा चुकी है । इस लिये कमेटी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है ।

* * *

शाहजहांपुर जिले में पुवांया---मैलानी रोड पर बटमारी

*५८---श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले में पुवांया से खुटार, मैलानी जाने वाली सड़क पर काफ़ी जंगल पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*५९---श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस रास्ते पर अक्सर लूट और राहज़नी हो जाया करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

नोट---तारांकित प्रश्न २४-२६ श्री सुन्दर लाल ने पूछे।

*६०---श्री शिवकुमार मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हाल ही में इसी रास्ते पर गुटैया घाट के निकट एक स्त्री लूट ली गयी और उसके साथ का आदमी मार डाला गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक आदमी की हत्या अवश्यक इस रास्ते पर हुई थी। इस बात का सबूत नहीं मिल सका कि उसके साथ की स्त्री लूटी गयी । मामले की अभी जांच जारी है ।

* * *

वेश्यावृत्ति को बन्द करने के लिये कानून

*६३---श्री पातीराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार वेश्यावृत्ति की प्रथा को बन्द करने और वेश्याओं के जीवन में सुधार करने की कोई ठोस योजना बना रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वेश्याओं को बंद करने के लिये इस समय प्रदेश में तीन क़ानून लागू हैं :---

नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९२९,

माइनर गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९२९,

यू० पी० सप्रेशन आफ़ इम्मोरल ट्रैफिक ऐक्ट, १९३३ ।

जहां तक नायक लड़कियों का संबंध है, पर्याप्त सफलता मिली है । जनमत जागरित है और सरकार के हाथों को पुष्ट करता है । परन्तु अन्यत्र कोई विशेष सफलता नहीं मिली और यह स्वीकार करना पड़ता है कि विशेष प्रयत्न भी नहीं हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार उनके सुधार के लिये भविष्य में कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने इस प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि इस दशा में कोई खास प्रयत्न नहीं हुआ इसका मतलब ही यह है कि मेरा ध्यान इस ओर गया है । हम देख रहे हैं कि इस स्थिति को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है और उसके संबंध में प्रयत्न किया जा रहा है ।

* * *

केदारनाथ के मन्दिर का प्रबन्ध

*९२---श्री गंगाधर मैठाणी---(अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मन्दिर केदारनाथ प्रबन्ध के अन्तर्गत काली शिला में मूर्तियां ग़ायब होने की रिपोर्ट सरकार या मन्दिर कमेटी के पास आयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मन्दिर कालीशिला में मूर्तियां खो जाने की रिपोर्ट मन्दिर कमेटी के पास आई है और सेक्रेटरी मन्दिर कमेटी इस संबंध में उचित जांच कर रहे हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह मालूम है कि जो मूर्तियां चुराई गईं यह सोने की मूर्तियां थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारी इत्तिला तो यह है कि एक छोटा सा मन्दिर इससे लगा हुआ है उसकी मूर्तियां चुराई गई थीं । उसके संबंध में जांच हो रही है लेकिन शायद क़ीमती मूर्तियां नहीं थीं।

नोट---तारांकित प्रश्न ६३ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा ।

नोट-तारांकित प्रश्न ९२---९४ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली शिला की मूर्तियां किसने चुराई थीं और रिपोर्ट क्या आई ?

डाक्टार सम्पूर्णानन्द—अभी इतनी इत्तिला है कि एक स्वामी गंगाधर आनन्द थे जो पूजा किया करते थे। वह असली मूर्तियां नहीं थीं बल्कि कुछ मूर्तियां थीं जो कि बाहर रख दी गयी थीं वह खो गईं। इसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रेसीडेंट को की है। यह सूचना आयी है।

*९३—**श्री गंगाधर मैठाणी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि ज़िला गढ़वाल के मंदिर केदारनाथ में मंदिर कमेटी के चार्ज लेने के पूर्व कितना व्यय मासिक होता था और अब कितना होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी द्वारा केदारनाथ का चार्ज लेने के पूर्व उस मन्दिर की आमदनी लगभग ३०,००० रु० मासिक थी और वहां का खर्च भी लगभग इतना ही था। अब यहां की आमदनी लगभग ८० हजार रुपये है और खर्च भी इस हिसाब से बढ़ गया है। परन्तु अब खर्च अधिक उपकारी कार्यों पर किया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपकार के कार्य कौन कौन से किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक तो उपकार के कार्य यह किये गये कि जो मंदिर के हिस्से टूटे फूटे थे उनकी मरम्मत की गयी है।

*९४—**श्री गंगाधर मैठाणी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मन्दिर केदारनाथ में रावल जयलिंग ने जब चार्ज दिया था उस समय मन्दिर में कितना बैलंस था और सन् १९५१-५२ में कितना था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९ अगस्त, १९४८ को रावल जयलिंग ने मन्दिर को ४,१३७ रुपया १ आना बैलेंस दिया था और १ अप्रैल, सन् १९५२ को वहाँ का कुल बैलेंस १७,३९४ रुपया ५ आना ६ पाई था।

[१५ अक्तूबर, १९५२ के अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न।]

तारांकित प्रश्न

* * * *

लखनऊ ज़ू का प्रबन्ध

*३—**श्री जगन्नाथबख्श दास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ ज़ू (ZOO) के लिए पशु पक्षी आदि खरीदने में गत दो वर्ष में कितनी रकम व्यय की ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५०-५१ में व्यय १,६१६ रुपया।

सन् १९५१-५२ में व्यय १,१३५ रुपया।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों में कितने पशु पक्षी ज़ू के लिये खरीदे गये ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३-४ श्री रणंजय सिंह ने पूछे।

श्री रणंजय सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो, पशु पक्षी जू के लिये प्रेजेंट किये जाते हैं, क्या वह लिये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, सहज स्वीकार करेंगे । परन्तु हाथी स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होगी।

*४—**श्री जगन्नाथ बख्श दास** (अनुपस्थित)—इस समय इस जू का प्रबंध किसके द्वारा सम्पादित होता है ?

श्री बनारसीदास—इस समय संचालक, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश जू के शासक हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री इस पक्ष में हैं कि इस आजादी के युग में वहां पर जो पक्षी हैं उनमें से कुछ को आजाद कर दिया जाय ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं ।

* * * *

टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाज़ारी उगाहने का अधिकार

*१६—**श्री रामस्वरूप गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टाउन एरिया क्षेत्रों में तहबाज़ारी आदि वसूल करने का अधिकार किसे है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान मैं यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४, की धारा १४, उपधारा (२) वाक्य खंड (बी) की ओर आकर्षित करूंगा।

फतेहगढ़-कम-फ़र्रुखाबाद के मेहतरों पर लाठी चार्ज

*१७—**श्री नारायणदीन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि अभी अगस्त महीने के मध्य में फ़तेहगढ़–कम–फ़र्रुखाबाद के मेहतरों पर लाठी चार्ज किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन मेहतरों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

इलाहाबाद में फतेहपुर बिछुवा बस्ती के मेहतरो का पुनर्वासन

*१८—**श्री नारायणदीन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह पता है कि इलाहाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट १०० वर्ष पुरानी मेहतरों की फतेहपुर–बिछुवा बस्ती को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो वहां के उन मेहतरों को जो म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी नहीं हैं बसाने का क्या कोई प्रबंध कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट से कह दिया गया है कि वह, यदि आवश्यकता हो तो सरकार से परामर्श करके, इनके बसाने की व्यवस्था करे ।

बलिया नगरपालिका में नालियों की अव्यवस्था

*१९—**श्री शिवमंगल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी नगरपालिकाओं में आज तक नालियों की व्यवस्था नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय सरकार के पास इस विषय पर आंकड़े नहीं हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि कुछ न कुछ नालियों की व्यवस्था प्रत्येक नगरपालिका में है ।

*२०—श्री शिवमंगल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया नगरपालिका में नालियों की व्यवस्था न होने के कारण वहां की जनता को बहुत कष्ट है और जनस्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र नालियों की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। बलिया नगर की नालियों की व्यवस्था सुधारने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

विधान सभा का आगामी कार्यक्रम

अध्यक्ष—कल एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार का आगे क्या कार्यक्रम होगा। माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कल के बाद यह सत्र तो समाप्त हो जायगा जहां तक अगले सत्र की बात है उसके लिये तिथि निश्चित नहीं है लेकिन मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि एक महीने के भीतर सदन नहीं बुलाया जायगा। १७ नवम्बर के बाद ही कोई तारीख होगी, जबकि बुलाया जायगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२
*खंड ८ (क्रमागत)

अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी। श्री अतहर हुसेन ख्वाजा अपना भाषण जारी रक्खेंगे।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाब वाला, कल शाम जिस वक्त यह हाउस उठा है उस वक्त मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक वेलफेयर स्टेट का अवल्लीन फर्ज यह है कि अगर कोई सेक्शन ऐसा हो जो किसी वजह से आउट आफ एम्पलायमेंट हो गया हो तो वह उसको रिहैबिलिटेट करे। मैंने इस सिलसिले में जनाब वाला के जरिये से हाउस के सामने कुछ मिसालें पेश की थीं और यह बतलाया था कि अगर यह हाउस इस शुबहा में मुबतिला है कि चीन में आउटराइट एक्सप्रोप्रियेशन हुआ है और हर किस्म के लैंडलार्डस को जमीन से बेदखल कर दिया गया है तो यह गलत है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इस भवन में शान्ति रखें। अगर किसी को बाहर जाना है तो धीरे धीरे बाहर जा सकता है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाब वाला, मैंने कुछ उन बातों का हवाला भी दिया और कुछ एक्सट्रेक्ट्स भी जनाब वाला की इजाजत से पढ़े—जाहिर है कि उन रियासतों में जहां एक्सप्रोप्रियेशन होता है वहां पर चूंकि प्राप्रटीज कन्फिसकेट होती हैं लिहाजा मुआविजा देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लिहाजा चीन में भी यह हुआ कि जब उन्होंने इक्सप्रोप्रियेट किया तो उसके साथ साथ जो डेट्स थे उनकी भी होली जलाई गई, जितने टाइटिल डीड्स थे उनको फूंक दिया गया। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने यह एहतियात बरती कि उन लैंडलार्डस को जिन पर इससे असर पड़ता था उनको नेगलेक्ट नहीं किया। लैंडलार्डस को दो हिस्सों में बांटा फ्यूडल और नान-फ्यूडल में उनको जुदा कर दिया।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन से बहुत दूर जा रहे हैं। यह बहस मैं बहुत सुन चुका हूं। अगर दुम से संबंध है तो पूरे हाथी का वर्णन शुरू हो जाय यह तो उचित नहीं होगा। अब कर्जे का प्रश्न सामने है उसके लिये मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस सवाल को लेकर पूरे हालत पर दूसरी जगह क्या हुआ इसका यहां पर जिक्र करें।

---

*यह खंड १४ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं जनाबवाला की खिदमत में बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि यह इससे इन्टर कनेक्टेड है।

अध्यक्ष—सवाल कनेक्टेड तो हुआ ही करते हैं जो सवाल जितना सामने है उतनी बहस वहां पर रहे उसके संबंध में किसी दूसरे मुल्क की दीगर बात कहना असंगत है। आप जिक्र कर्जे के बारे में कर सकते हैं लेकिन कम्पेन्सेशन वगैरा के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मैंने यह सवाल उठाया था कि कर्जे का सवाल क्यों पैदा हुआ। वह सवाल इस लिये पैदा हुआ कि बाज जगह पर अग्रेरियन लैंड रिफार्म की वजह से कुछ लोग आउट आफ इम्पलायमेंट हो गये। उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी था और उस रिहैबिलिटेशन की जरूरत के लिये यह जो डेट लेजिस्लेशन है और यह उसी जरूरत को हल करने के लिये हर जगह सामने आया है। आज हमारी स्टेट में भी इसलिये यह सामने आया है। तो मैं यह अर्ज करूंगा जैसा कि कल अर्ज किया था कि जहां जहां जिन कण्ट्रीज में इस तरीके से लेजिस्लेशन हुआ है, एक्प्रोप्रियेशन हुआ है वहां पर यह एक चीज हुई है जो लोग इससे एफेक्टेड हों उनको रिहैबिलिटेट किया जाय मैं यह समझता हूं कि हमारी स्टेट के अन्दर भी यही उसूल होना चाहिये और इसी उसूल को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिये। अगर इस बिल के अन्दर यह उसूल मौजूद नहीं है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि मुझे इस बात का हक हासिल है जनाबवाला के जरिये से कि हाउस के सामने यह चीज रखूं कि यह बिल डिफैक्टिव है और इसके अन्दर यह प्राविजन होना चाहिये जिसकी वजह से कि एक इन्सान इन्सान के तरीके से एक सिटीजन की हैसियत से गुजारा कर सके और अपनी जिन्दगी बसर कर सके। यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि जहां तक इस बात का सवाल है कि आया कम्पन्सेशन मनि या रिहैबिलिटेशन ग्रांट डेट में कट जाना चाहिये या नहीं इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक सेक्योर्ड डेट का ताल्लुक है उसमें लीगली (legally) इसलिये आपकी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने उस जायदाद को एक्वायर किया है और आपके अपने कानून में, जो आपने ऐक्ट बनाया है, उसमें यह कहा गया कि वह प्रापर्टी जो आपने एक्वायर की वह प्रापर्टी फ्री आफ आल इन्कम्बरेन्सेज एक्वायर की है अब सवाल यह होता है कि आपने जब किसी प्रापर्टी को फ्री आल इन्कम्बरेन्सेज एक्वायर किया है तो उसके ऊपर जो डेट हों उनका क्या होगा। उस डेट में आप रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन से अदा करना चाहते हैं और इसलिये इस लेजिस्लेशन को यहां पर लाया जा रहा है। इसमें आप वह उसूल रख रहे हैं। तो इस लेजिस्लेशन के जरिये से जिस कदर आपने उसकी वैल्यू को घटाया है उसी proportion से उस डेट को भी घटायें यह उसूल जायज है। यह एक फार्वर्ड स्टेप है जो कि दूसरी स्टेट्स पर लिया गया है और यह एक सही तरीका आपने अख्तियार किया है। लेकिन यहां पर मेरा डिफरेन्स यही है कि आप उस रूपये को मनि लैंडर को पास कर देते हैं क्योंकि ३ मिसालें मैंने आप के सामने अर्ज कीं। बाज रिपबलिक वह हैं कि जहां पर उन्होंने net income केपिटेलाइज करने के बाद पूरी रकम मुआविजे की अदा की और वहां कोई स्कोलिंग डाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी रिपबलिक वह है कि जहां सोशलिस्ट सिस्टम है और वहां इस किस्म का सवाल ही नहीं उठा क्योंकि वहां हुकूमत हर शख्श को पूरा एम्पलायमेंट देने की फ्री एजूकेशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और अनएम्पलायमेंट पेंशन देने की उस वक्त तक जिम्मेदार है जब तक कि वह शख्स रोजगार में नहीं लग जाता है। इसलिये यह सवाल वहां भी पैदा नहीं होता क्योंकि वहां तो रिहैबिलिटेशन खुद ही स्टेट की तरफ से हो जाता है और कोई किसी की जिम्मेदारी लेने की बात ही नहीं पैदा होती कि किसी को कम्पेनसेशन या रिहैबिलिटेशन मिलता है या नहीं। वहां तो जब तक वह रिहैबिलिटेट नहीं हो जाता है वह स्टेट का मेहमान रहेगा।

तीसरी चीज जिस में हमारी रिपबलिक है और चाइना की रिपबलिक है वह इन दोनों की एक दरम्यानी चीज है जिसको (new democracy) कहा जाता है और यह एक ट्रान्जीशनल स्टेज है जिसमें हम कैपिटलिज्म से सोशलिम की तरफ जा रहे हैं। इसलिये यह चीज जरा बुनियादी तौर से उन दोनों से मुखतलिफ होगी जो उन दोनों किस्म की रिपबलिकों में हैं। चीन ने २०० परसेंट आफ दि एवरेज पर कैपिटा होल्डिंग से भी ज्यादा (land holders) को दे दिया ....

अध्यक्ष—आप कर्जे के बारे में जिक्र कर सकते हैं लेकिन कम्पेनसेशन कैसे दिया इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—चूंकि जनाब इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मैं चीन की या योरोप की मिसाल यहां दूं और जनाब वाला नहीं चाहते हैं कि मैं वहां की बातें डिटेल में कहूं लेकिन इस उसूल में कोई डिफरेंस आफ ओपोनियन नहीं है कि जहां जहाँ भी लैंड रिफार्म्स हुये हैं और एग्रेरियन रिफार्म्स हुये हैं वहां पर स्टेट ने इस बात का इंतजाम किया है कि वह उन लोगों को कोई आल्टरनेट एम्पलायमेंट दे और मैं चाहता हूं कि यही पालिसी इस स्टेट की भी होना चाहिये और अगर यह स्टेट उस पालिसी को नहीं एडाप्ट करती है कि जिसके मातहत कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन उस हद तक उस के पास नहीं बचता है जिस हद तक उसकी जायदाद लेने से पेश्तर उस की जिन्दगी की जरूरत के लिये जरूरी था। अगर वह उस से महरूम किया जाता है तो यह उस के हक में और इस स्टेट के लिये मुनासिब और इंसाफ की बात न होगी। मैंने जैसा अर्ज किया मेरा अमेंडमेंट यह है कि जहां "सीक्योर्ड डेट" है वहां पर "आर अनसीक्योर्ड डेट" और बढ़ा दिया जाय। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में जिक्र किया था कि यह एनोमली ऐसी है जो हर तरीके से अजीबोगरीब मालूम होती है और जहां सीक्योर्ड डेट का ताल्लुक है वहां पर आप एक चौथाई छोड़ रहे हैं लेकिन अनसीक्योर्ड में न छोड़ें, यह ऐसी चीज है जिस का आइन्दा जिन्दगी पर असर पड़ेगा और जो आप दे रहे हैं उससे सही मानों में रिहैबिलिटेशन न हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो मनीलेंडर को प्रिफ्रेन्शियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वह जायज चीज नहीं है। आप ने गवर्नमेंट ड्यूज को भी कम्पेनसेशन में से ही लेना उसूलन मुनासिब समझा है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से नहीं लिया है। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या मनीलेंडर का रुपया पबलिक फंड से ज्यादा अच्छा है कि आप पबलिक फंड तो वसूल न करें और मनीलेंडर को उस रुपये को पास आन कर दें।

मैं अर्ज करूंगा कि अगर सोसाइटी के मुजरिम जमींदार हैं तो उसी कदर मनीलेंडर भी हैं। अगर एक ने एक्सप्लायट किया है तो दूसरे ने भी किया है और अगर एक के पास अनअर्न्ड इनकम आई तो दूसरे के पास भी आई है। कोई वजह नहीं कि दोनों में कोई फर्क रखा जाय और एक क्लास को प्रीफ्रेंसशल ट्रीटमेंट दिया जाय।

जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर ने जवाब में फरमाया कि चूंकि सिविल प्रोसीज्योर कोड में सिम्पिल मनी डिक्री के लिये एरेस्ट का प्रावीजन है इसलिए इस किस्म के अमेंडमेंट से कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी फरमाया और मार्क्स के ऊपर रिलाई किया। मैंने भी मार्क्स को सेंट्रल जेल बरेली में अर्सा हुआ पढ़ा था और शायद वह मेरी याद से निकल गया है लेकिन आनरेबिल मिनिस्टर ने यह कहा कि मार्क्स ने यह कहा है कि सबसे बुरा कैपिटैलिस्ट जमींदार है। मैं अर्ज करूंगा कि मुझे तो मार्क्स की किसी किताब में यह चीज नहीं मिली। मैं यह नहीं कहता कि मुझे कोई शुबहा आनरेबिल मिनिस्टर साहब के इस कहने पर है लेकिन अगर वह मुनासिब समझें तो मुझे बतला दें कि वह चीज कहां है ताकि उसके मुताल्लिक इत्मीनान हो जाय। मगर मैं एक जमींदार और मनीलेंडर में इस किस्म का फर्क नहीं कर सकता कि मनीलेंडर को इस किस्म की रियायत दी जाय कि पब्लिक फंड से उसका डेट अदा हो क्योंकि आप पब्लिक फंड से रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं। जमींदारी अबालिशन कमेटी ने भी इस पर गौर व खोज किया और उनकी रिपोर्ट

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

के सफे ५७१ पर उन्होंने भी यही कहा कि जो लोन्स सीक्योर्ड हैं उनके मुताल्लिक एड-जुडीकेशन प्रोसीडिंग हो। अनसीक्योर्ड लोन्स के बारे में उन्होंने कहा कि उसके एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं है और फिर वह चीज लाये कि २५० रुपये से कम के मालगुजारों के लिये डेट स्केल डाउन कर दिया जाय। गवर्नमेंट ड्यूज के मुताल्लिक भी उन्होंने कहा कि उनको भी स्केल डाउन कर दिया जाय। पब्लिक सोसाइटीज ड्यूज और पब्लिक बैंक ड्यूज वगैरह के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि इनको स्केल डाउन कर दिया जाय लेकिन उस हद तक किया जाय जिस हद तक कि मुआविजा का रूपया हासिल हो और बाकी को राइट आफ कर दिया जाय। तो वह पालिसी काफी सोचने और समझने के बाद कायम की गई थी। इसमें काफी अर्सा भी लगा और काफी इसके मुताल्लिक ऐवीडेंस ली गई। उसके बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे उससे यह पालिसी जो आज इस बिल में अपनाई जा रही है बिलकुल खिलाफ है। जो पालिसी आपने उस समय मानी थी जिस वक्त आपने उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पेश किया था और उसके बाद जबकि रूल्स आपने हाउस के सामने पेश किये उस वक्त भी आपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट को इससे अलग कर दिया। मैंने उसे गौर से पढ़ा और समझता हूं कि इसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हो सकतीं। उसके बाद मैंने रूल्स भी देखे। और रूल्स के नक्शे भी देखे। आप जमींदारी अबालिशन फार्म ४४ और उसके बाद जमींदारी अबालिशन फार्म २६ को भी देखेंगे तो आपको उनके देखने से मालूम होगा कि उनके जो नक्शे बनाये गये हैं उनके हेडिंग्स के जरिये से गवर्नमेंट की यह कतई मंशा नहीं मालूम होती कि कोई रकम रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से डिडक्ट की जाय। मैं आज यह पूछता हूं कि गवर्नमेंट ने एक पालिसी हमारे सामने रखी तो फिर आज उस पालिसी से अलहदा जाने और इस नये बिल में दूसरी पालिसी रखने की क्या जरूरत महसूस हुई कि उस पालिसी से अलहदा होकर चलें जिस पालिसी को उन्होंने बड़े गौर व खोज के साथ हमारे सामने रखा था। उस पालिसी को आज बदलने की कोई वजह मालूम नहीं होती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि गवर्नमेंट चन्द कर्जदारान के कर्ज को सिक्योर करने की वजह से पब्लिक फन्ड्स को क्यों खत्म करने की सोच रही है ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जो मंशाये बिल है वह फौत हो जाती है इसलिये फौत हो जाती है कि जो रिहैबिलिटेशन के लिये दिया जाना है वह रुपया उनके पास नहीं पहुंचेगा जिनके पास कि वह पहुंचना चाहिये और वह रुपया दूसरी जगह चला जाता है। फिर यह सिर्फ किताबी जमाखर्च रहता है आपको यह सोचना चाहिये कि यह रूपया जायज हकदार के पास पहुंचना चाहिये। ऐज ए मैटर आफ फैक्ट आप अपनी पहिली पालिसी से दूर जा रहे हैं। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वे इस पर नजरसानी फरमायें। मैं जानता हूं कि वह एक रीजनेबिल इंसान हैं, जिद नहीं करते हैं। अगर गौरो व खौज के साथ वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई चीज जायज है तो वे उसको मान लेते हैं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि Justice इक्विटी और गुड़ कान्शेंस की बिना पर वे इसको मंजूर फरमा लें। मैं समझता हूं कि यह एक रीजनेबिल चीज है। एक ऐसी उम्दा और जरूरी चीज है कि आनरेबिल मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि उनका यह कहना कि चूंकि अरेस्ट का प्रावीजन सिविल प्रोसीजर कोड में है इसलिये यह प्रावीजन नहीं रखना चाहिये ठीक नहीं है। मान लीजिये कि उसको १० हजार रुपया मिलता है तो फिर यह तो उसका आखिरी सहारा है।

अध्यक्ष---आप यह तो पहिली बातों को दुहरा रहे हैं। उनके बारे में तो आप मिनिस्टर साहब को अपील कर ही चुके।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं समझता हूं कि इससे मेरी अपील को जोर मिल जायगा। जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अब जेल में जाने पर

पहिले से अच्छा बरताव तो जरूर होगा ही कम से कम उस बरताव से जो बरेली सेंटर जेल में हुआ। जब मुल्क के लिये कुरबानी की है तो बालबच्चों के लिये ३ महीने की कुरबानी कर दूं तो क्या हर्ज है। मेरी जो च्वाइस है उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। जब आल्टरनेटिव है तो किसी खास आल्टरनेटिव के लिये पाबन्दी या रेस्ट्रिक्शन की क्या जरूरत है। आप उस आल्टरनेटिव को खुशी के साथ मंजूर करने दें। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि वे इस पर गौर फरमायें। उनसे मैं फिर अपील करूंगा कि वे अगर यह समझें कि ईक्विटी, जस्टिस और गुड कांशेंस (साम्यत, न्याय और सद्विवेक) अगर डिमांड करती है तो उसको मंजूर फरमायें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि ख्वाजा साहब की इस मुदल्लल तकरीर सुनने के बावजूद मैं जहां था वहां का वहां ही हूं। मैं बहुत मुख्तसरन कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक मार्क्स की बात है कि मनीलेंडर्स और दूसरे कैपिटलिस्ट्स और जमींदारों में कोई भेद है या नहीं है, तो कैपिटल वाल्यूम ३ पेज ७४८ का एक कोटेशन जो मैंने अपनी किताब में दिया है, वह कैपिटल तो मेरे पास नहीं है लेकिन उसका पूरा हवाला मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह कहता है—

" and the capitalist performs at least an active function himself in the development of surplus money and surplus production but the landlord does only capture a grand share in the surplus produce and the surplus value created without his assistance."

[और पूंजीपति कम से कम स्वयं अतिरिक्त धन तथा अतिरिक्त उत्पादन में सक्रिय भाग लेता है किन्तु जमींदार अतिरिक्त उत्पादन में और अतिरिक्त अर्थ में यथेष्ट भाग हड़प लेता है जो उसकी सहायता के बिना उत्पन्न होता है।]

जिसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम पूंजीपति कुछ तो सेवा करता है, पैदावार के बढ़ाने में कुछ तो हिस्सा लेता है। यह मोटा सा अर्थ हुआ। जब कि जमींदार, जो भी खेत में पैदा होता है वह उसकी बिना मदद के पैदा होता है, और उसमें से हिस्सा बटा लेता है।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं, यह कोई बहुत संगत तो नहीं है उसके साथ, इसीलिये मैं इसकी बहस की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—एक प्वाइण्ट आफ इनफारमेशन, सर।

अध्यक्ष—अगर मार्क्स के सिद्धांतों के सम्बन्ध में कोई बात है तो मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री चरणसिंह—मैंने केवल इतना कहा था कि पूंजीपतियों से जमींदारों में यह विशेषता है कि वे समाज की कुछ भी सेवा नहीं करते हैं जबकि पूंजीपति कुछ न कुछ तो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना है कि लैन्डलार्डस और दूसरे कैपिटलिस्ट्स एक ही स्तर के हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे साफ जाहिर है कि कम से कम मार्क्स साहब की राय चाहे कोई मानता हो या न मानता हो, उनकी राय में जमींदार सबसे रद्दी किस्म के हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक सा मान लिया जाय। मनीलेंडर्स को भी और लैंडलार्डस को भी, जमींदार को भी और लेनदेन करने वाले साहूकार को भी। आपकी राय में दोनों एक से हैं। भले या बुरे दोनों को एक सा मान लिया जाय इसकी कोई वजह नहीं है। मेरी राय में एक तो कारण यह भी है कि जितना हम जमींदार का पक्ष देखते हैं तो हमें साहूकार का भी कुछ पक्ष देखना है। आपने जितनी भी बातें कहीं वे सब जमींदारों की कठिनाइयों की कहीं, साहूकारों की बातें नहीं कहीं, न उनके दुख

[श्री चरणसिंह]

व संकट की आपने कल्पना की । आपकी बहस में एक बार भी साहूकारों के बारे में, जिस आदमी ने अपना रुपया दे दिया है उसकी दिक्कतों का कुछ भी उल्लेख, कुछ भी जिक्र नहीं आया। और फिर साहूकार के माने यह नहीं हैं कि कोई बाकायदा मनीलेंडिंग करता हो वही आदमी कर्जा देता है। हम सब लोग जानते हैं कि देहातों में आपस में एक दूसरे को कर्जा देते हैं। खेती कर रहे हैं लेकिन हजार दो हजार रुपये एक दूसरे को दे देते हैं। तो जिस आदमी ने अपना पेट काट कर दूसरे को किसी दिक्कत के मौके पर रुपया दिया है उसके लिये आप यह कहते हैं कि उसे एक पाई भी नहीं मिलना चाहिये। अगर यह होता कि तीन-चौथाई मिले एक-चौथाई छोड़ दिया जाय तो भी आपकी बहस कुछ समझ में आ सकती थी लेकिन आपकी बहस में तो तीन-चौथाई और एक चौथाई का जिक्र भी नहीं है।

अब देखना यह है कि ....

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, जरा मुखातिब इस तरफ हो जायं। बात यह है कि उनको देखकर कहा जा रहा है कि आप ऐसा कहते हैं और आप ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह अधिक हो रहा है।

श्री चरणसिंह--हां, हो तो अधिक रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी तरफ देखूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स यानी सुरक्षित और असुरक्षित कर्जे के अन्दर कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। लेकिन अन्तर तो साफ जाहिर है कि असुरक्षित कर्जे या जो सादे कर्जे होते हैं वह किसी जायदाद विशेष पर नहीं होते। वह सारा कर्जा जायदाद से उस मकरूज की या उसकी किसी जायदाद विशेष के किसी जुज से वसूल किया जा सकता है जब कि सुरक्षित कर्जे जिसको सिक्योर्ड डेट्स कहते हैं वह इन दि फर्स्ट इन्स्टान्स केवल उससे ही वसूल हो सकते हैं कि उसकी जायदाद मकफूल है। अब हमारे बिल की स्कीम जो है वह मैं समझता हूं कि उसके समझने में लोग गलती करते हैं इसलिये इधर-उधर की बहस हो जाती है। बिल का उसूल यह है कि जो जायदाद जमींदार की ली गई और उस पर जो कर्जा था उस जायदाद के ऊपर था वह घटा दिया गया उस तनासुब से जिस तनासुब से कि कीमत उस जायदाद की घट गई है। और वह कीमत मुआविजे की सूरत अख्तियार करने के बाद घट गई है। अब सुरक्षित कर्ज को तो हम कह सकते हैं कि जायदाद पर था जमीन पर था इतने गांव पर था और इसकी कीमत पहले थी और इतना उसका मुआविजा हुआ। हमने उस कर्ज को घटा दिया और इसलिये हम कहते हैं कि उस मुआविजे में से ले लिया जाय लेकिन जो सादा कर्जा है वह तो किसी जायदाद पर नहीं है लिहाजा उसके घटने का सवाल नहीं होता। इसलिये हम इसमें सादे कर्ज के घटाने की नीति नहीं रखते और इसलिये उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह कर्जा जायदाद पर नहीं था क्योंकि वह सादा कर्जा है और चाहे जिस जरिये से वसूल हो सकता है। तो एक तो सादा कर्जा और किफालत का कर्जा दोनों में यह मोटा सा फर्क है कि वह किसी जायदाद खास पर नहीं होता और यह जायदाद विशेष पर होता है। जिस जायदाद खास पर किफालती कर्जा लिया गया है उसकी कीमत घट गई इसलिये उसके कर्ज को घटा दिया लेकिन सादा कर्जा किसी जायदाद विशेष पर नहीं लिया गया था इसलिये उसके घटने का कोई सवाल उठता नहीं था लेकिन हमने फिर भी घटाया। फिर दूसरा फर्क इस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का यह है कि मान लीजिये कि सिक्योर्ड डेट दो जायदादों पर है एक स्टेट की और एक नान स्टेट की और आस्थान जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन लिया गया उसमें फांट उसी तरह से हो सकती है जिस तरह से कानून इंतिकाल जायदाद ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफा ८२ में मार्शल होती हैं। लेकिन सादे कर्ज में कैसे फांट होगी उसमें फांट नहीं हो सकती। पहले जो फर्क बतलाया गया था उसके

जेल में यह आता है। वह तो सिर्फ जमीन से वसूल हो सकता था उसकी दुकानदारी से वसूल हो सकता था, मुआविजे को नीलाम करके वसूल हो सकता था, फसल को कुर्क करके करा सकता था कोई और सामान या मोटर और हाथी हो तो वह कुर्क कराके हो सकता था तो सादे कर्ज में कर सकते हैं लेकिन जो जायदाद जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अधीन ले ली गयी लिहाजा इस कर्ज का इतना जुज घटा दिया जाय। वह भी इस में नहीं हो सकता क्योंकि किसी जायदाद खास से है नहीं और यह नहीं कहा जा सकता कि इतना जमीन पर है और इतना दूसरे सामान से लिया जा सकता है। तो इसलिये इन दोनों में फर्क है। फिर भी हमने किया यह कि अगर वह शख्स यानी डिग्रीदार मुआविजे से ही रुपया वसूल करना चाहता है तो जो इनकमवर्ड एस्टेट्स ऐक्ट में गुणक होता है उसका तनासुब जो आठ से होगा उतना ही गुना उसका कर्जा घट जायगा। मतलब यह कि छः सौ रुपया कर्जा एक आदमी पर है और मुआविजा और अनुदान उसको मिला है सौ रुपया। इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट का उसमें मल्टिपिल ४० है तो पांच गुना जायदाद की कीमत उस मुआविजे की जो मुआविजा उसको मिला है अगर १०० रुपये के खिलाफ प्रोसीड करना चाहता है तो ५ सौ रुपये की बेबाकी दर्ज कर दी जायगी। तो इतना दफा ९ आगे चल कर कहती है।

माननीय सदस्य का संशोधन अगर मान लिया जाय, आप यह कहते हैं कि १०० रुपये न लीजिये ७५रु०लीजिये और ७५ कुर्क हो जाय। तो ७५ पंचे पौने चार सौ आप बेबाक कर दीजिये। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था पहली बात यह है कि जिस आदमी का सादा कर्जा है उसको कैसे मजबूर करेंगे कि अनुदान और प्रतिकर के खिलाफ कुर्की कराये। वह हाथी या फसल कुर्क करवायेगा। आप उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि ६ सौ रुपये की फसल कुर्क करवाता है तो ६ सौ वसूल होंगे और अगर अनुदान के खिलाफ जाता है तो ६ सौ में पांच सौ बेबाक हुआ लिखा जायगा। लेकिन सीक्योर्ड डेट में हाथी और फसल या कोई और चीज नीलाम करवा नहीं सकता। वह जायदाद के खिलाफ जाता है और अब जायदाद सब्स्टिट्यूटेड सीक्योरिटी के तौर पर है, केवल अनुदान और मुआविजे के खिलाफ चल सकता है। तो हमने कर दिया, वह और चीज से वसूल नहीं कर सकता, कि तीन चौथाई ले सकता है। लेकिन चाहे हम तीन चौथाई या आधा कर दें, लेकिन हम जो सादा कर्जख्वाह है उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं वह प्रतिकर या अनुदान के खिलाफ ही पहले प्रोसीड करे और जो रेमिडीज ओपेन हैं उनके खिलाफ प्रोसीड न करे। जब दूसरी रेमेडीज ओपेन हैं तो वह गिरफ्तार करा सकता है नहीं प्रतिकर के खिलाफ जाता है तो कैसे आप मजबूर करोगे? आप छः सौ रुपया दोगे या यह कहोगे कि पांच सौ वह काटो और १०० लो। आप अपनी फसल बचाने के लिये या गाय भैंस बचाने के लिये या मोटर हाथी बचाने के लिये आप छः सौ का छः सौ दोगे। लेकिन अगर सादा कर्जख्वाह है, अगर उसको कोई जायदाद नहीं मिलती है तब वह इस पर जायगा कि प्रतिकर और अनुदान के खिलाफ जायगा।

और तब हमने यह किया है कि वह सारा ले सके और उस सूरत में पांच गुना तक उसकी बेबाकी हो जायगी। आप यह कहते हैं कि नहीं पौन गुना ले सके। तो जैसी कि मैंने मिसाल दी पौने चार सौ की बेबाकी होती और पूरा लेता है तो पांच सौ की बेबाकी होती। तीन-चौथाई लेंगे तो सवा दो सौ रुपया खड़ा रहता है और पूरा लेंगे तो केवल सौ रुपया खड़ा रहता है। पचीस के बजाय सवा सौ की बेबाकी होती है। ऐसे केसेज बहुत कम होंगे जब कि किसी भी जमींदार के पास सिवा इस मुआविजे के कुछ न बचा हो। तो इसलिये यह सादे कर्ज में और इसमें यह कनफ्यूजन हो रहा है। और यह केवल इसीलिये हो रहा है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस बिल का मकसद केवल यह है कि जितनी जायदाद जिस आदमी की ली गयी उस पर जो कर्जा है उस कर्ज पर हम इतना घटा रहे हैं। सादा कर्जा जो है वह किसी जायदाद विशेष पर नहीं और इसलिये उसके घटाने का एक प्रकार से सवाल होता नहीं। लेकिन फिर भी हमने उसको रिआयत के तौर पर यह चीज रख दी।

[श्री चरणसिंह]

अब मैं एक दूसरी चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कल कुछ बंगाल का जिक्र किया था कि वहां तो यह किया गया कि आधा ही कम्पेंसेशन ले सकते हैं कर्ज-ख्वाह। आधा तो ले सकता है लेकिन क्या वहां कुछ घटाने की बात भी है? अव्वल तो वहां बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वहां कहीं घटाने की बात है? यहां तो ६०० रुपया कर्जा है और १२० रु० घटा है और ३,००० आपको अनुदान और कम्पेंसेशन मिलता है। तो आप ६०० रु०नहीं ले सकते, १२० रु०ही ले सकते हैं। मैं यह समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि माननीय ख्वाजा साहब को कोई भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ती, इतनी जोशीली तकरीर देने की, अगर इस बात को मद्देनजर रखते कि कर्जा जो असर्टेन होकर आया पहले कानून के मुताबिक जो घटा उसको भी हमने १/५ तक घटा दिया। इसको मैं जानना चाहूंगा कि इसकी कहीं और मिसाल है, हमारे देश के और सूबों में या दूसरे मुल्कों में? कहीं कोई मिसाल नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि दाद देनी चाहिये और बहुत सी बातें चीन और बंगाल की बतला गये। तो बंगाल की बातों का जवाब तो मैं दे चुका। वहां तो यह है कि ६०० रु० कर्जा है तो ३०० रु० तक ले सकता है। हमारे यहां है कि ६०० रु० कर्जा है तो १२० रु० होगा, बहुत से मामले में, बहुत सी जगह १२५ रु० हो जायगा। मैं फिर दोहराता हूं कि जो मुआविजा और अनुदान की रकम उस १२० रु० से और ६०० रु० से कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। फिर हमने एक दूसरा प्रतिबन्ध लगा दिया कि अगर ६०० रुपया जिसका कर्जा था, वह १२० हुआ और अनुदान और प्रतिकर जो था वह सौ हुआ यह मान लें तो हम कहते हैं कि १२० रु० में सौ नहीं ले सकता ७५ रु० ही ले सकेगा। तो दो तरह से घटा। अगर मुआविजा और अनुदान उसका कम है तो कर्जा घटा और फिर हमने लिखा कि इससे ज्यादा वसूल नहीं हो सकता। सादे कर्ज में यह बात है कि सौ के सौ ले सकता है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया वह सादा कर्जख्वाह अव्वल तो चाहेगा नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़ कुर्क करायेगा, वह कैसे मजबर कर सकता है? उसका कर्जा तो जायदाद पर था नहीं।

अब रही चीन वगैरा की बात। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया वह कोई बात तुक की यहां लगती नहीं थी। वहां जमींदारी कैसे खत्म की गयी? कुछ थोड़े से ४०/५० आर्टिकिल्स हैं जो उसूल के तौर पर बखान किये गये हैं। वहां कानून ऐसे नहीं बनते जैसे यहां हमारे यहां बनते हैं कि एक एक बात पर बहस होती है और अदालतों में एक एक प्वाइण्ट पर नुक्ताचीनी होती है। वहां तो अपनी पार्टी की मर्जी पर छोड़ देते हैं और कर्जा वगैरह का जरा भी जिक्र नहीं है। दूसरे सोशलिस्ट कंट्रीज के बारे में कहा गया। तो रूस और चीन को तो आप अलग कर ही रहे हैं और जहां जमींदारी ली गयी, वहां मुआविजे दिये गये और कर्ज वहां थोड़े बहुत घटे होंगे। लेकिन मैंने ऐसा कानन कर्ज के सिलसिले में पढ़ा नहीं है कि कहीं ऐसा कानून बना हो। मैं अपनी मोटी अक्ल से कहता हूं कि जितनी रिआयत इस कानून में की गयी है उससे उनको और उनके वकीलों को तसल्ली न हो तो सिवाय बदकिस्मती के और क्या कहा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करूंगा।

अध्यक्ष—क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, जरूर वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय —

"किन्तु ·ध यह है कि २५० रुपये या इस से कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा।"

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—आन प्वाइण्ट आफ आर्डर *मैं श्रीमान् का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि संभवतः श्री रामनारायण त्रिपाठी* ने एक संशोधन इस सदन के सामने इस आशय का उपस्थित किया था कि प्रतिकर की परिभाषा से पुनर्वासन अनुदान निकाल दिया जाय। तो उसका आशय यह था कि पुनर्वासन अनुदान से कर्जा वसूल नहीं होगा और इसी आशय को लेकर काफी बहस हुई और इस भवन ने इस बात को नामंजूर कर दिया यानी पुनर्वासन अनुदान को प्रतिकर की परिभाषा में रखा। उनकी यह दलील थी कि पुनर्वासन अनुदान प्रतिकर न माना जाय और उस दलील का आशय यह था कि प्रतिकर नहीं माना जायगा तो उससे कर्जा वसूल नहीं हो सकेगा। चुनांचे उनकी इस दलील को इस भवन ने अस्वीकार किया और इस संशोधन के जरिये वही बात कही जा रही है कि पुनर्वासन अनुदान से कर्जा निष्पादित नहीं हो सकेगा। तो बात वही है, केवल जगह भिन्न है और शब्द जरा दूसरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह संशोधन अवैधानिक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—चेयरमैन महोदय, माननीय सभा सचिव जी ने जो बात कही वह बहुत अंशों में सही है लेकिन मेरा जो संशोधन था वह इस विधेयक की परिभाषा में था। अगर विधेयक की परिभाषा में कोई संशोधन गिर जाता है तो असली जगह पर वह दोबारा मूव किया जा सकता है क्योंकि परिभाषा विधेयक का कोई विशेष अंग नहीं है। मेरा संशोधन वहां गिर गया और परिभाषा जो इसकी है उसके बावजूद भी यहां इस धारा से संशोधन का संबंध है इसलिये यह संशोधन यहां पेश किया जा सकता है।

श्री चरणसिंह—मैं जरा यह जानना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य कैसे कहते हैं कि परिभाषा विधेयक का अंग नहीं होती या किसी अधिनियम का अंग नहीं होती। यह माननीय सदस्य किस कानून के आधार पर कहते हैं।

अधिष्ठाता—मैंने वह संशोधन मंगाया है, उसको देख लूं।

श्री चरणसिंह—यह तो वे स्वीकार करते हैं लेकिन बात यह कहते हैं ....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चेयरमैन महोदय, मैंने यह बात कही कि मेरा संशोधन गिर जाने के बाद भी और जैसी विधेयक की परिभाषा है उसके बाद भी यह संशोधन संगत है और यह पेश किया जा सकता है।

अधिष्ठाता—मैं देखता हूं संशोधन, उसके बाद बताऊंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो माननीय मौर्य जी ने अभी प्वाइण्ट आफ आर्डर उठाया है वह तो खुद ही बिलकुल बे बुनियाद है चूंकि पुनर्वासन अनुदान की परिभाषा अगर माननीय त्रिपाठी जी की नामंजूर हो चुकी है तो. दूसरी परिभाषा माननीय मंत्री जी की विधेयक में मौजूद है। तो यह संशोधन किस प्रकार अवैधानिक है ?

अधिष्ठाता—**मैं समझता हूं कि श्री रामनारायण जी ने पहले जो संशोधन पेश किया था वह संशोधन और यह संशोधन जो आज पेश हुआ है एक ही से हैं और वह संशोधन जब गिर गया तो यह संशोधन जो आज पेश हुआ है अवैधानिक है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।**

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं जिसके शब्द ये हैं:—

खंड ८ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय।

[श्री भगवान सहाय]

श्रीमन्, अगर इस उपखंड को हम पढ़ें तो इसके शब्द ये हैं--

"उक्त डिक्री यह समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, वन्धक किये हुये आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासिन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। मैं श्रीमन्, का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समय जैसा मैंने अर्ज किया था कि जो उनका संशोधन था कि पुनर्वासिन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा वह गिर गया और जो श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन था कि कोई डिक्री पुनर्वासिन अनुदान से निष्पादित नहीं हो सकेगी वह भी भवन ने अस्वीकार कर दिया। तो श्री भगवान सहाय जी के संशोधन में भी वही बात आती है उनका संशोधन यह है कि भाग (ख) को निकाल दिया जाय। यानी इसका अर्थ यह होगा कि पुनर्वासिन अनुदान निष्पादित नहीं हो सकेगा। तो यह बात इस भवन ने अस्वीकार कर दी है। इसलिये श्री भगवान सहाय जी का यह संशोधन अवैध है।

अधिष्ठाता--श्री भगवान सहाय जी ने जो अपना संशोधन पेश किया है वह मैं वैधानिक समझता हूं और जो आपने दलील दी है वह मुझे ग्राहय नहीं है।

श्री भगवान सहाय--श्रीमन्, सब से पहले मुझे यह अर्ज करना है कि पुनर्वासि अनुदान के माने क्या हैं। असल में बात यह है कि हम कानून तो इस सदन में हिन्दी में बनाते हैं लेकिन निफाज़ अदालतों में अंग्रेजी में होता है। इस लिये श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से रिहैबिलिटेशन के माने अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी आफ दि इंग्लिश लैंगुवेज में दिया हुआ है। रिहैबिलीटेशन के माने श्रीमन् यह हैं जो Funk and Wagvalls, New tandard of English Language नई डिक्शनरी में इसके माने दिये हुये हैं कि--

"Rehabilitate....to restore to former status, capacity, life, rank or privilege, to reinstate as of a social outcaste in Scottish and French law. In south African Bankruptcy law, to discharge from liability. Rehabilitation means the act of reinstating to former state of the rehabilitated."

[पुनर्वासिन--पहली हैसियत, क्षमता, जीवन, पद या विशेषाधिकार पुनः प्राप्त करा देना, सामाजिक जातिच्युत को पुनः स्थापित कर देना जैसे स्काट लैंड या फ्रांस के कानून में, दक्षिण अफ्रीका के दिवालिया कानून में दायित्व से मुक्त करना। पुनर्वासिन का अर्थ पुनर्वासित को पहली अवस्था में पहुंचा देने की क्रिया है।]

श्रीमन्, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम इसको रिहैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेट के टर्म्स में सोचते हैं तो देखते हैं कि इस उपखंड को रखने से हमारे रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने के सारे माने खत्म हो जाते हैं। जिस उसूल को मानकर हम ग्रांट देते हैं वह सब खत्म हो जाता है। क्योंकि ग्रांट दी जाती है यह हमने मान लिया है कि जमींदार को उसकी रोजी से हमने वंचित कर दिया है और उसकी रोजी जो हमने ली उसके लिये हमने उसको मुआविज़ा दिया। हमने यह ग्रांट सिर्फ उनको दी है जो कि छोटे जमींदार हैं उनको ज़रिया माश खोजने के लिये यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी है। यह उसूल हम तय कर चुके हैं और इसी उसूल को मानकर श्रीमन्, हमने बड़े जमींदारों को यह ग्रांट नहीं दी है। क्योंकि हमने समझा कि उनको जो मुआविज़ा मिल रहा है उससे वह अपना ज़रिया माश खोज सकते हैं।

दूसरे कल हमारे माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया था कि अगर इस विधेयक से नुक्सान है तो कर्जा देने वाले को है। मैंने इस बात को बहुत गौर से सोचने की कोशिश की और

कोशिश की समझने की लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। सवाल यह है कि जब आपने एक तबके को उसकी आमदनी करने के स्थान से वंचित कर दिया लेकिन देखना यह है कि उसमें ताकत है इस बात की कि वह इस रुपये को दे सकता है या नहीं। श्रीमन्, तमाम सभ्य मुल्कों के अन्दर इसी उसूल को माना गया है कि रियासत उन कर्जों की अदायगी जिनको कर्जदार देने के काबिल नहीं है उसकी अदायगी रियासत न कराये। यह उसूल तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज में माना गया है।

अब देखना यह है कि जमींदार की इतनी कपेसिटी है कि वह कर्जा दे सकता है या नहीं। यह कहा गया है कि उसने बटेर लड़ाने के लिये लिया हो या तीतर लड़ाने के लिये लिया हो या किसी भी काम के लिये लिया हो कर्जा उसने लिया और कर्जदाता ने दिया उसकी अदायगी की ताकत को देखकर और जब अदायगी का स्थान हमने खत्म कर दिया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसकी अदा करने की ताकत को हमने खत्म कर दिया। इसी बात को देख कर, इसी मसले को सोचकर हमें तय करना है कि यह उसूल रखा जाय या नहीं।

मिसाल के तौर पर मैं यह कहता हूं कि जब उसका मुआविजा और पुनर्वासन दोनों को देखकर वह इतना हो कि जो उसकी कीमत से किसी भी हालत में बराबर न हो। हम मानें कि अगर उसकी एक लाख रुपये की जायदाद थी और कर्जा था ५०,००० रुपया। तो फिर जायदाद खत्म होने के बाद उसको मुआविजा मिलेगा २० हजार रुपये जैसा कि माननीय माल मंत्री ने अभी बतलाया।

श्री चरणसिंह—मैंने कब कहा २० हजार मुआविजा मिलेगा। मैंने तो यह कहा था कि १ लाख की जमींदारी है और ५० हजार रुपये कर्ज है तो अगर उसमें से १० हजार रुपये भी न लिये जायें तो कितने लिये जायं। मुआविजा १ लाख पर क्या मिलेगा इसके बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं।

श्री भगवान सहाय—जो मुआविजा मिला वह कर्जे की कीमत से कम है। अगर केलकुलेट करेंगे तो बहुत से केसेज में कर्जे के एमाउंट से वह कम होगा तो जो बाकी कर्जा रह जाता है। उसमें हम पुनर्वासन अनुदान ले लें यह तो ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि बहुत से जमींदार कर्जा लेते थे और अपनी जमींदारी की आमदनी से धीरे धीरे अदा करते थे जमींदार की आमदनी अब खत्म हो गई। इसलिये हम मान भी लें कि मुआविजे में अदा हो लेकिन जो रिहैलिबिटेशन ग्रांट है उससे अदायगी हो जाय यह बात समझ में नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमींदारों ने कुछ किया हो, उनके पुराने तरीके कुछ भी रहे हों लेकिन हम लेजिस्लेटर्स की हैसियत से वे ही हैं जो एक डाक्टर की होती है जो आपरेशन करते वक्त जब टेबिल पर जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि जिस पेशेन्ट का वह आपरेशन कर रहा है वह बदमाश था या भला आदमी था। उसके सामने एक ही उद्देश्य रहता है और वह यह कि उसके रोग का उपचार किया जाय और अगर जरूरत होती है तो वह उसको अंगविहीन भी करता है लेकिन किसी वैमनस्य की वजह से नहीं बल्कि एक जरूरी फर्ज की अदायगी में वह ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें लेजिस्लेटर्स की हैसियत से यह नहीं देखना है कि जमींदारों के फेल क्या रहे हैं हमें तो इस मामले को इन्साफ की नजर से देखना है। फिर सबसे पहला सवाल यह है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट हम रिफ्यूजीज को दे रहे हैं जो पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल से आये हैं। उनको बसाने के लिये रियासत उनको रुपया देती है। उसी उसूल के मातहत हमने जमींदारों को रुपया दिया है तो श्रीमान्, मैं यह समझता हूं कि यह जमींदारों की रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट को अटैच करना न्यायोचित नहीं है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा

[श्री भगवान सहाय]

कि वह रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट को इसमें से निकाल दें क्योंकि इसको छोड़ कर वह उसी उद्देश्य का पालन करते हैं जिस उद्देश्य से उन्होंने रिहैबिलिटेशन ग्रांट जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के मातहत दी।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता, मुझे खेद है अपनी नाकाबिलयत पर कि तीन दिन मुझे समझाते हो गये कि जमींदारों का ऋण किस तरह कम होगा लेकिन मैं, अभी तक समझा नहीं पाया। पेश्तर इसके कि मैं कर्जा कैसे घटेगा उसके बारे में कुछ अर्ज करूं मेरी प्रतिक्रिया जो इस संशोधिन पर और व्याख्यान को सुनकर हुई वह यह है कि "एक शुद न दो शुद।" संशोधन का जो उद्देश्य था वह तो यही था कि ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार की अनुदान से कर्जा वसूल न किया जाय लेकिन मेरे मित्र का संशोधन यह है कि चाहे कितना बड़ा जमींदार हो पुनर्वासिन अनुदान को छुआ न जाय।

श्री भगवान सहाय--सब जमींदारों को तो आपने पुनर्वासिन अनुदान दिया भी नहीं है।

श्री चरणसिंह--४२९ जमींदार ऐसे हैं जिनको पुनर्वासिन अनुदान नहीं मिला है। ४२५ को नहीं मिलेगा और बाकी २० लाख को पुनर्वासिन अनुदान मिलेगा। अगर २० लाख को मिले और ४२५ को नहीं मिले तो कोई बेजा बात नहीं है और अगर इसके मुताल्लिक मैं यह कहूं बहुतों को मिला है तो बेजा न होगा। आपका कहना यह है कि किसी जमींदार का पुनर्वासिन अनुदान वसूल न किया जाय। कल सदन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और मैं यह समझता हूं कि सदन इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं करेगा। जो बातें इसके सम्बन्ध में कल कही गई थीं उनको मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट के बारे में रिहैबिलिटेट शब्द के असल मायने किसी डिक्शनरी में देखने से कोई फायदा नहीं है। रिहैबिलिटेशन की डैफिनिशन हमारे उस ऐक्ट में दी हुई है और उसी से हमारा मतलब है। उस वक्त हमको कोई दूसरा शब्द नहीं मिला इसलिये यह शब्द रख दिया गया। जैसा मैंने कहा था कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन में कोई फर्क इसकी असलियत में नहीं है। टैक्नीकल या कानूनी केवल अन्तर है। जमींदारी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट में उनको गिनाया हुआ है जो २ से लेकर २५ गुना तक हस्ब हिसाब जमींदारों को दिया जायगा। वैसे रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट और कम्पेन्सेशन में कोई फर्क नहीं है। इसलिये किसी और सूबे में जहां पर जमींदारी को खत्म किया गया है वहां पर यह तफरका नहीं किया गया। हमने जो किया है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया कि ऐसा करने में कम से कम हमने बेवकूफी नहीं की बल्कि कुछ हल्कों में यह कहा गया कि हमने ऐसा करने में बुद्धिमानी की। जिस वक्त यह लैंड रिफार्म ऐक्ट ड्राफ्ट किया जा रहा था उस वक्त यह कठिनाई सामने आई कि मान लीजिये एक मुहाल है और उसमें महाराजा बलरामपुर का भी हिस्सा है और किसी १० रुपये के मालगुजार का भी हिस्सा है। अब जमीन के हालात और दूसरे हालात सब यकसां और कानूनी भी एक लिहाज मगर जो हिस्सेदार १० रुपये वाला मालगुजार है उसको तो २५ गुना मिलेगा और महाराजा बलरामपुर को दुगुना या ८ गुना मिलेगा तो बिफोर ला यह बराबरी नहीं हुई। इसलिये हमने यह किया कि जो कम्पेन्सेशन हम दे रहे थे उसके ऊपर यह समझा गया कि कुछ और दिया जाय और उसका नाम हमने रिहैबिलिटेशन ग्रांट रखा। केवल इसी बिना पर हमारा बिल वैलिड करार

हुआ और इसी बिना पर बिहार का जमींदारी अबालिशन बिल इनवैलिड करार हुआ। इसलिये रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट और कम्पेन्सेशन दो शब्द इस्तेमाल किये गये। वही मोटा अर्थ है और कोई फर्क रिहैबिलिटेशन और कम्पेन्सेशन में नहीं है। जहां तक कर्जख्वाह का सम्बन्ध है उसके लिये वह भी एसेट हैं। जजमेंट डेटर के लिये दोनों के लिये कोई फर्क नहीं है और कोई वजह नहीं मालूम होती है कि क्यों न उसकी रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट में से तीन बटे चार कर्जा वसूल किया जाय। फिर अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र ने मिसाल दी कि एक लाख की जायदाद और उस पर ५० हजार का कर्जा। तो जिसकी एक लाख की जायदाद है तो उसको २५, ३० हजार रुपया जरूर मुआविजा मिलेगा और ५० हजार का जो कर्जा है वह भी १० हजार तक घट सकता है और कहीं १५ हजार और २० हजार तक भी घट सकता है। मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ रेशियो निकलेगा लेकिन एक बटा पांच तक घट सकता है। मान लीजिये कि वह गोरखपुर डिवीजन की जायदाद थी वहां पर ७० फीसदी मल्टीपिल दिये हुये हैं इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट के मुताबिक। जब यह मल्टीपिल इन्कमबर्ड इस्टेट ऐक्ट के मातहत तय किये गये तो उन्होंने कोशिश की तो इसलिये सेलेक्ट कमेटी ने यह कहा कि इसकी एक अपर लिमिट रख दी जाय कि ४० तक का मलटिपिल लिया जाय और उसके ऊपर के हों तो वह न लिये जायं और ४० ही आखिरी हद मानी जाय। अगर वह जायदाद पूर्व के किसी जिले में है तो वह १।५ होगा और अगर मान लीजिये कि २५ हजार मुआवजा मिला तो आपका क़र्जा भी तो दस हजार बारह हजार या १५ हजार ही होगा। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि शिकायत क्या है?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—मैं एक प्वाइण्ट आफ़ इन्फ़ारमेशन लाना चाहता हूं। मैं जनाबवाला से यह अर्ज़ कर रहा था कि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि १३ मलटिपिल हैं वेस्टर्न अजला में और यहां १३।८ यानी वह आधा भी नहीं होता है और साथ ही इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी फ़िक्स नहीं की गई है। इस चीज को जरा साफ़ कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह—मैंने तो अपने आप ही अर्ज़ किया कि कहीं-कहीं १३ भी है। कहीं-कहीं एक दो परगनों में २३ भी है दातागंज या सहारनपुर में एक परगना है, बिजनौर में भी कहीं १७ है परगने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। १३ तो सिर्फ एक ही जगह पर है और बाकी आम तौर पर २४–२५ है और एक तिहाई तो किसी-किसी जगह हो जायगा। बाकी जगह में आधे के करीब होगा और वह कहीं-कहीं १।५ तक आ सकता है। मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि मुआवजा अगर क़र्ज़ से ज्यादा हो तो भी क़र्जा घट रहा है। जैसा कि माननीय ख्वाजा साहब ने कहा कि वहां भी मिनिमम लिमिट रखना चाहिये। जो लोग उदारता के साथ मनीलैंडर का पक्ष लेना चाहें वह कह सकते हैं कि क़र्ज़ से मुआवजा ज्यादा हो तो कर्जा बिल्कुल घटना नहीं चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि मुआवज़ा क़र्ज़ से जहां ज्यादा है तो भी वह घटेगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें इतनी उदारता बर्ती गई है कि हमारे मित्र श्री वीरेन्द्रशाह भी तस्लीम करते हैं कि इतना हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि शायद मेरे समझाने में ही कोई कसर रह जाती है और इसीलिये इस छोटे से बिल में ढाई दिन लग चुके हैं वर्ना इसे तो जय के नारों के साथ पास हो जाना चाहिये था।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—जो संशोधन अभी हमारे मित्र भगवान सहाय ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय

[राजा वीरेन्द्रशाह]

मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की तरफ से इस बिल के आने का सवाल है मैं कह चुका हूं कि उनका फ़र्ज़ था और जो कुछ किया है ठीक किया है, उसके लिये मैं बार बार सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह अनुदान रिहैबिलिटेशन के बारे में है, यह आपने उन्हीं को दिया है जो जमींदारी खत्म होने के बाद इस क़ाबिल नहीं रहेंगे, जितने छोटी आमदनी के लोग हैं तो आप इतना क़दम और बढ़ा सकते हैं और उनको इस क़र्ज़े से मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह कोशिश है कि मुआवज़े की रक़म ज्यादा है तो क़र्ज़ा नहीं घटना चाहिये। मेरी राय में उसूल तो यह होना चाहिये कि जिस तरह से जिस अनुपात से आपने हमारी जायदाद को घटाया है उसी अनुपात से क़र्ज़ा भी घटा दिया जाय। क़र्ज़े को उसी तरह से घटाना चाहिये जिस तरह से कि जायदाद की क़ीमत घटाई गई है। यह भी मालूम होना चाहिए। कि किस तरह से कर्ज लिया गया। आम तौर पर देहात में ऐसा हुआ है कि क़र्ज़ा का सूद को कम दिखाने के लिये सूद की रक़म सेठ साहूकारों ने पहले ही ले ली है यानी बजाय ३०० रु० के ५०० रु० का कागज़ लिखा लिया है। सारा सदन जानता है कि किस तरीक़े से ज़मींदारों पर क़र्ज़ा है और कितना पुराना है। जब सरकार हमारी जायदाद लेती है तो क़र्ज़े का भी पूरा भार उसे लेना चाहिये। इस संशोधन का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप कहते हैं कि ३।४ तक उसे छोड़ दिया जायगा तो १।४ के लिये भी तो यह कहने के लिये कर दीजिये कि वह पुनर्वासन अनुदान से नहीं कटेगा, इससे उन लोगों को सान्त्वना होगी। मंत्री जी भी कह चुके हैं उन्हें ज्यादा ग्रांट नहीं मिलेगी। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सिक्योर्ड डेट नहीं हैं वे ज्यादातर छोटे ज़मींदारों के ऊपर हैं। उससे उनको एक भय है और अगर आप उससे उनको मुक्त कर देंगे तो उनकी कुछ सहायता हो जायगी। आप बहुत कुछ आगे बढ़ ही गये हैं और थोड़ा सा क़दम बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे इस विनय को स्वीकार करेंगे और इस संशोधन को मानेंगे।

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)--माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे अफ़सोस है कि मुझे श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। रिहैबिलिटेशन ग्रांट की जो परिभाषा उन्होंने बताई उससे तो मैं इत्तिफाक़ करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह--अभी हमारी समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि वह इसका विरोध करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनका संशोधन तो यह था कि पुनर्वासन अनुदान बिलकुल क़र्ज़े में न लिया जाय। तो अब वह इसका विरोध कैसे कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)--अब समझ आ गई है।

श्री गेंदासिंह--हमें श्री नेकराम जी के कहने से पहले समझ थी और उसी के अनुसार हमारा संशोधन था। इस समय भी वही समझ हमारे साथ है लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर बैठे हैं जिनकी सूरत से देखने से गड़बड़ में पड़ जाते हैं। मालूम नहीं साथ होने से कितना नुक़सान हो जाता। हमारा संशोधन बहुत स्पष्ट था कि ढाई सौ रुपये से कम की मालगुजारी देने वाले या २५० रु० तक की मालगुजारी देने वाले जो भतपूर्व जमींदार हैं उनके रिहैबिलीटेशन की रक़म को इस क़र्ज़े के भार से मुक्त किया जाय। दुर्भाग्यवश न हमारे राजस्व मंत्री जी और न हमारे मित्र श्री नेकराम जी इसे समझ सके और यह न समझने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो डालनी नहीं चाहिये। मेरे इस मौजूदा संशोधन का विरोध करने के बहुत स्पष्ट कारण हैं। रिहैबिलीटेशन शब्द से यह कनफ्यूज़न पैदा हो सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जो कुछ भी माननीय

राजस्व मंत्री जी ने कहा । वह कनफ्यूज़न को बहुत बढ़ाने वाला है। कनफ्यूज़न को दूर करने वाला नहीं है मुझे जब कभी अवसर मिलेगा तो थोड़ी देर के लिये मौर्य जी के शब्दों को सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं रिहैबिलिटेशन ग्रांट के सम्बन्ध में उनकी राय बतलाऊंगा । जब कभी रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात आयी, जब कभी किसी किसान से १० गुना वसूल करने में शिकायत हुई उस समय सरकारी पक्ष की ओर से यही कहा गया कि यह पैसा बड़े ज़मींदारों, या ऐसे ज़मींदारों जिन्होंने किसानों के खून से अपनी ज़िन्दगी पाली है, उनकी बहबूदी के लिये लेना नहीं चाहते हैं बल्कि सरकार उस पैसे को इसलिये लेना चाहती है कि हमारे प्रान्त में २० लाख ज़मींदारों के परिवार हैं उनमें १७ लाख परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार किसानों की परिभाषा में मानती है, तथा उनको मुसीबतज़दा समझती है, अतः उनको आगे की ज़िन्दगी चलाने के लिये मदद में खर्च करना चाहती है । यह बोली बदली अब की मर्तबा। मैं नहीं समझता कि यह बोली किस लिये बदली। इसी के साथ-साथ मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि जब कभी हम यह कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट को क़र्ज़ के भार से मुक्त कर दिया जाय तो हम इस बात के कबूल करने में अपना फख्र समझते हैं कि हम प्रायः सम्पत्ति के विभाजन की बात किया करते हैं और उस बात पर बराबर ग़ौर किया करते हैं और यह समझते रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में संपत्ति का उचित रूप से बटवारा हो सके और इसीलिये २५० रुपये से ऊपर के लोगों की रिहैबिलिटेशन ग्रांट को भी हम क़र्ज़ के भार से मुक्त कराना नहीं चाहते । २५० रुपये से ऊपर के लोगों की रिहैबिलिटेशन ग्रांट कर्ज़ के भार से मुक्त कर दिये जाने के मानी यह होंगे कि जिस प्रकार हम कंपेंसेशन की बड़ी भारी रक़म उनके हाथ में दे रहे हैं उसी तरह रिहैबीलीटेशन ग्रांट के नाम पर एक गहरी रक़म देंगे। हमारा यह विचार है और पक्का विचार है कि यह रुपया जितने ही थोड़े हाथों में जायगा उतना ही उस रुपये का दुरुपयोग होगा और जितने ही ज्यादा लोगों के हाथ में जायगा उतना ही उसका ठीक ठीक उपयोग हो सकेगा । हम जानते हैं कि छोटे ज़मींदारों के हाथ में जितनी रकम जाती है अगर हम उसी अनुपात में देखें कि बड़े ज़मींदार जिनकी तादाद बहुत थोड़ी है उनके हाथ में बहुत बड़ी रक़म चली जाती है। अतः हमें इस बात का डर है कि उस रक़म से देश के लिये कोई उपयोगी कार्य नहीं हो सकता। हम यह नहीं कहते कि बड़े ज़मींदार कोई भला कार्य नहीं कर सकते परन्तु स्थिति के अनुकूल बनाने में मनुष्य को थोड़ी देर लगती है ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि २५० रु० के जितने भूतपूर्व ज़मींदार हैं उनके रिहैबिलिटेशन के सम्बन्ध में जो माननीय भगवान सहाय जी ने संशोधन रखा है उसको अस्वीकार कर दिया जाय। उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि उस संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो जो बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा किसानों का है, किसानों के घर से निकल कर सरकारी ख़ज़ाने में आता है। वह सारा पैसा अधिकतर ऐसे लोगों के पास जाता है जिन्होंने जीवन में बहुत ही अनुपार्जित धन पैदा किया है। यह इनकम जो है, मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि बड़े ज़मींदारों ने बहुत रकम पैदा की थी। आज भी उन भूतपूर्व ज़मींदारों के पास हमारी जो आज की हुकूमत है उसकी नीति के कारण बहुत ज्यादा तादाद में ज़मीन भी रह रही है। फिर रिहैबिलिटेशन की तो उनको आवश्यकता नहीं थी । रिहैबिलिटेशन तो जैसा कि हमारे माननीय

[श्री गेंदासिंह]

राजस्व मंत्री ने बतलाया कि वह उनका एक बहाना था रुपया देने का ज़मींदारों को। उन्होंने कहा और बहुत स्पष्ट कहा इस हाउस के सामने कि हमने सिर्फ दो नाम रखे थे। हमारा तो मकसद था कि हम ज़मींदारों को रूपया दें। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां थीं, ऐसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम कम्पेनसेशन दें या रिहैबिलिटेशन के नाम पर दें। इसलिये हमने कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन दो नाम करके जिसे देना चाहते थे उनको दे रहे हैं। हमारी बहुत स्पष्ट नीति है इस सम्बन्ध में कि अगर हम रिहैबिलिटेशन देते हैं तो हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट उनको दें जिन्हें कि रिहैबिलिटेट करना है। यह बहुत स्पष्ट बात है कि २५० रु० से कम के जो ज़मींदार हैं जिनकी तादाद १७,११,००० इस प्रदेश में है उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। ये १७,११,००० जो ज़मींदार हैं, अगर हम औसत आबादी मान लें, ५ आदमियों का एक परिवार मान लें तो करीब ८५, ९० लाख के ये सदस्य होते हैं। तो ८५, ९० लाख आदमियों के जीवन का प्रश्न आज हमारे सामने है। अगर आज हम ऐसी हुकूमत में होते तो हमें भी इस बात को सोचना पड़ता कि इन ८५, ९० लाख आदमियों को कैसे उनके आगे के जीवन को सुधारने का मौका दें। और फिर २५० रु० से कहीं ग़लतफहमी हो सकती है, मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सरकारी आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अगर ये सभी लोग २५० रु० देने वाले होते तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन मामला तो यह है कि--

श्रीमान्, क्षमा करेंगे, मैं गलत फीगर दे गया। २५० रु० देने वाले १९,८६,६४९ ज़मींदार इस प्रदेश में हैं और २५ रु० या इससे कम जो मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद १७,१०,५३० हैं। तो जो २५ रु० या उससे कम मालगुजारी देने वाले ज़मींदार हैं उनकी कोई परवाह इस हुकूमत ने नहीं की बल्कि इस हुकूमत ने परवाह की रिहैबिलिटेट करने की बहुत बड़े ज़मींदारों को। २५० रु० से ज्यादा वालों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो है, या कम्पेनसेशन इन दोनों का हिसाब लगाया जाय तो माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे क्योंकि आंकड़ों से जहां तक उनका सम्बन्ध है, बड़ा प्रेम है और वे हमको आंकड़े भी बड़े मजे के देते हैं। तो कम से कम हमें यह तो बतावें कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन की जो रकमें हैं उसमें से कितनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट की शक्ल में और कितनी कम्पेंसेशन की शक्ल में २५ रुपये या उससे कम मालगुजारी देने वाले ज़मींदारों के हाथ में जाती है और कितनी रक़म ढाई सौ या उससे कम की मालगुजारी देने वाले ज़मींदारों के हाथ में जाती है और जो थोड़े से आदमी हैं ३०,१४२ आदमी २५० रुपये से ऊपर के मालगुजारी देने वाले ज़मींदार हैं उनके हाथ में कितना जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो मालगुजारी जिस हिसाब से सरकार को अदा की जाती थी उस हिसाब से तो हम समझते हैं कि उनकी निकासी भी बड़ी होगी। अगर उसी निकासी के हिसाब से देखें तो हम पायेंगे कि २५० रुपये या उससे कम की मालगुजारी देने वाले ज़मींदार २ करोड़ ८७ लाख १६ हजार ९ सौ ४१ रुपया मालगुजारी अदा करते हैं और २५० रुपये से ऊपर जैसा मैंने निवेदन किया जो ३०,१४२ आदमी हैं वे ३,९५,५२७ रुपया मालगुजारी देते हैं तो अगर इस हिसाब से रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन देते हैं कुदरती तौर पर उनको ज्यादा रकम देनी पड़ेगी और इसको हुकूमत ने पसन्द किया। अब जो यह संशोधन है उस संशोधन का केवल इतना ही मतलब है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जाता है वह सारा कर्ज के बोझ से माफ कर दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात आपने कही कि ज्यादा देना पड़ेगा तो मल्टीपिल तो ग्रेडेड है। मल्टीपिल का हिसाब करके जरा हिसाब लगायें।

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि माननीय राजस्व मंत्री के आंकड़ों से मुझे बहुत प्रेम है और माननीय राजस्व मंत्री इस सम्बन्ध में आंकड़े देंगे ही। कम्पेंसेशन में तो मल्टीपिल का सवाल नहीं उठता। कम्पेंसेशन तो एक ही हिसाब से हर जमींदार को मिलता है। यह मैं मानता हूं कि रिहैबिलिटेशन में कुछ कमी बेशी का सवाल है। इसलिये ही मैंने माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जो ३०,१४२ आदमी बड़े जमींदार हैं उनकी मालगुजारी कितनी है और जो २५० रुपये से कम वाले मालगुजारी देने वाले जमींदार थे उनकी मालगुजारी कितनी है। जरा यह मल्टिपिल लगा कर मेरे ऊपर मेहरबानी करके बतलायेंगे तो उससे सदन को भी लाभान्वित करेंगे और मुझे भी लाभान्वित करेंगे क्योंकि मैं तो देहाती किसान हूं और यह बतलायेंगे कि कितनी रक़म उन बड़े आदमियों के घर पहुंचती है और कितनी रक़म इन छोटे के घर। मैं इस सम्बन्ध में एक बात जरूर यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के भाग्य का फैसला करने के लिये एक प्लानिंग कमीशन बैठा था उसने क्या कहा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से उसके दो सेंटेंस केवल पढ़ना चाहता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं एक बात की तरफ श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह इस बात का है कि पुनर्वासन अनुदान बिल्कुल निकाल दिया जाय और कर्ज की वसूली उससे न हो यानी पुनर्वासन अनुदान क़र्ज़े की वसूली से बरी कर दिया जाय, यह संशोधन है। और हमारे श्री गेंदा सिंह जी ने उस संशोधन का विरोध किया है और अब ढाई सौ से नीचे के पुनर्वासन अनुदान के संबंध में आप अपनी सारी दलीलें सीमित कर रहे हैं और यह बात इस सदन ने अस्वीकार कर दी है पहले ही कि ढाई सौ से नीचे के पुनर्वासन को बरी किया जाय। श्री रामनारायण जी ने पहले जो संशोधन उपस्थित किया था वह इस भवन ने अस्वीकार कर दिया था और आज भी जो संशोधन उपस्थित हुआ था उसमें भी चेअर की रूलिंग हो चुकी है। अब जो मौजूदा प्रस्ताव उपस्थित हुआ है वह यह है कि पुनर्वासन अनुदान क़र्ज से बरी किया जाय। आपने शुरू में कहा कि मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं लेकिन जितनी दलीलें दे रहे हैं वह ढाई सौ ने नीचे के पुनर्वासन अनुदान सुरक्षित करने के लिये दे रहे हैं। तो यह कहां तक संगत है?

श्री गेंदासिंह—मैं सारी दलीलें पेश कर रहा हूं कि कल मैंने क्यों पुनर्वासन अनुदान को कर्ज के भाग से मुक्त करने की बात कही थी और आज क्यों कहता हूं कि पुनर्वासन अनुदान को क़र्ज़े के भाग से मुक्त नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष—तो माननीय सदस्य ढाई सौ से नीचे पर जो अनुदान दिये जाने की तजवीज है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—उसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपाध्यक्ष—तो सिर्फ एक आर्गूमेंट के तौर पर एक बात आपने पेश की।

श्री गेंदासिंह—और फिर मैं माननीय भगवान सहाय जी से निवेदन करूंगा कि उनका जो संशोधन है कि सभी जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कर्ज के भाग से मुक्त अनुदान इस कर्ज के भाग से मुक्त कर दिया जाय उस संबन्ध में वह मेरी राय पर विचार करेंगे। मुझे तो नहीं कहना चाहिये। लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरी दलील उन्हें पसन्द आये तो

[श्री गेंदासिंह]

वह अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं समझता हूं कि सम्भव है कि मेरी दलीलें माननीय भगवान सहाय को पसन्द आये और वह मेरे ही परिश्रम से यह संशोधन वापस हो जाय। इसलिये मैं माननीय भगवान सहाय की जानकारी के लिये, गोकि मैं जानता हूं कि माननीय भगवान सहाय को इसकी जानकारी होगी लेकिन मैं उनका ध्यान प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की ओर दिलाता हूं जिसे उन्हीं के दल की भारतीय सरकार ने बिठाया था। उसकी राय यह है--

"The economic and social standard to be attained through planning is indicated in the directive principles of state policy enunciated in articles 26 to 28 of the Constitution. In terms of these directive principles, the State is to regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of the people as under its primary duty.

The economic policy of the State must be governed by the obligation placed upon it to secure that the citizens, men and women equally have the right to adequate means of livelihood. The State has to endeavour within the limits of its economic capacity and its state of development to make effective provision for securing the right to work, the right to education and the right to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of deserving want for attaining these ends. The directive principles enjoin that the ownership and control of the material resources of the country should be so distributed as best to subserve theeconomic good and that the operation of the economic system should not result in the consolidation of wealth and the means in a manner detrimental to the common good."

[संविधायन के माध्यम से जिस आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को प्राप्त करना है उसकी ओर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में संकेत किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद २६ से २८ में व्याख्यात है। इन निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझना है।

राज्य की आर्थिक नीति इस पर रखे गये उस भार से शासित होगी जिसके द्वारा यह अपने पुरुष व स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है। राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर और विकास की अवस्था के अनुसार कार्य करने के अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अपंग होने की अवस्था में इन प्रयोजनों को प्राप्त करने में उपयुक्त आवश्यकता के अन्य प्रकरणों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबन्ध करना है। निर्देशक तत्व यह आदेश करते हैं कि देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाय जिससे कि सर्वाधिक आर्थिक कल्याण हो सके और आर्थिक प्रणाली की क्रिया इस प्रकार न हो कि यह संपत्ति और साधनों को केन्द्रित करे और सार्वजनिक कल्याण के लिए घातक सिद्ध हो।]

मैं यह कहने के बाद समझता हूं कि जब प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है और उसके लिये यह भी नहीं वह कहता कि उसकी कोई राय है। वह कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कांस्टिट्यूशन का है वह यह बताता है कि हमको सम्पत्ति का इस तरह से विभाजन करना चाहिये जिसके जरिये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, अनएम्पलायमेंट दूर हो सके और दूसरी चीजें हो सकें। मैंने, जैसा कि अर्ज किया, इतनी गाढ़ी कमाई का पैसा जैसा कि १० गुना और आगे ११ गुना और १२ गुना भी राजस्व मन्त्री उनसे वसूल करते हैं उस रुपये को लेकर इन बड़े जमींदारों को रिहैबिलिटेशन

या कम्पेंसेशन के नाम पर देना चाहते हैं, यह नामुनासिब बात है। मैं समझता हूं कि अगर यह रुपया उन लोगों के घरों में जाता जो ढाई सौ रुपये के लोग थे तो वह उचित होता और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हम इस बात के पक्ष में थे और आज भी कहते हैं कि यह जो ३१, ३२ करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में जमा है और जो आप देना चाहते हैं उस रुपये को और अच्छे काम में लाया जा सकता है। आज सरकार के सामने बड़े भारी काम हैं, उनमें खर्च करे और सारे देश की तरक्की की बात सोचे, कृषि की तरक्की हो। इस प्रकार छोटे और बड़े दोनों जमींदारों का भला हो सकता है। हम जानते हैं और मैं समझता हूं यहां सदन में इस बात को अस्वीकार करना और बात है, लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री जी खेती की तरक्की में विश्वास है। कृषि की तरक्की हुए बिना इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। और वह तभी हो सकती है जिस समय कि देश में सिंचाई का प्रबन्ध हो, भूमि का बटवारा हो बीज और खाद और नये नये इम्पलीमेंट्स और नये नये तरीके पर खेती को तरक्की देने का इन्तजाम हो। तभी हो सकता है और यह तभी हो सकता है जब हम रुपयों का मसला भी हल करें। हम जानते हैं कि सरकार के सामने कठिनाई है और सरकार हमसे कुछ दिन बाद, भगवान करे वह दिन हमको देखने को न मिले, हमसे यह बात कहेगी कि आज प्लानिंग के नाम पर, देश के उत्थान के नाम पर एक टैक्स मंजूर करो, चाहे टैक्स की शक्ल में चाहे चन्दे की शक्ल में, वह मांगेगी। इसी सदन में शायद ऐसी बात कही जाय। तो ऐसी हालत में जब यह करोड़ों रुपया हमारे पास है हम ३२ हजार घरों में यह करोड़ों रुपया देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? हम दे करके देश का उत्थान नहीं करने जा रहे हैं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं। कोई जमींदार नाम से घबराने की बात नहीं है। मैं नहीं घबराता हूं कि जमींदारों के लिये यह हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज उस तरफ जो बैठे हुए हैं, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि "खराब किस्म के कैपिटलिस्ट जमींदार" तो एक खराब किस्म के कैपिटलिस्ट हम भी हैं और शायद राजस्व मंत्री भी हों और उस तरफ बैठने वाले तो बहुत से हैं। मैं तो कैपिटलिस्ट मानने में भी थोड़ी दिक्कत समझता हूं, क्योंकि कैपिटल की परिभाषा में मालूम नहीं कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, यह शास्त्रार्थ की बात है, विवाद की बात है। न मालूम दुनिया के कितने अर्थ शास्त्रियों ने किस तरह से कैपिटल की परिभाषा की है। यह बात जरूर है कि हम एक अर्थ शास्त्री को मान गये हैं और उसकी परिभाषा को भी मानते हैं, जिसका नाम मार्क्स है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो खराब किस्म के कैपिटलिस्ट हैं, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा, ऐसा कहने से हम जमींदार को नहीं समझते कि जो कल का जमींदार था वह आज का कैपिटलिस्ट है। कल के जमींदार के बच्चे आज देश के नाम पर झंडा उठाने वाले हैं और जो गरीब किस्म के कैपिटलिस्ट थे उन्होंने देश की आज़ादी के नाम पर झंडा बुलन्द किया। ज्यादातर उन्होंने देश की आज़ादी के नाम पर झंडा बुलन्द किया। हम इनाम तो नहीं देने जा रहे हैं, हम इनाम नहीं बांट रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी कहेंगे कि इक्वेटी के नाम पर हम वाजिब बात कह रहे हैं लेकिन जमींदार होने के नाते कल वह चूंकि जमींदार था इसलिये हम आज उसका विरोध करें यह नहीं हो सकता। जमींदारी उसकी खत्म हो गयी, उसके पास थोड़ी सी जमीन रह गयी और उस जमीन से वह अपना गुजारा करना चाहता है, तो जब वह अपनी जमीन से अपना गुजारा करना चाहता है तो हम क्यों न उसकी मदद करें। चीन की बात बार बार दोहराई जाती है। चीन में बड़े जमींदार, छोटे जमींदार रिच पेजेंट्स, गरीब पेजेंट्स, इस तरह से पांच हिस्सों में पूरी सोसाइटी को बांट लिया है। पूरी सोसाइटी को बांटने के बाद आज हो सकता है कि चीन में कहीं पर जमींदारी प्रथा भी हो या किसी के पास ज्यादा जमीन हो लेकिन बड़े जमींदारों को उन्होंने जमींदारी से महरूम किया और उसके साथ साथ

[श्री गेंदासिंह]

उन्होंने यह किया कि खेती के काम में तरक्की दी। खेती के काम में तरक्की देकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि दो तीन वर्ष में जिस खेती में दो मन फी एकड़ ज़मींदार पैदा करता था उसी खेती में ऐसी तरक्की पर खेती कराई गयी कि उसकी पैदावार बढ़ी और वह पैदावार इतनी बढ़ी कि आज वह कम्पेंसेशन का भूखा नहीं है, वह रिहैबिलिटेशन ग्रांट का भूखा नहीं है।

श्री चरणसिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि किन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। पुनर्वासन अनुदान के सिलसिले में भगवान सहाय जी ने यह संशोधन पेश किया था कि यह क़र्ज़े में न लिया जाय और आप यह कहते हैं कि कर्ज़े में लिया जाय, तो यह सारा चीन ऊन कहां से आ गया बीच में और पैदावार वग़ैरा कहां से पहुंच गयी?

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे माननीय राजस्व मंत्री उस समय थे नहीं। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि मैं माननीय भगवान सहाय जी को समझा रहा हूं कि कल मैंने क्यों ऐसी बात कही थी कि ढाई सौ रुपयों से कम या ढाई सौ रुपये के मालगुज़ारों को क़र्ज़े से मुक्त कर दिया जाय। माननीय राजस्व मंत्री की इस मामले में मैं सहायता कर रहा था लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे शिकायत हो गयी।

श्री चरणसिंह---ऐसी सहायता नहीं चाहिये।

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी को उस समय तकलीफ ज़रूर होती है जब हम इस रुपये के ठीक उपयोग की बात कहते हैं। ठीक उपयोग करने की बात वे जैसी सोचते हैं, उससे दूसरी बात हम अगर कहें तो वे समझते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी यह रुपया माननीय राजस्व मंत्री जी के हाथ में है और यह रुपया जो हमारे खून पसीने से इकट्ठा हुआ है इसके बारे में वे फिर सोचें और सोच करके इसका ठीक उपयोग करने की चेष्टा करें। मैं चाहूंगा कि माननीय भगवान सहाय जी इस संशोधन पर विचार करें और अगर वापस ले लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवान सहाय जी द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् मैंने संशोधन करने वाले और संशोधन के दोनों माननीय समर्थकों के भाषणों को बहुत अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा कि चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी में ज़मींदार हों या समाजवादी पार्टी में जमींदार हों, इनकी एक ही मेंटेलिटी है और जब उनके हितों पर समाजवादी होता है वे दोनों एक हो जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रवर समिति रिपोर्ट में नोट आफ डिसेंट न को देखेंगे तो माननीय निहालुद्दीन साहब ने उसमें लिखा है कि ये जमींदार स्टार्वेशन से मर रहे हैं। जरा हमारे मित्र माननीय कुंवर सुरेशप्रकाश सिंह, माननीय वीरेन्द्रशाह को देखिये, ये सब स्टार्वेशन से मर रहे हैं। संशोधन कर्त्ता कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट क़र्ज़े से मुक्त कर दी जाय। तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि जमींदार मेंटेलिटी के लोग किस तरह से मिल जाते हैं। हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने कहा और ठीक ही कहा कि ये जमींदार मनीलेंडर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन जमींदारों को हमारे माननीय राजस्व मंत्री का कृतज्ञ होना चाहिये इस लिये कि हमने और हमरी सरकार ने यह चार्ज सहते हुये भी कि यह सरकार प्रो-ज़मींदार है इनके साथ भलाई की और करतसे

ही जा रही है। हमने इनको कम्पेन्सेशन दिया और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट की हमने गुंजाइश रखी क्योंकि विधान के अनुसार सबको एक सा कम्पेन्सेशन देना जरूरी है सब कुछ जमींदारों की भलाई के लिये तो आज वे इस बात का भी साहस करते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट क़र्ज़े में न ली जाय। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री को यह बात सोचना चाहिये कि जो जमींदार लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं ये आस्तीन के सांप हैं, जैसे जैसे आप उनको दूध पिलायेंगे और जब जब उनको मौका मिलेगा वे काटेंगे। इस वक्त जब हम उनकी भलाई के लिये यह कानून ला रहे हैं तो वे विरोध करते हैं और इस हाउस का समय नष्ट करते हैं जब एक मिनट में ३० रुपये खर्च होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट क़र्ज़े से मुक्त नहीं होना चाहिये। जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने यह पेश किया है मुझे उम्मीद है कि हाउस उसको पास करेगा और मैं अपने साथी भगवान सहाय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे। बिना कुछ आगे कहे हुये क्योंकि यह हमारी सरकार की एक कृपा है जो उसने, मैन इज़ एसेंशली गुड की कहावत को मानकर और यह समझा कि हमको जमींदारों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको जमींदारी प्रथा से दुश्मनी थी, इसलिये हम उनके फायदे के लिये यह बिल लाये क्योंकि जमींदार भी तो इस प्रदेश के रहने वाले हैं। उनको रुपया देने के लिये हमने किसानों से वसूल किया और उन्होंने दिया, इसलिये नहीं कि आज उनको जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिल रही है वह भी कर्जे से मुक्त की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने गलत संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं इसलिये नहीं कि मैं जमींदारों के अधिकारों के हक़ में हूं या रहा हूं बल्कि इसलिये कि जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट के अन्तर्गत सिद्धांत है उसको देखते हुये और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मैं इस संशोधन को न्यायसंगत समझता हूं। जहां तक मेरा उसूल है मैं तो यह मानता रहा हूं कि जमींदारी प्रथा ही नहीं बल्कि हर एक वह प्रथा जो कि दूसरों के श्रम से, दूसरों के धन से धनोपार्जन करती है वह न्यायसंगत नहीं है और इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जितनी जल्दी मिटायी जा सके उतना ही अच्छा है और जब कि मिटायी नहीं जाती तब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति कुछ भी सुधर नहीं सकती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट के माने यह है कि हमने एक प्रथा को जो एप्रूव किया है कि हम उनकी जरिया माश को खोजने में सहायता करें तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम उनको नया जीवन दें ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसीलिये यह ग्रांट रखी गयी है। इसको अगर हम कर्जे में दे देंगे तो यह न्यायसंगत बात नहीं होगा जहां तक कम्पेन्सेशन देने का ताल्लुक़ है मैं कभी हक में नहीं रहा कि जमींदारों को इस तरह से दिया जाय जिस तरह से कि हमारे ऐक्ट में दिया गया है। मैं मानता हूं कि यह कम्पेन्सेशन सिर्फ उन जमींदारों को ही देना चाहिये था जिनको कि इसकी जरूरत थी।

मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि मेरी ५०,००० रुपये साल की जमींदारी थी तो उससे मुझे १००-१५० रुपये माहवार की आमदनी होती थी। अगर आपने मुझे थोड़ा सा कम्पेन्सेशन दे दिया तो मेरे लिये कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर आप नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा खर्चा बहुत होता है और इस थोड़े से कम्पेन्सेशन से मेरा क्या भला हो सकता है। इसलिये मुझ जैसे आदमी को अगर कम्पेन्सेशन न दिया जाता तो ठीक था। इस तरह से बहुत से ऐसे जमींदार थे जिनकी बहुत बड़ी आमदनी है और ४ हजार रुपये साल की मालगुज़ारी थी। उनके पास दूसरे साधन भी हैं। उनको भी अगर आप कुछ न देते तो मैं अनुचित नहीं समझता बल्कि उचित ही समझता।

[श्री केशव गुप्त]

मैं समझता हूं कि जिनके पास कुछ और जरिया माश नहीं है उनको ही अगर आप देते तो ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी मैं यह मानता हूं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट इसीलिये दी गई है कि उससे लोग अपना जरिया माश खोज सकें। लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें ऐसा सिद्धांत रखा गया है कि यह ग्रांट सबको मिलेगी चाहे वह हकदार हों या न हों। इसलिये इसमें न्यायसंगत बात तो नहीं है। लेकिन इस ग्रांट के देने में हमने एक सिद्धान्त रखा है कि हम इसलिये यह ग्राट दे रहे हैं कि वास्तव में हम लोगों ने उनको अपनी जगह से अपरूट कर दिया है इसलिये इस ग्रांट को कर्जे में दे देना न्यायसंगत नहीं है।

एक बात और देखेंगे कि जो जमींदारों को कम्पेन्सेशन मिलेगा वह कर्जे में चला जायगा, ठीक है, उन्होंने कर्जा लिया था। फिर भी कुछ न कुछ मिलेगा तो यह तो ठीक रहता लेकिन रिहैबिलिटेशन ग्रांट को कर्जे से बिलकुल फ्री रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से सदन में इस बिल पर बहस हो रही है। मैं यहां पर जो संशोधन श्री भगवान सहाय जी ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज इस सदन में माननीय नेकराम जी का भाषण सुनकर दुख हुआ क्योंकि वह शायद लोगों की गरीबी और अमीरी का अंदाजा मुटापे से लगाते हैं। अगर मैं उनसे यह कहूं कि जब से वह इस सदन के मेम्बर हुये हैं तब उनका क्या वजन था और आज क्या हो गया है। इसका अंदाजा लगायें तो पता लगेगा कि इस वेलफेयर स्टेट में अगर किसी ने तरक्की की है तो हमारे माननीय सदस्य ने।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइण्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। कोई भी माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के बारे में इस तरह से रिमार्क नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष——वास्तव में अगर उपाध्याय जी ऐसा न कहते तो अच्छा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जिस ह्युमर से उन्होंने कहा उसी से मैं भी जवाब दे रहा हूं।

जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सवाल है मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि यह ग्रांट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी——इसलिये यह बात सोची गई कि जो छोटे मोटे जमींदार हैं उनकी जमींदारी खत्म होने के बाद उनके पास शायद कोई ऐसा साधन नहीं रहा जिससे वह गुजर बसर कर सकें। जब हम लोग कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जितनी है वह सारी की सारी ढाई सौ रुपया से कम के जो मालगुजार हैं उन पर ही खर्च की जाय उस वक्त हमारी सरकार कहती है कि नहीं जो और जमींदार हैं उनको भी रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जायगी। माननीय उपाध्यक्ष जी इस सदन में कल से मैं यह भी सुन रहा हूं कि सोशलिस्ट पार्टी तो जमींदारों से मिल गई। क्या यह हुकूमत जमींदारों से नहीं मिली? जब हम लोग कहते थे कि कोई मुआविजा जमींदारों को न दिया जाय तो यह हुकूमत कहती थी कि यह कैसे हो सकता है, यह लोग भी तो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको भी जिन्दा रहने का हक है।

श्री चरण सिंह——कल की बातों को छोड़ दीजिये। आज की बातों को लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——आज भी कुछ बातें हुई। लेकिन जब हम एक सिद्धांत ले रहे हैं कि कोई भी जमींदार हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे इस देश में रहने देना है तो अब यह देखना है कि जो बड़े जमींदार हैं वे अपनी गुजर बसर कर सकते हैं और साथ ही

में उन लोगों को देखना है जिनको वाकई जमींदारी खत्म होने से नुक्सान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि जितना ही बड़ा आदमी होगा वह उतनी ही कम कुर्बानी कर सकता है, उसी कुर्बानी करने में दिक्कत होती है लेकिन जो ढाई सौ रुपया से कम के मालगुजार हैं अगर देश में उनकी हालत नहीं सुधारी गई या देश में उनके रहने का इन्तजाम नहीं किया गया और इत्मीनान रखिये वह कुर्बानी करने को तैयार हो जायेंगे। माननीय सदस्य शायद यह समझते होंगे कि वह बहुमत में हैं, ४३१ में ३९० गिन लेते हैं, इसलिये सारे प्रांत में उन का राज्य है, मैं उन्हें विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह ढाई सौ से कम के जो मालगुजार हैं वे भी उठ सकते हैं। हम चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो है वह ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार पर खर्च हो। बड़े लोग तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आपको छोटों का ख़याल करना है। इन्सानियत के नाते हम उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रान्त में कोई गड़बड़ी हो। हमारे यहां भूटान और तिब्बत की बातें बड़ी लाइटली ली जाती हैं जब यह कहा जाता है कि वे हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर गड़बड़ी हो रही है तो लोग हंसी में टाल देते हैं। मैं इस हुकूमत से यह कह देना चाहता हूं ....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं श्रीमान से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वही छोटे बड़े ढाई सौ से नीचे और ऊपर की बातें कही जाती हैं। इस संशोधन में कोई ऐसी तफरीक नहीं है। यह संशोधन साफ कहता है कि पुनर्वासन अनुदान सबको इस कर्जे से छोड़ दी जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं यह बता रहा था कि कल हमने इसी किस्म के प्रस्ताव का समर्थन किया है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो। मेरा यह मतलब नहीं है कि कोई देर लगाई जाय। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप एक तरह के उसूल को मानिये। कल तो आप जमींदारों को बहुत गाली दे रहे थे कि जमींदार ऐसे थे और वैसे थे। माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि यह जो जमींदार हैं यह तो मनी लैंडर से भी गये गुजरे हैं लेकिन जो कुछ भी कहा हो मैं इसको भी उसी लेविल पर लाना चाहता हूं कि जिस पर बातें कही गई वह सही नहीं थीं। हम यह जानते हैं और हमको इस हुकूमत का काफी तर्जुबा है। हम जानते हैं कि हमारी बात कम्पेन्सेशन की सरकार ने क्यों नहीं मानी। हम चाहते कि किसी को कम्पेन्सेशन न मिले। यह बात नहीं थी कि जमींदार हमारे दुश्मन हैं। जमींदाथे कोई भी हो वह सब हमारे भाई हैं और दोस्त हैं चाहें कोई बड़ा जमींदार हो या कोई छोटर जमींदार हो। आज कांग्रेस में भी बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं और कांग्रेस में हमारा भी हिस्सा था लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस संस्था में बड़े बड़े प्रतिक्रियावादी लोगा आ गये हैं तो उनको छोड़कर हम बाहर आ गये और आज हम उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं।

श्री चरण सिंह—मेरी समझ में नहीं आता कि अब यह जो विधेयक प्रस्तुत है वह जमींदारों के खिलाफ पड़ता है और जमींदारों के मुवाफिक में यह संशोधन आया है। आप उसको अपोज कर रहे हैं इस विषय में जो कुछ भी कहना हो वह प्रस्तावक महोदय से कहा जाय इस कारण मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनको रोका गाय।

उपाध्यक्ष—इस ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है मैं समझता हूं वह बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं तो राजस्व मंत्री जी की सहायता कर रहा था कि अगर वह इस बिल को वापस ही लेना चाहें तो समझकर वापस लें न कि किसी के हुकुम से। नेकराम जी ने कहा कि हाउस का समय बरबाद होता है। जब वह ऐसी बातें करते हैं कि जिनका सम्बन्ध संशोधन से नहीं होता है तब तो हाउस का समय बरबाद नहीं होता है लेकिन

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब हम लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि समय हाउस का बरबाद किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारे दिल में जमींदारों के लिये हमदर्दी है इन्सानियत के नाते चाहे वह बड़े हों या छोटे हों। हमारे पास राजा जगम्मनपुर बैठे हुये हैं वह भी हमारे मित्र हैं अगर हम उनकी सही बात को सपोर्ट करते हैं तो कहा जाता है कि रिएक्शनरी हैं और जब उधर का मामला आता है तो वह सही होता है चाहे वह कैसा ही हो। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय इन्सानियत के नाते जो हमारे जमींदार भाई २५० से कम लगान देते हैं उनको तरक्की देना जरूरी है और उन सब के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट रहना जरूरी है यह न हो कि जो ऊपर वाले हैं उनको ही यह दी जाय। जो संशोधन भगवान् सहाय जी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कम्पेन्सेशन देने के लिये सिफारिश की थी ?

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--जो बिल सदन के सामने उपस्थित है उस पर बहुत लोगों ने अपने भाषण किये। परन्तु मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने इस सदन के समय का दुरुपयोग किया है। यह कहा गया कि जो कोई बात कहना हो उसको थोड़े शब्दों में कहना चाहिये और यही बुद्धिमानी का परिचय देना है। इसके साथ साथ मैं यह समझता हूं कि हर सदस्य का यह फर्ज है कि पार्लियामेंट्री डिबेट की प्रणाली को मद्देनजर रखते हुये और उसका आदर करते हुये जो कुछ भी रिलिवेंट बातें इस विषय में कह सकें कहना चाहिये। जो सदन में उपस्थित हैं मैं समझता हूं कि हम सब जनता के नुमाइन्दे हैं और सदन का समय बचाकर हम जनता के साथ इन्साफ करते हैं। एक छोटी सी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जितने भी भाषण इस सदन में हुये हैं वह इस प्रकृति के थे कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि "लव लेबर्स लास्ट" उसी नेचर के भाषण हुये हैं। यह संशोधन जो पेश किया गया है इसको अगर पास कर दिया जाय तो ... ...

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, वह इस संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध उसका कर रहे हैं या कोई सरमन पढ़ रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--माननीय सदस्य के एतबार के लिये बतलाना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिल अगर इस सदन में न लाया गया होता तो बेचारे कर्जदार जमींदारों की क्या हालत होती और कानून की दृष्टि में जो साहूकारों का क़र्जा उन पर है उसकी क्या व्यवस्था उस कानून के मातहत होती जो मौजूदा कानून है। क्या माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते कि अगर यह कानून न आता तो तमाम कर्जा जमींदारों से साहूकार पूरा पूरा वसूल कर लेते। जो जमींदारों का हमदर्द अपने को बतलाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह किस तरह से इस बिल का विरोध करने का दुस्साहस करते हैं। क्या वह यह समझते हैं कि अगर इस कानून के अनुसार इस कर्जे को कम न किया जाय तो जमींदारों का क्या हाल होगा, उन से एक एक पाई वसूल किया जाता और खास कर वह कर्जा जो उनकी इम्मूवेबिल प्रापर्टी का है। तो क्या यह कोई जमींदारों के खिलाफ कान्सपिरेसी की जा रही है। यह दलील जो पेश गई है इस को अंग्रेजी के दो शब्दों में मैं रखना चाहता हूं कि यह "ट्रेजिडी आफ गुड इण्टेन्शन्स हैं। अगर वह थोड़ा सा भी इस बिल को समझ लेते तो उन की ऐसी बातें कहने की हिम्मत न होती। माननीय सदस्य को अब यह समझ लेना चाहिये कि अभी तक तो केवल बेरोमीटर और थरमामीटर वगैरा का ही आविष्कार हुआ था लेकिन अब साइन्स बहुत आगे बढ़ गई है और अब इण्टेलेक्टोमीटर भी बन गया है जो बतला सकता है कि किसी व्यक्ति में कितनी इनटलेक्ट और दिमाग है। जो चीजें गलत नजर आती है उनको पास कराने का यदि कोई साहस

करता है तो मैं समझता हूं कि उसको इस प्रकार का साहस नहीं करना चाहिए और अगर वह तो वह दुस्साहस ही होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो जमींदारों के हमदर्द हैं वह सिवा इस बिल की दाद देने के और कर ही क्या सकते हैं। इनका यह कहना कि जमींदारों के साथ उनकी हमदर्दी है तो मैं समझता हूं कि इनका इरादा अगर वह जमींदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उनका यह कहना ठीक है। परन्तु अगर वे चाहते हैं कि जमींदारों को दरअसल कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाय तो जो कुछ इस बिल के अन्दर है उससे जमींदारों को बहुत हद तक फायदा पहुंच सकता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह दलील और तकरीर पेश की है कि २५० रु० से नीचे वाले जमींदारों को वरियत मिलनी चाहिये। ऐसी दलील पेश करने का उन साहबान को क्या हक़ है जब तक कि वह कोई अमेंडमेंट हाउस के सामने न पेश करें? अगर उन्होंने दलील और तकरीर की तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हाउस का बहुमूल्य समय बरबाद किया है और उसका दुरुपयोग किया है। माननीय सदस्य पार्लियामेंट्री डिबेट की प्रणाली को न भूलें और यदि वे सदन के समय को नष्ट नहीं करेंगे तो वे इस राज्य के साथ इंसाफ करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं क्योंकि इस पर बहुत देर से बहस हो रही है।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर भाषण तो काफी हो चुके हैं। प्रश्न यह है कि अब बहस समाप्त की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवान सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में जो तकरीरें मेरे संशोधन के संबंध में हुईं मैंने उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना। माननीय लाल टोपी के सदस्यों के जो भाषण यहां पर हुये उनको भी मैंने बहुत गौर से सुना। उनकी अपील के ऊपर भी मैंने बहुत विचार किया और हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी जिन जजबात का यहां इज़हार किया उनको भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। माननीय नेकराम जी का मैं बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस सभा में जो भाषण दिया उसमें बड़ा रैस्ट्रेंट इस्तमाल किया। जब वह मुझसे निजी बातचीत करते हैं तो अपने को भूल जाते हैं और न जाने क्या क्या कह जाते हैं। जब वह इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़े हुये तो मैंने सोचा कि नहीं मालूम वह क्या कह जावें। मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि जो भी कुछ उन्होंने कहा उसमें अपने जजबात को एक हद तक पार्लियामेंट्री ढंग के अन्दर ही रखा।

माननीय गेंदा सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उसकी बहुत क़द्र करता हूं। उनकी अपील को मैंने मानने के लिये कोशिश की और उसे न मानने में मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है। मैंने उनके भाषण में देखा कि वह उनके दिमाग की उपज नहीं बल्कि दिल की उपज है। जो जमींदारों के पुराने कारनामे उन्होंने देखे, सुने या बरते वह उसकी ही उपज है। श्रीमन्, मैंने इस सदन के सामने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि लेजिस्लेचर की हैसियत से हमारापरम कर्तव्य है कि कि हम इस मसले को निष्पक्ष होकर देखें। इसमें जातियात का सवाल नहीं रखना चाहिये कि हमारे ऊपर क्या बीती है। हमारा कर्त्तव्य है हम इस चीज को उसी तरह से देखें जिस तरह सेएक डाक्टर एक मरीज़ के साथ व्यवहार करता है। वह यह नहीं देखता कि मेरा मरीज किसकिस्म का आदमी है, बुरा है या भला है, बल्कि उसका इलाज सच्चे दिल से करता है कि वह अच्छा हो जाय, उसी तरीके से हमारा पवित्र कर्त्तव्य होता है कि हम मामले को सोचें। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बात को ज़रूर मानता हू और फख्र समझता उनसे सहमत होने में यदि मैं इस बात पर मुतमइयन होता कि उनकी दलीलें दिमाग से पैदा हुई हैं और जजबात की चीजें नहीं हैं। इस बात पर गौर करते समय वह उन चीजों से प्रभावित हुये जो उनके तजुर्बे में आई होंगी। निष्पक्ष होकर उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। यह मैं मानता हूं

[श्री भगवान सहाय]

कि माननीय गेंदासिंह जी ने जिस काबिलियत से अपना भाषण दिया मैं उसकी दाद देता हूं और मैं अपनी कमजोरी को तसलीम करता हूं कि वह सब काबिलियत मेरे में नहीं है। लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और मुआविजा एक ही चीज़ हैं और यह हमारा एक तरीका था कि हमने दोनों चीजों को एक ही करके दिया। मैं उनसे यह कहूंगा कि आनेवाले नसलों को वह क्या सबक पेश कर रहे हैं। एक ज़माना आवेगा जब यह सदन भूल जायेगा कि गेंदा सिंह जी कौन थे और इस संशोधन का पेश करने वाला भगवान सहाय कौन था।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय भगवान सहाय जी ने कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि मुआविजा और पुनर्वासन दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैंने तो यह कहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी ऐसा समझते हैं।

श्री चरण सिंह—एक ही अच्छी बात कही थी और अब उससे भी इन्कार कर दिया।

श्री भगवान सहाय—माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपनी सफाई दी है उससे तो मैं समझता हूं कि उनका मतलब यह नहीं था।

श्रीमन्, सदन के सामने जो मसला पेश है उस पर यह विचार करना है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट दरअसल कुर्की के काबिल है या नहीं। यह सवाल नहीं है कि जमींदारों ने क्या किया और क्या नहीं किया। एक जमाना आयगा जब लोग यह भूल जावेंगे कि माननीय मंत्री जी का क्या मतलब था रिहैबिलिटेशन ग्रांट से। लोग समझेंगे कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेसेशन दो चीजें थीं। उनके दिल की बात लोग भूल जावेंगे। माननीय मंत्री जी ने चाहे जो कुछ भी समझा हो, जमीदारी अबालीशन कमेटी के मेम्बरों ने चाहे जो कुछ भी समझा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि सदन ने यह समझा कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन दो चीजें हैं। एक बात मैं माननीय गेंदा सिंह जी से और अर्ज करूंगा कि उन्होंने उसूलन मेरे संशोधन का विरोध नहीं किया क्योंकि वह इस बात को मानते हैं कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट २५० रु० के मालगुजार के कर्जे में न कम की जाय। इसका मतलब यह हुआ कि उसूलन वह मुझे सपोर्ट करते हैं कि रिहैबिलीटेशन ग्रांट कम न की जाय। वह अगर मुझसे विरोध करते हैं तो सिर्फ छोटे और बड़े पर। मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि २५० रु० और २५१ रु० के जमींदार के मामले में आपकी नजर में क्या फर्क पड़ जायगा।

श्रीमान् मैं पूछता हूं कि आपके द्वारा २५० रुपया और ३०० रुपया मालगुजारी देने वालों की आर्थिक हालत में क्या फर्क है। सवाल उसूल का है और उसूल में वह मेरे हामी हैं। श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज को सोचें और इस तरह से सोचें कि आज से १०० वर्ष बाद जब इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य यहां बैठे होंगे और इस मसले पर ग़ौर करेंगे तो हमारे दिल की बात और माननीय राजस्व मंत्री जी के दिल की बात उनको पता न होगा। मैं मानता हूं कि उस समय यह मसला भी न रहेगा, बहुत से और मसले भी खत्म हो जायेंगे, कर्जदाता और मिल मालिक भी खत्म हो जायंगे और वह व्यवस्था होगी जिसके हम हामी हैं यानी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर पायेगा। माननीय राजस्व मंत्री एक बार जब १० गुने लगान के सिलसिले में हमारे यहां गये थे तो उस समय मैंने उनसे गहा था कि मेरी कुल जमींदारी बिला मुआवजा ले लीजिये, मगर हमको रिहैबिलिटेशन करने के लिये ग्रांट दीजिये और सारी खेती को चक बना कर दे दीजिये, ताकि हमारा भी ज़रिया माश क़ायम रहे और हमारे खाने को भी रहे।

श्रीमन् जहां तक भारतीय नेकराम जी का कहना है मैं उनसे और आगे हूं। मैं मुआवजा जमींदारों को देने के पक्ष में नहीं हूं। यहां तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेंसेशन के फर्क का सवाल है। इसमें सवाल यह नहीं है कि क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये बल्कि सवाल यह है कि रिहैबीलिटेशन ग्रांट अगर कुर्क की जाती है तो उसका उसूल ही खत्म हो जाता है। सदन ने इस रिहैबिलिटेशन ग्रांट को मंजूर किया था। माननीय राजस्व मंत्री का कहना यह है कि दोनों से एक ही मतलब था लेकिन मैं समझता हूं कि सदन का ऐसा मतलब नहीं था। मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो विचार सदन के सामने रखा है वह उस पर गौर करें और वे आइन्दा आने वाले लेजिस्लेचर के सामने यह न कहलायें कि हमारे पूर्व के लेजिस्लेचर्स सोचते कुछ थे और करते कुछ थे। आने वाले जमाने में यह बात ही साबित होनी चाहिये कि हम जो कहते थे वही करते थे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें।

श्री चरण सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो साहबान कंपेंसेशन के हामी हैं और रिहैबिलिटेशन के हक़ में हैं वे अगर कुछ उलहना देते तो बात समझ में भी आती और उसका जवाब भी साफ ही होता लेकिन मुश्किल हो जाती है उन साहबान का जवाब देने में जो कहते तो यह हैं कि हम रिहैबिलिटेशन के कम्पेंसेशन के खिलाफ हैं लेकिन यह रिहैबिलिटेशन जो जमींदारों को दिया जा रहा है वह उनके पास रहना चाहिये और यह कि उसको क़र्ज़े में भी न काटा जाय।

श्री भगवान सहाय——मैंने यह कहा कि मैं कंपेंसेशन के खिलाफ था लेकिन मेरा कहना यह था कि रिहैबिलिटेशन दिया जाय।

श्री चरण सिंह——आपका कहना यह है कि आप पहिले तो रिहैबिलिटेशन देने जा रहे हैं फिर अगर उसे कर्ज वग़ैरा में काटा जाता है तो यह ज्यादती है और वैसे आप कम्पेंसेशन के खिलाफ हैं। इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? आप रिहैबिलिटेशन देने के माफिक हैं और कम्पेंसेशन देने के मुआफिक़ हैं? कम्पेंसेशन भी रुपया है और रुपया रिहैबिलिटेशन भी है। रुपया जो मिलता है आपको उसके नाम पर झगड़ा है कि रिहैबिलिटेशन कह कर जो देते हैं उसको क़र्ज़े में न लिया जाय और कम्पेंसेशन जो हमने दे दिया यह गलती की। जो हमने ग़लती की कम्पेंसेशन देकर और रिहैबिलिटेशन देकर, तो जो लोग कम से कम उसको ग़लत समझते हैं वे सब अब समझ लें कि वह रकम जमींदारों के पास रहने वाली नहीं है। माननीय केशव गुप्त जी ने कहा कि रिहैबिलिटेशन भी देख देख कर देना चाहिये कि कौन व्यक्ति विशेष इसका मुस्तहक है या नहीं है। इस तरह से कोई कानून बनता नहीं है। कानून जो बनता है वह आम तौर पर यानी एक उसूल की बिना पर? हर व्यक्ति को देख देख कर एक चीज़ की जाती अगर इस तरह से कानून बनता और बन भी सकता तो मेरे ख्याल से २०, २५ आफिसर्स चाहिये, जो हर आदमी का हिसाब लगाते कि इसका बैंक एकाउंट कितना है, यह कितनी मेहनत करता है, कितने लड़के इसके एम० ए० में पढ़ते हैं और यह सब देख कर अगर वह रिहैबिलिटेशन का मुस्तहक़ हो तो उसे देना चाहिये। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि एक साहब कम्पेंसेशन के खिलाफ भी कहते हैं और एक साहब कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन भी देख देख कर देना चाहिये। वे ही कहते हैं कि जिन लोगों का जायज कर्जा है जो १/५ तक घट गया है वे लोग मुस्तहक न हों कि अपना कर्जा रियलाइज कर सकें। मानो जिन लोगों ने कर्जा दिया है वे ही ऐसे वर्ग विशेष के हैं जो किसी हमदर्दी के मुस्तहक नहीं हैं। जो

[श्री चरण सिंह]
कुछ हमदर्दी हमारे पास और वह सारी लूटा दी जाय एक वर्ग को कायम करने के लिये इसी में उनको न्याय और इंसाफ दिखलाई देता है।

कहा यह गया है जमींदारों को अपरूटेड कया जाता है। जिनके पास सीर हैं, खुदकाश्त ह वे अपरूटड नहीं कहे जा सकते हैं। जिनके पास सीर व खुदकाश्त नहीं हैं उनको लाखों रुपया मुआविजा मिल रहा है। फिर यह कैसे ग़लतफहमी हो जाती है कि जमींदारों को अपरूटेड किया जाता है। जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है उनका और भी कोई रोजगार होगा। अगर कोई २५० रु० मालगुजारी देता है और वह सीर खुदकाश्त नहीं रखता है, खेती नहीं करता है तो लगान पर उसकी गुजर नहीं होती है। वह जरूर कोई दूकानदारी कर रहा है या और कोई बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह से अपरूटेड, रिफ्यूजी शरणार्थी या सितम के मारे हुए कह कर लोगों को मुगालते में डाला जाता है। लेकिन वाक़या यह है कि इस तरह के लोग बहुत ही कम हैं जिनके पास कोई जरिया माश नहीं रहेगा। ये जो अपरूटेड कहे जाते हैं वे नगण्य होंगे, नामिनल होंगे। और ऐसे नगण्य लोगों के लिये या जिनकी तादाद बहुत कम है उनके लिये कानून बनता नहीं। कानून हर जगह जनरल माश के लिये बनता है। दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसके बनने से एक फी सदी, १० फी सदी या २० फी सदी लोगों को नुक़सान न पहुंचता हो। अगर ९० या ९९ फी सदी लोगों के लिये कोई चीज करना जरूरी होता है तो सरकार उस चीज को करती है। एकाध हार्ड केस के लिये कोई कानून नहीं बनाया जाता है। किसी हार्ड केस को लेकर उसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा आम तौर पर यह कहना कि जमींदारों को अपरूटेड किया जा रहा है, यह सही नहीं है। इसलिये मेरा विरोध कायम है और मैं इसकी कोई वजह नहीं देखता कि यह राय बदली जाय।

उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भगवान सहाय---श्रीमन्, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में शब्द "किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन" निकाल दिये जायं।

श्री भगवान सहाय---आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय शुक्ल जी को क्या अथारिटी है इस बात की कि वे आचार्य लक्ष्मी रमण जी के संशोधन को पेश करें ?

उपाध्यक्ष---ऐसा आवश्यक नहीं है। उनको इजाजत दे दी गई है।

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये रख रहा हूं कि यह जो शब्द इसमें रखे गये हैं वे अनावश्यक हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके निकाल देने से जो कानून है उसमें कमी नहीं होती बल्कि इसके रहने से कुछ अच्छाई ही होती है। मुझे नहीं मालूम कि भगवान सहाय जी क्यों इस कानून में खराबी पैदा करने के फिक्र में हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ में से शब्द "किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन" निकाल दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवान सहाय--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड २ की पंक्ति ६ के शब्द "और पुनर्वासन अनुदान" निकाल दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमन्, एक संशोधन आपका इसी सम्बन्ध का अभी अस्वीकार हो चुका है इसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक भी है और अवैधानिक भी है।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह संशोधन पेश नहीं हो सकता।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)-- उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

> "ऐसे वाद ऋणी जिसकी मालगुजारी २५० रुपया तक रही हो के ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता हो बन्ध किये गये अस्थान के प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान की धनराशि के विरुद्ध एक चौथाई भाग तक ही निष्पादित (executs) की जा सकेगी।"

श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य के संशोधन पर कि पुनर्वासन अनुदान से ऋण देय न हो काफी बहस हुई परन्तु उनका जो संशोधन था वह यह चाहता था कि किसी भी पुनर्वासन अनुदान से ऋण देय न हो और मेरा संशोधन यह चाहता है कि २५० रुपये तक के जो मालगुजार हैं उनके पुनर्वासन से ऋण भुगतान न किया जाय। अब इस संशोधन पर मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है परन्तु एक अन्य संशोधन के सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं अपने इस संशोधन पर कुछ निवेदन करते हुये अवसर लूंगा कि उसका कुछ उत्तर देने का प्रयत्न करूं। श्रीमन्, जहां तक जमींदारों का सम्बन्ध है मैंने कल ही विनम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि जब वह जमींदारों को कुछ कहें या उनके बारे में कुछ कहें तो कृपा करके करीब १८ लाख जमींदारों को मिला कर ३६० पर आरोप न लगायें। मालूम नहीं, श्रीमन्, आज क्यों एकायकी जब कि मौसम भी ठंडा हो चला है हमारे माननीय नेकराम शर्मा जी ने डिबेट पर हीट जनरेट करने की कोशिश की। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्तव्य, पालियामेंटरी ट्रैडीशंस पर कायम रखा। श्रीमन्, मुझे दुःख है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पालियामेंटरी ट्रेडीशंस से वह बहुत परे चले गये थे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि क्या सुरेश प्रकाश सिंह जो यहां बैठे हैं भूखों मर नहीं रहे हैं। श्रीमन्, मैं चाहता नहीं था। लेकिन अब आपके द्वारा कह देना पड़ रहा है कि सुरेश प्रकाश भूखों नहीं मर रहा है न मरेगा। वह ऐसा अकर्मण्य नहीं है कि वह भूखों मरे। न यहां की सदस्यता की तनख्वाह पर उसका जीवन निर्भर है। माननीय नेकराम शर्मा की पार्टी ने हमारी जमींदारी ले ली।

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

हमारे हाथ और पैर नहीं काट लिए हैं। जहां तक शरीर देखा जाय, अपनी तहसील में भुखमरी थी इसलिये श्री शिब्बनलाल जी ने अनशन किया था उनका शरीर बाद में देख लिया जाय जो अनशन कर रहे थे। जहां तक शरीर की बात है मालूम नहीं...

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि शरीर का इतना...

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---आवश्यक है श्रीमन्, आवश्यक इसलिये है कि एक तलवार ज़मींदारों पर उठ चुकी। अब सब बड़ी बड़ी डींगें हांकते हैं, बड़ी बड़ी मनमानी बातें कहते हैं, उन पर तरह तरह के लांछन और आरोप लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि हम ज़मींदारों के दुश्मन थोड़े ही हैं। ज़मींदारों ने कैसे कैसे क़र्ज लिये। कभी ह्युमन थे या नहीं, आज भी क्या ह्युमन हैं या नहीं और उस पार्टी के सदस्य ऐसे कहें, जो कि पार्टी इतनी जनरस है, इतनी लार्ज हार्टेड है कि एक एक्स मुसलिम लीगर भी इस कांग्रेस का सदस्य हो सकता है या किसी साम्प्रदायिक पार्टी का आदमी भी यदि कांग्रेस की सदस्यता चाहे तो वह अब कांग्रेस का सदस्य हो सकता है और वह लोग जिन्होंने अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस कैंडीडेट के ख़िलाफ चुनाव लड़ा वह भी क्षमा किया जा सकता है, उसका सदस्य बनाया जा सकता है।

श्री चरण सिंह---एक जरा सी बात मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मानव वग़ैरह की बात...

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---अगर आप का प्वायंट आफ आर्डर है तो मैं ईल्ड करने के लिए तैयार हूं वरना...

श्री चरण सिंह---यह प्वाइंट आफ एक्सप्लैनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि ग़लतफहमी रहे तो मैं नहीं कहूंगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---तो जरूर कहिए।

श्री चरण सिंह---कल माननीय ठा० मलखान सिंह जी ने यह कहा था कि हम जो पुर्वासिन अनुदान ज़मींदारों का न लेने के लिए कह रहे हैं वह इसलिये नहीं कह रहे हैं कि वह जमींदार हैं, बल्कि मानवता के नाते कह रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया था क्या वह पहले मानव नहीं थे? अगर पहले मानव नहीं थे, अब हुए हैं तो यह कर्जा जभी जमाने का है। मैंने यह कहा था माननीय ठा० मलखान सिंह ने जवाब में उसकी बाबत अख़बार में जरा सा ऐसा निकल गया है जैसे मैंने ही वह अपनी तरफ़ से कहा था?

यह मैं इतना सफ़ाई के लिए कहना चाहता था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---मेरा बिल्कुल इशारा माननीय राजस्व मंत्री की ओर नहीं था। चूंकि ज़मींदारों के मामले में कहा गया था कि कभी मनुष्य थे या नहीं थे। इसलिये मैंने जिक्र कर दिया। जहां तक भूतपूर्व जमींदारों को फायदा पहुंचाने का सवाल है मैं उसके लिये आभारी हूं। कम से कम अगर सरकार यह विधेयक न लाती तो वे बरबाद हो गये होते।

तो श्रीमन् मैं कहूंगा कि अब जब कि एक तलवार उठ चुकी है जमींदारों के ऊपर, जमींदारी का खात्मा हो गया है तो क्या कारण है कि उस ओर के माननीय सदस्य जब देखिये तब ऐसा कहते हैं जैसे कहा जाता है। फ्लागिंग ए डेड हार्स या फीडिंग ए डेड डाग। इसमें कोई सुन्दरता, या हिम्मत या बहादुरी की बात नहीं

मालूम होती। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक चीज और साफ कर दूं। हमारे पहाड़ी देश के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोग जब यहां पर खड़े हों बातें करने के लिये, अपने भाषण के लिये तो हमें पार्लियामेंटरी ट्रैडीशंस का खयाल रखना चाहिये। श्रीमन्, मैं उनसे माफी मांगते हुये उन्हें पार्लियामेंटरी ट्रैडीशंस की तरफ ध्यान दिलाऊंगा कि यहां पर कोई इसका सवाल नहीं उठता क्योंकि इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, और स्वागत करता हूं, परन्तु विरोधी दल को तो इतना अख्तियार है कि यदि मैं इस बिल को न पसन्द करूं तो खड़े होकर जितनी देर, जितनी और जब तक आपसे समय मिल सके हम देरी करें पास करने में। कहा जाता है कि समय नष्ट करते हैं हम लोग। श्रीमन्, उस दल के माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि समय नष्ट न हो तो अगर माननीय राजस्व मंत्री ने एक संशोधन को स्वीकार नहीं किया तो उनको खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं। उनके पार्टी की सरकार संशोधन तो मानेगी नहीं, सिवाय इसके कि एक आध घंटे भूतपूर्व जमींदारों के ऊपर गालियों की बौछार और लांछन और तरह तरह के आरोप लगाएं, और इससे क्या नतीजा निकल सकता है? तो समय तो उधर से नष्ट किया जाता है। हम जमींदार थे। यह भी कहा जाता है कि हम जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि यह ठीक नहीं। तो श्रीमन् जब हम १५, २०, ४५ मिनट खड़े होकर यह कहने की कोशिश करें कि यह संशोधन अच्छा है इसको स्वीकार किया जाय और यह संशोधन अच्छा नहीं है इसको न मानिये, यह विधेयक ठीक नहीं है, न मानिये तो हमारे लिये कहा जाय कि समय को नष्ट करते हैं और दूसरी तरफ उधर के माननीय सदस्य इस तरह से समय को खींचें कि ४५-४५ मिनट इस बात के कहने में कि हम जमींदार थे, लगाएं तो वह समय का नष्ट करना नहीं हुआ? इसलिये मैं माननीय...

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को अब संशोधन पर आ जाना चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---संशोधन पर तो इतना कहा जा चुका है कि और अधिक कहने की जरूरत नहीं है और अगर माननीय नेकराम शर्मा न खड़े होते तो मैं केवल मूव करके ही बैठ जाता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो कर्ज लेने वाले लोगों के साथ बड़ा जुल्म होगा और हर्गिज यह मुनासिब नहीं है कि इस प्रकार के संशोधन से बिल्कुल कर्जदारों के साथ एक तरफा जुल्म किया जाय। मैं मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर हम फर्ज कर लें कि किसी महाजन का क़र्ज़ ५०० रु० है और उस क़र्ज़ को अगर हम इस विधेयक के जरिये स्केल डाउन करें तो जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि १/५ हिस्सा तक वह कर्जा हो जायगा। हो सकता है। तो ५०० के कर्ज़े का अगर १/५ हो जाय तो केवल सौ रह जाता है और अगर किसी जमींदार क़र्ज़दार के ऊपर ८० रुपये से पुनर्वासन अनुदान और मुआविजे के मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि उससे केवल २० रुपया तक वसूल हो, जब कि इस विधेयक के जरिये से उसको ८० रुपये से ६० रुपया तक वसूल हो सकता है। तो ५०० रुपये की जो महाजन की डिक्री है उसमें से स्केल डाउन करके अगर उसको ८० रुपये पुनर्वासन अनुदान और मुआविजा मिलता है तो ६० रुपया तक ही वसूल हो सकता है। तो अब ५०० रु० में ६० रुपया भी वसूल न हो और केवल २० रुपया तक वसूल हो, यह कहां तक न्यायसंगत है? मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जिनसे कर्जा लिया है जमींदारों ने, उनके क़र्ज़े को

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

इस तरह से काट करके एक दम क़र्ज़े की डिक्री को खत्म कर दिया जाय। जो विधेयक में ३/४ हिस्सा तक वसूल करने की बात है वह बहुत मुनासिब है, बहुत सोच समझ कर रखी गयी है और आपका संशोधन न्यायसंगत नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जमींदारों के खिलाफ अन्याय की हो और जमींदारों ने क्या किया, क्या नहीं किया इन सारी बातों का यहां कोई सवाल भी नहीं पैदा होता।

मैं तो यह ताज्जुब कर रहा था कि संशोधन को उपस्थित करते समय संशोधन पर दलील न दे करके शिकायत की कहां से बात आ गयी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने जमींदारी और जमींदारों के खिलाफ बहुत कुछ कहा हो और उसी का जवाब दिया जा रहा हो। इसमें कोई शिकायत या खिलाफत की बात नहीं है। यह तो जमींदारों को थोड़ी राहत देने के लिये उनके क़र्ज़े का स्केल डाउन करने के लिये विधेयक है। पूरी सहायता और पूरी सहानुभूति इस सकार की उनके साथ है। उनकी इस्टेट खत्म हुई है और उनको थोड़ा पुनर्वासन और अनुदान दिया जा रहा है और उसमें क़र्ज़दारों का जो कर्ज़ है उसका लिहाज़ करके उनके साथ न्याय किया जा रहा है और कर्ज़दारों के साथ भी न्याय किया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि एकतर्फा कोई संकट में पड़े। इससे जमींदारों को भी कुछ राहत मिल जाती है और कर्ज़दारों को भी कुछ संतोष हो जाता है। इसलिये मैं नहीं समझता कि सदन यह संशोधन स्वीकार करे, यह अस्वीकार होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करते हुये आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं और वह इसलिये कि मेरे विचार जो हैं वह मैं इस संशोधन के द्वारा इस सदन के सम्मुख रख सकता हूं और वह यह कि यहां पर बहुत वादाविवाद पहले भी हुआ और संभवतः उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन के संबंध में में भी होगा कि २५० रु० या उससे नीचे जो जमींदार हैं उनको सहूलियतें दी जायं। मैं आप के द्वारा इस संशोधन का विरोध करते हुये एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे यह चुनना पड़े कि छूट किसको दी जाय आया २५० तक या उससे नीचे वालों को दी जाय या उससे ऊपर वालों को दी जाय तो मैं उन व्यक्तियों में से हूंगा जो इस तरफ अपनी सम्मति देंगे कि २५० से ऊपर वालों को छूट देनी चाहिये और वह किसी भावना के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और अध्ययन के भरोसे। जहां तक २५० रु० और उससे नीचे वाले जमींदारों का सम्बन्ध है अगर उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाय और उसको गौर से अध्ययन किया जाय तो ऐसा शायद ही कोई २५० के नीचे वाला जमींदार होगा जिसके पास कुछ न कुछ सीर, खेती, मौरूसी या भूमिधरी न हो। उसके पास सीर भी होगी, मौरूसी काश्तकारियां भी होंगी, भूमिधरी भी होगी और अलावा इसके छोटी-छोटी बिजनेस भी वह करता होगा। अधिकतर लोगों की बात मैं यहां पर रख रहा हूं। उसके घर के एक आध आदमी कहीं नौकरी में भी होगा और वह काम भी कर सकता है क्योंकि आज तक उसकी काम करने की आदत पड़ी हुई है। खेतों में जा करके काम करना, दूकानों में काम करना, नौकरी करना, यह सब वह करता चला आ रहा है। इसलिये अगर छूट ही देनी है तो उनको देनी चाहिये जिनकी जायदाद चली गयी है और जिनके लिये कोई कारोबार पैदा करना है और वह ऐसे लोग हो सकते हैं, जो २५० के ऊपर की मालगुजारी देने वाले हैं। जो ३६० की फीगर बताई गयी है उसमें काफी लम्बी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास शायद ही सीर हो और उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो काम करने के आदी नहीं हैं। उन्हें काम सीखने में समय लगेगा, शायद एक आध पुश्त तक काम सीखने में समय लगेगा। अलावा इसके उनके पास मौरूसी नहीं है, भूमिधरी नहीं है। तो मैं यह दलील समझ नहीं पा रहा हूं कि २५० से नीचे और २५० तक जो हैं उनके लिये बिलकुल भंडारा खोल दिया जाय। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें केवल यह चीज़ देखता हूं कि कहीं

१८ लाख की फेहरिस्त किताबों के भीतर देख ली गयी है और जो काफी लम्बी-चौड़ी तादाद है। इसलिये अच्छा हो कि उन तक उन का प्रचार हो जाय। अगर कहीं उन्होंने साथ दे दिया तो बड़ा बेड़ा पार हो गया। इसके अतिरिक्त कोई तर्क, आर्थिक दृष्टिकोण और मैं तो कहने के लिये तैयार हूं कि इंसाफ दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी अगर ऐसा देखा जाय और इंसाफ से अगर कोई तहकीकात करे तो जितना अन्याय इन बड़े जमींदारों पर हुआ है उतना इन छोटों पर नहीं हुआ है। आज भी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जो बड़े जमींदार हैं जिनकी गिनती ३९० में होती है। उन बिचारों ने संतोष कर लिया है लेकिन जो २५० रुपये तक या इससे कम मालगुजारी वाले हैं और जिनके प्रति यह नई मुहब्बत पैदा की जाती है वह आज भी डंडा लिये खड़े हैं कि एक आध बीघा इधर उधर से खींच लें। इस तरह से खींचातानी गांवों में मची हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस तर्क को रखता हूं तो बहुत सफाई से और निर्भिकता से रखता हूं कि अगर कुछ देना है तो २५० रुपये से ऊपर वालों को देना चाहिये जिनके पास न सीर है और न भूमिधरी है और जिन्होंने न नौकरी की है और न फिलहाल कुछ दिन कर सकेंगे और न उनके पास ज्यादा पैसा ही है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने पहले ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं किया। इन शब्दों के साथ-साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। अगर यह सब के लिये होता तब तो मैं खामोश हो जाता लेकिन केवल २५० रुपये वालों के लिये और इससे नीचे वालों के लिये है इसलिये जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और सदन के उस पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब इस तरह का अहमियत का संशोधन आया करे तो वह भावना की दुनिया में न बहें और यह न गिने कि तादाद कितनी है। अगर उनकी तादाद १८ लाख है तो चाहे उनके पक्ष में हो या न हो बोलना जरूरी है। इन बातों को छोड़ दें और चीज़ को न्याय के पलड़े पर बिठाया जाय। अब न कोई छोटा है और न बड़ा है। यह सवाल तो हमारी समझ में आता है कि देना है तो सबको दो और लेना है तो सब से लो। यह बात समझ में नहीं आती है कि २५० रुपये तक या इससे नीचे वालों को तो गंगा जी पर बैठ कर दान करें और बड़ों को फांसी पर चढ़ाया जाय और यह न देखें कि बड़ों ने क्या-क्या किया है।

क्या यह सही नहीं है कि हममें से ऐसे जमींदार हैं जो पहले भी बहुत पापुलर थे और आज भी गावों बहुत पापुलर हैं ? मैं तो देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो हम लोगों को हराकर आज इस भवन में आये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आज जब इतना अहम मसला पेश है तो हिसाब न लगाया जाय कि इसके पीछे १८ लाख आदमी हैं। अगर यह हमारे साथ हो जायेंगे तो हमारी तादाद बढ़ जायगी बल्कि इंसाफ के साथ कोई बात रखनी चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं कि यह २५० रुपयों तक या उससे कम के लोगों के लिये हैं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर २५० रुपया से नीचे-ऊपर वालों की गिन्ती की गई है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिये कि देश में गरीबी है और मुल्क में कम से कम १/५ हिस्सा ऐसे तबके का है जिसके खाने-पीने का ठिकाना नहीं है। आज मैं देखता हूं कि कई रोज से यह बिल पेश है। लेकिन इन गरीबों के मुताल्लिक़ न तो किसी सोशलिस्ट भाई ने कुछ जिक्र किया और न किसी और ने किया जो सड़कों पर घूमते हैं और रिक्शा चलाते हैं उनके लिये आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं २५० रुपये वालों का किस्सा बतलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े जमींदारों ने इन पांच साल के अन्दर अपने नाना, चाचा, चाची, भाई, भतीजे सबके नाम इन २५० रुपयों वालों में लिखा दिये। एक आध कोई आलसी रह गया होगा।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट कर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री शिवनारायण]

यह जो अमेंडमेंट आया बिलकुल बेकार है और सरकार का टाइम खराब करता है और हमारे सदन के समय का दुरुपयोग होता है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा संशोधन पेश न किये जांय जिससे सदन का समय व्यर्थ जाता है।

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि अब सदन का समय नष्ट करने का जिक्र न हुआ करे। क्योंकि यह कार्य अध्यक्ष का है कि सदन का ऐसा व्यर्थ समय न जाय। लेकिन मैंने इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि लोग स्वयं ही समझ लें। इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें दूसरों का भी अपमान है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, अपमान की दृष्टि से मैंने यह नहीं कहा था मुझे दुख है और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

यह ढाई सौ रुपये का जो जिक्र किया गया है यहां की ढाई सौ रुपये से कम देने वाले लोगों के साथ रिआयत की जानी चाहिये। अरे, ये वही लोग हैं चाहे वे ढाई सौ के हों चाहे एक पैसे के हों, जमींदार शब्द उनके पीछे लगा था और जो जुल्म बड़े जमींदारों ने किया वही छोटों ने भी किया। मैंने आज देखा कि जो लोग यहां पर जमींदार हैं उनकी हमर्ददी उनके साथ है और उन लोगों ने चाहे वे सरकारी बेंचों के हों चाहे आपोजीशन के हों एक ही राग अलापते रहे। मैं इस सिद्धांत का विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन यहां पर उपस्थित हुआ है उसमें भी मैं एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। यह "प्रतिकर" शब्द मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र जिन्होंने संशोधन उपस्थित किया है वह उसमें से निकाल दें। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसके पहले भी जो हमारी इच्छा थी वह हमारे साथियों द्वारा बिलकुल प्रकट हो चुकी है कि हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट किस सिद्धांत से देते हैं। जब जमींदारी एबालीशन की कमेटी बनी थी और उसमें गवाहियां पेश हुई थीं तो उसमें आचार्य नरेन्द्र देव जी की भी गवाही पेश हुई थी। उस समय की तमाम गवाहियों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूं तो उसमें यह बात पायेंगे कि आज उन लोगों को जिनको हम सम्पत्ति-विहीन करते हैं और उनको जीवन निर्वाह के लिये कोई साधन नहीं रह जाता, उनको पुनः बसने के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट यानी पुनर्वास अनुदान हम देते हैं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सिद्धांत इसी बात से प्रस्तावित होता है इसीलिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट शब्द वहां रखा गया। जहां तक जमींदारों को मुआविजा देने के सिद्धान्त की बात है, यह सर्व विदित है कि हम जमींदारों को मुआविजा देने के विरोधी हैं। हम नहीं चाहते थे कि जमींदारों को मुआविजा के रूप में इतनी बड़ी रकम दी जाय। जमींदारी व्यवस्था किस तरीके से यहां पर आयी, जमींदारी व्यवस्था ने हमारे सूबे में किस तरह से शासन का एक ढांचा खड़ा किया, किस तरह से जनता उसके जरिये से पीसी गयी, है, सतायी गयी इसकी एक लम्बी कहानी है जिसको हमारे सब भाई यहां जानते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम एक बात का एक तरीके से खंडन करते हैं और फिर आगे चल कर उसी का मंडन दूसरे शब्दों से करते हैं। यह तरीका बुद्धि विभ्रम का ही फल है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष—कृपा करके आप अपना भाषण जारी रखें। आप बैठ गये इसलिये उन्होंने पूछ लिया।

श्री राजनारायण—तो मैं यह पूछना चाहता हूं अपने उन सम्मानित सदस्यों से जो कि आज पुनर्वास में से कुछ कटौती करना चाहते हैं कि आखिर पुनर्वास अनुदान दिया ही गया। वह तो इसलिये दिया गया कि फिर से उस आदमी को बसने की आशा हो? कोई शौकिया नहीं, कोई एक परिपाटी प्रतिपादित करने के लिये नहीं, बल्कि पुनर्वास जितना भी दिया जाता है उसमें यही सिद्धांत निहित रहता है कि जिस व्यक्ति को हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं उस व्यक्ति के पास फिर से बसने के लिये गुंजाइश नहीं है अतः सरकार अपनी ओर से गुंजाइश कर रही है। जब हम ऐसे सिद्धांतों को उपस्थित करते हैं तो हमारे ऊपर सरकार की ओर से दोषारोपण किया जाता है कि हम तो आज जमींदारों से हाथ मिला रहे हैं। मगर मैं निहायत अदब के साथ कह देना चाहता हूं आपके द्वारा कि जमींदारों से हाथ कौन मिला रहा है और किसने बार बार मिलाया है? इसकी तरफ़ अगर सदन में बहुत चर्चा आज न हो तो अच्छा ही होगा। क्योंकि यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अभी जब कि एक जमींदारी से सम्बन्धित बिल यहां पर उपस्थित हुआ था उस समय भी हम चाहते थे कि किसी तरीक़े से आज जो टिलर आफ़ दि स्वायल है उसको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए मगर उस समय सरकारी बेंचों की ओर से यह कहा गया था कि टिलर आफ़ दि स्वायल कोई ट्रेसपासर के रूप में आये तो क्या जमींदार हमारे शत्रु हैं, जो ट्रेसपासर को राइट दे दें? उस समय यह तर्क सरकारी बेंचों की ओर से जब पेश किया गया तो उनको समझना चाहिये कि वे किससे हाथ मिला रहे हैं और आज जब कि यह रक़म जो क़र्ज़ के रूप में जमींदारों के ऊपर है वह किसकी रक़म है? कोआपरेटिव की रक़म नहीं, सरकार की रक़म नहीं, बैंक की रक़म नहीं, केन्द्रीय सरकार की रक़म नहीं, उसके लिये तो पहले ही इस बिल के जरिये गुंजाइश कर दी गयी है कि उनको कोई छूट नहीं होगी, तो फिर यह जो रक़म होगी यह मानीलेंडर्स की होगी जो महाजन होंगे, जो क़र्जा देने के लायक़ होंगे उन्होंने ही तो क़र्जा दिया होगा। आखिर यह रुपया जो अनुदान में कटौती कर जो उनको दिया जाने वाला है वह उन्हींके पास तो जायगा जो शोषक के रूप में चारों तरफ़ फैले हुये हैं। कोई ग़रीब जनता का यह रुपया नहीं है जिसके लिये आज बहुत बड़ी हमदर्दी दिखायी जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार किस तरह से यह कह सकती है कि अनुदान में से अगर सोशलिस्ट पार्टी किसी की रकम को नहीं कटवाती तो वह जमींदारों से गठबंधन करती है। इसके माने मैं यही लगाता हूं कि यह केवल एक प्रोपेगेंडा की बात कही जाती है। कल मोटे-मोटे अक्षरों में अखबारों में निकल जायगा (कि सोशलिस्ट आर एलाइनिंग हैन्ड कि सोशलिस्ट जमींदारों से हाथ मिला रहे हैं) विथ दि जमींदारस् तो उनका यह परपज (उद्देश्य) पूरा हो जायगा। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से चीप प्रोपेगेंडा (सस्ता प्रचार) के जरिये काम चलने वाला नहीं है। एक, दो तीन कर के सारी बातें ले लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमान् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी बातें जब विरोधी पक्ष के माननीय नेता श्री राजनारायण जी उपस्थित नहीं थे तो प्रस्ताव के रूप में आ चुकी हैं। यह प्रस्ताव कि पुनर्वास अनुदान ढाई सौ से नीचे वाले कर्जदारों से न उसूल किया जाय भवन ने अस्वीकर कर दिया और फिर यह आया कि सबका पुनर्वास अनुदान......

अध्यक्ष—प्वाइण्ट आफ आर्डर आपका क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह निवेदन करना है कि यह सारी बहस कि जो पुनर्वास अनुदान है इसका उसूल क्या रहना चाहिये यह विषय नहीं है। संशोधन यह है कि एक चौथाई तक वसूल हो बाकी न वसूल हो। तो इतने ही तक माननीय सदस्य अपने भाषण को सीमित रखें।

अध्यक्ष—वह तो आपका सुझाव है। यह कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो पहले संशोधन था कि पुनर्वासन अनुदान से एक पैसे की कटौती न हो जब वह हमारा संशोधन गिर गया तो जब यह एक चौथाई वाला संशोधन आता है तो मेरा फर्ज होता है कि हम उसका समर्थन करें।

अध्यक्ष—मैंने तो कह दिया है कि वह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आपको उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात कहें।

श्री राजनारायण—मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि अगर पुनर्वासन अनुदान में से कटौती होती है तो यह अन्याय होता है। यह पुनर्वासन अनुदान के साथ अन्याय होता है, उसके कोई माने नहीं रह जाते। एक हाथ से देना और उदारता का भाव दिखाना कि हम रिहैबिलिटेशन और कम्पेनसेशन दोनों दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको ले लेना यह कहा तक उचित है? माननीय सदस्य जो इसके विरोध में बोले और जो यह चाहते हैं कि पुनर्वासन अनुदान में कटौती हो, वे बतला सकते है कि क्या इतिहास में कोई एग्जाम्पिल (उदाहरण) है कि दोनों पुनर्वासन अनुदान और कम्पेनसेशन किसी को दिया गया हो। एक अजीब चीज उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और करने जा रही है।

अध्यक्ष—सवाल यहां कम्पेनसेशन का या पुनर्वासन अनुदान का नहीं है बल्कि कटौती का सवाल कर्जे में से हैं।

श्री राजनारायण—उसी कटौती पर मैं आ रहा हूं। अगर पुनर्वासन अनुदान को कर्जे में काटा जा रहा है तो यह पुनर्वासन अनुदान और कम्पेनसेशन का सम्मिश्रण किसलिये किया गया। मैं समझता हूं कि सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ होगी। उसका उत्तर यही है कि किसी न किसी तरीके से एक लम्बी रकम जमींदारों को देनी थी मगर कम्पेनसेशन के सिद्धान्त को जब हम मानते हैं कि तो चाहे कोई बड़ा जमींदार हो या छोटा हो हम उसके राइट को मान लेने हैं कि हम इस भाव से दे रहे हैं और उसी भाव से सबकी कमी की पूर्ति करेंगे। इसी लिये हम कम्पेनसेशन के सिद्धान्त को नहीं मानते। हम इतना मानते हैं कि आज जिसके जीवन निर्वाह का साधन हटता जा रहा है तो मानवता के नाम पर उसको पुनर्वासन अनुदान दिया जाना चाहिये और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उस पुनर्वासन अनुदान को कर्जे की रकम से कटौती की जाती है तो फिर पुनर्वासन का अनुदान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह श[illegible] निरर्थक रह जाता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आज मुक्त कंठ से उनको स्वीकार करना चाहिये कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन का गठबंधन पुरानी प्रतिक्रियावादी नीति को छिपाने के लिये किया गया है। यह रिहेबिलिटेशन ग्रांट नहीं, एक तरह से कम्पेनसेशन ही है, केवल नाम दो रख दिये गये हैं

अध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री राजनारायण—मैंने पहले ही कह दिया था कि "प्रतिकर या" इस में से निकाल दिया जाय तब मैं सपोर्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष—इस तरह का शार्तिया सपोर्ट तो नहीं होता।

श्री राजनारायण—मैंने निवेदन किया कि संशोधन जिन्होने रक्खा है उस पर यह अमेंडमेंड रख कर "प्रतिकर या" निकाल दिया जाय, तब मैं उसका सपोर्ट करुंगा, यह मैंने पहले ही संशोधन में अमेंडमेंट कर दिया था।

मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जिन्होंने संशोधन रक्खा है वह इसमें से "प्रतिकर यह" निकाल दें क्यों कि कम्पेनसेशन पहले से ही हमारी घोषित नीति में है कि हम नहीं देना चाहते।

कम्पेनसेशन की रकम को हम नाजायज समझते हैं, उसको गरीबों के ऊपर कुठाराघात समझते हैं और इस कम्पेनसेशन को देने के लिये ही १० गुना लगान का बार बोझ किसानों पर लादा गया। इसलिये हम कहते हैं कि कर्जे में कम्पेनसेशन को ले लिया जाय लेकिन रिहैबिलिटेशन के नाम से जो रकम सरकार दे रही है उससे कटौती करना रिहैबिलिटेशन ग्रांट के साथ अन्याय करना है और इस शब्द का अर्थ महत्वहीन हो जायगा। अतः २५० तक मालगुजारी देने वाले छोटे जमींदारों के पुनर्वास अनुदान से में कटौती नहीं होनी चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन मेरे संशोधन में रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और श्रीमन् इस संशोधन को स्वीकार करते हुए और अपने ओरिजिनल संशोधन के विरोध में माननीय सदस्यों के जो भाषण सुनने को मिले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका उत्तर कैसे दूं। इस संशोधन का सम्बन्ध ढाई सौ रुपये से कम के मालगुजार से है। मेरी समझ में उत्तर देना इसलिये नहीं आ रहा है कि जब किसी समय सरकार यह कहती है कि बड़े जमींदार ऐसे थे, वैसे थे और छोटे जमींदारों को साथ लेकर नहीं चलते थे, कैसरबाग की बारहदरी में उनका ही एसोसियेशन था, उसमें छोटे जमींदार नहीं जा पाते थे और जब ढाई सौ रुपये से कम की बात का संशोधन रक्खा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि बड़े जमींदार तो फिर भी कुछ अच्छे थे और छोटे जमींदार ही निकम्मे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही समझा कि निकम्मा कोई जमींदार नहीं है और एक तरह से यह प्रमाणित हो जाता है कि पोलिटिकल कांटिजेंसी को छोड़ कर, समय समय पर सरकार भी उनका साथ देती है और माननीय सदस्य लाल टोपी वाले भी साथ देते हैं। तो श्रीमन्, यह साबित हो जाता है कि हम निकम्मे थे न पापी थे, सरकार ने यह सोचा कि देश की प्रगति के लिये जमींदारी प्रथा को उठ जाना चाहिये तो उसको हटा दिया गया और जब कोई ठीक बात होती है तो भूतपूर्व जमींदारों को बचाने के लिये सरकार भी हमारा साथ देती है और उसके साथ ही साथ ढाई सौ रुपये से नीचे के मालगुजार जो जमींदार हैं जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत गरीब समझता हूं और यह समझता हूं कि उन पर मेहरबानी की जाय, उनके प्रति हमारी सोशलिस्ट पार्टी वाले भी मदद देने को तैयार हैं तो श्रीमन् मैं आपके जरिये केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ढाई सौ से नीचे के जमींदारों को जिनको पुनर्वासन अनुदान दिया जा रहा है उसकी कटौती कर्जे में न की जाय। उसके लिये ही मैंने यह संशोधन रक्खा है और अपने संशोधन में अब तो "प्रतिकर या" भी निकाल लेना स्वीकार कर लिया है और केवल यही संशोधन रह जाता है कि ढाई सौ से नीचे वाले जमींदारों को जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जाती है उसमें से कर्जे में १/४ से ज्यादा कटौती न की जाय। केवल इतना ही संशोधन है। इसमें कोई आइडियोलाजी का प्रश्न नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि १८ लाख जमींदारों का बारबार जिक्र किया जाता है। १८ लाख की बात करने से हमारा कोई संकेत चुनाव की ओर नहीं होता। अगर जमींदार इतने संकुचित हृदय के होते तो इतने कांग्रेस वाले यहां न आ पाते। मैं कोई बारगेनिंग नहीं कर रहा हूं जिससे प्रभावित होकर मेरे संशोधन को मान लिया जाय। राजस्व मंत्री से मैं आपके द्वारा कहूंगा कि सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए मेरे संशोधन को मान लिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भाषण करते हुए विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि पुनर्वासन अनुदान और कम्पनसेशन यह दोनों सरकार साफ क्यों नहीं स्वीकार कर लेती

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कि एक ही बात है। उनकी दलील यह है कि कम्पेनसेशन और पुनर्वासन अनुदान अलग-अलग चीज़ हैं। वह कम्पेनसेशन का तो विरोध करते हैं लेकिन पुनर्वासन अनुदान का समर्थन करते हैं और कहते यह हैं कि पुनर्वासन अनुदान को कम्पेनसेशन की तरह ट्रीट न किया जाय। यह बात माननीय राजस्व मंत्री ने, जब कि विरोधी पक्ष के नेता यहां उपस्थित नहीं थे, कही थी और स्पष्ट कर दिया था कि हम छोटे जमींदारों को कम्पेनसेशन ज्यादा देना चाहते हैं और बड़ों को कम देना चाहते हैं लेकिन संविधान के अनुसार ऐसी कोई तफरीक हम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वैधानिक दिक्कत पैदा हो जैसी कि बिहार जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में हुई। लेकिन कम्पेनसेशन और ग्रांट पर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं आने पाई। लेकिन वास्तव में जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है वह एक शक्ल में कम्पेनसेशन ही है और वह कोई ऐसी रकम नहीं है कि रिफ्यूजीज को दी जा रही है या जिसको अपरूट कर दिया गया है। बल्कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं वह तो अपनी सीर भी रखते हैं और खुदकाश्त भी उनके पास है और वह अपना काम करते हैं। जो अर्थ रिहैबिलिटेशन ग्रांट का श्री राजनारायण जी ने लगाया है वह वास्तव में नहीं है। यह बात नहीं है कि वे अपरूटेड किये गये हों और फिर से उनको बसाने के लिये यह दिया गया हो। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। इसलिये हम जो कम्पेनसेशन दे रहे हैं उसी की शक्ल में यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट है इसका नाम अलग इसलिये रख दिया गया कि हमको कांस्टीटयूशनल दिक्क़त होती थी।

अब रही बात यह कि २५० रुपये से नीचे वालों के साथ उनकी हमदर्दी है। छोटे जमींदारों के साथ हमारी हमदर्दी भी है और इसी वजह से जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो पुनर्वासन अनुदान दिया गया है उसका हिसाब ग्रेडेड किया गया है उसमें छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलेगा। मैं राजनारायण जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह जमींदारों के और काश्तकारों के लेनदेन की बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उनको इसकी काफी जानकारी है और डैट रिडम्पशन ऐक्ट पास हुआ था तो उसका जो देहात में असर पड़ा वह यह कि जमींदारों ने कर्जा लिया था और अपना खेत रेहन किया था और उन गरीबों ने रुपया लेकर रेहन लिया था और खेती करने के लिये अपना पेट काट कर रुपया जमींदारों को देकर खेत लिये थे और कर्जा इसीलिये लिया कि उनको खेत के लिये जरूरत थी। इस तरह से वह महाजन की कटेगरी में आ गये और उन गरीबों का कर्जा इस तरह से खत्म हुआ। आज भी ऐसे गरीब हैं जो सीर वग़ैरा रेहन रख कर जमींदारों के यहां खेत जोतते हैं। आज इस जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के जरिये से वह सीर और खुदकाश्त रिवर्ट हो जायगी। वह किसी तरह से रुपया पायेंगे? जमींदारों ने सीर लिख दी और वह सिम्पिल मारगेजी हो गये। वह काश्तकार हैं वह जमींदारों से भी गरीब हैं। तो क्या राजनारायण जी चाहते हैं कि मनिलैंडर के नाम पर जिन्होंने रेहन लिखाया उनका कर्जा इस हद तक मारा जाय। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ५०० रुपये का कर्जा है उसमें ६० रुपये तक भी वसूल न हो सिर्फ २० रुपया ही वसूल हो। ५०० रुपये में से स्केल डाउन करके तो किसी तरह से ८० रुपया हुआ और उसमें से तीन बटा चार बरी हो गया तो फिर २० रुपया ही उसको मिल सकता है। मैं नहीं समझता कि किसी मोटे जमींदार के साथ इतनी बड़ी हमदर्दी जो दिखाई जाती है कि उस हमदर्दी के आधार पर उन गरीबों को जिन्होंने उनको कर्जा देकर उसका खेत लिखवा लिया था उनका कर्जा एकदम खत्म हो जाय। दोनों बातों का लिहाज किया गया है। जमींदारों का कर्जा स्केल

डाउन भी किया गया है और कम्पन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से कमी भी कर दिया गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म के आंकड़े हैं कि कितना कर्जा गरीबों का जमींदारों के ऊपर है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---कोई आंकड़े मेरे पास इस वक्त नहीं हैं लेकिन राजनारायण जी जानते हैं कि कितने काश्तकारों ने ऐसा किया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बटा चार तो पहले ही कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में कर्जे की वसूली के लिये बरी कर दिया गया और इसके अतिरिक्त स्केल डाउन किया गया। अब इस संशोधन के जरिये आप यह चाहते हैं कि यह १/४ ही वसूल हो और बाकी सारा कर्जा खत्म कर दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि ढाई सौ से नीचे के सब सीर और खुदकाश्त वाले हैं और बड़े काश्तकार वे हैं। जो जोतने वाले हैं। तो इसलिये राजनारायण जी ने जो दलीलें दी हैं वे उचित नहीं हैं और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन कर्जा देने वालों के साथ अन्याय करता है और जमींदारों का बहुत पक्षपात करता है। जिससे जमींदारों के साथ भी न्याय हो और कर्जा देने वालों के साथ भी न्याय हो तो यही उचित है कि जिस प्रकार बिल में है वही स्वीकार किया जाय और इस संशोधन को अस्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

"ऐसे वाद ऋणी जिसकी मालगुजारी २५० रुपये तक रही हो के ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होता है बन्धक किये गये अस्थान के प्रतिकर या उसके सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान को धनराशि के विरुद्ध एक चौथाई भाग तक हो, निष्पादित (execute) की जा सकेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१५
विपक्ष में---१०३।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* खंड ६ (क्रमागत)

अध्यक्ष---खंड ६ यदि इस समय ले लिया जाय तो माननीय राजस्वमंत्री को कोई आपत्ति तो न होगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, श्री जयराम वर्मा जी ने जो संशोधन खंड ६ में उपस्थित किया है उसमें से मुझे निम्न प्रकार से संशोधन स्वीकार है---

खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं। पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़" निकाल दिये जायं तथा पंक्ति ४ में शब्द "गयी" और 'धनराशि' के बीच में शब्द 'समष्टि' (aggregate के अर्थ में) बढ़ा दिया जाय।

*१४ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन समष्टि शब्द व्याकरण के हिसाब से गलत है क्योंकि शब्द 'समष्टि' नाउन है लेकिन यहां हमें ऐडजेक्टिव की आवश्यकता है अतः ऐडजेक्टिव के स्थान पर नाउन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उसके बजाय 'राशिकृत' 'संग्रहीत' आदि में से कोई शब्द रख दिया जाता तो अच्छा होता। इसमें आप मेरी सहायता करें।

अध्यक्ष--वह तो समष्टि ठीक होगा या और कोई सही शब्द होगा, उसे आप मेरे ऊपर छोड़ दें तो मैं उसको बाद में ठीक कर लूंगा। बाकी जो और चीजें संशोधन में बतलायी गयी हैं वे आपको स्वीकार हैं? उसी पर मैं वोट लूंगा।

श्री जयराम वर्मा--जी हां, यहां कोई शब्द आ जाय और वही अर्थ निकल जाय तो मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष--एग्रीगेट शब्द कोई आ जायगा।

(कुछ क्षण पश्चात्)

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द और अंक "उपखंड (३)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपखंड (२)" रख दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "के जोड़" निकाल दिये जायं तथा पंति ४ में शब्द "गयी" और "धनराशि" के बीच में शब्द "समष्टि" या जो उचित शब्द उसके लिये एग्रीगेट के अर्थ में हो रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८--क

बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के संबंध में डिक्रियों का निष्पादन।

"८--क सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण के सम्बन्ध में कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी के उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासिन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की क़ुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।"

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

वर्तमान खंड ८ क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ८--क रख दिया जाय--

"८--क-- सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से सम्बद्ध किसी डिक्री को जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालय किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जो प्रबन्ध सरकार ने उन जमींदारों की कुछ मदद देने के लिये किया है जिनकी जमींदारी अब ले ली गयी है, तो वह जो ऋण का कम हो जाना है वह केवल सुरक्षित ऋण के लिये है। पर जो सुरक्षित ऋण नहीं है मेरे संशोधन से जब उनका भी पेमेंट होगा तो वह उसी अनुपात से कम हो जायगा। अनुसूची २ के अनुसार वे असुरक्षित ऋण की भी अदायगी कर सकते हैं। इस संशोधन पर मुझे कुछ अधिक निवेदन करना नहीं है। केवल इतना कहना है कि यदि किसी ऋणदाता ने किसी जमींदार को या किसी स्टेट को बन्धक रख कर ऋण दिया है तो वहां पर उसका ऋण कम हो जाता है। परन्तु यदि कोई ऐसी बात नहीं की गयी है और सुरक्षित ऋण इस कारण रखा कि किसी और प्रकार का ऋण है तो उस समय वह जो ऋणदाता है उसका कर्जा कम नहीं होता और वह उससे पूरा-पूरा फायदा उठाता है। तो जब इस उसूल को मानते हुए कि जमींदारों में अब अपने ऋण को देने की शक्ति नहीं रह गयी है और उसके ऋण को कम कर दिया जाय, जब आप इस उसूल को मानते हैं तो कर्जा चाहे सुरक्षित हो, चाहे असुरक्षित हो दोनों ही देने पड़ेंगे और यदि एक ऋण के देने की उसके पास शक्ति नहीं रह गई तो यह तो जाहिर है कि वह दूसरा ऋण भी वह नहीं दे सकता। ऐसा हो सकता है कि असुरक्षित ऋण किसी का हो किसी के ऊपर और उसका सारा प्रतिकर उसी में चला जाय तो इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब कि कानून लाया गया है कि जमींदारी चले जाने के बाद अब वह ऋण नहीं दे सकता तो फिर सरकार को सुरक्षित और असुरक्षित में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये था और उसकी इजाजत देनी चाहिये कि वह अपने सुरक्षित ऋण की भी अनुसूची २ के मातहत अदायगी कर सके।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुसूची २ के अनुसार कर्जे की कमी होगी वह सुरक्षित ऋण की ही होगी और यह न्यायसंगत भी है क्योंकि स्टेट को खतम किया गया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत और जो कर्जा उस स्टेट पर हो उसी में कमी की जा सकती है। असुरक्षित ऋण जो सिक्योर्ड डेट नहीं है और जिसे स्टेट पर नहीं लिया गया है उसके संबंध में यह न्यायसंगत नहीं है कि कर्जे में कमी की जाय जैसा कि इस संशोधन के प्रस्ताव-कर्ता महोदय की इच्छा है। सुरक्षित ऋण के लिये ही इस अनुसूची के अनुसार इतनी सुविधा दी गई है कि अगर वह कम्पेनसेशन से या पुनर्वासन अनुदान से वसूल करना चाहे तो वसूल कर सकता है दूसरे किसी तरीके से वसूल नहीं कर सकता और अगर असुरक्षित ऋण के लिये यह सुविधा दे दी जाय तो वह उतना ही वसूल कर पायेगा और किसी दूसरे तरीके पर नहीं कर सकेगा और उसकी भरपाई हो जायेगी। इस के लिये उसका स्केल डाउन करना उचित नहीं है क्योंकि जो सिक्योर्ड डेट है वह स्टेट पर लिया गया है और असुरक्षित ऋण है जो अनसिक्योर्ड है वह स्टेट पर नहीं लिया जाता है इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सुरेश प्रकाश जी ने पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने राजस्वमंत्री जी का भाषण सुना। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि सुरक्षित ऋण स्टेट के ऊपर दिया गया है और वह सिक्योर्ड कर्जा है और उसके स्केल डाउन करने का प्राविजन इस बिल में है लेकिन जो अनसिक्योर्ड डेट है उसके लिये रुपया इस्टेट पर नहीं दिया गया, बल्कि जातियात व्यक्तिगत हैसियत पर दिया है इसलिये उसको स्केलडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्रीमन् सरकार को बतलाना चाहता हूं कि आदमी की हैसियत उसके स्टेट, जमीन, या उसकी जायदाद के ऊपर ही देखी जाती है और उसको देखकर ही कर्जा कोई देता है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

लिखने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन कर्जा सब हैसियत देखकर दिया जाता है। कोई व्यक्तिगत मोटे पतले दुबले आदमी को देखकर कर्ज नहीं देता सब हैसियत जायदाद जमीन या मकान वगैरह देखकर कर्जा देते हैं। तो श्रीमन्, जहां मंत्री जी ने सुरक्षित ऋण को स्केल डाउन किया है वहां इसको अनसिक्योर्ड डेट को भी स्केल डाउन करने के लिये तैय्यार हो जायं, और यदि यह नहीं किया जाता है तो इससे जिन छोटे जमींदारों ने प्रोनोट पर रुपया लिया है उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर प्रोनोट लिखे हैं या परसनल बांड के ऊपर लिया है। अगर हमारे संशोधन को सरकार ने मंजूर नहीं किया तो यह नतीजा होगा कि उनसे पूरा रुपया वसूल कर लिया जायगा और उनको तकलीफ होगी। बड़े-बड़े जमींदारों के कर्जे तो सब सुरक्षित हैं, लेकिन छोटे-छोटे जमींदारों ने प्रोनोट लिख दिया। वह अनसिक्योर्ड लोन हो जायगा उससे तकलीफ होगी।

जहां तक राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि हमने यह रखा है कि फिर वह दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मैं सरकार को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि कोई दूसरा तरीका महाजन नहीं अख्तियार करेगा जो सरकार समझती है कि वह जेल भेजना चाहेगा। ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो कर्जदार भुगतेगा। उसकी परवाह सरकार को नहीं करनी चाहिये।

अगर सरकार जांच करे तो मालूम होगा कि प्रोनोट में सूद तो आठ आने का लिखाया और दो सौ की जगह पांच सौ का प्रोनोट लिखाया है। ये तो चीजें ऐसी हैं जो उनके साथ में रियायत करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार करेंगे। इससे छोटे जमींदारों को बहुत सुविधा होगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को अस्वीकार करते हुये सरकार की ओर से जो कहा गया है मैं उससे इसलिये प्रभावित न हो सका कि यहां पर केवल सवाल इसका नहीं है कि यदि जमींदारी ले ली गयी है तो जमींदारी के ऊपर जो कर्जा सरकार ने कम कर दिया है और सरकार की यह लायबिलिटी थी। उन्होंने ऐसा कर दिया। श्रीमन् सवाल यह है कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद खास तौर से छोटे जमींदारों के पास क्या रह गया है जिससे वह अपना कर्जा अदा कर सके, और उसके बाद में ऐश नहीं कह सकता लेकिन आराम की जिन्दगी बसर कर सके जिसका सबको हक है। श्रीमन्, मान लीजिये कि कोई ऐसा छोटा जमींदार है जिसका एक मकान लखनऊ या बाराबंकी या किसी शहर में है उसका ७५ या ८० रुपये माहवार किराया आता है। अब अगर उसका मकान असुरक्षित ऋण की अदायगी में नीलाम हो जाय तो वह जमींदार जिस की जमींदारी ले ली गयी, और जिसे प्रतिकर भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है और उसकी बसर ७५ या ८० रुपये पर होती थी, वह भी हाथ से निकलता है तो श्रीमन् एकतरफा न्याय नहीं हुआ करता। न्याय केवल इसमें नहीं है कि सुरक्षित ऋण को ही कम किया जाय क्योंकि जैसा कि मैंने निवेदन किया असुरक्षित ऋण देने में ही जमींदार तबाह हो सकता है या उसकी जीविका के लिये कोई चीज रह गयी हो वह भी बिक सकती है और यह केवल इसीलिये हुआ है कि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सचमुच न्याय इसमें है कि सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ही ऋण कम हो जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—और कुछ विशेष कहना नहीं है। जो बातें थीं मैंने पहले ही कह दीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ८—क के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ८-क रख दिया जाय

"८—क—सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण से संबद्ध किसी डिक्री को जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो, निष्पादन करने वाला न्यायालय किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह शाब्दिक संशोधन है श्रीमन्, मैं इसे पेश करना चाहता हूं कि खंड ८-क की प्रथम पंक्ति के शब्द "के" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय यह केवल भाषा का है ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८-क की प्रथम पंक्ति के शब्द "के" स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८-क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ८—ख

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, मैं ३८ नम्बर को न पेश करके ३९ को पेश करना चाहता हूं ।

खंड-क के बाद निम्नलिखित नया खंड ८-ख बढ़ा दिया जाय-

"प्रत्येक जमींदार ऋणी को वही सब सुविधायें और अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक कृषि कर्त्ता (Agriculturist) को धारा ६० (९) (उत्तर प्रदेश) सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत प्राप्त हैं ।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आन प्वाइंट आफ़ आर्डर । श्रीमान् अध्यक्ष महोदय इस समय जो संशोधन उपस्थित किया गया है यद्यपि शब्द भिन्न हैं, लेकिन बिल्कुल इस संशोधन का अर्थ यही है कि जो श्री नारायण दत्त तिवारी ने संख्या १९ पर संशोधन उपस्थित किया था कि किसी की परमानेंट रेज़ीडेंस इस डिक्री में ।

अध्यक्ष—निवास स्थान वाला जो है वह तो अड़तीसवां है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं उंतालीसवें पर ही कह रहा हूं । इस संशोधन के संबंध में श्री नारायण दत्त जी द्वारा पेश किये गये १९ संख्या वाले संशोधन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस संशोधन का भी यही अर्थ है कि किसी की परमानेंट रेज़िडेंस कर्जे में न ली जाय, न उसको नीलाम किया जाय यानी धारा ६० जो सिविल प्रोसीजर कोड की है उसके अनुसार जो सुविधायें हैं वह सब दी जायं । वह यह है कि काश्तकारों के मकान सुरक्षित रखे गये हैं, नीलाम नहीं होते हैं तो इस विधेयक के अनुसार भी कोई मकानात नीलाम न किये जायं । धारा ६० की सुविधा देने का यही अर्थ हुआ ।

अध्यक्ष—६० (सी) में मकान के अलावा और सुविधायें हैं क्या ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हां और सुविधायें हैं ।

अध्यक्ष—सब सुविधायें माननीय नारायण दत्त जी वाले में नहीं थीं। वे सब सुविधायें चाहते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यदि सब सुविधायें चाहते हों तो साफ़ कह दें।

अध्यक्ष—६० (सी) वाली आप सब सुविधायें चाहते हैं या केवल मकान की सुविधा चाहते हैं ?

श्री भगवान सहाय—मैं सब सुविधायें चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक मेरे संशोधन का सवाल है, मेरा ख्याल है कि माननीय मौर्य जी समझे नहीं हैं। माननीय नारायणदत्त जी का जो संशोधन था वह बन्धक की गयी सम्पत्ति के संबंध में था। मेरा संशोधन उससे ज्यादा व्यापक है। मेरा संशोधन यह है कि प्रत्येक ज़मींदार ऋणी को वही सुविधायें और अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक कृषि कर्त्ता को धारा ६० (c) (उत्तर प्रदेश) सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत प्राप्त हैं। तो मेरे संशोधन में और जो उनका संशोधन था उसमें फ़र्क़ है।

अध्यक्ष—आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन्, मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि संशोधन जो मैंने पेश किया है इसके पेश करने का मेरा उद्देश्य यह था कि जो ऐसे कर्ज़े हों, जिनमें मकान मार्गेज्ड हो उन क़र्ज़ों के अन्दर भी ज़मीदार का मकान नीलाम न हो। सब से बड़ा सवाल श्रीमन्, यह है कि जैसा मैंने डिसेंटिंग नोट दिया है कि मैं उसूलन इस बात को समझता हूं कि हर आदमी को हक़ होना चाहिये कि उसका मकान क़र्ज़ से बरी रहे। जिस तरीक़े से बहुत से क़र्ज़ों में आदमी की रोजी कमाने वाले टूल्स नीलाम नहीं हो सकते उसी तरीक़े से मेरे कहने का मतलब यह है कि हर नागरिक को हक़ होना चाहिये कि उसकी जरूरियात की चीज़ें यानी रोटी, कपड़ा और उसके सिर पर साया उसे मिले। यह श्रीमन् कहा जायगा और कहा गया है कि बहुत से ऐसे ज़मींदार हैं जिनको यह जो पहले दफ़ायें आयी हैं उनके अन्दर राहत दी गयी है लेकिन अगर ग़ौर से देखा जाय तो यह बात साफ हो है कि बहुत से ज़मींदार ऐसे भी हैं जो शहर में रहते हैं और शहर के उनके मकान ऐग्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट के मातहत शुमार नहीं होते। श्रीमन्, यह भी सवाल आता है कि ज़मींदार की हैसियत उस क़र्ज़े को देने की है या नही है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि जब उसकी रोज़ी का ज़रिया ले लिया, उसकी वह चीज़ें ले लीं जिनसे कि वह क़र्ज़ा की अदायगी करता और वह भी उसके कुसूर पर नहीं बल्कि ज़माने की मांग पर तो यह अनुचित होगा कि वह मकान जिसमें वह रहता है ले लिया जाय। बहुत से ऐसे मामले भी हैं जिनमें छोटे ज़मींदारों के भी मकान शहरों में हैं या ऐसे हैं जो कि ऐग्रीकल्चर रिलीफ़ ऐक्ट के मातहत रिलीफ़ मिलता, उसमें नहीं आते हैं, तो फिर मैं यह कैसे मान लूं कि इस तरह से जो मकान हैं वे सब बड़े आदमियों के हैं। यह मैं मान लेता हूं कि इससे बहुत से ताल्लुकदारों को, जिनके मकान शहरों में हैं, रिलीफ मिलती है लेकिन बहुत से ऐसे छोटे ज़मींदार भी हैं जिन्होंने शहरों में मकान बना लिये हैं और उनके मकान भी सुरक्षित नहीं रहते हैं क्योंकि वे खेती नहीं करते हैं। फिर सवाल यह है कि वे खेती नहीं करते हैं इसलिये उनको राहत न दी जाय यह ग़लत सी बात है। राहत उनको इसलिये मिलनी चाहिये और मकान उनका इसलिये छुटना चाहिये क्योंकि उनकी कैपिसिटी अब पे करने की नहीं है। उनके अदा करने के जरिये खत्म कर दिया है और इसी बिना पर मैंने यह संशोधन रखा है कि ऐसे ज़मींदारों को राहत मिले। मैं मानता हूं कि ऐसे ज़मींदारों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन जहां कमी और ज़्यादती का सवाल है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य केवल मकान के लिये ही कह रहे हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् और चीज के लिये भी कहता हूं और जो रहा सिविल प्रोसीडयोर कोड की धारा ६० सी दी गई है वह मिलनी चाहिये और मकान का भी सवाल है। आगे चलकर मैं और चीजों के बारे में कहूंगा।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि एक जमींदार शहर में रहता है जिसकी फैक्टरी है और वह ५ बीघे की मालगुजारी देता है। जमींदारी खत्म हो गई तो आपके संशोधन के मुताबिक क्या उन लोगों के मकान शहर में बचते हैं या नहीं ? लाखों जमींदार शहर में ऐसे हैं।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् राजस्व मंत्री जी ने जो सवाल पेश किया है मैं उनके तर्क को मानता हूं। हो सकता है कि ऐसे केसेज हो और यह भी हो सकता है कि ऐसे केसेज लाखों हों। लेकिन जैसा कि मैं बतलाता हूं ऐसे केसेज ज्यादा होंगे। यह माने, क्यों मान ले, किस तरह से मान लिया जाय इस बात को कि ऐसे ही जमींदार शहर में होंगे जिनकी फैक्टरी है। ऐसे भी जमींदार है जो किसी वजह से गांव छोड़ कर शहर चले आये हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं है अगर है भी बहुत छोटा है। यह फैक्टरी वाले जमींदार तो मुझे यकीन है मुश्किल से दो चार ही होंगे। जिस प्रकार के जमींदारों का मैं जिक्र कर रहा हूं वह बहुत से हैं। महज इस बिना पर कि वह शहर में रहते हैं और उनका एक मकान है। इसी बिना पर मैं इसको अपोज करता हूं।

अब श्रीमन् हमे देखना यह है कि मकान एक जरूरियात की चीज है ऐसी चीज है जिस के बिना आदमी नहीं रह सकता है और इसके कांसीक्वेंसेज बहुत सीरियस हैं अगर आदमी के मकान हो जाये।

अध्यक्ष—आप बार बार दुहरा रहे हैं। कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो बतला दीजिये और कौन सी सुविधा की चीजें है वह बतलाइये क्योंकि मकान के ऊपर तो काफी बहस हो चुकी है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमान् सवाल यह है कि जब मकान नहीं रहेगा, और बातों पर मैं आगे आऊंगा। इस समय इस बात को क्लेरीफाई कर दूं श्रीमन् कि जब उसके पास मकान नहीं रहेगा तो उसकी क्या हालत होगी। विक्टर ह्यूगो के नाविल में जैसे जीन बेजीन की हुई नहीं होगी वह कहीं जा नहीं सकता था वही हालत इन जमींदारों को हो जायगी

अध्यक्ष—माननीय सदस्यों की बुद्धि पर आना विश्वास कीजिये कि मकान के जाने का क्या परिणाम होता है यह माननीय सदस्य समझते है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् मुझे उनकी बुद्धि पर तो विश्वास है लेकिन इससे मकान की कमी पूरी नहीं होती है अगर हो जाती तो मैं समझता हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस संशोधन को लाने की जरूरत न पड़ती। मैं ज्यों ज्यों इसके कांसीक्वेंसेज में देखता हूं हैरान हो जाता हूं। अगर कांसीक्वेंसेज सोचे जांय तो यह कोई साधारण सी बात नहीं है। आदमी को वे मकान करने के माने यह हो जाते है कि मैं.....

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसको दोहराने की कृपा न करें। इशारा काफी हो चुका है।

श्री भगवान सहाय—श्रीमन् इसे दुहराना नहीं चाहता हूं मैंने जो संशोधन रखा है उसे अगर गौर से पढ़ा जाय तो मैंने जमींदारों के लिये वही राहत मांगी हैं जो कि सिविल प्रोसीडियोर की धारा ६० सी में हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने अपने संशोधन के सिलसिले में जो दलीलें पेश की है मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये वह इन सब राहतों के मुस्तहक हैं और उन्हें वे मिलनी चाहियें और उसको मिलना चाहिये।

[श्री भगवान सहाय]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें और मेरे संशोधन को मान लें ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१५ अक्तूबर, १९५२ ।

नत्थी क

(देखिये १५ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८५ पर)

क्र. सं.	जिसके यहां चोरी हुई	माल जो चोरी किया गया
१	जिलाधीश के चपरासी डाल चंद (आउट हाउस)	१३१ रु० ४ आना के कपड़े व बरतन।
२	श्री के० के० सिंह असिस्टेंट इन्जीनियर (ट्यूब वेल्स)	८८२ रु० नक़द एक पिस्तौल और कुछ कपड़े।
३	श्री राम नारायण सिंह डी० एस० पी०	१९९५ रु० की क़ीमत के कपड़े और ज़ेवरात।
४	श्री आर० एल० शर्मा, डिप्टी कलेक्टर के नौकर के यहां (आउट हाउस)	६५ रु० की कीमत के कपड़े व नकदी

नत्थी ख

(देखिये १५ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

श्रमायुक्त कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों की सूची

क्र० स० १	हाता का नाम २	टट्टियों का निर्माण और अन्य कार्य ३
१	राजा बाबू का हाता, जूही	नालियां ठीक की गईं।
२	बीबी का हाता, जूही	६ टट्टियां। यह टट्टियां हाता के मालिक ने बनवाई हैं।
३	बद्री प्रसाद का हाता, जूही	गली पक्का कराना।
४	प्रमेशचन्द्र का हाता, ग्वालटोली	८ टट्टियाँ
५	लल्लूबाबू का हाता, दर्शनपुरवा	४ ,,
६	सत्यनारायण का हाता, दर्शनपुरवा	८ ,, नालियां और गली को पक्का कराया।
७	राम सिंह का हाता, दर्शनपुरवा	२ टट्टियां
८	परमेश्वरी देवी का हाता, कर्नलगंज	२ ,,
९	रूकाना कुंवर का हाता, कर्नलगंज	४ ,,
१०	रामेश्वर दयाल का हाता, दर्शनपुरवा	नालियों और गलियों को पक्की कराया।

नगर सुधार बोर्ड कानपुर द्वारा सुधार किये गये हातों की सूची

क्र. सं. १	हातों का पता २	उनका सुधार विवरण ३	टट्टियां ४
१	८५/१६४ लक्ष्मीपुरवा (रामेश्वर खेरेश्वर का हाता)	नालियों और गलियों का सुधार	
२	८५/६७ झकरकटी (रोलिंग मिल्स का हाता)	नालियों और गलियों को ठीक कराना तथा पानी के दल की व्यवस्था।	३ टट्टियां
३	३६३ कौशलपुरी (लोमड़ीवाला हाता)	,, ,,	४ ,,
४	८४/८३ जी० टी० रोड़ (सकेरा स्टेट)	नालियों और गलियों को ठीक कराया गया।	
५	हड्डी गुदाम, दलेल पुरवा	नालियों और गलियों का सुधार तथा पानी की व्यवस्था।	

क. सं. १	हातों का पता २	उनका सुधार विवरण ३	टिप्पणियां ४
६	२६/१०७ रोटी गुदाम (गुर प्रसाद का हाता)	पानी की व्यवस्था	
७	६/१८ ए०, कर्नलगंज	एक पानी के नल की अधिक व्यवस्था।	
८	६/३६ बेना फाबर	,, ,, ,,	
९	१२/४००, ग्वालटोली	पानी की व्यवस्था	
१०	२२८, कौशलपुरी	,,	
११	३०३, कौशलपुरी	,,	
१२	३०५, कौशलपुरी	,,	
१३	१६/३१, सिविल लाईन्स	एक आम पानी के नल की व्यवस्था।	
१४	६६/६, डी० परेट	पानी की व्यवस्था	
१५	७२२, कौशलपुरी	,,	
१६	के० एन० ११०, दर्शनपुरवा	,,	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११५ एल ए—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १६ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण , श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह , श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह , श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडे, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहार बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री

विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद , श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमा नाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंश नारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनाराण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला बोर्ड हमीरपुर के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव

*१---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर के अध्यक्ष पद के रिक्त हुए स्थान का चुनाव जो सरकारी आदेश द्वारा १८ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को होना निश्चित हुआ था स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी हां, जिला बोर्ड, हमीरपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच की जा रही है जिसके कारण चुनाव का स्थगित करना वांछित समझा गया।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन्हें वह कब प्राप्त हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम---शिकायतें वहां के इंतजाम में गड़बड़ी और रुपये के नुक़सान की हैं लेकिन इस वक्त मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि वह सब शिकायतें यहां रखूं क्योंकि मालूम नहीं उनमें से कितनी ठीक हैं और कितनी ग़लत हैं। इसलिये जांच से पहले यह मुनासिब न होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस तरह बुरा भला कहा जाय।

श्री जोरावर वर्मा---मैंने अपने सवाल में यह भी पूछा कि उन्हें वे शिकायतें किस तारीख को प्राप्त हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम---शिकायतें वक्त वक्त पर कई बार आई हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने क कष्ट करेंगे कि यह शिकायतें जो आयीं वह जो तारीख निश्चित हो गई थी उससे पहले आई या बाद में ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह कुछ पहले भी आई और बाद में भी आई।

श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़)---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतावेंगे कि इस सिलसिले में उनसे एक डेपुटेशन मिला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी थे ?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे इतने डेपुटेशन रोज मिलते रहते हैं कि हरएक के बारे में डायरी तक में नोट करना मुश्किल है।

*२---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चुनाव कितने दिनों तक के लिये स्थगित किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सरकार इस जांच को शीघ्र से शीघ्र पूरा करके इस विषय पर निकट भविष्य में निर्णय देने के लिये प्रयत्नशील हैं।

बस्ती जिला अस्पताल से संबंधित श्रीमती किस्मता के मामले में पुनः जांच

*३---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि यह सत्य है कि बस्ती जिला अस्पताल में १४-५-५२ को होने वाले

श्रीमती किस्मता के मामले में पुनः जांच करने के लिये सरकार ने कोई उच्च अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी ने इस संबंध में अस्पताल के संबंधित डाक्टर के संबंध में क्या रिपोर्ट दी है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां, इस मामले की एडीशनल डाइरेक्टर ने स्वयं जांच की थी । उक्त अधिकारी की रिपोर्ट तो गोपनीय है परन्तु उनकी सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

डा० रत्नचन्दानी (सिविल सर्जन)—इनको चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे मामलों में ज्यादा छानबीन किया करें।

डा० टी० पी० बनर्जी (असिस्टेंट सर्जन)—इनको सजा देने के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ली जा रही है ।

डा० रन्धीरसिंह (सब-सर्जन)—इनको चेतावनी दी जा रही है कि Inquiry cases की चिकित्सा में ज्यादा होशियारी करें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी डाक्टर बनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ ?

श्री बनारसीदास—उनके ट्रान्सफर के आदेश हो चुके हैं और वह वहां से जाने वाले हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सत्य है कि डाक्टर बनर्जी ने अपने सब-असिस्टेंट सर्जन को लिखित आदेश दे दिये थे कि श्रीमती किस्मता देवी की गोली न निकालें और कह दें कि गोली नहीं लगी ?

श्री बनारसीदास—इस तरह का आदेश नहीं दिया था बल्कि उनका आदेश था कि उनका ड्रेसिंग आदि कर दिया जाय।

* श्री रामकुमार शास्त्री (ज़िला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि इसी सिलसिले में बी० के० मिश्र, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का भी तबादला हुआ है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह नहीं कह सकता कि इसी मामले में तबादला हुआ है लेकिन तबादला अवश्य हुआ है ।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)—क्या यह सत्य है कि किस्मता के पैर की गोली सरकारी डाक्टर ने नहीं निकाली।

श्री बनारसीदास—यह सही है कि गोली एक प्राइवेट डाक्टर, श्री श्रीवास्तव द्वारा निकाली गयी जिसे नेशनल हेरल्ड के कारेसपांडेंट ने लाकर लखनऊ में माननीय चीफ मिनिस्टर को दिया।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार किस्मता देवी को उसके पैर खराब होने के कारण कुछ सहायता देगी।

श्री बनारसीदास—उसका पैर खराब नहीं हुआ है । डाक्टर श्रीवास्तव के ट्रीटमेंट में वह १ सप्ताह तक रही और उसका पैर ठीक हो गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या यह मालूम हो गया है कि वह गोली किससे लगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उसके बारे में यह रिपोर्ट है कि वह गनशाट की थी। इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वह किससे लगी थी ?

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि सरकारी डाक्टर ने किस्मतादेवी की गोली निकालने से इन्कार कर दिया था ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, उस वक्त सरकारी डाक्टर का मत यह था कि उसे किसी दरख्त की टहनी से गिर कर चोट लगी है और उसके पैर में गोली नहीं है।

काश्तकारों से वसूल किया गया दसगुना लगान

*४—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (ज़िला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि दसगुना जो काश्तकारों से मिला है, वह रक़म कितनी है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—अगस्त ३१, १६५२ तक कुल ३३,२६,५६,१४५ रु० प्राप्त हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस टोटल रक़म में ऐसी रक़म कितनी है जो एक से ज्यादा लोगों ने उसी खेत के बारे में जमा की है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—ऐसे कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। लेकिन इतना मालूम है कि ऐसी रक़म नहीं के बराबर है, बहुत कम है।

*५—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जो दस गुना लगान वसूल हुआ है वह रक़म जमा है या खर्च हो गयी ? यदि खर्च हो गयी, तो कहां खर्च की गयी और कितनी खर्च हो गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उपरोक्त रक़म में से अभी तक कुल ४,३६,७४,६७० रुपया खर्च हुआ है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) भूमि व्यवस्था (Land Reforms) कमिश्नर के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि पर १,१०,६५,२४६ रु० और

(२) काश्तकारों को लौटाये गये लगानों तथा ज़मींदारों को लगानों के प्रतिशोधन (re-imbursement) के रूप में दी गई रक़में ३,२६,०६,७२१ रु०

कुल जोड़ ... ४,३६,७४,६७० रु०

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—इसमें से कितना रुपया इसकी वसूलयाबी में खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह—जो १ करोड़ १० लाख रुपया लैंड रिफ़ार्म्स कमिश्नर के कर्मचारियों आदि पर है उस "आदि" में सब खर्चा शामिल है।

श्री नेकराम शर्मा—इस समय खर्चे के बाद कितना रुपया सरकारी कोष में जमा है ?

श्री चरण सिंह—यह तो जमा नफ़ी करने की बात है। ३३ करोड़ ३६ लाख में से ४ करोड़ ३६ लाख घटा दें तो २८ करोड़ ६० लाख रुपया जमा है।

श्री हेमवतीनंदन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितना बकाया रुपया इस मद में चाहिये वह ख़जाने में अलग इसी मद में जमा है या दूसरे खर्चों में इस्तेमाल हुआ है ?

श्री चरण सिंह—यह २८ करोड़ ६० लाख रुपया गवर्नमेंट के पास मौजूद है लेकिन किस खजाने में कितना रुपया जमा है इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

*६—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के ऊंची कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थीयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता व छात्रवृत्तियों की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो किस तिथि तक उन्हें सहायता प्राप्त हो जावेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, रक़म मिलने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, बहुतों को मिल चुकी है तथा बाक़ी को मिलती जा रही है ।

*७—श्री महीलाल—क्या यह सही है कि चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के एस० एम० कालिज के हरिजन छात्रों को आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति के देने के लिये स्वीकृत धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, कारण यह है कि प्रिन्सिपल ने अभी तक बिल ही नहीं भेजा। उसको स्मृति पत्र भेजा जा चुका है ।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्सिपल महोदय को यह स्मृति पत्र कब भेजा गया ?

डाक्टर सीताराम—यह पत्र प्रिन्सिपल महोदय को सितम्बर के महीने में भेजा गया था ।

श्री महीलाल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसे प्रिन्सिपलों को देर के लिये सूचित करने का विचार सरकार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, हरिजन विभाग की ओर से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—[६ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४-६—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

लौनी परगना, जिला मेरठ के इलाके का विकास

*७—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को मालूम है कि लोनी परगना, जिला मेरठ का बहुत सा इलाका हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है ? क्या सरकार अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के विकास पर भी विचार करेगी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—जी हां। जी हां ।

श्री तेजा सिंह—माननीय मंत्री जी जो काम इसके इलाके में कराने जा रहे हैं क्या मंत्री जी उसकी डिटेल देने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह—उस जिला प्लानिंग आफिसर को लिखा गया है कि वे इस इलाके के संबंध में एक योजना बना कर भेजें ?

एटा, मैनपुरी और फ़र्रुखाबाद के लिए संयुक्त कम्युनिटी स्कीम

*८—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि ऐटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में मुश्तरिका तौर पर पाइलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) स्कीम मंजूर हो गयी है ?

श्री फूल सिंह—इन स्थानों के लिये कम्यूनिटी स्कीम मंजूर हुई है न कि पाइलेट प्रोजेक्ट स्कीम।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कम्युनिटी प्रोजेक्ट और पाइलेट प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है ?

श्री फूल सिंह—पहले जो स्कीम चालू की गयी थी वह पाइलेट प्रोजेक्ट की स्कीम थी। उसके पश्चात् उसकी कामयाबी की बिना पर ६ ज़िलों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नाम से स्कीमें चालू की गयीं।

श्री सुल्तान आलम खां—ये स्कीम्स ऐटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इन तीनों जिलों में एक दम जारी की जायेंगी या किस्तों में, एक एक ज़िले में एक एक बार ?

श्री फूल सिंह—मैनपुरी में यह स्कीम चालू कर दी गयी है इसके बाद ऐटा और फर्रुखाबाद में शुरू की जायगी।

*९—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार उन मौज़ों की तादाद बतायेगी कि जो स्कीम में शामिल किये गये हैं ?

श्री फूल सिंह—तीनों जिलों को मिलाकर कुल ३७३ गांव इस स्कीम में शामिल किये गये हैं।

*१०—श्री सुल्तान आलम खां—इस स्कीम को मंजूर करने से पहिले किस किस की राय ली गयी थी ?

श्री फूल सिंह—इस स्कीम के मंजूर करने से पहले जिला नियोजन समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों तथा जिले के अफ़सरों से राय ली गई थी।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि इन स्कीम्स के लिये जगहों का इंतखाब करने से पहिले वहां के मुकामी असेम्बली के मेम्बरान और कौंसिल के मेंम्बरान से भी राय ली गयी थी ?

श्री फूल सिंह—इस स्कीम का पहिला भाग बहुत जल्द शुरू किया गया था लेकिन जो स्कीम अगले साल शुरू की जायगी उसके लिये यह आदेश भेज दिये गये हैं कि मुकामी सदस्यों से इस मामले में राय ले ली जाय।

*११-१३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—(अनुपस्थित) (जिला कानपुर)—[देखिये आगे पृष्ठ २६६-२६७ पर]

*१४-१६—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[६ नवम्बर, १६५२ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर ज़िले के इक़बालपुर स्टेशन पर शूगर मिल खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर शूगर मिल खोलने के लिये उसके पास कोई प्रार्थनापत्र आये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—महालक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, हमीरा (पेपसू) ने राज्य सरकार से प्रार्थना की थी कि उन्हें अपना वर्त्तमान प्लांट सहारनपुर जिले के इकबालपुर स्टेशन पर उठा लाने की अनुमति दी जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दरख्वास्त कब आयी और प्रान्तीय सरकार ने क्या सिफ़ारिश की ?

श्री हुकुम सिंह—किस तारीख को दरख्वास्त आयी है, तारीख बतलाना तो कठिन है लेकिन सिफ़ारिश सरकार ने मुआफ़िक की।

*१८—श्री दीनदयालु शास्त्री—सरकार ने इस मिल के खोलने के संबंध में क्या निश्चय किया है ?

श्री हुकुम सिंह—यह विषय अब केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

डोईवाला मिल द्वारा ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्ने वालो के रुपये की अदायगी

*१९—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि डोईवाला मिल ने ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों का कितना रुपया अदा कर दिया है और कितना नहीं किया ? यह रुपया कब तक मिल जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—डोईवाला मिल ने ज्वालापुर और पथरी स्टेशनों के गन्नेवालों की साढ चौदह लाख रुपया अदा कर दिया है और डेढ लाख रुपया नहीं किया है। बकाया रुपया गन्नावालों को कब तक मिल जायेगा यह निश्चित बताना संभव नहीं है। परन्तु सरकार उसकी अदायगी के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों का एक हज़ार तक का गन्ना मिलों में आया और उनका पेमेंट बाकी है उनको सूद दिलाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ बात समझ में आयी नहीं।

श्री रामदास आर्य—बात तो बहुत सीधी सी है और यह कि जिन काश्तकारों का एक हजार रुपये तक का गन्ना मिल मालिकों के पास आया और उनका पेमेंट बाकी है तो क्या सरकार उनको सूद दिलाने का विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—नियम में कुछ सूद का प्राविज़न है नहीं। आइन्दा हम नियम बना रहे हैं जिसमें सूद के लिये प्राविजन है।

*२०–२१—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—[२४ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२२-२३—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[३० अक्तूबर, १६५२ के लिये स्थगित किये गये।]

चमड़ा उद्योग की उन्नति तथा सुधार

*२४—श्री रामदास आर्य—चमड़े के कार्य की उन्नति करने और देहातों में बरबाद होने वाले चमड़े को बचाने के लिये सरकार क्या कार्य कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने चमड़े के कार्य की उन्नति करने के लिये उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में जहां जहां यह व्यवसाय किया जाता है, सरकारी लेदर वर्किंग टियूश्नल क्लासेज और सरकारी ट्रेनिंग टियूश्नल क्लासेज खोले हैं। उन केन्द्रों में शिक्षा का भी प्रबन्ध है तथा माल भी तैयार किया जाता है। कई स्थानों में सहकारी समितियां भी खोली गई हैं उनको सरकार की ओर से अनुदान और ऋण के रूप में सहायता दी गई है।

देहातों में बरबाद होने वाले चमड़े को बचाने के लिये सरकार ने फ्लेइंग स्कीम जारी की है।.

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्लेइंग स्कीम के अधीन क्या क्या कार्य हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। मैं नहीं जानता हूं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी फ्लेइंग स्कीम पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है।

*२५—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम गफूरगढ़ में चमड़े की भारी पैंठ लगती है? यदि हां, तो वहां चमड़े की उन्नति तथा सुधार के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री हुकुम सिंह—हां। इस व्यवसाय के अवनति की सूचना अभी तक सरकार को नहीं प्राप्त हुई। ख्याल यह है कि वह ठीक ढंग से चल रहा है। यदि प्रश्नकर्त्ता कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सरकार उस पर आवश्यकतानुसार विचार करेगी।

रायबरेली जिले की तालाब खोदाई योजना

*२६—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में तालाब खोदाई योजना में कितने तालाब खोदे गये और कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री फूल सिंह—रायबरेली जिले में तालाब खोदाई योजना के अन्तर्गत १६ तालाब खोदे गये तथा ४,०४६ रुपया २ आना का कुल खर्च हुआ है।

श्री गुप्तार सिंह—क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह १६ तालाब किस किस ग्राम में खोदे गये हैं?.

श्री फूल सिंह—माननीय मेम्बर अगर नोटिस दें तो मैं फेहरिस्त दे दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तालाबों से कितनी भूमि की सिंचाई होती है?

श्री फूल सिंह—इसके आंकड़े हमारे पास नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १६ तालाब खोदे गये हैं, कच्चे हैं या पक्के बना दिये गये हैं?

श्री फूल सिंह—ये खोदे गये हैं बनाये नहीं गये हैं?

सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम

*२७—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिविल सेक्रेटेरियट (Civil Secretariat) लखनऊ के कर्मचारियों को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पर तरक्की देने के लिये किस नीति को निर्धारित किया जाता है?

श्री फूल सिंह—निम्नश्रेणी के असिस्टेंटों को उच्च श्रेणी में स्थायी तरक्की पाने के लिये Public Service Commission की compeittive परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस परीक्षा में उच्च श्रेणी के कुल जगहों में से एक तिहाई जगहें निम्न श्रेणी के असिस्टेंटों के लिये सुरक्षित (reserve) रक्खी जाती हैं बशर्ते कि उन्होंने तीन साल की approved Service पूरी कर ली हो और उनका काम संतोषजनक पाया गया हो।

*२८—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५०-५१ में ऐसे कितने कर्मचारियों को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी पर तरक्की दी गयी?

श्री फूल सिंह— Public Service Commission के दिसम्बर, १९४९ की परीक्षा के फलस्वरूप १९५०-५१ में निम्न श्रेणी के ४२ असिस्टेंटों को उच्च श्रेणी में तरक्की दी गयी थी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी निम्नश्रेणी से उच्च श्रेणी पर प्रोमोशन दिया गया था जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की काम्पेटीटिव परीक्षा में नहीं बैठे थे?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में लोअर ग्रेड के कर्मचारियों के स्थान रिक्त हुये हैं तथा उनकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री फूल सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिखित प्रश्नों के उत्तरों का माध्यम

*२९—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों के लिखित प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी के माध्यम में देना अनिवार्य है।

*३०—यदि हां, तो क्या सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन को आज्ञा देगी कि इन नौकरियों में लिखित प्रश्नों का उत्तर हिन्दी के माध्यम द्वारा दिया जाय?

श्री फूल सिंह—जी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिखित प्रश्नों के उत्तरों को अंग्रेजी के माध्यम में देने के संबंध में केवल यू० पी० सिविल, पुलिस तथा एकाउन्ट्स सर्विसेज़ में भर्ती के लिये की गई सम्मिलित प्रतियोगिता को छोड़कर, कोई विशेष आदेश नहीं है। राज्य की उपरोक्त नौकरियों के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होने के कारण सभी परिक्षार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे अंग्रेजी के माध्यम में प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। फिर भी, यदि कोई परीक्षार्थी अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर अन्य ऐच्छिक नियमों के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देता है तो कमीशन इस पर कोई आपत्ति नहीं करता है।

* * * *

कानपुर शहर व जिले की रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को सहायता

*११—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में कितनी रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और उनके क्या नाम हैं?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—कानपुर शहर में २४ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां हैं इनके अतिरिक्त जिले में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

१—आदर्श कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, श्रीनगर, कानपुर।
२—कानपुर कलक्ट्रेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
३—माडेल कोआपरेटिव बी० एन० एस० डी कालेज हाउसिंग सोसाइटी लि०।
४—आदर्श कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०, नवाबगंज, कानपुर।
५—श्री नागर जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
६—गनेश कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
७—कानपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
८—श्री कृष्णा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०।
९—मित्र मंडल कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज़ लि०।
१०—पंजाब कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज लि०।
११—दी सिन्धी रिलीफ़ कोआपरेटिव हाउसिंग लि०।
१२—श्री गनेश शकर विद्यार्थी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
१३—पटेल नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
१४—नवीन सहकारी निवास गृह निर्माण समिति लि०।
१५—एयर फोर्स सिविलियन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०।
१६—मिडिल क्लास कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
१७—शिवाजी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
१८—दकिन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
१९—दयानन्द कालेज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
२०—रिफ़ाहे आम कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
२१—पंजाब आइरन एन्ड स्टील-मापचेन्ट एन्ड मैनूफेक्चर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।

नोट—प्रश्न संख्या ११–१३ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछे।

२२—दी पेशावर सफ़रर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०, कानपुर।

२३—पान्डूनगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।

२४—हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सहकारी समिति लि०।

*१२—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन सोसाइटीज़ को जमीनें दी जा चुकी हैं?

श्री मंगला प्रसाद—निम्नलिखित कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज को जमीनें प्राप्त हो चुकी हैं।

१—श्री कृष्णा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटीज़ लिमिटेड।

२—श्री गनेश शंकर विद्यार्थी कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड।

३—श्री नागर जी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।

४—हिन्दी पत्रकार संघ निर्माण भवन सहकारी समिति लिमिटेड।

५—कलक्ट्रेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड।

*१३—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी सोसाइटीज़ को सरकार क्या और कैसे सहायता देती है?

श्री मंगला प्रसाद—शरणार्थी सहकारी भवन निर्माण समितियों को रिलीफ़ व रिहैसिबिटेशन विभाग द्वारा ४ से ५ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। परन्तु अन्य कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीयों को इस प्रकार की आर्थिक सुविधायें नहीं प्राप्त हैं।

इन समितीयों को लैंड एक्यूजीशन ऐक्ट में भूमि प्राप्ति में सहूलियत दी जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जारी करने से अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कार्य स्थान प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा है जो कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पहाड़ी इलाके में जारी किये जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में है, और उन्हें यह आशंका है कि अमरीकन लोगों का उसमें प्रभाव अधिक हो जायगा और वह स्ट्रेटेजिक स्थान है तो अमरीकी साम्रज्यवाद का भी प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार के उनके कारण हैं, इसलिये इसके ऊपर विचार करने के लिये वह चाहते हैं कि इस सदन का काम रोका जाय।

यह एक अनिश्चित सा कारण है और दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात है कि जो परराष्ट्र नीति केन्द्रीय सरकार की है उससे सम्बन्धित है, इसलिये इसके ऊपर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

अध्यक्ष—एक सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति में एक रिक्त स्थान के लिये निर्धारित समय के भीतर केवल एक नामांकन पत्र श्री पुलिन बिहारी बनर्जी के नाम से प्राप्त हुआ है और वह नियमानुकूल है। इसलिये मैं श्री पुलिन बिहारी बनर्जी को उचित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं।

२२ सितम्बर, १९५२ को शिक्षा मंत्री द्वारा कथित विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री झारखंडे राय (जिला आज़मगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने २२ सितम्बर को माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भाषण इस सदन में दिया था उसकी बाबत ६ अक्तूबर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। उसका जवाब मुझे १० अक्तूबर को मिल चुका है लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो जाय तो उचित बात होगी इसलिये कि वह उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ।

अध्यक्ष—आपको जो उत्तर मिल गया है उसको सदन के सामने पढ़ कर सुना दें इसके लिये मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री झारखंडे राय—जो उत्तर आया है वह इस प्रकार है:—

"गत २२ सितम्बर, १९५२ ई० को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कथित विशेषाधिकार की अवहेलना पर आपने पत्र दिनांक ६ अक्तूबर, १९५२ ई० द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उस दिन चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक) १९५२ ई०, पर सदन में विवाद का उत्तर देते हुये शिक्षा मंत्री ने जो बातें कहीं उससे सदन का अथवा आपके व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सदन में एक पक्ष के व्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यक्तियों के मतों से निष्कर्ष निकालते ही रहते हैं। अतः कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

अध्यक्ष—यह स्पष्टीकरण हो गया कि आपके ऊपर आक्षेप नहीं है और किसी के मतों से परिणाम निकालकर कोई चीज़ कही जाय तो किसी का अपमान उसमें नहीं होता और यही इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेट रिडेम्पशन बिल पर बहस हो रही थी और वह बिल्कुल बीच में था। एलेक्ट्रिसिटी विधेयक प्रश्न उसके बाद में था इसलिये उसको बाद में विचार करेंगे। वह डेट रिडेम्पशन बिल अभी पास कहां हुआ।

अध्यक्ष—बात यह है कि सरकार की तरफ से सूचना आयी थी कि यह बहुत आवश्यकीय है और पहले रख दिया जाय इसलिये पहले उसको रखा गया था। अगर सरकार ने अपना विचार बदल दिया तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह बाद में हो जायगा क्योंकि नियम तो यही होना चाहिये कि जो जारी है वह काम पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरा काम होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक*, १९५२

नया खंड ८ ख (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहेगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदार या मध्यवर्तियों के खिलाफ़ डिक्रियों में उनके मकान कुर्क या नीलाम न हों, इस आशय का एक

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित बिधेयक ६ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

संशोधन पहले यह सदन अस्वीकार कर चुका है। अब उसी आशय को लेते हुये माननीय भगवान सहाय जी ने दूसरा संशोधन पेश किया है। लफ्ज उसके दूसरे हैं, आशय बिल्कुल उसका वही है जो पहले संशोधन का था। इसलिये मुझे उसके सिलसिले में कुछ अधिक नहीं कहना है। एक ही बात कहनी है कि माननीय भगवान सहाय कल इस बात पर बार बार बल दे रहे थे कि जमींदारों की जो पेइंग कैपेसिटी है वह कम हो गई अर्थात् उसके कर्जा चुकाने की बिसात या काबिलियत थी वह कम हो गई है। हमने इसीलिये तो उनके कर्जा चुकाने की जो बिसात थी जो और जिस हिसाब से कम हो गई है उसी तनासुब से उसी अनुपात में हमने उसका ऋण कम कर दिया है। मान लीजिये एक शख्स है। कर्ज उस आदमी के मकान पर है जो शहर में होने की वजह से इस्टेट की तारीफ़ के अन्दर नहीं आता और गांव में जो जायदाद है, जमींन है उसके ऊपर भी है, तो जो गांव में जायदाद थी उसकी वह ले ली गयी, इसलिये उसकी कीमत कम हो गयी और जिस कदर कर्जा उसके गांव की जायदाद पर आता था वह कर्जा भी घटा दिया गया। लिहाजा उनकी पेइंग कैपेसिटी रेडयूस हो गयी तो डेट भी रेडयूस कर दिया गया उसी अनुपात से। यही सारी इस बिल की स्कीम है और इसको बार बार दोहराया जा चुका है लेकिन फिर भी जो एतराज शुरू में था वह एतराज माननीय भगवान सहाय जी का कायम है कि पेइंग कैपेसिटी रेडयूस हो गयी। बात बहुत मोटी है, मैं कितनी बार साफ़ कर चुका हूं और अब मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार समझाऊं। मकानों के मुताल्लिक यह कहा जा चुका है कि जो लोग खेती करते आये हैं उनके मकान तो चाहे मकफूला डिक्री हो चाहे सादी डिक्री हो न कुर्क हो सकते हैं और न नीलाम हो सकते हैं। अगर कोई खेती नहीं करता है तो यह समझा जाय कि वह शहर में रहता है या और कोई पेशा करता है और अगर उस पर कोई कर्जा है तो वह नहीं घटना चाहिये। इस बात को मैं एक माकूल बात समझता हूं। खैर जैसा मैंने कहा मैं अपनी दलीलों को दोहराना नहीं चाहता। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् जमींदारों की पेइंग कैपेसिटी के बारे में कई दफ़ा कहा जा चुका है मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह संशोधन सरकार स्वीकार कर ले। इसका कारण यह है कि जमींदारी एबालिशन होने के बाद जमींदारों का गांवों में रहने का जरिया छूट गया और वे शहरों में आ गये। शहरों में जो उनके मकान थे उन्हीं में वे रहने लगे। लिहाजा वही उनके रेजिडेंशल मकान समझे जायं देहातों में खेती बाड़ी होती जरूर है लेकिन वे अब वहां के मकानों में नहीं रहेंगे। अब वे शहर में आ गये हैं। इसलिये कम से कम उनका शहर का मकान बच जाय। जिन साहूकारों ने रुपया दिया था वे बहुत होशियार थे। सरकार थोड़े दिनों में यह देखेगी कि जमींदारों के मकान किस तरह से कुर्क हो रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह से विचार करेगी कि अगर वे शहर में रहना चाहते हैं तो उनका शहर का मकान छोड़ दिया जायगा। इसीलिये यह संशोधन रखा गया है। अगर यह चीज नहीं रहेगी तो उनका मकान नहीं बचेगा। कर्जा अगर घटा है तो ठीक है लेकिन इसमें घटने बढ़ाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो उनका शहर में रहने का मकान है वह किसी तरह से बचाया जा सके। इसलिये यह संशोधन रखा गया है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको इसी रूप में समझेंगे कि जमींदार जो अब शहर में रहना चाहते हैं उनके रहने के लिये मकान छोड़ा जाय और

[राजा वीरेन्द्रशाह]

यह समझा जाय कि वह रेजिडेंशल मकान है। इसलिये सरकार अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो जमींदारों के प्रति बड़ी मदद होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई वाद-विवाद की शक्ल में इस बात को नहीं कहना चाहता हूं बल्कि एक अपील की तौर पर माननीय राजस्व मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि एक बात पर वे गौर करेंगे कि पेइंग कैपेसिटी की बात जो कही जाती है तो जिस वक्त किसी जमींदार को अपना मकान बेंचने की नौबत आ जाय और मकान नीलाम कराने की नौबत महाजन को आ जाय तो इसके माने यह हैं कि उसकी पेइंग कैपेसिटी हद से ज्यादा गिर गयी। दूसरी बात यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि अगर गांवों में उसके मकान हैं तो उसके लिये दूसरे कानूनों के मातहत बचत की गुंजायश है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जिन शहर के जमींदारों ने गांव में अपना मकान नहीं बनाया उन्होंने चाहे अपनी मजबूरी से नहीं बनाया या किसी वजह से नहीं बनाया वह उन गांव वालों के ऊपर थोड़ा उपकार हुआ। क्योंकि अगर उन्होंने गांव में मकान बनाया होता तो गांव वालों के ऊपर कुछ तो थोड़ा बहुत उनका जोर पड़ा ही होता। तो ऐसी हालत में अगर शहर में ही उन्होंने अपना मकान बनाया है तो उसमें केवल इतना कहना है कि भगवान सहाय जी का कि जो उनका रहने का घर है वह क़र्जे के भार से मुक्त कर दिया जाय। यह उनका मतलब कभी नहीं हो सकता है कि अगर किसी जमींदार ने फैक्टरी बना लिया हो या वह किराये पर अपना मकान चढ़ाता हो तो उस मकान की भी इस कानून के जरिये से हिफ़ाजत हो जाय या क़र्जे के रुपये में उसको न लिया जाय, यह मतलब जहां तक मैं समझता हूं माननीय भगवान सहाय जी का नहीं है। अन्त में केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात सम्भव है कि हमारे अन्दर भी भ्रांति का काम करती हो और माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग़ में भी वह भ्रान्ति का काम करती हो। पूंजीवानी इन जमींदारों को समझ लेना, छोटे या बड़ों को और उनसे कुछ प्रगतिशील सूदखोर महाजनों की समझ लेना यह मुनासिब नहीं होगा और मार्क्स साहब के साथ भी कुछ ज्यादती होगी क्योंकि उन्होंने जितने पूंजीवादियों को प्रगतिशील बताया है वह उनको बताया है जो उत्पादन के काम में अपने पैसे को लगाते हैं। इसलिये मैं अन्य कोई दलील न देकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर जमींदारों के पास रहने का मकान नहीं है और गांव में उन्होंने अभी तक अपनी आबादी रखी थी और अब वे शहर में आ जाना चाहते हैं तो ऐसी हालत में रहने के मकान को इस क़र्जे के भार से मुक्त कर देना चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष—श्री भगवान सहाय जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री भगवान सहाय—जी हां, मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

खंड ९

—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरण Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या वा दमें, भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति-सहित बन्धक किया गया हो, अथवा

किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानों गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी।

स्पष्टीकरण :—पद "भरण-पोषण की वृत्ति" (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत "annuity" (वार्षिक वृत्ति) भी हैं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड १० के अन्त में श उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायगा और स्वीकृति ली जायगी बढ़ा दिये जायं पेश करता हूं।

मैं इस पर कोई दलील देना नहीं चाहता हूं। मैं फिर माननीय यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि पहले भी उन्होंने बहुत से नि किया है यदि इस नियम को बनाने के बाद भी सदन के सामने होगी और उससे सम्भव है कि सदन के सामने आने से उ जाय वे दुरुस्त हो जायं। तो ऐसी हालत में बजाए में कोई दूसरी दलील दूं केवल इतना ही कहना चा तो अच्छा हो।

श्री चरण सिंह—माननीय गेंदा सिं मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर नि जनहित होता। जमींदारी विनाश अ जो क़वायद बने हैं वे बहुत बड़ा

इसलिये इसमें धारा ३४४ में रखा लिहाजा कौंसिल और असेम्बली यानी दोन वालों का एक बहुत ही सीधा सादा सा नहीं हैं और यदि बने भी तो सीधे सादे वर्ना लोगों के राइटस को अफैक्ट कर बनाने की जरूरत होगी। इसलिये इस धा रखा नहीं है, बल्कि इसको अगर हम रख लीजिये कि विधान मंडल की बैठक दे एक खराबी होती। लेकिन यह बा में आ जाय तो वक्त खराब नहीं हो आना चाहिये। जैसे कि यह विधेयक बहस हो चुकी है। माननीय गेंदा सिं फिर इस पर बहस हो गई तो मैं तो यह नहीं

[श्री चरण सिंह]

बिल जरूरी था वह हाउस के सामने आया। लेकिन रूल्स को हाउस के सामने रखने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि मेरे संशोधन की क्या गति होगी और मैं यह भी समझता था कि अगर इसकी खामियां की दृष्टि में लाने की कोशिश करूं और उसे समझा सकूं तो बहुत सम्भव है कि माननीय राजस्व मंत्री राजी हो जायं। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझे यह यकीन है कि जिस दृष्टिकोण को रख कर यह कानून बना है उस दृष्टिकोण का ठीक ठीक उपयोग नियम बनाने में होगा। अच्छा होता यदि वह मान जाते। यदि नहीं मानते हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १

१---धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिए सूत्र (formula)।

$$X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२---उक्त सूत्र में

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय

(क) यदि बन्धककर्ता (mortgagor) या वाद-ऋणी (Judgment-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (in one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्न-लिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है :

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्न-लिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (२)।

(३) "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४, के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिए गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्ता या वादऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में गुणकों का औसत ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा ।

श्री रामवचन यादव (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब कि बंधकी ने बंधक किये हुये आस्थान से कोई लाभ न उठाया हो, "X" बन्धक के मूल धन से कम न होगा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों के लिये यह संशोधन लाया हूं कि जिन लोगों को उन ज़मीन पर कर्जा दिया जिसका उन्होंने कब्ज़ा कभी नहीं किया और उससे कोई लाभ नहीं उठाया, रुपया दिया और उस जायदाद से रुपया लेने वाले फ़ायदा उठाते रहे और उन्होंने कोई फायदा उठाया नहीं तो इसके बाद मेरी समझ में जितना दिया उसमें से भी कम हो जाय तो यह उचित नहीं है। क्योंकि आज कल जो कर्जा देने वाले हैं वह मामूली किसान हैं जिन्होंने ज़मींदारों को कर्जा दिया है। बड़े बड़े महाजनों ने जो कर्जा दिया था तो वह तो पहले ही नीलाम कराकर ज़मींदार हो गये । बहुत से लोगों का कर्जा ऐसा है कि कर्ज लेने वालों से उन लोगों की दशा अच्छी नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि उसको असल मिल जाता चाहे सूद न मिलता क्योंकि अगर वह १ हजार रुपये का कर्जा दिये हुए हैं और असल में कम हो जाय तो यह अनुचित होगा। इसलिये प्रतिबन्ध है कि जो सूद में कम हो लेकिन जितना उन्होंने दिया है उससे कम न किया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है यह तो विधेयक की मंशा के ही ख़िलाफ़ है। विधेयक तो ऋण को उसी अनुपात से कम करना चाहता है जिस अनुपात से मुआविजा और प्रतिकर किया गया है।

अध्यक्ष—मैं यह सोच रहा था लेकिन राजस्व मंत्री ने इस के ऊपर कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई। मैं समझता हूं कि वैधानिक आपत्ति हो सकती है क्योंकि तीन और चार खंड को यह संशोधन अमेंड करता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ठीक है।

अध्यक्ष—मैं इसकी इजाज़त नहीं देता कि यह पेश हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ खंड २ के भाग (३) की पंक्ति ५ के शब्द "औसत" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें—

"जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी" ।

इसके सम्बन्ध में कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची १ के खंड २ के भाग (३) की पंक्ति ५ क शब्द "औसत" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(देखिये धारा ८-क)

बेचे गये बन्ध (bond) में दिखायी गयी धनराशि के प्रत्येक रुपये के लिए, ऐसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची २ की पंक्ति १ में शब्द "दिखायी गयी धनराशि" के स्थान पर शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी अंग्रेजी में शब्द "फेस वेल्यु" आये हैं इस फेस वेल्यु का अनुवाद इस तरह से किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन रक्खा गया है और उसके समान अर्थ वाले कोई हिन्दी के शब्द नहीं रक्खे गये हैं तो एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। इसके लिये तो कोई भी उसी अर्थ के शब्द होने चाहिये। मैंने ये शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये हैं जो उसी अर्थ के हैं। चूंकि ये शब्द बार बार आयंगे इसलिये उनकी जगह पर ये शब्द होने आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची २ की पंक्ति १ में शब्द "दिखाई गई धनराशि" के स्थान पर शब्द "अंकित मूल्य" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

खंड-१

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ। १---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय :

"(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन सभी हिस्सों में होगा, जहां कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० लागू होता है।"

इस विधेयक में जो प्रसार का स्पष्टीकरण किया गया है वह यही है कि इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा और इसके कारणों में भी यह बतलाया गया है कि ओरिजिनल ऋण से वही अनुपात होगा जो जमींदारी विनाश के उपरान्त जमींदारी के हस्तगत करने के लिये प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी में संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक उस गुणक के साथ होगा। तो यह स्पष्ट है कि यह समस्त ऋण को कम करने का विधेयक केवल उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पर जमींदारों के आस्थान लिये गये हैं और श्रीमन् हमको मालूम है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हमारा कुमायूं डिवीजन है जहां पर अभी जमींदारी खत्म नहीं हुई है और वहां पर निकट भविष्य में आने की सम्भावना नहीं है और अगर आ भी जाय तो सम्भवतः वह धारा वहां के लिये न बनें जैसा कि इस विधेयक में है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होना चाहिये और मैंने जो यह संशोधन रखा है यह विधेयक की सिफारिश के अनुसार है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ग़ैर जरूरी है लेकिन ग़लतफहमी पर आधारित है। मान लीजिये कि कोई शख्स नैनीताल में रहता है और जमींदारी उसकी पीलीभीत में थी तो बजाय इसके कि नैनीताल में जहां वह मकरूज रहता है जमींदारी खत्म नहीं की गई और चूंकि पीलीभीत में खत्म की गई तो उसका कर्जा उसी कदर घट जायगा जिस कदर उसकी जमींदारी की कीमत घट गई और उसी कदर उसकी कीमत मुकाबले में दिये हुये मुआविजे से कम है क्योंकि यह जो जायदाद जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत ली गई उसी के हिसाब से कर्जा घटता है। कोई शख्स कहीं रहता हो उससे कोई सम्भावना इस बात की नहीं है कि जहां जहां जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू है वहीं कोई स्टेट ली गई हो वह तो जहां कहीं भी रहता हो उसका कर्जा घट जायगा तीन चौथाई जहां पर कि जमींदारी अबालिशन के मुताबिक जमींदारी ली गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह उसको स्पष्ट नहीं कर पाये। उदाहरण के लिये अभी नागर जमींदारी विधेयक हमारे सामने आने वाला है। वह उससे सम्बन्ध रखता है जो जमींदारी शहर के अन्दर है वह उस पर लागू होता है और अगर बाद में उसको बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो वह बढ़ सकता है लेकिन अगर इस चीज को समस्त, उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात लिख दें तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और ऐसे सब एरियाज में भी यह लागू हो सकता है जहां पर जमींदारी अबालिशन इस वक्त लागू नहीं है। इस वजह से यह पूरा स्पष्टीकरण नहीं बतलाया गया और अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री चरण सिंह—यह यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफ़ार्म एक्ट जहां लागू होता चला जायगा जहां की जायदाद पर यह कानून लागू होता चला जायगा। इस्टर्न एरिया में अभी नहीं होगा जहां जहां आवश्यकता समझी जायगी वहां

[श्री चरण सिंह]

वहां होगा। मसलन् पूर्वी एरिया में १२ मल्टीपिल हैं यहां ८ मल्टीपिल रखे गये हैं क्योंकि जहां पर ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू होगा वहीं पर यह चीज आयेगी। हम सोच रहे हैं कि बनारस और, रामपुर जिले में भी इसको लागू कर दिया जाय। तो जहां पर यह लागू होता चला जायगा वहां पर यह ऐक्ट खुद ही लागू हो जायगा और जहां पर ज़मींदारी खत्म शहरों में होगी वहां के लिये और तरमीम करनी पड़ेगी और हमें अर्बन एरिया में तो ८ की जगह १२ रखना पड़ रहा है और शायद कुछ और भी करना पड़ेगा।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य देख लें कि जो अधिनियम का आपरेटिव पार्ट है उसमें प्रतिकर अनुदान जो है उसका रिडम्पशन इन डैट तभी हो सकता है जहां ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम के हिसाब से किसी का आस्थान लिया गया हो, और जहां वह अधिनियम लागू नहीं होता वहां तो यह सवाल भी पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो नया अर्बन एरिया के लिये विधेयक आ रहा है उसमें १२ गुना प्रतिकर रखा गया है।

अध्यक्ष--यदि आप इसकी दफा ३ देखें तो उसमें लिखा है कि "यदि बन्धक की गई सम्पत्ति में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन" तो उसी के सम्बन्ध में इसका जिक्र है और कहीं पर इस प्रकार का जिक्र नहीं है कि जिसमें शहरी इलाके की ज़मीनें आ सकें। अगर माननीय सदस्य इस पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं तो मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता।

अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१। १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन ज़मींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिये

विधेयक।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१। यह आवश्यक है कि उन ज़मींदारों के ऋणों को कम करने (Scaling down) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल जैसा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य सूची के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज़ाबाद)--मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहूंगा कि इस एलेक्ट्रिसिटी के बिल के बाद सेल्स टैक्स का बिल लिया जायगा या जौनसार भावर वाला?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--इसके बाद सेल्स टैक्स वाला।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ पर विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफ़ारिश किये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

कुछ ठहर कर मैं श्रीमान की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)---मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं और एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट आपके सामने रखना चाहता हूं जिस के अनुसार यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है इस पर विचार नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है उस के विरुद्ध है। उस की दफा ३ में यह साफ़ साफ़ दिया हुआ है कि :

"No law made after the commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो जो इसअधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उनकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

तो प्रेसीडेंट की आज्ञा और स्वीकृति इस विधेयक में कहीं भी नहीं है।

अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका प्वाइंट क्या यही है कि इसके ऊपर जो विधान परिषद् ने अपनी सिफ़ारिशें भेजी हैं उन पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, ऐक्ट पर विचार नहीं हो सकता।

अध्यक्ष--ऐक्ट तो सदन पास कर चुका है, उसके ऊपर कोई वैधानिक आपत्ति अब इस समय नहीं हो सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो परिषद् की सिफारिशों पर उठाता हूं।

अध्यक्ष--जिस समय हरएक सिफारिश पर विचार होगा उस समय उठाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर आप आज्ञा दें तो मैं समझा दूं।

अध्यक्ष--समझाइये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--शेड्यूल की ८ वीं धारा इस प्रकार है--

"Coal including coke and other derivatives, petroleum products including motor spirit, and electrical energy except energy intended for domestic use......"

[कोयला जिससे कोक तथा दूसरे उद्भूत पदार्थ सम्मिलित हैं, मोटर स्पिरिट सहित पेट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थ और घरेलू उपयोग के लिये अभिप्रेत शक्ति के अतिरिक्त विद्युत् शक्ति.......]

और तीसरी धारा इस प्रकार है--

"Regulation of tax on Sale or Purchase of Essential Goods.

No law made after commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[आवश्यक मालों के क्रय अथवा विक्रय पर करों का विनियम न किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत हो जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उसकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

अध्यक्ष--आपका मतलब है कि विधेयक के अन्दर यह सब बात आनी चाहिये कि It is reserved for the assent of the President ला के अन्दर होना चाहिये?

श्री नारायणदत्त तिवारी--हां। धारा ८ इस प्रकार है--

"Goods declared essential for the life of the Community : Coal including coke and other derivatives, petroleum products including motor spirit, and electrical energy except energy intended for domestic use......"

[समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किये गये माल कोयला जिसमें कोक तथा अन्य उद्भूत पदार्थ सम्मिलित हैं, मोटर स्पिरिट सहित पैट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थ तथा घरेलू उपयोग के लिये अभिप्रेत शक्ति के अतिरिक्त विद्युत् शक्ति]

तो केवल डोमैस्टिक यूस के लिये इलैक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती है और उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन इस विधेयक में पहले पार्ट टैरिफ़ के अलावा दूसरे पार्ट में इन्डस्ट्रियल एनर्जी में भी और एग्रीकल्चरल आपरेशंस में भी, जो कृषक के

अलावा हो सकता है, इन सब में यह टैक्स लग सकता है। मैं आपकी तवज्जह इस मुख्य बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि केवल डोमैस्टिक यूस के लिये ही हम टैक्स लगा सकते हैं, बाकी इण्डस्ट्रियल कनजम्पशन के लिये हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्र की बहस सुन कर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी आदत है कि इन सीजन और आउट आफ सीजन जो कुछ मुनासिब समझें कह दें।

अध्यक्ष--मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि आदत पर हमला न हो।

श्री हुकुम सिंह--यह बिल इस सदन के सामने पेश हुआ। इस सदन में कई रोज इस पर बहस हुई और बहस होने के बाद इस सदन का निर्णय हुआ। और उस वक्त हमारे माननीय मित्र ने इस आशय की, जिस आशय की कि उन्होंने आपत्ति उठाई है, कोई आपत्ति मेरी जानकारी में नहीं उठाई। इस सदन ने अपने अधिकार के अंतर्गत इस विधेयक को पारित किया और पारित करके अपर हाउस में भेजा। वहां भी यह विधेयक पास हुआ। उसमें वहां से कुछ सिफारिशें आईं। सिफारिशों के साथ यह विधेयक मंजूर होकर यहां भेजा गया। अब सदन के सामने सवाल यह है कि आया उस सिफारिश को यह सदन मंजूर करता है या नहीं करता है। जब यह विधेयक इस सदन में आया था और अपने अधिकारों के अन्दर उसने पास कर दिया उस वक्त तो आपने कोई एतराज नहीं किया लेकिन अब तो सहज सिफारिशें आई हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने उन सिफारिशों के बारे में पूछा था कि उनको बारे में उनके कोई आपत्ति है या नहीं। हमारे मित्र को उनकी बाबत अपनी राय जाहिर करनी चाहिये कि विधान परिषद् से जो सिफारिशें आई हैं उनको मंजूर किया जाय या नहीं।

इसके संबंध में जो दूसरी बात कही गयी वह भी आश्चर्यजनक रही। आपने फरमाया कि प्रेसीडेंट के वास्ते जो बिल रिजर्व किये जाते हैं उसका इस कानून में कोई प्राविजन नहीं है। यह मुझे पहिले पहल मालूम हुआ। जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट पास हुआ। उसमें प्रेसीडेंट के असेंट की आवश्यकता हुई। वह बहुत बड़ा ऐक्ट है शायद हमारे माननीय मित्र ने न पढ़ा हो, उसमें भी कोई ऐसा प्राविजन नहीं हुआ। कायदा यह है कि किसी विधेयक के पास होने के बाद कांस्टीट्यूशन की रू से देखा जाता है और अगर प्रेसीडेंट की असेंट की आवश्यकता होती है तो वह रिजर्व करके भेज दिया जाता है। उसके लिये विधेयक में कोई प्रावीजन करने की आवश्यकता नहीं होती। लिहाजा इस बिल में भी कोई ऐसा प्राविजन करने की जरूरत नहीं है। अतः मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह विधेयक बिलकुल कानूनी दायरे के अन्दर है और हमारे मित्र ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है वह बिलकुल गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि यह चीज हमने बिल के पेश होने के समय नहीं बतलाई थी। अतः उसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐक्ट में जो संशोधन आ रहा है उसकी धारा १० की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उसमें अंक ३० के बजाय ७ रखने का प्रस्ताव किया गया है। जब सरकार को इतना खुद पता नहीं है कि इंडियन कंपनीज़ ऐक्ट में यह लिखा है कि अगर कोई कंज्यूमर कंपनी के बिल के रेट्स पे नहीं करता है तो उसका कनेक्शन ७ दिन के अंदर काट लिया जायगा। अतः इस हाउस ने उसको ३० दिन मंजूर कर दिया। जब सरकार को इस बात का खुद पता नहीं है जिसके पास अनेक साधन हैं तब फिर अगर हमको जिनके पास साधन सीमित हैं किसी बात का पता न चला तो उसमें हमारा दोष नहीं है और फिर यह बिल अभी तो पूरा पास भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे सामने है। हम उसके ऊपर श्रीमान् की व्यवस्था मांग सकते हैं और जब तक यह ऐक्ट नहीं बन सकता तब तक इस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष—यह वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है कि यह विधेयक जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके ऊपर जो सिफ़ारिशें विधान परिषद् ने भेजी हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता और इस कारण कि चूंकि विधेयक में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि यह विधेयक जब पास हो जाय तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये यह रिजर्व किया जायगा। चूंकि ऐसी कोई चीज इसमें मौजूद नहीं है, ऐसी अवस्था में वह अवैधानिक है और जब विधेयक अवैधानिक है तो उसके ऊपर जो सिफारिशें हैं वे वैधानिक नहीं हो सकतीं। यह बात माननीय नारायण दत्त जी ने उठायी। मैं एसेंशियल गुड्स (डिक्लेरेअशन ऐंड रेगुलेशन आफ टैक्स आन सेल. ऐंड परचेज़) ऐक्ट, १९५२, की दफा ३ पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, ताकि सदन को स्पष्ट हो जाय—

"No law made after the commencement of this Act by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो, जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उसकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

तो पहला सवाल यह आता है कि इसमें क्या यह शब्द है कि कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यह शब्द इसमें नहीं है। इसमें तो शब्द है ("No law shall have effect") (कोई विधि प्रभावी नहीं होगी.....) यानी उस कानून का एफेक्ट न होगा तब तक जब तक कि रिजर्व न किया जाय और प्रेसिडेंट की अनुमति न हो। ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो इस हिसाब से पहले कानून बनाना आवश्यक है। कानून बनाने के लिये कोई बाधा नहीं है। तो आपत्ति जो उठायी गयी है कि यह सदन कानून नहीं बना सकता, यह उचित आपत्ति इस दृष्टि से नहीं दिखलाई देती। दूसरी बात यह भी है कि अगर यह भी मान लें कि इस पर आपत्ति हो सकती है, तो भी जब सदन ने एक अधिनियम बना लिया है और विधेयक को पास कर दिया है तो उस वक्त देखना चाहिये कि वह विधेयक इस सदन में विचार के हेतु मौजूद है या नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त केवल सिफारिशें विधान परिषद् की सदन के सामने मौजूद हैं। यह संविधान अनुच्छेद १९८ के अनुसार हैं, जिसे मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"(1) A money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fouteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

[(१) विधान–परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायगा।

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान सभा से पारित हो जाने के पश्चात् धन-विधेयक विधान परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा, तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान सभा विधान परिषद् की सिपारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।]

सिर्फ दो ही काम यह सदन इस वक्त कर सकता है कि जो सिफारिशें विधान परिषद् ने यहां भेजी हैं वे या तो पूरी की पूरी या उनमें से कोई मंजूर करें या पूरी की पूरी या उनमें से कोई नामंजूर करें। इसके सिवा सदन के सामने दूसरा प्रश्न इस वक्त उपस्थित नहीं है। पूरे विधेयक के ऊपर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। न विधेयक के संबंध में कोई प्रश्न ही उठाया जा सकता है कि वह वैधानिक है या अवैधानिक है। क्योंकि वह सदन में स्वीकृत हो चुका है। एक बात और भी इससे स्पष्ट होती है। अनुच्छेद १९८ का खंड ५ जो है वह यह है

"If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly."

[यदि विधान सभा द्वारा पारित तथा विधान परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान सभा ने उसको पारित किया था।]

अगर वह सिफ़ारिशें विधान परिषद् ने की होती तो यह मान लिया जाता कि दोनों सदनों ने विधेयक पास कर लिया है क्योंकि विधान परिषद् को अधिकार इस बात का नहीं है कि वह कोई संशोधन इस मनीबिल में पेश करे, सिर्फ सिफ़ारिशें वह दे सकती है और अगर सिफ़ारिश न दे तो इस सदन का यह पूर्ण अधिकार है कि उसने जो विधेयक यहां पर स्वीकृत किया है वह दोनों सदनों का स्वीकृत माना जाय तो इस अवस्था में सदन के सामने कोई विधेयक विचारार्थ मौजूद है ऐसा नहीं माना जा सकता और न उस पर कोई वैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है और जब उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाई जा सकती तो उसके संबंध में जो सिफ़ारिशें संशोधन के लिये भेजी गयी हैं उनके ऊपर भी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। इसलिये अवैध होने की जो बात है वह मैं समझता हूं निरर्थक है और मैं इस आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री हुकुम सिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक विधान परिषद् की सिफ़ारिशों का संबंध है उसमें मुझे कुछ ज्यादा तफसील के साथ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अधिकांश जो सिफ़ारिशें हैं वे शाब्दिक तरमीमें हैं जिनके पास हो जाने से भाषा दुरुस्त हो जायेगी और नम्बर ४ पर जो सिफ़ारिशें हैं वह खंड ३ के उपखंड घ को ज्यादा विस्तृत बनाने के लिये की गई है। उस विधेयक में जो यहां से पास हो कर गया था यह संक्षिप्त में था कि काश्तकारी के लिये जो जरूरत हो उसके इस्तेमाल के लिये जो जरूरत हो उसकी जगह पर इसको एक विस्तृत रूप दे दिया गया है ताकि कोई गलतफ़हमी न हो और समझने में दिक्क़त न पड़े और जगहों पर "ऐसा" के स्थान पर "ऐसे" और "धन" की जगह पर "मूल्य" ऐसी शाब्दिक तरमीमें हैं। उनसे उसूली तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, जब मैंने माननीय मंत्री जी को यह कहते सुना कि कुल सिफ़ारिशें शाब्दिक ही शाब्दिक हैं।

श्री हुकुम सिंह--कुल नहीं, अधिकांश।

श्री नारायण दत्त तिवारी--अच्छा, अंशतः जो शाब्दिक हैं उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो संशोधन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हैं वे बहुत उसूली हैं और उसमें एक तो इस सदन में पहले से स्वीकृत किया जा चुका है कि ७ दिन के अन्दर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी न दे सकने के कारण किसी भी कन्ज्यूमर के कनेक्शन नहीं कट आफ किये जायंगे। यह सिद्धांत यह सदन स्वीकार कर चुका है तो उसको इन सिफ़ारिशों के द्वारा ठुकराया जा रहा है मैं समझता हूं कि इसमें इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट का हवाला दिया जायगा कि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार सरकार दोबारा यह अंक ७ रखने जा रही है लेकिन जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट है १९१० है उसमें कहीं ऐसा नहीं कि सात दिन के अन्दर कोई कनेक्शन काट दिया जायगा। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कहीं भी कोई मतभेद हो किसी रेट के बारे में और इंस्पेक्टर मामले को हाथ में ले ले तो, लाइसेंसी को इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वह चाहे तो न भी काटे कनेक्शन सात दिन के अन्दर। कोई जरूरी नहीं है उसके लिये वह हर बिजली का कनेक्शन कट जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि संख्या १० की जो सिफ़ारिशें आयी हैं वे बहुत महत्व की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसका स्पष्टीकरण करें। हम को कम से कम यह बतायें यह सिफ़ारिशें क्यों हुईं, खासतौर से नम्बर दस के बारे में उसका स्पष्टीकरण करें। तब हमें फैसला करने में भी आसानी होगी।

श्री हुकुम सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, ३० के बजाय ७ दिन इस लिये रखा है कि जल्दी हो जाय और कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा सिफ़ारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष——अब इसका तरीका यह होगा कि माननीय उद्योग मंत्री एक एक सिफ़ारिश को भवन के सामने पेश करते जायं और उसके ऊपर मैं राय लेता जाऊं।

श्री हुकुम सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) (२) की पंक्ति ५ में "ऐसा" शब्द की जगह "ऐसे" कर दिया जाय

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) (२) की पंक्ति ५ में "ऐसा" शब्द की जगह "ऐसे" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज) (३) में जहां जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाय।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) (३) में जहां जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ज) (५) के स्पष्टीकरण में आदि शब्द "इकाई" के बाद का शब्द "धन" बदल कर "मूल्य" रख दिया जाय।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ज) (५) के स्पष्टीकरण में आदि शब्द "इकाई" के बाद का शब्द "धन" बदल कर "मूल्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपखंड "(घ)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय

"(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural operations) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं यथा सिंचाई के लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपयोग के लिये अन्य क्रिया करना (crushing, milling or treating) या चारा काटना" ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकारकी सिफ़ारिश लम्बी हो कर के यह विधान परिषद् की ओर से हमारे यहां आयी है, वह स्पष्ट नहीं है और जैसी की पहले इस सदन ने स्वीकार किया था मगर कोई इसमें संशोधन होना भी था तो इतना ही काफ़ी था कि परिभाषा में, कृषि का उपयोग क्या है इसको स्पष्ट कर दिया जाता कि क्या-क्या कार्य हैं। आखिर में इसमें भी लिखा हुआ है कि "अन्य कार्य करना।" तो वैसे शायद सोचकर जरूर यह किया गया हो कि कृषि फार्मों में क्या होगा, ट्यूबवेल में क्या होगा और क्रशिंग, मिलिंग और ट्रीटिंग होगा । यह तो सभी जानते हैं कि कृषि उपयोगी कार्यों में सभी आते ही हैं और बिजली का जहां पर सवाल आयेगा, कृषि के उपयोग में ये सब आयेंगे । तो मैं समझता हूं कि जैसा पहले हमारा संशोधन था, "कृषि के उपयोग के लिये" वही ठीक था ।

अध्यक्ष—"घ" के संबंध में यह बात है ? कि "किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि संबंधी"। यह तो बहुत बड़ा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं यहां जो सदन में मंजूर हुआ था, उसी को पढ़ रहा हूं, "कृषि के उपयोग के लिये आवश्यक" जो श्री रामनरेश शुक्ल जी ने रखा था और जो परिषद् से बदल कर आया है कि "किसी कृषक द्वारा ऐसे कृषि कार्यों में.. .."वह बहुत बड़ा है और जैसा पहले यहां से पास हुआ था वही रहे । वही संक्षिप्त भी है और इतना लम्बा चौड़ा जो इसमें कर दिया है, इसके अतिरिक्त मैं इससे दर्जनों गिना सकता हूं जो अभी इसमें रखे गये हैं । मैं समझता हूं कि जैसा पहले था और जैसा माननीय सदन ने शुक्ल जी के संशोधन को माना था वही काफी है।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती के काम में पहाड़ और इधर प्लेंस में बड़ा फर्क रहता है । यहां बहुत से कार्य हैं जो पहाड़ पर नहीं होते और जो पहाड़ पर होते हैं वह यहां नहीं होते। जो पहले "घ" इस सदन से पास हुआ था वह मुहमिल था। अब उसका विस्तार कर दिया गया है कि सभी पहाड़ और प्लेन की बातें आ जायं और साफ तौर से एक्सप्लेन कर दिया गया है, जैसी की जरूरत है बनिस्बत इसके कि मामले को मुहमिल रखा जाय और हर शख्स अपनी राय अलग अलग रखे । इसलिये जो डिटेल दे दी गयी वह ज्यादा जरूरी थी और जो सिफारिश आई है वह ज्यादा जरूरी है । मैं इसी की ताईद करता हूं ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के पहले प्रतिबन्ध के उपखंड "(घ)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural operations) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं यथा सिंचाई लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना पीसना या उपयोग के लिये अन्य क्रिया करना (crushing milling or treating) या चरा काटना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबंध में शब्द "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के दूसरे प्रतिबंध में शब्द "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--एक प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, अभी परिभाषा में पास कर दिया गया है कि जहा जहां शब्द "धन" आया है उसके स्थान पर शब्द "मूल्य" आ जाय। 'इकाई धन' यहां है, इस लिये 'मूल्य' का होना आवश्यक मालूम होता है।

अध्यक्ष--वह तो खंड २ के उपखंड (ज) (३) में संशोधन हुआ है और यह खंड ३ में है।

श्री हुकुम सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "लगायी गयी दर" और "उसके लिये लगाई गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

अध्यक्ष--मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शायद इसमें कुछ ग़लती है। इस संशोधन (६) को मिलाने से "उसके लिये लगायी गयी दर" की जरूरत है या नहीं। यह (६) और ७ तीसरे प्रतिबंध के संबंध में हैं। सातवें संशोधन में यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबंध की पंक्ति २ में "तो" शब्द के बाद का समस्त अंग निकाल कर....।

श्री हुकुम सिंह--"लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो" रख दिया जायं।

अध्यक्ष--तो यह जब निकाल दिया जायगा तो यह जो छठवें नम्बर पर आप का है "उसके लिये लगायी गई दर" ये शब्द कहां रहेंगे।

श्री हुकुम सिंह--"इकाई धन" रहेगा।

अध्यक्ष--"इकाई धन" कहां रहेगा?

श्री हुकुम सिंह--इसमें तीसरा प्रतिबंध यह है कि यदि लगाई गई दर.....

अध्यक्ष--"लगायी गई दर" तो रहेगा लेकिन "उसके लिये लगाई गई दर" ये जो दूसरे शब्द हैं ये तो उसमें आते नहीं क्योंकि चौथी लाइन के जो शब्द हैं "जो उसके लिये लगाई गई दर के साथ ९ आने से अधिक न हो" वे खत्म हो जायंगे। तो छठवीं जो आप की सिफारिश है उसमें आप यह कहते हैं कि "उसके लिये लगाई गई दर" की जगह "इकाई धन" हो और दूसरी जगह आप उन शब्दों को निकाल करके दूसरे शब्द रखना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि आप सिफारिश ७ को पहले पास करालें और फिर ६ को लें।

श्री हुकुम सिंह--इसकी शक्ल यों हो जायगी कि तीसरा प्रतिबंध यह है कि "यदि इकाई धन ९ आना प्रति यूनिट से कम हो, तो लगायी गयी एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क)..."

अध्यक्ष--"इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से ९ आने प्रति यूनिट से अधिक न हो"। अगर यह आयेगा तो इसके लिये कहां स्थान है जो छठवें में आप ने पेश किया "उसके लिये लगायी गई दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रख दिये जायं। तो यह आप काट दीजिये।

श्री हुकुम सिंह--यह तो निकल जायगा। "इकाई धन" तो "लगाई गई दर" की जगह रखेंगे।

अध्यक्ष--तो आप का संशोधन यह होगा कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबंध में शब्द "लगायी गयी दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रहेगा। और "उसके लिये लगायी गई दर" यह निकल जायगा।

श्री हुकुम सिंह--जी।

अध्यक्ष--तो मैं अलग अलग ले लेता हूं। ६ के दो भाग करता हूं। एक को माननीय सदस्य मंजूर कर लें और दूसरे को नामंजूर कर दें।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "लगायी गयी दर" के स्थान पर शब्द" इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध में शब्द "उसके लिये लगायी गयी दर" के स्थान पर शब्द "इकाई धन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति २ म "तो" शब्द के बाद का समस्त अंश निकाल कर "लगायी गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धनराशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हों" रख दिया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के तीसरे प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में "तो" शब्द के बाद का समस्त अंश निकाल कर "लगायी गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) इतनी कम धन राशि होगी जो लगी हुई दर से मिल कर ९ आना प्रति यूनिट से अधिक न हों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंतिम शब्द "जो" के बाद शब्द "उसके अपने" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में अंतिम शब्द "जो" के बाद शब्द "उसके अपने" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ की पंक्ति २ में "द्वारा" शब्द के बाद समस्त शब्द निकाल कर "एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति किये जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फ़र्स्ट चार्ज) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार क ऋण होगा" रख दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, इसकी हिन्दी इतनी साफ़ नहीं है। वह साफ़ होनी चाहिये। अगर इसको श्रीमन् ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष--आप क्या सुझाव देते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--"अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड २ में शब्द "एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति की जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :--

"उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के निमित्त, जिसकी उसने पूर्ति की हो प्राप्य धनराशि पर प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी और यह राज्य सरकार का उस लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी पर ऋण होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जो सिफारिश उद्योग मंत्री कर रहे हैं उससे साफ़ जाहिर नहीं होता कि जितनी बिजली का वह प्रयोग करेगा उतना ही उसे देना पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह--इससे भाषा साफ़ हो जाती है। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष--सवाल यह है कि या तो आप इसको मंजूर करें या नामंजूर करें।

श्री हुकुम सिंह--मैं मंजूर करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, यह तो आप के अधिकार की बात है कि आप भाषा ठीक कर लें और मेरे संशोधन को रहने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन, नियम १२५ (ख) यह है कि "परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करते समय, ऐसे संशोधनों के विषय से सुसंगत संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे, किन्तु विधेयक में कोई अन्य संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह परिषद द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो"।

तो यह आल्टरनेटिव अमेंडमेण्ट है........ /

अध्यक्ष--यह तो उससे लागू नहीं होता है। आप संविधान का अनुच्छेद १९८ (२) देखने की कृपा करेंगे--

"The Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

[ऐसा होने पर विधान सभा, विधान परिषद् की सिफारिशों में से सबको, या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।]

तो या तो आप इस सिफ़ारिश को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यह दो ही तरीक़े हो सकते हैं तो माननीय उद्योग मंत्री इस बात को तय करें कि वह इस सिफारिश को मंजूर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं।

श्री हुकुम सिंह--सिफ़ारिश तो ज़रूर मंजूर करूंगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में "द्वारा" शब्द के बाद के समस्त शब्द निकाल कर "एनर्जी" (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति किये जाने से प्राप्य धनराशि का प्रथम भार (फर्स्ट चार्ज) होगी और यह उसके ऊपर राज्य सरकार का ऋण होगा" ये शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में अंक "३०" के स्थान पर अंक "७" रख दिया जाय। इसके बारे में विवाद हो चुका है ज्यादा कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् जब मैंने पहले माननीय मंत्री से प्रश्न पूछा कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से विधान परिषद् ने इस हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जिसमें हमने पहले ७ दिन के स्थान पर ३० दिन रक्खे थे उसको उलट दिया। माननीय मंत्री जी न जवाबदिया कि, जल्दी वसूल करने के लिये लेकिन यह कोई जवाब नहीं है। कोई कारण जरूर होगा जिससे विधान परिषद् ने यह समझा कि ७ दिन ही रहने चाहिएं तो इसको माननीय मंत्री को स्पष्टरूप से बतलाना चाहिये। अगर हम इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा २४ को लें, जिसकेअनुसार ७ दिन किये जा सकते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है—

"Where any person neglects to pay any charge for energy or any other sum due from him to a licensee in respect of the supply of energy to him, the licensee may, after giving not less than 7 days' clear notice in writing to such person and without perjudice to his right to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply and for that purpose cut or disconnect any electric supply-line or other works, being the property of the licensee, through which energy may be supplied......

Provided that where any difference or dispute has been referred under this Act to an Electric Inspector before notice as aforesaid has been given by the licensee, the licensee shall not exercise the powers conferred by this section until the Inspector has given his decision."

अध्यक्ष—माननीय सदस्य शायद इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की उस धारा की ओर संकेत कर रहे हैं जिसमें ३० रोज़ उसके विरुद्ध पड़ते हैं इसलिये शायद सात रोज़ विधान परिषद् ने किये हों, यह उनका संकेत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—एक संभावित कारण बतला रहा हूं। ऐसी मेरी कल्पना है कि यही कारण हो सकता है कि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में ७ रोज़ दिये हुये हैं....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न उठाया तो वह यह भी बतलायें कि किस वजह से उनका पहले वाला संशोधन वैध होगा यानी ३० दिन तक ब नाना जब कि ७ रोज़ इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में दिये हुये हैं। तो ७ रोज़ का नोटिस देने के अधिकार को रद्द करने का यह सदन कैसे क़ानून पास कर सकता है, इस विषय में वह कृपा करके बतलायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से उसकी वैधता के रे में यह कहना चाहता हूं कि जब एलेक्ट्रिसिटी बिल पर डिबेट चल रही थी तो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९४८ जो है जो कि पिछले ४ साल से लागू है उसकी धाराओं को यहां लागू किया जाय तो जितनी मोहलत इस सदन ने तै की थी वह मिल सकती थी। साथ ही साथ इंडियन ऐलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट में लाइसेंसी की जो परिभाषा है उसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं आती। राज्य सरकार से संचालित जो विद्युत् गृह हैं जो कंज्यूमर को बिजली देते हैं वे इंडियन ऐलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार लाइसेंसी की परिभाषा में नहीं आते। हमारे इस विधेयक में लाइसेंसी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलग अलग ट्रीट किया गया है और कम से कम सरकारी अंडरटेकिंग्स के लिये तीस दिन वाला प्राविजन लागू हो सकता है। मैं समझता हूं कि ड्यूटी और रेट को एक ही में मिला देना उचित न होगा, हमने फर्स्ट चार्ज जरूर माना है लेकिन रेट्स के साथ हमने ड्यूटी को नहीं मिलाया। इसलिये अगर हम ड्यूटी के सिलसिले में तीस दिन दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह कोई अनुचित नहीं है, यह न्यायपूर्ण बात है। यह अधिकार हम हर कंज्यूमर को दे सकते हैं कि वह तीस दिन के भीतर अपनी ड्यूटी अदा कर सकता है। फिर जैसा मैंने कहा इंडियन एलेक्ट्रिसिटी के ऐक्ट, के प्राविज़ो २४ के अनुसार साफ है कि एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ७ दिन के नोटिस के होते हुये भी उसको काटा जाना रोक सकता है। और महीने भर तक जब तक कि डिफरेंस का समझौता न हो जाय तब तक बिजली न काटी जायगी। तो इस दृष्टिकोण से आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और माननीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह जो सिफारिश, विधान परिषद् ने की है उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १६१० और १६४८ के ऐक्ट के जरिये से आप सुविधा कंजूमर्स को दे सकते हैं। उस ऐक्ट को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन इनके अन्दर काफी धाराओं से रिलीफ दी जा सकती है। सरकार की कम्पनी जो कानपुर में है उसमें आप अण्डर टेकिंग दे सकते हैं। मैं सदन से फिर प्रार्थना करूंगा कि जो स्टैंड सदन ने पहले लिया था वह उसी पर कायम रहे और ३० के बजाय जो ७ किया गया है उसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न बहुत सीधा सादा है कि आया नोटिस ७ दिन की दी जाय या ३० दिन की दी जाय। अब सवाल यह है कि नादेहन्दगी को बढ़ाना मुनासिब है या नहीं। मैं समझता हूं नादेहन्दगी को बढ़ाना मुनासिब न होगा कि लोग ज्यादा दिन तक जायज चीज़ को अदा न करें। अगर वह नहीं करेंगे तो ७ दिन के अन्दर वह कट जायगी। लिहाजा ३० दिन का जो वक्त था वह बहुत ज्यादा था और उसकी जगह पर अब ७ दिन कर दिया गया है वह मुनासिब बात है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि यह ७ दिन की सिफारिश स्वीकार की जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—गवर्नमेंट एलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग इसकी परिभाषा में आते हैं या नहीं?

श्री हुकुम सिंह—I refer to the provisions of various acts. (मैं विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों का निर्देश करता हूं।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) में अंक "३०" के स्थान पर अंक "७" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "निश्चित" रख दिया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "निश्चित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड 'ख' की प्रथम पंक्ति में आदि के शब्द "किसी दूसरा" निकाल दिये जायं और शब्द "को" के बाद "किसी अन्य" शब्द रख दिये जायं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति में आदि के शब्द "किसी दूसरा" निकाल दिये जायं और शब्द "को" के बाद "किसी अन्य" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० उपखंड (२) में शब्द "विशेषतः" क बाद कामा (,) लगाकर शब्द "तथा" को "किन्तु" शब्द से बदल दिया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) में शब्द "विशेषतः" के बाद कामा (,) लगाकर शब्द "तथा" को "किन्तु" शब्द से बदल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने अभी विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है यह सदन उस पर विचार नहीं कर सकता, यह अल्ट्रावायरस है और स्कोप के बाहर है। इसके ३ कारण हैं। पहला यह कि इस विधेयक के द्वारा सेक्शन ३ जो प्रिन्सिपल ऐक्ट का है उसमें लिखा हुआ है कि उसके खंड (२) के अनुसार--

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year........"

[प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय.......]

अध्यक्ष--यह आप कौन से ऐक्ट का हवाला दे रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं कह रहा हूं कि मूल ऐक्ट जो है उसके क्लाज ३ के उपखंड (२) में रिडक्शन का प्राविजन भी है।

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year......"

[प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय........]

ओरीजीनल ऐक्ट की दफा ३ (२) में लिखा है--

"A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs.12,000/- or such larger amount as may be prescribed, shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year."

[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी बड़ी रकम से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर-निर्धारणवर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा।]

तो इसमें रिडक्शन का कोई प्रावीजन नहीं है। यह ओरीजीनल ऐक्ट के स्कोप के बाहर है चूंकि जब मूल ऐक्ट में रिडक्शन का प्रावीजन नहीं है तो इसमें रिडक्शन हो ही कैसे सकता है? जब तक धारा ३ की उपधारा (२) संशोधित नहीं की जाती तब तक यह प्रावीजन आ ही नहीं सकता है। दूसरे जो नये संशोधन विधेयक की धारा ६ में जो उपखंड २ है उसके अनुसार इस ऐक्ट का स्कोप इतना बढ़ाया जा रहा है कि जो पुराने ऐक्ट का लक्ष्य नहीं था। यहां तो हिन्दुस्तान भर के किसी भी टैक्स से इस सेल्स टैक्स को संबंधित कर दिया गया है। यह अनुचित है। पुराने सेल्स टैक्स ऐक्ट का बिलकुल यह मकसद नहीं था जो इसके प्रिएम्बिल से साफ हो जाता है।

---

*९ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अजीब सी बहस शुरू कर रहे हैं। पहले स्कोप क्या था और अब उसे बढ़ाने का अधिकार है या नहीं, यही तो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न पर आपकी वैधानिक आपत्ति हो सकती है। लेकिन किसी विशेष संशोधन के स्कोप बढ़ जाने से विधेयक के बारे में विचार करने के लिए वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने टैक्स को किसी और प्रान्त के या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स से संबंधित नहीं कर सकते। इसका चूंकि नाम यू० पी० सेल्स टैक्स है और इसके प्रिएम्बिल में लिखा हुआ है कि "Whereas it is expedient to provide for the levy of tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय]

किसी और दूसरे प्राविंस से पुराने ऐक्ट का कोई संबंध नहीं है। इसलिये यह हमारे स्कोप में नहीं है और इस सदन को अधिकार नहीं है कि हम और प्रान्तों के सेल्स टैक्स को अपने सेल्स टैक्स से मिला दें। इसके द्वारा वे तमाम स्टेट्स से इसको मिला देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही यदि होता तो किसी हालत में माना भी जा सकता था लेकिन सब स्टेट्स को इसके द्वारा मिला दिया जाता है जब कि किसी भी प्रान्त में ऐसा प्रावीज़न नहीं है।

अब तीसरी आपत्ति धारा ४ के ऊपर है।

अध्यक्ष--अगर कोई धारा वैधानिक न हो तो किस प्रकार पूरा ऐक्ट विचार के योग्य नहीं है? इस पूरे बिल पर किस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता अगर उस पूरे बिल के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आप धाराओं के बारे में वैधानिक कोई आपत्ति इस समय पेश नहीं कर सकते। क्या यह संशोधित विधेयक पर कोई आपत्ति है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह हमारे स्कोप के बाहर है इस प्रकार का संशोधन पेश करके हम और प्रान्तों को भी बाधित करते हैं।

अध्यक्ष--मान लीजिये कि आपने जिसका जिक्र किया वह संशोधन रिजेक्ट कर भी दिया तो बाकी विधेयक तो रहेगा ही। आप ने यह नहीं बताया कि पूरे विधेयक पर विचार करने के लिये इस सदन को अधिकार है या नहीं।

श्री हुकुम सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह इकबाल करना पड़ता है कि माननीय मित्र ने जो कुछ कहा वह न तो समझने की बात ही थी और न मेरी समझ में आयी। इस सदन के सामने जो प्रश्न उपस्थित है कि आया इस बिल पर विचार किया जाय या न किया जाय। हमारे मित्र इंकार करते हैं इस प्रकार का विचार करने से। हमारे मित्र ने यह भी बताया कि यह बिल प्रिन्सिपल ऐक्ट और इस सदन के स्कोप के बाहर है। उसका कारण यह बताया है कि उसमें तरमीम कर दी गयी है। अमेंडिंग बिल के मानी क्या होते हैं? किसी ओरीजिनल ऐक्ट की तरमीम के लिये अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो वह संशोधन विधेयक कहलाता है। उससे उसमें तरमीम होती है। कुछ चीजें उसमें से निकाल दी जाती हैं और कुछ का इजाफा किया जाता है। ऐसी हालत में यह कहना कि यह इस सदन के अख्तियार के बाहर है मेरी समझ में नहीं आता। मैंने यह विधेयक रखा और इस विधेयक के द्वारा प्रिंसिपल ऐक्ट में तरमीम करना चाहता हूं। अगर उसमें कोई प्राविजन्स ऐसे हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता तो उन पर विचार करते समय हम उसको क्रिटिसाइज़ करके रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि विचार ही नहीं हो सकता यह कौन सा कानून है यह कौनसा नियम है कि

इस पर विचार ही नहीं किया जा सकता। दफा २३ का हवाला देते हुये आपने फरमाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट का संबंध आपने कर दिया है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से धारा २३ को पढ़ देना चाहता हूं।

"All particulars contained in any statement made return furnished or accounts or document produced under the provisions of the Act or the Rules made thereunder or in any evidence given or affidavit or deposition made in the course of any proceeding under the Act or the Rules made thereunder or in any record of any proceeding relating to the recovery of a demand prepared for the purpose of the Act or the Rules made thereunder shall be treated as confidential."

[इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार जो विवरण पत्र या लेखे या लेख पत्र प्रस्तुत किये जायं, अथवा जो साक्ष्य या शपथ-पत्र, जो इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में दिये जायं, अथवा किसी मांग की उगाही से संबंधित किसी कार्यवाही के जो लेखे इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के प्रयोजन के लिये तैयार किया जाय, इन सब में जो कुछ विषय होगा, वह गोपनीय माना जायगा।]

इस धारा की रू से यह जो कार्यवाही है वह कान्फीडेंशियल मानी जाती है और किसी को कम्युनिकेट नहीं की जाती।

अध्यक्ष—यह आप किस धारा की कह रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—धारा २३ की कह रहा हूं।

जो इस विधेयक में रखा गया है उसका मतलब, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम इस प्रोसीडिंग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करें तो वह कांफीडेंशियल न रखी जाय। इसके अलावा न हमने उनसे कोई रिश्ता जोड़ा है, न संबंध जोड़ा है। और न आपके स्कोप के बाहर जाता है। अभी तक गवर्नमेंट किसी को डिस्क्लोज नहीं करती थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है क्योंकि उन्होंने अपने इनकम टैक्स के बारे में हमको डिस्क्लोज किया है तो हम भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। यह एक बिलकुल रेसिप्रोकल बात है। कोई किसी ऐक्ट को इवेड न कर सके इसलिये इस बात की जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ इत्तलात मिलें ताकि जो कंफिडेंशियल बात को हम उन्हें बतला सकें। पहले हम उनको ऐसी कोई चीज देते नहीं थे लेकिन अब देंगे। महज इस दिक्कत को दूर करने के लिये यह तरमीम रखी गयी है। इसमें और कोई आपत्ति की बात नहीं मिलती। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने कोई कानूनी बात नहीं कही, जिसकी वजह से इस विधेयक पर विचार करने में कोई दिक्कत दरपेश आवे। मैं समझता हूं कि श्रीमान्, सदन को आज्ञा देंगे कि इस प्रश्न के ऊपर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ए, बी, सी, स्टेट्स से आप इसको कैसे लिंक करते हैं?

अध्यक्ष—जब खंड में आप कोई आपत्ति उठावें तो उस वक्त आप कह लीजियेगा यह स्पष्ट नहीं है कि वैधानिक आपत्ति इस विषय में है क्या, इस विधेयक पर विचार करने के बारे में। जो एक बात बतलायी गयी कि जो मूल अधिनियम है उसकी परिधि के बाहर यह नया विधेयक जाता है या थोड़ा बहुत जाता है। तो मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि हर एक संशोधन कुछ न कुछ परिधि के बाहर तो जाता ही है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि जो मूल अधिनियम है वह इस सदन का ही है। इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि बिलकुल शुरू से आखिर तक पहला जो अधिनियम है उसको परिवर्तित करके, उसका संशोधन करके उसे नया रूप दे सकता है। यह अधिकार होते हुये भी इस सदन को देखना है कि यह स्कोप के बाहर जाता है या नहीं जाता है। यहां तो सिर्फ उसके गुणों पर विचार

[अध्यक्ष]

होगा और यह सदन निर्णय करेगा कि उसको मूल अधिनियम के स्कोप के बाहर जाना चाहिये कि नहीं जाना चाहिये। इस सदन को अधिकार है या नहीं है इसका कोई सही कारण नहीं बतलाया गया न कोई सही कानूनी अड़चन बतलायी गयी कि सदन इसके ऊपर क्यों विचार नहीं कर सकता। इसलिये मैं इसके ऊपर विचार करना अवैधानिक नहीं समझता हूं।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--यहां कोई मिनिस्टर तो है नहीं क्या कार्यवाही होगी।

अधिष्ठाता--श्री मंगला प्रसाद तो हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, कार्यवाही कैसे होगी क्योंकि जिन्होंने विचार करने के लिये उपस्थित किया था वे तो यहां हैं ही नहीं।

अधिष्ठाता--वे आ गये। माननीय उद्योग मंत्री जी, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे?

श्री हुकुम सिंह--क्यों यह विधेयक लाया गया उसके बारे में केवल आबजेक्ट्स और रीजन्स पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। वह आबजेक्ट्स ये हैं--"एक पृथक् विधान द्वारा बिजली के उपभोग पर कर लगाने का विचार है। अतः संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट में से बिजली संबंधी उपबन्ध निकाल दिये गये हैं। इसलिये बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ अन्य साधारण संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धन की न्यूनतम सीमा, जिस पर किसी व्यापारी के कर देने का दायित्व अवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये जाने या उसकी वसूली के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ सूचना के पारस्परिक आदान प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था।

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।"

जैसा अभी एलेक्ट्रिसिटी बिल इस सदन ने पास किया है कौंसिल की सिफ़ारिशों का तो इस बिल के पास हो जाने के बाद इस मौजूदा ऐक्ट में कुछ तरमीम की आवश्यकता पड़ी क्योंकि बिजली एक्जेम्प्ट थी लिहाजा उसका निकालना जरूरी था और जब यह तरमीम लाना आवश्यक समझा गया तो उसमें दो एक चीजों की जरूरत थीं वह भी लाई गई जैसा कि आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में भी और बिल में भी दिया गया है। और इसी उद्देश्य से यह बिल आया है। मैं समझता हूं कि सदन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से जो यह सेल्स टैक्स संशोधक विधेयक रखा उसके उद्देश्य और कारणों को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिलकुल निर्दोष विधेयक है और इसमें जो संशोधन किये जा रहे हैं वे संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट में से बिजली के संबंध में उपबन्ध निकाल देने के लिये है। चूंकि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट के अनुसार बिजली पर से सेल टैक्स हटा दिया जा रहा है। इसलिये इन उपबन्धों से और सेल्स टैक्स विधेयक से वैसे भी कुछ उपबन्धों का निकाल दिया जाना आवश्यक था इसलिये ही यह संशोधन लाया गया है। बहुत ठीक है और शायद इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन वह उनकी मजबूरी थी। चूंकि एलेक्ट्रिसिटी ड्यिुटी ऐक्ट भी चाहे न होता तब भी मैंने जैसा कि निवेदन किया एसेंशल गुड्स ऐक्ट के मातहत उन को यह संशोधन लाना ही पड़ता है। तो जहां तक

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट का संबंध है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया अगर वह भी न होता तब भी एसंशेयल गुड्स ऐक्ट के अनुसार संशोधित होना आवश्यक था। परन्तु यह चीज उद्देश्य और कारणों में नहीं है। यह बात सरकार को स्पष्ट करनी चाहिये थी। लेकिन इसके बाद आगे जो संशोधन आ रहे हैं यह तो मैं समझता हूं कि ऐसे असाधारण संशोधन हैं जिन को किसी भी हालत में साधारण नहीं कहा जा सकता। हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में जितने सेल्स ऐक्ट हैं वहां पर कोई भी इस प्रकार की धारायें नहीं हैं जो कि माननीय मंत्री जी अपने इस विधेयक द्वारा ला रहे हैं। ठीक था। सेल्स ऐक्ट में संशोधन होना चाहिये था। संशोधन की आवश्यकता भी थी और उसका स्कोप बदलने की भी आवश्यकता थी। लेकिन प्रश्न यह है कि इस सेल्स टैक्स ऐक्ट में क्या संशोधन होने चाहिये थे और क्या हो रहे हैं। आज माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं हैं क्या माननीय उद्योग मंत्री और सरकार यह नहीं जानती थी कि उन्हें खुद एक सेंटर की कान्फ्रेंस में जाना था जो मुख्यतया सेल्स टैक्स के शासन पर ही दिल्ली में हो रही है और मैं समझता हूं कि शायद आज ही स्थगित हुई है और वह इसी लिये बुलायी गयी थी कि विधान की धारा २८६ को किस प्रकार प्रयोग किया जाय सेल्स टैक्स के संबंध में, और इसके लिये कि गुड्स ऐक्ट के पास होने के बाद किस प्रकार सेल्स टैक्स का शासन प्रबन्ध चलाया जाय ; किस प्रकार विभिन्न प्रान्तों के सेल्स टैक्स की दरों को नियमित किया जाय। ऐसा न हो कि कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम हो। इसलिये सेल्स टैक्स कानफ्रेंस हो रही थी। अगर हमारी सरकार एक महीना रुक जाती और कमेटी की रिपोर्ट सामने आ जाती कि किस प्रकार आज जो विभिन्न प्रान्तों में सेल्स टैक्स की दरें हैं उस पर उस कमेटी की क्या राय होती है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूं कि कल ही के अखबार में उन्होंने देखा होगा कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सभी मिनिस्टरों को बुलाया था, उनकी एक कमेटी बनी है। उसको फौरन ही रिपोर्ट देनी है। तो इस पर विचार हो जाने के बाद अगर सरकार सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल लायी होती तो मैं बधाई देता कि आप दूसरे प्रान्तों से इस प्रान्त में सेल्स टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन था उस को मिटाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक तरफ देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसी प्रान्तीय सरकार के सहयोग से सेल्स टैक्स पर उचित विनिमय के लिये एक सम्मेलन बुला रही है, उसी समय वही प्रान्तीय सरकार सेल्स टैक्स में एक ऐसा संशोधन लाती है जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है। किस प्रकार बढ़ाता है उस के बारे में उद्देश्य और कारणों में बिलकुल कोई जिक्र नहीं है वह बिलकुल चुप है। इस संशोधन विधेयक का खंड ४ जो है मैं निवेदन करूंगा कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि "मूल अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायेंगे और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।" यह कोई साधारण संशोधन नहीं है। उद्देश्य और कारणों को माननीय सदन देखे कि चौथे खंड के मुताल्लिक बिलकुल चुप्पी साध ली गयी है। माननीय मंत्री जी ने भी कृपा करके जब उद्देश्य और कारण बताये तो उन्होंने यह नहीं बताया कि यह धारा ४ इस असेम्बली के अधिकार छीन रही है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर उन्होंने मूल ऐक्ट देखा होगा तो मूल ऐक्ट के अनुसार जितने भी सेल्स टैक्स संबंधी नियम सरकार समय समय पर बनाती रही है वह सभी नियम इस सदन के सामने आने चाहिये, चाहे वह दर के बढ़ाने वाले हों या घटाने वाले हों, चाहे वह सेल्स टैक्स के शासन प्रबन्ध में कोई नई चीज लाने वाले हों। वह बिना इस सदन की स्वीकृति के कभी मंजूर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आज इस खंड ४ को हम मंजूर कर लेते हैं तो आज तक सन् ४८ से जो इस सदन का अधिकार रहा है कि सेल्स टैक्स के शासन प्रबन्ध में हमारा एक उचित कंट्रोल उन पर होना चाहिये, जो ताकत थी रूल्स को मंजूर करने और अस्वीकृत करने की वह खत्म होने जा रही है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या सन् ४८ में सरकार ने यह नहीं सोचा था कि सेल्स टैक्स शासन प्रबन्ध में जो नियम बनाये जायेंगे उनको सदन के सामने लाना पड़ेगा और उसकी राय लेनी पड़ेगी या नहीं। इसी सदन ने सन् ४८ में इस बात का फैसला किया कि जब कभी सेल्स टैक्स के बारे में नियम बनेंगे तो सदन की स्वीकृति से बनेंगे। लेकिन आज यह संशोधन लया जा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रहा है कि असेम्बली अपने उस अधिकार को सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और सरकार को इस बात का पूरा अधिकार दे दे कि रूल्स बनाने के बजाय वह नोटिफिकेशन इश्यू करें। रूल और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? रूल्स और नोटिफिकेशन गजेट हो जाते हैं लेकिन पुराने ऐक्ट में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन असेम्बली की मंजूरी के लिये या नोटिफिकेशन को असेम्बली की मंजूरी के लिये लाना आवश्यक हो। लेकिन धारा २५ के अनुसार उन नियमों को असेम्बली के सामने लाना आवश्यक था। मैं मूल ऐक्ट की धारा २५ पढ़ देना चाहता हूं। मूल ऐक्ट की धारा २४ जो नियमों के संबंध में है वह यह है कि,

"The state government may make rules to carry out the purposes of this Act."

[राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।]

और उसका सब सेक्शन (५) जो है वह यह है--

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

अब जो धारा ३ जिसमें संशोधन किया है, उसमें लिखा हुआ है ३-ए में कि--

"Notwithstanding anything contained in section 3, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that the turnover in respect of any goods or class of goods shall not be liable to tax except as such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी विक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय किसी माल अथवा माल के किस्मों के विक्रय धन पर, कर नहीं लगेगा।]

अब "प्रेस्क्राइब्ड" की परिभाषा क्या है? उसमें है।

"'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

["निर्धारित" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुये नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है।]

तो आज्ञा जब सेल्स टैक्स की दरों के घटाने बढ़ाने की होती थी तो सरकार के लिये लाजमी था कि उनको प्रेस्क्राइब कर दे और ऐक्ट के अनुसार उनको रूल्स बनाना आवश्यक था और जब रूल्स बनाना आवश्यक था तो ऐक्ट की धारा २४ के अनुसार मंजूरी के लिये असेम्बली में लाना आवश्यक था। लेकिन इस संशोधन के द्वारा वह अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिये हमें कोई कारण भी नहीं बतलाया गया। अगर आगे के लिये ही कोई ऐसी बात होती तो समझ में आ सकती थी लेकिन सरकार तो इस संशोधन के द्वारा चाहती है कि उनके संबंध में समझा जायगा कि सदा से ही उस स्थान पर रखी गयी थी। जितने

गलत या सही रूल्स इस प्रकार बने या नोटिफिकेशन इश्यू हुये बिना असेम्बली की सलाह के या पूछे हुये वह सब जायज माने जायं, इतना बड़ा अधिकार सरकार हम से मांगने जा रही है। श्रीमन्, मैं तो साफ साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन के जरिये उन रूल्स पर मंजूरी हासिल करना चाहती है इंडाइरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से नहीं, जो कि पहली अक्टूबर सन् १९५२ से सेल्स टैक्स के बारे में उसने इंफोर्स किये हैं। श्रीमन्, उस दिन मैंने एक काम रोको प्रस्ताव आप की आज्ञा से यहां पर रखा था जबकि शुरू में यहां पर असेम्बली का सेशन चला था कि ६ तारीख को कि पहली अक्टूबर को जिन चीजों पर सरकार ने सेल्स टैक्स लगाया है या बढ़ाया है उस पर यह सदन विचार करे। वह मैंने इसी ऐक्ट की धारा के अनुसार काम रोको प्रस्ताव रखा था। उस समय उस पर विचार नहीं हो सका। आज मैं उस प्रश्न को दोहराना चाहता हूं कि बजाय इस बात के कि सरकार ने पहली अक्टूबर सन् १९५२ को इस ऐक्ट के अनुसार जो रूल्स लागू किये उनको वह इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये रखती, उसने स्वीकृत नहीं ली, और वह इस प्रकार का संशोधन करके कि पहले जो नियम बन चुके हैं वे भी स्वीकार किये जायं इस सदन को चक्कर में डालना चाहती है। क्या यह सरकार के लिये शोभनीय है। मैं श्रीमन् आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर डेवलपमेंट लेवी और बेटरमेंट लेवी की प्रस्तावित दरों के ऊपर जो असंतोष की मात्रा बढ़ी और कांग्रेस पारटी के अन्दर जो प्रगतिशील सदस्य थे और जो टैक्सेशन का विरोध कर रहे थे, उनकी भावनाओं को देख कर कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी पारटी के प्रगतिशील सदस्यों की आवाज को सुन करके जो सेल्स टैक्स के बढ़ाने की दरें हैं उनको उनकी मंजूरी के लिये उनके सामने रख सके। इस लिये इंडाइरेक्ट तरीके से यह कोशिश की गयी कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जाय। पहली अक्टूबर सन् १९५२ को जो सेलस टैक्स की दरें बढाई गयीं वे क्या थीं वे इस प्रकार हैं। पहली अक्टूबर सन् १९५२ के नियमों के अनुसार "jute manufactures of all kinds including gunny bags and hessian" [जूट से प्रनिर्मित सब प्रकार के समान जिनमें गनीबैग और हेसियन भी सम्मिलित है।] इस प्रकार सेल्स टैक्स की दर छ पाई फी रुपया थी। उसको बढ़ा दिया गया। जो बीड़ियों के ऊपर जून सन् १९४८ को ३ पाई फी रुपया दर थी उसको दूना कर दिया गया यानी ६ पाई कर दिया गया। सिग्रेट और पाइप टुबैको के ऊपर ६ पाई अगस्त सन् ५० से दरें थीं परन्तु उनको बढ़ा करके ९ पाई फी रुपया कर दिया गया। एक पैसा फी रुपया बढ़ा दिया गया। सिगार के ऊपर पहली सितम्बर सन् १९४८ को ६ पाई सेल्स टैक्स की दर थी और उसको ९ पाई बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मैचेज, जूट गुड्स, खंडसारी ऐंड जैगरी पावडर्स, दियासलाई, जूट के सामान, खंडसारी और गुड़ के पावडर के ऊपर ६ पाई फी रुपया सेल्स टैक्स की नयी दर लगा दी गयी। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस ऐक्ट के अनुसार रूल्स को इस असेम्बली के सामने रखा गया? अगर मान लिया जाय कि संशोधन करना ही था तो ऐक्ट के अनुसार रूल्स हमारे सामने रखने थे और इस सदन की स्वीकृत लेनी थी। बहुत संभव था कि हम लोग स्वीकृति दे देते कि आप ने अगर बढ़ाया है, आप कारण बतलायें, हम हैं बढ़ाने के लिये तैयार लेकिन बगैर कारण बतलाये अकारण ही आप रूल्स बना दें और उनको नोटिफाई भी कर दें तो यह तो इस ऐक्ट की अव लना है, इस सदन के द्वारा बनाये हुये ऐक्ट की अवहेलना है और इस सदन की अवहेलना है। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि "सदा से" जो शब्द सरकार ने इस्तेमाल कर दिया, तो कितने नोटिफिकेशन आप ने निकाले जिनको आप इस संशोधन के द्वारा नियमित करना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी के लिये यह उपयुक्त नहीं था कि माननीय मंत्री जी बतलाते की फलां नोटिफिकेशन था, जो रैटिफाई नहीं हुआ, जो हमने आप की स्वीकृति के लिये नहीं रखा, अब हम उसको नियमित कराना चाहते हैं? मैं आज भी नियमों के अनुसार श्रीमन् आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे सदन के सामने सभी नोटिफिकेशन्स को रखें जिन को इस विधेयक के आने के पहले सरकार ने गजट में प्रकाशित किया है। हमारे पास सब गजेट नहीं है। हमारे पास तभी से गजेट हैं जब से हम मेम्बर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुये हैं। उससे पहले के जितने नोटिफिकेशन्स हैं. उनको माननीय मंत्री जी हमारे सामने रखें ताकि हमको विचार करने में सहूलियत हो। और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा सेल्स टैक्स के बढ़ाये गये रेट्स एशेंशल गुड्स ऐक्ट के खिलाफ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले प्वाइन्ट आफ आर्डर के वक्त कहा था, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, केवल शेड्यूल की वह धारा पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "कोर्स ऐंड मीडियम हैंडलूम क्लाथ"। तो जूट गुड्स और मैन्युफैक्चर जो रेट्स में डाल दिया गया है यह एशेंशल गुड्स ऐक्ट के खिलाफ जाता है चूंकि हैंडलूम क्लाथ जो है उसमें जूट का सामान भी हो सकता है, जूट ऐंड काटन बोथ। इसमें यह तो नहीं है कि काटन हैंडलूम क्लाथ। अगर यह होता तो मैं कहता कि जूट सेल्स टैक्स के लिये आ सकता है। लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जूट क्लाथ या काटन क्लाथ सभी एक्जेम्ट होंगे। तो यह वैसे भी नियमित नहीं है। आखिर सरकार का इतना बड़ा सेक्रेटेरियट है, उसके पास इतने बड़े साधन हैं, उनको तो मालूम होना चाहिये कि इसमें कौन से एग्जेम्शन हैं। आप यह चाहते हैं कि कोई बिल आप यहां पर लायें और हम उसको जल्दी से जल्दी पास कर दें और कुछ कहें भी न। मैं तो यह कहूंगा, श्रीमन्, कि यह धारा ४ किसी भी सिद्धांत से नियमित नहीं है।

इसके बाद, श्रीमन्, हम खंड ३ और उपखंड २ को ले लें। इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं आम बहस के समय उसको और स्पष्ट कर दूं तो मैं आपकी आज्ञा से उसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह ठीक है, श्रीमन्, कि हमें हमेशा अधिकार है कि हम किसी भी मूल ऐक्ट के स्कोप को बढ़ा दें या किसी भी मूल ऐक्ट की धाराओं को बढ़ा दें। इससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। लेकिन जब मूल ऐक्ट में वह संशोधन और मूल ऐक्ट की धारायें परस्पर विरोधी होती हैं तब उसके लिये क्या चारा रह जाता है ? अगर माननीय मंत्री जी अपने विधेयक के द्वारा मूल ऐक्ट की धारा ३, उपधारा २ में कोई ऐसा संशोधन लायें होते जिसके अनुसार रेडक्शन का प्राविज़न होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब मूल ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा २ में रेडक्शन का या सालाना असेसमेंट का जो एक रेट तय कर दिया गया १५ हजार रुपये उसे घटाने का कोई प्राविजन है ही नहीं तो प्रतिबन्ध के द्वारा जो कहा गया है कि घटा दिया जायगा तो घटा कहां से दिया जायगा जब मूल ऐक्ट में ही नहीं है। यह परस्पर विरोधी है। मैं आपकी आज्ञा से नियम पढ़ देना चाहता हूं जो इस मूल ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा २ के संबंध में बनाया गया है :—

"Chapter II—Taxable Turnover : Rule 7——

Larger amount mentioned in proviso 2 to section 3 shall be raised to 15 thousand and a dealer whose turnover is less than Rs. 15,000 shall not be liable to pay tax under this Act."

[अध्याय २—कर योग्य विक्रय धन नियम ७ वह बड़ी रकम, जिसका उल्लेख धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड (२) में किया गया है, १५,००० रुपये होगी और यदि किसी व्यापारी का विक्रय धन १५,००० रुपये से कम हो तो उसको अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं देना होगा।]

यानी १५ हजार रुपये रूल्स के अनुसार सरकार ने एक बार तय कर दिये हैं और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस ऐक्ट के अनुसार १५ हजार रुपये से कम जिसका सालाना टर्नओवर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस संशोधन के जरिये कहा जाता है कि "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खड के उपखंड २ में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय"। तो कम कर दी जाय का सवाल ही नहीं उठता। न तो यह मूल ऐक्ट में है और उन इसी सरकार द्वारा बनाये गये रूल्स में है।

सल्स में १५,००० रुपया परमानेंटली रख दिया है तो, श्रीमन्, इसमें कितना रिडक्शन होगा यह भी स्पष्ट नहीं है कि एक हजार रिडक्शन होगा या दो हजार होगा या कितना होगा इसका कोई प्रावीजन इसमें नहीं है। श्रीमन्, मैंने आल इंडिया सेल्स टैक्स मैनुअल में भी ढूंढ़ा और देखने की कोशिश की कि जहां रिडक्शन का सवाल है तो वहां पर उसमें कोई लिमिट तो अवश्य रखी होगी, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने जहां पर रिडक्शन का सवाल है कोई लिमिट नहीं रखी है। "If the amount prescribed" (यदि विहित धनराशि) करके छोड़ दिया है। १५ हजार रुपये रख कर छोड़ दिया है और कितनी कमी होगी यह स्पष्ट नहीं किया है।

श्रीमन्, ऐसे अस्पष्ट संशोधनों को लाकर सरकार चाहती है कि हम उनको मंजूर कर लें तो यह असंभव है कि हम गलत संशोधन मंजूर कर लें। आप देखें कि बिहार में इस संबंध में जो लिमिट लगी हुई है वह १०,००० रुपये रखी हुई है। इससे कम टैक्सेबिल टर्न ओवर नहीं होंगे। लेकिन इस संशोधन में कोई भी लिमिट नहीं है। मध्य भारत में १२ हजार रुपये की लिमिट रखी गई है। ईस्ट पंजाब में तीन हिस्से किये गये हैं। मैन्यूफेक्चर्स, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ तथा इम्पोर्टर्स और दूसरे डीलर्स। इनमें से मैन्युफेक्चरर्स को ५,०००, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को ३०,००० और इम्पोरटर्स को ५,००० रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह लिमिट रखी गई है। हमारे ऐक्ट में भी है लेकिन इस संशोधन में कोई लिमिट नहीं है। यह कैसे हो सकता है? बम्बई को लीजिये। वहां भी १५,००० रुपये की लिमिट रखी गई है। इसी प्रकार और भी दूसरी धाराओं के संशोधन हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अप्रासंगिक है, अनियमित है और अस्पष्ट है।

अब आइये आखिरी धारा जो इसकी धारा ६ है, उसमें लिखा हुआ है जो नया उपखंड ६ जोड़ा जा रहा है

"केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रगट किया जाना आवश्यकीय हो।" इतनी ज्यादा ताकत आप कैसे दे रहे हैं कि किसी भी व्यापारी के कंफीडेंशियल रिकार्डस को देख सके। आप सारे ऐक्ट को एप्लाई कर लें लेकिन यह कहीं भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे हमें बतलावें कि किसी भी प्रांत में इस प्रकार की धारायें और संशोधन लाये जा रहे हैं। किसी प्रांत को टैक्स बढ़ाने के लिये किसी व्यापारी के रजिस्टर्ड पेश कर देंगे या डाकूमेंटस् पेश कर देंगे, कहीं भी नहीं है।

जब मैंने और प्रांतों में देखने की कोशिश की तो मुझे केवल बिहार में एक ऐसी धारा मिली जिसमें कहा गया है। बिहार सब सैक्शन ५---

"In order to assist an officer to the Central Government in carrying out the duties connected with the imposition and recovery of any tax."

[केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की किसी कर के आरोपण या वसूली से संबद्ध कर्त्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिये]

सिर्फ बिहार में है और वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये और प्रान्तों के लिये नहीं है। यह नहीं कि यू० पी० आ जाय या मद्रास आ जाय। इस तरह से वे देखें कि और प्रान्त वालों को मंजूर नहीं किया है और यह नहीं कहा कि वह दूकानदारों के रजिस्टर्स देखेंगे। लेकिन हमारी सरकार बड़ी जनरल है और उसने अपने आप इस बात को रख दिया है कि कोई भी सरकार हमारे यहां व्यापारियों के रजिस्टर्स वगैरह को देख ले तो कितनी दिक्कत होगी। किन्तु दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि व्यापारी वर्ग विरोध करेगा और सरकार यह भी जान ले कि अगर वह व्यापारी वर्ग पर दबाव डालेगी कि वे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कांफिडेंशियल डाक्युमेंट्स दिखला दें टैक्सेशन के लिये तो, श्रीमन्, दो बहियों वाला, एक असल और एक जाली, फारमूला जारी हो जायगा। ब्लैक मार्केटियर्स दो बहियां रखते हैं एक असल और एक जाली जब टैक्सेशन का सवाल आता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्राविजन्स रक्खे गये तो व्यापारी वर्ग में जो गैर जिम्मेदार तबका है जो इस प्रकार के रजिस्टर्स रखता है उसकी टेंडेंसी और बढ़ेगी अगर आप इस तरह के स्वीपिंग अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे कि कांफिडेंशियल डाक्युमेंट्स को इस प्रकार से एक्सपोज कर दिया जाय।

मैं बिहार की बाबत बतला रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह कोई कांफिडेंशियल फाइल देख सके। आसाम में भी ऐसा प्राविजन है--

"To assist an officer of Assam State to levy and realise any State tax."

[किसी राज्य-कर के लगाने या वसूल करने में आसाम राज्य के अधिकारी की सहायता करने के लिए]

आसाम सरकार से सम्बन्धित आसाम सरकार के द्वारा किसी भी प्रान्तीय टैक्स की वसूली के लिये कोई रजिस्टर देखना हो तो उसे देखा जा सकता है। ऐसा कोई प्राविजन हमने नहीं रक्खा है। हमने ऐसा कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अपनी स्टेट की वसूलियों के लिये हम रजिस्टर्स को देख सकें, दूसरे के टैक्सेज के लिये हम बड़े फैयाज़ बन रहे हैं, उनकी टैक्स की वसूली के लिये हम आसानी मुहइया कर रहे हैं।

जहां तक स्टेट्स का सवाल है मैंने प्वाइंट आफ आर्डर के जरिये माननीय मंत्री से पूछा था जिस वक्त वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हवाला दे रहे थे। मैंने कहा था कि हम इसे मानते हैं लेकिन जो यह पार्ट ए, बी और सी स्टेट्स की सरकारों को अधिकार दिया जा रहा है क्या यह अनियमित नहीं है तो उसका जवाब माननीय मंत्री ने नहीं दिया। इसके साथ ही साथ जब माननीय मंत्री इस प्रकार स्कोप को बढ़ा रहे हैं कि और प्रान्तों के टैक्सेज इसमें सम्मिलित हो जायं और हम अपनी स्टेट के दूकानदारों को मजबूर करें कि वे अपने कांफिडेंशियल रजिस्टर्स इन सरकारों को दिखा दें तो हमें सेल्स टैक्स ऐक्ट के प्रिएम्बिल में ही परिवर्तन करना चाहिये था, नाम में ही परिवर्तन करना चाहिये था। इस पुराने सेल्स टैक्स का जो मेन ऐक्ट है उसका प्रिएम्बिल इस प्रकार है--

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh......"

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदे में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय...]

[केवल इतना ही प्रिएम्बिल है। अगर हम इसका स्कोप बढ़ायेंगे और सरकार चाहती थी कि पुराने सेल्स टैक्स ऐक्ट का स्कोप बढ़े तो उसको इसके प्रिएंबिल में इतना और बढ़ाना चाहिये था इस संशोधन को मंजूर करने के लिये--

"And to provide for the assistance for the levying of any tax by any State Government or the Central Government."

[किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार किसी कर के लगाने में सहायता का उपबन्ध करने के लिये।]

लेकिन प्रिएम्बिल में स्कोप नहीं बढ़ाया और इनऐक्टमेंट में बढ़ा दिया तो यह कितना बड़ा लीगल कंफ्यूजन हो गया है। जो प्रिएम्बिल है उसका तो लिमिटेड स्कोप है लेकिन इनऐक्टमेंट में स्कोप बढ़ाया जा रहा है यह कहां तक उचित है। इसे हमारे माननीय मंत्री जी और यह सरकार ही जाने। मैंने लीगल अथारिटीज को कंसल्ट करने की कोशिश की कि प्रिएम्बिल और इनऐक्टमेंट में क्या सम्बन्ध होना चाहिये। मैं इसे बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न समझता हूं। इसमें सदन की मर्यादा का सवाल है और इसे मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझता हूं कि प्रिएम्बिल और इनऐक्टमेंट का स्कोप एक ही होना चाहिये या दोनों की दिशाओं में फर्क होना चाहिये। अगर ऐसी स्थिति है तो, श्रीमन्, मैं क्या करूं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस सदन में ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें मैंने बहुत सी अथारिटीज को देखा कि प्रियम्बिल और इनऐक्टमेंट के सम्बन्ध में जो परिभाषा है उसमें उनकी क्या राय है। उसमें लिखा है कि--

"Preamble is the key to the meaning of the Act. It may afford useful light to what the Statute intends to reach but if an enactment is itself clear and unambiguous no preamble can qualify or cut down the enactment.

(Powell vs. Race-course.)"

[प्रस्तावना अधिनियम के अर्थों की कुंजी है। यह इस बात पर उपयोगी प्रकाश डाल सकता है कि संविधि से क्या अभिप्रेत है किन्तु यदि विधायन स्वयं स्पष्ट तथा असंदिग्ध हो तो कोई प्रस्तावना विधायन को निर्बन्द्ध नहीं कर सकती या काट नहीं सकती (प्रावेल बनाम रेस कोर्स।]

अब आप श्रीमन् देखिये कि जो इन्होंने कहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रियम्बिल इनऐक्टमेंट की कुंजी है लेकिन अगर इनऐक्टमेंट क्लीयर है तो वहां पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है। आपने प्रियम्बिल का स्कोप इनऐक्टमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपका जो संशोधन है वह प्रियम्बिल के स्कोप को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देता है। प्रियम्बिल के लिये अगर कोई संशोधन आता तो मैं मान लेता लेकिन प्रियम्बिल तो कम रहा और इनऐक्टमेंट को वह बढ़ा देता है वह किस कानून की काबलियत है। इस पर श्रीमान् विचार कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बहुत जजमेंट हुये हैं। इंगलैण्ड की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं--

"If very general language is used in an enactment which it is clear must have been intended to have some limitation put upon it, the preamble may be used to indicate to what particular instances the enactment is intended to apply.

(Vasudev vs. Rex.)"

[यदि किसी विधायन में बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से इस पर कोई निर्बन्धन लगाना हो तो यह संकेत करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है कि किन विशेष प्रकरणों में विधायन को लागू करने का मंशा है।

(वासुदेव बनाम रैक्स)]

हर एक प्रकार से लीगल अथारिटीज इस बात को कहती हैं कि प्रिएम्बिल का स्कोप ज्यादा होता है जिस तरह से बैलून होता है जब वह फूंका जाता है तो वह पूरे आकार को ग्रहण कर लेता है। यहां पर अगर प्रिएम्बिल को फूंका जाता है तो वह इनऐक्टमेंट का रूप पूरा हो जाता है। इसके बारे में मैंने हिन्दुस्तान की भी मिसाल देखी। वासुदेव वर्सेस किंग तो उसमें यह है कि--

"Where the enactment part is ambiguous, the preamble can be referred to explain............"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

[जहां विधायन भाग संदिग्ध हो, तो व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना निर्दिष्ट की जा सकती है....]

यह हिन्दुस्तान के बारे में साफ़ कहा गया है कि प्रियम्बिल को एक्सप्लेन करने के लिये उसका दायरा बढ़ाया जाता है। इसीलिये मैंने यह उदाहरण दिया ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि जो संशोधन हमारे सामने लाये हैं कि इसको मंजूर किया जाय वह प्रियम्बिल बिल्कुल अलग है और मुख्तलिफ़ है। हमने केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर गुड्स सेल से लेवी करने के लिये कहा है लेकिन यह नहीं कहा है कि प्रान्त के अन्दर जो और टैक्स हैं उनको भी वसूल करने में मदद इससे ली जाय। इसलिये यह प्रिएम्बिल बिल्कुल खिलाफ है और गैर कानूनी है और इस इनऐक्टमेंट के बाहर है।

इसके बाद मैं फिर आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक की धाराओं में कितना गलत है और कितना असंगत है। आप संशोधन क्यों चाहते हैं इसके लिये जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार अगर इसके मुताल्लिक कुछ फैसला करती है कि सेल्स टैक्स से हम जो वसूल करते हैं वह तो करते ही हैं लेकिन इस सेल्स टैक्स के रेट्स के हिसाब से हम कुछ और रखना चाहते हैं तो अच्छा होता लेकिन हम देखते हैं कि सरकार अपने सेल्स टैक्स की नीति पर तो अड़ी हुई है जो सन् ४६ में शुरू किया था वही चल रहा है। सेल्स टैक्स यह नहीं देखता है कि जो पे करते हैं उनकी कैपिसिटी क्या है। इसके जरिये से और ताकत सरकार की बढ़ाई जा रही है अगर हम इसको मंजूर करते हैं तो इस विधेयक के जरिये से सरकार को पूर्ण अधिकार हो जाता है कि उसके पास लिमिटलेस पावर हो जाती है और जितना भी सेल्स टैक्स वह लेना चाहें तो ले सकते हैं। जितना चाहें लगा सकते हैं लेकिन यह अधिकार वह अपने हाथ में ले लेते हैं। चाहे जिस पद्धति को इस विधेयक के द्वारा सरकार इससे मजबूत करने को कहती हो चाहे जितना बढ़ाने को कहती हो लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह क़दम प्रतिक्रियावादी है। इसलिये कि यह सेल्स टैक्स रिटेलर पर नहीं पड़ता, होलसेलर पर नहीं पड़ता न मैनुफेक्चरर पर पड़ता है बल्कि वह सारा असर कनज्यूमर पर ही पड़ता है कि जो अपने खर्च के लिये सामान खरीदता है। जो जीवन की आवश्यकतायें हैं उन पर यदि यह न लगता होता तो हम कह सकते थे कि वह जीवन की जरूरतों पर नहीं है बल्कि लग्जरीज़ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बीड़ी सिगरेट सब पर लगता है जबकि वह जीवन के लिये जरूरी चीजें नहीं हैं। चाहे लोग बीड़ी सिगरेट ग़म गलत करने को ही क्यों न पीते हों लेकिन यह भी एक ऐक्ट है कि आज यहां के ७५ प्रतिशत लोग बीड़ी या सिगरेट आदि पीते हैं और यह टैक्स उनकी इस कमजोरी तक से फ़ायदा उठाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन ग़रीबों की इस कमजोरी से फायदा उठा कर और उन पर सेल्स टैक्स बढ़ा कर गवर्नमेंट कौन से उसूल को यहां लागू कर रही है? जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स टैक्स यह भी नहीं देखता कि खरीदने वालों की बचत क्या है, उनके परिवार की संख्या क्या है, आर्थिक दशा क्या है। जब कि हर टैक्स लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि टैक्स देने वालों की शक्ति क्या है, कैपिसिटी आफ पेइंग क्या है। सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें इस बात का पता ही नहीं लगता क्योंकि जब जब वह जरूरत का सामान लेता है तो वह सेल्स टैक्स देता है। इसलिये सेल्स टैक्स के विषय में सरकार को कोई भी संशोधन लाते समय उसकी बैक ग्राउण्ड रखनी पड़ेगी। सेल्स टैक्स ४ प्रकार का होता है। यहां सरकार ने इस प्रकार का सेल्स टैक्स लगाया है जो

जनता पर सब से ज्यादा भार डालती है। एक तो होता है रिटेलर्स सेल्स टैक्स, दूसरा जनरल सेल्स टैक्स, तीसरा सेलेक्टेड सेल्स टैक्स और चौथा होता है होलसेलर्स सेल्स टैक्स। हमारी सरकार ने न तो रिटेलर्स सेल्स टैक्स लगाया, न सेलेक्टेड सेल्स टैक्स लगाया और न होलसेलर्स सेल्स टैक्स लगाया बल्कि चौथा जो सब से ज्यादा सख्त होता है जिसे जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं वह लगाया है। उसने अपने हाथ में यह ताकत रखी है कि जिसको चाहें सिंगिल प्वाइंट कर दें और जिसको चाहें मलटिपिल प्वाइंट कर दें। बम्बई में अभी इस विषय में झगड़ा ही चल रहा है लेकिन यहां पहले से ही सरकार ने अपने हाथ में सारी ताक़त ले रखी है और पहले ही इस प्रकार के अधिकार ले कर जनता के हाथ बांध लिये हैं और इस पर भी तुर्रा यह है कि जो प्रगतिशील लोग हैं वह अगर कोई इसमें रुकावट डालते या रोकते उनको भी आप कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिये इस संशोधन को प्रेस करना सरकार के लिये बिल्कुल असंगत होगा।

आखिर एडम्स स्मिथ ने भी सेल्स टैक्स के बारे में एक उक्ति कही थी और वह एक प्रमुख अर्थवेत्ताओं में से थे और उनकी राय अर्थ शास्त्र का सवाल जहां आता है या जहां सैल्स टैक्स या और कोई फाइनेन्शियल सवाल आता है मानी जाती है और उनका उदाहरण दिया जाता है उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि सेल्स टैक्स गरीब जनता को दृष्टिकोण में रखते हुये उनकी आमदनी और उनकी मजदूरी पर टैक्स है। उन्होंने कहा है कि—

"A consumption tax upon the necessities of life operates exactly in the same manner as a direct tax upon the wages of labour. It must always in the long run be advanced to him by the immediate employer the advanced rates of wages."

[जीवनोपयोगी वस्तुओं पर उपभोग—कर ठीक उसी प्रकार प्रभाव डालता है जैसा कि श्रमिकों की मजदूरी पर प्रत्यक्ष कर। अन्त में यह हमेशा तात्कालिक नियोजक द्वारा मजूरी कि बढ़ी हुई दर के जरिये उसको दिया जाना चाहिये।]

तो श्रीमन्, अगर सरकार इस प्रकार के संशोधन विधेयक के द्वारा सेल्स टैक्स बढ़ाती है तो सरकार के लिये यह भी लाजमी हो जायगा कि सरकार कर्मचारियों की और मजदूरों की वेजेज के भी बढ़ाने का इन्तजाम करे।.... और जो नौकर हैं, प्राइवेट मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों का ख्याल करें। ऐडम स्मिथ जैसे व्यक्ति की अथोरिटी इसके लिये हमारे पास है।

"Tax must be certain and it must not be complicated."

[कर निश्चित होना चाहिये और यह जटिल न हो।]

जब हमारी सरकार ने सन् ४८ में सेल्स टैक्स लगाया तो उसका कारण क्या था? सरकार ने यह कहा कि प्रान्त भर में प्राहीबिशन हो रहा है, प्राहीबिशन से जो आमदनी होती है वह खत्म हो जायगी इसलिये यह सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो प्राहीबिशन ११ जिलों में लगाया था बाकी जिलों का क्या हुआ? सरकार को जो आमदनी शराब से होती थी क्या वह बन्द हो गयी है? यही आपका जस्टीफिकेशन था? मैं देखता हूं कि बजट में जितनी आमदनी शराब से आपको होती थी वह आज बढ़ गयी है और बढ़ती ही जा रही है और दुगुनी तिगुनी होती जा रही है। अतः जिस नीति को लेकर सरकार ने यह सेल्स टैक्स लगाया था उसका वह जस्टीफिकेशन आज नहीं रहा है। फिर आज सरकार किस मुंह से कहती है कि सेल्स टैक्स और ज्यादा कर दिया जाय और यह कि इस बात की मंजूरी दे दी जाय कि जो वह चाहे कर सके, जब कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

४८ में जो कारण था वह भस्मसात् हो गया है तथा आने वाले सालों में भी इस बात की संभावना नहीं है कि प्राहीबिशन होगा। कई बार प्रश्नों के सिलसिले में सरकार की नीति इस बारे में जानने का प्रयत्न किया गया है लेकिन सरकार इस संबंध में कोई फैसला करने को तैयार नहीं है कि कब तक प्राहीबिशन इस प्रान्त में पूरा पूरा लागू होगा। तब सरकार किस प्रकार कहती है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

कहा जाता है कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल कर लिया गया है। मैंने टैक्स रिसर्च फाउंडेशन इंस्टीटयूट की रिपोर्ट को पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सरकार कीमतों को कम करना चाहती है वह सेल्स टैक्स नहीं बढ़ा सकती। सेल्स टैक्स के बढ़ाने से आम तौर पर बाजार में जो भावों के घटने की प्रवृत्ति होती है वह कम हो जाती है। एक ओर तो सरकार यह दावा करती है कि हम दामों को घटा रहे हैं और दाम घट रहे हैं, लेकिन इधर सरकार बीड़ी, सिगरेट, खांडसारी पर टैक्स बढ़ा रही है। अभी श्रीमन्, बरेली के खांडसारी के मरचेंट्स सरकार के पास आये थे। उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री को एक मेमोरेंडम पेश किया वह कितना लंबा मेमोरेंडम था। अब तक जिस खांडसारी के व्यवसाय पर कोई सेल्सटैक्स नहीं था उस पर सरकार ने आज लगा दिया है। फिर यह कैसे माना जाय कि हमारी सरकार सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपनी नीति को बदलने जा रही है? या उसको सही साबित करने जा रही है ताकि प्रान्त की जनता उसको अच्छी तरह से देख सके, उस पर ग़ौर कर सके। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।

जब कोई टैक्स लगता है तो उसको सरटेन होना चाहिये। (इट मस्ट नॉट बी कंप्लीकेटेड।) टैक्स को ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह हमको और उलझनों में डाल दे लेकिन यह टैक्स ऐसा है कि जितने दूकानदार हैं वे सब रातदिन बहियों में उलझे रहते हैं सेल्स टैक्स इनके लिये एक प्राब्लम हो गया है। यह सेल्स टैक्स जो हमारी सरकार लगा रही है और अब इस संशोधक विधेयक द्वारा इसे परिपुष्ट करने जा रही है इसका स्ट्रक्चर इतना खराब है कि मैं क्या बताऊं। अगर सरकार इस बात पर जोर देती कि सेल्स टैक्स इवेजन जो हो रहा है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ऐसे तरीक़े निकाल लेते हैं जो इवेजन करते हैं, वह न हो और अपने सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करती, उसका प्रबन्ध अधिक व्यवस्थित करती ताकि जो व्यापारी या व्यापारीवर्ग का हिस्सा सेल्स टैक्स की दरों को देने में अनियमितता करते हैं और पुराने रेट्स को बाईपास करने के तरीके निकलते हैं वह न हो, तो सरकारी आमदनी भी बढ़ती और जनता को कष्ट भी कम होता। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर सेल्स टैक्स में एग्ज़ेम्पशन्स भी होते हैं। कुछ कमोडिटीज़ पर नहीं लगाया जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहले तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर नहीं लगता है, जैसे एसैंशल गुड्स जो भारतीय सरकार ने बतलाये हैं। दूसरे अलग अलग व्यापारियों के एग्ज़ेम्पशन्स होते हैं जैसे हमारे प्रान्त में है कि जिनका सालाना टर्नओवर १५ हजार से कम है उन पर नहीं लगेगा। तीसरा एग्ज़ेम्पशन स्टेट और म्यूनिसिपैलिटीज का होता है क्योंकि कहीं कहीं म्यूनिसिपैलिटीज भी टैक्स लगाती है, जैसे जो चाय की दूकान करेगा उसे ५ रुपया लाइसेंस का देना होगा अगर सरकार इस प्रकार के डिसक्रिमिनेशन को कम करती तो मैं इस विधेयक का साथ देता। लेकिन सरकार का इस ओर तो ध्यान ही नहीं गया कि सेल्स टैक्स के प्रबन्ध में शासनाधिकारियों को और आम जनता को क्या दिक्कतें हो सकती हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान तो अपनी ताक़त बढ़ाने की ओर गया ताकि जनता और परेशान हो। शायद माननीय मंत्री जी अपनी ईमानदारी में कहें कि

ऐसी बात तो नहीं है और यह नारायणदत्त जी की कल्पना है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रान्त की वास्तविकता यह है। अगर माननीय मंत्री जी अपने गौरव में आम जनता से और व्यापारियों से पूछें कि यह सेल्स टैक्स उनके लिये कितनी मुसीबत है। तो मैं समझता हूं कि वह अपनी नीति पर, इस विधेयक पर और हमारे ऊपर न्याय करेंगे। ज्यादा टैक्स बढ़ाने से एक दिक्कत आ जाती है और वह कितनी बड़ी है इस पर हमारा ध्यान इस टैक्स रिसर्च फाउंडेशन ने दिलाया है कि अगर हम सेल्स टैक्स के रेट को कम रखते हैं तो दाम भी नहीं बढ़ने पाते हैं और आसानी रहती है। रेट्स बढ़ाने से उसमें कितना बड़ा फ़र्क़ आ जाता है उसका नमूना इसके इस फ़ैसले से मिलता है—

"There would be little difficulty in adjusting prices to include a tax of 20 per cent. or 25 per cent. to work out 0.1 per cent or a lower tax in to the price of a standard cake of soap, however, would be beyond merchandise capacity and ingenuity. A lower rate of tax stands in the way of its being shifted to those who have to reckon small tax upon it."

[२० प्रतिशत या २५ प्रतिशत कर सम्मिलित करने के लिये मूल्यों को संनानित करने में बहुत कम कठिनाई होगी स्टैंडर्ड साबुन की टिक्की के मूल्य में ०.१ प्रतिशत या उससे कम कर का प्रगणन करना व्यापारियों की क्षमता तथा पटुता के बाहर होगा। कर की नीची दर उन लोगों के ऊपर भार के स्थानान्तरित होने में बाधक होती है जिनको इनके ऊपर छोटे कर की गणना करनी पड़ती है।]

यह सिद्धान्त इसलिये माना कि कन्ज्यूमर्स पर सेल्स टैक्स का भार न पड़े क्योंकि जितना रेट कम होगा उतना कम कन्ज्यूमर्स को देना होगा। वह चीज जो है उसका दाम होलसेलर को देना पड़ेगा, मेनुफैक्चरर्स को देना पड़ेगा। कंज्यूमर्स को नहीं देना पड़ सकता। लेकिन जितना रेट ज्यादा होगा उसको घटा बढ़ा कर वे जोड़ देंगे। ०.१ परसेंट फ्रैक्शन जोड़ना मुश्किल है लेकिन ५ परसेंट, १० परसेंट जोड़ना आसान होगा। तो यह सरकार अगर उपभोक्ताओं को, आम जनता को इस सेल्स टैक्स की मुसीबत से बचाना चाहती है या उनका भार कुछ हल्का करना चाहती है तो बीड़ी, सिगरेट, खंडसारी, दियासलाई आदि इस प्रकार की जो चीजें हैं उन पर इस प्रकार रेट लगाना कि वह जाकर आम जनता पर पड़े ठीक नहीं मालूम होता है। सिंगल प्वाइंट टैक्स की बात यह है कि अगर आप रिटेल प्वाइंट से टैक्स लगाते हैं तो इसमें दूकानदार को भी दाम लगाने में मुश्किल होगी लेकिन होल सेलर्स टैक्स लगाते हैं तो वह तो कंज्यूमर्स में दाम जोड़ कर उनसे वसूल ही कर लेगा। तो आपका जो सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल गलत है। इसका भार किसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसका भार किसके ऊपर पड़ना चाहिये, किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिये इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं है। तो श्रीमन्, मैंने इसी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपके द्वारा इस सदन का इतना समय लिया ताकि उनको तथा इस सदन को यह बतला सकूं कि जो सेल्स टैक्स की व्यवस्था है वह कितनी गलत है। यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं करीब करीब इसी दृष्टि से हो रही है लेकिन इस बात का तो माननीय मंत्री जी स्वयं फैसला करें। अगर माननीय मंत्री जी फैसला कर लेते और मैं तो चाहूंगा कि वे इस बात की घोषणा करें कि वे इस विधेयक को प्रेस नहीं कर रहे हैं और सेल्स टैक्स की व्यवस्था में जितनी कमजोरियां हैं उन पर विचार करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बैठायी है वह कमेटी जब कहेगी तब वे उस विधेयक को लावें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन उनको तो बहुत जल्दी मालूम पड़ती है। वे तो चाहते हैं कि यह पास हो जाय और फिर जब एक बार संशोधन पास हो गया तो क्या जाने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कब क्या हो, क्या फैसला हो, यह नहीं कहा जा सकता है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ विरोध करने के लिये या अपोजीशन के लिये नहीं कहा बल्कि मुझे जो तथ्य दिखलाई पड़ता है, उसे मैंने आपके सामने रखा। जहां तक लीगल डिफि-कल्टीज दिखलाई पड़ती है उन्हें मैंने आपके सामने रखा। और आप यह न देखें कि मैं लाल टोपी पहने हुए हूं। या नैनीताल का रहने वाला हूं। इससे यहां कोई मतलब नहीं है। अक्सर यहां पर इस तरह का जवाब दिया जाता रहा है कि ये तो नैनीताल के रहने वाले हैं या वहां के रहने वाले हैं, या इनकी उम्र कम है, इस तरह का जवाब कोई जवाब नहीं है। मैं कहां का रहने वाला हूं; माननीय मुख्य मंत्री जी कहां के रहने वाले हैं या माननीय हुकुम सिंह जी कहां के रहने वाले हैं या कौन कहां का रहने वाला है, यह कोई जवाब नहीं है। और यह भी कोई जवाब नहीं है कि इनका अनुभव बहुत कम है, क्योंकि इनकी उम्र कम है। जो तथ्य हो, उसको सामने रखना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमेशा की तरह इस तरह का जवाब नहीं देंगे कि यह बात तो मेरी समझ में ही नहीं आयी कि उन्होंने कहा क्या। यह भी कोई जवाब नहीं है बल्कि जवाब तो स्पष्ट होना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह——केवल मैंने नहीं कहा बल्कि माननीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि आपकी बात समझ में नहीं आयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन् यह क्या है? प्वाइंट आफ आर्डर है या क्या?

अधिष्ठाता——माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, मैंने सरकार के सामने नियम के सम्बन्ध में प्रीएम्बिल के सम्बन्ध में, तथा और भी बहुत सी कमजोरियों के सम्बन्ध में सब चीजों को रखा लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि अगर हम गलत हैं तो वे बतलावें कि कहां हममें गलती है। हम अपनी गलती मानने के लिये तैयार हैं, अपने शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार हैं, और माफी मांगने के लिये तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है वह बहुत माने में कोई जवाब नहीं है। तो मेरे पास सब मसाला मौजूद है और मैं सारी किताबें भी उनको देने के लिये तैयार हूं। माननीय मंत्री जी कृपया मेरी शंकाओं का निवारण करें और आदरणीय सदन के सदयों की शंका का निवारण करें। और इस प्रदेश की जनता की शंका का निवारण करें जो कि इस सेल्स टैक्स के भार से दबी हुई है, परेशान है और चिन्तित है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (ज़िला गोरखपुर)——मान्यवर, माननीय नारायणदत्त जी का यहां पर जो इस समय प्रवचन हुआ वह कुछ लम्बा होने लगा तो उधर मेरा भी ध्यान आपकी कृपा से आर्काषित हुआ और मैंने पहले तो जब वह कुछ कानूनी बहस करने लगे तो यह समझा कि मेरे दिमाग़ के दायरे के बाहर की चीज़ है और मैं शायद उसे अच्छी तरह से न समझ सकूं। इसीलिये श्रीमन् मैंने यह समझा था कि इस विषय पर उनकी शंकाओं का निराकरण माननीय उद्योग मंत्री जी स्वयं कर देंगे। किन्तु आगे चल कर यह विषय टैक्सेशन, सिद्धान्त और उसके साथ ही साथ सरकारी नीति पर भी चला गया और इसलिये आपकी कृपा से मैं इस अवसर का लाभ उठाकर दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा खेद हुआ जब

इस सदन में माननीय नारायण दत्त जी ने टैक्सेशन की वर्तमान नीति पर विचार प्रकट करते हुये इतने पीछे भाग गये कि आज के अर्थशास्त्र के साथ उन्होंने ऐडम स्मिथ को भी जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ऐडम स्मिथ के कुछ दिन पीछे वे और लौट जाते तो उनको बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसे मिलते जिन्होंने आज से नहीं बल्कि आज के ढाई २ हजार साल पहले इस विषय में विचार करने की चेष्टा की है कि आया सेल्स टैक्स लगना ठीक है या गलत।

हमारी अपनी भारतीय सभ्यता में ढाई हजार वर्ष पहले का वह जमाना है जब कि सेल्स टैक्स हमारे देश के कोने कोने में मौर्य साम्राज्य में चारों तरफ लगा हुआ था और हमने यह भी देखा है और पढ़ा है कि कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में यह विवेचना की है कि सेल्स टैक्स किस प्रकार से लगाया जाय। और उसमें उन्होंने जो रेट्स रखे हैं शायद वह रेट यदि आज हमारे यहां सरकार मान ले तो बहुत बड़ा हाहाकार भी मचे और लोग कहने लगें कि यह बहुत ही गलत है। उस समय घी की बिक्री पर इतना सेल्स टैक्स लगे, अन्न की बिक्री पर इतना लगे और सोना चांदी की बिक्री पर इतना लगे। सोना चांदी पर चालीसवां हिस्सा और अन्न की बिक्री पर ३०वां हिस्सा था। इस प्रकार रेट्स कौटिल्य ने बनाये थे किन्तु ऐडम स्मिथ को उन्होंने जब जिक्र किया तो मुझे उसके बहुत पहले एक चीनी अधिकारी की तरफ ध्यान गया।

वह जमाना भी रहा जब कि कन्फूशियस ऐसे लोगों ने कहा था कि अगर अच्छा शासन करना है तो सेल्स टैक्स मत लगाओ और अगर सौ रुपये की बिक्री १० रुपये बाजार में सेल्स टैक्स के रूप में वसूल करते हो तो वह तुम वसूल मत करो। यह कन्फूशियस ने कहा था। कई हजार वर्ष पहले की बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐडम स्मिथ का जमाना चला गया। कोई भी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के बाल्यकाल से लेकर उसके वर्तमान यौवनकाल से परिचित होने वाले कोई ऐसी घटना के विषय में जानता है यह गलत है। ऐडम स्मिथ का जमाना यह नहीं है और यही सब से बड़ा भारी धोका है। टैक्स लगाने की एक सीमा होती है। अगर टैक्स लगाया जाय तो कैसे लगाया जाय। टैक्स दो प्रकार के होते हैं एक डाइरेक्ट और एक इण्डाइरेक्ट। हम सब जानते हैं कि सेल्स टैक्स डाइरेक्ट टैक्सेशन, प्रत्यक्ष कर, का सब से प्रबल और उज्वल उदाहरण है। एक जमाना इंग्लैण्ड का भी था। सम्भवत: १८४० का जमाना, जब कि वहां जितना टैक्सेशन वहां की गवर्नमेंट वसूल करती थी जितना समूचा कर भार था उसमें ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर था। वह इंगलैण्ड के शासन का बहुत सभ्य जमाना नहीं कहा जाता और १८९५ में जो टैक्सेशन थे मेरे मित्र इतिहास उठा कर देखें तो ६२ प्रतिशत था। १९०६ में घटते घटते वह केवल ४५ प्रतिशत रह गया। आज करीब तीस प्रतिशत से अधिक वहां पर अप्रत्यक्ष कर नहीं है और प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील शासन की प्रगति का द्योतक होता है। मेरे मित्र ऐडम स्मिथ को छोड़ कर आधुनिक समय पर आ जायं तो उनको मालूम होगा कि इस जमाने में सेल्स टैक्स एक अच्छा कर समझा जाता है जिसके बारे में न किसी प्रकार घबराहट की बात होती है और न परेशानी की बात होती है। यह प्रत्यक्ष कर के रूप में सबसे अच्छा कर है। प्रश्न यह विचारणीय हो जाता है कि आया सेल्स टैक्स के बिना भी काम चल सकता है या नहीं। मेरे मित्र ने प्राहिबिशन पालिसी का जिक्र किया। मुझे खेद है यदि वह उसी के साथ साथ यह भी कह देते कि प्राहिबिशन पालिसी चाहे सरकार की सफल हुई हो या न हुई हो लेकिन उसकी आमदनी जरूर घट गयी। यह तो स्पष्ट सत्य है। सन् १९४४-४५ ई० में जब कि ब्रिटिश सरकार ने एक्साइज को अपनी आमदनी का एक प्रधान जरिया बना लिया उस समय हमारी आमदनी करीब सात करोड़ छः लाख थी। और अब यदि आपने पिछले साल का बजट देखा होगा तो मालूम होगा कि हमारी आमदनी छः करोड़ ग्यारह लाख रह गयी थी और वह भी घट कर के एक बटा दसवां हिस्सा अब रह गयी है हमारी आमदनी का जब कि ४४-४५ में हमारी आमदनी का एक बटा पांचवां हिस्सा थी तो

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

यह मानना ही पड़ेगा कि आबकारी से की गयी आमदनी में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार करनी होगी। उसका एक अच्छा साधन सेल्स टैक्स है।

माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि और बहुत सही बात कही कि क्या इस सेल्स टैक्स से लोगों को सचमुच शिकायत नहीं है? यदि है तो क्या सेल्स टैक्स का वर्किंग भी ठीक है या नहीं? सचमुच यह विषय विचारणीय है? मैं स्वयं इस भवन में निवेदन कर चुका हूं हमारी सेल्स टैक्स की वर्किंग बहुत संतोषजनक नहीं है और उससे जो आम तौर से लोगों की हानि होती है उसको दूर करने का उपाय करना चाहिये और जहां तक मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी भी इस विषय में काफी छानबीन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सेल्स टैक्स विभाग इस रूप में चले कि लोगों को चुभे भी न और साथ ही साथ सरकार की आमदनी भी न घटे। बहुत से देशों का उदाहरण दिया तिवारी जी ने। अध्ययन करते हैं, बहुत ठीक है। जरा पूरा पढ़ने की कोशिश किया करें। अमेरिका की जिस कमेटी का उन्होंने जिक्र किया उसके साथ ही साथ अमेरिका में आज जो बहुत बड़ा प्रश्न विचारणीय है उस की आभा आज हमारे देश में भी आ गयी है कि क्या यह उचित है कि सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स लगाया जाय। यदि इनकम टैक्स न लिया जाय तो कौन सा ऐसा टैक्स है जिसके द्वारा सरकार की आमदनी भी हो सके और चूंकि आय और बिक्री कर अमेरिका की हुकूमत के पूंजीवादी प्रशासन में बहुत बड़े कर हो गये हैं इसीलिये वहां की कई कमेटियों के हामी लोगों ने बहुत सी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जिसमें दो बातें साबित करने की कोशिश की गयी है। एक तो यह कि सेल्स टैक्स न लिया जाय, और दूसरी यह कि इनकम टैक्स न लिया जाय। तो यह तो उनकी एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक रिपोर्ट में से कुछ पढ़ दीजिये तो दूसरी रिपोर्ट में से दूसरी बातें भी मिल सकती हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे प्रदेश की सेल्स टैक्स की जो प्रणाली है उसका कुछ रुपया सचमुच ऐसा विकृत हो चुका है कि वह इनकम टैक्स का सचमुच संस्करण हो गया है और इसीलिए वह थोड़े बहुत लोगों को चुभ भी सकता है। मैं नहीं समझता कि इन संशोधनों से किस प्रकार लोगों का कष्ट बढ़ जायगा। समस्या तो यह है कि जो बम्बई में सेल्स टैक्स की प्रथा है वह रजिस्टर्ड डीलर्स से लिया जाता है। कलकत्ता में सेल्स टैक्स की जो प्रथा बंगाल में है जिससे बंगाल सरकार की आमदनी भी ज्यादा है और अब लोग उससे अभ्यस्त हो गये हैं वह भी रजिस्टर्ड डीलर्स की है। बम्बई में सेल्स टैक्स की दरों के मल्टिपिल के बारे में जो कुछ भी हो, लेकिन वहां यह जरूरी समझा जाता है कि आज सेल्स टैक्स की हमारे यहां जो दर है वह उत्तर प्रदेश ऐसे देश से कहीं अधिक है। हमारे प्रदेश में जो दर है वह वास्तव में उतनी अधिक नहीं है और सूबों की तुलना में अगर इन सब चीजों का सामंजस्य कर लिया जाय। बम्बई में ऐसा होता है कि प्रायः दरें, २ पैसे, ४ पैसे से शुरू होती हैं और जैसे जैसे चीजों का स्तर बढ़ता जाता है त्यों त्यों बम्बई में रेट बढ़ते जाते हैं। अगर नारायणदत्त जी कम्पैरीजन करें तो रेट्स के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मद्रास ऐसे प्रदेश में जिनकी १६-१७ करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स से है उन्होंने यहां तक कर दिया कि अन्न तक की बिक्री पर सेल्स टैक्स लगा दिया है। उन्होंने जितनी चीजों को सेल्स टैक्स के दायरे में रखा है उतनी चीजों को हमारे यहां नहीं रखा गया है और हमारे यहां सेल्स टैक्स के जो एग्ज़ेम्शन हैं और वह और सूबों के एग्ज़ेम्शन से लोगों के लिये कहीं रिआयत की चीजें हैं।

सेल्स टैक्स जो चुभता है वह इस कारण कि उसकी ऐक्चुअल वर्किंग में हम रजिस्टर्ड डीलर वाली प्रथा को नहीं अपना सके हैं और न हमने निर्णय किया है।

अगर उसका निर्णय कर लिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि आज जो एक ट्रांजेक्शन होता है, एक से दस हाथों में जो बिकती हैं तो इस तरह से दस जगह टैक्सेशन की जो गति हो जाती है उससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और दूसरे हिसाब किताब में जो दिक्कत होती है वह खास तौर से किराने के जो व्यापारी हैं उनको बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन माननीय तिवारी जी को इसका ज्ञान नहीं है। जो बड़े कारोबार हैं जहां सेल्स टैक्स का भार अधिक पड़ता है, चाहे मोटर का कारोबार हो या कपड़े का हो, उनके यहां लिखा पढ़ी में सेल्स टैक्स की वर्तमान प्रणाली से कोई परेशानी नहीं होती और न कोई अतिक्रम होता है। छोटे व्यापारियों का जो स्टैंडर्ड है उनको सेल्स टैक्स के लगाने में खाते में कोई कठिनाई नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जो किराने की छोटी चीजें हैं। जैसे हींग है। जब ऐसी चीजें सेल्स टैक्स के दायरे में आती हैं और उपयोग की जब सामग्री वहां होती तो दिक्कत होती है। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि यह कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि गवर्नमेंट की वर्तमान सेल्स टैक्स प्रणाली में बहुत दिक्कतें हैं। मेरे पास बहुत से व्यापारियों के आवेदन-पत्र हैं। मुझ से बहुत से व्यापारी मिले हैं और उन्होंने मुझे कागजात दिखलाये हैं। आज जो साधारण चीजों के व्यापारी हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि सेल्स टैक्स समाप्त कर दीजिये। उन्होंने कहा कि प्रथा में थोड़ा से ऐसा सुधार कर दीजिये जिससे कठिनाई न हो। यह भी कुछ ने कहा कि सेल्स टैक्स की ऐसी चीजें हैं जिनको स्टेट एग्जेम्शन के भीतर कर दीजिये तो जनता को अधिक लाभ हो। वरना, यह कहना कि सेल्स टैक्स बन्द कर दिया जाय, या कर की जो दर है यह सरकार के लिये एक असभ्य-सी चीज़ है, यह कहना कि सरकार की टैक्सेशन की जो नीति है वह उसकी नीति की गलती को या उसकी प्रतिक्रियावादिता को स्पष्ट करती है, यह तीनों बातें टैक्स, टैक्स के उद्देश्य, टैक्स के आचार्य और टैक्स की प्रणाली इनसे जो परिचित होगा वह इन सब बातों को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री चन्द्र सिंह रावत (ज़िला गढ़वाल)—अध्यक्ष जी, यहां पर आज सेल्स टैक्स के ऊपर भाषण हुए हैं, वह सभी माननीय सदस्यों को मालूम हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो अपना भाषण इस सदन में दिया है वह तो बहुत पुराने जमाने का भाषण है, जब कि दुनिया सदियों पीछे थी। आज बीसवीं सदी तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। ज़माने में फर्क आ गया है। आज जिन्दगी की चहल-पहल चारों ओर लहराती हुई नजर आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि उस ज़माने में विकास केवल चन्द क्षेत्रों में ही महदूद था। आज तो विकास की तादाद सैकड़ों और हजारों बढ़ गयी है और उस हर एक क्षेत्र में जो हद है वह दूर बढ़ती चली जा रही है। उसका होराइज़न दिन पर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिये उस ज़माने के टैक्सों से इस ज़माने के टैक्सों का मुकाबला करना या आज की ज़िन्दगी की चहल-पहल में, इस उथल पुथल में और इस विकास के ज़माने में जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं उनका उस ज़माने के टैक्सेज़ से मुकाबिला करना मैं समझता हूं कि यह तो छोटी सी बुद्धि के ख़िलाफ नजर आता है। अगर हम एक मनुष्य की कैपेसिटी आफ अर्निंग को और उसकी बुद्धि के विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो सरकार को उसी रेशो में टैक्स लगाने का अधिकार है जिस रेशो में देश में विकास को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया गया है। इसलिये यों कहना कि जनता के अन्दर असंतोष है, मैं समझता हूं कि असंतोष की बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही और मैं इसको मानता हूं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं किसी राष्ट्र के अन्दर, किसी देश के अन्दर स्वतंत्र होने के बाद असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि जो पुरानी परिस्थितियां होती हैं उनसे निकलने में इंसान को दुःख होता है। मेरा तजुर्बा है

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

और मैंने जेल के अन्दर देखा है कि जो कैदी बीस बीस साल सज़ा काट करके जाते थे वे बाहर जाते समय रोते थे क्योंकि उनको कारावास छोड़ते हुये दुःख होता था। उस ज़माने की जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं उनके छोड़ने में आज हम लोगों को बड़ा असंतोष है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो जहाज भंवर में है उसको क्या तूफान के थपेड़ों से या हे्ल की चोटों से कोई खतरा नजर नहीं आ सकता है। अगर हमारे देश में कोई असन्तोष है तो वह इस बात का द्योतक है कि यह राष्ट्र मंज़िले मक़सूद की ओर अग्रसर है। इसको खतरा नज़र आयेगा, लेकिन यही खतरा और यही परिस्थिति देश को आगे बढ़ायेगी। जिसको आप डिस्सटिस्फैक्शन कहते हैं उसी को मैं विकास की सीढ़ी कहता हूं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सरकार के ऊपर उन्होंने बड़े लम्बे चौड़े शब्दों में यह अटैक किया कि साहब इन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया। मैं कहता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो सरकार को इसके लिये तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उसका कारण क्या है? एक सरकारी आफिसर और मिनिस्टर साहब भी हमसे इस बात पर लड़े थे कि आप चिल्लाते हैं कि शराब बन्द कर देनी चाहिये परन्तु इससे हमारी सरकार का खजाना खाली हो जायगा। तो मैंने यह जवाब दिया था कि वह सरकार जो कि बरबाद करके, जो कि बच्चों को दर दर फिरा करके, जो कि हमारी स्त्रियों का ज़ेवर बेचवा करके, हमारी सड़कों का निर्माण करना चाहती है, जब कि हमारी तन्दुरुस्ती खत्म हो जायगी, जब कि हमारी बुद्धि खत्म हो जायगी तब हमारे लिये इंतज़ाम करेगी, तो वह शैतान की सरकार है। मैं चाहता हूं कि प्रोहिबिशन देश के कोने कोने में हो जाय। आज इसमें शक नहीं है कि कुछ परिस्थितियां खराब हो जाने से मजबूरियों के कारण हमारी सरकार इस काम को पूरा नहीं कर सकी है, इसके माने यह नह हैं कि हमारी सरकार फेल हो गयी है। "फैल्योर लीड्स टू सक्सेस।" हमेशा असफलता ही सफलता का द्योतक होती है।

आज की हमारी असफलतायें कल की हमारी सफलताओं में परिणत होंगी और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार जो कि संसार में दावा रखती है कि यह सब से पुरानी सभ्यता और संस्कृत का घर है उस सरकार का इस दिशा में सफल होना अनिवार्य है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बुद्धि की दलील और तकरीर को दे कर सरकार के ऊपर कीचड़ उछालना यह नसमझी का काम हो सकता है और इसको असफलता कहना यह तो महान् नासमझी है क्योंकि अगर पूरी सफलता नहीं हुई तो हम आगे कदम बढ़ायेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस सीढ़ी से नीचे उतर कर फिर से शुरुआत करने से हमको सफलता होगी यह तो बुद्धि हमको बताती नहीं है। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी ने कानून की दलील और तर्कों को पेश करते हुये चैलेंज किया है हमारे मिनिस्टर साहब को। ऐसा मालूम होता था जैसे उनकी दलीलों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। अगर जवाब नहीं हो सकता तो उन्होंने ठीक कहा। मैं समझता हूं कि यदि बुद्धि का कोई तर्क है तो उसका जवाब भी होता है और अगर बुद्धि का कोई तर्क नहीं है तो उसका जवाब भी नहीं होता। इसलिये अगर वह कहते हैं कि हमारे तर्क का कोई जवाब नहीं तो मैं समझता हूं कि वह तर्क बुद्धि का नहीं है। इसलिये इस तरीके का एक दावा पेश कर देना मैं समझता हूं यह तो बचकानी दलील है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं..

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान् जी, ये शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत—मैं पार्लियामेंटरी दायरे के अन्दर हूं।

अधिष्ठाता—आप अपना वक्तव्य जारी रखें लेकिन माइक्रोफोन का ज़रा प्रयोग कीजिये और धीमे बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं आगे चल कर यह बताना चाहता हूं कि बीड़ी, सिगरेट और नशे की जो चीजें हैं इनको दूर करना सरकार का फर्ज है। सरकार का टैक्स लगाना ही फर्ज नहीं है। सरकार को यह देखना है कि अगर नशीली चीजों को वह इस मुल्क से बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती तो जिस हद तक उस इविल को मिनिमाइज कर सकती है उसको करना चाहिये। इसलिये अगर सरकार ने इस पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर सरकार नशीली चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाती है तो वह अपनी ड्यूटी में अग्रसर होती है और अपना दावा पूरा करती है, ताकि लोग नशीली चीजों को कम इस्तेमाल करें और उनकी तन्दुरुस्ती के ऊपर कोई बुरा असर न हो। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के अन्दर जितने भी उसके सिटीजन्स होते हैं उनकी जो ताकत है वह किसी इन्सान की शक्ति नहीं हुआ करती है बल्कि वह राष्ट्र की शक्ति हुआ करती है। इसलिये किसी भी इन्सान को शराब पी कर और नशे की चीजों का इस्तेमाल कर के अपनी शक्ति का ह्रास करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तो उसके शरीर के अन्दर उस राष्ट्र की सम्पत्ति से पैदा हुई है, उस मुल्क के नाज, पानी, घी, चावल, दाल, रोटी से पैदा हुई है। इसलिये ताजीरात हिन्द के अन्दर यह दफा बनायी गयी कि किसी आदमी को खुदकशी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। तो अगर कोई नशा राष्ट्र की सम्पत्ति को खराब करता है तो सरकार का यह फर्ज है कि उस नशे को कम करने की कोशिश करे ताकि हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का ह्रास न होने पाये।

इसलिये मैं अब आगे चलकर आपकी दलीलों का जवाब देना चाहता हूं, जिन पर आपको बड़ा नाज था और कहा कि प्रीएम्बिल बहुत छोटा है और जो जोड़ना चाहते हैं वह बहुत लम्बा चौड़ा है। मैं कहता हूं जैसा कि मैंने कल कहा था कि "Brevity is essence of wisdom" [संक्षिप्तता बुद्धिमानी का तत्व है।]---जो विकसित दिमाग के लोग होते हैं वह थोड़े शब्दों में बड़ी से बड़ी चीज को रख सकते हैं। इसलिये शब्दों के छोटे होने से क्या आप समझते हैं कि दायरा छोटा हो जाता है। हौराइजन में कितने हैं और कितना चौड़ा होता जाता है इसलिये शब्दों की तादाद से किसी भी चीज के माने अंकित करना गलत मेजरमेंट है, गलत पैमाना है। मैं समझता हूं कि जो शब्द उन्होंने हाउस के सामने पढ़े वे इतने विस्तृत हैं काम्प्रीहेंसिव हैं कि आप बिना किसी फरदर अमेंडमेंट के टैक्स बढ़ा सकते हैं और यह सदन के अधिकारों के अन्दर है। क्योंकि इसके माने बहुत ही विस्तृत हैं और सदन टैक्स बढ़ाने के लिये एम्पावर है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि जितने हमारे तिजारती भाई हैं उनके कांफीडेंशिल रिकार्डस वगैरह को टच करने से सरकार अपने ऊपर खुद खतरा मोल लेती है और लोगों में असंतोष पैदा करती है। मैं कहता हूं कि क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि बढ़ती हुई बेईमानी को रोके और चोरी तथा करप्शन को कम करे। अगर वह पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। मैं अदालतों में प्रैक्टिस करता हूं और मुझे मालूम है कि एक बार अगर कोई अदालत किसी बनिये के बहीखाते को डिसक्रेडिट कर देती है तो उसके अन्दर जितना भी रुपया लिखा होता है वह सब खत्म हो जाता है। अगर आज यह कानून न होता तो क्या होता? आज इस कानून के भय से ही यह लोग दो चार रखते हैं और किसी को दिखाते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन पकड़ जायंगे कि यह दो रखते हैं तो उस दिन के लिये उनकी जगह अभी से निश्चित है और सरकार ने इसके लिये इंतजाम किया हुआ है और वह इसके लिये पहले से तैयार है।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि बनियों के कांफीडेंशियल डाकूमेंटस को टच करना ठीक नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि जो आज बेईमानी बढ़ रही है सरकार उसकी दाद दे और ऐसे कानून बनाये जिससे वह आगे बढ़ती जाय। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम बढ़ाया है वह इस नीयत से नहीं कि किसी का कोई नुक्सान हो, बल्कि विकास की भावना को रखते हुये यह कदम उठाया है। अगर आप

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस पर भी सरकार को दोष देते हैं तो यह आपकी बुद्धि का दोष है जो ठीक तरह से समझ नहीं सके हैं।

अब मैं आपकी और दलीलों का जो यहां पर दी गई हैं जवाब देना चाहता हूं। कहा गया है कि जो ओरिजिनल ऐक्ट है उसमें १५,००० रुपया रख दिया गया है कि इससे ऊपर वालों के ऊपर टैक्स होगा तो क्या इसके रखने से आप समझते हैं कि असेम्बली की पावर्स को यह धारा छीन लेगी ? मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क और दलील नहीं है कि सरकार को यह नहीं करना चाहिये जब कि ओरिजिनल ऐक्ट में नहीं है। यह हाउस सिवाय सेंट्रल सबजैक्टस के बाकी सब मामलों में पावरफुल है और सुप्रीम है । मैं समझता हूं कि उसकी पावर सुप्रीम है। जो एक रिपब्लिक की पावर्स हैं वही इस हाउस की हैं सिर्फ सेंट्रल सबजैक्ट्स को छोड़ कर ।

यह भी कहा गया है कि टैक्स टैक्स सब लोग चिल्लाते हैं और आम जनता में इसके प्रति घृणा भी है। लेकिन मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य अपना विकास करना चाहता है तो यह उसके लिये बहुत जरूरी है कि वह अपने यहां टैक्सेज को बढ़ाये। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता है, दुनियां की सरकारें अभी तक ऐसा कोई रास्ता निकाल नहीं सकी हैं ।

राष्ट्र का जितना भी विकास हुआ है वहटैक्सेज से ही हुआ है। इसलिये अगर बाहर राष्ट्रों में जाइये तो टैक्सेज की जितनी बड़ी वहां तादाद होगी वह राष्ट्र उतना ही सभ्य माना जायगा। यह जानने का यह एक पैमाना है कि यह राष्ट्र कितना सभ्य है और इसने कितनी उन्नति की है, इस राष्ट्र ने विकास के लिये कितनी कुर्बानियां की हैं, कितना त्याग किया है। बिना त्याग किये कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायणदत्त जी का आदर करते हुये उनके प्रश्नों और उनकी लीगल डिफिकल्टीज और जो उन्होंने प्राबलम्बस रेज किये उनका जवाब देता हूं और इस अधिनियम का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस मसले को लेकर दोनों तरफ से बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और सारगर्भित भाषण हुये हैं और खास कर माननीय चन्द्रसिंह रावत ने जो दलील अपनी बुद्धिमानी के बारे में ब्रिविटी और लाउडनेस आफ वायस को मिला कर दी है उसको सुनकर तो मैं हतप्रभ हो गया हूं। दोनों तरफ से इस बात की होड़ सी हो गई है कि फलां जमाने में सेल्स टैक्स क्या था और टैक्स की क्या परिभाषा थी। चन्द्रगुप्त काल में क्या था और महाभारत, रामायण और आदिकाल की सभ्यता तक लोगों का ध्यान दिलाया गया। यह सब बातें सुन कर मुझे रामायण काल के एक राजा जो सिलौन में रहते थे उनके समय के टैक्सेज और करों का ध्यान आ गया। उस राजा के जमाने में, अध्यक्ष महोदय, तमाम देवताओं पर टैक्स लगाये गये और हर तरह के टैक्सेज लगाये गये लेकिन यह मशहूर था जो फकीर और ऋषि मुनि कन्दराओं में छिप जाते थे वे टैक्सेज से बरी रह जाते थे लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह सरकार उस राजा को भी मात कर गई, क्योंकि यहां ड्युटी टैक्स, और लेवी इन शब्दों से कोई भी नहीं बच सका है चाहे वह कन्दराओं का साधु हो चाहे कोई प्रतिष्ठित नागरिक शहर का निवासी हो।

मैं दूसरे देशों के विद्वानों और उनके आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता । माननीय परिपूर्णानन्द जी ने हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ इशारा किया। वह तो जमाना, अध्यक्ष महोदय, स्वप्नवत् हो गया जब कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने तक १ रुपये में एक एक मन गेहूं मिलता था। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अपने बचपन में दो ढाई सेर का घी खाया होगा, लेकिन अब वह जमाना नहीं है । हम तो यहां किसानों के प्रतिनिधि

की हैसियत से बैठते हैं। किसी भी विद्वान् की राय, सेल्स टैक्स आयकर के बारे में कुछ भी रही हो और वह सही है या गलत, मैं तो यह समझता हूं कि यह पैमाना बहुत पुराना है। जहां तक पूंजीवादी देश की प्रणाली है सिर्फ शाब्दिक जाल और उक्तियों का सहारा ही ले कर जितनी प्रतिक्रियावादी सरकारें होती हैं अपना काम निकालती हैं और विद्वानों की राय की आड़ ली जाती है ।

हमारी सरकार का यह दावा है कि वह बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी गई है। स भवन में आज ही नहीं इससे पहले मैं कई बार पूछ चुका हूं कि इस सरकार का दावा इस बात का है कि आज भारतीय प्रजातंत्र में हर नागरिक का एक वोट है, सब का वोट बराबर है तो उसके साथ ही साथ सरकार यह क्यों भूल जाती है उसके साथ ही साथ सबका हक बराबर होना चाहिये, इसका सरकार के पास क्या जवाब है। माननीय चन्द्रसिंह जी की ऊंची आवाज जवाब है या माननीय परिपूर्णानन्द जी का विद्वत्तापूर्ण भाषण जवाब है? यह सरकार जो समाजवादी सरकार से आगे बढ़ने का दावा करती है तो आज भी यह दो दल देश में क्यों रक्खे गये हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी बेंचेज के उन लोगों से कहता हूं क्या यह इसलिये है कि आप जनता की तरफ से चुन कर आये हैं, बालिग मताधिकार से चुन कर आये हैं।

आज जब हम अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर एक सवाल किया जाता है कि पिछले तीन महीनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह किया है कि एक तो कोर्ट फीस बढ़ाई है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई है बिजली टैक्स बढ़ाया है उसके बाद यह सेल्स टैक्स भी आ रहा है और उसके बाद डेवलेपमेंट ड्यूटीज भी बढ़ाई जाने वाली है। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का बजट भाषण याद है जो कि उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिये कहा था। अभी हाउस के डेवलेपमेंट के लिये भी लेवी बढ़ाई जाने वाली है। यह आपके पिछले ३-४ महीनों का इतिहास रहा है। चुनाव के अवसर पर सरकारी दल का हर वक्ता यह कहा करता था कि हमारे सामने रिफ्यूजीज़ प्राबलेम है, अभी हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ है उसकी समस्याओं को हल करना है। इसके बाद अगर अबकी बार हमको मौका दिया जाय तो हम नया संसार बना देंगे। उसमें न कोई शासक रहेगा और न कोई शोषक रहेगा। बिलकुल राम-राज्य हो जायगा। सरकार बड़े-बड़े विद्वानों की बात कहती है और बड़े-बड़े विद्वानों की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाती है। जब-जब हमारी तरफ से इस बात का चैलेंज किया जाता है कि टैक्स का उसूल एक होना चाहिये। अभी बहुत सी बातें कही गईं। कौटिल्य शास्त्र का उदाहरण दिया गया और अर्थशास्त्र की बातें बताई गईं। उनकी कुछ भी राय रही हो। एक बात को सबने माना है और वह यह है कि टैक्स उस पर लगना चाहिये जो दे सके और जो नहीं दे सकता है उस पर नहीं लगना चाहिये। अभी अध्यक्ष महोदय, मैंने ३-४ करों के उदाहरण आपके सामने पेश किये जो कि पिछले दिनों में सरकार ने लगाये हैं। आपने जो कर लगाया है उसका भार किस पर जाता है यह देखने की बात है। वह टैक्स ९० फीसदी मध्यवर्ग के लोगों पर जाता है। जब-जब हमारी तरफ से राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है तो सरकार अपनी वही बात दोहराती है कि हम यह कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है। संविधान कोई पवित्र वेद तो है नहीं कि जिसको भगवान् ने बनाया हो और उसको बात कुरान शरीफ की तरह खुदा की ज़बान से निकली हो और उसको कोई बदल नहीं सकता। संविधान तो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है और उसको कांग्रेसी सरकार आप चाहती हैं बदल दिया करती हैं। यदि राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है कि पूंजीपतियों के कल कारखाने सरकार अपने हाथ में लेले तो उसके लिये वही पुरानी दलील दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले कैपिटल लेवी की बात हमारी तरफ से कही गयी। उस समय माननीय वित्त मंत्री ने, जो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं कहा था कि यह कोई बहुत अक्लदी बात नहीं है। लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस ओर ध्यान दिया और सरकार से कहा कि आप घबराते क्यों हैं कैपिटल लेवी तो ऐसी चीज है ऐसा टैक्स है जिसका

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

समाजवादी व्यर्थ में राग अलापते आये हैं। उस समय एक प्रश्न माननीय वित्त मंत्री ने मुझसे किया था कि क्या माननीय सदस्य यह बतला सकते हैं कि कैपिटल लैवी से कितनी आमदनी हमारे सूबे को हो सकती है? उस समय मैंने उनको जवाब दिया था हिसाब लगा लीजिये तो मालूम हो जायगा। अध्यक्ष महोदय उस समय मैंने ऐसा जवाब इस लिये दिया था कि सम्पत्ति का हिसाब लगाकर तो सरकार ही बतला सकती है। हमको अपनी सम्पत्ति कौन बतलावेगा। हां, उसका रेट यह है कि अगर किसी के पास ५ लाख की जायदाद है तो हमारी योजना के मुताबिक उसमें आप २० फीसदी राज्य के लिये ले सकते हैं। इस तरह से टैक्स लगाने की बात हो सकती है। अब अगर आप इससे आगे चलते हैं तो अगर किसी के पास ५० लाख है उसमें आप ५० फीसदी ले सकते हैं और अगर किसी के पास ७५ लाख की प्रापर्टी है तो उसमें आप ८० फीसदी ले सकते हैं अगर किसी के पास एक करोड़ की प्रापर्टी है या इससे अधिक की सम्पत्ति है तो ९० फीसदी उससे आप ले सकते हैं जो राज्य सरकार के खजाने में आनी चाहिये और इससे बहुत सा काम सरकार का हो सकता है और जनता का भला हो सकता है। यह इस कैपिटल लैवी का मतलब था। तो मैं चैलेंज करता हूं कि सेल्स टैक्स लगाना जरूरी नहीं, सरकार को यदि आमदनी बढ़ानी है तो बड़े-बड़े आदमियों पर सम्पत्ति कर लगाये जिससे गरीब जनता को कुछ राहत मिलेगी। अगर सरकार इस किस्म के टैक्स लगाना चाहती है जिसका भार गरीबों पर पड़ता है तो फिर उससे जनता पिसेगी। अगर इस तरह की लेवी जैसा कि मैंने अर्ज किया सरकार लगाती हैं तो इससे लाभ होगा और इसको आप ज्यादा से ज्यादा जनहित कर सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी का यह कैपिटल लैवी के लिये दावा था तो मेरा यह उनको चैलेंज है और इसको वह मान लें।

पहले भी यह कहा गया कि सरकार राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण नहीं कर सकती और न कैपिटल लैवी ही लगा सकती हैं। सरकारी दल का हर माननीय सदस्य जानता है कि ऐसा टैक्सों का ९० फीसदी भार किसानों और मजदूरों पर पड़ता है। जहां तक उद्योग-धंधों का सवाल है, तो छोटे-छोटे व्यापारी इस राज्य में बहुत परेशान हो गये हैं। इस सिलसिले में यदि मैं यह कहूं कि राष्ट्रीयकरण की बात तो नहीं मानी गई लेकिन ट्रांस्पोर्ट का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिसके पास १ या २ बसें थीं उसकी आमदनी सरकारको इतनी ज्यादा दिखाई पड़ी कि उसका राष्ट्रीयकरण करना उसने जरूरी समझा। ल-कारखाने वालों के लिये सरकार कहती हैं कि हमारे रास्ते में विधान रुकावट डालता है। इस बहाने में कोई तत्व नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहाकि हमारी सरकार तो इतनी उदार है कि खाने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पहनने के लिये कपड़ा, रहने के लिये मकान और खाने के लिये अन्न की आवश्यकता सभी को पड़ती है। यदि आप एक पर यानी अन्न पर टैक्स नहीं लगाते तो दो पर तो लगाते ही हैं। तो इस सरकार को दो तिहाई प्रतिक्रियावादी तो मानना ही होगा। और हम हम समझते हैं कि यदि सेंट्रल ऐक्ट हमारी सरकार के रास्ते में बाधक न होता तो वह अन्न पर भी टैक्स लगा ही डालती। अभी यह भी जिक्र हुआ कि आबकारी से हमको बड़ा नुक़सान हुआ। अगर्चे आपने १०-११ जिलों में ही प्राहीबिशन किया लेकिन उससे आपकी इतनी हानि हो गई कि उसे पूरा करने के लिये सेल्स टैक्स लगाना पड़ा और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि अब भी उसकी आवश्यकता है। आप देखें कि ५१-५२ के बजट में आबकारी से ५ करोड़ १५ लाख आमदनी थी और ५२-५३ में ६ करोड़ ११ लाख है। तो कहां प्राहीबीशन का असर आमदनी पर पड़ा? आप देखते हैं कि मुकद्दमे और करप्शन इतने बढ़ गये हैं कि उनसे आपको वसूलयाबी ज्यादा होती है। यदि महात्मा गांधी का नाम लेने के बाद भी आप प्राहीबिशन नहीं कर सकते तो कह दें कि हमारी नीति गलत है और हम इसे खत्म करते हैं। उस चीज को भी हमारी सरकार नजरअन्दाज करती जाती है। जब माननीय परिपूर्णानन्द जी वर्मा बोल रहे थे तो उस समय मुझे आशा थी कि मद्रास

की ओर और वहां की सेल्स टैक्स की १७ करोड़ की रकम की ओर भी वह ध्यान आकर्षित करेंगे। बजट के दौरान में माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सेल्स टैक्स कितना सुन्दर टैक्स है और उन्होंने कहा था कि मद्रास सरकार तो इस मामले में अनुकरणीय है और वहां १७ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आता है जबकि हमारी सरकार की आमदनी ४,५ करोड़ ही है। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार के सलाहकार हमारी सरकार को मिलेंगे तो मद्रास की हालत हमारे यहां भी आ सकती है। माननीय परिपूर्णानन्द जी को ध्यान रखना चाहिये कि मद्रास में सेल्स टैक्स से दुःखी होकर जनता कांग्रेस का साथ छोड़ती जा रही है और यह सभी जानते हैं कि वहां विधान को ताक में रखकर काउन्सिल के एक मेम्बर को नामजद नहीं किया जाता तो वहां का शासन चलना मुश्किल था। वह मिसाल हमारे प्रदेश के लिये अच्छी नहीं होगी जिसका कि दावा माननीय परिपूर्णानन्द जी को हो सकता है। यह कहना कि यह टैक्स तो बहुत उत्तम किस्म का है, उससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं। विद्वानों का तो यह कहना है कि आज तक यह प्रथा थी कि टैक्स इनकम पर लगता था लेकिन सेल्स टैक्स तो कनजम्पशन एक्सपेंडीचर पर टैक्स है। इससे बढ़कर प्रतिक्रियावादी टैक्स तो सुना ही नहीं जा सकता। इस टैक्स को लादते जाना और हमारे सिद्धांतों को न स्वीकार करना अनुचित है।

मौजूदा विधेयक में २ बड़े नुक्स हैं। एक तो माननीय नारायणदत्त जी बता ही दिया कि लोअर लिमिट नहीं बताई गई है। पिछले मूल ऐक्ट में १२ हजार से ऊपर वालों पर सेल्स टैक्स था और रूल्स में वह १५ हजार कर दिया गया। लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार तो यह चाहती है कि तमाम विधान सभा के मेम्बरों को धोखे में रखकर या अंधेरे में डाल कर इतनी भारी पावर लेले कि ५ हजार और २ हजार के ऊपर वालों पर भी टैक्स लगा दे। मैं तो सरकारी दल वालों से कहूंगा कि जहां उनका कर्तव्य सरकारी बातों को सपोर्ट करना है वहां उनका यह भी पवित्र कर्तव्य है कि वह सरकार पर रोक भी रखें। मंत्रियों और उपमंत्रियों की तादाद तो केवल २५ के लगभग है लेकिन सरकारी दल के सदस्यों का परम कर्तव्य है कि वह देखें कि वे लोग कहीं ऐसे ऐसे टैक्स तो नहीं लगा रहे हैं जो कि जनता की भावना और हित के खिलाफ जाते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि कम से कम इस विधेयक में उद्योग मंत्री यह जरूर कर दें कि उसके लिए एक मिनिमम लिमिट रख दें। आखिर वह जो भी कुछ चाहते हों वह रख दें चाहे वह ५ हजार हो, ६ हजार हो या ७ हजार हो। माननीय उद्योग मंत्री के जिम्मे यह विधेयक ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी के ख़याल से पढ़ा गया है अगर पहिले से उनके सामने यह मसला आता तो वह इसको दुरुस्त कर देते और जरूर ही मिनिमम लिमिट इसमें रख देते।

आठवां खंड जो उपस्थित विधेयक का है उसके द्वारा अधिनियम में एक ऐसा अधिकार मांगा गया है और कहा गया है कि पिछले जितने भी आर्डर्स जारी किये गये हैं, जितने भी बैड ला हैं उनको दुरुस्त करार दिया जाय। अतः यह आठवीं धारा कमाल की चीज है। उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि बिजली के ऊपर ड्यूटी कर अलग लगाया जा रहा है इसलिये बिजली पर से सेल्स टैक्स को हटाया जा रहा है। यह एक कौंसक्वेंशियल संशोधन है और उससे फायदा उठा कर एक मासूम किस्म का संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं परन्तु इस धारा द्वारा अजीब अधिकार सरकार हमसे लेना चाहती है। इससे मालूम होता है उसमें कहीं flaw (खराबी) जरूर है। क्योंकि सरकार को अंदेशा है कि गलती हो चुकी है आगे जुडिशियरी के सामने कहीं चैलेंज न हो जाय। अतः इस निर्दोष तरीके से सदन को अंधेरे में रख कर पास करा लेना चाहते हैं जिससे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पुरानी गैरकानूनी कार्रवाइयां चैलेंज न हो सकें। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जैसे योग्य लाईयर को इस किस्म की डिफेक्टिव धारा उपस्थित नहीं करना चाहिए था। विद्वानों की राय कुछ भी हो हमें हर एक चीज को खुले दिल और दिमाग

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

से देखना चाहिये। टैक्स उस पर लगाना चाहिये जो टैक्स देने के लायक हो और उस पर नहीं लगाया जाना चाहिये जो उसको देने के काबिल नहीं है। सरकार ने दो श्रेणी बना रखी हैं एक अमीरों की और एक गरीबों की और जो टैक्स उसके द्वारा लगाये जाते हैं उनकी मार गरीबों पर पड़ती है। हमारी सरकार को फख़ है कि मद्रास सेल्स टैक्स के मामले में अनुकरणीय है। अगर सरकार इसी तरह की बुद्धिमानी करती रही तो न हम रहेंगे और न सरकार ही, और सारे देश को वे रसातल के गर्भ में छोड़ जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह--मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने एक बददुआ देकर अपनी स्पीच को खत्म किया। चेतावनी तो अक्सर औकात दी गयी और सरकार अपनी जगह और पोजीशन को खूब समझती है और जो काम करती है वह समझ बूझ कर ही करती है। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं हमारे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी ने इस विधेयक के संबंध में तकरीर करते हुये बहुत सी बातें कहीं और वाकई बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिनका ठीक जवाब हमारे मित्र रावत जी ही दे सकते थे और उन्होंने दिया वे मेरे इमकान के बाहर की बातें थीं। उन्होंने बहुत सी बातें कानून के संबंध में भी कहीं और एक शिकायत हमारे मित्र ने यह भी की कि मैं यह अक्सर कह देता हूं कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तनहा मैं ही यह नहीं कहता अगर मैं समझ नहीं पाता तो साफ कह भी देता हूं। आज इसी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आपको नहीं समझा। लेकिन मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं उनको नहीं समझा। उन्होंने जो बहुत सी बातें इस विधेयक के बारे में कहीं मैं उनको नहीं समझा। हमारे मित्र ने एक बात प्रीएम्बिल के संबंध में कही और आध घंटे तक प्रीऐंबिल पर जोर देते रहे। उन्होंने कहा कि इस बिल का जो खंड नंबर ६ है वह इस मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल के बिलकुल बाहर है और उनका सुझाव यह था कि अगर यह धारा इसमें लानी थी तो मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल को बढ़ाना चाहिये था। इस विधेयक के प्रीऐंबिल में इसके स्कोप में विस्तार करना चाहिये था बमुकाबिले इसके जैसा कि उसका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल के लिये कहा।

श्री हुकुमसिंह--मूल ऐक्ट का और इसका प्रीएम्बिल भी। मैं श्रीमान् की आज्ञा से मूल ऐक्ट का प्रीएम्बिल पढ़ना चाहता हूं जिसमें की धारा २३, जिसका हवाला इस विधेयक के भाग ६ में दिया हुआ है कि प्रोसीडिंग्स, डाकुमेंट्स वग़ैरह सब कंफिडेंशियल रहेंगे। और जब धारा २३ जो मूल ऐक्ट में रखी गयी है उसको देखें कि आया प्रीएम्बिल में उसका कुछ जिक्र है या नहीं है--

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh ......"

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय....]

यह प्रीएम्बिल है। इस प्रीएम्बिल में किसी डाकुमेंट्स के कंफिडेंशियल होने का कोई जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी दफा २३ रखी गयी है और वह काफी लम्बी चौड़ी ८,१० सफे की दफा है। तो ८, १० सफे की जो दफा हो उसकी बातें दो लाइन के प्रीएम्बिल में कैसे आ सकती हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैंने अपने माननीय मित्र की बहस से यह समझा कि जो-जो बातें इस विधेयक में हों उनका हवाला प्रीएम्बिल में जरूर कुछ न कुछ होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहस कि प्रीएम्बिल बड़ा संकुचित है लिहाजा उस प्रीएम्बिल की धारा ६ में

नहीं आ सकती। उस बहस की तरदीद में मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल ऐक्ट के प्रीएम्बिल में कहीं दफा २३ के प्रोविजन का हवाला नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे मित्र भी उसको मानते हैं कि प्रीएम्बिल बिल्कुल स्कोप के अन्दर है। मैं समझता हूं कि जो यह कहा जाता है कि प्रीएम्बिल को बढ़ाना चाहिये। अगर आप धारा ६ लाना चाहते हैं तो धारा ६ क्या कहती है। दफा २३ में ५ क्लाजेज हैं, हम छठा क्लाज और जोड़ दें। मैं श्रीमान् की आज्ञा से दफा २३ को पढ़ना चाहता हूं। मैं उसका रिलिवेंट पोर्शन पढ़ना चाहता हूं।

"Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any such particulars :—

(*i*) for the purpose of a prosecution under the Indian Penal Code in respect of any such statement, return, document, evidence, affidavit or deposition or for the purpose of a prosecution under the Act or the rules made thereunder, or

(*ii*) to any person acting in the execution of the Act or the rules made thereunder where it is necessary to disclose the same to him for the purposes of the Act or the rules made thereunder, or

(*iii*) occasioned by the lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for the recovery of any demand, or

(*iv*) to a civil court in any suit to which the Government are a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under the Act or the rules made thereunder, or

(*v*) occasioned by the lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document;

or (*vi*) to an officer of Central Government or the Government of any State, for the purposes of enabling that Government to levy or realise any tax imposed by it."

[उपधारा (१) में जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होंगे यदि—

(१) भारतीय दण्ड विधान (इंडियन पेनल कोड) के अन्तर्गत किसी विवरण-पत्र, (स्टेट्मेंट और रिटर्न), लेखों (हिसाब), लेख-पत्र (डाकुमेंट) साक्ष्य या शपथ-पत्र के विषय में अभियोग चलाना हो, अथवा इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार अभियोग चलाना हो, या

(२) कोई व्यक्ति इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है और यह आवश्यक है कि इस ऐक्ट या इसके अधीन बने नियमों के प्रयोजनों के लिये उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय, या

(३) इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की उगाही के लिए प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो, या

(४) इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के सम्बन्ध में किसी ऐसे दीवानी के मुकदमे में हो जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो, या

[श्री हुकुमसिंह]

(५) इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ ई० के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक-सेवक (पब्लिक सर्वेंट) द्वारा ऐसे लेख-पत्र (डाकुमेंट) का अवरोध करने के लिये, जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय, या

(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिए उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।]

हम इस तरमीमी विधेयक के द्वारा एक छठा क्लाज जोड़ना चाहते हैं। जब उस प्रीएम्बिल में ५ क्लाजेज आ सकते हैं जिनका कहीं भी जिक्र उस प्रीएम्बिल में नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि छठा क्लाज जो हम जोड़ते हैं, जो इजाफा करना चाहते हैं, उसके लिये हमारे लायक दोस्त की बहस मेरी समझ में नहीं आयी। मैं समझता हूं कि चाहे यह कहा जाय कि हम ऐसा कहते हैं लेकिन वाकई में यह बहस मेरी समझ में नहीं आयी। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो मौजूदा विधेयक है उसका को प्रीएम्बिल है वह मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष—यह विधेयक हिन्दी में है इसलिये माननीय मंत्री जी हिन्दी से ही पढ़ें।

श्री हुकुमसिंह—बहुत अच्छा। हिन्दी से ही पढ़ता हूं।

"समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री, कर ऐक्ट, १९४८ ई० में आगे चल कर दिये हुए प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है"। "आगे चल कर दिये हुए" ये जो शब्द हैं वे बड़े गम्भीर हैं। और इससे पूरा पता चल जाता है कि इसके प्रीएम्बिल का स्कोप क्या है। जिन शब्दों में प्रीएम्बिल लिखा हुआ है उससे जितनी बातें इस विधेयक में रखी गयी हैं वे सब उस प्रीएम्बिल के अन्दर आती हैं। किसी भी तरह से उसके बाहर नहीं जातीं। ऐसी सूरत में इस विधेयक में और पहले विधेयक के प्रीएम्बिल को देखा जाय तो यह कहना कि इस विधेयक के बाहर यह क्लाज है यह किसी तरह से ठीक बहस नहीं मालूम होती। उसके बाद हमारे मित्र ने एक बात और फरमाई थी मैंने यह कहा था कि एक दूसरा एलेक्ट्रिसिटी बिल यहां आया और उसकी रू से एलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाना निश्चित किया है लिहाजा इस सेल्स टैक्स में जहां वह एक्जेम्प्टेड है उसके सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे मित्र ने बड़े जोरों से फरमाया नहीं यह बात गलत है और बात कोई दूसरी है। मैं भी बड़े ताज्जुब में पड़ा कि कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ सका और जो मेरे ध्यान में नहीं आयी। बड़ी ऐक्जाइटी से मैं सुन रहा था कि वह कौन सी बात है। हमारे मित्र ने फरमाया कि ऐसेंशल गुड्स डिक्लेरेशन ऐंड रेगुलेशन आफ टैक्स आन सेल आर परचेज १९५२, चूंकि केन्द्रीय सरकार ने पास कर दिया है लिहाजा उस ऐक्ट की रू से यह लाजिमी था कि यह सेल्स टैक्स ऐक्ट में तरमीम हो और एलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाय। यह एतराज था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह भी था और दूसरा भी था।

श्री हुकुम सिंह—खैर वह दूसरा भी सही और मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से अर्ज करूंगा कि दूसरी बात जो मेरे मित्र ने कही है वह बिल्कुल गलत है। मेरी बात तो उनको कबूल है कि ठीक है लेकिन उनकी बात है। मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। एसेंशल ऐक्ट की धारा ३ में दिया हुआ है—

"No law made after the commencement of this Act by legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax, on the sale or purchase of any goods declared by this Act to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

[किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई हुई कोई विधि जो किसी माल के क्रय या विक्रय पर कोई कर आरोपित करती हो या आरोपित करना प्राधिकृत करती हो, जो इस अधिनियम द्वारा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के उपरान्त प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित नहीं की गई हो और उनकी अनुमति न प्राप्त हो गई हो।]

अव्वल तो यह कि कोई कानून इस ऐक्ट के बाद यह स्टेट बनाये तो उसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि प्रेसीडेंट की एसेंट न हो जाय। हमारा जो कानून है वह इसके पहले का बना हुआ है लिहाजा इसका रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं हो सकता और न उस कानून को कोई इनइफेक्टिव बनाता है लिहाजा हमारे मित्र का यह कहना कि इस वजह से कानून में तरमीम करनी पड़ी बिलकुल गलत है। इस तरमीम की जरूरत नहीं थी इस वजह से क्योंकि वह ऐक्ट पुराना था और इस ऐक्ट के लागू होने के पहले बन चुका था। लिहाजा जो कानूनी एतराजात हमारे मित्र ने किये थे उनका यह मतलब है। इसके अलावा हमारे मित्र ने इस तरफ के लोगों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि इस खंड की रू से सरकार इस सदन से अख्तियारात ले लेना चाहती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सदन से वह अख्तियारात छीनना नहीं चाहती बल्कि मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि यह सदन सरकार को कुछ अख्तियारात दे और मुझे विश्वास है कि इस सदन का पूरा विश्वास इस सरकार पर और अगर यह सदन हमको देता है तो कोई एतराज की बात नहीं है। अगर हां, हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करते कि सदन न राजी हो और हम उस अख्तियार को छीन लें तब तो एतराज हो सकता है, लेकिन मैं एक दरख्वास्त लेकर सदन के सामने आता हूं और कहता हूं कि फलां-फलां अख्तियार ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर दो ताकि सहुलियत से सूबे का इन्तिजाम होता रहे और वह सदन फलां-फलां अख्तियार सरकार को डेलीगेट करे तो इसमें कोई ज्यादती की बात नहीं है। हमारा फर्ज है सदन के सामने आवें क्योंकि सदन सुप्रीम अथारिटी है और उससे कहें कि हमें यह अख्तियारात दे दो तो हम कौन सी बुरी बात करते हैं। हम दरख्वास्त लेकर आते हैं तब भी मुजरिम करार दिये जाते हैं कि क्यों इस दरख्वास्त को लेकर आते हो। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैंने इसमें धारा ४ की रू से यह दरख्वास्त की है कि अख्तियारात दिये जायं तो बेजा बात नहीं की है और मुझे पूरी आशा है कि यह सदन हमारी दरख्वास्त को मंजूर करेगा।

इसके अतिरिक्त हमारे मित्र ने धारा ६ के उपखंड २ पर एतराज किया। उस संबंध में बहुत ही लम्बी-चौड़ी तकरीर की और यह खौफ गालिब कराने की कोशिश की कि अगर यह बिल मंजूर हो गया तो न मालूम क्या हो जायगा। उसमें केवल यह बात है कि पांच धाराएं २३ में हैं उसमें छठी धारा जोड़ी जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैक्सेज को इवेड करते हैं। उसको रोकने के लिए अगर कोई इत्तिला इस सरकार से केन्द्रीय सरकार या दूसरी सरकार मांगे तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनको दें और देना चाहिये। अगर कोई शख्स मुस्तौजिब है टैक्स देने का और वह कुछ सूचना न मिलने के कारण उसको इवेड कर जाने का मौका मिलता है तो ऐसे मौके उसको न देने चाहिए। जहां तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रविजन कर रखा है कि अगर सेल्स टैक्स के सिलसिले में स्टेट सरकार उन से कुछ सूचना मांगे तो वह दे सकते हैं। उन्होंने इतना अख्तियार बरता कि हम को सहूलियत

[श्री हुकुमसिंह]

पैदा करें कि अगर कोई शख्स अपनी आमदानी को छिपाना चाहता है तो अगर उन की इत्तिला में बात है और वह हमको वह इत्तिला भेज दें तो वह कर सकते हैं और जब वह इत्तिला मिल गयी तो वह बच नहीं सकता है। इसी तरह से अगर हम को कुछ इत्तिलात उनसे पानी हैं तो हम को भी इत्तिला देनी चाहिए ताकि वह लोग जो कि टैक्स से नाजायज तरीके से बचना चाहते हैं वह बच न सकें। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं समझता कि कौन सा आसमान फटा पड़ता है अगर यह धारा पास हो जायगी। मैं इसमें कोई त्रुटि भी नहीं देखता।

उसके साथ-साथ हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने फरमाया कि धारा ३ अगर इस तरह से पास हो गयी तो सरकार को यह अख्तियार हो जायगा कि १२ हजार से पांच हजार कर दें मिनिमम लिमिट। मैंने उनकी तकरीर से यह बात समझी। और माननीय तिवारी जी ने भी इस ओर संकेत किया। मैं क्या बताऊं वाकयी कानून मुश्किल जरूर होता है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर धारा ३ कि उपधारा दो जैसी है उसकी तरमीम का कोई सवाल नहीं जब तक वह उपधारा २ है तब तक १२ हजार से कम किसी तरह से हो ही नहीं सकता है। फिर पढ़िये कई मर्तबा पढ़ने से समझ में आता है। तो धारा ३ का उपखंड २ अगर बदस्तूर है तो बारह हजार से कभी गवर्नमेंट कम कर नहीं सकती है। इस प्राविजो को लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि १२ से १५ हजार है १५ हजार से १२ हजार तक कम नहीं कर सकते। अगर कम करना चाहें १५ हजार से १२ हजार तक तो जब तक यह न लाएं तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बात की जरूरत है कि हम कम करें १२ हजार करें, १३ हजार करें, १४ हजार करें तो इस उपधारा २ की जरूरत है। लेकिन वह शंका जो हमारी मित्र को थी, त्रिपाठी जी अब आ गये हैं। मैं फिर दोहारा देना चाहता हूं श्रीमान् की आज्ञा से। त्रिपाठी जी ने कहा कि पांच हजार तक कर सकते हैं। यह बात नहीं है। जहां तक कानून का ताल्लुक है वह हमें बारह हजार से नीचे जाने के लिये किसी तरह इजाजत नहीं देता। और शायद इसी गलतफहमी की वजह से हमारे मित्र ने इसकी मुखालफत की। वैसे तमाम सिद्धान्त की बातें हुईं। उधर से भी हुईं, इधर से भी जवाबात सब दिये गये। मैं उन में जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ कानूनी एतराजात जो मेरे दोस्त के थे उन्हीं के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता था। मैं उतना ही अर्ज करके कनाअत करूंगा और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं समझता हूं कि जो एतराजात प्रिएम्बिल और धारा ३, ४, और धारा ६ के मुताल्लिक हमारे मित्रों के थे उनके सम्बन्ध में मैंने अर्ज कर दिया है। अगर फिर उसे गौर से पढ़ें तो जो कुछ मैंने अर्ज किया वह सही पाया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष....

अध्यक्ष--अब बोलने का वक्त तो नहीं है। उत्तर हो चुका है। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने उनसे उत्तर देने को कहा। आप उस वक्त नहीं खड़े हुए।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २ का संशोधन।

२--संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (घ) में से शब्द "विद्युत शक्ति और" निकाल दिये जायंगे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में:
(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपखंड (४) निकाल दिया जायगा,

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

(२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा:

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी, अर्थात्:

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर, मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, और

(ख) शेष पर, मानो कम की हुई धनराशि (reduced amount) सभी महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर ऐसी ही थी।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

"खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द "जाय" के के पश्चात् शब्द "जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा २ इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी माननीय मंत्री जी समझते हैं। उनका कहना यह है कि अगर बार-बार इस धारा ३ को पढ़ा जाय तो इसमें लिखा हुआ है:—

"A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000/- or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year."

[किसी ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रय धन पूर्व वर्ष में १२,००० रुपया अथवा ऐसी बड़ी रकम से, जो निर्धारित की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर देने का दायित्व नहीं होगा]

लेकिन जो भी संशोधन माननीय मंत्री जी ने रखा है वह इस प्रकार है, उसका प्रतिबन्ध यह है, "प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी"। तो इसमें निर्धारण वर्ष में कितनी कमी कर दी जाय यह स्पष्ट नहीं है और यह इसलिये स्पष्ट होना चाहिये कि चूंकि रूल्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कोई भी नियम इस बारे में स्पष्ट नहीं है। रूल में केवल इतना ही लिखा गया है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"The larger amount mentioned in proviso 2 to section 3 shall be raised to Rs 15000 and a dealer whose turenover is less than Rs. 15000 shall not be liable to pay tax under this Act.

A dealer's liability to pay tax under the Act shall be determined on the basis of his gross turnover.

Provided that the turnover in respect of transctions on forward contracts in which goods are not actually delivered shall not be included in the gross turnover."

[वह बड़ी रकम जिसका उल्लेख धारा ३ के प्रतिबन्धक वाक्य खंड २ में किया गया है, १५,००० रुपये होगी और यदि किसी व्यापारी का विक्रय धन १५,००० रुपये से कम हो, तो उसको अधिनियम के अन्तर्गत कर नहीं देना होगा। टैक्स देने की जिम्मेदारी उसके सम्पूर्ण विक्रय धन के आधार पर निश्चित की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वदनी के सौदों से संबंधित विक्रय धन जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता है सम्पूर्ण विक्रय धन में सम्मिलित नहीं किया जायगा।]

सिर्फ रूल सात और आठ इस संबंध में बने हुये हैं। मूल ऐक्ट में जो शब्द "प्रेस्क्राइब" है उसके अनुसार केवल दो नियम बने हुये हैं और वही दो नियम आज तक लागू हैं। मूल ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि १५ हजार के बाद अगर कहीं रिडक्शन हुआ तो वह केवल १२ हजार तक होगा। इसको और साफ करने के लिये मैं यह चाहता हूं कि इसको इस प्रकार रखा जाय जैसा कि मैंने अपने संशोधन में दिया है कि जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी। इसलिये मूल ऐक्ट में जो प्राविज़न है उसको अगर इस प्रतिबन्ध में दुबारा दोहरा दिया जायगा तो नियमों में जो गलती है वह स्पष्ट हो जायगी और नियम भी इसी प्रकार बन सकेंगे। तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे और अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन इस सारे ही खंड का विरोध करना पड़ेगा क्योंकि वह अनियमित हो जाता है, उसका मतलब स्पष्ट नहीं होता है और वह सारे सेल्स टैक्स के प्रबन्ध के लिये घातक होगा।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि जब तक धारा ३ का उपखंड (२) मौजूद है, इस तरमीम की कतई आवश्यकता नहीं और जब जरूरत नहीं तब कानून में अल्फाज़ बढ़ाना अनुचित है। ऐसी सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कारण तो बतलाया नहीं कि वे क्यों इसका विरोध करते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो आप के रूल्स बने हुये हैं, उसमें यह नहीं दिया है कि कितना रिड्यूस किया जायगा। या तो माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि नियम बनेंगे या......

अध्यक्ष—उन्होंने तो उत्तर दे दिया कि खंड ३ का उपखंड (२) जब तक बाकी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि १२ हजार से कम टैक्स नहीं लगेगा तब तक इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यही उनका जवाब है।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ के शब्द "जाय" के पश्चात् शब्द "जो किसी भी स्थिति में १२,००० रुपये से कम न की जा सकेगी" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति के अन्त के अल्प विराम के उपरान्त शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमान्, प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति जो है "गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी" इससे यह प्रकट होता है कि इसके खंड (क) और (ख) में रीति का उल्लेख होगा लेकिन खंड (क) और (ख) को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें रीति का जिक्र नहीं है क्योंकि शब्द इस तरह से आये हैं "जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर"। "विक्रय धन पर" रख देने से ऐसा मालूम पड़ता है किसी रीति का उल्लेख है। बाद में जो शब्द हैं "मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गयी थी" इनके पहले 'इस प्रकार' शब्द जोड़ देने से यह हो जायगा" इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी। तो 'इस प्रकार' जोड़ देने से यह अर्थ आ जाता है कि उसमें एक रीति का जिक्र है। इसी लिये मैंने यहां पर यह शब्द जोड़े हैं और मैं समझता हूं कि इन शब्दों का जोड़ना उचित होगा।

श्री हुकुमसिंह—इससे भाषा ठीक हो जाती है। मैं इसे मंजूर करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति के अन्त के अल्प विराम के उपरान्त शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'शेष' के बाद शब्द "अवधि से संबंधित विक्रय धन" तथा इसी पंक्ति में अल्प विराम के चिन्ह और शब्द "मानो" के बीच शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमान् जी, इस खंड (ख) में लिखा हुआ है "शेष पर"। तो इससे स्पष्ट नहीं है कि यह "शेष" अवधित करता है। इसलिये मैंने इसको स्पष्ट करने के लिये ये शब्द बढ़ाये हैं और मैं समझता हूं कि "शेष" का रेफ़रेंस अवधि से सम्बन्धित विक्रय धन से ही है। इसलिये इन शब्दों को मैंने बढ़ा दिया है जिससे "शेष" का अर्थ स्पष्ट हो जाय। और जो इसका दूसरा भाग है वह उसी तरह का है जैसा मैंने खंड (क) में प्रस्ताव किया था और जो अभी स्वीकृत हो चुका है। मैं समझता हूं कि इन शब्दों का बढ़ा देना अर्थ को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है।

श्री हुकुमसिंह—स्वीकार है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित द्वितीय प्रतिबन्ध के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "शेष" के बाद शब्द "अवधि से संबंधित विक्रय धन" तथा इसी पंक्ति में अल्प विराम के चिन्ह और शब्द "मानो" के बीच शब्द "इस प्रकार" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे। १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३-क का संशोधन

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड ४ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४), (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं।

श्रीमान्, यह संशोधन इस विधेयक के मूल अधिनियम का जो स्कोप है उसको देखते हुये माना जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि अगर यह संशोधन विधेयक में जिस प्रकार खंड ४ को रखा गया है अगर ऐसा ही मान लिया जाता है तो एक ओर तो सरकार ने पहली अक्तूबर, १९५२ जो चार नयी चीजों पर टैक्स लगाया है उसको हम मान लेते हैं, सिगरेट, बीडी पर जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसको मान लेते हैं आज तक जितने भी नियम बने हैं उन सब को स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी ओर आगे के लिये हम सब लोग सरकार को इतने अधिक अधिकार देते हैं जो कि सिंगिल प्वाइण्ट सिस्टम को देखते हुये सरकार को देना ठीक नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने हमारे एक संशोधन का जवाब देते हुये कहा था कि हम तो इसलिये सदन के हाथ से ताकत छीन रहे हैं क्योंकि सदन पर हमारा विश्वास है और हम पर सदन का विश्वास है। हो सकता है कि आप को सदन के भारी बहुमत का विश्वास हो लेकिन क्या सरकार को सदन पर विश्वास नहीं है। सरकार यह तो चाहती है कि सदन का विश्वास उस पर बना रहे लेकिन इतना विशाल बहुमत होते हुये भी सदन पर विश्वास नहीं है और अगर विश्वास होता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती कि नोटिफिकेशन के बारे में पुराने ऐक्ट के अनुसार हम भी उस पर विचार कर लेते और यह सदन भी अपनी सलाह दे देता और जो सदन मुनासिब समझता वह करता। सरकार को ऐसा कौन सा डर है, कौन सी उस को फिक्र है कि वह अधिकार जो सदन ने खुद लिये थे वह उन से इतना बहुमत होते हुये भी अपने बहुमत को अधिकार न दिये जायं और यह कौन सी न्याय की बात है। मैं आपके द्वारा इस विषय पर जरा ब्योरे में जाना चाहता हूं कि आखिर यह धारा ३-क क्या है, उसकी उपधारा (१) क्या है जिसके अनुसार सरकार अधिकार लेना चाहती है कि "निर्धारित की जाय के स्थान पर जिसे राज्य सरकार निर्ष्टि करे"। अगर यह संशोधन नहीं किया जाता है तो सरकार को पुराने ऐक्ट की धारा २ के अनुसार रूल्स बनाने पड़ेंगे और उनको इस सदन के सामने लाना पड़ेगा और सदन उस पर विचार करेगा और उसके निर्णय पर सरकार को चलना पड़ेगा लेकिन अगर वैसे ही स्पेसिफाई कर देगी तो वह छप जायगा और उसे सदन के सामने लाने की आवश्यकता न होगी। मैं आपकी आज्ञा से धारा २४ में रूल्स के बारे में जो प्रोसीजर है वह पढ़ना चाहता हूं।

"The Provincial Government may make rules to carry out the purposes of this Act."

[प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।]

और सब सेक्शन ५ में है कि---

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभाएं उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

इस प्रकार इस सदन ने अपने ऊपर यह अधिकार लिया था कि जितने भी नियम बनेंगे वह सदन में आयेंगे और सदन उन पर विचार कर सकेगा, लेकिन यहां सरकार चाहती है कि हम अपने हाथ से ही अपने अधिकार पर कुठाराघात कर लें। सरकार चाहती है कि इतने बड़े अधिकार सदन से निकल कर उसके हाथ में चले जायं और वह स्पेसिफ़ाई करके चाहे जिस चीज को सेल्स टैक्स में ले ले।

मैंने उस समय भी कहा था कि यह हमारा अधिकार है और हम काग़जात मांग सकते हैं और उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे मैंने कहा था कि मंत्री जी बतलावें कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनको वह इस धारा के रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के जरिये से चाहते हैं कि हम स्वीकार कर लें। वह नियम क्या थे और हम उनको कैसे मान लें। आज तक नहीं मालूम कि वह कौन से रूल्स थे जो १ अक्तूबर, सन् ५२ को निकले जिनके जरिये से जूट गुड्स, दियासलाई, गुड़, जगरी पावडर आदि पर टैक्स बढ़ाया गया और बीड़ी, सिगरेट पर नया लगाया गया। मैंने आप की आज्ञा से इसीलिये यह संशोधन पेश किया है। हम उनका विरोध करते हैं कि इस उपधारा से यह शब्द निकाल दिये जायं। अगर हम यह घटा लें तो पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसको यह सदन स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये आवश्यक है और मेरा संशोधन निर्दोष है और इसके साथ-साथ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने जो असेम्बली की रजामन्दी के बिना सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसका विरोध इस प्रस्ताव से प्रकट होता है। अगर आप स्पैसीफिक कर दें तो उसके सम्बन्ध में उस नोटीफिकेशन को सदन के सामने रखें। धारा २४ की उपधारा ३, ४ और ५ के अनुसार अगर सरकार अपने भारी बहुमत की बिना पर सदन में विश्वास करती है। तो जो नोटीफिकेशन्स निकलें उनको इस सदन के सामने रखे और सदन उन पर विचार करे और स्वीकार करे।

श्रीमन् मैं अपने इस संशोधन के जरिये से इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता हूं और सेल्स टैक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जितने भी नियम और नोटीफिकेशन्स वग़ैरा निकलें वह सदन के सामने आयें और असेम्बली की राय के बिना जितने रूल्स सरकार बनाये वह और जो नया सेल्स टैक्स पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से लगाया है और अगर यह शब्द निकाल दिये जायं तो इससे दुतर्फा महत्व संशोधन का हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सदन का विश्वास करें। ऐसा मालूम होता है कि सरकार का विश्वास सदन पर नहीं है। अगर उनका विश्वास होता तो कभी ऐसा संशोधन सरकार न लाती और पहली अक्तूबर, १९५२ से जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है उसकी सदन से स्वीकृति ले लेती। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस गलती को दूर करेगी और मेरा संशोधन स्वीकार करेगी

बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आज यह सदन इस विधेयक को पास करने में जितना समय लेगा उतनी देर और बैठे और सदन का टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——श्रीमन्, यह तो ऐसा प्रस्ताव है कि इसमें स्पैसीफिक नहीं है कि सदन का समय कितना बढ़ेगा। दूसरे आज सदन खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही कार्यक्रम बढ़ता रहा तो न जाने कब तक सदन चलता रहेगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष——यह तो इसी विधेयक के लिये मोशन है कि जब तक यह विधेयक पास न हो सदन का समय बढ़ा दिया जाय, और किसी दूसरे काम के लिये नहीं है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——मैं सदन के समय बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं एक तो यही जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा और दूसरे यह कि हमारा यह संशोधन आया है और इधर सेंट्रल में एक कमेटी बैठी है और उसमें तमाम सूबे हिस्सा ले रहे हैं। उसकी राय अगर आ जाय तो सरकार को हमारा संशोधन मानने में आसानी होगी। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि आज जल्दी में सदन का समय बढ़ा कर इस बिल को पास किये जाने की कोशिश न की जाय।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)——मैं इस प्रस्ताव के माफिक हूं क्योंकि कमेटी का फैसला मुमकिन है श्री नारायण दत्त जी की राय के मुताबिक स्कोप के बाहर हो जाय कौन जानता है। इसलिये ऐसी चीज मंजूर करना नामुनासिब है।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि आज इस सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय और यह सदन तब तक बैठे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२

खंड ४ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जब मैं समर्थन के लिये खड़ा होता हूं तो आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन यहां प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी को इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर यह संशोधन पास नहीं होता तो मैं समझता हूं कि जैसा बिल यहां प्रस्तुत है उसी रूप में उसके पास होने से इस सदन का जो अधिकार था उन अधिकारों का छीना जाना होगा। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इसे कबूल करें। माननीय मंत्री जी वर्तमान कानून को देखेंगे तो——

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुए सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें से संशोधन हो सकेंगे, जो धारा सभाएं उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

वर्तमान कानून में सरकार द्वारा नियम बनने के बाद सदन के सामने सात दिन तक रखना आवश्यक था।

यह अधिकार छीना जा रहा है, जो अधिकार इस रूल के जरिये से सदन को प्राप्त है। क्योंकि यह विधेयक जिस तरह से यहां प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में भी मैं यहां थोड़ा सा विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं क्योंकि सरकार के सलाहकार ने सरकार को यह बात बतलाई कि सेल्स टैक्स एक प्रोग्रेसिव चीज है। यहां पर चाणक्य का सिद्धान्त सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बतलाया गया। मैं आपके सामने प्रमुख अर्थ-शास्त्री श्री डाल्टन के विचार सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में क्या हैं उनको पढ़ना चाहता हूं--

"Sales Tax tends almost to be inevitably regressive. It is a fundamental of the sales tax that it cannot make allowance for domestic circumstances."

[बिक्री कर प्रायः अनिवार्यतः प्रतिगामी होने की ओर प्रवृत्त होता है। यह बिक्री कर का मौलिक तत्त्व है कि यह घरेलू परिस्थितियों के प्रति कोई रियायत नहीं कर सकता।]

अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि यह आम बहस नहीं है। आप इसी संशोधन पर अपने विचारों को सीमित रखें तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा जो है यह सेल्स टैक्स को बढ़ाने की धारा है [उससे सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो कि पहली अक्तूबर से बढ़ाया गया है इसमें उसी का समाधान किया जा रहा है। आप के जरिये से मैं इसको पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूं...

अध्यक्ष--मैं सेल्स टैक्स के सिद्धान्त के विरुद्ध बोलने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि यह एक आम बहस की चीज है। सेल्स टैक्स के बढ़ाने के सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं उसके सिद्धान्तों के विरोध में नहीं बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बीड़ी, सिगार, सिगरेट, दियासलाई जूट, खंडसारी आदि पर पहली अक्तूबर से टैक्स बढ़ाया गया है। यह टैक्स किस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर बढ़ाया गया है वह मनोवृत्ति स्पष्ट है। वह यह है कि सरकार की समझ में यह बात आई कि शायद इससे काफी आमदनी बढ़ जायगी और यह उनका एक क्रान्तिकारी कदम है। जितने अर्थ शास्त्र के विद्वान् लोग हैं वह सब इसके विरोध में हैं।

अध्यक्ष--मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि इस सिद्धांत के ऊपर कोई बात विरोध में कहें, जो ऐक्ट यहां पर पास हो चुका है और जिस सिद्धांत को यह सदन स्वीकार कर चुका है। एक बार उस सिद्धांत को सदन द्वारा स्वीकार किये जाने पर उसके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात के सामने झुकते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में समय-समय पर जब-जब आवश्यकता प्रतीत हुई माननीय वित्त मंत्री ने और दूसरे लोगों ने जब जिस समय आवश्यकता समझी आपके

[श्री राजनारायण]

जरिये से उसको निवेदन किया है। मैं आपके जरिये से केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि जो बातें इस संशोधन से संबंधित हैं और आखिर यह संशोधन यहां पर क्यों लाया जा रहा है और सरकार यह अनुचित बात क्यों कर रही है इसको ही रखना चाहता हूं। जो बातें बजट के समय वित्त मंत्री जी ने यहां पर कहीं थी कि सेल्स टैक्स बढ़ाकर उस कमी को पूरा किया जायगा उसी के दायरे में यह धारा है और उसमें यह हमारा संशोधन है। यदि उन तमाम बातों को हम यहां पर नहीं रख सकेंगे तब तो हमारे लिये बहुत बड़ी लाचारी है क्योंकि यह सेल्स टैक्स का मामला कोई मामूली मामला नहीं है...

अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से फिर कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स यहां पर लगाया जाय या न लगाया जाय इस सिद्धांत के संबंध में मैं कोई बात या बहस या उसका जिक्र नहीं आने दूंगा। जो सेल्स टैक्स बढ़ाने का सवाल या उस पर संशोधन सामने है उसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। मैं कोई बहस इस तरह की नहीं बढ़ने दूंगा जो इसकी सीमा से बाहर है।

श्री राजनारायण--आप अगर इस प्रकार से हमको बाध्य करेंगे कि इस सेल्स-टैक्स के संबंध में हम अपने विचार प्रकट न करें तब तो कुछ मुश्किल होगी। आप देखते हैं कि सरकार इस बात को यहां पर लाना चाहती है...

अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें और अब मैं उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के बारे में अगर यह बात है कि हम इस पर न बोलें और सदन से यह बिल ऐसे ही पास हो जाय तब तो ..

अध्यक्ष--मैंने माननीय राजनारायण जी से इस बात के लिये कहा कि जिस सिद्धांत पर सदन ने एक दफा अपना फैसला दे दिया उसके बारे में बहस नहीं होनी चाहिये। इस सिद्धांत का जिक्र आने पर आप उस सीमा से बाहर चले जाते हैं जिसको सदन स्वीकार कर चुका है। जो संशोधन सामने है उसके संबंध में जो बातें हों आप उनको कह सकते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स के सिद्धांत के संबंध में कि वह लगाना चाहिये या नहीं लगाना चाहिये, वह प्रगतिशील है या नहीं है इस चीज का यहां पर जिक्र नहीं आ सकता है।

श्री राजनारायण--मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legistature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र संभव हो, कम से कम सात दिन तक के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

यह जो रूल निकाले जा रहे हैं इस से मतलब सरकार का यही है कि जो सेल्स टैक्स लगाये गये हैं उन का समर्थन हो और आगे भी जो लगाये जायं उन का भी समर्थन हो जाय। मैं इसी संबंध में निवेदन करना चाहता था और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि वह जरा स्पष्ट करें कि वह आखिर क्यों चाहते हैं कि जो धारा में पहले लिखा हुआ था उस के स्थान पर "निर्दिष्ट करे" रख दिया जाय। पहले था "जो निर्धारित

किया जाय'' पहले उसके अनुसार वह सदन के सामने आते, यहां उन पर विचार होता, संशोधन होते और सदन अपनी सम्मति सरकार को बतलाता कि सेल्स टैक्स ज्यादा हो रहा है या मुनासिब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की शब्दावली रख कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देती बल्कि अपने खोखलेपन का परिचय देती है। इस तरह के संशोधन कर के कि जिस से इस सदन के सम्मानित सदस्य इतने मुख्य अंग पर विचार-विनियम न कर सकें और उस की बारीकियों को न समझ सकें और सरकार के हाथ में सारे अधिकार दे दें यह अन्याय की बात है। आप सेल्स टैक्स बढ़ाते चले जायं और नई-नई चीजों को आप उसमें जोड़ते चले जायं यह कौन सी उचित बात है। अगर सरकार इस तरह का अधिकार नहीं लेना चाहती है तो इस प्रकार के परिवर्तन लाने की इस समय क्या आवश्यकता थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुनियां में जितने अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि "Sales Tax in itself is regressive." [सेल्स टैक्स प्रतिक्रियावादी है] सब ने यही कहा है। जब आप बीड़ी पर टैक्स लगाते हैं तो मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा वह तबका है जो बीड़ी पीता है और कौन वह लोग हैं जो खंडसारी का इस्तेमाल करते हैं। यह वही गरीब तबका है जिस के परिवार में ज्यादा लोग हैं और जिस पर जाकर सारा भार इस टैक्स का पड़ता है। बार-बार कहा जाता है कि टैक्स में उदारता और त्याग की भावना आनी चाहिये। सेक्रिफाइस की भावना जागृत होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि यह सेक्रिफाइस की भावना है या सूसाइड की। अगर यह सरकार अपनी गतिविधि से इस प्रकार के कार्य करेगी तो जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वह बहुत आपत्तिजनक होंगे और केवल विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के भी सम्मानित सदस्य इस संशोधन का समर्थन करेंगे। मैं इतना कह कर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह लीगलिटीज और नाईसटीज (कानूनी बारीकियों) में न जायं और वस्तुस्थिति का विवेचन करें, यह शब्दों का परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि इसका कोई कारण नहीं है सिवा इसके कि सरकार चाहती है कि उसने जो टैक्स में बढ़ती की है १ अक्तूबर से उस का समर्थन हो जाय और आगे के लिये भी बड़ी बारीकी से रखा गया है कि किसी को मालूम भी न हो कि सेल्स टैक्स बढ़ रहा है और डायरेक्टली और इंडायरेक्टली वह बढ़ भी जाय और सदन उससे गुमराह भी रहे।

मैं डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट टैक्स के शास्त्री विवेचन में इस समय नहीं जाना चाहता। मैं केवल माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा इतना पूछना चाहूंगा कि इसका प्रभाव समाज के किस अंग पर पड़ेगा, सरकार सेल्स टैक्स की परिपाटी को सुरक्षित रखना चाहती है। इसका असर उन्हीं लोगों पर सबसे अधिक पड़ेगा जो निम्नश्रेणी के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

एक बात मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि वह हमेशा कृपा करके यह कोशिश न किया करें कि सारी शब्दावली में वस्तुस्थिति छिपा दी जाय। यह संशोधन है नारायण दत्त जी का कि धारा ३-क की उपधारा १ में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर "जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे"। इस अंतर को मैं बराबर इसलिये कह रहा हूं कि जरा सदन समझ ले। पहले था निर्धारित की जाय और उसके अनुसार जो रूल्स सरकार बनाती वे सदन के सामने रखती। अगर यह धारा इस तरह से हो जाती कि जिसे राज सरकार निर्धारित करे, तब सदन इस पर गौर सोच सकता है कि इतना बड़ा अधिकार इस सरकार को जिसकी मनोवृत्ति हमेशा टैक्स बढ़ाने की रहती है, दे दिया जाय। सरकार क्या गजब ढा सकती है? इस समय मेरा मस्तिष्क कुछ सोचने लगता है कि आखिर यह सरकार किस तरह की पावर लेना चाहती है। बार-बार यह कहा जाता है कि सरकार पर सदन का विश्वास है, तो वह तो है ही वरना सरकार बनती कैसे? तभी तो सरकार कायम है। मगर अधिकार का सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता है।

[श्री राजनारायण]

अधिकार मिल जाय और उसका पालन ठीक ढंग से होगा, यह मुझे इस सरकार से कभी उम्मीद नहीं है जैसा कि हमने उसकी गतिविधि को पहले से देखा है और उसका विवेचन किया है। इसलिये मैं और ज्यादा जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी में पास न किया जाय, मौका दिया जाय ताकि इस पर इस सदन के सम्मानित सदस्य भी विचार-विनिमय आपस में कर सकें।

इस धारा के जरिये सरकार अपने हाथ से अनियंत्रित शक्ति सेल्स टैक्स के घटाने और बढ़ाने के संबंध में ले रही है और कमोडिटीज (पण्य) के घटाने-बढ़ाने की शक्ति अपने हाथ में ले रही है। अगर यह अधिकार सरकार के हाथ में चला गया तो अध्यक्ष महोदय इसमें संशय नहीं जनता जनार्दन चौपट हो जायगी। यह दूसरी बात है कि सरकार यह कहे कि हम भी जनता को जानते हैं। यह दूसरी बात है कि माननीय मंत्री यह कहें कि यह जो संशोधन हो रहा है वह केवल शाब्दिक संशोधन है, केवल एक भाषा का संशोधन है। लेकिन भाषा का संशोधन तो केवल कहने में मालूम होता है या यानी 'निर्धारित' के बजाय 'निर्दिष्ट' कर दिया जाय। लेकिन इतने में फंडामेंटल डिफिकल्टीज (बुनियादी गड़बड़ी) आ जाती है। आज सदन को जो अधिकार दिये हुये हैं उनको सरकार इस संशोधन के द्वारा ले लेना चाहती है और उसके ऊपर जो सदन की मंजूरी लेने का बंधन आज तक लगा हुआ है उसको दूर करना चाहती है। मैं माननीय अध्यक्ष आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार प्रजातंत्र प्रणाली को खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि इस संशोधन के द्वारा वह उन अधिकारों को सदन से लेने जा रहे हैं जो आज तक पहिले ऐक्ट के द्वारा उसको प्राप्त रहे हैं। और पहिले से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन (केन्द्रीयकरण) की मनोवृत्ति से सरकार काम कर रही है। वह इस सदन के द्वारा ही इसके अधिकारों को ले लेना चाहती है ताकि सरकार की दकियानूसी नीति का बार-बार जो पर्दाफाश होता है वह न होने पाये। इसलिये मैं आज सरकारी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे "निर्धारित" और "निर्दिष्ट" के हेर-फेर को मामूली न समझें बल्कि वह यह समझें कि इन दोनों शब्दों में कितना मौलिक भेद है और उसके द्वारा इस सदन के कितने अधिकार छीने जा रहे हैं, सरकार इसके द्वारा कितनी पावर अपने हाथों में ले रही है शक्ति को कितना सेंट्रलाइज (केन्द्रित) करती जा रही है। अतः मैं आशा करता हूं कि सदन हमारे संशोधन को स्वीकार करेगा।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मुझे अफसोस है कि तरमीम के प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों साहबान ने जो बहस की वह तरमीम से बिलकुल दूर थी। संशोधन सदन के सामने केवल इतना है कि खंड ४ की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उसके स्थान पर रखे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं। और बिल में यह है—

'मूल अधिनियम की धारा ३ (क) की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।'

जहां तक तरमीम का संबंध है निर्धारित और निर्दिष्ट के बारे में कोई बात नहीं कही गयी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, वह तो बदस्तूर रहता है। तरमीम सिर्फ इस बात की है कि जो अगले अल्फाज हैं वे निकाल दिये जायं और उनकी जगह पर जो अल्फाज बतलाये गये हैं कि धारा २४ की उपधारा (३), (४) और (५) के जो नियम हैं उनके मुताबिक अमल किया जाय। लिहाजा यह कहना कि सदन इस पर सचेत हो जाय, निर्धारित और निर्दिष्ट के फर्क को समझे, उसको तो माननीय प्रस्तावक महोदय ने पहले ही मान लिया। उस पर कोई तरमीम नहीं रखी कि निर्धारित के बजाय निर्दिष्ट रखा जाय लिहाजा यह प्रश्न तो सदन के सामने है ही नहीं।

सारी बहस जो उस पर हुई वह इर्रेलिवेंट हुई, और मौजूदा तरमीम से उसका कोई संबंध नहीं है। अब सवाल यह है कि जो तरमीम है, अगर वह मंजूर कर ली जाय तो कहां तक अमल में लायी जा सकती है। श्रीमान् की आज्ञा से धारा २४ जिसका हवाला दिया गया है उसकी उपधारा (३), (४) और (५) अंग्रेजी में है। अगर श्रीमान् आज्ञा दें तो मैं उसे पढ़ दूं। तरमीम के माने यह हैं कि जो निर्दिष्ट किया जाय उस निर्दिष्ट करने में धारा २४ की उपधारा ३ और ४ के जो नियम हैं उस परिपाटी के मुताबिक अमल किया जाय। ३, ४ और ५ जो उपखंड है वह यह है—

"The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less than four weeks."

[इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो।]

तो रूल बनने के चार हफ्ते पहले वह पब्लिश किया जाय। यहां रूल तो बनता नहीं। यहां तो निर्दिष्ट करना है, वह बाई नोटिफिकेशन होगा लिहाजा उपखंड ३ के मुताबिक कैसे अमल किया जाय। हमारी समझ में बात आयी नहीं फिर मुझे वही मजबूरन कहना पड़ता है। उपखंड ४ में लिखा है—

"All rules made under this section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act."

[इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम सरकारी गजट में छापे जायंगे और इस प्रकार छप जाने पर उनका तुरन्त प्रभाव इस ऐक्ट के समान ही होगा।]

यह कैसे लागू किया जाय। वहां तो नोटिफिकेशन गजट में छप जायगा। वही काफी है। हम कहते हैं कि रूल्स गजट में छप कर सामने आ जायगा और वह लागू जायगा। इसके मुताबिक भी अमल नहीं किया जा सकता है। उपखंड ५ में है—

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 7 days before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they were so laid."

[इस ऐक्ट के अधीन बने हुये, सब नियम बनाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, कम से कम सात दिन के लिये धारा सभाओं के सामने रक्खे जायेंगे और उनमें वे संशोधन हो सकेंगे जो धारा सभायें उस अधिवेशन में जिसमें कि वे रक्खे गये थे, करें।]

रूल्स जो बनते हैं वे तो गजट में छप जायेंगे और उनका नोटिफिकेशन हो जायगा। फिर गजट या ऐसे पब्लिक डाकुमेंट्स, जो गजट में छपते हैं सदन के सामने उनका नोटिफिकेशन कैसे किया जायगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लिहाजा जो तीनों उपखंड अप्लाई करना चाहते हैं कि इनके शरायत के मुताबिक, इनके प्राविजन के मुताबिक अमल किया जाय यह किसी तरह से मुमकिन नहीं है।

लिहाजा यह तरमीम रिडंडेंट सा मालूम होता है और अगर इसे मंजूर किया जाता है तो इस ऐक्ट की शक्ल बदशक्ल हो जायगी और जो कानून है वह किस तरह से बन जायगा उसको देखना चाहिये। यह मेरी मजबूरी है वरना कोई आवश्यकता नहीं थी नामंजूर करने की। सदन को मुझपर विश्वास है और मुझको सदन पर विश्वास है क्योंकि अगर सरकार को इस पर विश्वास न होता, सदन पर विश्वास न होता सरकार को तो वह इस विधेयक को न लाती। बहरहाल, इस तरमीम से कोई लाभ नहीं होता बल्कि यह रिडंडेंट है इसलिये मैं मजबूर हूं और इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं माननीय मंत्री से निर्दिष्ट और निर्धारित का फर्क पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष--वह तो आप अंग्रेजी की जो प्रति है उससे देख सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान मैंने एक बात जाननी चाही कि नियम ६६ (१) के अनुसार--

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

[जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृति हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हों और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।]

मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि वह सब नोटीफिकेशन प्रेस्क्रिप्शन और रूल्स जिनको सदन में लाना है उसकी तथा उसके संबंध में जो कागजात हैं, वह मिले नहीं है वह कागजात हमें दिये जायं।

अध्यक्ष--वही कागजात मांगे जा सकते हैं जिनके आधार पर विधेयक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वही कागज मांगे थे।

अध्यक्ष--आपने तो संशोधन रखा है। विधेयक किस आधार पर आया है उस संबंध में कागज मांगे जा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जितने नोटीफिकेशन्स इससे संबंधित हैं वह मिल सकते हैं वह हमें मिलने चाहिये।

अध्यक्ष--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में कुछ कागजात हैं।

श्री हुकुमसिंह--कोई कागज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी ने मेरे संशोधन के जवाब में जो दलीलें दी सुनीं। उन्होंने कहा कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो सारा विधेयक ही बदशक्ल हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संशोधन लाकर उन्होंने उस विधेयक को और भी ज्यादा बदशक्ल नहीं बना दिया है। बल्कि मैं तो उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूं और उस पर चश्मा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। वह बहुत सुन्दर बन गया है उसको जरा सुशोभित करने की कोशिश कर रहा हूं। खंड ४ को पढ़ा जाय तो उससे पता चलता है कि निर्धारित और निर्दिष्ट में फर्क क्या है।

"In sub-section (1), section 3A of the Principal Act for the words 'as may be prescribed' the words 'as the State Government may specify' shall be, and be deemed always to have been, substituted.

'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act."

[मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।

"निर्धारित" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये हुये नियमों द्वारा निर्धारित किये जाने से है।]

तो जहां पर "ऐज मे बि प्रेस्क्राइब्ड" उसकी उस प्रेस्काइब्ड की परिभाषा क्या है। प्रेस्काइब्ड मीन्स प्रेस्काइब्ड बाई रूल्स अंडर दिस ऐक्ट। और वे रूल्स धारा २४ के अधीन सदन में रखने पड़ते। आपको सदन पर विश्वास है तो उसे सदन में लाना पड़ता कि क्यों टैक्स बढ़ा रहे हैं? और फिर रिट्रास्पेक्टिव ऐफैक्ट जब उसका होता है तब तो जरूर सदन को मालूम होना चाहिये था। प्रान्त की जनता कम से कम आप से यह मालूम कर सकती है कि यह खंड़सारी पर और दियासलाई पर क्यों टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री दियासलाई नहीं जलाते। अगर माननीय मंत्री न जलाते हों तो जनता तो दियासलाई का प्रयोग करती है। जनता को जानने का अधिकार है, एक शब्द नहीं कहा सारे डिबेट में। मैं तो बहुत सख्त शब्दों में प्रोटेस्ट करूंगा। माननीय मंत्री जी की चुप्पी मैं समझता हूं बहुत असाधारण है कि इस प्रान्त की जनता जिस का उन पर इतना विश्वास है उस बेचारी को यह भी न बतायें कि हमने पहली अक्तूबर को जो टैक्स लगाया है उसका क्या कारण है। कहते हैं कि बदशक्ल बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या इससे ज्यादा बदशक्ली का नमूना हो सकता है?

अब आपके द्वारा जरा मैं रूल्स के बारे में पढ़ देना चाहता हूं। रूल्स की धारा इस प्रकार है, तीसरी, चौथी और पांचवीं—

"The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less 4 weeks."

[इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो।]

अध्यक्ष—वह तो पढ़ी जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने ढंग से पढ़ा।

अध्यक्ष—क्या उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पढ़ा।

श्री हुकुमसिंह—यह इल्जाम मेरे ऊपर गलत है। मैं कभी तोड़ता मरोड़ता नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने विधेयक ही तोड़ा मरोड़ा है, चार हफ्ते पहले गजट में छापना पड़ेगा। जब गजट में छप जाय फिर जैसे ही असेम्बली या कौंसिल का सेशन हो उसके सामने नियम रखे जायं और वह उन पर विचार करे। तब जा कर रूल्स अमल में आयेंगे। और जब 'प्रेस्क्राइब्ड' शब्द हटा देते हैं तो यह लाजिम है कि जितनी कार्यवाही हो रही है सब खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने अपने संशोधन के जरिये से चाहा है कि जो आप रूल्स के बारे में करते थे वही नोटिफिकेशन के बारे में भी करें और गजट में जरूर छपेगा। छपने के बाद जब असेम्बली का अधिवेशन हो तो उसके सामने नोटिफिकेशन को रखा जाय जब आपको असेम्बली पर इतना विश्वास है तो इसमें क्या हर्ज है। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि रूल्स के बारे में ३, ४, और ५ धारायें डिलीट कर दी जायं। तो नोटिफिकेशन के बारे में आप को क्या एतराज है।

आप को याद होगा कि सेल्स टैक्स के बारे में इस माननीय सदन के कितने सदस्यों ने सवाल किये हैं। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी ने, जिन्होंने मेरे सेल्स टैक्स के सुझाव का विरोध किया ज्यादातर उन के सवाल सेल्स टैक्स के ही बारे में हुए हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी को दूर करने के लिये। इसलिये नोटिफिकेशन असेम्बली के सामने आये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

असेम्बली टीका टिप्पणी करती रहे। जहां तक रूल्स का सवाल है सब सेक्शन ३ में जो परिभाषा रूल्स को एक्सप्लेन करते हुये की गयी है वह इस प्रकार है—

"The power under this section to frame rules can be exercised by the Government only in the manner prescribed under sub-section (2) after previous publication for a period of not less than 4 weeks. The Government should first notify in the Gazette the rules that are intended to be framed and then should republish them after 4 weeks so as to indicate that these rules had been made. If there is no previous publication of the rules, the rules that may be framed by the Government would not even acquire validity after a month of their publication. They would be altogether invalid as being in violation of section 24 (2).

(Vindhya Pradesh *vs.* Rama Din)"

[सरकार द्वारा इस धारा के अधीन नियम बनान की शक्ति का उपयोग ४ सप्ताह से अन्यून अवधि तक पूर्व प्रकाशन के उपरान्त केवल उपधारा २ में विहित ढंग के अनुसार किया जा सकता है। सरकार पहले उन नियमों को गजट में अधिसूची करदे जिनका निर्माण अभिप्रेत है और तब उन्हें ४ सप्ताह के उपरान्त पुनः प्रकाशित करे जिससे यह बोध हो सके ये नियम बनाये गये हैं। यदि नियमों का पूर्व प्रकाशन न हो तो सरकार द्वारा बनाये गये नियम प्रकाशन के एक महीने बाद भी बैध नहीं होंगे। वे धारा २४ (२) का अतिक्रमण करने के कारण बिलकुल अवैध हों।

(बिन्ध्य प्रदेश बनाम रामदीन)].

कितना जरूरी था कि रूल्स की स्वीकृति हो। कि रूल्स पब्लिश हों। मगर इतना भी नहीं करना चाहते। सरकार जो ऐक्ट में दिया हुआ है उसी की अवहेलना करना चाहती है। विन्ध्य प्रदेश वर्सस हेमचन्द का ऐसा केस था जिसको हमारी हाईकोर्ट ने भी वैलिड मान लिया। तो उसकी वैलिडिटी को बाई पास करने के लिये हमारी सरकार यह संशोधन लाती है जहां तक टैक्सेशन का सवाल है इसी सरकार ने धारा ४ के सब सेक्शन १ केबारे में मैं आप को बतलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि—

"No tax shall be payable on the following articles :
Notification No..........

The Government has granted unconditional exemptions in respect of the following goods under clause (1) of section 4."

[निम्न लिखित सामानों पर कोई कर नहीं लगेगा:

विज्ञप्ति संख्या.............

धारा ४ के खंड १ क अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित मालों पर प्रतिबन्ध रहित छूट स्वीकृत की है।]

तो इन अनकंडीशनल एग्जेम्पशंस में मैचिज और खंडसारी दोनों हैं। ये इतने एग्जेम्पशंस बने लेकिन उन्हें सरकार कंडीशन ही नहीं लगाये बल्कि टैक्स भी लगा दे? अब श्रीमन्, माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम बिना एक शब्द कहे उसको स्वीकार कर लें, यहां संशोधन भी पेश न करें और अगर पेश करें तो "बचकाने" मान लिये जायं।

जहां तक सवाल है टैक्स लायबिलिटी पर कितने लगाये जायं कितने न लगाये जायं इस बारे में सिंगिल प्वाइंट टैक्स के बारे में जो नियम बनाये गये हैं उनमें धारा ३ के अनुसार व्यापारियों को कितनी दिक्कत होती है। यह रूल्स में स्पष्ट होना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ध्यान तो दें जरा । जिस संशोधन का वह विरोध कर रहे हैं अगर उसको नहीं रखा जाता है तो होता यह है कि जिस गांव में जाते हैं वहां कहा जाता है कि सेल्स-टैक्स के बारे में बोलते ही नहीं हैं । तमाम आफत है और हमको यह करना पड़ता है और आज जब बहस हुई तो इतनी जल्दी हो रही है कि नहीं आज ही खत्म कर दिया जाय । मैं तो यह चाहता था कि सेल्स टैक्स ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर एक दो दिन निर्धारित कर दिया जाता सब लोगों से कहा जाता कि आप लोग क्या-क्या शिकायतें लाये हैं और अलग-अलग कांस्टि-ट्युएंसीज में किस तरह से सेल्स टैक्स ऐडमिनिस्टर हो रहा है । रूल नं० ९ व ११ को देखिये--

"Every dealer liable to pay tax under the Act who imports goods from outside the Uttar Pradesh in respect of which a notification under sub-section (1) of section 3-A has been issued shall, within 30 days of the issue of the notification or 30 days of the commencement of the business of importing such goods, whichever is later, furnish the following information to the Sales Tax Officer :—

(*a*) name and address of dealer;

(*b*) name under which the business is carried on;

(*c*) the principal place of business and names and addresses of branches, if any;

(*d*) class of goods imported; and

(*e*) name of firms from whom goods are usually purchased for import.

Every dealer liable to pay tax at single point in accordance with the notification issued under section 3-A shall keep a separate Trading Account in respect of the goods mentioned in the notification."

[प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार है और जो उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसा माल मंगाता है, जिसके संबंध में धारा ३-क की उपधारा (१) के अनुसार विज्ञप्ति प्रचारित की गयी है, विज्ञप्ति (जारी) करने से या ऐसा माल मंगाने का कारबार प्रारम्भ करने से ३० दिन के भीतर, दोनों में से जो भी अवधि देर से समाप्त हो, उसके भीतर विक्री कर अधिकारी को नीचे लीखी सूचना देगा--

(क) व्यापारी का नाम और पता ।

(ख) जिस नाम से व्यापार किया जा रहा हो ।

(ग) व्यापार का मुख्य स्थान और उसकी शाखाओं के, यदि कोई हों, नाम और पते ।

(घ) और किस प्रकार का माल मंगाया जाता है ।

(ङ) उन फर्मों के नाम, जिनसे माल मंगाने के लिये सामान्य रूप से मोल लिया जाता है ।

प्रत्येक व्यापारी, जिस पर धारा ३-क के अन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति के अनुसार एक स्थानीय कर देने की जिम्मेदारी है, विज्ञप्ति में उल्लिखित माल के संबंध में एक अलग व्यापार खाता रखेगा ।]

अब आपने ६ की लिस्ट और बढ़ा दी है और सदन को विश्वास में लाते नहीं हैं ......

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् के द्वारा अपने मित्र से.....

अध्यक्ष--वह बैठना नहीं चाहते । क्या आपका प्वाइंट आफ़ आर्डर है ?

श्री हुकुमसिंह--जी, मेरी रिक्वेस्ट है ।

श्री हुकुमसिंह---मुझे यही अर्ज करना है कि वह जो मेरा एतराज है उसके बारे में कह दीजिये, मैं तरमीम मान लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या एतराज है ?

अध्यक्ष---आप कृपापूर्वक उसको स्पष्ट कर दें।

श्री हुकुमसिंह---जो एतराज मैंने किया था कि हमारे दोस्त ने निर्दिष्ट' और 'निर्धारित'' के बारे में कोई तरमीम नहीं दी, लेकिन 'निर्दिष्ट' को मैंने मान लिया। अब उसके बाद जो शब्द आखिर में आप निकालना चाहते हैं वह किसी तरह से बैठते नहीं हैं। बस इतना मेरा एतराज है, इसके बारे में जवाब दे दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' को तो उन्होंने मान लिया लेकिन मैंने जो आगे दिया है कि ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३),(४),(५) में प्रत्येक विधि का पालन करना आवश्यक होगा, इसको भूल गये। मैंने यह कहा कि नोटिफिकेशन के लिये वही नियम लागू होने चाहियें जो रूल्स के लिये होते हैं। माननीय मंत्री जी का जो एतराज है वह सीमित है। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं रह जाता है। वैसे गजट पब्लिश होने के बाद असेम्बली के सामने लाना होगा और जब वह असेम्बली के सामने आयेगा तो नोटिफिकेशन के लिये लायबिल होगा। इस प्रकार फर्क इतना ही है कि अगर आप नोटिफिकेशन ही करना चाहते ह तो आप इतनी बात मान लीजिये कि नोटिफिकेशन का गजट असेम्बली के सामने रख दीजिये। सदन पर आप को विश्वास है ही और विरोधी दल पर भी, आप को विश्वास है और विरोधी दल का कोआपरेशन भी आप चाहते हैं और हम कोआपरेशन देते भी हैं जब ठीक-ठीक मौका आता है। जब रूल्स के बारे में आप ताकत दे सकते हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में क्यों नहीं दे सकते हैं। माननीय मंत्री जी को तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिये। जब हम उनकी बात को मान लेते हैं तो वह भी हमारी बात को मान लें। आप माननीय मंत्री जी, बात करने में लगे हुये हैं।

अध्यक्ष---माननीय उद्योग मंत्री जी, वे जवाब दे रहे हैं आप का।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं अपनी बात दुबारा दोहरा दूं। माननीय मंत्री जी की बात जब मैंने मान ली और 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' मैंन मान लिया तो मेरी भी बात मान लें कि जो ताक़त रूल्स में उन्होंने हम लोगों को दी है, वही ताक़त नोटिफिकेशन के संबंध में भी दे दें, ताकि हम लोग उस पर विचार कर सकें। अगर वे छोटी ही बात मानते हैं तो छोटी ही बात मान लेने में क्या एतराज है। कोई उसूल की बात होती, मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात होती, कोई कैपिटल लेवी लगाने की बात होती तो उसके लिये माननीय मंत्री जी कह देते कि यह बड़ा सवाल है, इसको मैं नहीं मान सकता, लेकिन यह तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा हां, तो मैं श्रीमन् रूल्स १२ पढ़ रहा था--

"Every dealer who imports from outside the Uttar Pradesh goods liable to tax at a single point shall, before the expiry of the last day of July, October, January and April, submit a statement to the Sales Tax Officer in Form III in respect of the quarters ending June 30, September 30, December 31 and March 31, respectively, or if he so elects, furnish the required information as and when he receives invoices for the imported goods :

Provided that if the dealer has once exercised his option, he shall not exercise it again except with the consent of the assessing authority and upon such conditions as the assessing authority may think fit."

[प्रत्येक व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसा माल मंगाता हो, जिस पर एक स्थानीय क लग सकता है, जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल (प्रत्येक) के अन्तिम दिन के पूर्व

बिक्री कर अधिकारी को क्रमशः ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च को अन्त होने वाले ३ मास का विवरण-पत्र फार्म नं० ३ में देगा या यदि वह ऐसा निर्वाचन करे, तो प्रान्त के बाहर से मंगाये गये माल का चलान के आते ही आवश्यक सूचना दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक बार निर्वाचन कर लेने के बाद वह व्यापारी कर-निर्धारक अधिकारी की स्वीकृति तथा उन प्रतिबन्धों के बिना, जो कि कर-निर्धारक अधिकारी लगाना चाहें उस रीति को नहीं बदल सकता है ।]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि शायद मैं यह सब रूल इस लिये पढ़ रहा हूं कि मैं टाइम एक्सपेंड करूं या टाइम और ज्यादा लूं लेकिन ऐसी बात नहीं है । मैं ऐसा नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं जो आज तक असेम्बली के सामने रखे नहीं गये और लागू हैं। अब आज मंत्री जी को ख्वार आया एक दो साल के बाद और कह दिया कि ग़लती हुई, रूल्स बना दिये हमने लेकिन सदन के सामने नहीं रखा । इसलिये आज यह अमेंडमेंट आया और मैं सरकार की खामियों को और उनके डिपार्टमेंट की असावधानी को आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे इम्पार्टेंट रूल्स बना दिये गये जो डीलर्स को भूल भुलैयां में डाल देते हैं । जैसा मैंने कहा कि टैक्स मस्ट नाट बी काम्प्लिकेटेड, टैक्स उलझे हुये नहीं होने चाहिये लेकिन इन रूल्स के ज़रिये आप ने टैक्स को उलझा हुआ बना दिया । इसलिये इस संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी उलझन डालने वाले नोटिफिकेशन्स न निकाले जायं और अगर निकाले जायं तो वे सदन के सामने आवें और हमारे विचार के बाद स्वीकार हों । जब ऐसा होगा तब हम अपनी-अपनी कांस्टिटुएंसी में व्यापारियों को और जनता को समझा सकेंगे कि यह इसलिये रखना पड़ा । इसके बाद सवाल यह है कि पहली अक्तूबर, सन् १९५२ को जो सरकार ने टैक्स लगाये हैं वे कहां तक पुराने टैक्सों की नियमावली के अनुसार जायज हैं । जैसे जूट गुड्स वग़ैरह पर पहली अक्तूबर, सन् १९५२ से टैक्स लगाया गया । माननीय मंत्री जी स्वीकार करते नहीं हैं, मुश्किल यह है । पहली अक्तूबर से जूट गुड्स पर टैक्स लगा है लेकिन जूट गुड्स में जूट मैन्यूफैक्चर्स में क्या फर्क है । जहां तक जूट मैन्यूफैक्चर्स का ताल्लुक़ है उनके ऊपर टैक्स पहले से लगा हुआ था लेकिन जूट गुड्स में वह कौन सा ऐसा बिन्दु है जिससे जूट गुड्स में और जूट मैन्यूफैक्चर्स में फर्क आ जाता है। श्रीमन्, पहली अक्तूबर, १९५२ का नोटिफिकेशन इस प्रकार है जो सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन को इस धारा की ३(ए) के प्रेस्क्राइब्ड नोटिफिकेशन के ज़रिये रखता है ।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि रूल्स के ऊपर यहां आज बहस नहीं हो रही है । इस वक्त आप के संशोधन के ऊपर बहस हो रही है । एक दो उदाहरण दें वे काफी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब रूल्स का नहीं दे रहा हूं, रेट्स का दे रहा हूं।

अध्यक्ष—हां, मगर वह एक ही दो हो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चार टैक्सेज लगे हैं चार ही दे रहा हूं।

"Jute manufactures of all kinds including gunny bags and hessians...."

[जूट से प्रनिर्मित सब प्रकार की वस्तुएं जिनमें गनी बैग तथा हेसियन भी सम्मिलित है..]

यह ९ वीं जून १९४८ से इनकी शुरुआत हुई । इनका टैक्स पहले ६ पाई था और अब ९ पाई हो गया । अब माननीय मंत्री यह बतायें कि जूट मैन्यूफ़ैक्चर्स में ९ पाई और जूट गुड्स में ६ पाई, तो कुल १५ पाई.........

श्री हुकुमसिंह—मैं तो तरमीम के बारे में बता दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह बिलकुल तरमीम है। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ा ग़ज़ब हो जायगा । मैं फिर पढ़ दूं.........

अध्यक्ष——मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——तो उनको समझा दीजिये।

अध्यक्ष——वह नहीं समझते तो फिर क्या किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी——तो बीड़ी में, ९ जून, १९४८ से आपने शुरू किया, रुपये में ३ पाई टैक्स लगाया और अब ६ पाई कर दिया। यह क्यों किया ? और आप कहते हैं कि संशोधक विधेयक को मंजूर कर लें। इसके बाद सिगरेट और पाइप टोबैकू पर १ जुलाई, १९५१ को लगाया। वह सदन के सामने नहीं आया। तारीफ़ यह है कि जितनी बार सेल्स टैक्स बढ़ाया गया उतनी बार सदन के सामने नहीं आया। यह सदन की अवहेलना है। फिर भी सरकार कहती है कि हमारी आलोचना करते हैं। पहली जुलाई, १९५१ को सिगरेट और पाइप टोबैकू पर ६ पाई दर रखी और पहली अक्तूबर, १९५२ से ९ पाई कर दिया गया। कोई कारण है ?

अध्यक्ष——आप कारण नहीं पूछ सकते हैं। जो आप की बहस है उसका सिद्धांत यह है कि, जो रेट्स लगाये गये हैं वे सदन के सामने नहीं आये। लेकिन रूल्स में जो चीज़ है वह कहां तक जायज है और कहां तक जायज नहीं है इसके ऊपर टीका आप शुरू न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, बात यह है कि जितने आज तक नहीं आये वे आज हमसे मंजूर करने के लिये कहा जा रहा है।

अध्यक्ष——यह नहीं है कि रूल्स के ऊपर आप की मंजूरी चाहते हों। वह तो संशोधन के सिलसिले में आया है कि वह डिलीट कर दिया जाय और हमेशा यह माना जाय कि रूल्स सही हैं। इसलिये उदाहरण के लिये आप पेश कर सकते हैं। लेकिन हर बात के ऊपर रूल्स के ऊपर बहस करके कि वह जायज है या नाजायज है यह कंसीडरेशन में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं आप की आज्ञा का पालन करता हूं।

"As the State Government may specify shall be, and be deemed always to have been substituted...."

["जिसे राज्य सरकार निर्दिष्टकरे" रख दिये जायेंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रखे गये थे।]

तो जितने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन्स हुये हैं उन सब को आप इसके जरिये से मंजूर करवाना चाहते हैं। तो मैं श्रीमान् आप के जरिये उन सभी नोटिफिकेशन्स का जिक्र कर रहा हूं जिनको शेल बि आलवेज़ के जरिये माननीय मंत्री जी हमसे मंजूर करवाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सरकार की आलोचना कर रहा था, जो कि आज मंजूर करवा रहे हैं और जो आप को पहले मंजूर करवा लेना चाहिये था इस संबंध में निवेदन कर रहा हूं। तो सिगरेट पर और पाइप टोबैकू पर १ जुलाई, १९५१ से ६ पाई टैक्स लगाया गया था। उसको ९ पाई कर दिया गया। दियासलाई, जूट गुड्स, खांडसारी और जैगरी पाउडर, इन सब पर ६ पाई फ़ी रुपया के हिसाब से एक अक्तूबर से लगा दिया गया जब कि खांडसारी और मैचेज़, ये दो गवर्नमेंट ने अपने ही नोटिफिकेशन के जरिये, एक नोटिफिकेशन तो वह निकालती है जिसके जरिये तो खांडसारी और मैचेज को एग्जेम्पट किया जाता है। और इसी दूसरे नोटिफिकेशन के जरिये दूसरी धारा के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और दोनों धारायें एक ही ऐक्ट की हैं। उसी धारा के अनुसार दो चीजों पर दो बार टैक्स लगाया जाता है। एक जूट गुड्स पर और दूसरे जूट मैन्यूफैक्चर्ड गुड्स पर। मैं नहीं समझता कि इनमें क्या फर्क है।

अध्यक्ष——आप रूल्स की मेरिट्स पर न आयं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब नहीं आऊंगा श्रीमन्, जब मैंने माननीय मंत्री जी से कागजात मांगे और मैंने कहा कि आप बतला दें कि कौन-कौन से नोटिफिकेशन्स वगैरा निकले हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है। जब उनको मालूम नहीं है कि कौन-कौन कागजात हैं तो मैं बतला रहा हूं तो उनको आपत्ति होती है। श्रीमन्, आज्ञा दें तो किताब उनके पास भेज दूं।

अध्यक्ष---इसकी इजाजत है अगर आप किताब भेजवा दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो माननीय मंत्री जी बतलायें कि क्यों ऐसा हुआ और इतने टैक्स बढ़ाये गये। अगर वह यह समझा दें तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं। उन्होंने जो निर्दिष्ट और निर्धारण में फर्क बतलाया उसको मैंने मान लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि, जो स्पैसीफिकेशन्स हैं वह भी गजट में छापे जायं। और सदन में मंजूरी के लिये आयें। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह प्रांत की जनता को तो बतला दें कि यह टैक्स क्यों बढ़ाये गये। क्या कारण थे।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री नारायण दत्त तिवारी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता करके मेरे संशोधन को मान लिया। मैं भी उनकी बात मान लेता बशर्ते कि वह मेरी दिक्कत को रफा कर देते जो मैंने पेश की थी। तमाम बातें जो इसमें हैं, जो हमारा एतराज था जो मुश्किलात थीं, उनका हल हमारे मित्र ने कुछ भी नहीं बतलाया है। अगर हम इस तरमीम को मान लें तो धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) के अनुसार नियम कैसे लागू होंगे, कैसे अमल किया जायगा। वह दिक्कत अब भी मेरे सामने है वर्ना कोई दिक्कत नहीं थी और जो उदारता उन्होंने बतलाई थी मैं भी बतला देता। मुझे अफसोस है कि मैं उनकी तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---८

विपक्ष में---६८)

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिस प्रकार यह धारा ४ रक्खी गई है मैं उसका पूरी की पूरी का विरोध करता हूं क्योंकि यह बहुत ही प्रतिक्रियावादी धारा है जो कि इस संशोधन विधेयक में रक्खी गई है समय-समय पर इस सदन में जो अधिकार नियम बनाने के लिये दिये गये हैं इस धारा के जरिये उनका अपहरण किया जा रहा है जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि "प्रेस्क्राइब्ड" का स्पष्ट अर्थ यह था कि उसके अनुसार गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ेंगे और वे गजट में प्रकाशित हो कर सदन के अन्दर पहले अधिवेशन में पेश किये जायेंगे और सदन उनको जिस प्रकार माडिफाई करेगा उसी प्रकार वे बन सकेंगे तो आज तक जो अधिकार इस सदन को था इस धारा के जरिये वह अधिकार इस सदन को नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि आज तक कितने रूल्स बनायें गये सेल्स टैक्स के बारे में, ३ ए के अनुसार सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन के बारे में कितने नियम बनाये गये। तो वह नियम धारा २४ की (३), (४) और ५ के अनुसार क्यों इस सदन के सामने नहीं रखे गये। मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृपया बतलायें कि इस सदन के सामने न रखने का कारण क्या है और अगर रखे गये तो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कितने रखे गये। यहां पर इस बिल के अन्दर जो यह धारा २४ और उसके यह ३,४ और ५, रखे गये हैं यह महज दिखलाने के लिये रखे गये हैं वह यह समझते हैं कि इन धाराओं को यहां पर बहाना करने के लिये रखा गया है। वह यह जानते हैं कि उनको अधिकार तो प्राप्त है ही जब चाहेंगे उसका उपयोग हो जायगा और इस सदन की मर्यादा के अनुसार उनको अधिकार प्राप्त तो है ही और वह ऐसा कर सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक चीजें हैं और सरकार की हिम्मत नहीं है कि इसको यहां पर स्पष्ट कर दे। मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इसके कि उसने उस धारा ४ को हमारे सामने रखा है वह इस धारा २४ और उसके हिस्से ३,४ और ५ को डिलीट कर देती। अगर सरकार को विश्वास था कि जनता उनके साथ है तो वह ऐसा कर सकती थी और इस जरूरत वाली धारा को डिलीट कर देती। मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों ऐसा खंड ४ को यहां पर लाये हैं और ऐसे खंड को क्यों नहीं लाये जिसके अनुसार नियम असेम्बली के सामने रखे जाते। उसको डिलीट क्यों नहीं किया गया है। इन सब बातों से मालूम यह पड़ता है कि सरकार की यहां पर कमजोरी है और सरकार सीधे तरीके से मैदान में नहीं आना चाहती। वह बहुमत से डरती है और उसको इस बात की आशंका है कि उनकी पार्टी के अन्दर प्रगतिशील सदस्य भी हैं और वह जरूर कभी न कभी जब मौका आयेगा जरूर सरकार से शिकायत करेंगे और हो सकता है कि पार्टी मीटिंग के अन्दर वे यह कहें कि आपने ठीक नहीं किया है। इससे विरोध बढ़ जायगा। इस वजह से इसका परिहार करने के लिये यह खंड ४ रखा गया है और शुद्ध खंड ४ इस वजह से नहीं रखा गया है कि २४ धारा के ३, ४ और ५ को उस रूप में हटा दिया है तो श्रीमन् मैं यह साफ जानना चाहता हूं कि वह साफ साफ क्यों नहीं मैदान में आये वह २४ धारा को डिलीट कर देते और इस खंड ४ को हमारे सामने न रखते। श्रीमन् अगर यह संशोधन स्वीकार हो गया होता तो मैं इसका विरोध नहीं करता। चूंकि वह स्वीकार नहीं हुआ और हम को विधान सभा में अपने अधिकारों की रक्षा करना है इस लिये हम इसका विरोध करने के लिये मजबूर हुये। मैं समझता हूं कि बहुमत दल के सदस्य भी इसके ऊपर जरूर अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं जानता हूं कि पार्टी गवर्नमेंट भी होती है लेकिन जहां तक कम से कम असेम्बली के अधिकारों का जब सवाल सामने आता है तो वहां पर हम सब एक हो सकते हैं। यहां पर सदन की मर्यादा का सवाल है और सदन के अधिकारों का सवाल है तो कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह इस दल में बैठा हो उस दल में बैठता हो उनको समानरूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार है। चाहे वह किसी भी पार्टी का मेम्बर हो लेकिन जो उसूल उसने स्वीकार कर लिया है उस उसूल की पूर्ति होना आवश्यक है और उनका लागू होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि अभी बहुमत के कोई सदस्य बोलेंगे और उसी भाषा में बोलेंगे जिसमें कि विरोधी दल ने अभी अपने विचार प्रकट किये हैं। आज असेम्बली के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। २४ धारा के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये थे वह हमसे छीने जा रहे हैं और वह अपने अधिकारों को और भी बढ़ाने जा रहे हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि इस निर्दिष्ट और निर्देशन के झगड़े के बारे में काफी कहा गया उस सरकार की तरफ से ऐतराज के सिलसिले में उत्तर दे दिया गया और माननीय मंत्री जी ने उनको बहुत समझाया और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी समझाया लेकिन तिवारी जी की समझ में नहीं आया उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं। कि ऐसा हरगिज नहीं हो रहा है और हम सब अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानते हैं हमने सिर्फ यहां गवर्नमेंट इसी लिये नहीं बनाई है कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य भी भूल जायं, हम तो असलियत में जनत

के रिप्रिजेनटेटिव हैं। आप जानते हैं कि "नो गवर्नमेंट विद आउट टेक्सेशन" कोई सरकार बगैर टेक्स वसूल किये चल ही नहीं सकती। सिगरेट, बीड़ी और सिनेमा की मिसाल दी गई। मैं समझता हूं कि यह वह चीजें हैं जो लग्जरी में आती हैं और जीवन के लिये यह आवश्यक नहीं है। इन पर सरकार ने थोड़ा सा टैक्स लगा दिया है ताकि लोग इन बुराइयों की तरफ कम जायं और इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा दाम होने के कारण कम कर दें सोचा यही है कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग बीड़ी, सिगरेट पीना बन्द कर दें। मैं भी सिगरेट पीता था लेकिन जब से मैंने देखा कि अब ६ आने देना पड़ता हैं मैंने बन्द कर दिया कि अब जेब से अधिक पैसा देने पड़ते हैं इस तरह से थोड़े से टैक्स को बढ़ाना तो हमारी मारेलिटी को बढ़ाता है यह कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की और सदन के अधिकार को छीनने की बात नहीं है यहां अमरीका के अर्थशास्त्रियों का कोटेशन दिया गया। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि जहां मनु और चाणक्य पैदा हुये हम उसी भारत में आज भी रहते हैं जहां बड़े-बड़े विद्वान् हुये हैं जिनके ज्ञान से हमारी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। हमारे दोस्त ने कहा कि १ अक्तूबर से जूट का टैक्स बढ़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर इस को बढ़ाया है और इस में कोई हर्ज नहीं है। मैं यह (विरोध) जो आया है इस का विरोध करता हूं और सदन से कहूंगा कि वह इस विधेयक को पास करे।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं इसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष--वह संशोधन नहीं है। आप उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने जब खंड ४ में नारायणदत्त जी का संशोधन आया था उस संबंध में बतला दिया था और कहा था कि 'निर्दिष्ट' और 'निर्धारित' का अन्तर यदि नारायणदत्त जी करें तो वह संशोधन को स्वीकार कर लेंगे उन्होंने कहा था कि नारायणदत्त जी ने, माननीय उद्योग मंत्री ने जिस तरह से बिल रखा है उसको मान लिया है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर वह इसका यह अर्थ समझते हैं कि उनके संशोधन को मान लिया है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वह मान लेते तो खंड ४ को निकालने की बात ही नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूं कि वह (मंत्री जी) संशोधन जिस रूप में रखा गाया था उसको उसी रूप में समझने में असमर्थ रहे। उस समय नारायणदत्त जी ने बिलकुल स्पष्ट कह दिया था कि दफा २४ के ३,४,५ सब सेक्शन के अनुसार जो अधिकार प्राप्त हैं वह दे दिये जायं और 'निर्दिष्ट' न रखा जाय और 'निर्धारित' रहे तो पूरे अधिकार अपने आप चले आते हैं। यद्यपि वह (मंत्री जी) तो कहा करते हैं कि कानून को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है और यह बात उनको सही है और मैं यह भी समझता हूं कि शायद यह दिक्कत उनपर ज्यादा लागू होती है और हमारे लिये तो खैर लागू है ही क्योंकि हमारे सामने तो सरकार एबरप्टली (यकायक) सब चीजें ला देती है लेकिन सही मानों में उन्हें इस कमी को दूर करना चाहिये था इसलिये इस धारा को निकाल देने का जो विरोध का प्रस्ताव है उस को मंत्री जी अब मान लें।

अब तो उनके लिये कोई बात ही नहीं है क्योंकि वह पहले कहते थे कि नारायण दत्त जी ने उनके संशोधन को मान लिया है। तो उनकी बुद्धि के अनुसार नारायणदत्त जी ने उनके संशोधन को मान लिया है और नारायणदत्त जी के संशोधन को मान लिया है माननीय मंत्री जी ने नारायणदत्त जी के अनुसार। तो दोनों की बात, संशोधन की और विधेयक के प्रस्तावक महोदय की, एक जगह आकर जम कर बैठ जाती है। अब ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विरोध को सहर्ष स्वीकार करेंगे। यदि वह नहीं करते तो इसका मतलब है कि पहले जो वह कह गये हैं वह एक वाक्‌जाल (विडम्बना)

[श्री राजनारायण]

गुमराह करने के लिये था। मैं इतना कहकर फिर उनसे अपील करूंगा कि वह इस निकाल देने के विरोध को स्वीकार करें।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा के संबंध में कंसोडरेशन के मोशन पर और तरमीम के सिलसिले में काफी बहस दोनों तरफ से हुई और इस सदन का काफी वक्त लगा। मैं ज्यादा वक्त अब नहीं लेना चाहता। मेरी दिक्कत जो पहले थी वह अब भी है। इस सदन ने बहुमत से नारायणदत्त जी के संशोधन को अस्वीकार करके यह इम्प्रेशन दिया कि जो धारा ४ है यही ठीक है जिस शक्ल में वह पेश हुई है। लिहाजा इस फैसले के बाद मेरी यह जुरअत नहीं हो सकती कि मैं माननीय राजनारायण जी की और माननीय नारायणदत्त जी की बात मान लूं कि इस विरोध को मैं स्वीकार करूं। मैं समझता हूं कि दफा ४ बहुत ही आवश्यक है और यही समझ कर यह इस विधेयक में रखी गई है। लिहाजा इसका पास होना और इस विधेयक का अंग होना निहायत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में इस खंड की ताईद करता हूं।

अध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६३

विपक्ष में--८)

खण्ड ५

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ४ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ४ उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली," निकाल दिये जायेंगे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २३ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में--

(१) खंड (५) में पूर्ण विराम (Full stop) के स्थान पर अर्ध विराम (Comma) रख दिया जायगा और उसके पश्चात् शब्द "या" जोड़ दिया जायगा;

(२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:

"(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।"

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तावित संशोधित विधेयक के खंड ६ का पूर्ण विरोध करना चाहता हूं। उसके उपखंड २ के अनुसार जो नया खंड जोड़ा जाने वाला है मैं उसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि माननीय मंत्री जी की दलीलें किंचित मात्र भी विश्वास दिलाने वाली नहीं हैं कि यह जो नया खंड ६ बढ़ाया जा रहा है वह पुराने ऐक्ट के प्रीऐंबिल का ऐक्सटेंशन नहीं है। मैंने आपकी अनुपस्थिति में सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि पुराना जो मूल अधिनियम है और उसका जो शीर्ष नाम है वह "उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८" है और उसके टाइटिल में यह लिखा हुआ है--

"An Act to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh......"

[उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियम।]

केवल सेल्स आफ गुड्स इन दी उत्तर प्रदेश पर ही इनऐक्टमेंट हो सकता है लेकिन यह जो नया उपखंड ६ जोड़ा जा रहा है उसमें लिखा है एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स हो उन सब टैक्सों के लिये जो भी कान्फीडेंशियल कागजात हैं वे सब के सब डिस्कलोज कर दिये जायें लेकिन प्रीऐंबिल में यह लिखा है--

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh...."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल, की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय,]

उसमें ऐसा नहीं है जैसी की इस धारा की मंशा मालूम होती है। अब अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस संशोधन विधेयक का जो प्रीऐम्बिल है वह इस प्रकार है--

"Whereas it is expedient to provide for the levy of a tax on the sale of goods in the Uttar Pradesh and to facilitate the collection of taxation for other States and the Centre.........."

[चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री पर कर लगाने की व्यवस्था की जाय तथा अन्य राज्य तथा केन्द्र को कर इकट्ठा करने में सुविधा दी जाय,...............]

तो इससे किसी प्रकार भी स्पष्ट नहीं होता कि पुराना प्रीऐम्बिल संशोधित हो रहा है। जब ये धारा यहां से मंजूर हो जायगी तो, मूल ऐक्ट की धारा बन जायगी और उस पर मूल ऐक्ट का प्रीऐम्बिल ही लागू होगा।

तो प्रीऐम्बिल और इनऐक्टमेंट का आपस में कितना संबंध रहता है उसके बारे में मैंने कुछ लीगल अथारिटीज से भी कंसल्ट किया, उनकी राय भी देखी। लार्ड माक्सवेल का इस संबंध में यह कहना है कि जो इनऐक्टमेंट होता है कि यह कुंजी है प्रीऐम्बिल की।

"Preamble is the key to the meaning of the Act. If very general language is used in an enactment which it is clear must have been intended to have some limitation put upon it, the Preamble may be used to indicate to what particular instances the enactment is intended to apply."

[प्रस्तावना अधिनियम के अर्थों की कुंजी है। यदि किसी विधायन में बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से उस पर कोई निर्बन्धन लगाना हो, तो यह संकेत करने के लिये प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है कि किन विशेष प्रकरणों में विधायन को लागू करने का मंशा है।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यानी प्रीऐम्बिल उदाहरण के रूप में, संकेत के रूप में, सरकारी संकेत के रूप में, सरकार जो संकेत बतलाती है उसका सूच्य प्रीऐंबिल है। प्रीऐम्बिल में यह स्पष्ट है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सेल्स टैक्स उगाहने में मदद की जाय। ऐसा नहीं है कि और राज्यों की सरकारों के टैक्स उगाहने में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज उगाहने में मदद की जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि इस उपखंड का जो प्रीऐम्बिल है उसे देखते हुये, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुये, इसके ढांचे को देखते हुये अस्वीकार है और अपरिहार्य है। और हम इस पर किसी तरह से विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने और भी प्रांतों की व्यवस्था को देखा है। और प्रांतों में भी सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, उनके कंफिडेंशियल डाकुमेंट्स वगैरह होते हैं वहां की सरकारों ने इस संबंध में क्या व्यवस्था की है यह भी हमें मालूम है। केवल बिहार ने ऐसे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिये हैं। बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट के सब क्लाज ५ में लिखा गया है--

"In order to assist an officer of the Central Government in carrying out his duties in connection with the imposition and recovery of any tax...."

[किसी कर के आरोपण तथा उद्ग्रहण के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिये ....]

श्रीमान्, अगर कोई विधेयक ऐसा उपखंड ६ के रूप में बन सकता है, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बन सकता है। और स्टेट्स के बारे में कोई कानून बनाने के लिये हमारी प्रांतीय सरकार कम्पीटेंट नहीं है। हमारा यह सदन ए० बी० सी० स्टेट्स के लिये किसी टैक्स के बारे में या सेल्स टैक्स के बारे में कोई विचार करने के लिये कम्पीटेंट नहीं है। आपके सेल्स टैक्स के संबंध में दिखलाया यह गया है कि रजिस्टर और बही खाते, सेल्स टैक्स तथा दूसरे भिन्न-भिन्न टैक्सों के संबंध में दूसरे स्टेट्स में मिलेंगे। इस बात का हमको कोई अधिकार नहीं है। इस बात के लिये पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना पड़ेगा। हम लोग इस के लिये कम्पीटेंट नहीं हैं। आसाम में एक बात की गयी है।

"To assist an officer of Assam State to levy and realise any State Tax........"

[आसाम राज्य के अधिकारी को किसी राज्य कर के लगाने तथा वसूल करने में सहायता करने के लिये····]

वहां आसाम सरकार तक ही सीमित रखा है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी कोई ऐसा अमेंडमेंट लाते जो उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स वगैरह के वसूल करने में मदद करता तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन उन्होंने तो बाहर के दूसरे स्टेट्स पर भी लागू करने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया है। ऐसी मिसाल हमारे लेजिस्लेचर में ही मिल सकती है। श्रीमन्, धारा २३ के अनुसार जो कांफिडेंशियल डाकुमेंट्स वगैरह दिखलाने की बात है उसमें पहला तो यह है कि किसी स्टेटमेंट्स और डाकुमेंट्स के बारे में यू० पी० के अन्दर उसको देखने के लिये ऐक्जेम्प्शन किया गया है। दूसरे इस ऐक्ट को लागू करने के लिये जब कोई आदमी काम करता है तो ....

अध्यक्ष--यह तो ऐक्ट में मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं उसे जरा स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष--इसका उससे क्या संबंध है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसका संबंध यह है कि उपखंड ६ कैसे स्कोप से बाहर जाता है इसे मैं बतलाऊं। माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा कि जहां ५ बढ़ गया वहां छठा बढ़ जाय तो क्या हर्ज है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहला प्रश्न यह है कि जब पांच स्कोप इसके अन्दर है तो छठवां क्यों नहीं आता मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि पांच इसकी प्रिएम्बिल की भाषा के अन्दर इसलिये है क्योंकि वे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं किसी दूसरे राज्य के लिये नहीं हैं लेकिन खंड ६ के जरिये से माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेट को छोड़ दिया और बाकी स्टेटों को दाखिल कर दिया है।

"to any person acting in the execution of the Act;"

[कोई व्यक्ति इस ऐक्ट को कार्यान्वित करने में लगा है.........]

यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा

"occasioned by the lawful employment under the Act or the rules made thereunder of any process for the recovery of any demand;"

[इस ऐक्ट अथवा उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी मांग की उगाही के लिये प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवश्यक हो,]

यह भी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। चौथा

"to a civil court in any suit to which the Government are a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under the Act or the rules made thereunder,"

[इस ऐक्ट या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के संबंध में किसी ऐसे दीवानी के मुकदमें में हो जिस में सरकार एक पक्ष के रूप में हों, या]

यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पांचवां

"occasioned by the lawful exercise by a public servant of his poweres under the Indian Stamp Act, 1899, to impound an insufficiently stamped document...."

[इंडियन स्टाम्स ऐक्ट, १८९९ ई० के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोक सेवक द्वारा ऐसे लेख पत्र का अवरोध करने के लिये, जिस पर अपर्याप्त मूल्य का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय।]

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट से सम्बन्धित है लेकिन वह भी उत्तर प्रदेश की सरकार समय समय पर संशोधित करती रही है। तो इस संबंध में जितने पांच एक्जेम्पशन्स हैं वह सारे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं जब हमारा उपखंड ६ जो है वह उत्तर प्रदेश से बाहर के लिये चाहता है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हिमांचल प्रदेश से लेकर केप कामोरिन तक पहुंचता है और पश्चिमी बंगाल से सौराष्ट्र तक पहुंचता है। आपने आल इंडिया पैमाने पर लेजिस्लेशन बना दिया जो आपके अधिकार में नहीं है और जिसके लिये आपको कम्पिटेंस नहीं है। अगर आपने अपने इस संशोधन को वापस न लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी बड़ी लेजिस्लेटिव भूल, वैधानिक एरर इंडिया की हिस्ट्री में शायद किसी सदन ने की हो या करे। और श्रीमन् मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था भी चाहूंगा। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आप भी इसमें ऐसी व्यवस्था देंगे जिसकी वजह से हमारी जितनी भी लीगल अथारिटीज हैं उन्होंने क्या कहा है मालूम हो जायेगा। संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितनी लीगल अथारिटीज हैं वह कहती हैं कि प्रिऐम्बिल इनऐक्टमेंट की आत्मा है जिस तरह से एक बैलून को ब्लो करने में पूरे बैल्यून का नकशा आ जाता है इसी प्रकार परिभाषा को देखकर ही विधेयक की सारी तसवीर सामने आ जाती है। परिभाषा केवल यू० पी० में सेल्स टैक्स

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लगाने के लिये है दूसरे राज्यों या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सूचना देने के संबंध में उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिये उपखंड ६ इस सीमा के बाहर इसके प्रिऐम्बिल के बाहर है और पांचों खंड जो इसमें हैं वह इसकी सीमा के अन्दर हैं या यहीं तक सीमित है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जिस रजिस्टर को आप अपने टैक्स के लिये नहीं देखना चाहते जो अपने द्वारा लगाये हुये सेल्स टैक्स या दूसरे टैक्सों के लिये नहीं देखना चाहते और उनको कान्फीडेंशल रखना चाहते हैं वह हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स हैं उनके रजिस्टर को क्यों दूसरे के लिये देखना चाहते हैं। इससे बड़ा कंट्रेडिक्शन कोई दूसरा नहीं मिल सकता। अगर कोई गलती है तो माननीय मंत्री जी बतलायें। लेकिन आप दूसरे लोगों के लिये मेहरबानी कर रहे हैं और उनको यह सहूलियत दे रहे हैं।

तो श्रीमन्, मैं आपकी भी व्यवस्था चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर कानूनी दृष्टि से प्रकाश डालें।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दावा अक्लकुल होने का हमारा नारायणदत्त जी को हो सकता है वह न मैं कर सकता हूं और न सरकार कर सकती है। सरकार से भी गलतियां होती हैं और मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया की तवारीख में इससे बड़ी ....।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इंडिया की।

श्री हुकुमसिंह--इंडिया की सही। मैंने सब बातों को सुना और काफी हमारे मित्र ने सदन का समय लिया। कोई नयी बात उससे जो हमारे दोस्त ने कंसीडरेशन मोशन पर कहा था नहीं है। उन्हीं बातों को उन्होंने फिर दोहराया। वह दोहरा सकते हैं। समय ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने बातें पहले कहीं थीं उनको दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि वही जवाब मेरा इसमें भी समझा जाय और मैं फिर इस दफा का अनुमोदन करता हूं कि यह दफा इस विधेयक का अंग मानी जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता था।

अध्यक्ष--आपने अपनी स्पीच में कहा। आपने कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठाया था। मैं तो यह समझा था कि मेरिट्स पर आप मेरी राय चाहते हैं। मैं मेरिट्स पर राय देने के लिये तैयार नहीं हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष--में ६२
विपक्ष में--८)

खंड ७

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २५ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा २५ निकाल दी जायगी।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (declaration) या कर निर्धारण (assessment), लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार, अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था। वैधीकरण (Validation)।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस खंड का विरोध करने के पहले मैं सरकार को इस बात पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि किस तरह से वह पूरे हाउस को धोके में रखने के लिये इस विधेयक का उद्देश्य और कारण उपस्थित कर सकती है।

उद्देश्य और कारण में ऐसा मालूम होता है कि कोई खास कारण नहीं। क्योंकि अन्य अधिनियम एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर पास हो गया है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया उसका रेलेवेंट पोर्शन अध्यक्ष महोदय यह है कि "इसलिये बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ अन्य साधारण संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धन की न्यूनतम सीमा जिस पर किसी व्यापारी के कर देने का दायित्व अवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये जाने या उसकी वसूली के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ सूचना के पारस्परिक आदान प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था।"

अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों में जहां तक संशोधन करने वाले अमेंडिंग बिल का सवाल है इस विधेयक की धारा ४ और ८ का जिक्र भी नहीं किया गया है कि लोग कहीं उससे सचेत न हो जायं। अध्यक्ष महोदय, जिस धारा का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं वह इस प्रकार है, "इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (Declaration) या कर निर्धारण (assessment) लगाया गया कर, की गयी कार्यवाही या व्यवहार अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है मानों धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।"

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि धारा ४ फिर से पढ़ी जाय। धारा ४ इस प्रकार है, 'मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।'

और चूंकि अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत धारा ४ में ३-क का जिक्र किया गया है, इसका भी जिक्र कर देना आवश्यक है। इसलिये मैं मल अधिनियम की धारा ३-क जोकि अंग्रेजी की ३-"ए" है उसको भी इस सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं —

" Notwithstanding any thing contained in section 3, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

[धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है, कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा विक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी विक्री को छोड़कर जो निर्धारित की जाय, किसी माल अथवा माल की किस्मों के विक्रय-धन पर कर नहीं लगेगा।]

अध्यक्ष महोदय, आपको भी और माननीय उद्योग मंत्री को भी मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा "सच सिंगिल प्वाइण्ट"। मुझे इस बात का अन्देशा है कि सरकार के दिल में चोर है और एक डर उसको है कि शायद प्रस्तुत धारा ४ के अनुसार वह ठीक न हो तो धारा ८ के द्वारा ठीक कर लिया जाय। और उसमें तो इतना बड़ा अधिकार ले लिया कि सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन चैलेंज न किया जाय। धारा ३ में, चूंकि धारा ३ में मूल अधिनियम का जिक्र है जिसमें करीब ४ हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो आफिशयल गजट में नोटिफिकेशन के संबंध में है। दूसरे हिस्से में एक लिमिट बांधी जाती है १२,००० रुपये की और तीसरे में और भी तरीके हैं और चौथे में रेलवे कम्पनी वगैरा का जिक्र है। उस संबन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत धारा ४ में तो सरकार यह मनवा ही चुकी है कि "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" और सरकार ने जो गलतियां की थीं इस विधान सभा को कान्फिडेंस में न ले कर उनको फिर सही करना चाहती है। अभी अखबार में निकला कि कई चीजों पर टैक्स लगा दिया गया और माननीय उद्योग मंत्री, चूंकि उनको बहुमत का गर्व है इसलिये यह भी इन्फारमेशन नहीं देना चाहते कि कितनी गल्तियां इस ऐक्ट के मातहत सन् ४८ से लेकर अब तक सरकार द्वारा की गयी हैं और कितने डिक्लेरेशन और असेसमेंट हुये हैं। और जिस पर वे विधान सभा की मोहर लगा करके प्रदेश और देश की सारी जुडिशियरी को चैलेंज करना चाहते हैं। बार-बार पूछने पर और हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी के उत्तेजित करने पर भी माननीय उद्योग मंत्री जी गलती कबूल करने के लिये तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो स्वयं आप को आश्चर्य होगा और मनोविनोद भी होगा कि चोरी छिपाने के लिये बार-बार किस तरह लीपा पोती की गयी है। पहले यह कहा गया कि "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे। पहले गलती वहां पर सुधारने की कोशिश की गयी, उसके बाद भी इस तरह की पावर्स ले करके या जो गलतियां इस ऐक्ट के रूल्स का उलंघन करके और विधान सभा के सामने मौके-मौके पर न रख करके की गयी हैं उस संबंध में धारा ४ काफी हो जायगी और पर्दा पड़ जायगा लेकिन संभवतः सरकार को डर यह है कि सेल्स टैक्स देने वाले लोग कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा न लेने लगें, इसलिये आगे बढ़ करके जितने डेक्लेरेशन्स हैं, जितने असेसमेंट्स हैं उनके और प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) हैं मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था। फिर खंड ४ का जिक्र किया गया। तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय विरोध करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस बात का दावा करने वाली सरकार कि वह जनता की सरकार है, जनता के वोटों के जरिये चुनी गयी है और एक दो फीसदी या दस फीसदी के सीमित मताधिकार के जरिये से नहीं बल्कि बालिग मताधिकार के द्वारा चुनी गयी सरकार है, वह किस तरीके से विरोधी दल के सदस्यों को ही नहीं बल्कि सरकारी दल के सदस्यों को भी अंधेरे में रख करके अपनी पिछली गल्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। यह किसी भी प्रजातंत्रवादी

सरकार के लिये शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं इस खंड का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको विधेयक का अंग न माना जाय।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र त्रिपाठी जी की बहस सुनी। अगर कोई यहां विदेशी सरकार होती तो वाकई यह बहस बड़ी कारगर होती लेकिन जो जनता की सरकार है, जिस को जनता ने चुन करके बिठलाया है और जिस का उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना है, उसके खिलाफ ऐसी बहसें कुछ असर नहीं करतीं। धारा ४ के पास करने के बाद धारा ८ और ४ का इतना निकट संबंध है कि वे एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकतीं। इसलिये ८ का पास होना निहायत आवश्यक है। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो धारा ४ का कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिये यह आवश्यक है और इसका विधेयक का अंग रहना निहायत जरूरी है। मैं इसकी ताईद करता हूं।

अध्यक्ष---(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर) जवाब हो चुका और अब कोई भाषण नहीं हो सकता। पहली मर्तबा माननीय राजनारायण जी खड़े हो गये थे और उनको इजाजत दे दी गयी थी। यह विरोध है, संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६४

विपक्ष में---९)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का विधेयक

समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में आगे चलकर दिये हुये प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१---(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा। संक्षिप्त नाम

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शी... जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर ... मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६४

विपक्ष में---८)

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजा... कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि इस ... किया है, पारित किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि इस भवन ने उसको संशोधित किया है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६३

विपक्ष में--९)

अध्यक्ष--अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५२ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
१६ अक्तूबर, १९५२ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--११४ एल० ८०--१९५२--८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११२

आ

प

प्रश्नोत्तर

व्यक्तिगत प्रश्न

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०--१०७ एल० ए०--१९५३--८३०